Volume II, Issue XIII
January to March 2016

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 1.9411 (2015)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

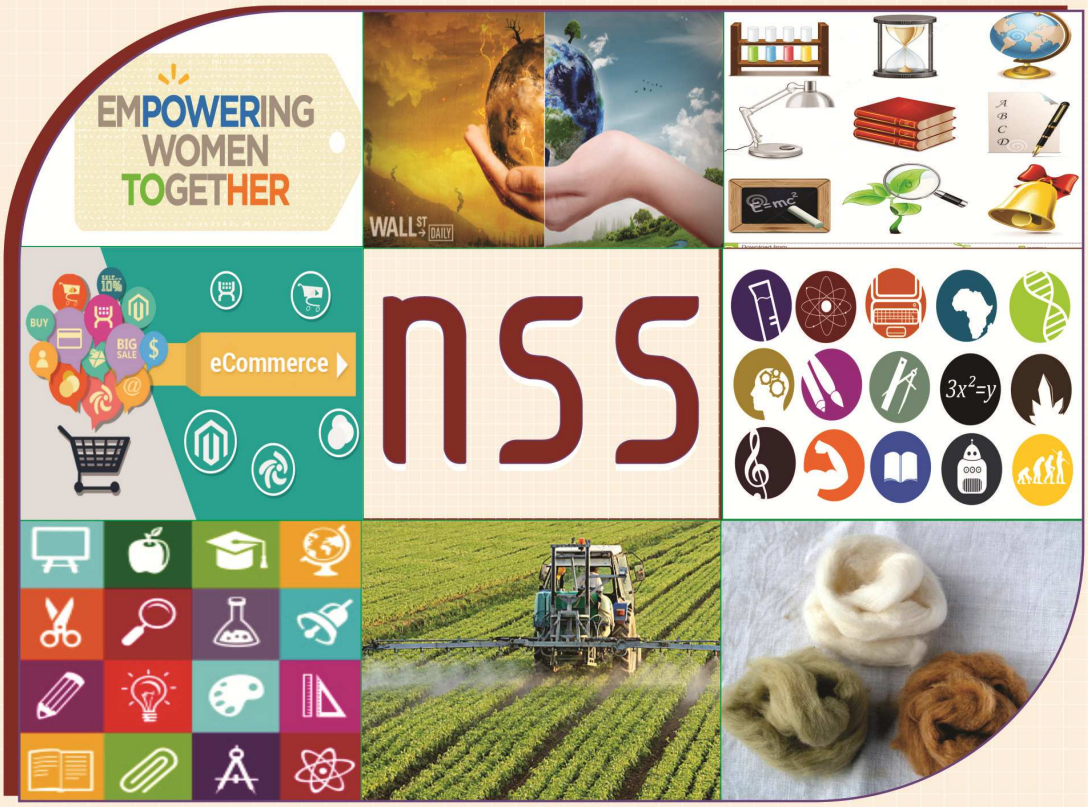

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 01

02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 06/07

03. निर्णायक मण्डल 08

04. प्रवक्ता साथी 10

(Science / विज्ञान)

05. Studies on Micro propagation of Strawberry (Fragaria- ananassa) with special reference to variation in different growth parameters (Anurag D. Zaveri, Dr. Dilip N Zaveri, Khyati Meghani, Purvi Zaveri, Avani Zaveri) 12

06. Study On Invasion Of Pistia stratiotes In An Abandoned Stone Quarry- Used For Fish Culture In Distt Rewa(M.P.) (Suman Singh) 15

07. Traditional knowledge on medicinal plants among the Bhil and Bhilala Tribe of Western Malwa special reference to fever impact (Nutan Rajput) 20

08. Ethnobotanical Study On Medico-Religius Plants Of Balaghat District (M.P.) (B. K. Bramhe) 23

09. Expectorants Extracted From Plants By Local Folklore Of Sariska Tiger Reserve Of Alwar District (Manju Meena) 26

10. To analyse the Pattern of pathogenic Microflora in Skin of Leukemia Patients (Special reference in Jawaharlal Nehru Cancer, Hospital & Research Centre, Bhopal) (Anupama Tiwari) 29

11. Catharanthus Roseus for Anti Cancer Plant Drugs Found In Bhopal Division (Dr. Sushama Singh Majhi) 31

12. Trace Metal Cycling Biogeochemical Processes (Dr. Rashmi Ahuja) 33

(Home Science / गृह विज्ञान)

13. Knowledge of modifiable risk factors of heart disease among the patients with acute myocardial infarction in Jabalpur (Nidhi Jain, Dr. Meera Vaidya, Dr. Smita Pathak) 35

14. Study Of Knowledge, Attitude And Practice Of Affluent Business Men Towards Healthy Food Practices Of Chhindwara City (Akanksha Sharma, Dr. Smita Pathak, Dr. Meera Vaidya) 39

15. कार्यकारी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का किशोर बालक एवं बालिकाओं के समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन (डॉ. गीता शुक्ला, अमिता द्विवेदी, प्रीति मिश्रा) 42

16. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा परिवार की भूमिका (डॉ. अनुराधा अवस्थी) 48

17. ग्रामीण समाज एवं आधुनिक संचार माध्यम (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) (डॉ. सीमा रजा) 51

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

18. A Comparative Measurement of Service Quality : Public Sector Vs Private Sector Banks (Dr. Shefali Tiwari) 53

19. Forensic Accounting : A New Concept Of Fraud Auditing In Indian Context (Dr. Nuzhat Sadriwala) 56

20. Sticks in A Bundle Are Unbreakable (Kirti Jaldhari, Dr. Suresh Katariya) 59
21. Impact of Information Technology on employees of the Organization 62
(Dr. Shankar Choudhary, Rati Mishra)
22. Development, Growth And Reform Of Indian Banking (Dr. Rita Sachdev) 64
23. म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन(डॉ. एल. एन. शर्मा) 66
24. भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विश्लेषणात्मक अध्ययन (शीतल सोलंकी) 76
25. केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक से लाभांवित कृषकों का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन (जिला धार ,म.प्र. 79
के विशेष संदर्भ में)(डॉ. राजेश्री देसाई, रामकन्या भिड़े)
26. धार जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थिति – एक अध्ययन (वर्ष 2002–03 से 2011–12) 81
(डॉ. बी. एस. सिसोदिया)
27. डिजिटल इंडिया – एक संचार क्रांति (प्रो. राजेश मईड़ा) 83
28. भारत में गरीबी के कारण एवं प्रभाव एक अध्ययन (डॉ. एस. सी. जैन) 85
29. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा में अतिथि विद्वान व्यवस्था अभिशाप (राकेश बघेल) 87
30. लघु, कुटीर और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की नवीन नीति एवं नवीन औद्योगिक परिवर्तन 89
(डॉ. धीरज शर्मा, डॉ. विशाल पुरोहित)

(Economics / अर्थशास्त्र)

31. जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक संकट की दशा व दिशा (डॉ. एस. के. वर्मा) 91
32. ग्रामीण विकास का स्वरूप – एक अध्ययन (वर्तमान परिप्रेक्ष में) (सुनीता देवी कुशवाहा, डॉ. ए. के. पाण्डेय) 94
33. मेक इन इण्डिया (डॉ. अनामिका सारस्वत) 96
34. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सीमा नागर) 98
35. वेब मीडिया और उपभोक्ता व्यवहार (रावेन्द्र सिंह पटेल) 100
36. जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव (डॉ. अंजना चतुर्वेदी) 102

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

37. Make In India - Prospects And Challenges (Dr. Anil Kumar Jain) 103
38. महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण (महिला आरक्षण के विशेष संदर्भ में) (डॉ. टी. पी. मिश्रा) 106
39. वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्यम उभरता अन्तर्क्षेत्रीय इब्सा (IBSA) (भावना ठाकुर) .. 111
40. प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा और पंचायती राज (डॉ. समीना खॉन खटक) 114
41. राम मनोहर लोहिया –विचार एवं प्रासंगिकता (डॉ. मुकेश शर्मा, वनीता रानी) 117
42. पंचायतों के माध्यम से किये गए लोक कल्याणकारी कार्यों का विवरण (धार जिले के विशेष सन्दर्भ में) 120
(राकेश जाधव, डॉ. किरण राठौड़)
43. ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं क्रियान्वन, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में (डॉ. मालती तिवारी) 123
44. राष्ट्रों के मध्य अपराधियों का प्रत्यर्पण (डॉ. अनिल कुमार जैन) 126

45. जीवन मूल्य और शिक्षा–उपादेयता (डॉ. भावना यादव) 128
46. जनजातियों में उपजातिगत पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन (पवन डावर, डॉ. किरण राठौड़) 130
47. प्राकृतिक संसाधनों पर भौतिकता का प्रभाव (प्रो. जी. एस. वास्कले) 132
48. जनजातियों की राजनैतिक एवं शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण (धार जिले के विशेष संदर्भ में) (भूरे सिंह सोलंकी) 134
49. भारत में नगरीकरण और राजनीतिक संस्कृति (डॉ. अनुराधा जैन) 136

(History / इतिहास)

50. Aftermath of the Revolt of 1857 in the region of Saugor Narbudda 138
(Dr. Madhumita Bhattacharya)
51. प्राचीन भारत में युद्ध के नियम (डॉ. मानसिंह अजनार) 139
51. निमाड़ के सन्त अफजल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व (डॉ. मधुसूदन चौबे) 142
52. सीरवी समाज की विवाह परंपरा का ऐतिहासिक विवेचन (शताब्दी अगल्वा) 145
53. हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास (डॉ. उमा त्रिपाठी, डॉ. उषा मिश्रा) 148
54. प्राचिन भारतीय इतिहास का हर्षकालीन धर्म (डॉ. रूचिका वर्मा) 150
55. स्वामी विवेकानन्द का सांस्कृतिक योगदान (डॉ. रूचिका वर्मा) 152
56. भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 में श्री नारायण चौबे का योगदान (अंतिम मौर्य) 154
57. लोक साहित्य में लोक संस्कृति का प्रतिबिम्ब (अनिल पाटीदार, डॉ. पुष्पलता खरे) 156
58. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ के भीलाला क्रांतिकारी (डॉ. प्रवीण मालवीय) 158
59. मध्यकालीन मालवा की शिल्प एवं दस्तकारी बस्तियॉ (डॉ. मलिका खान) 160

(Sociology / समाजशास्त्र)

60. The Role & Impact of Computer & Internet Access in School Children (Dr. Mamta Bajpai) 161
61. Role of NGO's in Disaster Management (Khurshid Ahmad Malla, Dr. P.B Sengupta) 165
62. शासकीय चिकित्सालयों में उपचार हेतु भर्ती महिलाओं की समस्याएँ एवं समाधान (ममता गोयल) 168
63. 'महिला सशक्तिकरण' – दशा एवम् दिशा (वर्तमान संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) (डॉ. सुलभा काकिर्ड़े) 171
64. अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनैतिक सहभागिता (डॉ. राजेश कुमार सक्सेना) 173
65. सामाजिक न्याय और डॉ. भीमराव अम्बेडर (डॉ. आर. सी. पान्टेल) 175
66. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विद्वानों की स्थिति –एक अवलोकन (धीरज जॉनसन) 177
67. भारत में बढ़ रहे साइबर अपराध तथा प्रबंधन (डॉ. रश्मि दुबे) 179

(Geography / भूगोल)

68. Climate Change And Its Implications In Indian Context (Dr. Prabhakar Mishra) 181
69. ग्रामीण परिवेश में उच्च शिक्षा की ओर बेटियों के बढ़ते कदम (शासकीय महाविद्यालय बरही, जिला कटनी 183
का एक अध्ययन)(डॉ. सुकचैन सिंह धुर्वे)

70. रतलाम जिले में लिंगानुपात – स्थानिक तथा कालिक विश्लेषण (डॉ. अख्तर बानो) 188
71. पर्यटन उद्योग का विकास एवं संभावनाएँ (डॉ. एस. एस. बघेल) 190

(Philosophy / दर्शनशास्त्र)

72. स्पिनोजा के दर्शन में आत्म स्वातंत्र्य की अवधारणा (डॉ. पुष्पा कपूर) 192

(Psychology / मनोविज्ञान)

73. Mind Mechanisms and Information Processing (Dr. Saroj Kothari, Deepak Jahagirdar) 193
74. The Case Study Of A Child Aged 4 Years And 7 Months For Educational Planning 195
(As A Part Of Longitudinal Study) (Smita Jain)

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

75. Analysis Of The Symbolisation Technique In 'The White Tiger' By Arvind Adiga 196
(Nidhi Chandra, Dr. Manisha Dwivedi)
76. Bernard Shaw's Philosophical Concept of 'Life Force'(Dr. Swati Chandorkar, Varkey K. O.) 199
77. Modern Novels And Some Novelists' Trends (Vinay Dubey) 202
78. Appreciation Of Poetry (Dr. Vandana Bakshi) 204

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

79. वैश्वीकरण और विश्व मानवता स्थापन में साहित्य का योगदान (डॉ. सुरैया जबीं सिद्दीकी) 206
80. सामाजिक समरसता के अग्रदूत – डॉ. भीमराव अम्बेडकर (डॉ. पी. एस. परमार) 210
81. 'आदमी का जहर' उपन्यास में चित्रित सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ (डॉ. ज्योति सिंह) 215
82. शैलेश मटियानी की कहानियों का भाषाई भूगोल (डॉ. प्रतिभा जोशी) 218
83. हिन्दी कथा साहित्य में सामाजिक चेतना (सुनिता चौहान) 221
84. समकालीनता का बोध और कहानी (डॉ. विमला मिंज) 224
85. नागार्जुन का प्रकृति चित्रण (डॉ. रश्मि जैन) 227
86. प्रेमचन्द के साहित्य में नारियों की प्रमुख समस्यायें (डॉ. मधु मसानी) 230
87. बौद्ध धर्म का विवेचनात्मक अध्ययन (सुशीला देवी परमार) 233
88. निमाड़ की मध्ययुगीन सन्त परम्परा में प्रतिबिम्बित दार्शनिक चिन्तन (चन्द्रकान्ता बड़ोले) 236
89. ललित निबंधकार–कुबेरनाथ राय के निबंध साहित्य में प्रतीक विधान (डॉ. अर्चना देवी अहलावत) 239
90. मधुर पदों की गायिका– मीराबाई (डॉ. संध्या टिकेकर) 241
91. रेलों के प्रति लोक अभिव्यक्ति (सुनील कुमार निमेष) 243
92. प्रेमचंद की कथा भाषा में विन्यस्त सूक्तियों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 245
(डॉ. गणेश लाल जैन, सुरेन्द्र बिसेन)
93. नायिका प्रधान महाकाव्य यशोधरा (डॉ. जयश्री भटनागर) 247

(Sanskrit / संस्कृत)

94. भारविकृत 'किरातार्जुनीयम्' में प्रकृति चित्रण (उर्मिला मण्डलोई, डॉ. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी) 249

(Music / संगीत)

95. चतुर्दण्डिप्रकाशिका सार (वीणा प्रकरण, श्रुति प्रकरण के संदर्भ में) (डॉ. स्नेहा पंडित) 251

96. चतुर्दण्डिप्रकाशिका सार (स्वर प्रकरण, मेल प्रकरण, राग प्रकरण के संदर्भ में) (डॉ. स्नेहा पंडित) 253

(Drawing / चित्रकला)

97. Image Of Woman In The Art Of Amrita Sher-Gill: An Analytical Study Of Her Approach And Representation Of The Woman In Her Paintings (Amandeep Kaur) 255

(Law/ विधि)

98. Professional Ethics And Duties Of Lawyer (Poorva Jadhav) 257

99. Understanding Broadcast Sector With Reference To Legislative Efforts In India Context (Poorva Jadhav) 260

(Education / शिक्षा)

100. Achievement Motivation Among Distance Learners In Relation To Gender And Residential Background (Dr. Arimardan Singh, Dr. Manisha Singh) 263

101. म.प्र. के शासकीय प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा में सशक्त बनाने हेतु ब्रिटिश कांउसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से एक अभिनव पहल (एक पायलट प्रोजेक्ट) (डॉ. दिलीप सिंह राठौर) 265

102. मूल्यों की शिक्षा और विद्यार्थी का संज्ञानात्मक व सांवेगिक विकास (डॉ. रश्मि पण्ड्या) 267

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

103. A Study of Agility among Under 17 School Going Boys & Girls (Sheikh Sharik Ahmed) 268

(Others / अन्य)

104. The Danger For The Environment - Global Warming (Dr. Deepika Bhatnagar) 270

105. Relevance Of Religion In Modern World (Dr. Manisha Sharma) 272

106. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (डॉ. एस. एम. पचौरी) 274

107. दलित आत्मकथाओं की शाश्वत पीड़ा (आशा भालसे) 277

108. निमाड़ की लोक – संस्कृति एक संक्षिप्त अध्ययन (डॉ. मंगलेश्वरी जोशी) 279

109. स्मृतियों में न्याय दर्शन एवम् विचार (डॉ. विम्मी बहल) 281

110. मध्यप्रदेश में सूचना के अधिकार की पृष्ठभूमि (डॉ. नितीश ओबराइन) 283

****

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर ..... फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
(02) श्री अशोककुमार ..... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्यू ..... वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
(04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी ..... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
(05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव ..... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. ..... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. ..... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे ..... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. ..... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम ..... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ..... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा ..... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(14) प्रो. डॉ. संजय खरे ..... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय ..... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. अखिलेश जाधव ..... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(18) प्रो. डॉ. कमल जैन ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी ..... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव ..... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया ..... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम ..... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
(29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(30) प्रो. डॉ. आर.पी. सहारिया ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तख्तपुर जिला,बिलासपुर (छ.ग.) भारत
(31) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(32) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे ..... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(33) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(34) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(35) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा ..... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
(36) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(37) प्रो.डॉ. के.एल. साहू..... प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(38) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन ..... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
(39) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित ..... एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव ..... प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत
(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत ..... निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत
(03) प्रो. डॉ. संजय जैन ..... सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी ..... प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय ..... प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर ..... प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र ..... प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट ..... प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा ..... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान ..... प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला–धार (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड ..... संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी ..... अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल ..... अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे..... संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी ..... प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव ..... प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, राजनीति विभाग शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला–रतलाम (म.प्र.) भारत
(18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा ..... प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव ..... प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

**** विज्ञान संकाय ****

गणित:- .... (1) **प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता**, संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:- .... (1) **प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(2) **प्रो.डॉ. नीरज दुबे**, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:- .... (1) **प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:- .... (1) **प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़**, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

वनस्पति:- .... (1) **प्रो. डॉ. सुचिता जैन**, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

(2) **प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची**, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:- .... (1) **प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा**, एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

(2) **प्रो. डॉ. अमृता खत्री**, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:- .... (1) **प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या**, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:- .... (1) **प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी**, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:- .... (1) **डॉ. कंचन डींगरा**, शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी**, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(2) **प्रो. डॉ. सुयश कुमार**, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:- .... (1) **डॉ. एच.जी. वरूधकर**, आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

सूक्ष्म जीव विज्ञान:- .... (1) **अनुराग झँवेरी**, बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

**** वाणिज्य संकाय ****

वाणिज्य :- .... (1) **प्रो. डॉ. पी.के. जैन**, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(2) **प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल**, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(3) **प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल**, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

**** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ****

प्रबंध :- .... (1) **प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी**, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) **प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी**, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:- .... (1) **प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

व्यवसाय प्रशासन:- .... (1) **प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा**, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

**** विधि संकाय ****

विधि:- .... (1) **प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा**, प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) **प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन**, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

**** कला संकाय ****

अर्थशास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. पी.सी. रांका**, श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(2) **प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा**, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

(3) **प्रो. डॉ. अंजना जैन**, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)

राजनीति:- .... (1) **प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

(2) **प्रो. डॉ. अनिल जैन**, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

(3) **प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा**, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव**, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन , शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. उमा लवानिया , शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. अजय भार्गव,** शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृत:– ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहास:– ..... **(1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन,** शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोल:– ..... **(1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अर्चना भार्गव, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

मनोविज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकला:– ..... **(1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीत:– ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** सुभारती विश्व विद्यालय मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

****** गृह विज्ञान संकाय ******

आहार एवं पोषण विज्ञान:– .... **(1) प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकास:– ..... **(1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंध:– ... **(1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

****** शिक्षा संकाय ******

शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** प्राचार्य, अरावली शिक्षा महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. नीना अनेजा, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,खन्ना (पंजाब)
(4) प्रो. डॉ. सतीश गिल, शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

****** आर्किटेक्चर संकाय ******

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. किरण पी. शिंदे ,** प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

****** शारीरिक शिक्षा संकाय ******

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला,** अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

****** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ******

ग्रन्थालय विज्ञान ..... **(1) डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. आर.के. गुजेटिया ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत ..... ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर ..... शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी ..... शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन ..... शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा ..... कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला– नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित ..... जैन कला–वाणिज्य–विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार ..... शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा ..... शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक ..... शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान ..... शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान ..... शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र ..... शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन ..... शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. कमला चौहान ..... शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. डॉ.आभा दीक्षित ..... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी ..... शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी ..... स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े ..... शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय पंडित ..... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता ..... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना ..... शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे ..... पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) प्रो. डॉ. भारती जोशी ..... आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी ..... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट ..... शासकीय एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद ..... शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर ..... सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. मोहन वास्केल ..... शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला – झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया ..... शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी ..... शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल वाला गाँधी ..... महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा ..... श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव ..... शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे ..... शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान ..... शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर ..... शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ. बी. एस. सिसोदिया ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला– सतना (म.प्र.)
(50) डॉ. राजेश कुमार ..... शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला–सतना (म.प्र.)
(51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश ..... शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला–विदिशा (म.प्र.)
(54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव ..... सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा–बिलासपुर (छ.ग.)
(55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी ..... शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे ..... शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर–मालवा (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी ..... शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल ..... शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61) डॉ. सुरेश कुमार विमल ..... शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन ..... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे ..... शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला– सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला– सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा ..... शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव ..... शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला ..... शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया ..... शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला–छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो.डॉ. विम्मी बहल ..... शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला – शाजापुर (म.प्र.)
(71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल ..... शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान ..... शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला–शाजापुर (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा ..... शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला– रीवा (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा ..... शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. जया शर्मा ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी ..... शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. इशरत खान ..... शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर ..... शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा ..... पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश ..... शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित ..... छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा ..... एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री ..... सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला ..... शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87) प्रो. डॉ. आर.सी. पान्टेल ..... शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला–धार (म.प्र.)
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई ..... शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन ..... वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ ..... राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख ..... एस.एस.जी. पारीख पी.जी. कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा ..... पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया ..... हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला– प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह ..... केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल ..... शोध सलाहकार, नई दिल्ली

Studies on Micro propagation of Strawberry (Fragaria-ananassa) with special reference to variation in different growth parameters

Anurag D. Zaveri * Dr. Dilip N Zaveri ** Khyati Meghani* Purvi Zaveri**** Avani Zaveri *******

Abstract - In present study Strawberry seeds gave rise to multiple shoots when cultured on four different types of MS medium supplemented with microelements, vitamins, different concentrations of IAA (Indole Acetic Acid), different concentration of Inositol. The highest response of shoot multiplication was obtained in MS medium supplemented with 100 micrograms of inositol and 100 micrograms of vitamin mixture. The addition of inositol, microelements and vitamins to the MS medium helps to grow the plant at higher temperature. The effect of photoperiod on the growth of plants was also studied with the growth being hindered when the plant was not exposed to sunlight for 3-4 days.The plants raised through tissue culture exhibited normal growth which was studied for a period of 4 weeks after the day of inoculation.
Keywords: Micro-propagation, Murashige-Skoog medium, Indole Acetic Acid (IAA), Inositol, Microelements, Vitamins.

Introduction - Strawberries are members of the family Rosaceae, subfamily Rosoideae, and genus Fragaria. It is a perennial, stoloniferous herb. Plants are low-spreading, vigorous, and produce many runners. Fruit are dull to bright red, firm, up to 1.5 cm diameter, aromatic, with deeply embedded seeds, and white flesh.

Strawberries are rich in phytochemical compounds with potential antioxidant compounds, mainly ellagic acid and flavonoids, which can lower the risk of cardiovascular events and tumorogenesis. These qualities have ensured that the economic importance of this crop has increased throughout the world and, nowadays, it remains as a crop of primary interest for both research and fruit production. A growing body of data suggests that consumption of a phytochemical-rich diet reduces the risk of certain chronic human illnesses such as cancer, heart and neurodegenerative diseases.

Strawberry is cultivated in 71 countries worldwide on 506000 acres, not only for its digestive and tonic properties, but because of the nutritional value of its fruits, important source of folate, vitamin C, fiber, potassium, flavonoids, autocianidin, phytochemicals and antioxidants.
Both plant and fruit characters are highly variable. Plants have large fruit and high yields.

Although strawberry can be produced invitro by micropropagation by using nodal segments or strawberry tissue as explants, selecting strawberry seeds as an explant makes it possible to reduce infection since it has better aseptic conditions because of the reduced size of the explant and the small area exposed to the external environment.
In the present study a simple protocol has been developed to propagate strawberry through tissue culture methods from strawberry seeds in order to ensure abundant supply of this plant material for commercial cultivation.

Materials and Methodology - Strawberries grown in the farm land were used as source of explants during this study. Three types of explants viz. strawberry seeds, strawberry nodes and strawberry tissue were used in order to determine which of the explants gave the best results.

Fruits were rinsed under running tap water for 2 minutes. For surface sterilization, fruits were immersed in solutions of 4% sodium hypochlorite solution for 2-3 minutes. The plant materials were then treated with 70% alcohol solution for 4-5 minutes. They were then thoroughlywashed (4 - 5 washings) with sterile distilled water. After sterilization, seeds were removed from the fruits and were isolated as final explants. The media was formulated in the lab according to the composition of Murashige and Skoog referred as MS medium was selected as the optimal culture medium. All the four Murashige and Skoog medium's used in the experiment differed in their constitution.

Since the medium was prepared without the addition of agar (liquid medium) did not show any growth of explant (strawberry seeds) after a time period of 2 weeks, liquid medium was not used further for the experiment. The medium

* Research Assistant, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat) INDIA
** Director, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat) INDIA
*** Research Assistant, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat) INDIA
**** Research Assistant, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat) INDIA
***** Research Assistant, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat) INDIA

was prepared with the addition of 1% agar in each of the medium and the addition of inositol, IAA, microelements (10 µ 1 ml) and vitamins (1 µ 1 ml) as required in each of the mediums. Two concentrations of IAA- 50 µg/ml and 100 µg/ml and Inositol- 50 µg/ml and 100 µg/ml were used. The medium was poured into glass jars of size 250ml where each jar contained 60ml of the medium. The culture jars were autoclaved at 121° C for 15 minutes.

After the medium was transferred to the culture jars the jars were kept in the incubator for a time period of about 16 hours (pre-incubation). Pre-incubation reduces the chances of the culture being contaminated after the process of inoculation. After pre-incubation period the seeds were treated with alcohol solution for 4-5 minutes followed by washing with hypochlorite solution and then thoroughly cleaned 4-5 times with sterilized distilled water after which they were partially crushed and transferred to the jars.

The effect of different parameters like temperature, photoperiod on the culture conditions was to be observed. So the culture jars were divided into three parts and kept at three different temperatures of 10° C, 27° C, room temperature (37° C). Also since the effect of photoperiod is to be observed the inoculated cultures were given a photoperiod of 12 hours daylight and 12 hours darkness. After the appearance of primary shoot or primary root the seed was transferred to another culture of the same composition. This is called sub culturing and is important for proper further growth of the plant.

Data was recorded every day for a period of 5 weeks for recording the effect of the different supplements as well as the effect of temperature, photoperiod on the growth of the explant. Only data which showed some advantageous effect were included in the tables.

Table 1 & fig. (see in next page)

Figure 1: Micropropagation of Strawberry using seeds as an explant (A). A plant having 3 leafs, root growing on MS medium 99 with addition of 1% agar. This observation was made after a 3 weeks. The height of the plant was approximately 1.2 inches. (B) Strawberry seeds crushed and inoculated in the MS 99 medium. (C) Presence of a leaf, root in the medium MS 102 with additions of 1% agar and microelements and vitamins using crushed seeds as an explant.

Results and Discussion - The strawberry plants used in this investigation were chosen on the basis of being the most commercially successful varieties currently grown. *In vitro* culture of strawberry is greatly affected by the quality of material obtained and its field performance. The effect of the supplements was studied by recording the day of the appearance of the shoot/root formation since inoculation of the explant.

Effect of temperature at 10°C, 27°C, Room temperature (37°C) was studied in two ways- Growth of explant in mediums containing no additional supplements and growth of explant in medium containing supplements of microelements and vitamins. With no additional supplements no growth was observed at 10°C and 37°C. But when MS 99 medium was kept at 37°C with additional supplements in the medium i.e. 100 micrograms of IAA, 100 micrograms of Inositol, microelements (10 µl/1 ml) and vitamins (1 µl/1 ml) growth was observed.

Regarding the effect of inositol on the root response, the best results with inositol were obtained with MS 102 with 100 microgram inositol and vitamins.

Combination of MS 99 with 50 µg of Inositol yielded explants growth after 7-8 days whereas addition of microelements (10 µl/1 ml) and vitamins (1 µl/1 ml) has further reduced the time to about 5-6 days. The combination of MS 102 with Inositol (100 micrograms) and microelements (10 µl/1 ml) and vitamins (1 µl/1 ml) has also reduced the explants growth rate up to 4-5 days.

The maintenance of photoperiod is also important for proper growth. During our experiment we maintained a photoperiod of 12 hours daylight and 12 hours night. It was observed that the growth of the plant is hindered when not exposed to sunlight for 3-4 days.

Acknowledgements

We take this opportunity to thank Dr. Dilip Zaveri, Director of Biocare Research India Pvt Ltd., Ahmedabad for support, encouragement, and guidance.

References :-

1. Hamish A. Collin, S. Edwards., 1998 - Plant cell culture, Bios scientific-publisher, UK, pp1-9.
2. George, E., 1993 - Plant Propagation by Tissue Culture: Part 1, The Technology, 2nd edn. Exegetics, Edington, UK.
3. Chawla, H.S., 2002 - Introduction to Plant Biotechnology. Science Publishers, Inc., Enfield, New Hampshire.
4. Murashige T, Skoog F., 1962 - Revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. Physiol. Plant. 15: 473 . 497.
5. George EF., 1996 - Plant propagation by tissue culture. Part 2. Exegetics, Edington.
6. McCown, B., 1988 - Recent advances in protoplast culture of horticultural crops: Ornamental trees and shrubs. Scientia horticulturae. 37, 257-265.
7. Russell, J.A., 1993 - Advances in the protoplast culture of woody plants. In: Micropropagation of woody plants. Ahuja, M.R. (Eds). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
8. Wilhelm, S. and J. E. Sagen., 1974 - A history of the strawberry, from ancient gardens to modern markets., Div. Agric. Sci., Univ. Cal. Berkeley, pp 3-10.
9. Boxus, P. H., 1974 - The production of strawberry plants by *in vitro* micropropagation. J. Hortic. Sci. (49), 209-210.
10. Boxus, P., 1983 - Commercial production of strawberry plants produced by meristem culture & micro-propagation. Colloques Scientifiques No.15, 283-322. Hort. Abstr., 53: 7669.

11. Introduction to plant biotechnology by H.S.Chawla Pg 49-69.
12. Bhatt ID, Dhar U., 2000 - Micropropagation of Indian wild strawberry. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 60, 83-88.
13. Plant regeneration of callus tissues induced from leaf explants of strawberry by Hideyoshi Toyoda.

Table 1: Effect of microelements, vitamins and different concentrations of IAA, Inositol on the growth of shoot/root from the strawberry seeds used as an explant.

Medium+ 1% agar	IAA (µg/ml)	Inositol (µg/ml)	Microelements (µl/ml)	Vitamins (µl/ml)	Days to shoot/ root formation	Temperature(°C)
MS-10	-	-	-	-	15-16	27
MS-10	-	-	10	1	9-10	27
MS-25	-	-	-	-	14-15	27
MS-99	-	-	-	-	20-21	27
MS-99	-	-	10	1	10-11	27
MS-99	-	50	-	-	7-8	27
MS 99	-	50	10	-	7-8	27
MS 99	-	50	10	1	5-6	27
MS 99	-	-	-	1	7-8	27
MS 99	100	100	10	1	7-8	37
MS 99	-	100	10	1	7-8	27
MS-102	-	-	-	-	16-17	27
MS-102	-	50	-	-	9-10	27
MS-102	-	100	-	-	11-12	27
MS 102	-	50	10	-	8-9	27
MS 102	-	100	10	-	8-9	27
MS 102	-	100	-	1	6-7	27
MS 102	-	-	10	1	9-10	27
MS102	-	100	10	1	4-5	27

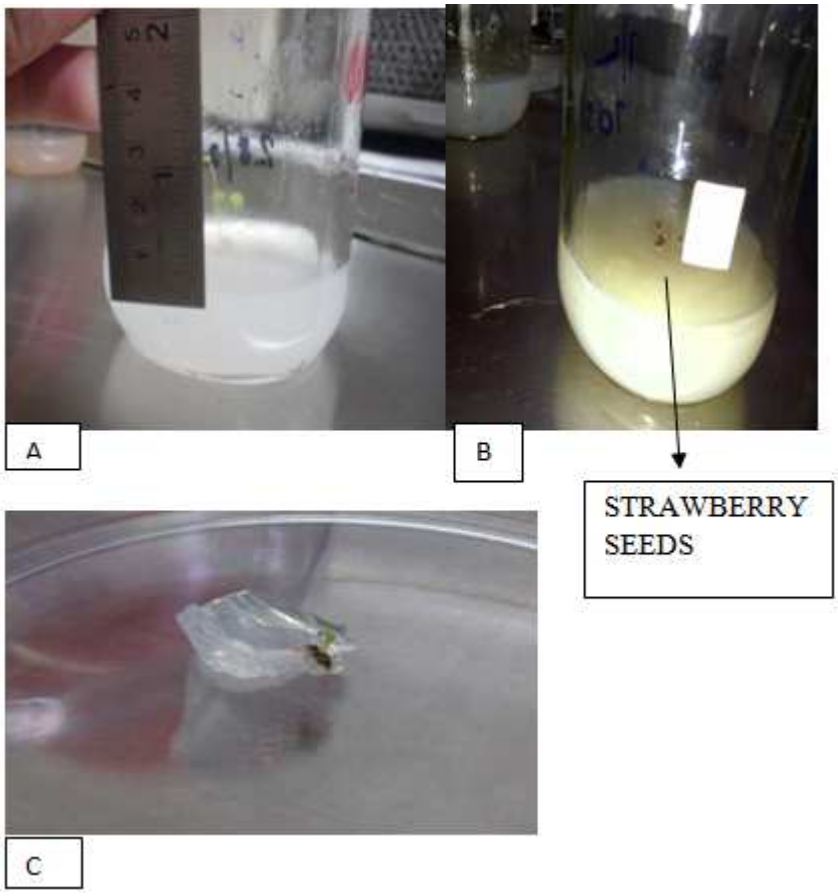

Study On Invasion Of Pistia stratiotes In An Abandoned Stone Quarry- Used For Fish Culture In Distt Rewa(M.P.)

Suman Singh *

Abstract - The abandoned quarries in which water accumulates during rains can be used for aquaculture through proper management. This study was for water resource management with modified technology for fish culture in an abandoned stone quarry, Bansagar colony pond (24°32' N 81°18' E / 24.53°N 81.3°E) Rewa, Madhya Pradesh for duration of 2013-2014 Here fish seeds of indigenous major carps (*Catla catla, Labeo rohita, Cirrhina mrigala*) and exotic carps (*Cyprinus carpio and Hypopthalmichthys molitrix Ctenopharyngodon idella*) were used for composite fish culture with relay fish cultivation technique. Hydro biological parameters were recorded..Range of nitrate 2.4 to 8.5mg/l, phosphate 3.8 to 6.1mg/l shows eutriphication in the pond. Algal blooms in post monsoon and zooplankton in month of August and December were found. Enormous growth of *Pistia stratiotes* in the pond damaged whole fish and fisheries in 2014.
Key Words - Fish Culture, Abandoned Stone Quarry, Water resource management, Hydro biological parameters, *Pistia stratiotes*.

Introduction - *Pistia stratiotes* L (Araceae) is a free-floating aquatic plant, able to rapidly colonise fertile waters with temperatures of ~20 C for a significant part of the year (Henry-Silva *et al*. 2008).Though it is capable of removing several heavy metals (Mishra and Tripathi, 2008) from water and is also an indicator species but P. stratiotes was considered a great threat to be classified Class A Noxious Plant. It was recorded in 2014 in the pond and covered the water body completely in a relatively short period. Composit culture of Indian major carps along with Chinese carps has already made a great leap forward with improvements in culture techniques and scientific management approaches. Although much work / review has been carried out in several aspects of composite culture of Indian major carps (Alikunhi, 1972; Jhingran, 1985), fish culture with recycling of municipal waste water with changing pattern of technique in the abandoned stone quarry was not studied in Vindhya region.

Objectivs - To assess the magnitude of managerial tactics for fish species cultured in the pond and impact of *P. Stratiotes* on fish yield.

Study Area - This study was conducted during 2013-2014 for Bansagar colony pond (24°32' N 81°18' E / 24.53°N 81.3°E), an abandoned stone quarry having 4.5 ha area within municipal area of Rewa town, M.P. The pond is being used for fish culture since 1975. The pond is perennial rain-fed with marginal vegetation around it. Nutrients may come into the pond from many sources including fertilizers applied to agricultural fields, domestic drainage and erosion of soil containing nutrients from nearby catchment. (Fig-1(a) to 1(g)

Material and Method - Study was performed for impact of pistia on fisheries with findings of quality of the water of Bansagar colony pond. Methodology was adopted according to APHA (2005), for Physico-chemical parameters of water and according to Adoni (1985), and Edmondson1992) for plankton and macrophytes,Gusman2013 for impact of Pistia *stratiotes* .Jhingran (1961), Alikunhi et al(1971) and Datta and Munshi (2006) for fish and Fisheries. Samples of water and fishes were collected on monthly basis from selected sites with help of fish farmer.

Result and discussion - Results of study show that all the water quality parameters are strongly related with each other. . Depth varied from 1.2-4.3 m, temperature from 16.6 to 33.7° C, transparency 06.76 to 22.56 cm, TDS 201.45 to 401.67 mg/l, pH 5.2 to 8.9, DO 2.5 to 8.2 mg/l, CO_2 5.4 to 12.4 mg/l, alkalinity 88.8 to 122.6 mg/l. Range of nitrate 2.4 to 4.5mg/l, phosphate 3.18 to 4.61mg/l and silicate varied from 10.61 to 12.78 mg/l shows eutriphication in the pond(Table-1Fig4). Water of stone quarries is rich in nutrients due to effluents of the municipal drainage from Bansagar colony (Fig.1d) Eutrophication is frequently a result of nutrient pollution due to municipal effluent affecting concentration of oxygen. Findings of the study is supported by study of Bhatanagar (1984)

Biological Status of Water - Fluctuation of planktonic abundance was in between minimum 437 and maximum 26001 unit/litre till 2013 in winter. Abundance was in between minimum 523 and maximum 36001 unit/litre in post monsoon (Table-2). Abundance of phytoplankton was in month of September and March with algal blooms in September, having sps of Cynobacteria and Microcystisand zooplankton in month of August and December (Fig.3a &3b). This gets support with findings of water bodies of Sagar (Pathak and Pathak, 2012) and Dhar (Dhakad and Chaudhary, 2005). In

* Professor (Zoology) Govt. Science College, Rewa (M.P.) INDIA

aquatic environments, enhanced growth of aquatic vegetation or phytoplankton i.e. algal bloom disrupts normal functioning of the ecosystem.

Macrophytes - No rooted or submerged vegetation has been observed except Azolla and Ipomea in the pond till 2013. Thick mats of water lettuce were observed which covered the water body completely in a relative short period. This causes problems, such as loss of habitat, a decrease of oxygen levels in the water and loss of fisheries with navigation problems for boats (Fig 4).

Presence of aquatic plants water mimosa (*Neptunia oleracea),* water cress *(Rorippa nasturtium-aquaticum)* and Chinese water chestnut *(Eleocharis dulcis)* were recorded. The duckweeds *Lemna, Spirodela* and Wolffia (Fig.4). Eichornia *repens* and *Pomatogon*, were interspersed with several other plant species.

Sudden appearance and bursting of Pistia stratiotes in the pond was surprising event for the pond (Fig 2&3). Probably contaminated water from drainage and surface run off caused degradation of quality of water and washing and disposal of aquarium material has caused flourishing of this noxious species.

This study was supported by findings of morphological, anatomical and physiological changes in the species by (Freitas Coelho *et al*. 2005). The results suggest that artificial environmental factors, such as anthropogenic warm water discharge could enable water lettuce to overwinter. Aquatic plants have particularly attractive characteristics for use in phyto remediation and bio indication programmes (Favas et al., 2012).

Fish Culture - Here fish seeds of indigenous major carps (*Catla catla, Labeo rohita, Cirrhina mrigala*) and exotic carps (*Cyprinus carpio and Hypopthalmichthys molitrix Ctenopharyngodon idella*) were used for composite fish culture with relay fish cultivation technique (Table-3&4). It was recorded that fish yield improved gradually due to management of different fish species till 2013.

Sudden appearance and heavy manifestation of *Pistia stratiotes* in the pond has caused total loss of fisheries (Table-4,Fig.-8,9). It reduced the penetration of sunlight necessary for native plant growth in water bodies preventing aquatic photosynthesis and thereby reduce the availability of oxygen to other organisms.. As the plant dies and decomposes, oxygen is removed from the water causing water pollution and stagnation.

Chlorosis and necrosis were observed in the leaves. In the root system, there was a loss and darkening of roots. (Fig. 5). Chlorosis symptoms would be the result of an Arsenic-induced nutrient deficiency, especially involving iron (Shaibur et al., 2009). Phyto remediation has been proposed for the remediation of As-contaminated areas. These results indicate that water lettuce shows potential for bio indication and phyto remediation of As-contaminated aquatic environments Favas et al(2012). Study indicates heavy metal toxicity in the water of the pond and may be cause of mortality of fishes (Fig.8)

Conclusion and Recommendation -

- Extensive waterlogged areas which remain unused or underused could be used for fish farming.
- Results have shown that the water of the pond contains high concentrations of nitrates and phosphates which may cause quick growth as well as death of plants and algae.
- The small, natural and constructed wetland can be utilized as alternative technology to sewage treatment systems
- Municipal effluent into water affects concentration of dissolved oxygen. Pistia, though good for bioremediation, is very harmful for fisheries. This has caused loss of habitat, decrease of oxygen levels in the water and loss of fisheries with navigation problems for boats. The water bodies meant for fish culture should immediately get rid of Pistia and kept free of it.

References :-

1. Adoni, A.D. (**1985**)Work book on Limnology. Indian Mab Committee, Department of Environment, Govt. of India, 216.
2. Alikunhi, K.H.; Sukumarn, K.K. and Parameswaran, S.(**1971**). Studies on composite fish culture production by completive combination of Indian and Chinese carp. *J. Indian. Fish. Assoc*. **1(1)**: 26-57.666p.
3.. APHA, (2005). Standard methods for examination of water and waste water. 21st Edn., American Public Health Association Inc., New York
4.. Bhatnagar, G.P. .*(***1984**) Limnology of lower lake of Bhopal with special reference to sewage pollution and eutrophication. *Technical report May 1979-April 1982. MAB Programme*, *Dept. of Environ. Govt. of India. New Delhi*
5. Datta Munshi. J. And J. S. Datta Munshi.(**2006**). Fundamentals of Freshwater Biology. Narendra Pub.House.Delhi.222.
6. Dhakad, N.K. and Chaudhary, P. (2005). Hydrobiological study of Natnagra pond in Dhar (M.P.) with special reference to water quality impact on potability, irrigation and aquaculture. *Nat. Environ. Poll. Tech.,* **4** (2): 269-272
7. Edmondson, W.T. (1992). Fresh water biology, **2nd Edn**. John Wiley and Sons. Inc., Newyork
8. Favas, P.J. Pratas, J. and Prasad, MNV. (2012). Accumulation of arsenic by aquatic plants in large-scale field conditions: opportunities for phytoremediation and bioindication. The Science of the Total Environment, vol. 433, p. 390-397. http://dx.doi. org/10.1016/j.scitotenv. 2012.06.091. PMid:22820614
9. Freitas Coelho F., Deboni L. and Santos Lopes F. 2005. Density-dependent reproductive and vegetative allocation in the aquatic plant *Pistia stratiotes* (Araceae). *Rev. Biol. Trop.* **53**, 369–376
10. Gusman, GS., OlIVEIRA, JA., Farnese, FS. and Cambraia, J., (2013). Arsenate and arsenite: the toxic effects on photosynthesis and growth of lettuce plants.

Acta Physiologiae Plantarum, vol. 35, no**. 4,** p. 1201-1209. http://dx.doi.org/10.1007/s11738-012-1159-8

11. Henry-Silva G.G., Camargo A.F.M. and Pezzato M.M. 2008. Growth of free-floating aquatic macrophytes in different concentrations of nutrients. *Hydrobiologia* **610**, 153–160.
12. Jhingran, V.G. 1985. Fish and fisheries of India, Hindustan Pub. corp. (India) Delhi. 89.
13. Mishra, VK. and Tripathi, BD., 2008. Concurrent removal and accumulation of heavy metals by the three aquatic macrophytes. Bioresource Technology, vol. 99, no. **15**, p.7091-7097. http:// dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008. 01.002. PMid:18296043 3.Adoni, A.D. 1985. Work book on Limnology. Indian Mab Committee, Department of Environment, Govt. of India, 216.
14. Pathak H, Pathak D (2012) Eutrophication: Impact of Excess Nutrient Status in Lake Water Ecosystem. J. Environ Anal Toxicol **2**:148;1314. 15.
15. Shaibur, MR., Kitajima, N., huq, SMI. and Kawai, S., (2009). Arsenic–iron interaction: Effect of additional iron on arsenic-induced chlorosis in barley grown in water culture. Soil Science and Plant Nutrition, vol. 55, no. **6**, p. 739-746. http:// dx.doi.org/10.1111/j.1747-

Fig - 1 (a) Map

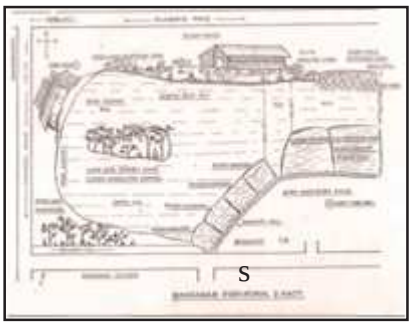

Fig - 1(b) Bansagar Colony Pond

Fig -1c FishCulture Technique

Fig - (1d) Municipal Drainage

Fig - (1e)Water retention pond

Fig -1f Pond in 2013

Fig - 1(g) Fish Culture

Fig - (2)Mat of Pistia *stratiotes*

Fig - 3 long Roots in of Pistia (2014)

Table - 1 - Water Quality Parameters Bansagar Colony pond Rewa (M.P.)

WaterTemperature	16.6-33.8
Depth	1.4-4.6m
Transperancy	06.76—22.56 cm.
PH	- 5.2-8.9
Dissolved Oxygen	- 2.5-8.81 mg/l
Free carbon dioxide	-5.8-12.44mg/l
Total Alkalinity	88.6-122.6 mg/l
Total Dissolved Solids	-357.2-412.3 mg/l
Chloride	-62.1—86.20 mg/l
Total Hardness	-201.6-278.2mg/l
Calcium Hardness	-103.8-167.4mg/l
Magnesium Hardness	-45.2-87.3mg/l
Specific Conductivity	-304.2-402.5 mg/l
Nitrite	-0.87-1.98 mg/l
Nitrate	2.41-5.61 mg/l
Free Ammonia	- 0.54-0.84mg/l
Phosphate	-2.81-3.18mg/l
Silicate	-10.2-12.4 mg/l

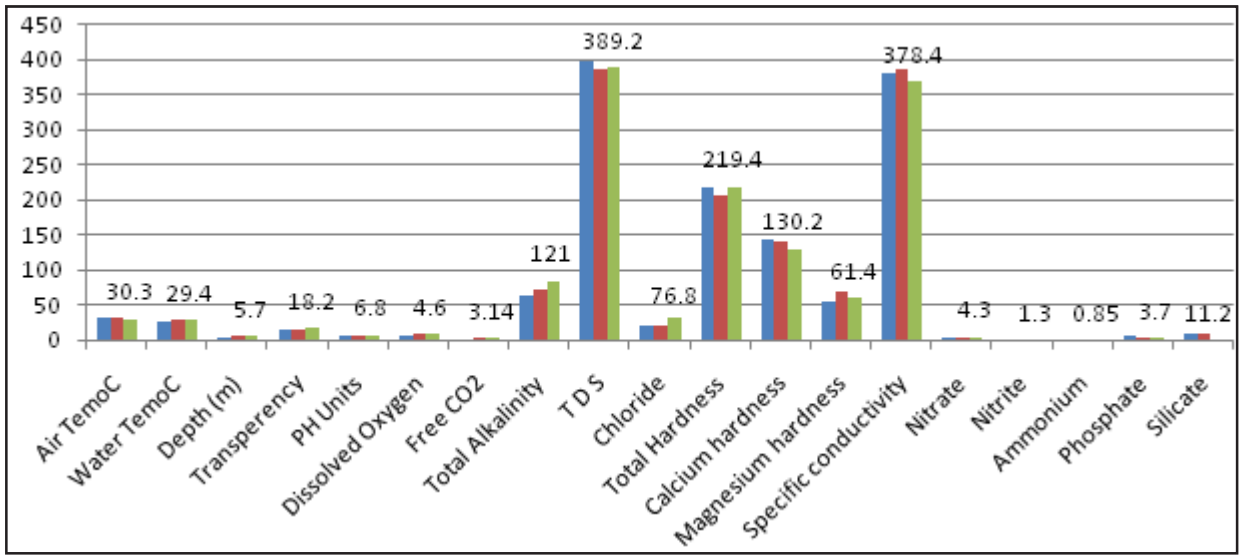

Fig - 4 - Graphical Presentation of Physico-chemical condition of water of the pond 2012-2014 (all parameters in mg/l except Water Temperature,TransparencyP^{H})

Table - 2 - Plankton abundance in Bansagar Colony Pond, Rewa in Units/ Litre (2013-2014)

S.N.	Year	Month											
		Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Apr	May	Jun	Jul
1.	2011-2012	1280	20230	18210	14312	1635	1459	211635	30981	17636	521	462	523
2.	2012-2013	1689	25918	26120	16217	1775	1689	21981	36001	16892	679	437	763

Fig. 3a Algal Bloom

Fig.3b Algalbloom

Fig.4 Macrophytes

Fig.5 Chlorosis & Nacrosis

Fig.8 Major carps of the pond

Fig.9 Fish Motrality in the pond

Table- 3 Stocking density of fishes and fish yield of the pond(2013-2014)

Stocking of fish seeds in July 2012-2013				Fishes harvested from 2012-2013			
S.No.	Species	1.5ha	1ha	Kg/1,5 haBiomass	Number / 1.5ha	Kg/1ha Biomass	Number /1ha
1	*Catla catla*(Catla)	2500	1660	650	825	433.3	550
2	*Labeo rohita* (Rohu)	5000	3330	858	1100	572	730
3	*Cirrhina mrigalo*(Mrigal)	5000	3330	845	1080	563	720
4	*Cyprinus carpio* (Common Carp)	5000	3330	825	1060	672	704
5	*Hypophthal mychthys molitrix*(Silver Carp)	10000	3333.3	1125	1215	750	810
6	*Ctenopharyngodonidella* (Grass Carp)	2500	1660	1025	702	416.60	468
7	Tilapia			265	1086	163.63	720
8	*Mystus Ophiocephalus Barbus*			115	280	76.60	186
		30000	16643	5463.00	7248.00	3647.00	4878.00

Total Fish Yeild (Biomass) - 5463 Kg/1.5 ha/14 months
Number- 7248
Biomass- 3647 Kg/1 ha/14 months

Table - 4 Stocking density of fishes and fish yield of the pond (2013-2014)

S.N.	Year	Young fishes/ fingerlings		Fish yield	
		1.5 ha	1.0 ha	1.5 ha	1.0 ha
1	2012-2013	8000-15000	5200-10000	5463 kg	3647kg
2	2013-2014	10000-25000	6600-15000	nil	nil

****

Traditional knowledge on medicinal plants among the Bhil and Bhilala Tribe of Western Malwa special reference to fever impact

Nutan Rajput *

Abstract - The present paper deals with traditional knowledge of medicinal plants among tribal communities of Western district of Madhya Pradesh. The greatest advantage of an ethnobotanical study is that is adds to our knowledge of plants, A total of 20 medicinal plants belonging to 7 families were recorded during the intensive surveys and discussion held with the Bhil and Bhilal tribe.
Key words - Traditional knowledge; Medicinal Plants; Fever Bhil and Bhilala tribes; Ethnomedicine; Western Malwa,

Introduction - Traditional medicine has been defined as the sum of the knowledge, skills and practices based on the theories, beliefs and experiences indigenous to different culture. The rich traditional knowledge of the community should be documented and preserved properly for better utilization of the plant sources; it is important otherwise, this knowledge may be lost in near future. In the present paper,18 medicinal plants have been listed along with Traditional medicinal plants used for health care and different disease control.Traditional medicinal plants have been used by the tribal people in this area suffering from the very beginning of human civilization. Medicines from the plants are easily available in local area and rarely have side effects. Traditional knowledge on medicine since the time of great sage Charak has led to the discovery of many important drugs of modern age (Uniyal et al. 2002). Ancient tribal societies around the world have learnt to utilize their neighbourhood herbal wealth for curative as well as offensive purpose. Due to lack of literacy, their knowledge of plants developed often at the cost of their dear life, in their 'Human Laboratories'. The centuries old experience has not been documented perfectly and it had descended from one generation to the next by oral communication.

Study area - The study area Western district is the tribal district in Madhya Pradesh State. It is divided into 3 tehsils-Western district. It encompasses a total area of 229 sq. km. According to the 2011 census Western district district has a total population of 728,677 and total rural population of 671,596. Western district is newly formed district on 17 May 2008. Major part of the district is covered by dense forest area in which various tribes, like Bhil and Bhilala are living in majority. Out of these tribes Bhil and Bhilala stand high in strength, scattered in most of the villages of the district. These tribal's live close to the forest and are largely dependent on the wild biological resources for their livelihood.

Material and Methods - The methodology adopted for the study was based on interviews of Bhil and Bhilala tribes having knowledge of medicinal plants of their area. The documentation was done based on interview, informal discussion and observation. Group discussion among tribes of different age groups was also taken into consideration for generation the information. The collected information was cross checked with the help of available literature. Detailed information regarding local name,part used and mode of administration was recorded in field note book. The specimens were collected from the field and identified with the help of local/regional floras and deposited in the Department of Botany, Govt. College, Manawar.

Observation (see in next page)

Results and discussion - The survey includes various local plants of different families used by the local people to cure stone problems. Information on 18 ethnomedicinal plant species belonging to11 families has been enumerated along with their families and common name. (Table 1) Different plant parts such as root, leaves, bark, fruits etc. present paper majority of plants belong to the Different 11family. (Fig. A) The flora of Western Malwa was found to be rich in medicinal plants which are used in different fever. Most of these plants are seen to be growing in wild conditions and in order to keep their existence, it is essential to record important information regarding their uses as these plants could be on the way of extinction due to negligence. Literature search has shown that no such work on flora of Western Malwa which is useful in different fever has been done earlier. The ethno medicinal data may provide a base to start the search of new compound, Phytochemistry, pharmacology and pharmacognosy are needed to document and evaluate the efficacy and safety of the claims. The indigenous plants of a particular area have to be analyzed to develop appropriate management measures (ex situ & in situ) conservation for best utilization of natural resources. Study will give very valuable information of conservation and maintenance of

* Asst. Professor (Botany) Govt. College, Manawar (M.P.) INDIA

biodiversity and traditional knowledge of tribals.

Acknowledgement - The local people of Western Malwa are greatly acknowledged for their cooperation during fieldwork. The author would also like to acknowledge the Principal of Govt. College, Manawar, Dr. C.M. Solanki Ret. Prof. P.M.B. Gujarati Science College, Indore; Dr.Veena Satya Prof. S.B.N. Govt.P.G.College Barwani. Other Teaching and Technical staff of the college for their cooperation.

References :-

1. Jain, Ashok K., Wagh, Vijay V. & Kadel, Chitralekha 2011. Some ethnomedicinal plant species of Jhabua District, Madhya Pradesh. Indian Journal of Traditional Knowledge. Vol,10(3):538-540.2.
2. Kumar, Ramesh., Suman, Nand Ram & Dash, S.S. 2004. Traditional uses of plants by tribals of Amar-akantak region, Madhya Pradesh. Indian Journal of Traditional Knowledge. Vol.3(4):383-390.3.
3. Maheshwari, J.K., Kalakoti, B.S. & Lal, Brij. 1986. Ethnomedicine of bhil tribe of Jhabua District, M.P. Ancient Science of Life.Vol.No.V.No.4:255-261.4.
4. Uniyal, S.K., Awasthi, A., & Rawat, G.S. 2002. Traditional & ethnobotanical uses of plants in Bhagirathi Valley, Western Himalaya, Indian J Traditional Knowledge, 1(1): 7-19.5.
5. Wagh, Vijay V. & Jain, Ashok K. 2010. Ethnomedicinal observation Among the Bhil and Bhilal tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh, India. Ethnobotanical Leaflets 14:715-20.6.
6. Wagh, Vijay V. & Jain, Ashok K. 2010. Traditional herbal remedies among Bhil & Bhilala tribes of Jhabua District Madhya Pradesh. International Journal of Biological Technology 1(2):20-24.7.
7. Yadav, R.N.S. & Agrawala, Munin. 2011. Phytochemical analysis of some medicinal plants. Journal of Phytology, 3(12):10-14.

Observation : Table 1: List of medicinal plant species used against various human ailments

Name of plant species & family	Local Name	Plant part used	Uses
Andrographis paniculata (Burm. F.) Wall. *Ex* Nees (Acanthaceae)	Kalmegh	Leaves	Used for the treatment of fever.
Blumea lacera (Burm. f.) D.C. (Asteraceae)	Kukrondha	Whole plant	Used for the treatment of fever & liver disorder.
Butea monosperma (Lam.) Taub. (Fabaceae)	Khakra	Bark & flower	Useful on fever, anemia, blood disorder & bleeding.
Careya arborea Roxb.(Lecythidaceae)	Kumbhi	Bark & fruits	Used for the treatment of fever & respiratory disorder.
Cyperus rotundus L. (Cyperaceae)	Nagarmotha	Roots	Useful on fever & urinary problem.
Desmodium gangeticum (L.) DC. (Fabaceae)	Shalparni	Roots	Used as tonic. Useful on diarrhoea & fever.
Fumaria indica (Hassk.) Pugsley (Papaveraceae)	Pitpaapada	Whole plant	Useful on jaundice & fever.
Marsdenia tenacissima (Roxb.) Moon. (Asclepiadaceae)	Chikati	Roots	Useful on jaundice.
Melia azadarch L. (Meliaceae)	Bakayan	Bark	Used for the treatment of fever.
Ocimum canum Sims (Lamiaceae)	Mamari	Leaves	Useful on fever.
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. (Asclepiadaceae)	Doodhi bel	Roots	Useful on fever & piles.
Phyllanthus amarus Schum. et Thonn., (Euphorbiaceae)	Bhui Aawla	Whole plant	Useful on liver disorders, blood disorders & fever.
Teramnus labialis (L. f.) Spreng. (Fabaceae)	Maasrohadi	Whole plant	Used for the treatment of fever & gynic disorders.
Trichodesma indicum (L.) R. Br. *ex* Lehm. (Boraginaceae)	Andhahuli	Roots	Useful on eyes disorders, blood disorders & fever.
Trichosanthes bracteata (Lam.) Voigt. (Cucurbitaceae)	Lal indrayad	Roots	Useful on fever, piles & bachache.
Vernonia anthelmintica (L.) Willd. (Asteraceae)	Kalajeera	Seeds	Useful on Malaria fever & worms.
Withania somnifera (L.) Dunal (Solanaceae)	Aswgandha	Roots	Used for the treatment of cough, dropsy & rheumatism.
Wrightia tinctoria R. Br. (Apocynaceae)	Meethi indrajo	Bark	Used for the treatment of malaria fever & diarrhoea.

Fig. 1 *Butea monosperma* *Phyllanthus amarus* *Andrographis paniculata*

****

Ethnobotanical Study On Medico-Religius Plants Of Balaghat District (M.P.)

B. K. Bramhe *

Abstract - The Balaghat is one of the tribal district of Madhya Pradesh and plant are being used as medicine and pharmaceutical, medico-religious by large number of tribal, rural and other peoples. Several tribal communities Baiga, Gond& other peoples and ethno botanical survey had been carried out in the Balaghat district Of Madhya Pradesh from 2015-16

The forest of the Balaghat provides a large number of plants Balaghat District is present various plants & its rich diversity. Make important contribution to the medico-religious tribal & Villagers. These plants not only provide food, medicine put several other rituals useful traditionally, they also provide useful crop important. The studies of wild medico-religious plants are done. Several plant are used their medico-religious important. We are used mostly medico-religious plant used by tribal & local peoples so various including medico-religious plant.

Introduction - Balaghat district is mainly tribal dominated areas and most part of its cover with forest. Balaghat district is a parts of Satpura hills. its lies between the latitude $21^0$19' and $27^0$24' north and longitude 79 ^{0} 31' to 80 ^{0}3' east. The Tribal's people here are mainly dependent of agriculture and forest resources for their socio-economic & medico-religious requirements. Recently role of ethno-botanical studies in trapping the old traditional folk's knowledge as well as in searching now plant source of food, drug with medico-religious importance etc.

The study indicated the presence of a large number of wild & locally medico-religious plants in the district however the paper enumerates only those species which are used is medico-religious plants by the tribal's & villager people's of this region.

Material and Methods - Ethno-botanical Survey was conduct in different tribal inhibited areas of Balaghat district during 2015-2016 Extensive field trips were organized for collection the plant species and data. the method adopted for collection of about medico-religious uses of plant in the treatment of various diseases.

Medico-religious plant from tribal & local peoples Effectiveness of the usage was also verified by tribal & local peoples of those areas. The detail information of plant medico-religious to regarding species its local name, family and medico-religious values are described.

Result and Discussion - The present study record 64 medico-religious plants which are worship whole or in part by the tribal & villager peoples. Folk knowledge and its traditionally used medico-religious plants are described. A list of these plants along with their family, local name of uses of either whole plant or part and mode of usage have been provided.

Table : The plant species have been arranged with their family, application and mode of administration in table given below (See in the next page)

Conclusion - The present study record 64 wild medico-religious plant which are worship by the tribal. During present observations and interactions with Baiga, Gond& local villagers have been performed. A total of 64 medico-religious plants has been enumerated with their medico-religious values from the survey conducted. It is seen that the tribal & villagers are utilized the resources in a sustainable matter by their natural instinct have perfected protection by medico-religious traditionally. The welfare for the future generations could be maintained by the help of outcomes of the present study.

Acknowledgement - The author is indebted to Dr. S. K. Chile, Principal P.G. College Seoni, My colleague Dept. of Botany, Govt. P.G. college Balaghat (MP), and forest department Balaghat(MP), India for their supervision and valuable suggestion throughout the course of the study. Author also thankful to tribal and local peoples and their cooperation and sharing their knowledge during study period.

References :-

1. Bramhe B.K. 2013: Social change and development in India Gayatri publication, Rewa, 452-454 pp.
2. Dubey, G, Shahu P., Sahu R. (2001): Role of plants in different religious ceremonies common to Bundelkhand region of Madhya Pradsesh. J, Med. Arom. Plants sci. 23 (1A): 542-545 pp.
3. Jain, S. K. 2001: Ethnobotany in modern India, Phytomorpholoy Golden Jubilee Issue: Trends in plant sciences, 39-54pp.
4. Rajendram S.M., Chandrasekar K., Sundareeson V. 2002: Ethhomedicinal lore of Valaya tribe in seithur hills

*Asst. Professor (Botany) Govt. P. G. College, Balaghat (M.P.) INDIA

of Virudunagar district, Tamilnadu, India, Indian J Trad. Knowledge, 1: 59-71pp.
5. Puspangadan P., Ethnobotany in India: A study report, (Government of India), New Delhi,1995, Bhallas, Patel JR, Bhalla NP (1992), Ethno-botanical.
6. Bhallas, Patel J.R., Bhalla N.P. (1992): Ethno-botanical herbal legumes of Bundelkhand region, Madhya Pradesh. Ecin. Taxonomic Bot., Additional series, 10:105-109 pp.

Table : The plant species have been arranged with their family

SN.	Botanical Name of plants	Family	Vernacular Name	Used plant or their parts
1.	*Mongiferaindica*	Anacardiaceae	Mango	Plant wood used in worship, havan & leaves also used to make torans.
2.	*Calotropisprocera*	Asclepiadaceae	Madar	Leaves and flower used in Tantric Sadhna, Shiva worship & to make a tabij.
3.	*Embilicaofficinalish*	Eupherbiaceae	Aonla	Women worship for son
4.	*PunicaGranatum*	Pinicaceae	Pomegrenate	Wood used in Tantra-mantra.
5.	*Ricinuscommunis*	Euphorbiaceae	Costor	Wood in Holi and worship
6.	*Terminaliaarjuna*	Combretaceae	Arjuna	Worship at SharadPurnima
7.	*Saracaasoca*	Caesalpiniaceae	Arjuna	Worship for peace.
8.	*Aeglemaramalos*	Rutaceae	Bel	Leaves used in Shiva worship & form a God, Mahesh, Vishnu, Bramha
9.	*Ficusbengalensis*	Moraceae	Bergadh	Women worship for son
10	*Loranthuslongiflorus*	Loranthaceae	Bandha	Call for prosperity & desired marriage.
11	*Dendroculomu.*	Poaceae	Bamboo	Various things are made & used religious festival, to carry corpus.
12.	*Eclipta alba*	Astaraceae	Bhrangraj	Death worship &TantrikSadhna
13	*Santalum alba*	Astaraceae	Bhrangraj	Used in heaven as described in mythology & wood used in funerals.
14	*Achyranthusaspera*	Amaranthaceae	Latjira	Used in RishPanchmi.
15	*Daturastramonium*	Solanaceae	Datura	Fruits used for Shiva worship
16	*Cynodondactylon*	Poaceae	Dubgass	All religious Anushthan.
17	*Commiphorawightii*	Bureraceae	Googgle	House Purification & fumigation by making a incense stick
18	*Ficusracemosa*	Moraceae	Gular	Root used in Vashikarna mantra
19	*Curcama longa*	Zinziberaceae	Teromeric	Used in worship & marriage rituals.
20	*Anthocephaluscadamba*	Rubiaceae	Cadamb	Worship of Krishna
21	*Curcuma caesia*	Zinziberaceae	Black Termaric	Tantric Anushthan, Expels negative energy,
22	*MasaParadisiaca*	Musaceae	Banana	Worship all religious Anushthan.
23	*NelumboNueifer*	Nelumbonaceae	Lotus	Used for Laxmi worship
24	*Desmotachyabipinnata*	Poaceae	Kush	Used in marriage &TantrikSadhana
25	*Madhukalongifolia*	Sapotaceae	Mahua	Harchhat worship & leaves are used to make plates.
26	*Mesuaferrea*	alophylaceae	Naagkesher	Used for Shiv worship
27	*Cocas nucifera*	Arecaceae	Coconut	Used in all Religious anushthan,
28	*Azadireetaindia*	Miliacaae	Neem	Symbol of Durga or Kali & used in DeviAaradhana.
29	*Citrus limon*	Rutaceae	Lemon	Used in Novratri& to remove Kalinajar.
30	*ButeaMunosperma*	Fabaceae	Palash	Used in religious anushthan& heaven worship.

SN.	Botanical Name of plants	Family	Vernacular Name	Used plant or their parts
31	*Piper Betle*	Piperaceae	Pan	Used in worship &Vashikaranshiddhi,
32	*Nyctanthes arbor-tristis*	Oleaceae	Parijat	Worship done for the achievement of heaven.
33,	*FicusReligiosa*	Moraceae	Peepal	Symbol of Vishnu & Women Worship to bless son.
34	*NeriumIndicum*	Apocynaceae	Yellow Laner	Used for Shiva worship
35	*Abrusprectorius*	Fabaceae	Ratti or Gunja	Used for Marriage Protection
36	*Elaeocarpusganitrus*	Elaeocarpaceae	Ruddhraksh	Woman used in worship their fruit used for peace.
37	*Asparagus Racemosus*	Liliaceae	Satavari	Used in Pola festival.
38	*Prosopis Cineraria*	Fabaceae	Sami	Worship at Dashera festival
39	*Areca Catechu*	Arecaceae	Supari	Worship in religion anushthan
40	*Ocimum sanctum*	Lamiaceae	Tulsi	All Hindu worship it in TulsiVivah after it Hindu religion marriages start.
41	*Diospyrosmelanoxylon*	Ebnaceae	Tendu	A stick kept in threshold to protect newly borne child from kalinajar.
42	*Oriza sativa*	Poaceae	Paddy	Used in all types of worship & Durgapooja&Dashera,
43	*Triticumaestivum*	Poaceae	Wheat	Plant leaves (Bhujali) Used in Novratri, Bhaiduja, Krishna Janmasthami, Tija and Shivratri.
44	*Gossypiumherbaceum*	Malvaceae	Cotton	Used in Deepak for lightening.
45	*Eugenia Jumbolena*	Myrtaceae	Jamun	Used in marriage to make a Mandup.
46	*ZiziphusJujuba*	Rhamnaceae	Zuzubus	Worship in Makarsankranti& Tantric Shadhna
47	*Shorearoxburghii*	Dipterocarpace	Bhelwa	Protect from Burinajar by making Tabij for children and cattle.
48	*Saccharumofficinaram*	Poaceae	Sugarcane	Used in Gayarus worship.
49	*Melilotus alba*	Fabaceae	Sindur	Used by married women on their forehead to indicate their marriage.
50	*TamrindusIndica*	Caesalpiniaceae	Imli	It is assumed that Buriatma& Ghosts are residing on the trees.
51	*TermineliaTomentosa*	Combretaceae	Saja	Tribal (Gond) put their God on the tree.
52	*Hibiscus rosascinensis*	Malvaceae	Gudhal	Used for Kalimata Worship
53	*Clestanthuscollinus*	Euphorbiaceae	Garari	Used in Pola festival.
54	*Bauhinia Verigeta*	Caesalpiniaceae	Sonpatti	Used in Dashera festival
55	*Bauhinia vallai*	Burseraceae	Mohlaen	Made a plate by their leaves in marriage or Agricultural devices used in rainy days.
56	*BoswelliaSerrata*	Bureraceae	Salai	Wood mostly used by Tribal for their marriage functions.
57	*TagetesErecta*	Asteraceae	Genda	Used in worship & Diwali festival.
58	*Cicerarientinum*	Leguminose	Gram	Used in form of Prashad.
59	*Gloriosasuperba*	Colehiceae	Kalihari	Used in worship & Amar jadi
60	*Spilanthesacmella*	Asteraceae	Akerkara	Used into TantrickSadhna
61	*Cleome Viscosa*	Cleomaceae	Hurhur	Root used in Bhut-Badha
62	*Rosa Indica*	Rosaceae	Gulab	Used in worship.
63	*Phagiolusvulgerly*	Leguminaceae	Bean	Used in Makarsankranti festival
64	*Helianthus annus*	Asteraceae	Sunflower	Used into worship

****

Expectorants Extracted From Plants By Local Folklore Of Sariska Tiger Reserve Of Alwar District

Manju Meena *

Abstract - Medicinal Plants are commonly used in treating and preventing specific ailments and diseases and are considered to play a beneficial role in health care of human beings. The paper outlines that the practice of indigenous traditional knowledge and its application are going to play an important role for future in making preparations for cough remedies. This review is intended to describe the current status local plants of Sariska Tiger Reserve which is used as expectorant and their active chemical compounds with cough suppressing activity.
Key words – *Medicinal Plants, Expectorants, Cough, Indigenous Knowledge.*

Introduction - Medicinal plants are of great importance to the health of individuals and communities. Medicinal plants played a significant role in various ancient traditional systems of medication such as Ayurvedic and Unanic in India. Today the mankind is reeling under the pressure of the side effects of allopathic medicines. The high cost of modern medicines, their unavailability in remote areas and most importantly, the serious side effects of certain drugs, have resulted in a significant return to traditional medicine. The Indian traditional system of medicine offer alternative remedies with tremendous opportunities. Medicinal plants provide acess and affordable medicine to poor people. These traditional medicines can be used to prevent, alleviate or cure several human disease. The studies have pointed out that the Sariska region of Alwar District has very rich vegetation consisting of a large number of plants some of them have unique medicinal value.

Study Area - Rajasthan the largest state in our country, has marked difference in physiographic feature. The Aravalli range of mountain dominates the southern parts of Rajasthan. Alwar district is situated in the north eastern part of Rajasthan at 27.57^0 N and 76.6^0 E. It has an average elevation of 271 metres. The sandy soil and bright sunlight are the two important natural factor which are responsible for the development of the desert vegetation having variable medicinal values. Sariska Tiger Reserve lies in the Aravalli hills.

Sariska itself is a wide valley with places of historical and religious interest, including the Kankwari Fort, Neelkanth Temple, the Buddha Hanuman temple, Pandupol, Bharthari temple and the hot and cold springs of Taalvriksh. Sariska became wild life sanctuary in 1955 and Tiger reserve in 1982. According to Forest department of Government of Rajasthan the total area of the Sariska sanctuary is 866 sq.km, whereas the total area of the national park is about 273.8 km^2. The topography of Sariska supports scrub thorn arid forest, rocky landscapes, tropical forest, grasslands, dry deciduous forests, rocks and hilly clifs. The vegetation of Sariska remains lush green in monsoon and dry in summer.

Methodology - During the course of present study detailed survey has made in Sariska and the information regarding use of medicinal plants has been documented. Knowledge about the medicinal properties of the local vegetation is confined to folk people only. Generally the folk people or local dwellers are well acquainted with medicinal properties of their surrounding vegetation. Therefore interviews has been taken for counter check of therapeutic knowledge of plants by local dewellers inside or outside of Sariska reserve. The derived information from interviews was recorded at the spot. The plants were identified by using standard Monograph and Flora of Rajasthan (Sharma,1976 and Bhandari, 1990).The process of preparation of medicine is enumerated below as told by the local people -

Concoction - All the medicinal parts of the plants are mixed 50 gm and boiled in 800ml of water in an earthen pot. The solution is reduced up to 80ml. Now it is filtered and mixed with sugar or jaggery .

Decoction - Plant parts containing medicinal properties which may include stem, bark, root and rhizome are ground into powder and then boiled in water to extract oils and other organic compounds. Honey may be added in it.

Leaf Juice : Leaves are crushed and filtered, the filterate is utilized as expectorant.

Result - This paper gives an account of medicinal plants used as expectorants. Expectorants help loosen congestion

* **Lecturer (Botany) R. R. College, Alwar (Raj.) INDIA**

in the lungs by reducing the thickness of mucus, making cough more productive and clearing the respiratory tract. Folk medicinal plants are listed below with their botanical, vernacular name, families, chemical constituents and ethno medicinal uses.

1. ***Abrus precatorius*** (Indianliquorice) Leguminosae
   Chemical constituents - Abrin, glucosides (haemagglutinin), NMethyltryptophanand Urease.
   Medicinal use: Root concoction is used in cough.
2. ***Acacia concinna***(Shikakai)Mimosaceae
   Chemical constituents: Saponin, lupeol, aspinasterol and acacic acidlactone.
   Medicinal use: Pods decoction is used for thinning the cough.
3. ***Acacia nilotica*** (Babul) Mimosaceae
   Chemical constituents: Tanin, lupeol, aspinasterol and arabic acid lactone.
   Medicinal use: A paste of the tender tops made with water and sugar is given as a expectorant in cough.
4. ***Aegle marmelos***(Bel) Rutaceae
   Chemical constituents: Aegelin, lupeol, cineol, eugenol, marmine.
   Medicinal use: Fresh leaf juice is used in cough.
5. ***Achyranthes aspera*** (Latjeera) Amaranthaceae
   Chemical constituents: Achyranthene, oleanolicacid ,D-gucoronic acid.
   Medicinal use: Leaf ash is mixed with honey and taken in cough remedy.
6. ***Acorus calamus*** (Bach)Araceae
   Chemical constituents: Sesquiterpenes, phenyl-propanes, cis-isoasarone, acorone, ketones.
   Medicinal use: Rhizome part is taken in mouth facilitates cough.
7. ***Adhatoda vasica*** (Vasaka) Acanthaceae
   Chemical constituents: Vasicine, vasicinone, Maiontone. vasicinolone, vasicol, kaempferol.
   Medicinal use: Leaves juice are mixed with ginger juice and honey is effective in cough.
8. ***Asparagus racemosus*** (Shatavari) Liliaceae
   Chemical constituents: AsparagamineA, quercetin, rutinhyperoside, Mucilages,
   Medicinal use: Root extract is used in cough.
9. ***Anogeissus pendula*** (Safeddhok) Crassulaceae
   Chemical constituents: Gallotanin ,quercetin, myricetin, gallic acid.
   Medicinal use: Fruits is used in cough.
10. ***Andrographis paniculata*** (Chiretta) Acanthaceae
    Chemical constituents: Andrographin, panicolin, polyphenols,caffeic acid.
    Medicinal use: Leaves is used in cough.
11. ***Bauhinia variegata*** (Kachnar) Fabaceae
    Chemical constituents: Glycosides,furanoids, flavonoids,phenolic compounds.
    Medicinal use: Decoction is made from flower buds and mixed with honey for use in cough.
12. ***Balanites aegyptiaca*** (Hingota) Balanitaceae
    Chemical constituents:Diosgenin, steroidal saponin,balanitins.
    Medicinal use: Seed is used as expectorant.
13. ***Barleria priontis*** (Vajradanti) Acanthaceae
    Chemical constituents: Barlerinoside., phenyl ethanoidglycoside,coumaroyl.
    Medicinal use:Root and leaves infusion is given in cold.
14. ***Calotropis procera*** (Madar) Asclepiadaceae
    Chemical constituents: Calotropin, calotropangenin, calotoxin, calcatin.
    Medicinal use: Leaf latex is used with sugar and black grapes mixture.
15. ***CassiaTora***(Cakunda) Caesalpinaceae
    Chemical constituents: Emodin, glucose, chrysophanol ,rhein, oleic, linolic, palmitic.
    Medicinal use: Seed powder is used in cough.
16. ***Citrus japonica***(Marumi Kumquat) Rutaceae
    Chemical constituents: Essential oil, sugar and organic acids.
    Medicinal use: Leaves and fruits are used in cough.
17. ***Curcuma longa*** (Turmeric) Zingiberaceae
    Chemical constituents: Curcumin, Essential oil, ketone, alcohol, Zingiberine
    Medicinal use: Rhizome powder is used with milk in cough remedy.
18. ***Calotropis gigantea*** (Akra) Asclepiadaceae
    Chemical constituents: Calotropin, calotropangenin, calotoxin, calcatin.
    Medicinal use: Leaf latex is used with sugar and black grapes mixture.
19. ***Eclipta alba***(Bhangra) Asteraceaeae
    Chemical constituents: Flavonoids(Apigenin, luteolin) Isoflavenoid ,Ecliptal, Terthienyl aldehyde
    Medicinal use: The extract from leaves and flower is used as expectorant.
20. ***Eichinops echinatus*** (Kantaphal) Asteraceae
    Chemical constituents: Beta amyrin, lupeol, glycosides, eichnopsine.
    Medicinal use: Root extract is effective in treating cough.
21. ***Euphorbia antiquorum*** (Indian spurge) Euphorbiaceae
    Chemical constituents: Euphorbin 35%, Latex two kinds-one is soluble in ether other is insoluble.
    Medicinal use: Latex is mixed with gud and taken for dry cough.
22. ***Euphorbia hirta*** (Snakeweed) Euphorbiaceae
    Chemical constituents: Gallic acid, querceitin, Phenyl glycoside andSucrose.
    Medicinal use: Juice of the whole plant is effective as expectorant.
23. ***Foeniculum vulgare*** (Fennel) Umbelliferae
    Chemical constituents: Aromatic oil, fixed oil, Anethol and Fenchone.
    Medicinal use: Seeds are used in cough.
24. ***Glycyrrhiza glabra*** (Liquorice) Papilionaceae
    Chemical constituents: Glycyrrhizin, Glycosides such as glycyrrhizol, glabrins A and B.
    Medicinal use: Root powder is boiled and taken twice a day for cough.
25. ***Leucas cephalotes*** (Umma) Lamiaceae
    Chemical constituents: Eugenol , alpha and beta cymene.
    Medicinal use: In cough and fever leaves are crushed

and juice is taken with honey.

26. ***Mangifera indica*** (Aam) Anacardiceae
Chemical constituents: Mangiferin ,catechin, gallic acid, mangostin.
Medicinal use:Leaves are crushed and juice is taken with honey.

27. ***Nyctanthes arbor-tristis*** (Harsingar) Nyctanthaceae
Chemical constituents: Flavonol, glycosides, nyctanthic acid, methyl salicylate, ascorbic acid.
Medicinal use: Stem bark is used in cough.

28. ***Ocimum basilicum*** (Tulsi) Lamiaceae
Chemical constituents: Eugenol, carvacrol, methyl eugenol, á-cymene,camphene, linaool.
Medicinal use: Leaf juice is used mixed with honey.

29. ***Ocimum sanctum*** (Tulsi)Lamiaceae
Chemical constituents: Eugenol, carvacrol, methyl eugenol, á-cymene,camphene, ñ-cymene.
Medicinal use: Leaf extract is used as expectorant.

30. ***Piper longum*** (Piplee) Piperaceae
Chemical constituents:Piperine, sesamine, caryophyllene.
Medicinal use: Honey, ghee,milk,whitemishri and piplee leaves are crushed and mixed properly and taken twice a day.

31. ***Portulaca oleracea***(Kulpha) Portulacaceae
Chemical constituents: Mallic-acid , dopamine, glutamic acid, asparagic acid.
Medicinal use:Leaves,stem and whole plant may be used in cough.

32 . ***Sida cordifolia*** (Indian hemp) Malvaceae
Chemical constituents: Pseudoephedrine, beta-Phenethylamine.
Medicinal use: Decoction of root with ginger is given in cough.

33. ***Solanum nigrum*** (Makoy) Solanaceae
Chemical constituents: Solasodine ,syringaresinol , scopoletin.
Medicinal use: The juice from roots is used in whooping cough.

34 . ***Solanum surattense*** (Bhatkateri) Solanaceae
Chemical constituents:Solasodine , beta sitosterol , syringaresinol , scopoletin.
Medicinal use: Plant roots decoction is mixed with decoction of tinosporacordifolia. If is very effective in treating general cold and cough.

35. ***Terminalia arjuna*** (Kahua) Combretaceae
Chemical constituents:Tannin, saponin, flavonoids, gallic acid.
Medicinal use: Stem bark is boiled and taken in cough.

36 . ***Terminalia bellarica*** (Bahera) Combretaceae
Chemical constituents: Fatty acid , methyl ester, saponin.
Medicinal use: Fruit are soaked in water or fruit coat is roasted and taken orally is useful in cough.

37. ***Tinospora indica***(Giloy) Menispermiaceae
Chemical constituents: tinosporadine, palmitine, berberine, flavonoids.
Medicinal use: Leaf and stem is boiled and taken with honey in cough.

38. ***Withania somnifera*** (Ashwagandha) Solanaceae
Chemical constituents:Withanine alkaloid,Somniferine, Tropine, Hygrine, Anaferine.
Medicinal use: The plant root is used in cough.

39. ***Zingiber officinale***(Ginger)Zingiberaceae
Chemical constituents: Zingiberene, camphene, ß-pinene, myrcene, limonene.
Medicinal use: Rhizome juice is mixed with sonth, black pepper and piper longum and paste is made. Rock salt is added. This mixture is used for gargle if the throat is also sore.

40. ***Zizyphus vulgaris*** (Ber) Rhamnaceae
Chemical constituents:Fatty acid methyl ester.
Medicinal use: Seed cotyledons are taken out and crushed to powder and mixed with milk and curd.

Conclusion - Form this study, the results show that above mentioned medicinal plants could prevent cough with the principle on dose dependent. A variety of botanical products have been reported to possess expectorant activity. The indigenous practices great helps in conserving the biological diversity aesthetic or knowledge base ground which is divine gift to cradle for future endeavour.

References :-

1. Chevallier, A., The Encyclopedia of Medicinal Plants. Dorling Kindersley, London.
2. Jain, S.K., Glimpses of Indian Ethnobotany. Oxford and IBH Publishing Company, New Dehli,1981.
3. Joshi, P., Ethnobotany of primitive tribes in Rajasthan. Printivell Jaipur, India, 1995.
4. Joshi, P. and Awasthi, A., Life support plant species used in famine by the tribals of Aravalli. Journal of Phytological Reseasrch, 1991,42(2):193-196
5. Parmer, P.J., A contribution to the flora of Sariska Tiger Reserve, Alwar District Rajasthan. Bull. Bot. Surv. India, 1985. 27 (1-4):29-40
6. Pulliah, T., Encyclopedia of world medicinal plant. Vol-4, Renency Publication, New Delhi, 1999, pp. 36.
7. Rodgers, W.A., A Preliminary ecological survey of Alugal spring, Sariska Tiger Resrve Rajasthan. Jour. Bombay Nat. Hist. Soc.1991,7 : 201-209.
8. Trivedi, P.C., Ethnobotany. The Diamond Printing Press, Jaipur, India, 2002.

****

To analyse the Pattern of pathogenic Microflora in Skin of Leukemia Patients (Special reference in Jawaharlal Nehru Cancer, Hospital & Research Centre, Bhopal)

Anupama Tiwari *

Introduction - Leukaemia as a cancer type includes.acute lymphoblastic (or lymphoid) leukaemia, chronic lymphocytic leukaemia, acute myeloid leukaemia, chronic myelogenous (or myeloid) leukaemia and other form of leukaemia. It is estimated that more than 44,270 new cases of leukaemia will be diagnosed in the United States in 2008, with chronic lymphocytic leukaemia being the most common type (approximately 15,110)new cases **(Lipworth *et al.*,2006).**

Leukemia is a type of cancer which begins in the bone marrow and increases the high number of abnormal white blood cell. When white blood cells are not developed properly is called blasts or leukemic cells. Leukaemia is cancer of the body's blood-forming tissues, including the bone marrow and the lymphatic system. Leukaemia is a most common type of cancer in children.

Due to their immunocompromised state, leukemic patients are most prone towards bacterial an infection, which adds to their already deteriorated state. Hence the aim of our present study was to look for the bacterial pattern in the skin of leukemic patient and also to determine the antimicrobial property of an herbal plant *Alpinia zerumbet* to be used as an antimicrobial agent.

Aim - To analyze the bacterial flora of the skin from anatomical site of leukemic patients.

Material and Methodology

Material and Method - Bacteria were isolated from the skin of 35 leukemia patients by routine microbial procedure.

Patient Registration and Collection of skin samples - The study was conducted in Department of research, Jawaharlal Nehru Cancer Hospital & research centre, Bhopal. Skin samples were collected from the skin sites of 35 leukemic patients through ward visit in a swab sticks treated with normal saline after signing informed consent from them. The collected samples were then taken to laboratory for routine microbial isolation and identification by inoculation of samples and culturing them. Nutrient agar plates were prepared, dried and then streaking of sample was done in NAM plate with the help of swab sticks. Petri plates were kept in the incubator at 37°c for 24 hours. After 24 hours of incubation NAM plates was observed and prepared a slide, the slide was stained with gram stain and then observed under microscope for the identification of microflora. **(Cowan, S. T. *et al.,* 1965).** The microflora was identified by routine morphological identification by Gram staining followed by a series of biochemical tests like Catalase, Coagulase and Indole tests.

Antibiotic susceptibility tests were also performed for all the samples.

Standard antibiotics were tested against the microflora isolated. In addition to these standard drugs, antimicrobial property of *Alpinium zerumbet* root extract was also tested against microflora isolated from 8 healthy individuals as well as 5 leukemic patients and this was also compared for its efficacy against the standard hand scrub Micorsterillium.

Observation and Result - The present research study based on two phases, aims to evaluate the occurrence of microflora on the body surface of blood cancer patients. Total 30 patients of blood cancer were screened out of which 3 have shown no growth, in 14 *Staphylococcus epidermidis,* and in 12 cases *Staphylococcus aureus* predominantly occurred. However, out of 6 subjects, 3 infected by *Enterobacterium* and 3 infected by*Klebsiella.*

Out of 35 cases of Leukemia, 20 were from Acute Lymphoblastic Leukemia, 11 from Acute Myeloblastic Leukemia, 3 from Chronic Myeloblastic Leukemia and 1 from Cronic Lymphocytic Leukemia.

The standard antibiotic tested against this microflora and was found against Imipenum the maximum zone of inhibition was between 41mm to 20mm, against Meropenum between 40mm to 20mm, against Coestin 40mm to 20mm,against Penicillin maximum 35mm to 20mm in case no. 5,6,7,12,14,17,18,19, 21, 22,25,26,27 were resistant against Penicillin. The maximum zone of inhibition in Tetracycline found to be 40mm to 20mm, against Doxycycline 37mm to 20 mm.

Against Gram-negative bacteria the maximum zone of inhibition was 40 and minimum was 10, against Imipenum the maximum zone of inhibition was 40mm, against

* Research Scholar (Microbiology) D.A.V.V., Indore (M.P.) INDIA

Amoxyclav the zone of inhibition 30mm, against Cefozoline zone of inhibition was 38mm, against Cefepaerazone, Meropenum and Chloramphenicol the maximum zone of inhibition was 30mm, 40mm & 28mm respectively.

Pre and post treatment of *Alpinium zerumbet* root extract healthy control population was taken and extract of *Alpinium zerumbet* root was applied and scored the colony. Before the herbal application the individual swab cultured and colony was counted it was found that in all the 8 cases the bacterial colony number ranger from 1 to 20 and the post colony count recorded no growth in case number 3,4,6,7,& 8. However, few colonies were counted in case no. 1,2 & 5. The colony percentage in case number 1 found to be 33.33%, in case number 2 22.27% and in case number 5 it was 5%.

The same protocol followed for selected case of leukemia. Where the total selected number of cases were 5. In all the selected cases, the pre treated bacterial colonies were between 40 to 3 in numbers. On post treated, the colony count was found to be only 1 in case number 2 (3%). In case number 2,3 & 4 the post colony count was 3%, 75% & 20% respectively. However in case number 5 there was no growth observed.

Micorsterillium, standard hand scrub was applied in one case of leukemia and one case of healthy volunteer. The pre swabbed colonies were found to be infinite healthy control and 10 colonies in leukemia patient. In the post treatment no colony was found in both the cases.

Conclusion -It can be concluded from our study that leukemia patients harbour pathogenic bacteria that adds to the woe of the already deteriorated condition of these critically ill patients and aggressive measures should be taken to prevent these infections by following strict sterilization techniques and using effective antimicrobial agents. It was also noticed that many of the subjects may have some reaction by the standard hand scrub, in such cases Alpinia scrub will be a boon for the cancer patients.

References :-

1. Lipworth L, Tarone RE, and McLaughlin JK (2006). The epidemiology of renal cell carcinoma. Journal of Urology 176(6pt 1): 2353-2358.
2. Leukaemias, the Merck Manual (2007). www.merck.com.
3. Duncan, W. C, M. E. McBride, and J. M. Knox (1969). Bacterial flora: the role of environmental factors. J.Invest. Dermatol.52:479-48.
4. Shaw, CM., J.A. Smith, M. E.Mcbride, W. C. Ducan (1970). An evaluation of technique for Sampling of skin flora. J. Invest. Dermatol, 54:160-16
5. Chiller K, selkin BA, Murakawa GJ. Skin microflora and bacterial infection of theskin.2010;(3): 170-4.
6. Glycation end product inhibitors from *Alpinia zerumbet.* Chompoo. *Food Chem.* 2011, 129,709-71.
7. National Cancer Institute. 2013-12-23. Retrieved 18 June 20.

****

Catharanthus Roseus for Anti Cancer Plant Drugs Found In Bhopal Division

Dr. Sushama Singh Majhi *

Abstract - The Catharanthus Roseus is the most extensively investigated medicinal plant and is known mainly for pharmacologically important alkaloids. The invaluable antineoplastic alkaloids are restricted to the Arial part of the plant identification of the structural and regulatory factors operating in the leaf of the plant will be a necessity for modulation of alkaloids biosynthesis. The study aim at the main tissues leaf flower and root of the plant the leaf and root transcriptomes of Catharanthus Roseus substance produced by living organism biological activity for use in pharmaceutical drug discovery and drug design. Catharanthus Roseus plant are important in the treatment of life threatening conditions. Catharanthus Roseus is highly preferred by the majority of the healers, and that the form is exclusively used to treat cancer. This naturalized exotic species is actively being cultivated by healers is their home gardens easily available supply of material. The preparation method of the extract, including part used as well as the administration procedure, dosage and treatment period, the Catharanthus Roseus extracts might be effective against cancer diseases.
Keyword - Antineoplastic Catharanthus Roseus Apocynaceae

Introduction - - A natural product is a chemical compound or substance produced by a living organism - found in nature that usually has a pharmacological or biological activity for use in pharmaceutical drug discovery and drug design. A natural product can be considered as such even if it can be prepared by total synthesis. These small molecules provide the source or inspiration for the majority of FDA-approved agents and continue to be one of the major sources of inspiration for drug discovery. In particular, these compounds are important in the treatment of life-threatening conditions. Natural products may be extracted from tissues of terrestrial plants, marine organisms or microorganism fermentation broths. A crude (untreated) extract from any one of these sources typically contains novel, structurally diverse chemical compounds, which the natural environment is a rich source of Chemical diversity in nature is based on biological and geographical diversity, so researchers travel around the world obtaining samples to analyze and evaluate in screens or bioassays. This effort to search for natural products is known as bioprospecting.

Plant Profile - Catharanthus roseus (Madagascar periwinkle) The Madagascar periwinkle is a popular ornamental plant found in gardens and homes across the world, and is also used in the treatment of cancer.

Species Information Common name(s): Madagascar periwinkle

Conservation Status - This species has not been assessed by the IUCN.

Habitat - Found on sand and limestone soils in woodland, forest, grassland, and disturbed areas.

Known hazards: As with other members of the Apocynaceae family, the sap is extremely toxic.

Taxonomy

Class:	Equisetopsida
Subclass:	Magnoliidae
Superorder:	Asteranae
Order:	Gentianales
Genus:	Catharanthus
Biological Source:	Aerial parts of Catharanthus roseus formerly known as *Vinca rosea*.
Family:	Apocynaceae

About this Species - the Madagascar periwinkle is a popular ornamental plant found in gardens and homes across the warmer parts of the world. It is also known as the source of chemical compounds now used in the treatment of cancer. Their discovery led to one of the most important medical breakthroughs of the last century. The plant has a flower adapted to pollination by a long-tongued insect, such as a moth or butterfly. It is also able to self-pollinate. Self-compatibility and a relatively high tolerance to disturbance have enabled the plant to spread from cultivation and to become naturalised in many parts of the world. As a consequence, the Madagascar periwinkle is sometimes considered to be an invasive weed, although it does not normally proliferate sufficiently to eliminate native vegetation. Its seeds have been seen to be distributed by ants. Powerful medicinal plants such as the Madagascar periwinkle remind us of the need to conserve and study the increasingly threatened plant habitats of the world.

* **Asst. Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vighyan College, Bhopal (M.P.) INDIA**

Distribution -The Madagascar periwinkle is indigenous to Madagascar, but is cultivated and naturalised throughout the tropics and parts of the subtropics.

Description -A tender, perennial plant which groves as a herb or a subshrub sprawling along the ground or standing erect (30 cm to 1 in in height). It has attractive white or pink flowers comprising five petals spreading from a long, tubular throat. The leathery, dark green leaves are arranged in opposite pairs. Each fruit is made up of two narrow, cylindrical follicles which house numerous grooved seeds. Like many other plants in the Apocynaceae family, the sap is a milky latex.

Identification - The plant material is identification local herbarium

Cultivation - The Madagascar periwinkle is very easy to cultivate, and can be propagated by seed or by cuttings, but is sensitive to over-watering. A tender plant, it does not withstand frosts and is best grown indoors in temperate climates. It thrives well in hot and humid environments, in full sun or partial shade and flowers all year round in hot climates. ***Catharanthus roseus*** is easily propagated by apical semi-ripen cuttings in light, free-draining compost. Best results are when bottom heat and high humidity are provided. Propagation by seed at 22-25°C, kept in the dark until germination. Over 80% of Madagascar's 14,883 plant species are found nowhere else in the world, including five plant families that are found only here. The plant family Didiereaceae, composed of four genera and 11 species, is limited to the spiny forests of southwestern Madagascar. Four-fifths of the world's Pachypodium species are endemic to the island. Three-fourths of Madagascar's 860 orchid species are found here alone, as are six of the world's eight baobab species. The island is also home to around 170 palm species, three times as many as are found on mainland Africa; 165 of these are endemic. Many native plant species are used as effective herbal remedies for a variety of afflictions. This includes the Madagascar periwinkle, from which the drugs vinblastine and vincristine have been derived to effectively treat Hodgkin's disease, leukemia and other cancers. Thetraveler's palm, endemic to the eastern rain forests, is highly iconic of Madagascar and is featured in the national emblem as well as the Air Madagascar logo. Like its flora, Madagascar's fauna is diverse and exhibits a high rate of endemism. Lemurs have been characterized as "Madagascar's flagship mammal species" by Conservation International. In the absence of monkeys and other competitors, these primates have adapted to a wide range of habitats and diversified into numerous species. As of 2008, there were officially 99 species and subspecies of lemur, 39 of which have been described by zoologists between 2000 and 2008. They are almost all classified as rare, vulnerable, or endangered. At least 17 species of lemur have become extinct since man arrived on Madagascar, all of which were larger than the surviving lemur species. The biodiversity of fauna in Madagascar extends beyond prosimians to the wider animal population. A number of other mammals, including the cat-likefossa, are endemic to Madagascar. Over 300 species of bird have been recorded on the island, of which over 60% (including four families and 42 genera) are endemic. The few families and genera of reptile that have reached Madagascar have diversified into more than 260 species, with over 90% of these being endemic (including one endemic family). The island is home to two-thirds of the world's chameleon species, including thesmallest one known to date, and researchers have proposed that Madagascar may represent the origin of all chameleon species. Endemic fishes on Madagascar include two families, 14 genera and over 100 species, primarily inhabiting the island's freshwater lakes and rivers. Although invertebrate species remain poorly studied on Madagascar relative to other wildlife, researchers have found high rates of endemism among the known species. All 651 species of terrestrial snail are endemic, as are a majority of the island's butterflies, scarab beetles, lacewings, spiders and dragonflies.

Conclusion - Although the literature indicates that Catharanthus Roseus extracts have been used in the treatment of various diseases such as urogenital infection, diabetes, gonorrhea, its exclusive use to treat cancer was in expected as no scientific evidence exist to support either its ethno botanical use or efficacy as a treatment of cancer. The scientific investigations to validate Catharanthus Roseus flower leaf and root efficacy against cancer is recommended. The fact that traditional heals highly utilize it for cancer might provide a useful lead to the discovery of new affordable and readily available plant material based cancer treatment.

References :-

1. Watt IM, Breyer- Brand wijk MG(1962). The medicinal and poisonous plant of southern and eastern Africa second edition, Livingstone, London.
2. Newman DJ, Cragg GM, Snader KM. Natural products as sources of new drugs over the period 1981-2002. J Nat Prod. 2003;66:1022-103 7. PubMed DOI: 10.1021 / np03 00961.
3. Koehn FE, Carter GT. The evolving role of natural products in drug discovery. Nat Rev Drug Discov. 2005;4:206-220. PubMed DOI: 10.1038/nrd1657.
4. Paterson I, Anderson E A. The renaissance of natural products as drug candidates. Science. 2005; 310:451-453. PubMed DOI: 10.1126/science. 1116364.
5. Balunas MJ, Kinghorn AD. Drug discovery from medicinal plants. Life Sci. 2005;78:431-441. PubMed DOI: 10.1016/j.lfs.2005.09.012
6. Jones WP, Chin Y-W, Kinghom AD. The role of pharmacognosy in modern medicine and pharmacy. Curr Drug Targets. 2006; 7:247-264.
7. Drahl C, Cravatt BF, Sorensen EJ. Protein-reactive natural products. Angew Chem Int Ed Engl.2005 ;44:5788-5809.PubMed DOI: 10.1002/anie.2005 00900
8. Grifo F, Newman D, Fairfield A, Bhattacharya B, Grupenhoff J. The origins of prescription drugs. In: Grifo F, Rosenthal J, eds. Biodiversity and Human Health. Washington, DC: Island Press; 1997:131-163.
9. Butler MS. The role of natural product chemistry in drug discovery. J Nat Prod. 2004; 67:21412153. PubMed DOI: 10. 102 1 /np040106y
10. Thayer A. Bristol-Myers to settle suits. Chem Eng News. 2003; 81:6.

Trace Metal Cycling Biogeochemical Processes

Dr. Rashmi Ahuja *

Abstract - The partitioning of metals between dissolved and particulate phases critically influences metal transport, reactivity and bioavailability. It is widely recognized that metal bioavailability and toxicity are not determined merely by the total dissolved metal among various inorganic and organic metal species governs bioavailability, which is related to the free metal concentration or activity rather than to the total, dissolved metal concentration. Thus the deterious effects of metal toxicity can be mitigated by complexation of the metal with organic and inorganic legends. This study concerns the effects of metal speciation on the biogeochemical cycling of metals become increasing by important as evidence for metal complexation in natural water accumulate.

Key Words - complexation, biogeochemical, bioavailability, metal speciation.

Introduction - Man's essential requisites of air, water and food contains trace amounts of wide range of trace metals some of them are essential for several biochemical processes, where as other are toxic, During recent years, interest concerning trace metals has considerably increased due to knowledge about their potential toxic effects. Insolubility of some compounds of these metals and their bioavailability are questioned. The objective of this study is the current understanding of biogeochemical cycling of metals in aquatic system derives from empirical observation, laboratory and field studies and modeling efforts.

Experimental - Field studies in surface water have generally focused on evolution of residence time of metals and the mechanism of removal from water column. Both field and laboratory studies have identified adsorption as critical mechanism for the removal of metals from the dissolved phase and the consequent maintenance of many metal concentration below the solubility limit of pure solid phase of metals. Strong metal compilexation by humic and fulbic substances, have been demonstrated in laboratory experiment. Anthropogenic ligands with high affinities for metals viz EDTA and NTA have been found in surface waters receiving industrial and domestic waste water. Field measurement indicate that the extent of metal compilexation in lake water is close to 99% for reactive metals such as copper. Significant compilexation has been reported even for less reactive metals like cadmium and zinc. Few analytical techniques can provides a direct measurement of metal cryogenic compilexation and the legend responsible for metal compilexation under ambient condition have not been found strong organic legends have also been found in culture media of lake and fresh water. Release of Such legend might serve to facilitate metal uptake by micro organism or lower metal toxicity.

Table (See in the next page)

Result & Discussion - Even in widely varying aquatic environments from contaminated ground water to pristine open lake water, the cycling of trace metal involves a common set of biogeochemical processes that remove metal to solid phases are particularly important in mitigating the contaminant metals introduced in to aquatic ecosystem. A critical distinction of between to ecotoxicity of trace metals and toxic organic compound should be noted. Toxic organic compounds can be broken down into non toxic constituents. The potential toxicity of metal can never be completely eliminated.

Conclusion - These regulatory mechanisms have received particular attention since it has been suggested that availability of iron or zinc limit phytoplankton productivity in nutrient rich areas of the aquatic system while most studies on the inhibitor of plankton growth have focused on single metal, it has been recognized that complex synergistic and antagonistic effects among multiple trace metal may have an important influene on biological communities.

References :-

1. Environmental chemistry and pollution Contral – S.S. Dogra
2. Environmental Chemistry – S.C. Bhatia
3. Kot. A, Namiesnik. J. The role of speciation in analytical chemistry. Trends anal chem 2000.
4. Soylak, M. Metal speciation in environmental sample by solid phase extraction 108. J Hazard Mater - 2006, 129
5. Z.A. Filmwala, Polarographic study of few metal complex. Res J Chem Environ, Vol (5), 2001.

* **Professor (Chemistry) Govt. College, Barasia (M.P.) INDIA**

Table
Extent of Organic complexation of metals in industrial effluent/Ground water/ lake water

1.	Metals	Fe	Zn	Cu	Cd	Pb	Mn	Ni	Co
2.	Method Involved	electro Chemical	Electro Chemical	1.Ligand 2.Electro Chemical 3.Bioassay 4.Chromato graphy	1.Radio trace addition 2.chromato graphy	Electro Chemical	1.Radio trace addition 2.chromato graphy	1Electro Chemical 2. chromato graphy	Electro Chemical
3.	Average comple-xation Percen-tage	98.5	>90 65-95	99.5 92- 98 >80-91	>5 5-65	55-70	<2 30-40	30-40	45-95

****

Knowledge of modifiable risk factors of heart disease among the patients with acute myocardial infarction in Jabalpur

Nidhi Jain* **Dr. Meera Vaidya**** **Dr. Smita Pathak*****

Abstract - Education for hospitalised patients is an important aspect of care for people who have an acute myocardial infarction.

Objective: To investigate the cardiovascular risk factors of patientstogether with their Acute Myocardial Infarction(MI) knowledgefollowing admission to hospital for an acute myocardial infarction.

Methods - Patients diagnosed with an acute myocardial infarction participated in the study. Patients completed a questionnaire consisting of cardiovascularrisk factor to assess their knowledge before and after imparting education.

Results - 200 participants were enrolled, and completed follow-up. Out of 200 patients diagnosed with AMI, 145 were males and 55 females .Maximum no. of males and females were in the age group of 51- 55 years,38.62% and 43.64% respectively. 29% were overweight, 16% were class 1 obese and 9% were class 2 obese. 59% had a sedentary lifestyle,32%were moderately active and 9 % were heavy workers.60% does no exercise and only 22% does exercise daily.36% males and 46% females had cholesterol levels and 42 % males and 44% females had high triglyceride levels. Regular smoking was 28% and occasional smoking was 15% among males. Smoking, BMI , Cholestrol levels, physical activity are the major modifiable risk factors in our study.

The median length of hospital stay was 3 daysand the time to follow-up after discharge was every 15 days upto 3 months. At discharge 39% of males and 22% of female patients had poor knowledge scoresof myocardial infarction risk factors and post management of disease which decreased to 7(5%) and12(22%) and fair knowledge scores were 44 (30%)and 21(38%) pre intervention in males and females respectively and 57(39%) and 23(42%) in males and in females post intervention. Good knowledge was 45(31%) and 22(40%) of males and females pre intervention and 81(56%) and 26(47%) post interventionally which shows improvement of knowledge for the risk factors of disease and its management through diet and lifestyle changes.

Conclusion - Patients reported implementing a number of healthy lifestyle changes following discharge including smoking cessation, exercise and healthy eating. Practice of the changed lifestyle related to myocardial infarction showed a significant improvement following discharge. Morethan one third of patients had inadequate knowledge at discharge, suggesting currenteducation practices may not be meeting the needs of patients with a myocardialinfarction.

Key words - cardiovascular disease, health education, myocardial infarction, patient education**.**

Introduction - Knowledge is an important pre-requisite for implementing both primary as well as secondary preventive strategies for cardiovascular disease (CVD). There are no estimates of the level of knowledge of risk factor of heart disease in patients with CVD. The level of knowledge of modifiable risk factors was determined among patients presenting with their first acute myocardial infarction (AMI) in two hospitals of Jabalpur city.

Progressive urbanization, and adoption of a “western” lifestyle contributed to the rising burden of cardiovascular disease (CVD) in the developingworld . Developing nations continue to be ill-equipped to handle this burden and this coupled with poor literacy rates and lack of awareness of disease symptoms result in worse disease outcomes . This is reflected in the rising rates of hospital admissions and mortality from CVD at an early age. Furthermore, People of South Asian descent have one of the highest risks of CVD in the world. Thus it is likely that escalation of the global CVD epidemic will be most marked in India and Pakistan.(1) Knowledge of modifiable risk factors (smoking, lack of exercise, obesity and consumption of fatty foods) for heart diseases has been identified as a prerequisite for change in behavior and is often targeted by prevention programs (2, 3). Estimating the level of knowledge of the population at large as well as those suffering from CVD can help to guide public health programs especially those directed towards reducing

* **Research Scholar, Govt. Auto. M.H.College of Home Science & Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA**
** **Professor and Head (Food & Nutrition) Govt. Auto. M.H.College of Home Science & Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA**
*** **Professor (Food & Nutrition)Govt. Auto. M.H.College of Home Science & Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA**

modifiable risk factors for CVD. Earlier studies have revealed that education programs for the elderly were effective in improving health promotion knowledge and behaviours (4,5). The purpose of this study was to examine the level of knowledge and to determine the factors associated with a good level of knowledge of modifiable risk factors of CVD in a sample of individuals who were hospitalized with their first acute myocardial infarction (AMI). This was a part of a study which focused on delay in seeking early medical care and post management after AMI onset.Knowledge of risk factors has been correlated to compliance with some lifestyle changes, such as weight loss, increased physical activity, stress management and dietary changes.While the importance of patient education is well recognised many patients do notreceive adequate education prior to discharge and patients have reported receivingless information than they wanted from health care professionals.(6)

People with CVD should receive comprehensive rehabilitation that includes patient education.Patient education prior to discharge has been found to placethe patient in a state of readiness to successfully manage their care and continuingrecovery at home.The purpose of this research was to investigate knowledge and CVD risk factorsin patients with a diagnosed acute myocardial infarction prior to dischargeand at three months postdischarge.(6)

Methods - This study was undertaken in a cardiology unit at two hospitals with cardiac care units of Jabalpur. Acute patients with CVDincluding ACS, arrhythmias and myocardial infarction and heart failure are cared for in this unit. All patients admitted to this unit with a confirmed diagnosis of myocardial infarction were screened for the eligibility of this study. Participants were recruited during their initial admission for an acute myocardial Infarction and divided into experimental and control group and were asked to complete a demographic information and a Knowledge questionnaire to assess the knowledge on the risk factors prevelant in patient population. The participants of the experimental group were imparted education for the management of the disease condition after discharge through booklets, counselling sessions,seminars (cardiac care educational programme) from admission upto a period of 3 months. The subjects were contacted for followups and to complete the same questionnaire of Knowledge after 3 months. Patients wereasked if they recalled receiving information about their heart disease and whether their queries related to disease were solved through the booklet provided.

Questionnaire - The first section of the questionnaire focuses on the demographic information like age , gender, education, information on smoking,and second section dealt with questions about behaviours known to be associated with increased risk for CVD specifically diet , knowledge of blood pressure and cholesterollevels. The quetionnaaire consisted of10 items. Scoring scales were set for correct and incorrect answers.

Statistical analysis - All statistical analyses were performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 16 for Windows .Categorical data were reported ascounts and frequencies. Analysis of Knowledgescores was performedusing paired t-tests, to analyse the initial and follow-upscores. The level of significance considered significant for all analysis was 0.01.

Results - 230 participants were recruited for this study and 200 completed the follow-up, and 30 were in the control group. The demographic and clinical profiles of the study participants areprovided in **Table 1**. For the participants who completed follow-up the mean age was 47.21 years(male) and 49.6(females), the median length of hospital stay was 3 days andthe time to follow-up from discharge was every 15 days upto 3 months.Significant improvements were found with participants reporting they were followinghealthy eating guidelines ($p<0.01$) and exercise practice from hospitaldischarge to follow-up. In hospital, 38.6%patients were males and 43.64% were female patients demonstrated knowledge scores of 39% males and 22% females with poor knowledge scoreswhichindicates substantial deficits in knowledge of risk factors of myocardial infarction and post management of the disease, however at follow-upthe number of participants with knowledge deficits had decreased to7 (5%)males and 6(11%) females demonstrating an improvement in knowledge. Scores for fair and good knowledge pre experimentally for males were 44(30%) and 45(31%) and for females were 21(38%) and 22 (40%) respectively.(Table 2)(Table 3).After 3 months the fair and good knowledge for males was 57(39%) and 81(56%) and for females 23(12%) and 26(47%) respectively which shows an markeable improvement in knowledge.

At the time of follow-up there was a significant difference in the knowledge score of participants who had attended cardiac care educational programme ($M=-3.04$, $SD=4.06$) $t= -10.5$ $p=.000$ and no significant difference in participants who had not attended cardiac care educational programme ($M=.66$, $SD\ 1.12$) $t = -3.24$, $p=0.003$.(Table3)

Discussion - This study investigated cardiovascular risk factor together with knowledge of myocardial infarction patients. Knowledge related to risk factors of myocardial infarction and its management improved, specifically exercise practice, and followinghealthy eating guidelines. Previous research has suggested that decisions concerningrisk factor behaviours may be considered and acted upon in the immediate post-infarctphase.(9) Therefore it is important to focus on providing effective education regardingmodifiable risk factor behaviours while patients are in hospital.Similar to previous studies, this study revealed that knowledge scores for MI patients' remains poor.(3,8).At discharge 39% males and 22% females of the participantsdemonstrated inadequate and poor knowledge and were unable to identify the risk factors and lifestyle management of myocardial infarction which improved after education sessions of the cardiac care programme. A patient-centredapproach to guide education for hospitalisedpatients may improve their knowledge.

Conclusion - After hospitalisation for an acute cardiovascular event patients demonstrated poor knowledge of the risk factors of MI. Following a diagnosis of MI, patients need effective education to improve their knowledge and to develop an understanding of appropriate risk factor modification behaviours. Educational interventions guided by the principles of adult learning with an individualised patient-centred approach should be made at mass level.

Suggestion - Such studies should be conducted to understand the knowledge levels of patients on a large scale and such educational programmes should be made to improve knowledge levels to understand the risk factors of disease for prevention and management.

Table 1 : (See below)

Table2 & 3 : (See in next page)

References :-

1. Muhammad S Khan, Fahim H Jafary, Tazeen H Jafar Emailauthor, A zhar M Faruqui, Syed I Rasool, Juanita Hatcher,Nish Chaturvedi. Knowledge of modifiable risk factors of heart disease among patients with acute myocardial infarction in Karachi, Pakistan: a cross sectionalstudy. BMC Cardiovascular Disorders2006**6**:18
2. McKinley S, Dracup K, Moser DK, Riegel B, Doering LV, Meischke H, et al. The effect of a short one-on-one nursing intervention on knowledge, attitudes and beliefs related to response to acute coronary syndrome in people with coronary heart disease :a randomised controlled trial. Int J Nurs Stud. 2009;46:1037-46.
3. O'Brien F, O'Donnell S, McKee G, Mooney M, Moser DK. Knowledge, attitudes, and beliefs about acute coronary syndrome in patients diagnosed with ACS: an Irish cross-sectional study. Eur J CardiovascNurs. 2013;12:201-8.
4. Stewart D, Abbey S, Shnek Z, Irvine J, Grace S. Gender differences in health information needs and decisional preferences in patients recovering from an acute ischemic coronary event. Psychosom Med. 2004;66:42-8

.5. Commodore-Mensah Y, Dennison Himmelfarb C. Patient education strategies for hospitalised cardiovascular patients. J CardiovascNurs. 2012;27:154-74.

6. Boyde M, Grenfell K, Brown R, Bannear S, Lollback, N, Witt, J, Jiggins L, Aitken L. What have our patients learnt after being hospitalised for an AcuteMyocardial Infarction?AustCrit Care, 2015 Aug;28(3):134-9
7. Bennett P, Mayfield T, Norman P, Lowe R, Morgan M. Affective and social - cognitive predictors of behavioural change following first myocardial infarction. Br J Health Psychol. 1999;4:247-56.
8. Buckley T, McKinley S, Gallagher R, Dracup K, Moser DK, Aitken LM. The Effect of Education and Counselling on Knowledge, Attitudes and Beliefs about Responses to Acute Myocardial Infarction Symptoms.Eur J CardiovascNurs. 2007;6:105-11.
9. Dracup K, McKinley S, Doering LV, Riegel B, Meischke H, Moser DK, et al. Acute Coronary Syndrome. Arch Intern Med. 2008;168:1049-53.

Table 1. Distribution of the patients of experimental group by their socio demographic data :

Variables	Category	Patients	
		frequency	%
Age(years)	25-30	1	0.5%
	31-35	7	3.5%
	36-40	20	10%
	41-45	39	19.5%
	46-50	53	26.5%
	51-55	80	40%
Gender	Male	145	73%
	Female	55	27%
Exercise practice	Never	120	60%
	Sometimes(once a week)	14	7%
	Often(3 times a week)	22	11%
	Regular	44	22%
Smoking(males)	Regular	41	28%
	Occasional	21	15%
	Never	138	57%
BMI(Body mass index)	Normal	92	46%
	Pre obesity	58	29%
	Class I obese	32	16%
	Class II obese	18	9%

Table 02 : Percentage of knowledge scores ofexperimental group

	Pre-Intervention				Post-Intervention			
Knowledge	**Male**	**Male %**	**Female**	**Female %**	**Male**	**Male %**	**Female**	**Female %**
Poor(1-8)	**56**	**39%**	**12**	**22%**	**7**	**5%**	**6**	**11%**
Fair(9-14)	**44**	**30%**	**21**	**38%**	**57**	**39%**	**23**	**42%**
Good(15-20)	**45**	**31%**	**22**	**40%**	**81**	**56%**	**26**	**47%**
Total	**145**		**55**		**145**		**55**	

Table 2.Percentage of knowledge scores of control group

	Pre-Intervention				Post-Intervention			
Knowledge	**Male**	**Male %**	**Female**	**Female %**	**Male**	**Male %**	**Female**	**Female %**
Poor(1-8)	**7**	**35%**	**2**	**20%**	**5**	**25%**	**2**	**20%**
Fair(9-14)	**6**	**30%**	**4**	**40%**	**8**	**40%**	**4**	**40%**
Good(15-20)	**7**	**35%**	**4**	**40%**	**7**	**35%**	**4**	**40%**
Total	**20**	**100%**	**10**	**100%**	**20**	**100%**	**10**	**100%**

Table 03 : Paired sample test of pre and post knowledge of control and experimental group

		Paired Differences			T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	**Pre knowledge control**	-.66667	1.12444	.20529	-3.247	29	.003
	Post knowledge control						
Pair 2	**Pre knowledge experimental**	-3.04000	4.06213	.28724	-10.584	199	.000
	Post knowledge experimental						

****

Study Of Knowledge, Attitude And Practice Of Affluent Business Men Towards Healthy Food Practices Of Chhindwara City

Akanksha Sharma* **Dr. Smita Pathak**** **Dr. Meera Vaidya*****

Abstract - Dietary knowledge and access to resources are critical to improve health and nutrition in a sustainable way. if given proper guidance and education regarding Food Practices would be able to make significant improvement in their lifestyle which is helpful for maintaining sound health of not only their but of whole family, Thus a study was conducted to assess the general knowledge about healthy food practices of affluent class business men of Chhindwara city. Around 35% of the males were pre obese whereas 50% males belong to normal category. Total blood cholesterol levels of 200 ladies were assessed, out of which 65% had normal blood cholesterol levels while the rest 35% had high or very high cholesterol levels.60% had normal triglyceride levels while the rest 40% had high or very high triglyceride levels. 150 males had very sedentary life style i.e. their work as well as leisure activities both did not involve much physical activity. Only 18 males practiced regular exercise. While 32 males practice exercise often. Over all knowledge regarding Healthy food practices was not very good. Around 45% had poor knowledge, 34% had fair knowledge. While only 21% had good knowledge.

Key words – Knowledge assessment test, healthy lifestyle, business community.

Introduction - Dietary knowledge and access to resources are critical to improve health and nutrition in a sustainable way. According to the latest WHO report, there is now a global epidemic of obesity that is associated with increased mortality and multiple morbidities.1–4 In the ongoing search for the underlying etiology and risk factors for obesity, inadequate physical activity and unhealthy dietary pattern are found to be important causes. Chhindwara city is district headquarters and ranks first in area of Madhya Pradesh state. Business community is predominant in Chhindwara city. Business men lifestyle is totally different than that of service class people. They mostly have sedentary lifestyle that includes very little physical exercise, irregular meal timings, higher stress levels, frequent consumption of tea; coffee, fried snacks and so on.

if given proper guidance and education regarding Food Practices would be able to make significant improvement in their lifestyle which is helpful for maintaining sound health of not only their but of whole family, Thus a study was conducted to assess the general knowledge about healthy food practices of affluent class business men of Chhindwara city

Materials and Methods - Subjects and Sampling: Subjects were selected by Purposive Sampling. Total of 200 business men belonging to affluent class were selected.

Data Collection Data was collected by using Pre tested questionnaire containing queries about general information like age, education, Family type and number of family members.

- **Anthropometric measurements -** Height, Weight of the subject was recorded and BMI was calculated.
- Body mass index- Males having a BMI of greater than or equal to 40 were considered as extremely obese, those having BMI between 30-39.9 were considered obese, between 25-29.9 were overweight, between 18.5-24.9 were normal and less than 18.5 were considered underweight.
- **Cholesterol levels -** Persons having levels between 150-200mg/dl, 201-250 mg/dl and>250 mg/dl were regarded as having normal, high and very high cholesterol levels respectively.
- **Triglycerides levels -** Persons having triglycerides levels between 35-150mg/dl were regarded as having normal, between 151-250 mg/dl as having high and more than 250mg/dl as having very high levels of triglycerides respectively.
- **Assessment of Knowledge -** A questionnaire was designed to assess the knowledge, about healthy food practices. Two point was given for each correct answer. A total score of 15-20 or above was taken as having

*Research Scholar, Govt. M.H. College of Home Science and Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA
**Professor (Food and Nutrition) Govt. M.H. College of Home Science and Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA
***Professor & Head (Food and Nutrition) Govt. M.H. College of Home Science and Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA

good knowledge, 10-14 was assessed as having fair knowledge and less than equal to 9 meant having poor knowledge about Healthy food practices.

- **Exercise Practice -** Exercise practice was assessed by inquiring about the nature of exercise done like jogging, brisk walking, swimming, gymming, cycling, any sports, yoga, meditation etc. Its duration like always, often (3days a week), sometimes (once a week) and never was taken into consideration.
- **Documentation of Addiction-** Information on addictions like tobacco chewing, smoking, alcohol consumption, betel nuts etc was taken into account.

Results and Discussion -

- **Characteristics of the Subjects -** The mean age of men was found to be 45 Years.
- **Body Mass Index -** Around 35% of the males were pre obese whereas 50% males belong to normal category.

In most of the studies, being overweight was associated with a twofold to six-fold increase in the risk of developing HTN.(Hemant,2012). According to the WHO, by 2016, approximately 2.3 billion adults will be overweight and more than 700 million will be obese worldwide (WHO, 2006).

Table No 1 - Distribution of Subjects according to BMI category

S.No	BMI CATEGORY	N	%
1.	Underweight	7	3.5
2.	Normal	100	50
3.	Pre obese	70	35
4.	Class I obese	20	10
5.	Class II obese	2	1
6.	Class III obese	1	0.5

- **Cholesterol and Triglycerides levels -** Total blood cholesterol levels of 200 ladies were assessed, out of which 65% had normal blood cholesterol levels while the rest 35% had high or very high cholesterol levels.60% had normal triglyceride levels while the rest 40% had high or very high triglyceride levels.
- **Exercise practice -** 150 males had very sedentary life style i.e. their work as well as leisure activities both did not involve much physical activity. Only 18 males practiced regular exercise. While 32 males practice exercise often i.e. three days a week.

The low physical activity in this and similar studies should raise concerns among clinicians and it is necessary that all persons should be encouraged to increase their physical activity (Trans,2007). Physical activities in the form of exercise training have been proven to have the ability to prevent or delay the onset of illness and diseases. (Schwellnus MP, et al, 2009).

- **Knowledge -** Over all knowledge regarding Healthy food practices was not very good. Around 45% had poor knowledge, 34% had fair knowledge. While only 21% had good knowledge.

Concepts of Concepts of healthy Food consumption were not clear also it was supported by (Badruddin et al, 2002) that due to lack of proper knowledge as regards diet requirements of each person should be given individual dietary advice with clear view of its purpose. So, that they understand and follow it in practice. Thus there is need for arranging large scale awareness programmes for the general public and also to identify and use educational medium to spread the message which could change the attitude of people in future. However, understanding the perceived needs and barriers to healthy dietary

Table No 2 - Distribution of subjects according to Knowledge scores

S.No	Knowledge Scores	N	%
1.	Good Knowledge(15-20)	42	21
2.	Fair Knowledge(14-9)	68	34
3.	Poor Knowledge(1-8)	90	45
	Total	200	100

Fig No 1 - Distribution of Subjects according to Knowledge Scores

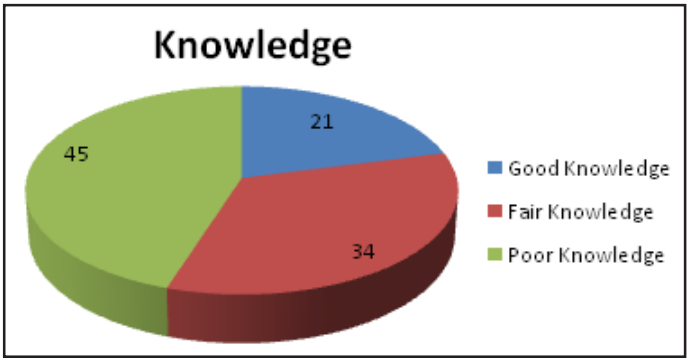

Fig No 2 : Distribution of subjects according to Exercise Practice (N=200)

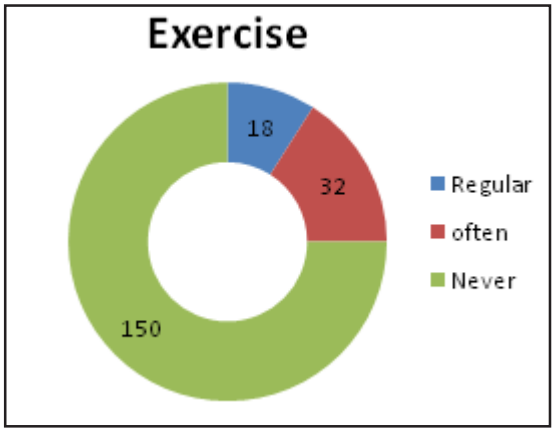

Conclusion - The result of this current study could be useful in implementing a community based awareness programme which will promote the importance of lifestyle modifications in the prevention and control of many diseases.

Suggestion: Studies like this can be taken up on a larger scale to develop an educational programme with effective nutrition education tools to bring awareness among the population.

References :-

1. Aravjo R.B.,I dos Santos, 1999 "Assessment of diabetic patient management at primary health care level". Rev. Saude. Pulica, 33:24-32.
2. Badruddin, Basit A, M.ZafarIqbalHydrie, 2002 "Knowledge, Attitude and Practices of Patients visiting a Diabetes Care Unit" Pakistan Journal of Nutrition1 (2):99-102
3. GuptaNeetu, KocharKaur Gurusharan.2009. Dietary and Socio-EconomicFactors Associated With Obesity In North Indian Population. The Internet Journal of Health. Volume 9 Number 1
4. Joanna Sadowska, Magdalena Radziszewska, Agnieszka Krzymuska. 2010. Evaluation Of Nutrition MannerAnd Nutritional StatusOf Pre-School Children. *Acta Sci. Pol., Technol. Aliment.* 9(1) 105-115.
5. Leupker RV, Petry CL, Mc kinlay SM, Nader PR, Parcel GS, Stone EJ(1996).Outcomes of a field trial to improve children's dietary patterns and physical activity. JAMA 275,768-776.
6. KaurNavjot and Sangha.J.K.2006.Assessment of Dietary Intake by Food Frequency Questionnaire in at Risk Coronary Heart Patients*. J. Hum. Ecol.* 19(2): 125-130.
7. Silman Alan, Elena Loysen, Graaf.D. Waiter,Sramek Michael.1985. High dietary fat intake and cigarette smoking as risk factors for ischaemic heart disease in Bangladeshi male immigrants in East London.*Journal of Epidemiology and Community Health*. 39, 301-303.
8. Theron.Oldwage, Egal.A.A.2010. Nutrition knowledge and nutritionalstatus ofprimary school children in QwaQwa.*S Afr J ClinNutr* .23(3):149-154.
9. Trans A.S,L.S.Yong, S.Wan,M.L.Wong 2007 "Patient education in the management of Diabetes Mellitus".Singapore Med.J,38:156-60.

****

कार्यकारी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का किशोर बालक एवं बालिकाओं के समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. गीता शुक्ला * अमिता द्विवेदी ** प्रीति मिश्रा ***

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध कार्य में कार्यकारी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का किशोर बालक बालिकाओं के समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के 100 किशोर बालक एवं 100 किशोर बालिकाओं एवं निम्न भूमिका अर्न्तद्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के 100 किशोर बालक एवं 100 किशोर बालिकाओं पर श्रीमती रागिनी दुबे द्वारा निर्मित किशोर समायोजन मापनी का प्रशासन कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये। परिणामों द्वारा ज्ञात हुआ कि माताओं का भूमिका अन्तर्द्वन्द किशोर बालक–बालिकाओं के समायोजन को प्रभावित करता है।

परिणामों में पाया गया कि निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोरों का 'स्व–समायोजन' समवय समूह, विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन एवं बालिकाओं में स्व–समायोजन उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है। उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालिकाओं समवय समूह एवं विद्यालय समायोजन निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं की बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है, जबकि स्व–समायोजन निम्न भूमिका अर्न्तद्वन्द वाली कार्यकारी माताओं की बालिकाओं का अधिक अच्छा है।

इसी प्रकार उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं की किशोर बालिकाओं में स्व एवं पूर्ण समायोजन बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि समवय समूह एवं विद्यालय समायोजन कारकों में सार्थक अंतर नहीं आया है। अत: लिंग भिन्नता नहीं है। निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक बालिकाओं के समायोजन कारक समवय समूह विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन पर लिंग भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय, समवय समूह एवं पूर्ण समायोजन बालकों का बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि स्व समायोजन पर लिंग भिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रस्तावना – वैज्ञानिक प्रगति एवं आधुनिकता के प्रभाव ने महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए है। आज महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित न होकर सम्पूर्ण विश्व बन गया है। पारिवारिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों का भविष्य संवारने या आत्म निर्भर बनने के लिए कारण जो भी हो महिलाओं ने अपने व्यक्तित्व में अनेकों भूमिकाओं को समाहित किया है वे पत्नी माँ कार्यकारी महिला के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने की कोशिश करती है, किन्तु भूमिकाओं में थोडा असंतुलन भूमिका अन्तर्द्वन्द को उत्पन्न करता है। जो न केवल महिला के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वरन् उनके बालकों को भी प्रभावित करता है। किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर बढता है। जर्सील्ड (1978) विकास की इस प्रक्रिया के घटित होने के समय माताओं का दृढ संबल उन्हें उचित दिशा देता है।

एक बालक कितना प्रभावशाली है, वह उसकी समस्याओं की संख्या से ज्ञात नहीं होता बल्कि उसकी प्रभावशीलता इस बात से स्पष्ट होती है की वह इन समस्याओं और जीवन की चुनौतियों का किस प्रकार सामना करता है। वस्तुत: समायोजन का अर्थ वही है, जिसमें स्वयं के द्वारा किसी व्यक्ति को बाधा न पहुंचे बल्कि बाधाओं का निराकरण हो और स्वयं का समाज में उचित अस्तित्व हो।प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है और किशोरावस्था में इस भावना का विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। इस हेतु उस मार्गदर्शन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। एकल परिवार प्रणाली होने के कारण यह दायित्व केवल माता पर होता है। लेकिन माताओं के कार्यरत होने के कारण उन्हें अधिक समय कार्यस्थल पर व्यतीत करना पड़ता है जिसमें वे अपने किशोरों को प्र्याप्त समय नहीं दे पाती है। माँ की अनुपस्थिति किशोरों में अकेलेपन का भाव ले आती है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कई बार किशोर गलत रास्ता अपना लेते है।

महिलाओं के घर एवं बाहर दोनों में ताल–मेल बैठाना अत्यंत कठिन हो जाता है। फलत: इसका प्रभाव किशारों के समायोजन पर भी देखने को मिलता है। समयाभाव के कारण जब माताएँ किशोरों का मार्गदर्शन नहीं कर पाती तो किशोरों के लिए व्यवहार कुशल एवं सामाजिक होना थोड़ा कठिन हो जाता है। माँ की भूमिका संघर्ष किशोरों में चिड़चिड़ापन, चिन्ता, तनाव एवं समाज के नियमों से विचलित हो जाने के रूप में दिखाई देता है। जिससे उनके समायोजन में कमी आने लगती है।

उद्देश्य –

1. किशोर बालक/बालिकाओं के सामाजिक समायोजन पर कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वद के प्रभाव का अध्ययन।
2. उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द की कामकाजी माताओं के किशोर बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक समायोजन के कारकों में लिंग भिन्नता अध्ययन।

परिकल्पना –

1. किशोर बालक/बालिकाओं के सामाजिक समायोजन पर कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द की कामकाजी माताओं के किशोर/बालिकाओं के सामाजिक समायोजन के कारकों में लिंग भिन्नता नहीं पाई जाती।

न्यादर्श– प्रस्तुत शोध कार्य के लिए शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत 40 से 50 वर्ष की आयु की कामकाजी माताओं का चयन कर भूमिका

* प्राध्यापक (मानव विकास) भा. मो. ह. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय स्वशासी, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** (मानव विकास) भा. मो. ह. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय स्वशासी, जबलपुर (म.प्र.) भारत
*** (मानव विकास) भा. मो. ह. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय स्वशासी, जबलपुर (म.प्र.) भारत

अन्तर्द्वन्द मापनी का प्रशासन किया गया। इनमें से उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कामकाजी माताओं के 14-20 वर्ष के किशोर बालक एवं बालिकाओं का न्यादर्श में चयन निम्न सारणी के अनुसार किया गया।

न्यादर्श तालिका

अर्न्तद्वन्द का स्तर	किशोर बालक	किशोर बालिका	योग
उच्च	100	100	200
निम्न	100	100	200
योग	**200**	**200**	**400**

प्रयुक्त उपकरण-

1. भूमिका अन्द्वन्द-मापनी- श्री प्रेम वर्मा एवं सीमा विनायक।
2. किशोर- समायोजन मापनी- श्रीमती रागिनी दुबे।

प्रदत्त संकलन विधि - उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के 200 किशोर बालक एवं 200 किशोर बालिकाओं पर समायोजन मापनी का प्रशासन कर प्रदत्तों का सांख्यकीय विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका क्रमांक - 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट होता है कि कार्यकारी माताओं की भूमिका अन्तर्द्वन्द किशोर बालकों के समायोजन को प्रभावित करता है। निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं के किशोरों का स्व, समवय समूह, विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन 3 उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं के किशोरों की अपेक्षा अधिक अच्छा है।

ग्राफ क्रमांक -1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक - 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट होता है कि समायोजन कारक स्व, समवय समूह, एवं विद्यालय समायोजन पर कार्यकारी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का सार्थक प्रभाव पडता है। एवं पूर्ण समायोजन पर प्रभाव नहीं पडता है उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द कार्यकारी माताओं के किशोरों में समवय समूह एवं विद्यालय समायोजन निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं की किशोर बालिकाओं की अपेक्षा अच्छा है जबकि स्व-समायोजन निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं की किशोर बालिकाओं का अच्छा है।

ग्राफ क्रमांक - 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक - 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट होता है कि निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक-बालिकाओं का विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि समवय समूह समायोजन पर कार्यकारी माताओं की भूमिका अन्तर्द्वन्द का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पडा है।

ग्राफ क्रमांक - 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक - बालिकाओं में स्व एवं पूर्ण समायोजन बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छा है।जबकि समवय समूह एवं विद्यालय समायोजन कारकों में सार्थक अंतर नहीं आया है, अत: लिंग भिन्नता नहीं है, निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक-बालिकाओं के समायोजन कारक समवय समूह विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन पर लिंग भिन्नता का प्रभाव पडता है। विद्यालय समवय समूह एवं पूर्ण समायोजन बालकों का बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि स्व समायोजन पर लिंग भिन्नता का प्रभाव नहीं पडता है।

ग्राफ क्रमांक - 4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

कार्यकारी माताओं का भूमिका अन्तर्द्वन्द किशोर बालकों के समायोजन को प्रभावित करता है। निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोरों का स्व , समवय समूह, विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्दवाली माताओं के किशोरों की अपेक्षा अधिक अच्छा है। उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द की कार्यकारी माताओं की किशोर बालिकाओं का समवय समूह एवं विद्यालय समायोजन निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं के किशोर बालिकाओं की अपेक्षा अच्छा है जबकि स्व समायोजन निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं के किशोर बालिकाओं का अच्छा है। जबकि पूर्ण समायोजन में अधिक अंतर नहीं आया है। इसी प्रकार निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक-बालिकाओं का विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक-बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि समवय समूह समायोजन पर कार्यकारी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी संदर्भ में सैटो एवं अन्य (2004) ने कार्यकारी माताओं की भूमिका अन्तर्द्वन्द के प्रभाव का अध्ययन किया। यहां परिणामों से स्पष्ट हुआ कि जब मातायें कार्यस्थल पर होती है, कार्य के प्रति समर्पित, गतिशील, प्रतियोगी, शक्तिशाली एवं स्पष्टवादी कर्मी की तरह स्वयं को प्रस्तुत करना होता है तथा घर में कोमल हृदय, संवेदनशील, सामान्य देखभाल करने वाली महिला की भूमिका निभानी होती है और जब मातायें इस भूमिका में स्थिर नहीं हो पाती तो इसका प्रभाव उनके बालकों के समायोजन पर पड़ता है। परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के बालकों का समायोजन कारक समवय विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है जबकि स्व समायोजन पर लिंग भिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ा है। उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं की किशोर बालिकाओं में स्व एवं पूर्ण समायोजन बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि समवय समूह एवं विद्यालय समायोजन कारकों को लिंग भिन्नता ने प्रभावित नहीं किया है। इसी प्रकार इस प्रकार के परिणाम आने का संभवत: का कारण हो सकता है कि माताओं में उत्पन्न भूमिका अर्न्तद्वन्द का प्रभाव घर के कार्यो पर भी पड़ेगा और प्राय: बालिकायें घर के कार्यों में माँ भी सहयोगी होती है एवं माँ के अधिक निकट होने से आपसी समझ अच्छी होती है अत: उनका स्व एवं पूर्ण समायोजन अपेक्षाकृत अच्छा है।

निष्कर्ष -

1. कार्यकारी माताओं का भूमिका अन्तर्द्वन्द किशोर बालकों के समायोजन को प्रभावित करता है। निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोरों का 'स्व' समायोजन समवय समूह समायोजन विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं के किशोरों की अपेक्षा अधिक अच्छा है।
2. किशोर बालिकाओं पर समायोजन कारक स्व समायोजन समवयसमूह एवं विद्यालय समायोजन पर कार्यकारी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का सार्थक प्रभाव पडता है एवं पूर्ण समायोजन पर सार्थक प्रभाव नही पड़ता है उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द की कार्यकारी माताओं के किशोरों में समवय समूह एवं विद्यालय समायोजन निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं के किशोर बालिकाओं की अपेक्षा अच्छा है जबकि स्व समायोजन निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं के किशोर बालिकाओं का अच्छा है।
3. निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक-बालिकाओं का विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द

वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक-बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि समवय समूह समायोजन पर कार्यकारी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा है।

4. उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक-बालिकाओं में स्व एवं पूर्ण समायोजन बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि समवय समूह एवं विद्यालय समायोजन कारकों में सार्थक अंतर नहीं आया है, अत: लिंग भिन्नता नहीं है निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कार्यकारी माताओं के किशोर बालक-बालिकाओं के समायोजन कारक समवय समूह विद्यालय एवं पूर्ण समायोजन पर लिंग भिन्नता का प्रभाव पडता है विद्यालय समवय समूह एवं पूर्ण समायोजन बालकों का बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है। जबकि स्व समायोजन पर लिंग भिन्नता का प्रभाव नहीं पडता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भाई, योगेन्द्रजीत (1976) 'मानव विकास का मनोविज्ञान' नवीनतम संस्करण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2, पृ.297-299
2. भटनागर,सुरेश,(1992-93) 'बाल विकास एवं परिवारिक सम्बन्ध' संशोधित संस्करण, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ.सं. 355-387
3. गुप्त, रामबाबू (1983), 'विकासात्मक मनोविज्ञान' साहित्य प्रकाशन, पंचम, संस्करण, पृ.सं. 486-491.
4. जायसवाल, डॉ. सीताराम, (1990), 'सर्वांगीण बाल-विकास' द्वितीय संस्करण, आचार्य बुक डिपो, करोल बांग, नई दिल्ली, पृ.सं. 210-211.
5. कपूर, डॉ. प्रमिला, (1976), 'भारत में विवाह और कामकाजी महिलायें', प्रथम संस्करण, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि., अंसारी रोड, नई दिल्ली
6. कुप्पू स्वामी, बी., (1976) 'बालक व्यवहार और विकास', विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि., अंसारी रोड, नई दिल्ली, पृ.सं. 229-239
7. कपिल, डॉ. एच.के. (1997), 'अनुसंधान विधियाँ' प्रकाशन-हरप्रसाद भार्गव, 4/230 हचहरी घाट, आगरा, 282004, सप्तम संस्करण।
8. वर्मा, डॉ. प्रीति एवं श्रीवास्तव, डॉ. डी.एन. (1979) 'बाल मनोविज्ञान, बाल-विकास', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ.सं.377-382.

ग्राफ क्रमांक -1

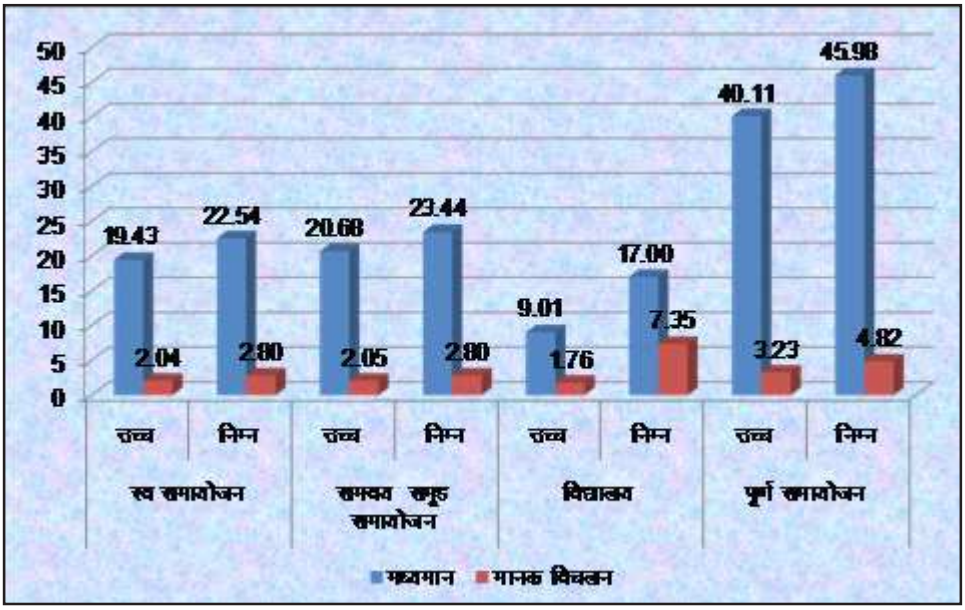

तालिका क्रमांक - 1

कार्यकारी माताओं की भूमिका अन्तर्द्वन्द का किशोर बालकों के समायोजन पर प्रभाव संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समायोजन कारक	भूमिका अन्तर्द्वन्द का स्तर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पी मान
स्व समायोजन	उच्च	100	19.43	2.04	8.99	< 0.01
	निम्न	100	22.54	2.80		
समवय समूह समायोजन	उच्च	100	20.68	2.05	7.94	< 0.01
	निम्न	100	23.44	2.80		
विद्यालय	उच्च	100	9.01	1.76	10.57	< 0.01
	निम्न	100	17.00	7.35		
पूर्ण समायोजन	उच्च	100	40.11	3.23	10.13	< 0.01
	निम्न	100	45.98	4.82		

स्वतंत्रता के अंश 98 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 1.98
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 2.60

ग्राफ क्रमांक –2

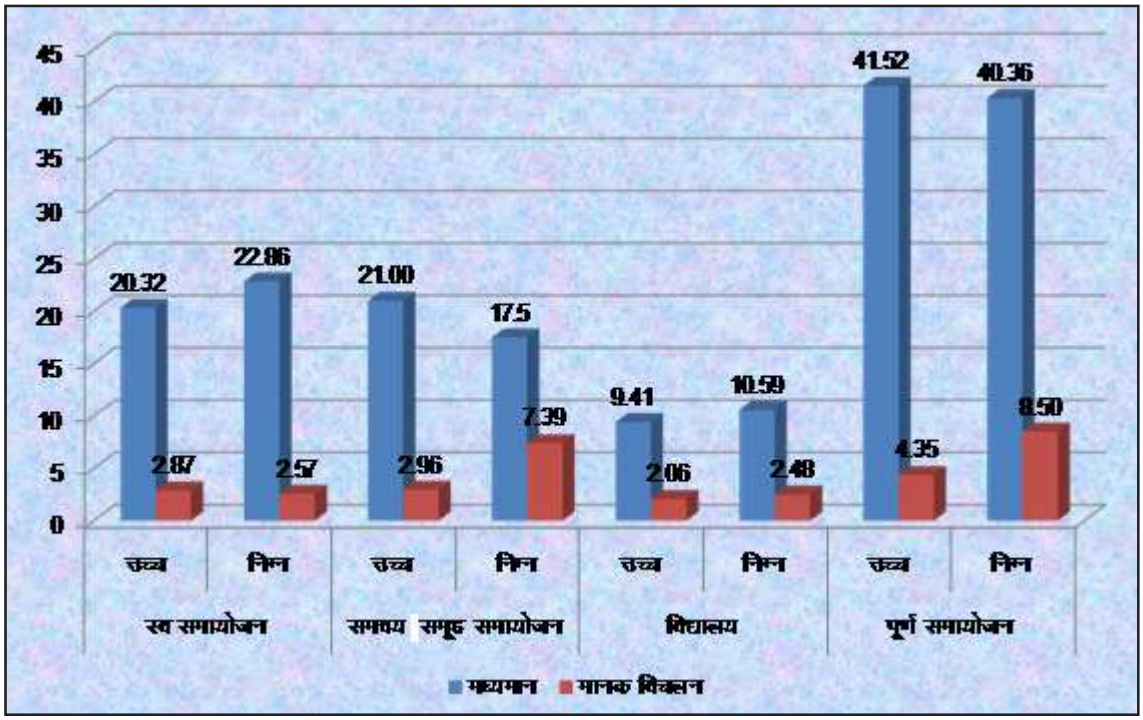

तालिका क्रमांक – 2

कार्यकारी माताओं की भूमिका अन्तर्द्वन्द का किशोर बालिकाओं के समायोजन पर प्रभाव संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समायोजन कारक	भूमिका अन्तर्द्वन्द का स्तर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पी मान
स्व समायोजन	उच्च	100	20.32	2.87	6.64	< 0.01
	निम्न	100	22.86	2.57		
समवय समूह समायोजन	उच्च	100	21.00	2.96	4.65	< 0.01
	निम्न	100	17.50	7.39		
विद्यालय	उच्च	100	9.41	2.06	3.66	< 0.01
	निम्न	100	10.59	2.48		
पूर्ण समायोजन	उच्च	100	41.52	4.35	1.22	0.05
	निम्न	100	40.36	8.50		

स्वतंत्रता के अंश – 98

0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 1.98

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 2.60

ग्राफ क्रमांक –3

तालिका क्रमांक – 3

कार्यकारी माताओं की भूमिका अन्तर्द्वन्द का किशोर बालक–बालिकाओं के समायोजन पर प्रभाव संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समायोजन कारक	भूमिका अन्तर्द्वन्द का स्तर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पी मान
स्व समायोजन	उच्च	200	19.88	2.52	10.89	< 0.01
	निम्न	200	22.70	2.67		
समवय समूह समायोजन	उच्च	200	20.94	2.56	0.98	0.05
	निम्न	200	20.47	6.32		
विद्यालय	उच्च	200	9.21	1.92	9.78	< 0.01
	निम्न	200	13.80	6.35		
पूर्ण समायोजन	उच्च	200	40.82	3.88	3.97	< 0.01
	निम्न	200	43.17	7.44		

स्वतंत्रता के अंश 198

0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 1.97

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 2.59

ग्राफ क्रमांक –4

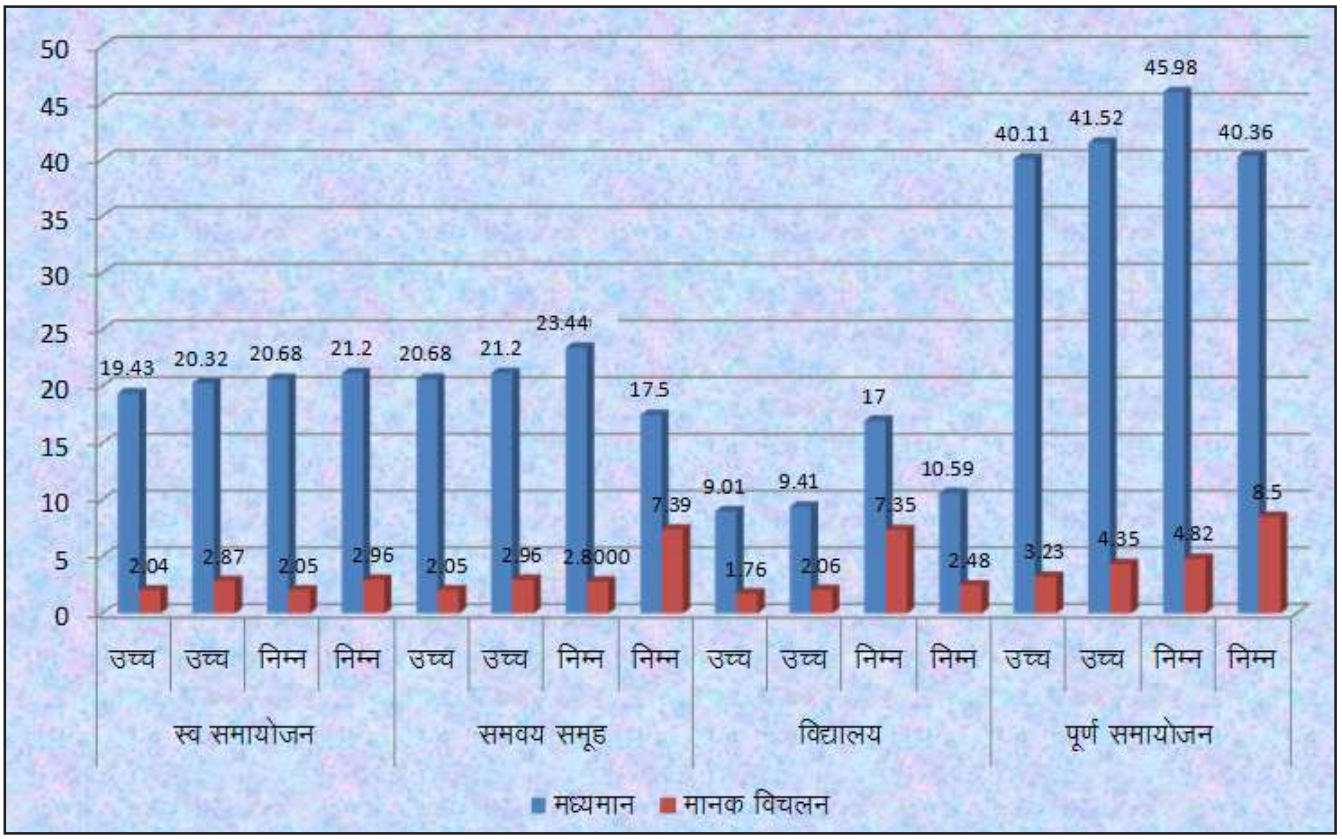

तालिका क्र. 4

कार्यकारी माताओं की भूमिका अन्तर्द्वन्द का किशोर बालक एवं बालिकाओं के समायोजन पर प्रभाव के लिंग भिन्नता संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समायोजन कारक	भूमिका अन्तर्द्वन्द का स्तर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पी. मान
स्व समायोजन	उच्च	100	19.43	2.04	2.53	< 0.05
	उच्च	100	20.32	2.87		
	निम्न	100	20.68	2.05	1.44	0.05
	निम्न	100	21.20	2.96		
समवय समूह समायोजन	उच्च	100	20.68	2.05	1.44	0.05
	उच्च	100	21.20	2.96		
	निम्न	100	23.44	2.80	7.52	< 0.01
	निम्न	100	17.50	7.39		
विद्यालय	उच्च	100	9.01	1.76	1.48	0.05
	उच्च	100	9.41	2.06		
	निम्न	100	17.00	7.35	8.26	< 0.01
	निम्न	100	10.59	2.48		
पूर्ण समायोजन	उच्च	100	40.11	3.23	2.60	< 0.05
	उच्च	100	41.52	4.35		
	निम्न	100	45.98	4.82	5.75	< 0.01
	निम्न	100	40.36	8.50		

स्वतंत्रता के अंश 98 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 1.98

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 2.60

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा परिवार की भूमिका

डॉ. अनुराधा अवस्थी *

प्रस्तावना – किसी स्थान विशेष पर किसी समय जो भौतिक स्थितियों जैसे– तापमान, वायु का संगठन, वायु का प्रवाह, वायु में उपस्थित आर्द्रता, सूर्यप्रकाश की मात्रा आदि की जो तात्कालिक स्थितियाँ होती है वह मौसम कहलाती हैं जबकि इन तत्वों की दीर्घकालीन स्थितियों का औसत, प्रत्येक स्थान की भौगालिक स्थितियों तथा वहां उपस्थित जैविक, अजैविक तत्वों के मिले जुले प्रभाव से उत्पन्न स्थितियों को वहां की सामान्य जलवायु माना जाता है। इन स्थितियों का कई वर्षो से रिकार्ड रखा जा रहा है और इन्हें ही उस स्थान की सामान्य जलवायु कहा जाता है। किन्तु पिछले कुछ दशकों से ये देखा गया है कि विभिन्न स्थानों की इस सामान्य जलवायु में अनेक परिवर्तन आते जा रहे है। परिणाम स्वरूप उन स्थानों पर होने वाली वर्षा की मात्रा और स्वरूप, वहां पाई जाने वाली वनस्पतियां एवं जीवों की संख्या एवं स्वरूप भी बदलने लगे है इन परिस्थितियों ने अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न कर दिये है। इन दुष्प्रभावों के कारण पर्यावरण का संतुलन भी परिवर्तित होने लगा है और अनेक ऐसी समस्याऐं उत्पन्न होने लगी है। जिनसे सम्पूर्ण मानव जीवन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत जैसे विकासशील तथा आर्थिक रूप से पिछड़े देश में अभी तक जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली इन समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि दरिद्रता, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याऐं उपस्थित है जिन पर पहले कार्य किया जाना आवश्यक है, किन्तु अब समय आ गया है कि इस गंभीर समस्या पर पर्याप्त विचार कर उसके हल के प्रयास किये जाने चाहिए।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव – जलवायु के परिवर्तन होने के कारण अनेक दुष्प्रभाव हमारे आस–पास दिखाई देने लगे है जिनमें से कुछ प्रमुख है :–

1. **वर्षा का बदलता स्वरूप –** जलवायु परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रभाव मानसून तथा वर्षा पर दिखाई देता है। कही–कहीं पर कम समय में ही बहुत अधिक वर्षा हो जाती है और वहां बाढ़ आ जाती है। जिससे निचले भू भागों में पानी भर जाता है और अनेक लोगों को विस्थापित होना पड़ता है जबकि कहीं–कहीं बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती वहां सूखे की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है।
2. **वायुमण्डलीय तापमान में वृद्धि –** पिछले लगभग 150 वर्षो से पृथ्वी के वातावरण के तापक्रम में वृद्धि हो रही है प्रत्येक दशक में तापमान बढ़ रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। इससे अनेक वनस्पतियों एवं जीवधारियों की जीवन चर्या प्रभावित हो रही है और वे विलुप्त हो रहे है।
3. **वनों की घटती संख्या –** जलवायु परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रभाव घटती हुई हरियाली है। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते है। क्योंकि एक मात्र हरे पौधे ही सूर्य की किरणों की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करके सभी जीवधारियों के लिये भोजन उपलब्ध करवाते है और इस कार्य से वातावरण की कार्बन डाई ऑक्साईड को अवशोषित कर उसकी मात्रा को नियंत्रित करते है। जैसे जैसे पेड़ पौधे घट रहे है वैसे–वैसे पर्यावरण में वायु मण्डलीय गैसों का सामान्य संतुलन भी बिगडने लगा है। घटते वनों के कारण वर्षा की कमी तथा बड़े पैमाने पर भूमि के क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसके कारण भूमि में जलग्रहण क्षमता घट गई है और तेज वर्षा से बाढ़ आ जाती है।
4. **बाढ़ –** मानसून के दिनों में जहां कहीं भी कुछ घंटे या कुछ दिन तेज बारिश आती है वहां बाढ़ का नजारा उत्पन्न हो जाता है। जलग्रहण क्षेत्र तथा वनों के कट जाने से तथा जल निकास के प्राकृतिक मार्ग मानव द्धारा बसाई गई बस्तियों के कारण अवरूद्ध हो जाने से जल निकास ठीक तरह से नहीं हो पाता और निचले भू भागों पर बाढ़ आ जाने से जन धन की अपार हानि होती है, फसले भी चौपट हो जाती है।
5. **पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन–** जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक जीवधारी विलुप्त हो रहे है जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र में परिवर्तन होने लगे है। इस तंत्र में खाद्य श्रृंखला पर इन परिवर्तनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
6. **विलुप्त होती प्रजातियाँ –** जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक प्राणियों की प्रजातियाँ समाप्त होती जा रही है और कुछ की संख्या बहुत ही कम हो गयी है। बाघ (टाईगर), स्नोलेपर्ड, ऐशियन राईनों, उरंगउटान, अफ्रीकन हाथी और पोलार बियर ऐसे ही जीव है, जो विलुप्ति की कगार पर है।
7. **समाप्त होता ईधन –** उद्योग एवं वाहन को चलाने वाले पेट्रोलियम का भंडार सीमित है और इसलिये यह समाप्त होता जा रहा है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो ईधन समाप्त हो जाऐगा और प्रगति तथा विकास रूक जाऐगा।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपाय में परिवार की भूमिका –

जलवायु परिर्वतन को अब एक वैश्विक स्तर की समस्या माना जाने लगा है। अत: इसे हल करने के प्रयास भी विश्व स्तर पर किये जा रहे है विकसित देश तो इस ओर अनेक विशेष प्रयास कर रहे है परन्तु अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र भी इस समस्या की गंभीरता को समझ कर उससे निपटने में अपना योगदान दें।

जलवायु परिर्वतन को रोकने के लिये अब सभी विकसित एंव विकासशील राष्ट्र प्रयास कर रहे है। सभी समाज इसके खतरों को पहचान कर उनसे बचने के प्रयास कर रहे है। परन्तु इसमें वे तभी सफल होगें जब इसके बारे में सभी परिवार जागरूक होंगे तथा सभी व्यक्ति जब उसमें भागीदारी

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

करेंगे। इस जागरूकता को फैलाने से ही जन सहयोग प्राप्त हो सकेगा और जलवायु परिर्वतन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा।

जलवायु परिर्वतन के प्रभावों को कम करने हेतु परिवार द्वारा अपनाऐं जा सकने के कुछ प्रयास इस प्रकार है:-

1. **जल स्त्रोतों का संरक्षण -** जल, जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अत: जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाना तथा उन्हें संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक राष्ट्र में सभी परिवारों को जल प्रदूषण को रोकना आवश्यक हैं।

2. **जल के अपव्यय पर रोक -** सम्पूर्ण विश्व के सभी समाजों को संयुक्त रूप से जल के अपव्यय को रोकना चाहिए और इसमें प्रत्येक परिवार का सहयोग अमूल्य सिद्ध होगा। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति जब जल को बचाने का प्रयास करेगा, तभी जल का दुरूपयोग रोका जा सकता है।

3. **वृक्षोंरोपण एवं वनों का संरक्षण -** प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष नये वृक्षों को रोपना चाहिये और उनका संरक्षण करना चाहिये। तभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाली का संवर्धन होगा और वनों की सुरक्षा हो सकेगी। वनों की वृद्धि से भूमि संरक्षण एवं पर्यावरण की भी रक्षा होगी।

4. **परिवहन साधनों की संख्या कम करना -** पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण को बढ़ाते है। अत: प्रत्येक परिवार को चाहिये कि वह वाहनों का उपयोग घटाने का प्रयास करें। एक ही बस्ती या आसपास में रहने वाले व्यक्तियों को एक साथ कार पूल करके तथा सार्वजनिक वाहनो का प्रयोग करके कार्य स्थल तक जाना आना चाहिये, ताकि वायु प्रदूषण और ईधन के व्यय को कम किया जा सके।

5. **गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग -** परिवारों में भोजन पकाने, पानी गर्म करने, घरों को कर्म करने के लिये सौर उर्जा तथा बायो गैसे का उपयोग करना चाहिए। जिससे जहाँ एक ओर प्रदूषण कम होग वहीं दूसरी ओर ईधन की बचत भी होगी।

6. **भवन निर्माण की नवीन तकनीक एवं सामग्री -** भवन निर्माण में बड़ी मात्रा में लकड़ी पत्थर एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है। जिससे वृक्षों की कटाई को बढ़ावा मिलता है। अत: ऐसे नवीन पदार्थो का उपयोग भवन निर्माण हेतु किया जाना चाहिये जिनसे पर्यावरण को हानि न हो।

7. **नवकरणीय ईंधन की खोज -** उद्योगों और वाहनों को चलाने के लिये बायो गैस, सौर ऊर्जा और ऐसे ही गैर परंपरागत ईधन को खोजना होगा जिससे पेट्रोलियम पदार्थो को बचाया जा सके।

8. **जनता को जागरूक बनाना -** जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने के लिये आम जनता को जागरूक बनाना आवश्यक है। ताकि प्रत्येक परिवार और व्यक्ति इस समस्या को हल करने के लिये अपना योगदान दें।

9. **स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता करें-** ग्रीन पीस तथा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) जैसी स्वयं सेवी संस्था द्वारा आरंभ किये गये कार्यक्रमों में सहयोग और भागीदारी की जाना चाहिए। जैसे इस वर्ष 19 मार्च शनिवार को शाम 8.30 से 9.30 बजे तक रखे गये अर्थ अवर कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए जिसमें प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में एक घंटे के लिये सभी कृत्रिम प्रकाश ऊर्जा के स्त्रोतो का उपयोग बंद कर के ऊर्जा की बचत और वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाई जाती है

10. **जल स्त्रोतों को प्रदूषित न करें।**

11. **कीट नाशकों का उपयोग न करें,**

12. **ऑर्गेनिक वस्तुओं का उपयोग करें।**

13. **पॉलिथीन, कागज, कपड़ो को रिसाइकल करे केवल एक उपयोग के बाद न फेंकें।**

14. **जल तथा बिजली की बचत करें।**

परिवार द्वारा उपरोक्तिक उपायों के द्वारा जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन-

जलवायु परिवर्तन तथा उससे होने वाले प्रभावों के बारे में छात्राओं की जागरूकता संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु बी.एस.सी. प्रथम वर्ष की पचास छात्राओं का चयन किया गया और उनसे प्रश्नावली से जानकारी प्राप्त की गई।

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि जलवायु परिवर्तन के बारे में केवल 30 प्रतिशत छात्राऐं ही जानकारी दे सकी, इनमें से 24 प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग, 20 प्रतिशत वायु प्रदूषण, 16 प्रतिशत बाढ़ आना, 12 प्रतिशत सूखा पड़ना तथा 8 प्रतिशत जल प्रदूषण को जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानती है। **(देखे अगले पृष्ठ पर)**

जलवायु परिवर्तन के कारण के रूप में 74 प्रतिशत वनों की कटाई, 12 प्रतिशत पर्यावरण प्रदूषण, 10 प्रतिशत औद्योगीकरण एवं 4 प्रतिशत जल एवं बिजली के अपव्यय को मानती है।

जलवायु परिवर्तन के कारणों के बारे में छात्राओं की जानकारी (देखे अगले पृष्ठ पर) - जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु व्यक्ति तथा परिवार के सहयोग के लिये 18 प्रतिशत छात्राऐं वृक्षारोपण, 14 प्रतिशत वाहन प्रदूषण पर रोक, 10 प्रतिशत सौर ऊर्जा का उपयोग, 8 प्रतिशत पॉलीथीन के उपयोग पर रोक, 6 प्रतिशत जल की बचत तथा 4 प्रतिशत ईको फ्रेण्डली वस्तुओं का उपयोग करना चाहती है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले किसी भी संगठन या स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी छात्राओं को नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में विज्ञान स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं को बहुत ही कम जानकारी है। अत: यह आवश्यक है कि, जलवायु परिवर्तन के कारणों परिणामों और उसके हानिकारक प्रभावों के संबंध में छात्राओं को पर्याप्त जानकारी दी जाऐ। बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष के पाठयक्रम में पर्यावरण विषय के अंतर्गत यह जानकारी दी जाती है, परंतु प्रस्तुत अध्ययन बी.एस.सी. प्रथम वर्ष की छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। अध्ययन द्वारा स्पष्ट हुआ कि इन छात्राओं को जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, जबकि वे विज्ञान संकाय की छात्राऐं है। इस प्रकार हम कह सकते है कि, छात्राऐं केवल पाठयक्रम में सम्मिलित विषयों की ही जानकारी रखती है। जलवायु परिर्वतन जैसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के विषय के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में छात्राओं की जानकारी

Effect of Climate Change			
S. No.	Effect	Nos.	%
1	Global warming	12	24
2	Air pollution	10	20
3	Flood	9	18
4	Drought	6	12
5	Water Pollution	4	8
6	No Answer	9	18
		50	100

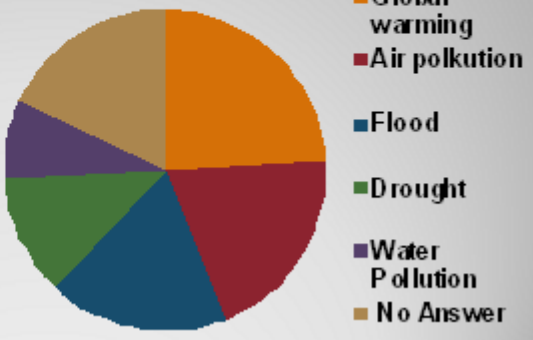

जलवायु परिवर्तन के कारणों के बारे में छात्राओं की जानकारी

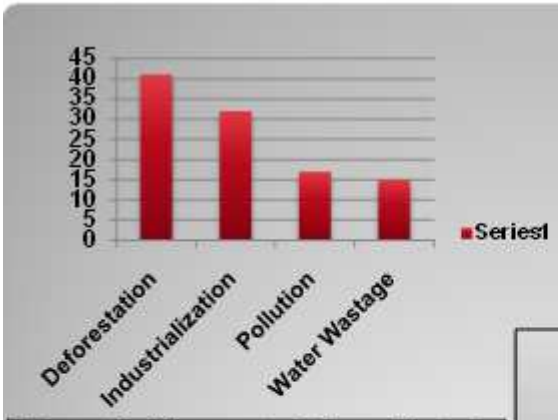

Causes of Climate Change			
S. No.	Effect	Nos.	%
1	Deforestation	41	39.05
2	Industrialization	32	30.48
3	Pollution	17	16.19
4	Water Wastage	15	14.29
		105	100

Preventive Measures to Reduce Effect of Climate Change			
S. No.	Effect	Nos.	%
1	Plantation	45	29.80
2	Pollution Control	37	24.50
3	Use of Solar Energy	26	17.22
4	Less use of Plastic	21	13.91
5	Water Conservation	18	11.92
6	Use of Eco Friendly Goods	4	2.65
		151	100

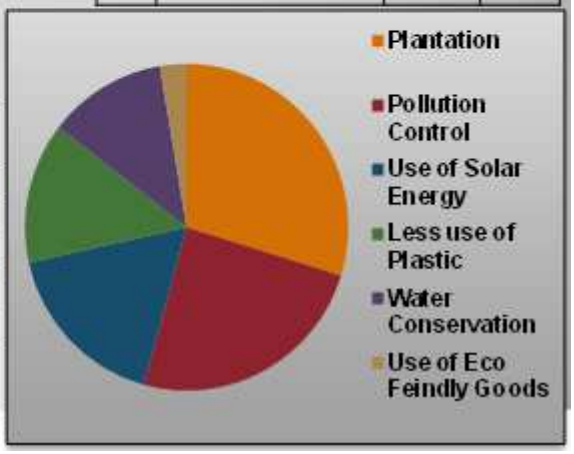

****

ग्रामीण समाज एवं आधुनिक संचार माध्यम (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

डॉ. सीमा रजा *

प्रस्तावना – वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। समय परिवर्तन के साथ तेजी से न केवल शहरी क्षेत्रों में वरन् ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक संचार माध्यम ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 'संचार से तात्पर्य ज्ञान, विचार, सुचनाओं और भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य सम्पन्न होता है। वर्तमान में संचार का जितना महत्व है पहले कभी नहीं रहा इसका प्रमुख कारण है पहले कभी इतनी अधिक व्यक्तियों को इतनी अधिक बातों को, इतने कम समय में जानने को आवश्यकता महसूस नहीं हुयी। आज प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति नई बातों विचारों, अनुसंधानो, देश दुनिया की खबरे क्षण भर में जानने को आतुर रहता है। संचार की आधुनिक देन ने ग्रामीण जीवन को भी झकझोर दिया है। इन साधनों के माध्यम से ग्रामीण जीवन में पहुँचने का फासला बहुत कम होता जा रहा है। आधुनिक संचार माध्यम ग्रामीण जीवन के विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहे है।

भारत की संख्या 627 मिलियन है जो कि कुल जनसंख्या की लगभग 75 प्रतिशत् है। वर्ष 2011 में बढ़कर 6,40,867 हो गई। भारत की ग्रामीण आबादी विश्व की जनसंख्या का 12 प्रतिशत् है। वर्तमान में ग्रामीण समाज का स्वरूप तेज रफ्तार से बदल रहा है। भारत के 67 प्रतिशत् गाँव सड़को से जुड चुके है एवं 60 प्रतिशत् बिजली का उपयोग करने लगे है। आधुनिक संचार माध्यम से दुनिया मुठ्ठी में आ गई है। प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि–

उद्देश्य –

1. ग्रामीण समाज पर आधुनिक संचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ रहा है।
2. ग्रामीण जनता में संचार माध्यमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
3. संचार के माध्यमों का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण समाज के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या परिवर्तन घटित हो रहा है।

उपकल्पना –

1. ग्रामीण समाज के जीवन पर आधुनिक संचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ रहा है।
2. क्या ग्रामीण जनता के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को संचार माध्यम प्रभावित कर रहे है, इस तथ्य को ज्ञात करना।

अध्ययन पद्धति – अध्ययन पद्धति के रूप में सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया। द्वैतियक स्त्रोत के रूप में पत्र, पत्रिकाएँ, सरकारी अभिलेखों, आँकड़ो, का प्रयोग किया गया निर्देशन पद्धति के आधार पर 40, ग्रामीण परिवारों का चुनाव किया गया एवं विभिन्न तथ्य एकत्रित किए गए। प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन हेतु कुछ महत्व पूर्ण बिंदुओं का चुनाव किया गया –

जीवन शैली पर प्रभाव – आधुनिक संचार क्रांति ने ग्रामीण जनता की जीवन शैली उपभोग प्रवृत्ति पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि 70 प्रतिशत् ग्रामीण परिवार मोबाइल का उपयोग करता है मिट्टी के घरों में भी मोबाइल की घंटी ने दस्तक दी है। इन परिवारों में रेडियों की जगह अब टी. वी. ने ले ली है 85 प्रतिशत् ग्रामीण परिवार में टी. वी. है जिसमें घर बैठे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान प्राप्त कर रहे है। टी. वी. के विज्ञापनों का प्रभाव बच्चे से लेकर बूढ़े तक पर पड़ रहा है। दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तु 96 प्रतिशत् व्यक्ति वे विज्ञापन देखकर खरीदते है। यह आधुनिक संचार साधनों का ही करिश्मा है कि ग्रामीण जनता भी ब्रान्डेड वस्तु का उपभोग करने पर आमदा है। पिछले दशक में संचार सुविधाओं ने 26 गुना प्रगति की है। 2011 में 219 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग कर रहे है।

शिक्षा के क्षेत्र पर प्रभाव – ग्रामीण जनता को जागरूक करने में संचार सुविधाओं ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन परिलक्षित होता है। सर्वप्रथम संचार में पत्रकारिता के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता का आगमन हुआ प्राय: 60 प्रतिशत ग्रामीण जनता विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का वाचन करते है। दैनिक भास्कर उनका प्रिय समाचार पत्र है। संचार के आधुनिक साधनों ने ग्रामीण जनता की मानसिकता को भी प्रभावित किया है। उनका रूझान शिक्षा के प्रति बढ़ा है।

दूरदर्शन, कम्प्यूटर और फिल्म आदि संचार माध्यम के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे है। इंटरनेट की दुनिया से घर बैठे विश्व के किसी भी कोने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 35 प्रतिशत् ग्रामीणों के यहाँ कम्प्यूटर एवं 15 प्रतिशत् के यहाँ नेट कनेक्शन है। 10 प्रतिशत् विद्यार्थी कम्प्यूटर इंजीनियर बनकर विदेश में नौकरी करने का सपना बुन रहे है। अधिकांश महिला, पुरूष व बच्चे इंफरमेशन टेक्नालॉजी के आधारभूत साधनों से परिचित है।

सामाजिक जीवन पर प्रभाव – संचार माध्यमों का ग्रामीण समाज पर भी प्रभाव पड़ा है, ग्रामीण जनता अब बहुत जागरूक हो रही है। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। 40 प्रतिशत् ग्रामीण समाज के युवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से अपनी विचार व भावनाएँ प्रेषित करते है।

संचार साधनों ने जहाँ ग्रामीण समाज के युवाओं में सकारात्कता एवं चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहाँ दूसरी ओर इसका भयावह स्वरूप भी सामने उभरकर आया, उदाहरण स्वरूप – मोबाइल हैक

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) सरोजनी नायडू स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

करना, एम. एम. एस. बनाना और भेजना, पासवर्ड हैक करना, अश्लील एम. एम. एस. बनाकर ब्लैक मेल करना। ये गंभीर समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही है।

कृषि के क्षेत्र पर प्रभाव – आधुनिक युग की देन सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण जनता को कृषि क्षेत्र में हुआ। अब किसान परम्परागत लीक से हटकर आधुनिक साधनों का प्रयोग कर नित नये प्रयोग अपना कर समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। 85 प्रतिशत् परिवार विज्ञापन देखकर, उन्नत तरीके की खेती हेतु बीज, विभिन्न कृषि उपकरणों, खाद का उपयोग करते हैं संचार सुविधायें एवं सुचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र व्यापक होने के कारण किसान अब अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत कर लेते हैं।

नैतिक मूल्य एवं आचरण पर प्रभाव – वर्तमान में संचार क्रांति युग ने संपूर्ण विश्व को चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। नेटवर्क, प्रिन्ट मीडिया कम्प्यूटर फिल्म आदि का मानव के मानस पटल एवं नैतिकता पर गहरा प्रभाव डाला है। युवा पीढ़ी पर इसका प्रभाव अधिक दिखायी देना है। अश्लील चित्र, वीडियों, एम एम एस आदि का नकारात्मक प्रभाव ग्रामीण युवाओं पर भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। युवा पीढ़ी के नैतिक मूल्यों का तीव्रता से पतन हो रहा है एवं उनके चरित्र आचरण पर दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। चरित्रवान एवं संस्कारवान युवाओं का प्रतिशत् बहुत कम हो रहा है।

निष्कर्ष – सर्वेक्षण के माध्यम से किए गए अध्ययन यह प्रमाणित करते है कि ग्रामीण समाज पर भी आधुनिक संचार साधनों का गहरा प्रभाव पड़ रहा है।

1. परिकल्पना के अनुरूप यह पाया गया कि संचार क्रांति का ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्र यथा सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, कृषि एवं जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा है।
2. संचार माध्यमों का ग्रामीणों के मन मस्तिष्क पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दिखायी देता है।
3. इस नवीन क्रांति से ग्रामीण युवाओं के भी नैतिक मूल्य एवं आचरण का पतन हुआ है।
4. सूचना प्रौद्योगिकी से कृषि के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है।
5. ग्रामीण युवा परम्परागत व्यवसाय कृषि का छोड़कर शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो रहे है।
6. संचार माध्यमों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर देखा जा रहा है।

सुझाव –

1. संचार के भयावह रूप से जुड़े अपराध से लड़ने के लिए कानून बनाये गए है।
2. संचार साधनों के माध्यम से दिखाए जाने वाले अश्लील चित्र, वीडियो पर सख्त नियंत्रण हो।
3. शासन द्वारा कठोर दंड व जुर्माना का प्रावधान किया जाए।
4. अभिभावकों एवं शिक्षकों को संचार साधनों के सरकारात्मक पक्ष को समझाना चाहिए।
5. स्कूल एवं कॉलेज में नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देकर अनिवार्य किया जाना चाहिए।
6. शैक्षणिक संस्थाओं में मोबाइल प्रतिबंधित हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रो. हरिमोहन – सूचना प्रौद्योगिकी और जनमाध्यम तक्षशिला प्रकाशन 23/467, अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली– 110002
2. Information technology Wiki pedia
3. प्रो. रमेश जैन – जनसंचार एवं पत्रकारिता, मंगलदीप पब्लिकेशन जयपुर, संस्करण प्रथम – 2003
4. त्रिभवननाथ शुक्ल – सम्प्रेषण एवं संचार, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, संस्करण प्रथम – 2011
5. आर. सी. श्रीवास्तव – प्रसार एवं संचार शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट खजूरी बाजार, इंदौर – प्रथम संस्करण 2009
6. Wiki pedia>Wiki> – संचार माध्यम।

****

A Comparative Measurement of Service Quality : Public Sector Vs Private Sector Banks

Dr. Shefali Tiwari *

Abstract - All organizations whether it is manufacturing or service encounter difficulties in attaining 'Quality'. Service delivery and customer delight is probably one of the most debatable issues gripping the banking industries in our country. Recent years have witnessed increased emphasis on the service quality issues and great deal of attention in the area has focused on the financial services industry, since the banking environment is becoming increasingly competitive. Quality in financial services sector has gained paramount importance by increasing marketing profile of bank branch operations over time. Customers have started considering service features to make buying decisions.
Keywords - Service Quality, Technical Quality, Functional Quality, Environmental Quality.

Introduction - During the last few decades' extensive work has been done to identify and solve quality problems in manufacturing sector. With increasing competition, the product characteristics are becoming difficult to differentiate. Customers have started considering service features to make buying decisions. Furthermore, the products offered by banks are essentially the same and the cost structure is also quite equal. The product can also be copied easily& quickly, so competition based on innovation is difficult. By stressing certain aspects of its service (s); each bank can create a good image in the marketplace. Managing Service Quality is related to moments when the service supplier and customer come face to face. This moment, which often referred to as 'the moment of truth' is also 'moment of possibilities' since the supplier can really convince the customers of service excellence. Improving the quality service depends upon getting the right balance between techniques and methods for improving the processes and system, staff attitudes, behavior and service culture**.**

Literature Review - Previous researches have identified various critical factors that affect the service quality in financial services. Oslen (1992) in his survey-based report identifies the three dimensions of service quality, which are design quality, production quality and the process quality. According to Gronroos the experienced quality consists of two dimensions technical quality and functional quality. Lehtinen suggested that the level of process quality achieved would depend on the way in which both service provider and service taker participate in a service delivery, i.e. on their participation style. If their participation style is complementary, process quality is likely to be high. Parasuraman, Zeithaml and Berry identified four key internal short falls or GAPS that could contribute to the poor quality or service as perceived by the customer. Their findings were developed into a conceptual model. Kelley, Skinner and Donnelly (1990), empirically assessed the participatory role of customers in the service provision process, found that there is a substantial, identifiable and managerial useful market segment of service customers that are willing to participate in the service provision process. Objectives of the Study - The study intends to comparatively measure the service quality across the two banking sectors- Public sector and Private Sector Banks with the use of Rust & Oliver Model (1994). The study is limited to some commercial banks in Indore. It will be done by analyzing their scores as against the various service quality dimensions used in Rust & Oliver Model (1994).

The main objectives of the study are: -

1. To study the actual level of service quality among the Public Sector Banks in Indore.
2. To study the actual level of service quality among the Private Sector Banks in Indore
3. To find whether difference in service quality persists between the two sectors.
4. If difference exists then make a comparison of the degree of service quality between Public Sector & Private Sector Banks in Indore.

Research Methodology - It is an exploratory study. The study is based on primary data obtained through a well-designed questionnaire. The questionnaire consisted of 21 service quality statements. 7 questions were based on Technical Quality, 9 were based on Functional Quality, 5 were based on Environmental Quality.

Sample Size - The sample consists of 150 respondents who are the customers of different commercial banks in Indore. 75 respondents are from the Public Sector Banks & 75 respondents are from Private Sector Banks. The four Public Sector and Private Sector Banks are selected on the basis of highest market share in Indore for the year 2015.The

* **Professor (Business Management) Shri Raojibhai Gokalbhai Patel Gujarati Professional Institute of Management and Research, Indore (M.P.) INDIA**

selected Public Sector Banks are State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Bank of India. The selected Private Sector Banks are ICICI Bank, IDBI Bank, HDFC Bank, UTI Bank

Hypotheses:

H_0: There is no significant difference in Service Quality of Public sector and Private Sector Banks.

The above stated hypothesis deals with the overall service quality of Public sector & Private Sector Banks. The overall service quality can be further divided into various parameters; therefore three sub hypotheses have been set up.

H_{01} : There is no significant difference in Technical Quality offered by Public sector & Private Sector Banks

H_{02} : There is no significant difference in Functional Quality offered by Public sector & Private Sector Banks.

H_{03} : There is no significant difference in Environmental Quality offered by Public sector & Private Sector Banks.

Three Component Service Quality Model (Rust & Oliver Model, 1994) is used for analysis. The analysis of service quality standards in the study can be done on two levels. Firstly, the average score of each bank and their scores against each service quality parameters/dimension are studied. Secondly, for testing the sub hypotheses, Chi-square test is applied.The overall perception of service is based on the customer evaluation of three dimensions of the service encounter. They are:

A. The out come (service product) also called **Technical Quality** (TQ). This measure the product quality offered and relates to the tangible benefits, which directly affect the bank customer. For example various types of schemes, interest rate charged etc.
B. The customer –employee interaction, called **Functional Quality** (FQ). This aspect refers to service delivery of the staff to the bank customer. For example transaction & delivery time, error free job etc.
C. The service environment, called the **Environment Quality** (EQ). This refers to tangible and intangible infrastructure that supports service delivery. For example ambience, number of transaction processing terminals, waiting time, comfort etc.

Analysis of Data and Findings - The average scores for each sector for each parameter is calculated which are mentioned as below:

Performance of Public Sector Banks - The total service quality score of Public Sector Banks is 36.48

Technical Quality (Product Quality) - The mean score for Technical Quality for Public Sector Banks operating in Indore is 10.52.This indicates that Public Sector Banks are moving towards the upper limit of the favourable expected score.

Functional Quality (Service Delivery) - Once again the score of Public Sector Banks tends towards the upper limit of the favourable expected score i.e. 10.

Environmental Quality (Service Quality) - The Public Sector Banks have crossed the limits of favourable score i.e. 13.92 which means that there is a great need for improvement in the environmental quality.

Performance of Private Sector Banks - It is perceived to be conducting satisfactory with above average score of 28.32.

Technical Quality - The Private Sector Banks have performed better than the Public Sector Banks and scored a mean of 10.

Functional Quality - The service quality delivery is quite satisfactory with the actual mean score of 9.16.

Environmental Quality - The Private Sector Banks have a cumulative score of 9.16.Though it is very close to the upper limit but if we compare them with the Public Sector Banks then definitely Private Sector Banks are superior to Public Sector Banks. The overall scores are mentioned in Table 1.

Table 1: Overall scores of Public Sector and Private Sector Banks:

Quality Dimensions	Favourable Expected Scores	Actual Score	Actual Score
		Public Sector Banks	Private Sector Banks
Technical Quality	7—14	10.52	10
Functional Quality	9—18	12.04	9.16
Environmental Quality	5—10	13.92	9.16
Total Service Quality	21-42	36.48	28.32

The Results of Chi Square Test - The results of chi square test to find whether difference in different parameters of service quality for Public sector and Private Sector Banks existed are as follows:

Table 2 (See in next page)

Discussion and Interpretation

Performance of Public Sector Banks - The mean score for Technical Quality for Public Sector Banks operating in Indore is 10.52.This indicates that Public Sector Banks are moving towards the upper limit of the favorable expected score. Technical quality refers to technical ability or know how a company possesses. The technical quality would be improved by honing the technical skills of service personnel or by increased use of modern technology, and insuring satisfying service encounters. Success is not possible only through technology. The score for functional quality of Public Sector Banks tends towards the upper limit i.e. 10.These banks have scored good in “error free processing “ but are lagging behind in “waiting time” .The “knowledge level of the staff” is also not contemporary. Sometimes employees are not available at the counter. Functional quality is subjective assessment comprising attitudes, internal relations, behavior, service mindedness, appearance, accessibility and customer contacts. There are a number of ways by which the service performance could be improved, for example, the provision of role clarity in the job descriptions and quality standards .The customers should be informed about their roles in service delivery so that they can derive the greatest benefit from the service provider. Internet will not replace the other channels of interaction with the customer. Alignment of technology, human resource management and strategy are very essential for the success of banking. For

Environmental Quality the Public Sector Banks have crossed the limits of favourable score i.e. 13.92 which means that there is a great need for improvement in the environmental quality. Environmental Quality is observed to score least on availability of adequate parking space, computerization, location of banks branches and the number of processing terminals.

All the four banks have performed relatively better on the product quality (Technical Quality) dimension. The service delivery (Functional Quality) is still far from satisfactory level and the environmental quality is also not very satisfactory.

Performance of Private Sector Banks Sector Banks - It is perceived to be conducting satisfactory with above average score of 28.32. The Private Sector Banks have performed better than the Public Sector Banks and scored a mean of 10 for technical quality. Still there is scope of improvement in their service products like interest paid on deposits and locker facilities. The service quality delivery is quite satisfactory with the actual mean score of 9.16, which is very appreciable because it is tending towards the lower limit of favourable expected score. They are performing very well in fields like low waiting time, bank staff is superior in terms of knowledge efficiency and are helpful and prompt in taking up the customer complaints. The Private Sector Banks have been successful in providing hassle error free processing. Although these banks have introduced a variety of deposit and loan products still they have to innovate wide range of services in addition to present day services. Further the potential segments which many banks have not explored so far are self-employed people and housewives must be tapped exhaustively. Self-employed people due to lack of proper identity are still borrowing at a higher rate and banks are not assessing the credit risk premiums properly. For Environmental Quality, the Private Sector Banks have a cumulative score of 9.16.Though it is very close to the upper limit but if we compare them with the Public Sector Banks then definitely Private Sector Banks are superior to Public Sector Banks. The banks have concentrated on their ambience and parking space, as compared to Public Sector Banks. The computerization and the number of processing terminals are perceived to be superior to the Public Sector Banks.

Conclusion - The study has revealed that the Private Sector Banks and Public Sector Banks operating in Indore have a considerably good service quality. The study suggests that there is no significant difference in the service quality of Public Sector Banks as well as Private Sector Banks on all the three parameters of service quality that is technical, functional and environmental quality. However, the Public Sector Banks, which have wider market share in Indore region, have failed to adequately satisfy their customers on some fronts like various products, ambience & parking space. On the other hand, there is a close neck to neck competition between Public sector and Private Sector Banks for capturing the largest market share by providing excellent services. The study has achieved three important objectives. First, it consolidates multiple service quality conceptualizations into a single measuring framework. Secondly, it probes into the customer's perceptions of the service quality in Indore. Thirdly, the study has measured service quality in banks under three established components (TQ, FQ and EQ) of service.

References :-

1. Gronroos, (1984), "A Service Quality Model and its Marketing Implications", European Journal of Marketing, Vol.18, pp 36-44.
2. Kelley, S.W., Donnelly, J.H., Skinner, S.J. (1990), "Customer Participation in Service Production and Delivery", Journal of Retailing,Vol.66,No.3,pp 315-35.
3. Mukherjee, A., Nath, P., Pal, M.(2003), "Resource, Service Quality and Performance Triad: A Framework for Measuring Efficiency of Banking Services", Journal of the Operational Research Society ,Vol.54(7), pp .723-735.
4. Oslen, (1992),"Going Back to the Basics-Rethinking Market Efficiency", Discussion Paper by O & A Research Group.
5. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1994), "Reassessment of Expectations as a Comparison Standard in Measuring Service Quality: Implications for Further Research", Journal of Marketing, Vol. 58, pp.111-24.
6. Rust, R.T., Oliver, R.L. (1994), "Service Quality: Insights and Managerial Implications from the Frontier", in Rust, R.T., Oliver, R.L. (Eds), Service Quality: New Directions in Theory and Practice, Sage Publications, London, pp.1-20.

Table 2: Results

Dimension	Hypotheses	Chi Square value (Calculated)	Chi Square value(table) @5 % LOS	Accept/Reject
Technical Quality	H_{01}	0.024	7.815	Accepted
Functional Quality	H_{02}	1.55	7.815	Accepted
Environmental Quality	H_{03}	5.86	7.815	Accepted

****

Forensic Accounting : A New Concept Of Fraud Auditing In Indian Context

Dr. Nuzhat Sadriwala *

Abstract - Numerous financial frauds from past and beginning of the century as well as appearance of global financial and later economic crisis have brought to the fore the relevance and reliability of financial information. Forensic accounting has come into limelight due to rapid increase in financial frauds and white-collar crimes. But, it is a largely untraded area in India. Opportunities for forensic accountants are growing fast; they are being engaged in public practice and are being employed by insurance companies, banks, police forces, government agencies, etc. Forensic accountants are involved in recovering proceeds of crime and in relation to confiscation proceedings concerning actual or assumed proceeds of crime or money laundering. Aim of paper is to discuss frauds and omissions as the causes of inaccurate financial statements, control mechanisms and institutions responsible for investigating frauds as well as role and importance of forensic accounting and a forensic accountant in detecting frauds in financial statements. It also discusses need of forensic accounting in India. Forensic accounting is hardly a new field, but forensic accountants are in great demand, with the public need for honesty, fairness and transparency in reporting increasing exponentially.

Introduction - Forensic Accounting (F.A.) is a specialized area of accounting practice that describes engagements which result from actual or anticipated disputes or litigation. The word "*forensic*" means "suitable for use in court. It is specialty practice area of accounting that describes engagements, which result from real or anticipated litigation. Broadly, these engagements fall into one of three categories: economic damages, assurance as to fraud in accounts or inventories or the presentation thereof, and business valuation. It is a gross area of operations of which fraud examination is a small part. Integration of accounting, auditing and investigative skills creates the specialty know as F.A. Activities carried out by forensic accountants involve:

1. Investigating and analysing financial evidence.
2. Developing computerised applications to assist in analysis and presentation of financial evidence.
3. Communicating their findings in form of reports, exhibits and collections of documents.
4. Assisting in legal proceedings, including testifying in courts, as an expert witness and preparing visual aids to support trial evidence.

Literature Review - The body of forensic accounting literature that has emerged since the 1990s has mirrored changing scope of concerns about this topic. A number of articles focused on increasing demand for accountants to conduct forensic accounting activities and on the broadening definition of forensic accounting away from a narrow fraud detection definition **(Cohen, Crain, & Sanders, 1996; Baron, 2006; Wells, 2003).** The educational literature focused on descriptive studies of university offerings. Some universities integratedfraud or forensic accounting in accounting curriculum while others offered individual fraud orforensic accounting courses and/or entire fraud accounting programs **(Buckhoff& Schrader, 2000; Peterson&Reider, 2001). Joshi (2003)** ascribed origination of forensic accounting to Kutilya, first economist to openly recognize need for forensic accountant. **Zysman**(2001) put Forensic accounting as integration of accounting, auditing, and investigative skills.

Coenen (2005) stated that forensic accounting involves application of accounting concepts and techniques to legal problem. It demands reporting, where accountability of fraud is established and the report is considered as evidence in court of law.

DeGabriele (2008) extended these studies by surveying accounting academics, forensic accounting practitioners and users of forensic accounting services to further define relevant skills of forensic accountants.

Objectives Of The Study

1. To study evolution of fraud examination in India.
2. To know types of Frauds prevailing in India
3. What worries India the most?
4. To evaluate the needs and composition of the services of forensic accountant.

Data Collection - The paper is based on secondary data and some discussion with eminent persons in corporate sector. The study is primarily qualitative in nature and do not use any quantitative tool to analyze the data. It has been conducted mainly on basis of literature survey and secondary Information. Various journals, newspaper and magazines articles have also been referred.

Evolution Of Fraud Examination In India - In India Kautilya was the first person to mention forty ways of embezzlement in his famous Kautilyaarthashastra during the Mauryan Times. The research is triggered in India with a great speed and PradeepAkkunoor pioneers the topic and has done a good research about contribution of Kautilya in Forensic accounting. Birbal was the Scholar in the time of King Akbar. He used various tricks to investigate various crimes. Gem of Indian Fraud Examiners, ChetanDalal can

* Guest Faculty, Department of ABST, UCCMS, MLSU, Udaipur (Raj.) INDIA

be credited with actually applying the stories of Birbal to Investigation of frauds. In articles published in BCAS Journal he explained how Birbal's trap and Birbal's Litmus test approaches are significantly used while investigating the accounting frauds.

Frauds Hub In India - Mumbai was king of the financial frauds.

1. **Harshad Mehta**: Loss caused to State Bank of India was more than Rs.5.5 Billions.
2. **Ketan Parekh**: Loss caused to Bank of India was Rs. 1.3 Billions.
3. **Sanjay Seth**: Home Trade scam amounted to Rs. 6 Billions.

All the big ticket financial scandals such as Harshad Mehta, Ketan Parekhand Sanjay Seth were committed from Mumbai city. Since it is the financial capital of the country. But surprisingly the nation hubs of frauds have changed. Over a period the technology changed and even hub ofthe frauds. It is transformed from Mumbai to Pune. Though Bangalore leads the competition of becoming the silicon valley of India. Pune has surpassed Bangalore, Mumbai and all other cities in cybercrimes. Pune BPO, Webcam Kulkarni ,Swimming Tank Webcam and thousands of credit card frauds are the few to mention. All these frauds won the medal for Pune police for its efficiency.

Types Of Fraud: Indian Worries - Nature of frauds is changing worldwide and everyone is worried about the crimes committed with the aid of technology. Though two separate options were given to participants in the form of BPO frauds and Cyber frauds but not a single participant was worried about these kinds of frauds, since these are new birth frauds. Surprising facts showed that Occupational Fraud worries Indian auditors the most. More than 45% of the surveyed participants confirmed that Occupational fraud is the severe disease in financial world. Over 30% of the participants voted in favor of bank frauds. Sequential failures of Co-operative banks, political involvements in co-operative banks, failure of GTB are some instances that support the fear of common auditor about Bank Frauds.

Unfortunately, it is an unexplored area in India. Presently, lawyers and police force, insurance companies, government and regulatory bodies, banks, courts and business community are increasingly utilizing services of forensic accountants in Western countries. Accounting professionals possess skills to venture into forensic accounting and auditing arena but we must have the correct mindset to venture into the emerging field.

(See Graph 1 in next page)

Need For Forensic Accountant - F.A. has to analyse, interpret, summarise and present complex financial and business-related issues for investigation. Their services are required in following areas:

1. **Detection of fraud committed by employees -** Where employee indulges in fraud ,F.A. detect fraud, trace asset created out of fund-embezzlement, gather and review evidence, and interview employee alleged to have embezzled the funds.
2. **Criminal Investigation -** In case of financial implications, their services are availed of by investigation department, law society, etc. The report of an accountant is very much useful in preparing and presenting evidence.
3. **Settlement for outgoing partner -** When the retiring partner feels that he has been unjustly settled with, he can challenge the settlement with the help of a forensic accountant, who can correctly assess the value of assets and liabilities due to his client.
4. **Cases relating to professional negligence -** In case of breach of GAAS or auditing practices or ethical codes of any profession, they quantify loss resulting from such professional negligence or deficiency in service.
5. **Arbitration service -** F.A. render arbitration and mediation services for business community, since they undergo special training in area of alternative dispute resolution.
6. **Facilitating settlement regarding motor vehicle accident -** Well acquaintance with intricacies of laws relating to motor vehicles, and other relevant laws in force, their services become indispensable in measuring economic loss when a vehicle meets with an accident.
7. **Settlement of insurance claims -** Insurance companies engage forensic accountants to have an accurate assessment of claims to be settled. Similarly, policyholders seek help of a F.A. when they need to challenge claim settlement as worked out by insurance companies. They handle claims relating to consequential loss policy, property loss due to various risks, and other types of insurance claims.
8. **Dispute settlement -** Business firms engage F.A. to handle contract disputes, construction claims, product liability claims, liability arising from breach of contracts etc.
9. **Matrimonial dispute cases -** They entertain cases pertaining to matrimonial disputes wherein their role is merely confined to tracing, locating and evaluating any form of asset involved.

Industry Wise Composition Of Forensic Accountants In India - As it is evident from the graph, Big four accounting firms absorb most of the fraud examiners in the country. The proportion of big four absorbing fraud examiner in India is 16%. Also 19% prefer to practice something of their own after completion of the Certification. It opens new avenues for fraud examiners.

As many as 14% (software companies + HP) are in the field of InformationTechnology. Hill associates; Lancer Network and EXL are the great surprises on this front, which contributes 2% each to the community of fraud examiners.

(See Graph 2 in next page)

Conclusion - Forensic accountants are currently in great demand, with the public need for honesty, fairness and transparency in reporting increasing exponentially. They need accounting, finance, law, investigative and research skills to identify, interpret, communicate and prevent fraud. As more and more companies look for forensic accountants and professional organizations offer certifications in the area, it is becoming evident that the forensic accountant has a skill set that is very different from an auditor or a financial accountant.It's demanded due to rapid increase in white-collar crimes and the belief that our law-enforcement agencies do not have sufficient expertise or the time needed to uncover frauds. A large global accounting firm believes the market is

sufficiently large to support an independent unit devoted strictly to 'forensic' accounting. All of the larger accounting firms, as well as, many medium-sized and boutique firms have recently created forensic accounting departments. As F.A. is relatively a new area of study, a series of working definitions and sharing of corporate experiences should be undertaken & encouraged to ensure a common understanding. On account of global competition, accounting profession must convince the marketplace that it has "best-equipped "professionals to perform such services.Forensic accountants are also increasingly playing more 'proactive' risk reduction roles by designing and performing extended procedures as part of the statutory audit, acting as advisors to audit committees, and assisting in investment analyst research.Therefore, 'forensic' services require 'specialized' training as well as real-life 'practical' corporate experience.

References :-

1. B. N. Tandon, "Practical Auditing", S. Chand and Co. Ltd., New Delhi, reprint edition 1991.
2. Baron, Laura. (2006). CPAs Are a Hot Commodity. Journalof Accountancy, v. 201, issue 2.
3. Buckhoff, T., and Schrader, R. (2000).The Teaching of Forensic Accounting in the United States, Journal of Forensic Accounting, v. 1, p. 135.
4. Coenen, T.L. (2005), "Forensic Accounting", A new twist on bean counting",Tracy@sequence-inc.com.
5. Cohen, M., Crain, M. A. Sanders, A. (1996). Skills Used in Litigation Services. Journal of Accountancy, v. 182, i. 3, p. 101.
6. Crumbley, D. Larry (2009).Journal of Forensic Accounting, www.rtedwards.com.journals/JFA/evidentiary.html, January 9.
7. Joshi, M. S. (2003), "Definition of Forensic Accounting" www.forensicaccounting.com.
8. Peterson, B., and Reider, B. (2001). An Examination of Forensic Accounting Courses: Content and Learning Activities. Journal of Forensic Accounting, v. 2, p. 25.
9. Satyanarayan, T. (2005): Forensic Accounting and Corporate Ill. The Chartered Accountant Vol. 53, No. 8.
10. Wells, J. (2003). The Fraud Examiners: Sleuthing Careers Bring CPAs Personal and Professional Satisfaction, Journal of Accountancy, v. 196, issue 4.
11. Zysman, A. (2004), "Forensic Accounting Demystified", world investigators network Transparency International Report, 2010.

Source: India forensic Research

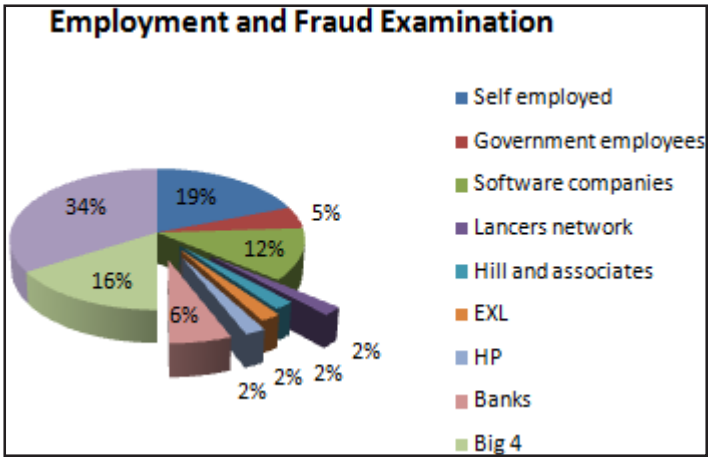

Source: India forensic Research

****

Sticks in A Bundle Are Unbreakable

Kirti Jaldhari * Dr. Suresh Katariya **

Introduction - India is a land of possibilities and in the current century we can become the leaders of the world. Not only we have large number of human resources (as we are the second largest country in terms of population) but also 65% of our population is below the age of 35 years. We have to inculcate a passion for self generation of assets and employment. People of India are hardworking and enterprising but all they need is guidance in the right direction.

Since independence the government of India has adopted various programmes to alleviate poverty and to create employment opportunities for women in rural area. The SGSY; Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojna launched in the year 1999 as an integrated rural development program for assisting rural unemployed families below poverty line to be self employed and generate assets. The program aims at social integration, skill development and generating assets through formation of SHGs(Self Help Group).

In the year 1974, Ms. Ila Bhatt started an initiative to economically empower rural women through forming of SHGs in Gujarat. These SHGs were provided with financial help at micro level and were assisted in productive activities. The same type of initiative was followed by Shri Mohd. Yunus in Bangladesh in the year 1976 where he formed various SHGs based on micro finance. This movement achieved a considerable success in empowering women, alleviating poverty and revival of cottage and small scale industries. These efforts gained impetus internationally and Shri Yunus was felicitated with the Nobel Peace Prize in the year 2005

What is an SHG - "If you want to go fast "GO ALONE", but if you want to far "GO TOGETHER".

A self help group can be defined as an homogeneous group of rural poor people having same economic background who come together for mutual help and willingly decide to contribute towards common capital and constantly work towards improvement of standard of living.

Objectives of SHGs - Though generally the SHGs are formed to combat mutual problems with mutual help but somehow we can say that all SHGs work in pursuit of the following objectives:

1. **To help in accessing credit:** Since centuries the innocent rural population of India has been struggling in the clutches of village money lenders and once they enter the vicious circle of their credit than there is no end to their miseries. In a self help group rural people come together and contribute towards a common fund, which can be used as a source of fund and money can be borrowed at a fair rate by the group members as the needs arises.
2. **Encouraging the Banking Cult:** In the self help group certain amount is regularly deposited by the group members which promotes saving habits and from the pool of money thus created money can be borrowed at times of need of financial help. This encourages banking habits among the group members.
3. **To encourage mutual help and understanding:** Working in groups enables the people to tackle many problems. It promotes the feeling of oneness and unity, trust and teamwork among the members of the group.
4. **To develop economic, technical and value based skills:** In a slef help group the members can undertake entrepreneurial activities as they have incrsaesed capital and can access to loans provided by the government. Thus easy availability of credit improves their economic and technical skills

Stages in the formation of Self Help Groups - The SHGs go through the following stages in the course of its development:-

1. Formation, development and empowerment of the group.
2. Formation of capital through pooling of savings, availing the revolving fund and skill development.
3. Choosing the suitable economic activities for the generation of income.

Reasons for the formation of SHGs - At the dawn of 21st century India, once known as the 'golden bird' is confronted with the problems of mass unemployment, poverty and lack of capital formation. SHGs not only help in addressing these problems but also in social and economic empowerment of the deprived section of the society. Few reasons for the formation of SHGs are:

1. **Alleviation of poverty -** Formation of SHGs encourages the habit of savings and credit for self help. The members of SHGs contribute to a common pool of capital by the means of savings and this pool of capital is used for production activities which lead to further capital generation. In the due course of time this asset generation helps in alleviating poverty; and when SHGs are formed with women members, it helps in addressing the bigger issues of the economy like women empowerment through self reliance and economic independence. The economic empowerment

* Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Professor (Commerce) Govt. Girls Degree College, Ratlam (M.P.) INDIA

of women ensures a comprehensive change in the whole family.

2. Promoting Equity - With the advent of new economic reforms the inequalities of income are creating an economic divide in the country. The surveys conducted by Reserve Bank of India and National Sample Survey reveal that inequality in asset distribution is the principle cause of unequal distribution of income in the rural as well urban areas. The surveys also signify that the resource base of 50 per cent of the households is so weak that it can hardly provide them anything above the subsistence level of income. These surveys also reveal that 60 per cent of the poor rural households owned only 9.3 percent of the area operated; they had only 14 % of the cattle heads and 10 % of the wooden ploughs. Formation of SHGs encourages self help and micro finance for the generation of assets and employment within the poorer section of the society. Participation of women members in the SHGs helps in achieving the three fold aims of democracy: liberty, equity and justice and their involvement in entrepreneurial activities ensures economic and social upliftment.

3. Employment Generation - In India labour is an abundant factor and consequently it is very difficult to provide gainful employment to entire working population. The unemployment here is structural and is a result of deficiency of capital. The Indian economy lacks sufficient capital to expand its industries so that all the labour is absorbed. In the agricultural sector there is disguised or concealed unemployment which results out of heavy pressure of population on land and absence of alternative employment opportunities in villages. Formation SHGs or the concept of self employment provides a solution for both open unemployment and underemployment by encouraging entrepreneurial activities through mutual help.

4. Formation of Human Capital - The major hindrance in economic growth of our country is poor quality of human capital. Mass illiteracy gives rise to superstitions, social taboos and conservatism. The definition of human capital also includes the use of any resource that enhances productive capacity, thus besides the physical capital the knowledge and training of the population also form a part of capital. As a result, the expenditure on education, skill formation, research and improvement in health are included in human capital. Under the United Nations Development Programme(UNDP), countries have been ranked on the basis Human Development Index(HDI). This index is based on life expectancy, adult literacy, combined enrollment Ratio; first, second and Third level and real GDP per capita (Purchasing Power Parity basis)in US Dollars. It is very distressing to note that India has been ranked at No.136 on the basis of HDI in 2012 while China stands at No. 101. Formation of SHGs leads to skill development and enhances production capacities which improve the quality of human capital in the long run.

5. To improve socio-economic conditions - Formation of SHGs leads to improvement of living conditions in the due course of time. Since the members contribute their savings and have access to credit they can undertake productive activities and eventually move towards better housing, better amenities, improved intake of calories, health facilities and recreational activities.

6. To reap the benefit of Demographic Dividend - Demographic changes are taking place in India. The percentage of children (below 15 years) which was of 35.5% in the year 2001 has declined to 32.1% in 2006 and is likely to decline further to 23.3% by 2026. Consequently, the population in the working age group (15 to 64 years) is expected to increase from about 63% in 2006 to 68.4% by 2026. Demographers expect a decline in the dependency load of the population. As a consequence of the likely increase in the working age group, India will experience a demographic dividend during the next three decades. Thus promotion of self employment through formation of SHGs will help in reaping the benefit of demographic dividend.

Impact of formation of Self Help Groups - After studying the success stories of different SHGs across the breadth and length of the country, we can draw out the following impacts of SHGs especially on women members:

1. Confidence building - The participation of women members in SHGs ensures confidence building. Wile carrying out transactions with the bank, undertaking production and entrepreneurial activities, they have to take several decision, this boosts up their self confidence. This confidence helps them to voice their opinion not only in the SHG meetings and family affairs but also in the society.

2. Skill Development - Under the SGSY scheme various skill development programmes are organised for the SHGs. training is imparted in the areas of animal breeding and dairy, food processing and making of Spices, Bamboo articles, Bandhege and Batik print, Dona- Pattal, Sanitary Napkins, Detergent Powder, Lac Bengals and Toys etc. Such trainings lead to skill development.

3. Economic Empowerment - The skill development of group members help in generation of income. With an access to credit facilities the members can undertake productive activities at relatively larger scale and increase their family income. This has far reaching consequences. Not only their economic independence give them an ability to control the use of the generated income but also helps them in fulfilling their dreams of better education for their children for their brighter future.

4. Self Esteem - Studies Show that economically independent women are less prone to domestic violence and other Social malpractices. The economic independence of women discourages fatalism and acceptance of misery as a part of life. It also ensures their active role in decision like Family Planning, Education of children, buying and selling of property and family and social functions. Above all being the earning member of the family improves their self image.

5. Managerial Development - As the members of SHG women have to take several decisions individually as well as collectively regarding the control and usage of funds,

production and selling activities etc. Thus management of activities and meetings of the SHGs improve their managerial skills like planning, decision making, organizing and leadership.

6. Development of Democratic Practices - Generally the group members are from homogeneous socio-economic backgrounds, and follow democratic practices like mutual help and collective decision making in the operations of activities of the SHG. This in turn helps them to understand the working of Gram Sabha and Gram Panchayat and make them more aware citizens.

Challenges for Women Members in the development of SHGs - The Studies reveal that although women SHGs are doing well in some areas, but still there are various challenges confronting them. These are -

1. Social Challenges - In the patriarchal society like India the place of women is confined to the four walls of the house. Stepping out and organize themselves in SHGs is a big Challenge for them as there are several restrictions on their movement in the society. Limitations are imposed on their working hours, timing of work, place of work etc which hinders the operation of SHGs to the optimum level. Apart from these they have to seek help of male members of the family for the marketing of the products in the cities, Banking transactions and sourcing the raw material. Thus, this dependence on male members does not truly result in confidence building, economic empowerment and psychological changes in the mentality.

2. Problems in Sourcing the Credit - The major problem faced by the SHGs in sourcing of loan. As compared to their male counterparts women members of SHGs have lack of experience in banking transactions and are full of questions and queries. Sometimes due to extreme work pressure the bank officials do not properly respond them. It makes it difficult for them to approach the authorities due to several inhibitions. Delays in sanctioning of loans, inadequate loan amount are some of the other problems.

3. Administrative Hindrances - Due to male dominant social structure, corruption and comparative lack of administrative experience, the women members have to face s lot of administrative hindrances in approaching the authorities and thus are deprived of various encouraging schemes of the Government.

Conclusion - Micro finance through Self Help groups ahs been recognized internationally as a modern tool to combat poverty and rural development. These have emerged in order to help poor women to secure inputs like credit and other services. As a strategy for social development it places emphasis on self-reliance human agency and action. It is observed that at some places the quality of SHGs have come under stress. After studying the challenges and opportunities we can conclude that the empowerment process through SHGs is yet to make a notable impact on rural women in all aspects-economic, social and political.

References :-

1. Dutt and Sundharam Indian Economy, Gaurav Dutt and Ashwini Mahajan
2. Self Hepl Groups and Micro Finance(Concept. Challenges and Opportunities), Nidhi Choudhary, Pothi Publishers
3. Samooh Mai Arthik Vikas Avam Madhyanah Bhojan Karyakram Ka Uchit Prabandhan, CEDMAP Bhopal

Journals -

1. Far East Journal of Psychology and Business (Vol.7, May 2012)
2. Programme Evaluation Organisation (PEO) report
3. Udyamita samachar Patra(October, 2005)
4. E- News Letter, Pahal, MGSIRD Jabalpur M.P., (Vol.5, October 2011)

Websites -

1. www.Google.com
2. www.rural.nic.in

****

Impact of Information Technology on employees of the Organization

Dr. Shankar Choudhary * Rati Mishra **

Abstract - In today's world, information technology is the most valuable tool for the efficiency and success of the organization. And all the technologies followed by any organization are directly concern with the employees working in the organization. So employees are the most valuable part of any organization, and it is very important to fulfill all the basic requirements of employees. Organizations, in present trend are facing and following revolutionary changes as global competition, technological changes, demographic changes and so many other, so it becomes challenging but necessary to manage employees for the success of any organization. Organization must evaluate the impact of these changes on employees for a sound system, because employees are the foundation of any organization.
Key Words - Employees, Organization, Information Technology.

Introduction - In nowadays top leaders fully realize the power of information technology (IT) tools for reaching business targets. The utilization of IT tools help not only to fulfill defined company's goals but to optimize the work processes as well. Trends and results of the contemporary studies constantly confirm contribution of the IT tools in Human Resources (HR) area i.e. to accomplish assigned HR tasks by using the source of IT capabilities. The following paper gives a brief overview about possibilities of IT usage in HR field for measuring and tracking human capital and using the HR information system generally.

Human Resource Management can be defined as the art of procuring, developing and maintaining competent workforce to achieve the goal of an organization in an effective and efficient manner.

The survey confirms that companies use IT tools and should contain all HR processes which will sustain all parts of HR it means from "Recruit to Retire" functions within the company. The research presents that the importance of HR – IT usage is getting more and more important not only due to the fact that HR productivity increases but at the same time, the value of the organization increases, including the most important asset – Human capital.

Human Resource of the organization is the source of achieving competitive advantage because of its competency to convert the other resources as money, methods, machine & material into output. Human resource management is the personnel function which is concerned with procurement, compensation, development, maintenance and integration of the personnel of the organization for the purpose of contributing towards the accomplishment of the organization's objectives. The importance of HR is overlooked in the busy day to day in the workplace but without contribution in each of these areas, the organization would be less successful.

Table 1 : HRM Objectives and Functions

HRM Objectives	Supporting Functions
Societal Objectives	Legal compliance Benefits Union- management relations
Organizational Objectives	Human Resource Planning Employee relations Selection Training and development Appraisal Placement Assessment
Functional Objectives	Appraisal Placement Assessment
Personnel Objectives	Training and development Appraisal Placement Compensation Assessment

Fig:1

Information Technology is expected to improve the performance of Human Resource Management by shifting its focus from administration or personnel management to strategic HRM. The strategic role of HRM is supposed to add value to HR functions. IT based HRM can bring higher accuracy and speed in transaction oriented HR processes like payroll, leave, attendance, Goal setting & tracking.

*Associate Prof. (Management) Pacific Academy Of Higher Education & Research University,Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar, Pacific Academy Of Higher Education & Research University,Udaipur (Raj.) INDIA

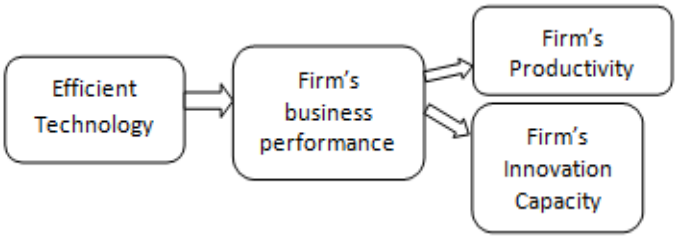

Accelerated investment and innovation in information technology (IT) offers prospects for conducting business in ways that are radically different from the past. Despite the growing presence of IT within organizations, however, we do not have a clear understanding of how IT impacts the role of professionals. We address this issue by investigating how jobs in one professional occupational segment, human resources (HR) professionals are influenced by extensive use of IT within the human resource department. Specifically, we examine how HR professionals handle HR information as well as the expectations placed on them resulting from an increased reliance on IT. Our findings suggest that IT enables HR professionals to more efficiently access and disseminate information while it also influences what is expected of them. Implications and future directions are discussed.

Objective :

1. To identify the impact of IT on employees.
2. To find out satisfaction level of employees.
3. To examine the Role of IT in organization.
4. To identify requirements of employees regarding technology.

Research Methodology - Data is collected through secondary data collection method. My secondary data is mostly internet based study combined with articles, journals and online search reports.

Impacts of IT :

Time - Due to the application of Information Technology the processes are less time consuming. All the processes and tasks has been so speedy to get the quick response. As we know time is a main factor for the success of the organization specially in this competitive era.

Accuracy - These days application of new technologies in the organization is not a big deal, it is a global competitive era, these application of information technologies in system brings higher accuracy rather than the manual process which is a great advantage for the business.

Transparency -Information technologies has made the system of organization very transparent which brings a level of satisfaction in employees. And also reduce the threat of fraud and confusions. It also made the employees free from the fear of discrimination by using IT in HR departments.

Speed - A business with latest technology has a very high speed which is really helpful for the growth of the existing business. Due to these technology information can be send at anyplace within few second which removes many barriers and whole process complete in a very short duration.

Conclusion - By all the studies we come to know that impact of technologies are always positive as well as bit of negative, but still we need to cope of the with the flaws to get some high achievements. To stand with the competition, a system can not ignore the application of these technologies.

References :-

1. Ing.Iveta Gabcanova, Fakulta Management a ekonomiky, Mostni 5139,760 01 zlin, ceska republika
2. (2)Yu Long, university of twente, master thesis business administration HRM march(2009) 0123404
3. (3)sharyn D. Gardner, David Lepak and Kathryn M. Bartol,2003, journal of vocational Behavior 63, 159-179, S0001-8791
4. (4)Public Personnel management volume 30 no.3 fall 2010 243
5. (5)Lee, & Lee, (2007).The relationship between HRM practices, competitive strategy and business performance in Taiwanese steel industry. 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia,953-971

****

Development, Growth And Reform Of Indian Banking

Dr. Rita Sachdev *

Introduction - The world's second largest populated country, India, is the apple of the eye for the world now. The world economies are seeing it as their potential market. This has been going on since quite some time now, ever since 1991 reforms of liberalization, globalization and privatization. In the field of industrial finance, the concept of development bank is of recent origin. In a country like India, the emergence of development banking is a post--independence phenomenon. Indian markets in urban areas have grown appreciably and are on the verge of saturation, so corporate have started tapping rural markets, since more than 60 per cent of India's population lives in rural areas. These nationalized banks are the majority of lenders in the Indian economy. They dominate the banking sector because of their large size and widespread networks. In 1980, India nationalized its large private banks. This induced different bank ownership patterns across different towns, allowing credible identification of the effects of bank ownership on financial development, lending rates, and the quality of intermediation, as well as employment and investment. So, Central Bank of India is called India's First Truly Swadeshi bank. Generally banking in India is fairly mature in terms of supply, product range and reach-even though reach in rural India and to the poor still remains a challenge. The government has developed initiatives to address this through the State Bank of India expanding its branch network and through the National Bank for Agriculture and Rural Development with facilities like microfinance. Efficiency and profitability of the banking sector in India has assumed primal importance due to intense competition, greater customer demands and changing banking reforms

Developmental Scenario of Banking - In the modern sense, Banking is originated in the last decades of the 18th century in India. Among the first banks were the Bank of Hindustan, which was established in 1770 and liquidated in 1829-32 and the General Bank of India, established in 1786 but failed in 1791. The largest bank, and the oldest still in existence, is the State Bank of India. It originated as the Bank of Calcutta in June 1806. In 1809, it was renamed as the Bank of Bengal. This was one of the three banks funded by a presidency government; the other two were the Bank of Bombay and the Bank of Madras. The first bank purely managed by Indians was Punjab National Bank, established in Lahore in 1895. The Punjab national Bank has not only survived till date but also is one of the largest banks in India. However, the first Indian commercial bank which was wholly owned and managed by Indians was Central Bank of India which was established in 1911. The three banks were merged in 1921 to form the Imperial Bank of India, which upon India's independence, became the State Bank of India in 1955. For many years the presidency banks had acted as quasi-central banks, as did their successors, until the Reserve Bank of India was established in 1935, under the Reserve Bank of India Act, 1934. In 1960, the State Banks of India was given control of eight state-associated banks under the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959. These are now called its associate banks. In 1969 the Indian government nationalised 14 major private banks. In 1980, 6 more private banks were nationalized. The Reserve Bank of India (RBI) is India's central banking institution, which controls the monetary policy of the Indian rupee. It commenced its operations on 1 April 1935 during the British Rule in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934. The original share capital was divided into shares of 100 each fully paid, which were initially owned entirely by private shareholders. The RBI was nationalized on 1 January 1949 after India's independence on 15 August 1947. The RBI plays an important part in the Development Strategy of the Government of India. It is a member bank of the Asian Clearing Union. The bank is also active in promoting financial inclusion policy and is a leading member of the Alliance for Financial Inclusion.

Banking Structure - The central bank and supreme monetary authority is Reserve Bank of India (RBI). The Indian banking sector is broadly classified into scheduled banks and non-scheduled banks. The scheduled banks are those which are included under the 2nd Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934. Banks which are integrated in the second phase of the RBI are called schedule banks. These banks comprise into two banks, which are termed as Scheduled Commercial Banks and Scheduled Co-operative Banks. These banks are eligible for certain amenities such as financial accommodations from Reserve Bank of India and have obligations to fulfil certain statutory obligations.
Commercial banks are further categorized as foreign banks and regional rural banks while urban cooperatives and state cooperatives fall under cooperatives banks. The scheduled banks are further classified into: nationalised banks; State

*Asst. Professor, Govt. Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) INDIA

Bank of India and its associates; Regional Rural Banks (RRBs); foreign banks; and other Indian private sector banks. The term commercial banks refer to both scheduled and non-scheduled commercial banks which are regulated under the Banking Regulation Act, 1949. In all, there are 13 types of banks available in India which is Central banks, Investment banks, Merchant bank, Savings banks and loan associations, Off-shore banks, Commercial banks, Retail banks, Universal bank, Public Sector banks, Private Sector banks, Foreign bank, Cooperative sector banks and Development banks.

Growth and Reforms - In order to understand present make up of banking sector in India and its past progress, it will be fitness of things to look at its development in a somewhat longer historical perspective. The past four decades and particularly the last two decades witnessed cataclysmic change in the face of commercial banking all over the world. Indian banking system has also followed the same trend. In over five decades since dependence, banking system in India has passed through five distinct phase, viz. Evolutionary Phase (prior to 1950), Foundation phase (1950-1968), Expansion phase (1968-1984), Consolidation phase (1984-1990) and Reformatory phase (since 1990).

The last two decades witnessed the maturity of India's financial markets. Since 1991, every governments of India took major steps in reforming the financial sector of the country. The important achievements are in financial markets, regulators, banking system, non-banking finance companies, capital market, mutual funds, overall approach to reforms, de-regulation of banking system, capital market developments, and consolidation imperative fields. The banking sector reforms in India were stimulated by the report of the Committee on financial system, popularly known as Narasimham Committee. This committee, which submitted its report in 1991, suggested various measures to improve the efficiency and health of banking sector by making it more competitive and vibrant. It affected the productivity, profitability and efficiency of the banks to a large extent.

Inference - According to researches carried out by the Reserve Bank of India (RBI), on an all India basis, 59 per cent of the adult population in the country has bank accounts and 41 per cent don't. In rural areas, the coverage of banks is 39 per cent, against 60 per cent in urban areas. There is only one bank for a population of 13000. Tapping the rural market by banks becomes all the more important for the banking sector. If there is growth in the banking sector, it benefits the other sectors as well. But the problem is that banks have not been able to reach a vast majority of the rural population; the rural poor have limited access to organized, affordable and transparent financial services such as savings, loans, remittances and insurance services etc. The banking sector reforms, which were implemented as a part of overall economic reforms, witnessed the most effective and impressive changes, resulting in significant improvements within a short span.

The paper concludes that although various reforms have produced favourable effects on commercial banks in India and because of this transformation is taking place almost in all categories of the banks. It has also realized that the profitability of the public sector banks appears to have started improving but despite this, the foreign and private sector banks take a big share of cake. Our public sector banks are still lagging behind regarding the various financial parameters in comparison with other banks. The role of banks is not only directly important, but also it is enormously needful in the precise conduct of the programs projected by the government. So that it may revolutionize in the provision of loans from time to time along with their views and behaviour also to the people of weaker sections of the society. In order to change the social and economic structure of the country, the bank shall have to adopt the advanced technologies with innovative services to increase the customers of the bank

References :-

1. Abhijit Roy, V. S. (31 Mar, 2012). Commercial banking in India: A Beginners Module. NCFM NSE's Certification in financial markets.
2. De, B. (2003). Ownership Effects on Bank Performance: A Panel Study of. In I. R. centre.org (Ed.), Fifth Annual Conference on Money and Finance in the Indian economy. Mumbai: Indira Gandhi institute of development research(IGIDR)
3. http://www.gktoday.in/blog/brief-history-of-banking-in-india
4. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3712/11/11_chapter%204.pdf
5. http://theviewspaper.net/growth-of-banking-and-development-in-india/
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Banking_in_India

****

म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. एल. एन. शर्मा *

प्रस्तावना – सार्वजनिक वित्त से आशय राजकीय वित्त से है जिसके अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के आय–व्यय संबंधी सिद्धांतों और साधनों का अध्ययन किया जाता है। स्थानीय निकायों के बजट भी इसके अंतर्गत आते है। किसी राष्ट्र के लिये सार्वजनिक वित्त का बहुत महत्व होता है और राष्ट्र की सम्पन्नता राजकीय वित्त के सिद्धांतों की श्रेष्ठता एवं उन सिद्धांतों के उचित क्रियान्वयन पर निर्भर होती है। प्रो. एच.आई. लुट्स ने कहा है कि 'लोक वित्त उन संसाधनों की व्यवस्था, सुरक्षा और वितरण का अध्ययन करता है जो राजकीय अथवा प्रशासनिक कार्यो को चलाने के लिये आवश्यक होते है'। आधुनिक युग में राजस्व का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत हो रहा है और अब इसके अंतर्गत आय व्यय के साथ साथ सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, वित्तीय नियंत्रण, लेखा परीक्षण, संघीय वित्त आदि का भी अध्ययन किया जाता है।

शोध का उद्देश्य – वर्तमान में देश की सभी राज्य सरकारों का लक्ष्य 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्व के विभिन्न उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी कारण वर्तमान में बजट नीति में 'कार्यात्मक वित्त ' पर बल दिया जा रहा है। उक्त शोध पत्र में राजस्व के कुल व्ययों का अध्ययन किया जा रहा है। अत: सार्वजनिक व्यय के प्रभाव एवं विभिन्न समस्याओं का अध्ययन होना भी आवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक व्यय का आर्थिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान में सरकारों को आय की तुलना में अधिक व्यय करना होता है और इस अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिये सरकार को ऋण लेना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत ऋण के स्त्रोत, ऋण के सिद्धांत, ऋण के प्रभाव, ऋणों का भुगतान आदि का अध्ययन करना आवश्यक होता है।

प्रस्तुत आयोजनेत्तर व्यय एवं आयोजना व्यय का अलग अलग मदवार अध्ययन करके यह ज्ञात करना है कि व्ययों की वृद्धि दर क्या है एवं म.प्र. के विकास में उनकी कितनी भूमिका है और विभिन्न विभागों के अंतर्गत सामान्य सेवाओं, राजकोषीय सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, सामाजिक कल्याण एवं पोशााहार आदि में व्यय की स्थिति क्या है तथा उनमें हो रही वृद्धि या कमी को ज्ञात करना है तथा उनके क्या प्रभाव होगें शोध का प्रमुख लक्ष्य है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र – प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन में म.प्र. सरकार के बजट अनुमान के द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है तथा राजस्व के कुल व्ययों में आयोजनेत्तर व्यय एवं आयोजना व्यय का मद्वार वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का अध्ययन किया गया है।

शोध व्याख्या –म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में कुल व्ययों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन तालिका क्रं. 01 से स्पष्ट है जो इस प्रकार है –

तालिका क्रं. 01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 1 के निष्कर्ष इस प्रकार हैं –

1. म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में राजस्व में कुल व्ययों में आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 02 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 02 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
2. म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों में राजस्व व्यय का अध्ययन किया जाये तो वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 08 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 12 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

2.1 म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों में राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 02 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि विशेष चिंता का विषय है।

3. म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों में पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 73 प्रतिशत की कमी हुई है जो चिंता का विषय है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 328 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।

3.1 म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों में पूंजीगत परिव्यय का अलग अलग मद्वार अध्ययन में पूंजीगत व्यय में 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 83 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 172 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।

3.2 पूंजीगत परिव्यय में ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 73 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 337 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।

4. म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों में आयोजना व्यय में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 26 प्रतिशत

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 33 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

5. म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों के आयोजना व्यय में राजस्व व्यय में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 47 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

6. म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों के आयोजना व्यय पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 9 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

6.1 म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों के आयोजना व्यय में पूंजीगत परिव्यय का अलग अलग मद्वार अध्ययन में पूंजीगत व्यय में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6.2 म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों के आयोजना व्यय में पूंजीगत परिव्यय में ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 43 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 54 प्रतिशत की गिरावट विशेष चिंता का विषय है।

7. म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 15 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में राजस्व व्ययों में कर राजस्व के राज्य करों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका क्रं. 02 (क) से अध्ययन से स्पष्ट है जो इस प्रकार है –

तालिका क्रं. 02 (क) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 2 (क) के निष्कर्ष इस प्रकार हैं –

1. म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में कुल व्ययों में कुल राजस्व व्ययों में से सामान्य सेवाओं का मद्वार अलग–अलग अध्ययन करने पर राज्य के अंग वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 84 प्रतिशत की गिरावट शुभ संकेत है।

अ. राज्य विधानमण्डल, राज्यपाल, मंत्रीपरिषद् और निर्वाचन के व्यय में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 36 प्रतिशत की कमी हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 108 प्रतिशत की गिरावट भी शुभ संकेत है।

इ. न्याय प्रशासन में व्यय में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 71 प्रतिशत की गिरावट विशेष चिंता का विषय है।

2. म.प्र. सरकार के कुल व्ययों में राजकोषीय सेवाओं में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 21 प्रतिशत की विशेष कमी हुई जो शुभ संकेत है।

अ. राजकोषीय सेवाओं में, आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण पर वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 102 प्रतिशत की कमी हुई है जो शुभ संकेत हैं। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 14 प्रतिशत की गिरावट विशेष शुभ संकेत है।

इ. राजकोषीय सेवाओं में सम्पत्ति और पूंजीगत लेनदेनों के संग्रहण पर वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 12 प्रतिशत की कमी हुई है जो शुभ संकेत है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 24 प्रतिशत की कमी भी शुभ संकेत है।

उ. राजकोषीय सेवाओं में पदार्थो एवं सेवाओं पर करों की वसूली में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 8 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 20 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।

ऊ अन्य राजकोषीय संबंधी सेवाओं में वर्ष 2012–13, 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 12 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 13 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है।

3. ब्याज संग्रहण और ऋण परिशोधन खर्च में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13, 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है।

4. म.प्र. सरकार के कुल व्ययों में प्रशासनिक सेवाओं में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 79 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है।

अ. प्रशासनिक सेवाओं में सचिवालय – सामान्य सेवाऐं, जिला प्रशासन तथा खजाना और लेखा प्रशासन पर व्ययों में वर्ष 2012–13 से

2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13, 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 3 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 2 प्रतिशत की कमी विशेष शुभ संकेत है।

इ. प्रशासनिक सेवाओं में पुलिस और जेल पर व्यय में वर्ष 2012–13 से 2015–16 लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13, 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 25 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 01 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जिसका विशेष कोई प्रभाव नही है।

उ. प्रशासनिक सेवाओं में लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर व्यय में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 09 प्रतिशत की कमी शुभ संकेत है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर मे 17 प्रतिशत की कमी विशेष शुभ संकेत है।

ऊ प्रशासनिक सेवाओं में लोक निर्माण कार्य पर व्यय में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13, 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 03 प्रतिशत की कमी विशेष चिंता का कारण है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर मे 11 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।

ए. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 124 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 1401 प्रतिशत की वृद्धि विशेष चिंता का कारण है।

5. सामान्य सेवाओं में पेंशन और विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 15 प्रतिशत की कमी हुई जो शुभ संकेत है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 33 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है।

6. म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों में सामान्य सेवाओं पर वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13, 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 26 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है।

तालिका क्रं. 02 (ख) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 2 (ख) के निष्कर्ष इस प्रकार हैं –

(1) म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में राजस्व के कुल व्ययों में सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में वर्ष 2012–13 से 2015–16 में लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 . में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 31 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

2. सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के व्ययों में 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 28 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है। परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 51 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

3. सामाजिक सेवाओं में जलापूर्ति एवं सफाई के व्ययों पर वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 43 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है। परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 86 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

4. सामाजिक सेवाओं में आवास एवं शहरी विकास के व्ययों में 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 26 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है। परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 65 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

5. सामाजिक सेवाओं में श्रम और श्रमिक कल्याण के व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13, 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 22 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 20 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

6. सामाजिक सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण के व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 24 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है। वर्ष 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

7. सामाजिक सेवाओं में सामाजिक कल्याण और पोषाहार पर व्यय में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 14 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है। परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 43 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

8. सामाजिक सेवाओं के अन्य व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 48 प्रतिशत की कमी चिंता का विषय है। तथा 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 14 प्रतिशत की कमी पुन: चिंता का विषय है।

9. कुल सामाजिक सेवाओं में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में वृद्धि दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है। परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 37 प्रतिशत गिरावट विशेष चिंता का कारण है।

तालिका क्रं. 02 (ग) (घ) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 02 (ग) + (घ) के निष्कर्ष इस प्रकार हैं –

1. म.प्र. सरकार की राजस्व व्ययों में आर्थिक सेवाओं के अतंर्गत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 . में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–

15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 58 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

2. आर्थिक सेवाओं के अतंर्गत ग्रामीण विकास के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 128 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
3. आर्थिक सेवाओं के अतंर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण पर व्यय के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 28 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 18 प्रतिशत की गिरावट विशेष चिंता का विषय है।
4. आर्थिक सेवाओं के अतंर्गत ऊर्जा के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 7 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
5. आर्थिक सेवाओं के अतंर्गत उद्योग और खनिज के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 67 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
6. आर्थिक सेवाओं के अतंर्गत परिवहन व्यय के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 12 प्रतिशत की कमी हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 7 प्रतिशत की गिरावट भी शुभ संकेत है।
7. आर्थिक सेवाओं के अतंर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 15 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 68 प्रतिशत की गिरावट विशेष चिंता का विषय है।
8. आर्थिक सेवाओं के अतंर्गत सामान्य आर्थिक सेवाओं के व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 69 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
9. म.प्र. सरकार के राजस्व व्ययों में आर्थिक सेवाओं के कुल व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर मे 61 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

(घ) सहायता और अनुदान और अंशदान के लिये म.प्र. सरकार के राजस्व व्यय में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 14 प्रतिशत की कमी हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का विषय है।

10. म.प्र. सरकार के कुल राजस्व व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक लगातार वृद्धि हुई है। 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 23 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

1. म.प्र. सरकार के कुल राजस्व व्ययों का अलग अलग मदवार अध्ययन में कुल राजस्व आयोजनेत्तर व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 . में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 12 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
2. म.प्र. सरकार के राजस्व व्ययों में आयोजना व्ययों में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 47 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों में केवल पूंजीगत व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका क्रं. 03 से स्पष्ट है जो इस प्रकार है –

तालिका क्रं. 03 (क) (ख) (ग) (घ) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 3 (क) (ख) (ग) (घ) के निष्कर्ष इस प्रकार हैं –

(क) म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों में पूंजीगत व्ययों के अंतर्गत सामान्य सेवाओं में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 8 प्रतिशत की कमी हुई है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जो चिंता का विषय है।

(ख) म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों में पूंजीगत व्ययों में सामाजिक सेवाओं में वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 40 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

1. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में .13 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
2. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 19 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
3. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत जलापूर्ति तथा सफाई के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15 में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013–14 से 2014–15 की तुलना में 2014–15 से 2015–16 में वृद्धि दर में 64 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
4. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत आवास और शहरी विकास के लिये वर्ष 2012–13 से 2013–14 की तुलना में 2013–14 से 2014–15

में 64 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का कारण है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 265 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।

5. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण के लिये के लिये वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 09 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का कारण है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 7 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।
6. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार के लिये 2012-13 से 2013-14 की तुलना में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में 206 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 325 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
7. सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत अन्य सेवाओं के लिये वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 116 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

(ग) म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों में पूंजीगत व्ययों के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 11 प्रतिशत की पुन: वृद्धि भी शुभ संकेत है।

1. आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 28 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का कारण है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 27 प्रतिशत की गिरावट पुन: विशेष चिंता का विषय है।
2. आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 100 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
3. आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 01 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 22 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।
4. आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ऊर्जा व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 26 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।
5. आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत उद्योग और खनिज व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 187 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 128 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।
6. आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत परिवहन व्यय में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 16 प्रतिशत की कमी हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 73 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है।
7. आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अन्य व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में कोई वृद्धि नहीं हुई परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 72 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

(घ) ऋण तथा अग्रिम में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 54 प्रतिशत की कमी हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 49 प्रतिशत की वृद्धि चिंता का कारण है।

1. पूंजीगत व्ययों के आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 85 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 337 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।
2. पूंजीगत व्ययों के आयोजना व्यय में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 44 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 53 प्रतिशत की गिरावट विशेष चिंता का विषय है।
1. कुल पूंजीगत आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 . में 83 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 328 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।
2. कुल पूंजीगत आयोजना व्यय में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो शुभ संकेत है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 09 प्रतिशत की गिरावट चिंता का विषय है।

इस प्रकार कुल पूंजीगत व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 . में 3 प्रतिशत की कमी हुई जो चिंता का विषय है परंतु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर में 21 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है।

सुझाव –सामान्यत: इस सिद्धान्त को मान्यता दी जाती है कि बजट प्रावधानों में आय के स्त्रोत को बढ़ाया जाना चाहिये तथा व्ययों पर नियन्त्रण करके बजट घाटे को कम किया जाना चाहिए परन्तु प्रत्येक परिस्थिति में व्ययों पर नियंत्रण उचित नहीं है। क्योंकि व्यय ही विकास का प्रतीक है। अत: उक्त शोध पत्र के सुझाव निम्नानुसार है –

1) म. प्र. सरकार के बजट अनुमान में कुल व्ययों में राजस्वो व्ययों में सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राज्य के अंग जिसमें राज्य विधानमण्डल राज्यपाल, मंत्री परिषद् और निर्वाचन में वर्ष 2015-16 में व्ययों में

भारी कमी व्यवहारिक है। परतु न्याय प्रशासन के व्ययों में कमी उचित नहीं है। इसमें न्याय प्रणाली प्रभावित होती है। अत: इन व्ययों में वृद्धि आवश्यक है।

2) सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजकोषीय सेवाऐं जिनमें आय तथा व्यय करों का संग्रहण सम्पत्ति और पूंजीगत लेन-देनो पर संग्रहण पदार्थो एंव सेवाओं पर व्ययों पर नियन्त्रण पूर्णत: आवश्यक तथा व्यवहारिक है जिसे निरन्तर लागू रखा जाना चाहिए

3) सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ब्याज संग्रहण और ऋण परिशोधन खर्च पर भारी वृद्धि हो रही है। अत: इस पर नियन्त्रण करना अति आवश्यक है।

4) सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत समस्त मदों के व्ययों में वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में भारी कमी आई है जो कि व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास, श्रम कल्याण, पोषाहार जैसी अति आवश्यक सेवाऐं प्रभावित होगी। अत: इन व्ययों में वृद्धि करना आवश्यक है।

5) आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत समस्त मदों के व्ययों में वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में भारी कमी आई है जो कि व्यवहारिक नहीं है। इससे कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, विज्ञान प्रौघोगिकी, पर्यावरण आदि का विकास प्रभावित होगा। अत: इन इन व्ययों में अनुपातिक रुप से वृद्धि करना अति आवश्यक है।

6) सहायता और अनुदान और अंशदान व्यय में वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में वृद्धि उचित नहीं है। इस पर नियंत्रण आवश्यक है।

7) म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में कुल व्ययों में पूंजीगत व्ययों के अंतर्गत सामान्य सेवाओं में वर्ष 2015-16 में वृद्धि दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें वृद्धि करना अति आवश्यक है।

8) पूंजीगत परिव्यय में सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत लगभग सभी मदों पर व्यय में कमी की है जो व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि आधारभूत संरचना के बिना शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पोषाहार आदि का विकास संभव नहीं है। अत: इन पर प्राथमिकता से ध्यान देकर पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि आवश्यक है।

9) पूंजीगत परिव्यय में आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अनेक मदों पर व्ययों में वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में कमी हुई हैं जो व्यवहारिक नहीं है। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा आदि का विकास प्रभावित होगा। अत: इन मदों पर व्ययों में वृद्धि आवयष्क है।

10) पूंजीगत परिव्यय में ऋण एवं अग्रिम के व्ययों पर नियंत्रण शुभ संकेत है। अत: इस व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Tax System in India – M.M. Sury
2. Research Methodology – Deepak Chawla. Neena Sondhi
3. Public Finance – Arjun Y. Pangannaver
4.) Public Budgeting and Financial of Management – Prof. Nand Dhameja
5. Financial Crises, Recovery & Reforms – Bhubaneshwar Pant
6. Global Finance Crisis Part 1, 2, 3 – K.R. Gupta
7. Economics of Taxation – Sayed, Afzal Peerzade
8. Sub National value added tax in India problems and prospects – Naseem A. Zaidi
9. www. finance.mp.gov.in
10. समष्टिगत अर्थशास्त्र एवं राजस्व - डॉ. वी.सी. सिन्हा।
11. लोक अर्थशास्त्र - पी.डी. माहेश्वरी, शीलचंद्र गुप्ता।
12. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं राजस्व - डॉ. वी.सी. सिन्हा।
13. व्यावसायिक वित्त - डॉ. आर.एम. कुलश्रेष्ठ, डॉ. विनयशंकर सिंह।
14. भारतीय अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र - एस.के. मिश्रा, वी.के. पुरी।
15. कराधान के सिद्धांत - डॉ. मनीष कुमार चौबे।
16. मौद्रिक अर्थशास्त्र - डॉ. ममता जैन, डॉ. दिनेश त्रिपाठी।
17. भारत की मौद्रिक नीति - डॉ. ममता जैन, डॉ. दिनेश त्रिपाठी।
18. नवीन शोध संसार (अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2320-8767
19. दिव्य शोध समीक्षा (अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका)ISSN 2394-3807

तालिका क्रं. 01

म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन

(रू. करोड़ में)

क्रं.	व्यय के शीर्षक	2012-13 बजट अनु.	2013-14 बजट अनु.	2014-15 बजट अनु.	2015-16 बजट अनु.	वृद्धि प्रतिशत में		
						2012-13 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
1	आयोजनेत्तार व्यय (2+3)	48287.50	54338.69	62750.84	70850.18	13	15	13
2	राजस्व व्यय	44597.10	50826.95	61965.90	68105.96	14	22	10
	2.1 ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	6275.08	6518.52	6929.48	8057.72	4	6	16
3	पूंजीगत परिव्यय (3.1+3.2)	3690.40	3511.74	784.94	2744.22	-5	-78	250
	3.1 पूँजीगत व्यय	46.05	78.89	69.29	179.87	71	-12	160
	3.2 ऋण एवं अग्रिम	3644.35	3432.85	715.65	2564.35	-6	-79	258
4	आयोजना व्यय (5+6)	31743.48	37608.17	54290.15	60348.88	18	44	11
5	राजस्व व्यय	18946.40	23561.69	37047.91	40728.96	24	57	10
6	पूँजीगत परिव्यय (6.1+6.2)	12797.08	14046.48	17242.24	19619.92	10	23	14
	6.1 पूँजीगत व्यय	10774.17	11034.73	14074.07	17959.69	2	28	28
	6.2 ऋण एवं अग्रिम	2022.91	3011.75	3168.17	1660.23	49	6	-48
7.	कुल व्यय (1 से 6 तक)	80030.98	91946.86	117040.99	131199.06	15	27	12

स्त्रोत - म.प्र. सरकार के बजट अनुमान वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

तालिका क्रं. 02 (क)
म.प्र. सरकार के कुल व्ययों में कुल राजस्व व्ययों के अंतर्गत सामान्य सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन

(रू. करोड़ में)

क्रं.	राजस्व व्यय के प्रमुख शीर्षक	2012-13 बजट अनु.	2013-14 बजट अनु.	2014-15 बजट अनु.	2015-16 बजट अनु.	वृद्धि प्रतिशत में		
						2012-13 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
क	सामान्य सेवाऐं							
1-	राज्य के अंग	781.79	1022.62	1516.01	983.91	31	48	-36
A.	राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रीपरिषद् और निर्वाचन	162.96	333.36	562.14	340.74	105	69	-39
B.	न्याय प्रशासन	618.83	689.26	953.87	643.17	11	38	-33
2	राजकोषीय सेवाऐं	2028.18	2459.71	3027.80	3092.84	21	23	2
A	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	0.63	0.93	0.43	0.26	48	-54	-40
B	सम्पत्ति और पूंजी- गत लेनदेनों पर संग्रहण	609.94	799.49	953.99	909.69	31	19	-5
C	पदार्थो एवं सेवाओं पर करों की वसूली	1414.47	1656.29	2070.5	2179.83	17	25	5
D	अन्य राजकोषीय संबंधी सेवाऐं	3.14	3.00	3.23	3.06	-4	8	-5
3	ब्याज संग्रहण और ऋण परिशोधन खर्च	6275.08	6518.52	6929.48	8057.72	4	6	16
4	प्रशासनिक सेवाऐं	5623.07	5729.48	6393.00	12196.36	2	12	91
A	सचिवालय- सामान्य सेवाऐं, जिला प्रशासन तथा खजाना और लेखा प्रशासन	814.52	911.71	994.37	1060.47	12	9	7
B	पुलिस और जेल	2999.34	4086.89	4526.96	5051.13	36	11	12
C	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	51.58	60.98	66.67	61.10	18	9	-8
D	लोक निर्माण कार्य	385.71	429.00	463.66	550.32	11	8	19
E	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	1371.92	240.90	341.34	5473.34	-82	42	1503
5	पेन्शन और विविध सामान्य सेवाऐं	5869.31	6564.94	6377.27	8295.30	12	-3	30
6.	योग(क) सामान्य सेवाऐं	20577.43	22295.27	24246.56	32626.15	8	9	35

स्त्रोत - म.प्र. सरकार के बजट अनुमान वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

तालिका क्रं. 02 (ख)

म.प्र. सरकार के कुल व्ययों में कुल राजस्व व्ययों के अतंर्गत सामाजिक सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन

(रू करोड़ में)

क्रं.	राजस्व व्यय के प्रमुख शीर्षक	2012-13 बजट अनु.	2013-14 बजट अनु.	2014-15 बजट अनु.	2015-16 बजट अनु.	वृद्धि प्रतिशत में		
						2012-13 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
ख	सामाजिक सेवाऐं	-	-	-	-			
1.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	12215.00	13872.25	19275.08	20840.75	14	39	8
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3253.16	3921.00	5839.43	5751.40	21	49	-2
3.	जलापूर्ति एवं सफाई	776.07	1015.62	1764.72	1557.97	31	74	-12
4.	आवास एवं शहरी विकास	1748.56	2222.55	3391.75	2979.90	27	53	-12
5.	श्रम और श्रमिक कल्याण	229.29	266.89	368.64	434.38	16	38	18
6.	अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	2160.61	3000.52	3462.37	3977.51	39	15	15
7.	सामाजिक कल्याण और पोषाहार	4454.25	5535.38	7660.82	7313.31	24	38	-5
8.	अन्य	154.96	266.49	329.68	361.85	72	24	10
9.	योग (ख) सामाजिक सेवाऐं	24992.18	30100.70	42092.49	43217.07	20	40	3

स्त्रोत - म.प्र. सरकार के बजट अनुमान वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

तालिका क्रं. 02 (ग) (घ)

म.प्र. सरकार के कुल व्ययों में राजस्व व्ययों के अंतर्गत आर्थिक सेवाऐं सहायता और अनुदान और अंशदान का तुलनात्मक अध्ययन

(रू करोड़ में)

क्रं.	राजस्व व्यय के प्रमुख शीर्षक	2012-13 बजट अनु.	2013-14 बजट अनु.	2014-15 बजट अनु.	2015-16 बजट अनु.	वृद्धि प्रतिशत में		
						2012-13 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
ग	आर्थिक सेवाऐं							
1.	कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप	5279.10	6958.93	9927.57	8482.71	32	43	-15
2.	ग्रामीण विकास	4219.19	4645.27	9487.50	8116.72	10	104	-14
3.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	599.50	789.87	824.25	710.47	32	4	-14
4.	ऊर्जा	2156.11	2579.89	3927.56	5690.64	20	52	45
5.	उद्योग और खनिज	557.78	804.55	1700.71	2449.61	44	111	44
6.	परिवहन	1066.31	1223.26	1265.36	1217.75	15	3	-4
7.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	48.06	96.92	181.16	215.70	102	87	19
8.	सामान्य आर्थिक सेवाऐं	325.72	366.78	482.11	297.25	13	31	-38
9.	योग (ग) आर्थिक सेवाऐं	14251.77	17465.47	27796.21	27180.82	23	59	-2
घ	सहायता और अनुदान और अंशदान	3722.12	4527.20	4881.55	5810.85	22	8	19
10.	योग (क+ख+ग+घ)	63543.50	74388.64	99013.81	108834.92	17	33	10
1.	राजस्व आयोजनेत्तर व्यय	44597.10	50826.95	61965.90	68105.96	14	22	10
2.	राजस्व आयोजना व्यय	18946.40	23561.69	37047.91	40728.96	24	57	10
	कुल राजस्व व्यय (1+2)	63543.50	74388.64	99013.81	108834.92	17	33	10

स्त्रोत - म.प्र. सरकार के बजट अनुमान वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

तालिका क्रं. 03 (क) (ख) (ग) (घ)
म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों के अंतर्गत पूंजीगत व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन

(रू करोड़ में)

क्रं.	पूँजीगत व्यय के शीर्षक	2012-13 बजट अनु.	2013-14 बजट अनु.	2014-15 बजट अनु.	2015-16 बजट अनु.	वृद्धि प्रतिशत में		
						2012-13 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
क	सामान्य सेवाऐं	233.22	325.58	431.14	567.57	40	32	32
ख	सामाजिक सेवाऐं (1 से 7 तक)	1887.45	2009.82	3108.10	3583.07	6	55	15
1.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	120.72	155.52	353.83	762.18	29	128	115
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	343.27	226.26	274.07	279.85	-34	21	2
3.	जलापूर्ति तथा सफाई	673.09	727.85	1226.48	1292.06	8	69	5
4.	आवास और शहरी विकास	133.05	176.02	136.88	468.82	32	-22	243
5.	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	484.17	565.97	610.85	702.89	17	8	15
6.	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	112.35	140.20	463.90	27.52	25	231	-94
7.	अन्य	20.80	18.00	42.09	49.75	-13	134	18
ग	आर्थिक सेवाऐं (1 से 7 तक)	8699.55	8778.22	10604.12	13988.92	1	21	32
1.	कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	96.28	150.76	194.07	189.32	57	29	-2
2.	ग्रामीण विकास	1443.36	1217.07	2556.49	2813.58	-16	110	10
3.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3311.28	3875.74	4489.42	6208.81	17	16	38
4.	ऊर्जा	1344.84	732.81	808.49	678.72	-45	10	-16
5.	उद्योग और खनिज	66.41	177.38	141.20	293.36	167	-20	108
6.	परिवहन	2349.33	2519.26	2289.25	3745.96	7	-9	64
7.	अन्य	88.05	105.20	125.20	59.17	19	19	-53
	योग (क + ख + ग)	10820.22	11113.62	14143.36	18139.56	3	27	28
घ	ऋण तथा अग्रिम (1 + 2)	5667.26	6444.60	3883.82	4224.58	14	-40	9
1.	आयोजनेत्तर	3644.35	3432.80	715.5	2564.35	-6	-79	258
2.	आयोजना	2022.91	3011.75	3168.17	1660.23	49	5	-48
	कुल पूंजीगत व्यय (क + ख + ग + घ)	16487.48	17558.22	18027.18	22364.14	6	3	24
1.	पूंजीगत आयोजनेत्तार व्यय	3690.40	3511.74	784.94	2744.22	-5	-78	250
2.	पूंजीगत आयोजना व्यय	12797.08	14046.48	17242.24	19619.92	10	23	14
	कुल पूंजीगत व्यय (1 + 2)	16487.48	17558.22	18027.18	22364.14	6	3	24

स्त्रोत: म.प्र. सरकार के बजट अनुमान वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

****

भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शीतल सोलंकी *

प्रस्तावना – किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक परिदृश्य पर उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक तथा समेकित प्रबलता को परिलक्षित करती है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण कारक है। भारत जैसा प्राचीन समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत वाला राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था के कारण ही वैश्विक आर्थिक संकट में स्वयं को अप्रभावित रख पाया है।इस अर्थव्यवस्था में वितीय स्थिरता तथा संवृद्धि दर को बनाए रखने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिक्की के अध्यक्ष हर्ष मेरिवाला तथा भारतीय उद्योग महासंघ के अध्यक्ष थॉमस वर्गीस ने विदेशी निवेश को भारत की अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिक विकास के लिए और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों हेतु प्रासंगिक आवश्यक बताया है।

किसी देश की एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में उत्पादन व वितरण में सीधा निवेश करना या कंपनी द्वारा उस देश में पहले से स्थित कारोबार का विस्तार करना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसमें जन (श्रम),धन (पूँजी) और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) तीनों का समावेश होता है। विदेशी निवेश के भी कई कारण होते है जिनमें सस्ते श्रम का लाभ उठाना, श्रेष्ठ बाजार की उपलब्धता, किसी देश के द्वारा पूरे देश या किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं जैसे करो में छूट देना, बाजारों तक पहुँच की दिशा में आने वाली बाधाओं में कमी या समाप्ति से लाभ अर्जित करना भी शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि कैसे वह निवेशकों से अत्यधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक संकट और तरलता संकट के बावजुद भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश हासिल करने में 11% की वृद्धि की जा सकी है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक पृष्ठभुमि– 1947 में भारत की आजादी के बाद नीति निर्माताओं ने विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के उद्देश्य से और उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए ही निवेश नीति का निर्माण किया। विकास क्षेत्रों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण हेतु देश मे विभिन्न कृषि, व्यापारिक औद्यौगिक नीतियों की संरचना की गई। देश में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 से ही विदेशी पूँजी निवेश को देश के विकास हेतु महत्वपूर्ण माना गया किंतु परतंत्रता की लंबी पीड़ा को देखते हुए पुँजी का नियंत्रण भारतीय हाथों में रखे जाने की दृष्टि से प्रबंधन एवं स्वामित्व में पचास प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया। सन् 1991 से पूर्व यह विनिर्माण, खनन और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित था लेकिन इसके बाद उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन फलस्वरूप निवेश में तेजी से वृद्धि हुई।

भारतीय निवेश प्रक्रियाओं को और अधिक उदार और सशक्त बनाने का कार्य 1995 में शुरू किया गया।1995 के दिशा निर्देशों में विदेशी निवेश से संबंधित कार्य वाणिज्य मंत्रालय से भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) को अंतरित करके एक विस्तृत फेमवर्क की व्यवस्था की गई और भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी निवेश नीति को प्रशासित करने के लिए एक केन्द्रित एजेन्सी बन गई। भारत में उदारीकरण के बाद कुल 38,906 करोड डॉलर का निवेश हुआ, लेकिन यह अन्य विकासशील देशो जैसे चीन, वियतननाम, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया की तुलना में अत्यंत कम है। विश्व की दूसरी बडी जनसंख्या के रूप में जाने वाले देश के लिए यह शुभ लक्षण नही है। उदारीकरण के पश्चात् भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे–

- भारत को विश्व के शीर्ष औद्योगिक देशों में शामिल करना।
- औद्योगिक क्रियाकलापों में निवेश हेतु अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना।
- आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
- विदेशी पूंजी के आगम मार्गो को ओर अधिक सुगम बनाना।
- घरेलू स्तर पर प्रतियोगी वातावरण सृजित करना निर्यात घाटे को कम करना।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विश्लेषण – भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अर्थात Foregin Direct Invesment की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी एक देश की एक कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश एफ डी आई है ऐसे निवेश में निवेश को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है जिसमें उनका पैसा लगता है। सामान्यत: यह माना जाता है कि किसी निवेश को FDI का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशको को 10 फीसदी शेयर खरीदना पडता है। इसके साथ ही उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पडता है।एफडीआई उदारीकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। 1991 से लगाातार ही इस बात पर विचार होता है कि एफडीआई की अनुमति किन क्षेत्रों में और कितने प्रतिशत होनी चाहिए तथा किन क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। सरकार की नवीन नीति के अंतर्गत एफडीआई की अनुमति का क्षेत्र और विस्तृत किया गया है।

सारणी क्रमांक–1 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014–15 के दौरान भारत में कुल एफडीआई 24748 मिलियन अमरीकी डालर हुआ जिसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार तथा समेकित आर्थिक संतुलन में सकारात्मक योग दान किया है।

* शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सारणी क्रमांक –1
भारत में एफडीआई प्रवाह
(राशि मिलियम अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	वर्ष	कुल एफडीआई प्रवाह
1.	2005–06	5,540
2.	2006–07	9,307
3.	2007–08	19,425
4.	2008–09	22,697
5.	2009–10	22,461
6.	2010–11	14,939
7	2011–12	23,473
8.	2012–13	18,286
9.	2013–14	16,054
10	2014–15	24,748

स्त्रोत – भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट ।

उपर्युक्त सारणी में दस वर्षो के समंको का अध्ययन किया गया है ,जिसमें स्पष्ट है कि 2005–06 से 2009–10 के मध्य एफडीआई वृद्धि में वृद्धि बढते क्रम में रही। जबकि 2010–11 में यह वृद्धि बढ़ते क्रम में रही जो पिछले वर्ष अर्थात् 2009–10 की तुलना में कम–हो गई। वृद्धि के इस बढते हुए क्रम को आगे ले जाते हुए एफडीआई 2011–2012 में एक बार फिर बढ़ गई। किंतु वर्ष 2012–13 और 2013–14 में इसके परिणाम पुन: कमजोर हों गए। लेकिन वर्ष 2014–15 में कुल एफडी आई बढ़कर 24,748 मिलियन अमरीकी डालर हो गई और भारत में एफडीआई प्रवाह के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए है।

सारणी क्रमांक –2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

संपूर्ण विश्व के विकासशील राष्ट्र, आर्थिक उदारीकरण के कारण, तीव्र आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से ही भारत में विदेशी सहयोग को बढावा देने में लगे हुए है। वस्तुत: विदेशी सहयोग एक देश के पूँजी निवेशकों द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से,दूसरे देश में अपनी अधिशेष पूँजी को उत्पादक कार्यो में लगााना है।विदेशी पूँजी निवेश की शर्ते निवेशकों के पारस्परिक समझौतों एवं सरकारी कानूनों के अनुसार निश्चित कर ली जाती है।

भारत वर्ष को विदेशी सहायता प्राय: जापान, मॉरिशस, सिंगापुर यू. एस.ए, नीदरलैड , यूनाइटेड किंगडम , जर्मनी एवं अन्य बहुत से विदेशी देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय वितीय संस्थाओ के द्वारा प्राप्त होती रही है।

उपर्युक्त सारणी–2 के तथ्यात्मक पहलुओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत को बहुत से विदेशी देशों से सहायता प्राप्त हुई है। भारत में कुल विदेशी प्रवाह 2005–06 में 51540 अमरीकी डालर था, वही यह बढ़कर 24748 अमरीकी डालर हो गया। कुल विदेशी निवेशको में मॉरीशस से सबसे अधिक निवेश हुआ है देश में प्रत्यक्ष विदेशी नितेश का सबसे बडास स्त्रोत मॉरीशस ही है। उसके पश्चात् अन्य देशों से एफडीआई अंतर्गत हुआ है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारत के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धियाँ –

1. पुरानी तकनीक, अपर्याप्त आधारभूत ढांचा, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जैसी स्थितियों के कारण, विकासशील देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संवृद्धि की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राणवायु के समान है।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से निवेश करने वाली कंपनी को नए बाजार में प्रवेश करने का मौका प्राप्त होता है वही घरेलू अर्थव्यवस्था में पूंजी और नवीनतम तकनीक का समावेश होता है।
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारत की 40 करोड असंगठित क्षेत्र से जुडी जनता को काफी हद तक संगठित क्षेत्र जैसा रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
4. प्रतिस्पद्धर्ात्मक वातावरण सृजित होगा जो भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में संवृद्धि व विषमता के मध्य संतुलन स्थापित करेगा।
5. भारत के हित में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भू मंडलीकरण का उत्तम उदाहरण बनेगा तथा देश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।
6. देश के कई बडे उद्योगपतियों में विदेशी उद्योग पतियो के साथ मिलकर, जिन उद्योगों की स्थापना की है। उनके कारण जोखिम का वितरण तो हुआ ही है, साथ ही प्रबन्ध में कुशलता एवं विदेशी अनुभव का लाभ भी प्राप्त हुआ है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भारत के परिप्रेक्ष्य में हानि – यद्यपि,विदेशी सहायता से आर्थिक विकास को बल मिलता है, किन्तु मात्र राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायता प्राप्त की जाती तो उससे निम्न हानियाँ भी हो सकती है–

1. राजनैतिक सार्वभौमिकता पर आंच आने की संभावना रहती है।
2. विदेशी कम्पनियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करती है।
3. ब्याज एवं लाभांश का अत्यधिक भार बढ़ जाता है।
4. देश के नागरिक विदेशी मानसिकता के शिकार हो जाते है, जिससे देश की संस्कृति के भ्रष्ट होने का खतरा बना रहता है।
5. विदेशी सहायता में विलम्ब से, आर्थिक योजनाओं की लागतों में वृद्धि हो जाती है।
6. प्रतिफूल, व्यापारिक शर्तो से अर्थव्यवस्था का ढांचा ही चरमरा जाता है।
7. विदेशों द्वारा दिए गए ऋणों के प्रयोग पर प्रतिबन्धों से भारतीय हितो की सदैव क्षति होती है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार हेतु सुझाव–

1. वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र. में अधिकारिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों को उदार बनाने की जरूरत हैं
2. मौद्रिक नीति को प्रत्यक्ष निवेश के अनुकूल बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है जिससे मंहगाई पर नियंत्रण हेतु कीमतों तथा ब्याज दर को घटाना होगा।
3. राज्यवार विद्यमान आर्थिक ,सामाजिक,भौतिक विषमता को दूर करने हेतु गरीब व कमजोर आधारभूत सरंचना वाले राज्यों मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रावधान करने होगें।
4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मात्र वितीय लाभ के लिए ही सीमित नही रखना चाहिए बल्कि तकनीकी,मानविकी तथा उन्नत कृषि हेतु अनिवार्य प्रावधानों से निर्मित करना चाहिए।
5. देश में,वस्तुओं का आयात करने के स्थान पर, स्वदेशी तकनीकी अपनाते हुए वस्तुओं का निर्माण किया जाए।

निष्कर्ष – आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ 65 प्रतिशत क्रियाशील जनता निवास करती है। अत: भारत की क्रियाशील जनता को ध्यान में रखकर भारत में ऐसी प्रत्यक्ष निवेश

नीति को बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे यदि किसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा रहा हो। तब उसमें तुरंत हस्तक्षेप कर सुधारात्मक उपाए किए जा सके। इसके अतिरिक्त मानव विकास के अहम् बिंदु शिक्षा,स्वास्थ्य और चिकित्सा सहित जीवन स्तर के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढावा देना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय तथा सामाजिक कल्याण की अवधारणा और भारत के विकसित देश बनने की संभावना पूर्ण रूप से साकार हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. डॉ.आर.एल.शर्मा एवं डॉ. पी दयाल. 'व्यावसायिक वातावरण' रमेश बुक डिपो,जयपुर –नई दिल्ली, 2004
2. 'रिसर्च पेपर' डॉ.ए.के. पाण्डेय, नवीन शोध संसार, ISSN 2320–8767, अप्रैल से जून 2015' भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संभावनाएँ
3. व्यावसायिक जर्नल,'बैकिग चिंतन अनुचिंतन' प्रबंध संपादक डॉ. रमाकांत गुप्ता।
4. भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक रिर्पोट 2015
5. Uttarakhand news.blogspot.in
6. वेबसाईट्स–www.rbi.org.in

सारणी क्रमांक –2

स्त्रोतवार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष प्रवाह (अन्य देशो के साथ)

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2015 तक (राशि मिलियन डालर में)

क्र.सं.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (देश)	2006–06	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	मॉरिशस	3780	9518	10.165	9801	5616	8142	8059	3695	5878
2.	सिंगापुर	582	2827	3360	2218	1540	3306	1605	4415	5137
3.	यू.एस.ए	706	950	1236	2212	1071	994	478	617	1981
4.	साइप्रस	58	570	1211	1623	571	1568	415	546	737
5.	जापान	80	457	266	971	1256	2089	1340	1795	2019
6.	नीदरलैंड	559	601	682	804	1417	1289	1700	1,157	2154
7.	यूनाइटेड किंगडम	1809	508	690	643	538	2760	1022	111	1891
8.	जर्मनी	116	486	611	602	163	368	467	650	942
9.	यू.ए.ई	215	226	234	373	188	346	173	239	327
10.	फ्रांस	100		437	283	486	589	547	229	347
11.	स्वीजरलैड	57	136	135	96	133	211	268	356	292
12.	हांगकांग	60	192	155	137	209	262	66	85	325
13.	स्पेन	62	106	363	125	183	251	348	181	401
14.	साउथ कोरिया	68	48	95	159	136	226	224	189	138
15.	लक्सम्बर्ग	–	86	23	40	248	89	34	539	204
16.	अन्य	–	15	–	2374	1184	983	1540	1249	1250

स्त्रोत– रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया वार्षिक रिर्पोट

****

केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक से लाभांवित कृषकों का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन(जिला धार ,म.प्र. के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राजेश्री देसाई * रामकन्या भिड़े**

शोध सारांश – भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ने अपना महत्व बरकरार रखा है। कृषि उत्पादों का व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के रूप में रोटी, कपड़ा और मकान इत्यादि की पूर्ति करना होता है। कृषि से जुड़े उद्योगों में कच्चे माल आदि के लिए कृषि के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। एक समय जहाँ, जनसंख्या कम थी तथा कृषि उत्पाद भरपूर मात्रा में पैदा होते थे, वही वर्तमान समय में कृषि उत्पादों की आवश्यकता बढ़ी हैं। कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिए अथक् प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकें, जितनी हमें आवश्यकता थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा राष्ट्रीय आय का लगभग 30 प्रतिशत कृषि तथा उससे जुड़े उद्योगों से प्राप्त होता है। देश की लगभग एक तिहाई जनसंख्या को संतोषजनक आय व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमें अनवरत् ऐसे प्रयास करने होंगे, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में अग्रसर हो। इन्वेस्ट इण्डिया बिजनेस सर्विसेस के विश्लेषण के अनुसार देश में लगभग कुल कार्यशील जनशक्ति 35.8 करोड़ है, इसमें से 41 प्रतिशत यानि 14.7 करोड़ कृषि में संलग्न है, 66 लाख यंत्रीकृत कृषि में, 795 लाख परम्परागत कृषि में, 51 लाख पशुपालन में, 18 लाख जीवन निर्वाह में तथा 540 लाख कृषि श्रमिकों के रुप में कार्यरत है। इसी से कृषि क्षेत्र का महत्व सुस्पष्ट होता है। **लेकिन यह भी सच है नेशनल पॉलीटिकल कन्वेशन ऑफ इण्डियन सोशल एक्शन फोरम** के द्वारा आयोजित संगोष्ठी के अनुसार भारत में लगभग 84 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे है। यह सच्चाई है कि हमारी खेती 21वीं सदी में पहुँचकर भी मानसून पर निर्भर है। लगभग 60 प्रतिशत खेत बिना बारिश के बंजर बन जाते है और किसान कंगाल हो जाता है। सूखा व अकाल देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है। भारत में कृषि क्षेत्र के पर्याप्त विकास न होने के कई कारण है, जिसमें मुख्यत: सिंचाई के साधनों का अभाव कृषि कार्य हेतु वित्त का अभाव, उन्नत खाद एवं बीज का अभाव, आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव, कृषि कार्य हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग न कर पाना आदि। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषक को सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के आज 68 वर्ष पूर्ण हो चुके है। 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 84 प्रतिशत भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि तथा कृषि कार्यो पर निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण अनेक समस्याओं से घिरी हुई है। कृषि कार्य में लगी जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुँआ भी कहते है, क्योंकि अधिकतर कृषकों के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। कृषि कार्य मे पूँजी निवेश करने के लिए कृषकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूँजी होना चाहिए पर कृषकों को अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी नहीं होती हैं, ऐसी दशा में खेती में निवेश करने तथा कृषि का विकास करने में कृषक पिछड़ जाता है। अगर कृषक अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति करने के पश्चात् बचत करने में सफल होगा। तो वह कृषि में आधुनिकता को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में वृद्धि कर सकता है, और कृषि को फायदे का धंधा बना सकता है। लेकिन कृषि को सफल बनाने के लिए कृषकों को आसान शर्तो पर उनकी सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार फसल की बोनी के पूर्व ऋण उपलब्ध कराया जाये तो कृषक देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। अगर सहकारी बैंक इनको पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध कराये तो कृषकों के सपने साकार हो सकते है। एवं कृषकों के जीवन यापन में सुधार की संभावना बनेंगी। लेकिन कृषकों को उचित मात्रा में पूँजी न मिले तो कृषक कृषि कार्य में पिछड़ जाता है। कृषकों के पिछड़ने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तथा कृषक के जीवन स्तर मे गिरावट आ जाती है। कृषि से उसके परिवार का पालन–पोषण न हो तो वह पलायन के लिये मजबूर हो जाता है। इसलिए कृषकों के जीवन स्तर को उँचा उठाने के लिए ऋण अतिआवश्यक है। कृषि के विकास के लिए केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण है। भारत की अर्थ व्यवस्था विश्व की अन्य अर्थ व्यवस्थाओं से तेजी से विकास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना अति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंकों के माध्यम से ही होती है। **सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण की रीढ़ की हड्डी है।** अत: इसका सदुपयोग करना अतिआवश्यक है। ग्रामीण जनता को केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक के द्वारा उचित प्रकार से ऋण उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं। सदस्यों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा हैं। प्राप्त ऋण का उचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं, ऋण वितरण से कृषि विकास हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त कर उचित सुझाव देना, ताकि आने वाले समय मे कृषकों को भरपूर मात्रा में ऋण मिल सके तथा बैंक भी कृषकों की मांग के अनुरूप ऋण योजनाएँ बना सके। कृषक ऋण की पूर्ति के लिए साहूकारों, महाजनों, व्यापारियों के पास जाते है तथा उँची ब्याज दर पर ऋण लेते है, जिससे उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा भाग व्यर्थ चला जाता है। अत: कृषक बड़ी मात्रा में सहकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण ले, इसके लिए कृषकों को जागरूक करना आवश्यक है। ताकि कृषि विकास की उँची दर हासिल की जा सके तथा कृषि उत्पादन बढ़ाकर देश की जनता की अन्न पूर्ति हो सके। मध्य प्रदेश मे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली उचित प्रकार से हो, ऋण संबंधी दोषो को दूर करने के लिए सुझाव हेतु विभिन्न तालिकाओं व समंको की सहायता ली गई है।

शब्द कुंजी – कृषि क्षेत्र, ऋण योजनाएँ, जागरूक, सहकारी बैंक, कृषक।

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है। आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक कृषि ने अपना महत्व बरकरार रखा है। क्योंकि कृषि उत्पादों से व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान इत्यादि की पूर्ति करता आया है। साथ ही कृषि से जुड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि के लिए कृषि के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। एक समय जहाँ, जनसंख्या कम थी तथा कृषि उत्पाद भरपूर मात्रा में पैदा होते थे, वही वर्तमान समय में कृषि उत्पादों की आवश्यकता बढ़ी हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा राष्ट्रीय आय का लगभग 30 प्रतिशत कृषि तथा उससे जुड़े उद्योगों से प्राप्त होता है। इन्वेस्ट इण्डिया बिजनेस सर्विसेस के विश्लेषण के

* फेक्लटी, स्कूल ऑफ कॉमर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, स्कूल ऑफ कॉमर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

अनुसार देश में कुल कार्यशील जनशक्ति लगभग 35.8 करोड़ है, इसमें से लगभग 41 प्रतिशत यानि 14.7 करोड़ कृषि में संलग्न है, 66 लाख यंत्रीकृत कृषि में, 795 लाख परम्परागत कृषि में, लगभग 51 लाख पशुपालन में, 18 लाख जीवन निर्वाह में तथा 540 लाख कृषि श्रमिकों के रुप में कार्यरत है। इसी से कृषि क्षेत्र का महत्व सुस्पष्ट होता है। लेकिन यह भी सच है नेशनल पॉलीटिकल कन्वेशन ऑफ इण्डियन सोशल एक्शन फोरम के द्वारा आयोजित संगोष्ठी के अनुसार भारत में लगभग 84 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे है। यह सच्चाई है कि हमारी खेती 21वीं सदी में पहुँचकर भी मानसून पर निर्भर है। लगभग 60 प्रतिशत खेत बिना बारिश के बंजर बन जाते है और किसान कंगाल हो जाता है। सूखा व अकाल देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है। भारत में कृषि क्षेत्र के पर्याप्त विकास न हो पाने के पीछे कई कारण है, जिनमें मुख्यत: सिँचाई के साधनों का अभाव कृषि कार्य हेतु वित्त का अभाव, उन्नत खाद एवं बीज का अभाव, आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव, कृषि कार्य हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग न कर पाना आदि। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषक को सर्वप्रथम आवश्यकता होती है वित्त की, जिसकी व्यवस्था वह निजी साहूकारों, व्यापारियों व महाजनों से करता आया हैं तथा अपनी आय का अधिकांश हिस्सा इन लोगों को ब्याज के रुप में दे देता हैं। इसलिए वे अपना विकास नहीं कर पाते हैं। उनको आवश्यकता हैं ऐसी सरकारी संस्था की जो कृषि कार्य हेतु आसानी से एवं कम ब्याज दर वाला दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवा सकें, जिससे वे अपनी कृषि कार्य की क्षमता में वृद्धि कर सकें तथा देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं जीवन स्तर की वृद्धि में अपना योगदान दे सकें।

कृषकों की स्थिति – स्वतंत्रता प्राप्ति के आज 68 वर्ष पूर्ण हो चुके है। 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 84 प्रतिशत भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि तथा कृषि कार्यो पर निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण अनेक समस्याओं से घिरी हुई है। कृषि कार्य में लगी जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुँआ भी कहते है, क्योंकि अधिकतर कृषकों के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। कृषि कार्य में पूँजी निवेश करने के लिए कृषकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूँजी होना चाहिए पर कृषकों को अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी नहीं होती हैं, ऐसी दशा में खेती में निवेश करने तथा कृषि का विकास करने में कृषक पिछड़ जाता है। लेकिन कृषकों को उचित मात्रा में पूँजी न मिले तो कृषक कृषि कार्य में पिछड़ जाता है। कृषकों के पिछड़ने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तथा कृषक के जीवन स्तर में गिरावट आ जाती है। कृषि से उसके परिवार का पालन-पोषण न हो तो वह पलायन के लिये मजबूर हो जाता है। इसलिए कृषकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ऋण अतिआवश्यक है। कृषि के विकास के लिए केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण है।

धार जिले का सामान्य परिचय एवं अन्य तथ्य – धार जिले को राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से लगभग 54.48 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। बाज बहादुर को गायिका रानी रूपमति के संग प्रेम के लिए आज भी याद किया जाता है। 1555 ई. में माण्डू बाज बहादुर के अधिकार क्षेत्र में था। 1561 में अकबर ने आदम खान एवं पीर मोहम्मद को बाज बहादुर से युद्ध के लिए भेजा, जिसमें बाज बहादुर की मृत्यु हो गई। धार 1 अक्टुबर 1864 तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा।

धार जिले का सबसे ऊँचा पर्वत मगराना (751.03) मीटर केन्द्रीय भाग में स्थित है। जिले में 13 विकासखण्ड है। जिला प्राकृतिक रूप से सुन्दर है। यहाँ पर कई छोटी एवं बड़ी नदियाँ कल-कल बहती है। जिले में से नर्मदा, चम्बल, माही, करम, बाघ, उंटी, सादी, नालछा, घटबाल इत्यादि नदियाँ होकर गुजरती हैं। जिला नदियों के कारण सिंचाई के साधनों से सम्पन्न है, पर इनका यहाँ सदुपयोग कम मात्रा में होता है।

धार जिला की जलवायु गर्म है। यहाँ का तापमान अत्यधिक रहने के कारण इस क्षेत्र में कपास एवं मिर्च फसलों की पैदावार अधिक मात्रा में होती है। ग्रामीण क्षेत्र कृषि भूमि की उपजाऊता के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ काली मिट्टी की बाहुलता है, जिससे क्षेत्र में फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। यहाँ कपास, मिर्चि, गेहूँ एवं सब्जियाँ इत्यादि की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। अन्य फसलों में सोयाबीन, गेहूँ, ज्वार, मक्का, चना, तुअर, उड़द की खेती होती है। जमीन समतल कम मात्रा में है। अधिक मात्रा में छोटी-छोटी पहाड़ियाँ है,जिनमें कृषि कार्य करने के लिए बड़ी मात्रा में सुधार की आवश्यकता है और सुधार के लिए कृषकों को ऋण की आवश्यकता होती है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत शोध मुख्यत: निम्न उद्देश्यों पर आधारित है –

1. ऋण भुगतान में भेदभाव का आँकलन करना।
2. ऋण प्रदान करने में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना।
3. ऋण प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास का आँकलन करना।

शोध की परिकलपनाएँ –

1. कृषकों का केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक धार के कृषि साख में योगदान बढ़ता जा रहा है।
2. कृषकों को सहकारी बैंक की ऋण प्रक्रिया एवं ऋण नीति की उचित जानकारी नहीं है।
3. कृषकों को ऋण प्रदान करने से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।
4. केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक ऋण से कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिर में बदलाव आया।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध में प्राथमिक समंकों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक समंक – प्राथमिक समंक एकत्र करने के लिए धार जिले की तहसील कुक्षी में विकासखण्ड (निसरपुर) ग्रामीण क्षेत्र के 5 गाँवों (1.आम्बाड़ा, 2.ढुकणी, 3. लोणी, 4.ननोदा, 5. धुलसर) के न्यादर्श आधार पर 100 कृषक परिवारों से प्रश्नावली/अनुसूची तैयार कर प्रश्नों को पूर्व निर्धारित क्रम में वार्तालाप कर जानकारी एकत्रित की गई है तथा कृषक परिवारों को प्राप्त ऋण से उनके विकास का आँकलन करने का प्रयास किया है।

निष्कर्ष – भारत की अर्थ व्यवस्था विश्व की अन्य अर्थ व्यवस्थाओं से तेजी से विकास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना अति आवश्यक है।ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंकों के माध्यम से ही होती है। सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण की रीढ़ की हड्डी है। जिला सहकारी बैंक कृषकों को ऋण प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कृषक ऋण प्राप्त करके कृषि विकास को आगे बढ़ा रहे है। फसलों का उत्पादन बढ़ने पर तथा खर्चो में कमी करके कृषक अच्छी आमदनी हासिल कर अपने जीवन स्तर में सुधार किया है। घर में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने लगी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बरला-डॉ.सी.एस., अग्रवाल-आर.सी,- भारतीय अर्थशास्त्र - पृष्ठ 169
2. माथुर, वी.एस. सहकारिता - डॉ. स्मिथ का उद्धरण पृष्ठ 13
3. बही, पृष्ठ 87
4. धुर, डॉ. बी.एस. - सहकारिता पृष्ठ 2

धार जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थिति - एक अध्ययन (वर्ष 2002-03 से 2011-12)

डॉ. बी. एस. सिसोदिया *

प्रस्तावना - जनगणना 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य की आबादी का 20.27 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है। जनजाति के लोग मुख्यत: वन अंचलों में निवास करते हैं, इनकी आजीविका का मुख्य साधन वनोपज, कृषि एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध रोजगार होता है। सुदूर ग्रामीण अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि आवश्यकताओं की आपूर्ति नाममात्र के रूप में ही हो पाती है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। फलत: इनका जीवन न्यूनतम सुविधाओं पर निर्भर करता है तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी और आदिवासी समुदाय में सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान है वही अशिक्षा, शराब का सेवन एवं अधिक बच्चों का होना एक सामान्य बात है। ऐसी स्थितियों में आदिवासी समुदाय की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए जनकल्याण कार्यक्रमों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

देश की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है वही दूसरी तरफ लगभग 70 प्रतिशत आदिवासियों में अशिक्षा, गरीबी एवं अज्ञानता विद्यमान है। उनमें रूढ़िवादिता व्याप्त है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किये है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जनसंख्या वृद्धि को रोकना ही नहीं वरन् असमय प्रसूति के दुष्परिणामों में मातृत्व की रक्षा करना, समय पर संतान के उत्तम पालन पोषण की व्यवस्था भी करना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

अध्ययन का उद्धेश्य - धार जिले में जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया यह देखना इस अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग होगा।

समंक संकलन - प्रस्तुत शोध पत्र धार जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर आधारित है। यह द्वितीय स्त्रोतों से प्राप्त समंको पर आधारित है उक्त अध्ययन हेतु वित्तिय वर्षो (2002-03 से 2011-12) के समंको का संकलन कार्यालय जिला चिकित्सालय जिला धार से किया है।

जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी, लूप निवेशन, सी.सी. यूजर्स एवं औरेल पिल्स की उपलब्धि को अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका - (देखे अगले पृष्ठ पर)

विश्लेषण - तालिका का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि धार जिले के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में 14500 नसबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध 13962 नसबंदी की गई। जिसमें 30 पुरूष सम्मिलित है। इसी वर्ष में लक्ष्य 15000 के विरूद्ध 13880 लूप निवेशन किए गये जो 92.53 प्रतिशत रहा जबकि 32830 व्यक्ति सी.सी. यूजर्स (निरोध प्रयोग) दर्ज किए गये तथा 14630 महिलाओं को ओरल पिल्स (गर्भ निरोधक दवाई) दी गई।

वर्ष 2003-04 में 15000 नसबंदी करने का लक्ष्य विभाग को दिया गया था। जिसके विरूद्ध विभाग ने 81.09 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की अर्थात इस अवधि में 12163 नसबंदी की जिसमें 48 पुरूष नसबंदी भी शामिल है। इसी वर्ष में लक्ष्य 15000 में विरूद्ध 12004 लुप निवेशन किये गए जबकि 13996 महिलाओं को औरल पिल्स दी गई वहीं लक्ष्य 44000 के विरूद्ध 74.96 प्रतिशत व्यक्ति सी.सी. यूजर्स के पाये गये।

वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 15000, 16000 एवं 16000 के विरूद्ध क्रमश: 11367, 12890 एवं 12186 नसबंदी की जिसमें क्रमश: 81, 32 एवं 25 नसबंदी पुरूषों की की गई, सम्मिलित है। इस अवधि में उपलब्धि का प्रतिशत 75.78, 80.56 एवं 76.16 प्रतिशत रहा।

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त अवधि में लक्ष्य के विरूद्ध क्रमश: 12269, 11733 एवं 11351 केस लूप निवेशन के रहे जबकि क्रमश: 14581, 14983 एवं 16891 महिलाओं को औरल पिल्स की दवाई दी गई। यह उपलब्धि क्रमश: 91.13 प्रतिशत, 90.81 प्रतिशत एवं 99.36 प्रतिशत रही, वही 33443, 34530 एवं 35104 व्यक्ति सी.सी. यूजर्स पाये गये। वर्ष 2007-08 में 12994 नसबंदी, 12158 लूप निवेश, 17133 औरल पिल्स एवं 36286 सी.सी. यूजर्स के केश चिकित्सा विभाग द्वारा सम्पन्न एवं दर्ज किए गये।

वर्ष 2008-09 में लक्ष्य 16380 के विरूद्ध 14896 नसबंदी कर 90.94 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की वही 71.11 लूप निवेश एवं 98.56 प्रतिशत केश औरल पिल्स के थे जबकि लक्ष्य के विरूद्ध 81.14 प्रतिशत सी.सी. यूजर्स पाये गये।

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 20000, 21000 एवं 21000 के विरूद्ध क्रमश: 13204, 21705 एवं 21906 नसबंदी की गयी। इस प्रकार उपलब्धि क्रमश: 66.02 प्रतिशत, 103.36 प्रतिशत एवं 104.31 प्रतिशत रही, विगत दस वर्षो में सर्वाधिक उपलब्धि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में दर्ज की, वर्ष 2010-11 के लिये धार जिले में पदस्थ कलेक्टर श्री बी.एम. शर्मा को इस कार्य हेतु राज्य सरकार ने पुरस्कृत भी किया , जिन्हें रूपये 1,00,000 एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

इस अवधि में क्रमश: 15579, 14821, एव 15153 केस लूप निवेशन के रहे जबकि क्रमश: 19670, 17886 एवं 15561 महिलाओं को ओरल पिल्स दी गयी वहीं क्रमश: 40923, 37393 एवं 33750 सी.सी. यूजर्स पाये गये।

निष्कर्ष – इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धार जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत दस वर्षो में नसबंदी, लूप निवेशन, ओरल पिल्स एवं सी.सी. यूजर्स की संख्या में उच्चावचन होता रहा है। किन्तु समग्र रूप से इस कार्यक्रम में प्रगति हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि परिवार नियोजन की दिशा में लोगों के नजरियें में बदलाव आया है और वे अब दो से तीन सन्तान होने के पश्चात् परिवार नियोजन अपना रहे है। सर्वेक्षण के दौरान 46 प्रतिशत आदिवासी परिवारों ने भी इसे उचित ठहराया है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम से लोग प्रभावित हो रहे है और औसत रूप से यह सफल सिद्ध रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. गुप्ता, सुरेश – आगे आये लाभ उठाये (एल.के. जोशी) आयुक्त जनसम्पर्क, भोपाल।
2. डॉ. वी. कुमार – जनांकिकी।
3. भारत की जनगणना 2011, घटना चक्र (समसामयिक)।
4. भारतीय जनांकिकी।
5. कार्यालय जिला चिकित्सालय, धार (म.प्र.)।
6. दैनिक पत्र–पत्रिकाएँ।

तालिका

धार जिला राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थिति

वर्ष	नसबंदी			लूप निवेश			ओरेल पिल्स			सी.सी. युजर्स		
	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत
2002–03	14500	13962	96.28	15000	13880	92.53	15000	14630	97.53	44000	32830	74.61
2003–04	15000	12163	81.09	15000	12004	80.03	15000	13996	93.31	44000	32981	74.96
2004–05	15000	11367	75.78	16000	12269	76.68	16000	14581	91.13	44500	33443	75.15
2005–06	16000	12890	80.56	16500	11733	71.11	16500	14983	90.81	44500	34530	77.59
2006–07	16000	12186	76.16	17000	11351	66.77	17000	16891	99.36	45000	35104	78.00
2007–08	16000	12994	79.33	17000	12158	67.54	18000	17133	95.18	45000	36286	80.64
2008–09	16380	14896	90.94	19600	13937	71.11	19600	19318	98.56	45500	36921	81.14
2009–10	20000	13204	66.02	19600	15579	79.48	19600	19670	100.36	45500	40923	89.94
2010–11	21000	21705	103.36	19600	14821	75.62	19600	17886	91.26	45500	37393	82.18
2011–12	21000	21906	104.31	19600	15153	77.31	19600	15561	79.39	45500	33750	74.18

स्त्रोत – कार्यालय, जिला चिकित्सालय जिला–धार (म.प्र.)

****

डिजिटल इंडिया – एक संचार क्रांति

प्रो. राजेश मईड़ा *

प्रस्तावना – भारत के प्रधांनमत्री माननीय श्री नरेंन्द्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कर आम लोगों की दैनिक परेशानियां दूर करने का नया सपना दिखाया हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा, आशा की जाती हैं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू हो जाने से लोगों को अस्पतालों में भीड़–भाड़, विभिन्न सरकारी कार्यालयों की भागदौड़ अधिकारियों से संपर्क करने आदि में आने वाली मुश्किलें दूर होगी। स्कूली बच्चों को अकारण पुस्तकों के बोझ तले नहीं दबना पडेगा। वे मोबाइल लैपटॉप और टैब आदि के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। लोग अपने जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप में संभाल कर रख सकेंगे। सूचनाओं का आदान–प्रदान आसान होगा। सरकार का दावा हैं कि इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता आएगी। प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी मिटेगी।

प्रधानमंत्री मोदी जी का डिजिटल भारत का सपना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। लेकिन इसके लिए समुचित तैयारी करनी होगी। सरकार को ऐसे में कई चुनौतियों से जूझना पडेगा। इस योजना के तहत वर्ष 2016 तक देश के 2.5 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की बात कही गई हैं। लेकिन भारत में इंटरनेट की गति की बहुत धीमी हैं। ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट की सुविधा ही नहीं हैं। **इंटरनेट की गति के मामले में भारत का दुनिया में 115 वां स्थान हैं। अभी भी हमारे देश मे ब्रॉडबैड ग्राहकों की तादात केवल 10 करोड़ हैं। 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में यह आकंड़ा 10 प्रतिशत से भी कम हैं।** सरकार ने महानगर में वाई –फाई, हॉट–स्पॉट बनाकर अच्छा काम किया हैं।

पोर्टेबल होंगे मोबाइल नंबर– हमारे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गयी है। पूरे भारत में एक ही मोबाइल नंबर रहेगा। उपभोक्ता चाहे तो अपना नंबर बदले बिना देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी से कनेक्शन ले सकते हैं। एयरटेल, वोडाफोन, एमटीएनएल और बीएसएनएल ने 3 जुलाई 2015 से यह सुविधा ग्राहकों को देनी शुरू कर दी हैं।

नंबर पोर्टेबिलिटी के फायदे– अगर आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो अब आपको नया नंबर नहीं लेना पड़ेगा।आप बस एक जगह से सर्विस बंद कराइए और आपका नंबर वही बना रहेगा। अगर आप आधार कार्ड में अपना फोन नबंर दे देते हैं तो शहर बदलने पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

- आपको अब फोन बदलने पर डाटा खोने का डर भी नहीं रहेगा। आप चाहें तो सीम के सारे नम्बर पुराने सर्विस प्रोवाइडर को एक आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं।
- आप दूसरे सर्किल में भी अच्छा नेटवर्क या सस्ते दाम वाली सर्विस चुन सकते है। इसके लिए आपको केवल 18 रूपये देने पड़ेंगे।
- इससे दूरसंचार कपंनियों में भी अच्छी दरों पर पोस्टपेड और प्रीपेड सुविधाएं देने के लिए प्रतियोगिता बढेग़ी जिससे काल दरें भी कम होगी।
- इस सुविधा का लाभ कुछ राज्य नहीं उठा पाएंगे। जैसे जम्मू– कश्मीर और असम और पूर्वोत्तर के राज्य में सुरक्षा कारणों से यह सुविधा लागू नहीं होगी।

डिजिटल इंडिया के उद्देश्य – डिजिटल इंडिया का उद्देश्य हर नागरिक को सरकारी विभागों से जोड़ना है। डिजिटल इडिया योजना के जरिये हर गांव और शहर को इंटरनेट से जोड़ने की योजना हैं। इससे लोग कागजी काम पर आश्रित रहने के बजाय अपने ज्यादातर काम ऑन लाइन कर सकेंगे इस योजना में करीब 4.5 लाख करोड़ रूपये का निवेश होना हैं। 1 लाख 13 हजार करोड़ रूपये सरकार अपनी तरफ से लगाएगी ओर 2.5 लाख करोड़ रूपये का निवेश रिलायंस इंडस्ट्री करेगी आम लोगों को इस योजना से क्या लाभ मिलेगा।

दस्तावेजों का डिजिटलीकरण – अब आपको अपने दस्तावेजों के चोरी होने का डर नहीं रहेगा। आप अपना पेनकार्ड, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन रख सकेगे इन्हें एक्सेस करना बेहद आसान होगा। इससे आप हार्ड कॉपी के झंझट से बच जाएंगे।

ई.बैग – पूरी दूनिया अब आपके हाथ में होगी। आपके हाथ में ई.बैग होगा। छात्र अपनी किताबों को कहीं से भी डाउनलोड कर सकेंगे उन्हें किताबों का बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड अब अपनी किताबें ऑनलाइन रख सकेंगे, इसका सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को होगा।

खुलेंगे ई–अस्पताल – शहर के लोगों को अब अस्पतालों में लाइन नही लगानी पड़ेगी। ई –अस्पताल योजना के तहत लोगों को ऑनलाइन मेडिकल सुविधा दी जाएगी। मरीज देश में किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। गांव के लोग भी इस योजना से जुडेंग़े।

साइंनिग डिजिटल इंडिया से रोजगार –डिजिटल इंडिया योजना से करीब 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी कई बडे पूंजीपति डिजिटल इंडिया की योजना में निवेश कर रहें हैं। इससे बेराजगार नवयुवको को नए रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा।

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल – अब छात्रो की स्कॉलरशिप की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। कोई भी छात्र स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसका विवरण भी ऑनलाइन ही होगा।

स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल एप – इस मिशन के लिए मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की जाएगी। इससे आप सीधे अपने मोबाइल के जरिये जुड़ सकेगे। कहीं भी गदंगी आपको नजर आऐं तो आप इसकी सूचना तुरन्त आप इस मिशन को दे सकेंगे।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

हर गांव इंटरनेट से जुडेगा – गांवो तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार अपने स्तर से प्रयास करेगी। साथ ही कई शहरों में वाई- फाई का इंतजाम भी किया जायेगा। गांव के लोग भी घर बैठे ई-मेल कर पाएगें।

दफ्तरो का काम होगा आसान – अगर डिजिटल इंडिया पूरी तरह सफल रहा तो सभी दफ्तरों का काम पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना आवेदन पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन ही जमा कर सकेगें। इससे आपके समय और पैसे की बचत होगी।

हॉट स्पॉट होगी जगह – पूरे देश में वाई -फाई, हाट- स्पॉट बनेगें इससे लैपटॉप और स्मार्ट फोन आसानी से इंटरनेट से जूड़ सकेंगे, अभी बीएसएनएल की 53 जगहों पर हॉट- स्पॉट हैं। इस वर्ष के अतं तक कंपनी ने 250 जगहों पर 2500 हॉट- स्पॉट लगाने का लक्ष्य रखा हैं। अब अगर आप ताजमहल देखने जाते है तो वहां आप फ्री में वाई -फाई का इस्तेमाल कर सकेगे।

डिजिलॉकर की सुविधा होगी – स्मार्ट सिटी में आपको दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने होगें। आपको कोर्ट-कचहरी के धक्के नहीं खाने होगें। डिजिलॉकर आपकी दुनिया ही बदल देगी, इसके इस्तेमाल के लिए आपको आधारकार्ड नबंर देना होगा। इससे आप अफसरों की रिश्वतबाजी और उनकी सुस्ती से बच सकेंगे।

नौकरी का पिटारा खुलेगा – डिजिटल इंडिया का बजट एक लाख करोड़ रूपये का हैं। इसे पूरी तरह लागू होने के बाद 5 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा होगें।

डिजिटल इंडिया सरकार की दो बडी परियोजनाऐं मेक इन इंडिया और स्किल्ड इंडिया का हिस्सा है ।

पेपर मुक्त काम – डिजिटलीकरण से सभी दफ्तर पेपर मुक्त हो जाएंगे। उनके सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे इससे दफ्तर में काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। कागज की फाइलें अब चारों तरफ नहीं फैली रहेंगी।

परियोजना पर संदेह का मडंराता साया – अभी लोगों को इस परियोजना को लेकर संदेह हैं। डिजिटल इंडिया के आलोचक कुछ और कहते हैं। उदाहरण के तौर पर डिजिलॉकर का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध होगी। इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत होगी, इसके अलावा जिसके पास मोबाइल फोन होगा, वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड (OTP) आपके मोबाईल पर ही आयेगां। इंटरनेट एंड मोबाइल फोन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबित पिछले साल दिसंबर तक भारत की 130 करोड़ आबादी में से 17.3 करोड़ लोग मोबाइल फोन के मालिक थे। यह संख्या लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ देश की साक्षरता दर 74 प्रतिशत से कुछ ज्यादा हैं। अभी कुछ लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं हैं। ऐसे में वे डिजिटल इंडिया का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सभी को साक्षर होना जरूरी हैं। आज भी हर गांवो में करोडों लोगों के पास बिजली नहीं होगी तब तक कैसे इंडिया का डिजिटल सपना पुरा होगा ? सरकार इस मुहिम को हर गावं तक ले जाना चाहती हैं। इसके तहत शुरू में कुछ गांवों में से एक में सरकारी कम्प्यूटर हब बनाए जाएंगे। यहां गावं के लोग जाकर उस कम्प्यूटर को लॉग इन कर सकगें। इसमें कोई शक नहीं कि डिजिटल इंडिया देश और समाज को बदलने की क्षमता रखता हैं। लेकिन इसके लिए घर-घर में बिजली से उजाला करना होगा नहीं तो बिन बिजली सब सुन रहेगा।

स्मार्टफोन बनाएगा सभी को स्मार्ट – भारत में अभी बहुसंख्यक आबादी इंटरनेट से दूर हैं। इसके बावजूद भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालो की संख्या 10 करोड़ से उपर हैं जाना अपने आप में बड़ा बदलाव है। इतनी तो दुनिया के कई विकसित देशों की आबादी भी नहीं हैं दस करोड का यह आंकडा भारत की डिजिटल साक्षरता का आंकडा हैं अर्थात इतने ही लोग अपने कार्य व्यापार व अन्य जरूरतों में इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं हालात यह है की पिछले दस दशक से भारत को किसी ओर चीज ने नहीं बदला जितना इंटरनेट ने बदल दिया है बाकी की रही सही कसर स्मार्ट फोन ने पुरी कर दी इस समय स्मार्ट फोन उपभोक्ता के लिहाज से भारत विश्व में दूसरा बड़ा बाजार है। ऐसा अनुमान है की सन् 2019 तक भारत स्मार्ट फोन इस्तेमाल करने वालो की संख्या करीब 65 करोड़ हो जाएगी। पिछले वर्ष 2014 में मोबाइल डेटा ट्रैफिक 69 प्रतिशत तक बढ़ा है। वर्ष 2014 मे विश्व में मोबाइल उपकरणो एवं कनेक्शनों की संख्या बढ़ाकर 7.4 बिलियन तक पहुच गई। इस बढ़त में स्मार्ट फोन की हिस्सेदारी 88 प्रतिशत रही इसकी कुल संख्या संसार में बढकर 439 मिलीयन हो गई। वैसे तो इंटरनेट मुख्यत कम्प्यूटर आधारित तकनीक रही है लेकिन स्मार्टफोन के आ जाने से यह धारणा तेजी से खत्म हो रही है, जिस तेजी से मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल बड रहा हैं। यह संकेत स्पष्ट है की भविष्य में इंटरनेट आधारित सेवाएं कम्प्युटर नहीं बल्कि मोबाइल को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई जाएगी। भविष्य में ऑनलाईन शॉपिंग सिर्फ मोबाइल एप से ही होगी न की वेबासाइट से। भविष्य में सारी इंटरनेट तकनीक एप आधारित होगी जिसके केन्द्र में होगा मोबाइल इंटरनेट।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और सूचना अर्थव्यस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम 2018 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा इसकी प्रकृति रूपान्तकारी है तथा इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध हो, इसलिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में नौ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया हैं।

- सभी नागरिकों के माध्यम से प्रशासन मे सुधार लाया जाएगा।
- सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवांए मुहैया कराई जाएगी।
- सड़क हाइवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाइवे से शहरों को जोडा जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगीकी के जरिए अधिक नौकरियाँ पैदा की जाएगी।
- ईन्फॉर्मेशन फॉर ऑल सेंटर खुलेगा, जिससे सभी को विभिन्न जानकारियाँ मुहैया करायी जाएगा।
- ई.क्रांति के तहत विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रानिक रूप में लोगों को मुहैया कराया जाएगा।
- अर्लि हार्वेस्ट प्रोग्राम चलेगा। इसका सबंध स्कूल कॉलेजो मे विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति से हैं इसके द्वारा सभी को समय से आने की नसीहत दी जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन अब देश में ही होगा। इसके तहत सरकार का लक्ष्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए कल-पुर्जो के आयात को शुन्य करना है, सरकार चाहती है, की ये सारे इलेक्ट्रानिक्स के सामान देश में ही बने जिससे हमारे युवाओ को और रोजगार मिल सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण ।
2. अभिव्यक्ति, सर्विल सेवा, अंक सितम्बर - अक्टूबर 2015
3. **https://digitallocker .gov.in**
4. www.digital india
5. www.makeinindia.com
6. योजना, प्रत्रिका ।

भारत में गरीबी के कारण एवं प्रभाव एक अध्ययन

डॉ. एस. सी. जैन *

प्रस्तावना – वर्तमान में गरीबी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है और साथ ही गरीबी एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या हैं, इसकी ओर स्वरूप बड़ा जटिल हैं। विश्व के सम्मुख गरीबी की समस्या एक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती हैं, गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है और समृद्धषील देश भी इसकी चपेट से नहीं बच सके। भारत में गरीबी हमेशा से ही एक मूलभूत समस्या रही है और समय समय पर सरकारों द्वारा गरीबी दूर करने के उपाय भी किये है। भारत ही नहीं विश्व के सभी अल्प–विकसित या विकासशील देशों में जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, आय की असमानताओं और बेरोजगारी ने कई बुराईयों को जन्म दिया है जिनमें से सर्वाधिक गंभीर बुराई निर्धनता या गरीबी हैं तात्पर्य यह है कि गरीबी असमानता और बेरोजगारी के मध्य बहुत नजदीकी संबंध हैं । वैश्वीकरण की ओर तीव्रता से बढ़ते हुए भारत की सबसे बड़ी आर्थिक–सामाजिक चुनौती गरीबी की है। भारत की लगभग 60 फीसदी आबादी अभी भी भरपेट खाना नहीं खा पाती है। यह गरीबी लोकतंत्र एवं शान्ति तथा सुरक्षा के लिए चुनौती है। भुख का अपना व्याकरण होता है और उसमें अधिकारो के अलंकरण की कोई जगह नहीं होती हैं। देश में आर्थिक विकास के साथ आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही है।

भारत में गरीबी तय करने के लिए बनायें गये अनेक मापदण्ड विवादित बने हुए है। गरीबों की संख्या को लेकर योजना आयोग एवं विभिन्न संगठनो के संमकों में काफी अंतर हैं। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी भोजन प्रतिदिन जिन्हें नहीं मिलता है वह गरीब माना जाता हैं। पौष्टिकता को मौद्रिक रूप में देखा जाए तो यह 107 रू. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह गॉवों में तथा 122 रू प्रति व्यक्ति प्रतिमाह शहरी क्षेत्रों में आता हैं। वह गरीब माना जाता हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रो में 11060 रू एवं शहरी क्षेत्रों में 11850 रू प्रति वार्षिक उपभोग व्यय का मापदण्ड निर्धारित किया गया। योजना आयोग के नवीनतम आंकडों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 26 रू प्रतिदिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 21 रू प्रतिदिन से कम मजदूरी पाने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी व भूख पर आयोजित सम्मेलन में कहा गया कि विश्व में हर 03 सेकण्ड में एक आदमी भूख से मर रहा हैं एन. एस. एस. के अनुसार देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की कुल जनसंख्या में 19.7 प्रतिशत अनुमानित हैं। यह सामान्य धारणा हैं कि जब किसी देश का विकास होता हैं, तो वहां गरीबी कम होती हैं। विकास एवं गरीबी में धनात्मक सहसंबंध माना जाता हैं लेकिन कुछ विद्धानों के मतानुसार देश में विकास के साथ–साथ गरीबी कम होने के स्थान पर बढ़ रही है। सरकारी आंकडों के विपरीत सुरेश तेन्दुलकर समिति की रिर्पोट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालो लोगों का कुल आबादी पर 37.2 प्रतिशत है तथा छठी पंचवर्षीय योजना में भी यह बात कही गई की हमारे देश में लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में अत्यंत गरीबी से जीवन गुजारनें वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 1990 में 51.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2005 में 41.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2015 में 31.5 करोड़ (25.4 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।

सामान्यत: जीवन, स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की असमर्थता को गरीबी कहते है। जब समाज का बहुत बड़ा भाग न्यूनतम जीवन स्तर को भी प्राप्त नहीं कर पाता हैं अर्थात केवल निर्वाह स्तर पर ही गुजारा करता हैं तो इसे समाज में व्यापक निर्धनता की संज्ञा दी जाती है। गरीबी की अवधारणा को सापेक्ष एवं निरपेक्ष दोनों रूप में देखा जा सकता हैं। सापेक्ष गरीबी से अर्थ आय की असमानताओं से होता है जब दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते है तो उसमें भारी अन्तर पाया जाता है, इस अन्तर के आधार पर हम गरीब अमीर देश की तुलना करतें है, जिसे सापेक्षिक गरीबी कहतें है। निरपेक्ष गरीबी को सामान्यत: जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता हैं। इसमें गरीबी सें अर्थ मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सहायता आदि की पुर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से होता है। अमेरिका जैसे राष्ट्रों में गरीबी की माप निरपेक्ष आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत गरीबी की माप वार्षिक आय के स्तर पर की जाती है।

देश में निर्धनता अनुपात एंव निर्धनों की संख्या के संबंध में ताजा आँकड़ें जुलाई 2013 को योजना आयोग द्वारा जारी किये गये। तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए नए फार्मूले के आधार पर वर्ष 2009–10 के लिए 19 मार्च 2012 को जारी किए गए थे। इस फार्मूले के अनुसार निर्धनता रेखा का आंकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा के बजाय, प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर अलग–अलग निर्धारित किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 816.8 रू प्रतिमाह व शहरी क्षेत्रों में 1000 रू प्रतिमाह के उपभोग व्यय को जहाँ वर्ष 2011–12 में निर्धनता रेखा की पहचान की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ओडिशा में जहाँ यह 695 रू न्यूनतम हैं वहीं नागालैण्ड में यह सर्वोच्च 1270 रू है। शहरी क्षेत्रों में छतीसगढ़ में 849 रू न्युनतम है। तथा नागालैण्ड 1302 रू सर्वोच्च है। योजना आयोग के वर्ष 2011–12 के अनुसार देश में निर्धनों की सर्वाधिक सख्या वाले राज्य क्रमश: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र है। जबकि निर्धनता अनुपात की दृष्टि से पहले तीन राज्य क्रमश: छतीसगढ़, झारखंण्ड, मणिपुर है। राज्यों में न्यूनतम निर्धनता अनुपात क्रमश: गोवा (5.9%) केरल (7.05%) हिमाचल प्रदेश(8.0%) है।

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

गरीबी के कारण –

1. शिक्षा और जागरूकता कमी से प्रत्येक व्यक्ति अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाता है और उसमें गरीबी के कारण स्वस्थ मानसिकता का विकास नहीं हो पाता है और वह हमेशा परंपरागत तरीके से चलता है।
2. भारत में ज्यादातर जनता निम्न और मध्यम वर्ग की है और यहां प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर उद्योग लगाने के बजाए नौकरी करना पसंद करता है। जिससे उद्योग में पिछड़ापन पाया जाता है।
3. अवसरों में असमानता और भ्रष्टाचार के कारण योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान नहीं मिल पाता है, जिससे वह पिछड़ जाता है और समाज में गरीब और गरीब होता चला जाता हैं।
4. भारत में राजनैतिक चेतना का अभाव है। यहां ज्यादातर व्यक्ति जाति, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मतदान करते है तथा भारत में सभी राजनितिक पार्टीयों को चुनाव के समय ही गरीबों का दर्द दिखाई देता है। जों भारतीय समाज में गरीबी का बड़ा कारण है।
5. भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत व्यवस्था तथा कई सामाजिक कुप्रथाएं जैसे साहूकारी प्रथा, जमीदारी प्रथा, मृत्युभोज देने की प्रथा, विवाह में आय से अधिक खर्च करना, जादु टोना, झूठी प्रतिष्ठा आदि देश की आर्थिक प्रगति में बाधक है। जिससें गरीबी का स्तर बना हुआ है।
6. भारत में बढ़ती जनसंख्या, पुँजी की कमी, अविकसित व्यवसाय, रोजगार प्रधान शिक्षा प्रणाली का अभाव, मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण दोहन, बढ़ती बेरोजगारी और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी आदि गरीबी के बड़े कारण है।

गरीबी का प्रभाव –

1. भारत में निर्धनता के कारण अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण परिवार नियोजन न अपनाने के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है।
2. भ्रष्टाचार और अवसरों में असमानता के कारण समाज में अपराधी प्रवृतिया बढ़ रही है।
3. भारत में व्याप्त जाति व्यवस्था एवं कुप्रथाओं के कारण उद्योगों में पिछड़ापन पाया जाता है तथा निष्क्रियता एवं भाग्यवादिता सें भिक्षावृति में वृद्धि हो रही है।
4. गरीबी के कारण बच्चों में कुपोषण एंव व्यक्तियों में निम्न जीवन स्तर पाया जाता हैं जिससे उनकी मानसिक सोच और शारीरिक स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पढ़ता है।
5. गरीबी से त्रस्त लोगों द्वारा गॉवों से शहरों की तरफ रूख किया जाता हैं जिससे शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा हैं और कई समस्याए उत्पन्न हो रही है।

गरीबी निवारण के सुझाव –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के साथ–साथ पशुपालन, वानिकी व सहायक उधोगों को भी बढ़ाना होगा।
2. गरीब वर्ग के लिए शिक्षा एवं जागरूकता के लिए अलग से नीतियों का निर्माण करना होगा तथा उन्हे उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
3. सरकार को भारतीय परिस्थितियों और जमीनी स्तर पर मूलभूत समस्याओं को ध्याान में रख कर नीतियों का निर्माण करना होगा ताकि संम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु सार्वजनिक कार्य तेजी से शुरू कर पुरा किया जाना चाहिए इसके लिए सड़के, नहरे, कुएं ग्रामीण मकान, बिजली, पानी की व्यवस्था आदि कार्य किये जा सकते है। जिससे बेरोजगारी और निर्धनता दोनों कम होगी।
5. गरीबी दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किये जाने चाहिए भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर 1.93 प्रतिशत वार्षिक है। जो अधिक है।
6. जनशक्ति नियोजन, कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन, पुँजी निर्माण में वृद्धि, मुद्रा स्फीर्ति पर नियंत्रण, समान अवसरों की उपल्ब्धता, आर्थिक विकास में तेजी, ग्रामीण औद्योगीकरण, सामाजिक सेवाओं का विस्तार आदि उपाय कर गरीबी पर नियंत्रण किया जा सकता है।

अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि गरीबी एक गंभीर समस्या है किन्तु सही दिशा में प्रयास और उचित संचालन तथा वास्तविक क्रियान्वयन से इसका निदान संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास में अनेक बाधाएँ होती है, लेकिन इन बाधाओं को धीरे–धीरे दूर किया जा सकता है यदि ऐसा होना सम्भव न होता तो कोई भी अर्द्ध विकसित देश विकसित नहीं हो सकता था।

अत: अन्त में यही कहा जा सकता है कि अल्प विकसित व अर्द्ध विकसित देशों में गरीबी का कुचक्र तो चलता है, लेकिन उसको धीरे धीरे तोड़ा जा सकता है और देश का विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सामान्य अध्ययन, आंनद कुमार पाण्डेय एंव श्रीमती अर्चना पाण्डेय, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ आकादमी, भोपाल, पृष्ठ क्र.175,176, तृतीय(संशोधित परिवर्द्धित) 2013
2. योजना आयोग, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)
3. भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास, मैगबुक, भारतीय अर्थव्यवस्था, अरिहंत पब्लिकेशन्स इंडिया लिमिटेड, वर्ष 2013 पृष्ठ क्र. 04
4. सामान्य अध्ययन, आंनद कुमार पाण्डेय एंव श्रीमती अर्चना पाण्डेय, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ आकादमी, भोपाल, पृष्ठ क्र. 175,176, तृतीय(सशोधित परिवर्द्धित) 2013
5. व्यष्टि अर्थशास्त्र, डॉ. जे.सी. पंन्त, डॉ. जे.पी. मिश्रा, साहित्य भावन पब्लिकेशन्स, वर्ष 2013, पृष्ठ क्र. 67, 69, 70

****

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा में अतिथि विद्वान व्यवस्था अभिशाप

राकेश बधेल *

प्रस्तावना – किसी राष्ट्र के सकारात्मक एवं समग्र विकास के लिए शिक्षा प्रमुख आधार है तथा शिक्षा मानव विकास का आधार है। शिक्षा ही व्यक्तियों की दक्षता, ज्ञान, कौशल एवं क्षमता का विकास करती है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनने की शक्ति तथा लचीलापन आता है। देश के विकास के लिये मानवीय संसाधनों के विकास का महत्वपुर्ण कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न किया जाता है। मानवीय संसाधनों के विकास की दृष्टि से उच्च शिक्षा का विशेष उल्लेखनीय स्थान है और उच्च शिक्षा के सभी क्रियाकलापों में अध्ययन और अध्यापन की केन्द्रीय भूमिका है और मध्यप्रदेश के सभी महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है।

सामान्यत: 'अतिथि' का अर्थ भारतीय समाज में मेहमान से लगाया जाना हैं जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है वह 'अतिथि' है और जिसका आदर और सम्मान देवों के समान किया जाय अर्थात 'अतिथि देवो भव' और विद्वान का अर्थ जिसे अपने विषय के सन्दर्भ में संम्पूर्ण ज्ञान हो अर्थात इन दोनों शब्दों दो मिलाकर देखे तो अतिथि विद्वान जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो और उसे अपने विषय का संम्पूर्ण ज्ञान हो ।

वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन हेतु योग्य उम्मीदवारो का चयन एवं भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग तथा आयोग की सलाह से सरकारो द्वारा की जाती रही हैं। यह प्रक्रिया जब नियमित रूप से या कुछ समय के अंतराल से चलती रहती हैं किन्तु जब नियमित समय के अंतराल से पुरी नहीं हो पाती हैं या कुछ पद ख़ाली रह जाते है तो नियमित नियुक्ति के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उपायों को अपनाने के लिए दबाव बढ़ने लगता है। अतिथि विद्वानों द्वारा अध्यापन की व्यवस्था भी इसी की देन है।

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु विगत अनेक वर्षो से लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा आयोजित नहीं की गई है या सीमित रूप में नियुक्तियाँ की गई है। किन्तु बहुत बड़ी सख्या में रिक्त पद होने के कारण उन पर अस्थाई और एक सत्र के लिए अतिथि विद्वान नियुक्त किये जा रहे है तथा इनका मानदेय प्रतिकाल खण्ड के अनुसार तथा प्रतिदिन के कार्य के आधार पर भुगतान किया जाता हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए प्रत्येक सत्र नई नियुक्ति की जाती हैं तथा स्नातक तथा स्नातकोतर स्तर पर अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता हैं तथा प्रतिदिन अधिकतम तीन, चार व्याख्यान आयोजित कर प्रतिव्याख्यान भुगतान किया जाता हैं

प्रस्तुत शोध पत्रो में मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की भूमिका तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन किया गया है और सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

अतिथि विद्वानों की भूमिका –

1. मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका है और वे बच्चों के विषय की रूचि के अनुसार उन्हें गाइड करते है और अध्यापन कार्य करवाते है
2. अतिथि विद्वान व्यवस्था नियमित नियुक्ति के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था है किन्तु जो इस व्यवस्था में आता हैं उसका केरियर अंधकारमय है।
3. अनेक महाविद्यालयों में नई पीढ़ीअतिथि विद्वानों से ही शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और अतिथि विद्वानों द्वारा विधार्थी को उनके केरियर सवारने तथा उसे सही दिशा देने में उनकी बहुमूल्य सहायता एवं मार्गदर्शन करते है।
4. अनेक महाविद्यालय ऐसे भी है जो केवल अतिथि विद्वान व्यवस्था के माध्यम से ही अध्यापन कार्य करवाते है अर्थात वहाँ नियमित प्राध्यापक नहीं है और साथ ही महाविद्यालयों में विधार्थी को प्रवेश देना, परीक्षा फार्म सत्यापित करना, छात्रवृति आदि कार्यो में सहयोग देते है।
5. मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में 40 प्रतिशत के लगभग अध्यापन कार्यभार अतिथि विद्वानों के कंधो पर है फिर भी उनकी अवहेलना की जाती है और वे तिरस्कारित जीवन जीने को मजबूर है।
6. खेलकुद गतिविधियों का संचालन भी लगभग सभी महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों (क्रीड़ा अधिकारी) के द्वारा ही करवाया जाता है जो अतिथि विद्वानों की महता को उजागर करता है।
7. ग्रन्थालय का कार्य भी अतिथि विद्वानों (ग्रन्थपाल) के माध्यम से ही करवाया जाता हैं जिसमें ग्रन्थालय के सभी क्रियाकलापों को अतिथि विद्वानों द्वारा कर विधार्थीयों के समग्र विकास की ओर अग्रसर किया जाता है।
8. अतिथि विद्वानों द्वारा महाविद्यालयों की अनेक गतिविधियों में अनेक शासन की योजनाओं के लाभ विधार्थियों तक पहुँचाने एवं अन्य पाठयेतर गतिविधियों के संचालन में भी अतिथि विद्वान बहूमूल्य सहयोग प्रदान करते है।

अतिथि विद्वानों की समस्याएं –

1. समाज में मान सम्मान के नजरिऐं से देखा जाए तो अतिथि विद्वानों के पद उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। जिसके संदर्भ में किसी भी बाहारी को प्रत्येक अतिथि विद्वानों को यह बताते भी शर्म आती है कि वह अतिथि विद्वान है।
2. सामान्यत: यह देखा जाता है कि 'समान कार्य समान वेतन' होता है किन्तु अतिथि विद्वानों को प्रतिकालखण्ड के हिसाब से मानदेय भुगतान किया जाता है। जो नाममात्र होता हैं और उसी अध्ययन कार्य को करने वाले नियमित प्राध्यापकों का वेतन अतिथि विद्वानों की अपेक्षा कई गुना होता है।
3. अतिथि विद्वानों की नियुक्ति तो वर्तमान समय में एक सत्र के लिए मध्य

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाती हैं किन्तु अतिथि विद्वानों का महाविद्यालय में कितने समय कार्य करवाया जायेगा यह निर्णय महाविद्यालय के प्राचार्य के विवेक पर निर्भर करता हैं और उनके द्वारा प्रत्येक समेस्टर 6 माह में केवल 2-3 माह ही आवश्यकतानुसार कार्य करवाया जाता है।

4. उच्च शिक्षा प्राप्त अतिथि विद्वान योग्यतानुसार तो सहायक प्राध्यापक के बराबर या अधिक भी होते हैं किन्तु उन्हें कई मामलों में नियमित प्राध्यापकों के शोषण का शिकार होना पड़ता है।
5. प्रतिकाल खण्ड के हिसाब के देय मानदेय इतना कम होता है कि अतिथि विद्वान को जीवनयापन करने में भी कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
6. अतिथि विद्वान व्यवस्था दूर से तो सहायक प्राध्यापक के समकक्ष नजर आती हैं किन्तु महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की वेल्यू एक चपरासी से भी कम आंकी जाती है।
7. वर्तमान समय में उच्च शिक्षा प्राप्त अतिथि विद्वान पदों पर कार्यरत व्यक्ति बेरोजगारी, (मौसमी बेरोजगारी) तिरस्कारीत, शोषणयुक्त, अपमानित, जीवन जीने को मजबूर है जो मानवीयता का हनन है।
8. उच्च शिक्षा प्राप्त अतिथि विद्वान बेरोजगारी के करण कुछ नहीं तो, कुछ तो हैं इस कहावत अनुसार विवशता वश कार्य करते है।
9. शासकीय महाविद्यालयों में नियम और कानून की आड़ में नियमों को तोड़ मोड़ कर अतिथि विद्वानों के शोषण के लिए अस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है।
10. Use And Throw यह शब्द पश्चात् देशो में अधिक प्रचलित है जिसका अर्थ है उपयोग करो और फेंको, इस प्रकार अतिथि विद्वानों को भी जब तक काम होता है रखा जाता है फिर निकाल दिया जाता है।
11. पद का नाम अतिथि विद्वान जो सहायक प्राध्यापक के स्थान पर कार्य करता है किन्तु वेतन दैनिक मजदूरो का, इसके स्थान पर अतिथि विद्वान का नाम बदलकर दैनिक मजदुर शिक्षक कर देना चाहिए और वेतन या मानदेय को दैनिक मजदूरी कहा जाना चाहिए न की वेतन।
12. अतिथि विद्वान पद पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह पद एक ब्रांण्ड नेम हो जाता है कोई भी बाहरी व्यक्ति पूछता हैं कि ये कौन है तो उत्तर में कहा जाता है ये 'अतिथि' है।
13. प्रत्येक महाविद्यालयों में महाविद्यालयों के किसी भी क्रियाकलाप से अध्यापन कार्य को छोड़ चाहे वह मीटिंग या राष्ट्रीय कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम No Work No Pement के आधार पर इनसे अतिथि विद्वान को दूर रखा जाता है।
14. अतिथि विद्वान पद पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पद पर अतिथि विद्वान व्यवस्था शोषण का माध्यम है तो साथ ही मानवीय मूल्यो का हनन हो रहा है जो पुरी मानवीयता का अपमान है।
15. अतिथि विद्वान व्यवस्था पद के प्रति सरकार की उदासीनता अतिथि विद्वानो के लिए बड़ी समस्या है जो इस संदर्भ में कुछ नहीं कर रही है।

अतिथि विद्वानों व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव -

1. अतिथि विद्वानों की नियुक्ति प्रक्रिया को दुरस्थ किया जाना चाहिए उनकी नियुक्ति संत्रारभ से सत्रांत तक की जानी चाहिए।
2. अतिथि विद्वानों की नियुक्ति कम से कम 3 या 5 साल के लिए की जानी चाहिए जिससे उन्हें ज्ञात हो अब 3 या 5 साल एक ही स्थान पर समर्पित भाव कार्य से करना है।
3. अतिथि विद्वान पद का नाम बदल कर शासकीय महाविद्यालयों की गरिमा को ध्यान में रखकर कोई सम्मानजनक नाम दिया जाना चाहिए।
4. No Work No Pement और Use And Throw वाली व्यवस्था खत्म कर एक निश्चित समय सीमा के लिए नियुक्ति की जानी चाहिए और इनके अधिकार और दायित्व सहायक प्राध्यापक के समान होना चाहिए।
5. प्रत्येक अतिथि विद्वान के समाज में सम्मानजनक जीवन यापन के लिए पर्याप्त मानदेय या वेतन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से और सुविधाजनक रूप से कर सके।
6. अतिथि विद्वान पद पर कार्य करते हुए बहुत से लोग नौकरी की अधिकतम आयु सीमा लांग चुके है या पार कर चुके है। सरकार द्वारा ऐसे लोगों के नियमितीकरण के लिए कोई कदम उठाना चाहिए।
7. म.प्र. लोक सेवा आयेग से एकमुश्त अतिथि विद्वानों की विभागीय परीक्षा करवाकर भर्ती की जानी चाहिए।
8. म.प्र. लोक सेवा आयोग से सहायक प्राध्यापक के पद का विज्ञापन नियमित रूप से प्रतिवर्ष आना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों में सुरक्षा एवं संतोष का भाव हो। जिससे म.प्र. में उच्च शिक्षा की प्रासंगिकता बनी रहे।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन से पता चलता है कि म.प्र. उच्च शिक्षा में अतिथि विद्वान व्यवस्था सहायक प्राध्यापक पदों के स्थान पर अध्ययन कार्य की एक वैकल्पिक व्यवस्था है किन्तु इस व्यवस्था के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। म.प्र. में उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार शोषित, तिरस्कारीत और अपमानित जीवन जीने को मजबूर हैं। इस जीवनयापन में सरकार की उदासीनता एक बड़ा कारण है। जो पुरे शिक्षा जगत को लज्जित कर रहा है। भारतीय वेद एंव पुराणोनुसार देवों से बड़ा पद गुरू का होता है और इस पद को सुशोभित करने वाला पूरी शिक्षा जगत में अपमानित हो रहा है। अत्यन्त दयनीय स्थिति है।

अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था सहायक प्राध्यापकों का विकल्प है तो लगभग म.प्र. के ज्यादातर महाविद्यालयों में अध्ययन कार्य और अन्य क्रियाकलापों का भार केवल अतिथि विद्वानों के कंधो पर है जो अतिथि विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.m.p.highereducation.nic.in
2. www.highereducation.nic.in
3. www.wikepedia.com
4. दैनिक भास्कर 10.12.2013
5. शिक्षण पद्धति,डॉ. सालिग्राम त्रिपाठी, राधा पब्लिकेशन,दिल्ली 2005
6. उच्च शिक्षा का विस्तार एंव परिणाम, डॉ.सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रतियोगिता दर्पण, जून 2000

****

लघु, कुटीर और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की नवीन नीति एवं नवीन औद्योगिक परिवर्तन

डॉ. धीरज शर्मा * डॉ. विशाल पुरोहित **

प्रस्तावना – भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत बड़े परिवर्तन सरकार द्वारा किया गया है, ताकि MAKE IN INDIA को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितम्बर 2014 को की ताकि देश को Manufacturing Hub बनाया जाए। सरकार औद्योगिक विकास की दर को बारहवीं योजना (2012–17) में 7.6% रखना चाहती है। जबकि वर्तमान योजना में यह 7.2% रही ग्यारहवीं योजना 2007–12 इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र में विकास दरें ग्यारहवीं योजना में (2007–12) 7.2% रही जो बारहवीं योजना में 7.1% प्रस्तावित रखा है जो वर्तमान दर से कम है। वर्ष 2011–12 को नई आधार वर्ष श्रृंखला के अनुसार 2013–14 की दर 4.5% रही। जबकि प्रस्तावित 5.9% रही इसी प्रकार भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कई आमूल–चामूल परिवर्तन किए है, जिनका बिन्दुवार विवरण इस प्रकार है –

लघु और कुटीर उद्योगों में परिवर्तन सरकार की नवीन औद्योगिक नीति में लघु और कुटीर उद्योगों में विविध परिवर्तन किए गए है जो वृहद प्रभाव इन उद्योगों पर छोडेंगे। इन परिवर्तनों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –

(A) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय में प्लाण्ट व मशीनरी में निवेश की सीमा बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (संशोधन) विधेयक 2015 20 अप्रैल 2015 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में प्रस्तावित सीमा निम्न प्रकार है –

(i) विनिर्माणी उपक्रम ।

	एमएसएमई अधिनियम 2006	**एमएसएमई विधेयक 2015**
• सूक्ष्म उपक्रम	25 लाख रुपए तक	50 लाख रुपए तक
• लघु उपक्रम	रु. 25 लाख से अधिक पर रु. 5 करोड़ तक	रु. 50 लाख से अधिक पर रु. 10 करोड़ तक
• मध्यम उपक्रम	रु. 5 करोड़ से 10 करोड़ तक	रु. 10 करोड़ से अधिक किंतु रु. 30 करोड़ तक

(ii) सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रम

	एमएसएमई अधिनियम 2006	**एमएसएमई विधेयक 2015**
• सूक्ष्म उपक्रम	रु. 10 लाख तक	रु. 20 लाख तक
• लघु उपक्रम	रु. 10 लाख से अधिक किंतु रु. 2 करोड़ तक	रु. 20 लाख से अधिक किंतु रु. 5 करोड़ तक
• मध्यम उपक्रम	रु. 2 करोड़ से अधिक किंतु रु. 5 करोड़ तक	रु. 5 करोड़ से अधिक किंतु रु. 15 करोड़ तक

(B) देश में 3.61%करोड़ रु. MSME Units देश के सकल घरेलू उत्पाद में 37.5% का योगदान देती है।

(C) सूक्ष्म और लघु उद्योगों में से 94.94% उद्यम सूक्ष्म आकार के हैं, 4.89% उद्यम लघु आकार के हैं तथा 0.17% मध्यम आकार के हैं।

(D) 45% उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में हैं तथा 55% उद्यम शहरी क्षेत्र में हैं।

(E) 67.17% उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में, 16.78% सेवा क्षेत्र में तथा 16.13% रिपेयरिंग और अनुरक्षण के क्षेत्र में हैं।

(F) MSME Sector (सूक्ष्म, लघु और मध्यम) का विनिर्माणी क्षेत्र के उत्पादन में 45% निर्यात में से 40% इन क्षेत्रों का है।

(G) 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 290 उपक्रम थे जिनमें 234 प्रचालनरत् तथा शेष निर्माणाधीन है।

(H) देश के 290 सार्वजनिक उपक्रमों में कुल चुकता पूंजी 31 मार्च 2014 को रु. 198722 करोड़ थी।

(I) वर्ष 2013–14 में कार्यशील रहे 234 सार्वजनिक उपक्रमों में 163 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया 71 उपक्रमों में हानि दर्ज की गई।

(J) केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दो कम्पनियों को जून 2014 में तथा एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कानकॉर की जुलाई 2014 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है इन्हें मिलाकर देश में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या अब 17 हो गई है।

(K) सार्वजनिक क्षेत्र की 7 कंपनियां महारत्न की श्रेणी में शामिल है जिन्हें 5000 करोड़ रु. तक के निवेश के फैसले अपने ही स्तर पर करने की छूट है।

(L) सार्वजनिक क्षेत्र की 71 कंपनियां मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त है।

(M) लघु और मध्यम औद्योगिक इकाईयों को दिवालिया घोषित किए जाने संबंधी फ्रेमवर्क हेतु 'बैंकरप्टसी रिफार्म्स कमेटी' का गठन किया गया है, जिसके उपाध्यक्ष लोकसभा के पूर्व महासचिव व पूर्व विधि सचिव टी.के. विश्वनाथन को बनाया गया है।

(N) वर्तमान में केवल 2 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है (i) परमाणु ऊर्जा (ii) रेल परिवहन।

निष्कर्ष – उपरोक्त प्रमुख परिवर्तन दशति हैं कि सरकार उद्योगों के विकास

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

को तीव्र गति से बढ़ाना चाहती है तथा इस संबंध में सरकार ने न केवल इन उद्योगों की निवेश सीमा बढ़ाई है बल्कि इन्हें दिवालिया होने से बचाने के लिए भी सरकार ने ठोस परिवर्तन किए है ये परिवर्तन देश के उद्योगों को नवीन दिशा प्रदान करेंगे और मोदी सरकार के Make in India को साकार करेगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रतियोगिता दर्पण – भारतीय अर्थव्यवस्था।
2. दैनिक भास्कर (समाचार पत्र)
3. पत्रिका (समाचार पत्र)
4. नई दुनिया (समाचार पत्र)
5. भारत सरकार का नवीनतम बजट।

****

जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक संकट की दशा व दिशा

डॉ. एस. के. वर्मा *

प्रस्तावना – विश्व की आबादी 7 अरब से अधिक बढ़ चुकी है। विश्व की जनसंख्या को महाद्वीपों के आधार पर एशिया महाद्वीप की जनसंख्याँ– 4001623990 (4 अरब से अधिक), अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्याँ– 934499752, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्याँ –729871042 ,उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्याँ –20434176 एवं अन्टार्कटिका महाद्वीप की जनसंख्याँ –कोई स्थानीय निवासी नहीं है,लेकिन 4000 शोधकर्ता एवं सहायक कर्मी गर्मियों में और 1000 के लगभग सदियों में यहाँ रहते है।

टेबिल नं.– 01

1950–2050 तक विश्व की कुल जनसंख्यां

(ऐतिहासिक एवं अनुमानित)

साल	दुनिया की कुल आबादी	10 वर्ष वृद्धि दर–प्रतिशत में
1950	2556000053	18.9
1960	3039451023	22.0
1970	3706618163	20.2
1980	4453831714	18.5
1990	5278639789	15.2
2000	6082966429	12.6
2010	6848932929	10.7
2020	7584821144	08.7
2030	8246619341	07.3
2040	8850045889	05.6
2050	9346399468	–

स्त्रोत–अमेरिका जनगणना ब्यूरो, अन्तर्राष्ट्रीय डाटाबेस ।

आज सम्पूर्ण विश्व जनसंख्यां के बढ़ते बोझ से चिंतित है बढ़ती हुई जनसंख्या ने न केवल हमारा आर्थिक संतुलन बल्कि पारिस्थितिकीय संतुलन को भी बिगाड़ दिया है जिसका परिणाम हम बढ़ती प्राकृतिक एवं मानव जन्य आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन ,ग्लोबन वार्मिंग जैसी पर्यावरण चुनौतियों से जोड़कर देख सकते है। जनसंख्यां के वृद्धि के साथ ही मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण हमारी सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दवाव पड़ रहा है जो चिंता का विषय है।[1]

प्रकृति का एक डरावना चेहरा भी होता है, जिन्हें हम प्राकृतिक आपदाओं के नाम से जानतें है। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, हिमपात, वनाग्नि, सूखा और समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदायें व्यापक तबाही का कारण बनती है। भूकंप प्राकृतिक आपदा का सर्वाधिक विनाशकारी रूप है, जिसके कारण व्यापक तबाही होती है। भूकंप से विश्व भर में प्रति वर्ष अनेको व्यक्तियों की मौत होने के साथ ही साथ अरबों खरबों की सम्पत्ति भी नष्ट हो जाती है। आमतौर पर भूकंप का प्रभाव अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में होता है। भूकंप व्यक्तियों को घायल करने और उनकी मौत का कारण बनने के साथ ही व्यापक स्तर पर तबाही का कारण बनता है। इस तबाही के अचानक और तीव्र गति से होने के कारण जन मानस को इससे बचाव का समय नहीं मिल पाता है।[2]

हेनरी चार्ल्स कैरे 'जनसंख्या वृद्धि के संबध में माना है कि ईश्वर का आदेश है कि फलो फूलो और वंश वृद्धि करो।' **प्रो.एडम स्मिथ** 'जनसंख्या के बारे में आशावादी थे उनका मानना था कि बढ़ती हुई जनसंख्या, व्यापार, उद्योग धंधों आदि के विकास के लिए आवश्यक है।'जनसंख्या की मात्रा समाज की मांग पर निर्भर होती है। निर्धन लोगों में पर्याप्त संतानें होती है,जब मजदूरी पर्याप्त नहीं होती तब निर्धनता के कारण इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाती है तथा जब मजदूरी अधिक हो जाती है तो अधिकांश बच्चे वयस्क अवस्था में पहुँच जातें है। वणिकवादियों एवं प्रकृतिवादियों नें 'राष्ट्रों की शांति एव संपत्ति को बढ़ाने के लिए जनसंख्यां के वृद्धि के पक्ष में थे। **प्लेटो (Plato)** ने माना है कि मूर्खों तथा रोगियों की नसबंदी करवा देना चाहिये। उपरोक्त कथनों के वावजूद भी इंग्लैण्ड के रोकरी नामक स्थान पर 14 फरवरी 1966 को जन्मे डेनियल माल्थस के सुपुत्र थामस रावर्ट माल्थस पर समकालीन विद्धानों द्वारा समय समय पर ऐसे दिये गये विचार जिनका माल्थस पर भरपूर प्रभाव पड़ा। **डेविड हूम टाउनसैण्ड** ने माना है कि 'मानवीय विवेक क्रियाशील न होने के कारण जनसंख्यां तेजी से बढ़ती है और इससे कष्ट, अभाव, बेकारी व उच्च मृत्यु दर को बढ़ावा मिलता है। **सर वाल्टर रेले (Sir Walter Ralegh)** ने अपनी पुस्तक History of The World 1652 में यह तर्क दिया था की जनसंख्यां जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है, किन्तु युध्द एव बीमारियों ने इस वृद्धि पर नियंत्रण लगा दिया है, तब लोग अधिक संख्या में क्यों मरते है? इसके उत्तर में उसने कहा कि–वृध्दावस्था के कारण नही मरते और न ही वे प्रकृति के साधारण तरीके से मरते है, वरन अकाल, युद्ध, बीमारी, आदि उन्हें मार डालती है। **मैथ्यू हैले (Mathew Hale)** नें अपनी पुस्तक The Primiter Origin Of Mankind में जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये उनका कहना था कि साधारण दशा में जनसंख्या वृद्धि मृत्यु दर से अधिक होती है,यदि इसे रोका नही गया तो जनसंख्या बढ़ती ही जायेंगी। इन तमाम विचारों का मंथन करके माल्थस ने अपने परिष्कृत विचार प्रस्तुत किये थे।

माल्थस पर सबसे अधिक प्रभाव गॉडविन (Godwin) का पड़ा, गॉडविन स्वयं आशावादी थे।वह आने वाले भविष्य की सुखद कल्पना करता है उसने सरकारी हस्तक्षेप के विरूद्ध आवाज उठाई थी और जनसंख्या वृद्धि को उचित ठहराया था। माल्थस ने गॉडविन के विचारों का प्रतिवाद करने के लिए अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।

माल्थस ने उत्पत्ति ह्रास नियम के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि खाद्यान्नों

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला – सतना (म.प्र.) भारत

की तुलना में जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जायेगी की चारों ओर भुखमरी फैल जायेगी और मृत्यु दर बढ़ने लगेगी।माल्थस के ऐसे विचारो के कारण निराशा वादी अर्थशास्त्री कहा जाने लगा था फिर भी इतना अवश्य है कि मालथस के आर्थिक विचार महत्वपूर्ण व आधुनिक थे। यदि उस समय उनके विचारों की उपेक्षा न की गई होती और उनके विचारों के प्रतिवाद न किया गया होता तो माल्थस को नये अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता।

माल्थस ने अपने सिद्धांत में माना है कि व्यक्ति का जीवन खाद्यान्नों पर निर्भर करता है। जीवन निर्वाह के साधन बढ़ने पर जनसंख्या भी बढ़ती है। जनसंख्या खाद्य सामग्री की तुलना में तेजी से बढ़ती है, जनसंख्या ज्यामितिक क्रम 2,4,8,16,32,64, एवं खाद्य सामग्री गणितीय क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में बढ़ती है। **माल्थस ने स्वयं माना है कि प्रकृति ने भोजन की मेज को सीमित अतिथियों के लिये ही लगाया है जो बिना निमंत्रण आएगा उनको अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। अत**: जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सामग्री में संतुलन बनाये रखने के लिये माल्थस ने सुझाव दिया कि प्रतिबंधात्मक अवरोध जैसे ब्रम्हचर्य का पालन ,देर से विवाह करना आदि बातों को अपनाकर जनसंख्या को रोका जाये, यदि मनुष्य जनसंख्या की बाढ़ को रोकने मे सफल नहीं होती तो प्रकृति स्वयं जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्य सामग्री के बीच संतुलन स्थापित करेगी। प्रकृति के द्वारा स्वयं यह संतुलन बाढ़, अकाल, भुखमरी,बेकारी, बीमारी, महामारी व प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा स्थापित कर लेगी।[3]

प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित करता समाज – प्राकृतिक असंतुलन के दो मुख्य कारण है ,एक बढ़ती जनसंख्या और दूसरा मानवीय आवश्यकतायें तथा उपभोक्तावृत्ति। इन दोनों का असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है और उनकी वहनीय क्षमता लगातार कम हो रही है। पेड़ो के कटने, भूमि के खनन, जल के दुरूपयोग और वायु मंण्डल के प्रदूषण ने पर्यावरण को गम्भीर खतरा पैदा किया है। इससे प्राकृतिक आपदायें अत्यधिक बढ़ती है, पेड़ कटने से धरती नंगी हो रही है और उसकी मिट्टी को बाधें रखने ,वर्षा की तीक्ष्ण बूँदों से मिट्टी को बचाने ,हवा को शुद्ध करने और वर्षा जल को भूमि में रिसनें की शक्ति लगातार क्षीण हो रही है, इसी का परिणाम है कि भूक्षरण ,भूस्खलन और भूमि का कटाव बढ़ रहा है,जिससे मिट्टी अनियंत्रित होकर बह रही है। इससे पहाड़ों और ऊँचाई वाले इलाकों की उर्वरता समाप्त हो रही है।तथा मैदानों मे यह मिट्टी पानी का घनत्व बढ़ाकर और नदी तल को ऊपर उठाकर बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रही है। खनन की वजह से भी मिट्टी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है। उद्योगों और उन्नत कृषि ने पानी की खपत को बेतहासा बढ़ाया है। पानी की बढती जरूरत भूजल स्तर को कम कर रही, वही उद्योगों के विषैले घोलों तथा गंदी नालियों के निकास ने नदियों को विकृत कर दिया है, और उनकी शुद्धिकरण की आत्मशक्ति समाप्त हो गई है। कारखानों और वाहनों के गंदें धुऐं और ग्रीनहाउस गैसों ने मण्डल को प्रदूषित कर दिया है यह स्थिति जिस मात्रा में बिगड़ेगी पृथ्वी पर प्राणियो का जीवन उसी मात्रा दूभर होता चला जायेगा।[4]

टेबिल नं. – 02 (देखे अगले पृष्ठ पर)

टेबिल में मात्र दस घातक हिमस्खलन, तूफान, ऊष्ण कटिबंधीय चक्रवात, भूकंप, बाढ़, गर्मी तरंगें/गर्मी की लहर, गैर चक्रवात, बवन्डर, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, एवं जंगल की आगों से मरने वालो का विवरण दिया गया है,जिनका योग **12399466 हैं,** तो सम्पूर्ण हिमस्खलनों, तूफानों, ऊष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, भूकंपो, बाढो, गर्मी तरंगें/गर्मी की लहरो, गैर चक्रवातो, बवन्डरो, सुनामियों, ज्वालामुखी विस्फोटो, एवं जंगल की आगों से मरने वालो की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।

प्राकृतिक आपदा से हो रही जन धन की हानि के आकडें चौकाने वाले ही नहीं बल्कि गंभीर चिंता का भी विषय है। **स्वीडन रेडक्रास ने प्रिवेन्शन इज बेटर देन क्योर** नामक अपनी रिपोर्ट में कुछ देशों में 1960 से 1981 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से हुई भारी जन धन हानि के आकडें दिये है। इनके अनुसार इन 20 वर्षो में अकेले बांग्लादेश में 633000 हजार लोगों की जानें गयी। जिनमें 386200 व्यक्ति समुद्री तुफान में तथा 39900 बाढ से मारे गये इसी अवधि मे चीन में 2.47 लाख निकारगुआ में 1.06 लाख इथोपिया में 1.03 लाख पेरू में 91000 तथा भारत में 60000 लोंगों की जाने गयी। भारत में समुद्री तुफान से 24930 तथा बाढ़ से 14700 व्यक्तियों की जाने गयी। बाढ़ से पाकिस्तान में 2100 तथा नेपाल में 1500 लोग उक्त कालखण्ड में मारे गये। उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों की संख्या उन निर्बल व निर्धन लोगों की है जो अपने लिए सुरक्षित आवास नहीं बना सकते थे अथवा जो स्वयं को सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं करा सकते थे चाहे समुद्र तटीय मछुआरे हों या वनों में रहने वाले गरीब लोग।

यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि प्राकृतिक आपदाओं ओर उससे प्रभावित हाने वालों की संख्या इन वर्षो में बढ़ रही है भारत में हिमालय से सहयाद्री और दण्यकारण्य तथा पूर्वी ओर पश्चिमी घाटों तक में मिट्टी का कटाव व बहाव तेज होने ओर उनसे होने वाली नदियें की बौखलाहट बड़ी तेजी से बढ़ रही है।

हम देख रहे है कि हिमालय क्षेत्र में इसके लिए हमारी विकास की अवधारणायें और क्रियाकलाप भी दोषी है। विकास के नाम पर नाजुक क्षेत्रों में भी मोटर मार्ग तथा अन्य निर्माण कार्य किए गए जिनमें भारी विस्फोटकों का उपयोग किया गया। मिट्टी बेतरतीब ढंग से काटी गयी और जंगलों का बेतहासा कटाव किया गया। इस कारण बडी संख्या में नये नये भूस्खलन उभरे और नदियों कि बौखलाहट बढ रही है। जिसका दुष्प्रभाव न केवल हिमालयवासिओं पर पड़ रहा है बल्कि मैदानी प्रदेश भी बाढ़ की विभीषिका से बुरी तरह संत्रस्त हैं। यह सही है कि प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह रोकने में समर्थ नहीं है किन्तु उन्हें उत्तेजित करने एवं बढाने में निश्चित ही हमारी भागीदारी है।[6]

जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना इसलिए आवश्यक है कि बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनो का अंधाधुन्ध दोहन करना पडता है जो बाद में जाकर कई परेशानियों का कारण बनता है। जनसंख्या वृद्धि के अनेक दुष्परिणम हमें भुगतने पड रहे है। सांकेतिक उदाहरण टेबिल नं0 2 से स्पष्ट है। उपरोक्त सभी आकडें एवं उल्लेख बढती जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करने की आवश्यकता को तुरन्त प्रभावी करने की ओर इंगित करते है।[7]

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. hhttp://www.factmonster.com/ipka/A0762181.html
2. साइंटिफिक वर्ल्ड पेज 2394–37347
3. प्रो0 जे0सी0पन्त एवं एम0एल0सेठ–आर्थिक विचारों का इतिहास–लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2012, पेज 89 एवं 116 से 119 तक
4. hhttp://hi.wikipedia.org/wiki.4
5. http://hi.wikipedia.org/wiki/List of natural disasters
6. http//hindi.indiawaterportal.org.node/19773
7. जनसम्पर्क कार्यालय मध्यप्रदेश

टेबिल नं. – 02
1900 के बाद से विश्व में विभिन्न प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतें

क्र.सं.	प्राकृतिक कारण	होने वाली मौतें
1	दस घातक हिमस्खलन में मरनें वालों की संख्या	35415
2	दस घातक तूफान में मरनें वालों की संख्या	9509
3	दस घातक ऊष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मरनें वालों की संख्या	2011232
4	दस घातक भूकंप में मरनें वालों की संख्या	6359466
5	दस घातक बाढ़ में मरनें वालों की संख्या	2620500
6	दस घातक गर्मी तरंगें/गर्मी की लहर में मरनें वालों की संख्या	146970
7	दस घातक गैर चक्रवात में मरनें वालों की संख्या	17818
8	दस घातक बवन्डर में मरनें वालों की संख्या	6581
9	दस घातक सुनामी में मरनें वालों की संख्या	923213
10	दस घातक ज्वालामुखी विस्फोट में मरनें वालों की संख्या	265350
11	दस घातक जंगल की आग में मरनें वालों की संख्या	3412
योग		**12399466**

स्त्रोत–भारतीय अपराध ब्यूरों अभिलेख/From Wikipedia,The Free Encyclopedia 5

****

ग्रामीण विकास का स्वरूप – एक अध्ययन (वर्तमान परिप्रेक्ष में)

सुनीता देवी कुशवाहा * डॉ. ए. के. पाण्डेय **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र ग्रामीण विकास के स्वरूप के बारे में लिखा गया है, एक सामुदायिक इकाई जहाँ निश्चित जनसंख्या में निवास करती है उसे गाँव कहा जाता है, पाँच हजार से कम जनसंख्या एवं जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या धनत्व 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. से कम हो, उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। ग्रामीण विकास का संबंध गाँव के सर्वांगीण विकास है। इसके द्वारा ऐसी व्यूहरचना की जाती है, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार, उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि की जाती है। गाँव के विकास का अर्थ देश अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ या मजबूत बनाना है। गॉव के विकास के लिए वर्तमान में संचालित विभिन्न प्रकार के योजनाओं का विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी – निर्धनता, बुनियादी, शोषण,विकासोन्मोखी,रूढ़िवादी।

प्रस्तावना – निर्धनता का अर्थ जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने वाली क्षमता जहॉ देश का बड़ा भाग न्यूनतम जीवन स्तर में वंचित रहता है। तो यह कहा जाता है कि देश में व्यापक निर्धनता व्याप्त है गरीबी कहॉ से आरम्भ होती है कि गरीबी के लिए कुछ न्यूनतम वस्तुओं से और सेवाओं को निर्धारित करना पड़ता है, यदि वे न्यूनतम वस्तुएँ भी किसी व्यक्ति को नही मिलती है तो कहते हैं कि वह गरीबी रेखा से नीचे स्तर पर रह रहा है। निर्धनता से अर्थ उस न्यूनतम आय से है। जिसको एक परिवार के लिऐ आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होता है। जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है। भारत के संदर्भ में गरीबी का अनुमान राज्य की गरीबी रेखा के मापदंड से किया जाता है। जिसका निर्धारण दिये गये कैलोरी मापदण्ड के आधार पर किया जाता है अर्थात् 2400 किलो कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र, 2100 किलो कैलोरी शहरी इलाको के लिए निर्धारित है। इसमें न्यूनतम गैर भोजन जरुरते जैसे वस्त्र, परिवहन,सुरक्षा आदि शामिल किये जाते हैं। इन गरीबी रेखाएं राज्य विनिर्दिष्ट कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण गरीबी रेखा (सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू) और औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी गरीबी रेखा (सी.पी.पी.आई डब्ल्यू) के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

भारत में निर्धनता के कारण – अल्पविकसित देशों में पूंजी एवं साधनों का अभाव होता है। जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता निम्न होता है। फलस्वरुप उस देश में वास्तविक आय निम्न होता है। अत: बचत एवं मांग भी निम्न होता है जिससे विनियोग दर कम रहती है अत: साधनों का उचित विदोहन नहीं हो पाता। इस कारण उत्पादन न बढ़ने से न तो उत्पादकता बढ़ती और न ही प्रति व्यक्ति आय।

भारत जैसे विकासशील देशों में निर्धनता के कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी है जिन्होंने निर्धनता को बढाया है।

लम्बी दासता एवं औपनिवेशिक कारण –

(1) जनसंख्या में तीव्रवृद्धि (2) कृषि का पिछड़ापन
(3) दोषपूर्ण शिक्षा (4) कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन
(5) आय में असमानता (6)यातायात के साधन में कमी
(7) व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की कमी
(8) रुढ़िवादी संस्कार फलत: फिजूल खर्ची ,बेरोजगारी, भ्रष्टाचार।

भारत में गरीबी अनुपात – भारत में ग्रामीण जनसंख्या का लगभग एक चौथाई भाग निर्धनता रेखा से नीचे है। गरीबी न केवल व्यक्ति, बल्कि समाज व मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। ग्रामीण विकास के द्वारा निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार उपलब्ध कराकर निर्धनता को समाप्त किया जा सकता है। भारत में पिछले दो दशकों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनता में कमी लाने का सराहनीय प्रयास किया गया है।

(तालिका देखे अगले पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट हैं। 2007–2012 कि अवधि वाली दसवी पंचवर्षीय योजना में लक्षित 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ इस योजना के अंत में देश में निर्धनता अनुपात 9.34 प्रतिशत रह जायेगी (ऑकड़ो के अनुसार 1994–2000 में निर्धनता अनुपात 26.10 प्रतिशत थी) इसी प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता अनुपात 15.7 से घटकर 10.7 प्रतिशत रह गयी है। जो कि विकास की प्रगति को इंगित करती है।

निर्धनता निवारण – सामाजिक न्याय हमारे नियोजन का मुख्य उद्देश्य है, जिसका एक लक्ष्य निर्धनता निवारण है, परन्तु प्रथम तीन योजनाओं में इसके लिए विशेष उपाय नहीं किये गये क्योंकि आयोजकों का यह विश्वास था कि तीव्र आर्थिक समृद्धि दर निर्धनता को स्वमेव समाप्त कर देगी। अपेक्षित परिणाम न मिलने पर चौथी योजना में अस्थायी रुप से न्यूनतम आवश्यकता जैसे कार्यक्रम गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार के लिए बनाए गये। इसी प्रकार आगे की योजनायें गांव के विकास के लिए इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , दीनदयाल उपचार योजना, जल धारा योजना, जन धन योजना का संचालन किया जाता है। ताकि शीघ्र अतिशीघ्र गांव विकास के द्वारा काया कल्प बदली जा सकती है। इतना ही नहीं महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का क्रियान्वयन बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। ताकि गांव हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा सके।

* अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

विकास मुद्रा स्फीति एवं निर्धनता – इस समय भारत की विकास दर तेज है और देश जल्दी ही दो अंको वाली वृद्धि दर प्राप्त करने की तमन्ना रखता हैं लेकिन ज्वलंत प्रश्न यह है, कि क्या आर्थिक विकास के लाभ सबको पहुँच रहे है या समाज का कोई वर्ग ऐसा भी है जो इससे वंचित है। भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष मौजूद अधिकांश समस्याओं का सामाधान यह है कि यहां एक लम्बें समय तक विकास के प्रभाव को लेकर किसी तरह का मतभेद नही है।

निर्धनता कम होने के कारण – भारत में नियोजित विकास प्रक्रिया के आरम्भ हुए 56 वर्ष से अधिक बीत चुके है। इस दौरान विकास और गरीबी उन्मूलन के नाम पर अरबों रुपयें की राशि व्यय कर दी गई है। निश्चित ही इन उपायों से गरीबी की गत्यात्मकता कमी तुलनात्मक रुप से अवरुद्ध हुई है। फिर भी कतिपय क्षेत्रों में उसका स्वरुप एवं आघात निरंतर, कर्कश, एवं असहनीय है। गरीबी उन्मूलन में आशानुकूल सफलता नहीं, असफलता के कारण अर्थात् निर्धनता कम न होने के कारणों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है –

(1) असमानता एवं अर्धविकास।
(2) गरीबो तक योजनाओं के लाभ पहुंचने की गारंटी का न होना।
(3) आर्थिक समृद्धि के पक्षधर आयोजकों द्वारा आर्थिक विकास के गरीबी पक्ष को भूलना।
(4) असमानता एवं गरीबों को उत्पादन एवं वितरणों द्वारा अलग- अलग देखना।
(5) कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन न होना।
(6) भूमि सुधार, मुद्रास्फीति, तकनीकी नवीनीकरण आदि के दुष्परिणाम समग्र दृष्टिकोण समृद्ध राजनैतिक मनोबल का अभाव।
(7) निर्धनता की दोषपूर्ण परिभाषा।

निर्धनता कम करने के सुझाव – भारत में गरीबी में कमी करने का कार्य एक चुनौती पूर्ण है। जिसे स्वीकार करने के लिए वृहद व भारी मात्रा में प्रयास करने की आवश्यकता है। जिससे कि रोजगार सुविधाएँ बढ़ सकें व सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा का विकास हो सके –

निम्न प्रयासों द्वारा बहुत हद तक गरीबी को दूर किया जा सकता है।

(1) आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाना चाहिए।
(2) जोत सीमा निर्धारण कर अतिरिक्त भूमि, भूमिहीन को देकर उनके लिए आवश्यक कृषि संबंधी सहायता कार्यक्रम को स्थायी बनाया जायें।
(3) सार्वजनिक निर्माण के लिये ठेकेदारी प्रथा के बजाय चीन की कम्यून जैसी योजना चलाई जाये।
(4) लघु एवं ग्राम उद्योग धंधों को बढ़ाया जाये।
(5) कच्चे माल के उपयोग के लिये जिला स्तरीय योजना चलाई जाये।
(6) शिक्षा की व्यापक एवं अनिवार्य व्यवस्था कर उसे रोजगार से जोड़ा जाएँ। एवं निर्धनता के लिए नि:शुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, पुस्तक, आदि से युक्त स्कूलों की व्यवस्था की जाएँ एवं जहां यह व्यवस्था चल रही है वहाँ उसे बेहतर तरीके से संचालित किया जाएँ।
(7) गरीबी निवारण की नीति स्थायी बनायी जाये तथा दृढ़ निश्चय कर कार्यक्रम के लाभ को गरीब तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाये।
(8) जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जाएँ।
(9) निर्धनों को दलालो, भ्रष्ट राजनीतिक कर्मचारियों आदि के शोषण से बचाया जाएँ।
(10) गरीबों को जागरुक बनाया जाएँ।
(11) जिस निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए धन का आंवटन किया गया है, उसी के लिए उपयोग किया जाएँ।

निष्कर्ष – भारत का अधिकांश गरीब व्यक्ति गांव में निवास करता है। उसे योजनाओं की भनक तक नहीं लगती। उनको खबर मिलने तक योजना अपने अंतिम रुप में पहुँच जाती हैं। गरीबी मिटाने में जब तक पारदर्शिता नहीं आयेगी। भारत में गरीबी मिट नहीं सकती, साथ ही आकडे भी बढ़ते जायेगें। हमारी मानसिकता सम्पन्न होते हुए भी गरीब के हक लेने की बनी हुई है। प्रबल बनावटी गरीब कमजोर, गरीब को पीछे धकेल कर आगे हो जाते है। आकड़ों की सहायता के आधार पर न होकर स्पॉट पर योजनओं की जानकारी तुरंत दी जानी चाहिएँ, ताकि गरीबों को बहुत हद तक उबारा जा सके। इस प्रस्तुत शोध की सार्थकता तभी साबित होगी जब बताएँ गए सुझाव पर अमल किया जाएँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. यूनीफाइड अर्थशास्त्र –डॉ. अनुपम गोयल।
2. यूनीफाइड अर्थशास्त्र – डॉ.जे.सी.पन्त,एस.सी.जैन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2002 पृष्ठ संख्या 199
3. प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2009 पृष्ठ संख्या 2152
4. विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन टी.आर.शर्मा साहित्य भवन पब्लिकेशन 1999
5. दैनिक भास्कर 15 जून 2006 पृष्ठ सख्या 10 जबलपुर से प्रकाशित।
6. इकोनॉमिक सर्वे 2001–05 पृष्ठ संख्या 238 एवं 243
7. प्रतियोगिता साहित्य सिरीज म.प्र. लोकसेवा आयोग डॉ. अनुपम अग्रवाल।
8. अपराध – डी.एस.बघेल दिल्ली 2001 पृष्ठ संख्या 576 एवं 598

भारत में गरीबी रेखा के अनुपात का अनुमान वर्ष गरीबी अनुपात निरपेक्ष जनसंख्या

(प्रतिशत में)			(मिलियन में)			
शहरी	ग्रामीण	अखिल भारत में	शहरी	ग्रामीण	अखिल भारत में	
1993–1994	32.4	37.3	36.0	76.3	244.0	320.3
1999–2000	23.6	27.1	26.1	67.1	193.2	260.3
2006–2007	15.1	21.1	19.3	49.6	170.5	220.1
2010–2011	12.1	16.6	15.7	39.4	120.6	190.1
2013–2014	9.3	10.5	10.7	27.6	99.7	120.3

स्रोत – गरीबी उन्मूलन के लिये ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना वाल्यूम 1st वीं योजना आयोग।

****

मेक इन इण्डिया

डॉ. अनामिका सारस्वत *

प्रस्तावना – भारत वर्तमान में विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक तो है ही साथ ही सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश भी हैं जहाँ की जनसंख्या का 65 प्रतिशत युवा वर्ग का है। किन्तु युवा आबादी को रोजगार मिले व भारत की सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो इसके लिये आवश्यक है कि देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित दोहन हो। हमारा राष्ट्र मानवीय संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र है किन्तु आधुनिक एवं सम्पन्न भारत के निर्माण के लिये आवश्यक है कि गुणात्मक दृष्टि से भी हमारा मानवीय संसाधन सम्पन्न हो। इस हेतु पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास किये जाते रहे है किन्तु अभी तक हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। गरीबी व बेरोजगारी के आंकड़ो में तीव्र गिरावट की आवश्यकता हैं।

अत: वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने देश में रोजगार व निवेश बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को प्रारम्भ किया उनमें से एक हैं – स्किलड इण्डिया प्रोग्राम व दूसरी है मेक इन इण्डिया योजना। पहली में मानवीय संसाधन के गुणात्मक विकास पर ध्यान दिया जा रहा हैं तो दूसरी मे देशी व विदेशी पूंजी को भारत में ही विनियोजित करने हेतु प्रोत्साहित किलया जा रहा हैं।

मेक इन इण्डिया प्रोग्राम –मेक इन इण्डिया ऐसी पहल है जो भारत सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय एवं देशी कम्पनीज को भारत में उनके उत्पाद के उत्पादन हेतु आकर्षित करने के लिए प्रारम्भ की गई हैं। यह प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी का एक महत्वकांशी कार्यक्रम है जिसकी घोषणा उन्होंने 25 सितम्बर 2014 को की। उन्होंने कहा कि भारत एक असीमित संभावनाओ वाला देश है। देशी व विदेशी कम्पनियाँ भारत में अपना उत्पादन प्रारम्भ करें, इसके लिए उन्हें सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाऐंगी।

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के उद्देश्य – यह कार्यक्रम निम्न उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया –

1. **रोजगार निर्माण** – इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य हैं। कम्पनीज यदि भारत में उद्योग लगाती है तो भारतीयों के रोजगार स्तर में वृद्धि होगी।
2. **स्किल डेवलपमेन्ट** – इसका दूसरा उद्देश्य है। देशी एवं विदेशी कम्पनियों के लिये आवश्यक स्किल्ड लेबर भारत में ही उपलब्ध करवाया जाय तथा इसके लिये भारतीय युवाओं को स्किल्ड बनाया जाये। इसके लिये 25 प्रक्षेत्रों को चुना गया।
3. "Zero Defect Zero Effect" नीति का अनुसरण किया जाएगा। इसका मतलब हैं कि ऐसा उत्पादन किया जाय जिसमें कोई कमी ना हो ओर उत्पादन का तरीका ऐसा हो जिसमें पर्यावरण पर कोई प्रभाव ना हो ताकि भारत में बने उत्पाद की स्वीकार्यता पूरे विश्व में हो।
4. **भारत में पूंजीगत एवं तकनीकी निवेश बढ़ाना** भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके तहत आर एण्ड डी (R & D) में निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषकर बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा।
5. भारत की GDP एवं टेक्स रेवेन्यु को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है।
6. नवप्रवर्तन एवं बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा भी इसका उद्देश्य रखा गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। ये उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकते हैं जबकि हम देशी – विदेशी निवेश आकर्षित कर सकें। जिन बाधाओं के कारण भारत से ब्रेन–ड्रेन हो रहा है व कम्पनीज भारत में निवेश करने से घबराती है उन बाधाओं को दूर किया जा सके इस हेतु इस प्रोग्राम में पर्याप्त योजना बनाई गई एवं कुछ नई पहल की गई है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

1. **निवेश हेतु नई प्रक्रिया –**

- भारत में व्यापार करना आसान हो इसके लिये प्रक्रिया को आसान एवं पारदर्शी बनाया जा रहा हैं।
- औद्यागिक लाइसेन्स हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है उन्हें ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आवेदन किया जा सकता हैं।
- लाइसेन्स की अवधि बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई।
- केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों में 3 दिसंबर 2014 से सिंगल विन्डो प्रारम्भ की गई।
- टेक्स रिटर्न, पर्यावरण क्लियरेन्स आदि प्रकियाऐं ऑनलाईन की गई।
- प्रक्रिया का सरलीकरण कर उसे पारदर्शी बनाया जाएगा।

2. **नई आधारभूत संरचना –** भारत में निवेश में सबसे बड़ी बाधा आधारभूत संरचना की कमी हैं। जिसके कारण विदेशी कम्पनियाँ भारत में इकाई प्रारम्भ करने से घबराती है। अत: सुदृढ़ आधारभूत संरचना को बनाने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इस हेतु कई नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है –

- नेशनल इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर डेवलपमेन्ट अथॉरिटी की स्थापना की।
- 'स्मार्ट सिटी' योजना के तहत भारत के 100 शहरों को सर्वसुविधा युक्त बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा सरकार द्वारा 2014–15 के केन्द्रीय बजट में की गई
- कई नये इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर बनाये जा रहे हैं जिसकी घोषणा 2014–15 के बजट में की गई जैसे –

    1. दिल्ली – मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर
    2. बेंगलुरू – मुम्बई इकोनॉमिक कॉरीडोर
    3. चेन्नई – बेंगलुरू इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर
    4. द इस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरीडोर
    5. अमृतसर – कोलकाता इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर

3. **अन्य सुधार –** प्रक्रिया के सरलीकरण एवं अर्थव्यवस्था को खुला बनाने हेतु कुछ अन्य कदमों की भी घोषणा की गई हैं।

- बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) में सुधार किया गया।
- प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (FDI) रक्षा, अंतरिक्ष एवं न्यूज मिडिया को छोड़कर सभी रोगों में 100 प्रतिशत किया गया। चाय बागान में (FDI)से प्रतिबन्ध हटाया गया। रक्षा रोग में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया। स्पेस में 74 प्रतिशत एवं न्यूज मिडिया में 26 प्रतिशत (FDI) के

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

स्वीकृति दी गई।

4. मेक इन इण्डिया – मेक इन इण्डिया में निम्न 25 प्रक्षेत्रों पर फोकस किया गया हैं –

- ऑटोमोबाईल
- ऐविएशन
- केमिकल्स
- डिफेन्स मेन्युफेक्चरिंग
- इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम
- इन्फोर्मेशन टेक्नोलाजी
- मिडिया एण्ड एन्टरटेनमेन्ट
- फॉर्मास्टियूकल्स
- रेल्वे
- रोड़ एण्ड हाईवेज
- टेक्सटाइलस एण्ड गारमेन्टस
- टूरिज्म एण्ड हास्पिटिलिटी
- ऑटोमोबाईल कंपोनेन्टस
- बॉयोटेक्नोलॉजी
- कन्स्ट्रक्शन
- इलेक्ट्रीकल मशीनरी
- फूड प्रोसेसिंग
- लेदर
- माईनिंग
- पोर्ट्स एण्ड शिपिंग
- रिनुएबल एनर्जी
- स्पेस
- थर्मल पॉवर
- वेलनेस

5. भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त प्रतिक्रियाएँ – मेक इन इण्डिया कार्यक्रम घोषित करने के पश्चात इसका तेजी से प्रचार प्रसार किया गया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी ने करीब 26 राष्ट्रो का दौरा किया व सभी देशों के नागरिकों, उद्योगपतियों व यहाँ रहने वाले प्रवासी व भारतीय मूल के लोगों से भारत में मेन्युफेक्चरिंग इकाई लगाने का आव्हान किया। उन्हें सभी सुविधाएँ देने व प्रक्रिया के सरलीकरण का वादा किया। परिणाम स्वरूप कई कम्पनीज ने भारत में अपने प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने पर सहमति दी। मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत घोषित परियोजना में से कुछ इस प्रकार हैं –

- **जनवरी 2015 –** स्पाईस गुप्र ने उत्तरप्रदेश में मोबाईल फोन यूनिट प्रारम्भ करने की बात की जिसमें 500 करोड़ का विनियोग करने की बात उन्होंने की।
- **जनवरी 2015 में** Hyan Chil Hong द प्रेसिडेन्ट एण्ड CEO ऑफ सेमसंग साउथ ऐशिया में MSME से मिलकर भारत में "MSME "SAMSUNG TECHNICAL SCHOOL" खोलने की बात कही व फरवरी में उन्होंने कहा कि सेमसंग का प्लांट नोयड़ा में लगाया जावेगा।
- हिताची में भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या 10000 से 13000 करने की बात कही साथ ही उन्होनें चेन्नई में 2015 में Auto Companant Plant खोलने की बात कही।
- Huawaei ने फरवरी 2015 में बेंगलोर में R & D CAMPUS शुरू किया।
- जून 2015 में France Based LH ऐवियेशन ने एक MOU साईन किया है भारत में ड्रोन निर्माण युनिट के लिये।
- Foxconn में 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेन्ट R & D में अगले 5 वर्षो में करने की घोषणा की (महाराष्ट्र में)
- जनरल मोटर्स ने भी करीब 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर विनियोग की घोषणा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ही (महाराष्ट्र में)।
- Lenovo व मोटोरोला में भारत में चेन्नई व स्थानीय मेन्युफेक्चरिंग युनिट खोलने का एलान किया जो 6 मिलियन यूनिट्स बनाएगी। चेन्नई प्लान्ट में 1500 कर्मचारी होंगे जो क्वालिटी अश्योरेन्स व प्रोडक्ट टेस्टिंग करेंगे। कम्पनी के अनुसार उन्होंने यह फैसला प्रधानमंत्री मोदीजी के आव्हान पर किया।
- माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट डिजीटल इण्डिया एवं मेक इन इण्डिया प्रोग्राम में भारत के साथ सहभागिता करना चाहता है।
- नई सरकार में FDI InFlow 48 प्रतिशत हो गया हैं।
- मेन्युफेक्चरिंग सेक्टर में वर्तमान तिमाही में वृद्धि दर 12.6 संभावित हैं।

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की बाधाएँ – सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किये जा रहे है कि कम्पनियाँ भारत में ही उनके उत्पाद बनाये। सरकार को अच्छे रिस्पांस मिले भी है किन्तु अभी भी कई बाधाएँ जिनकी वजह से कम्पनीज भारत में निर्माण करने से हिचकिचाती हैं। हमारा पड़ौसी राष्ट्र चीन इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं और वहाँ बडे पैमाने पर देशी विदेशी कम्पनीज ने मेन्युफेक्चरिंग इकाईयाँ लगाई है। इसी प्रकार एशिया में सिंगापुर भी निवेश व उत्पादन के लिये पंसदीदा देशों में अग्रणी हैं। भारत में कुछ बाधाएँ हैं जो विनियोग को हतोत्साहित करती है –

1. स्वच्छता की समस्या भारत की बड़ी समस्या है हमारे आर्थिक जोन व इण्डस्ट्रीयल सेक्टर सहित बडे शहरो में स्वच्छता एक बड़ा रोडा हैं।
2. अनुशासन की भी भारत में बड़ी समस्या हैं। कानून का पालन करने की आदत में भारत में पीछे है अत: अर्थव्यवस्था व क्राइम का स्तर अधिक है।
3. आवश्यक सुविधाओं की भारत में कमी हैं। स्वच्छ, बेहतरीन सुविधाओं वाले औद्योगिक कॉरिडर, आर्थिक जोन की कमी हैं जहाँ बिजली पानी, सड़क आदि की पर्याप्त सुविधा हो। पॉवर कट भारत की बड़ी समस्या हैं।
4. प्रक्रिया लम्बी है। अन्य देशों की तुलना में भारत में व्यवसाय प्रारम्भ करने में अधिक समय लगता है। विश्व बैंक की रिपोट के अनुसार व्यवसाय खोलने के लिये पसन्दीदा देशों की सूची में भारत का 142 वां स्थान है। यहाँ व्यवसाय प्रारम्भ करने में 27 दिन लगते है जबकि न्यूजीलैण्ड में 01 दिन व चीन, सिंगापुर मे 03 दिन में प्रक्रिया पूर्ण हो जाती हैं।
5. भृष्टाचार भारत में व्यवसाय खोलने में बड़ी बाधा हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सस्ता श्रम, बड़ी मात्रा में युवा श्रम शक्ति, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन व असिमित संभावनाओं वाला देश होते हुए भी भारत में निर्माण करने वाली इकाइयों पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। किन्तु सरकार के प्रयासों से इसमे वृद्धि हो रही है। 13 फरवरी 2016 को मुबंई में आयोजित मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में मेन्युफेक्चरिंग में वृद्धि दर बढ़ी है। जिसमें 12 से 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहने की संभावना दे। ऑटोमोबाइल में वर्ष 2015 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ हैं। (FDI) का इनफ्लो बढ़ा है।

अत: हम कह सकते हैं कि जो इनिशेटिव लिये गये हैं यदि उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए, भ्रृष्टाचार कम हो, वर्ल्ड बैंक ने नया बिजनेस खोलने की सुविधा के जो दस मापदण्ड रखे (बिजली, पानी, सड़क, टेक्स, लोक सुविधा आदि) को पूरा किया जाये (इसमें भारत का स्थान 142 वाँ है व अगले 3 वर्षो में इसे 30वें स्थान तक लाने का लक्ष्य है), स्मार्ट सिटी के साथ लोग भी स्मार्ट बने, स्वच्छ भारत, डिजीटल भारत वाकई अमल में आ जाये तो भारत में निर्माण के लिये कम्पनीज अपने आप कतारबद्ध होगी क्योंकि बकौल मोदी जी भारत में 3D हैं – Democracy, Demography and Demand जो कि निर्माणी उद्योग के लिये आवश्यक हैं।उम्मीद है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में उत्पादन एंव रोजगार में अपेक्षित वृद्धि दर लाने में सफल सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www. makeinindia.com
2. www.mapsofindia.com/my india
3. www.ibef.org
4. The new Indian Express 26 Sep. 2014
5. The Economics Times 07 Agust 2014
6. www. dnaindia.com
7. India today.intoday 18 Agust 2015
8. नईदुनिया 18 फरवरी 2015

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

सीमा नागर *

प्रस्तावना – खाद्य सुरक्षा की अवधारणा – विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है। जिसमें सब लोगों को अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो और सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन बिताने के लिए अपनी पसंद का ऐसा भोजन प्राप्त करना उनके लिए भौतिक एवं आर्थिक दृष्टि से संभव हो।

भारत में अब तक पारंपरिक अवधारणा के आधार पर खाद्य उपलब्धता एवं स्थिरता को ही खाद्य सुरक्षा का मापक माना जाता था लेकिन वर्तमान में खाद्य उपलब्धता के स्थान पर खाद्य ऊर्जा अंतर्ग्रहण को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस दृष्टिकोण से पर्याप्त पोषण, नियमित खाद्य आपूर्ति तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करके ही खाद्य सुरक्षा को प्राप्त किया जाना संभव है।

खाद्य सुरक्षा के तत्व –कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रामीण भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति नामक रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा के तीन तत्व बताए है–

प्रथम – खाद्य उपलब्धता –जो कि खाद्य उत्पादन तथा आयात पर निर्भर है। एक ओर जनसंख्या में वृद्धि से खाद्यान्नों की मांग तीव्र गति से बढ़ रही है वही दूसरी ओर खाद्यान्न की अपेक्षित पूर्ति न होने के कारण कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। अत: खाद्यान्नों की भौतिक उपलब्धता को बढ़ाना आवश्यक है।

द्वितीय – खाद्य पहुँच – जो कि लोगों की क्रयशक्ति पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण से गरीब वर्ग तक खाद्य पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं।

तृतीय – खाद्य अवशोषण – जिसके अंतर्गत सुरक्षित पेयजल, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य विज्ञान, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से ही अपने नागरिकों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति के प्रति संवेदनशील रही है। हमारे देश में खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएँ, नीतियाँ तथा कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं जैसे– सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पोषण नीति, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, खाद्यान्न बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विभिन्न रोजगार योजनाएँ आदि। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 26 अगस्त 2013 पारित किया गया। इसके अनुसार सभी नागरिकों को सुरक्षित, पोषक तथा पर्याप्त खाद्य के साथ ही सक्रिय भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार पाने का हक है। इसके अंतर्गत देश की करीब 64 प्रतिशत आबादी को सस्ते दाम पर खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस विधेयक से लोगों को सस्ता अनाज पाने का कानूनी हक मिलेगा। इसके अनुसार योजना के लागू होने पर सरकारी राजस्व पर रू. 27663 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा तथा खाद्य सब्सिडी बढ़कर 95,000 करोड़ रू. हो जायेगी। इसके लिए 610 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी।

यदि सरकार सस्ता अनाज उपलब्ध कराने में विफल रहती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही संभव है। लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए विधेयक में प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता वाले परिवारों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 7 किलो अनाज तथा सामान्य घरों में प्रति व्यक्ति 3 किलो अनाज मिलेगा। प्राथमिकता वाले घरों के लिए चावल, गेहूँ तथा मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 तथा 1 रूपये प्रति किलो दिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम तीन किलो अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य की आधी दर पर मुहैया कराया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विशेष प्रावधान –

1. गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आहार तथा प्रसूति सुविधाओं के लिए छह महीने की अवधि में 6,000 रूपये की नकद सहायता।
2. स्तनपान कराने वाली माँओं को छ: माह तक मुफ्त आहार।
3. छह महीने से लेकर छह साल की उम्र तक के बच्चों को आयु अनुसार आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त आहार।
4. छह साल से अधिक 14 साल तक के बच्चों को छुट्टियों को छोड़कर प्रत्येक दिन दोपहर में एक बार मुफ्त भोजन।
5. कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त आहार।
6. विपन्न व्यक्तियों को दिन में एक बार मुफ्त आहार।
7. बेघर लोगों को सामुदायिक रसोई से आहार।
8. विपदा तथा आपातकाल के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को तीन महीने तक दिन में दो बार नि:शुल्क भोजन।
9. प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वैसी महिला जिसकी आयु अठारह वर्ष से अधिक हो राशनकार्ड जारी करने के लिए गृहस्थी की मुखिया मानी जायेगी।
10. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं को अथवा उनके समूहों को देने में प्राथमिकता का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की चुनौतियां – भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार भुखमरी, कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षा के प्रति जबावदेह रहेगी किन्तु अब भी खाद्य सुरक्षा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। अत: इस अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर कई प्रकार की आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं जो कि चुनौतियों के रूप में सामने खड़ी है। देश में गरीबी भुखमरी, तथा कुपोषण की स्थिति अत्यंत भयावह है। इस कथन के प्रावधान

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

भुखमरी तथा खाद्य असुरक्षा के मूल कारणों से लड़ने के मामले में मजबूत नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार विश्व के 88 देशों में भारत का 66 वाँ स्थान है। यहाँ के लगभग 23 करोड़ व्यक्ति अल्प पोषित है। अन्य देशों की तुलना में शिशु मृत्यु दर अधिक है। विश्व के कुल गरीबों का एक तिहाई अंश भारत में निवास करता है। देश के पांच वर्ष से कम आयु के 70 प्रतिशत बच्चे व 40 प्रतिशत महिलाएँ कमजोरी से ग्रसित है। बाजारवादी आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा तथा सरकारी घाटे को कम करना मुश्किल हो जायेगा। सरकार 1.25 लाख करोड़ रूपये रियायत के लिए व्यय करेगी। अत: इस कानून के क्रियान्वयन पर व्यय अनुमान से अधिक होगा। इससे विनियोग तथा रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुधार की प्रक्रिया में बाधा उपस्थित होगी।

इसके अतिरिक्त एक अन्य चुनौती यह है कि सरकार कानून के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायेगी अथवा नहीं। इस कानून के लागू होने से कुल चालीस लाख टन अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होगी। जिस पर लगभग 30 करोड़ रूपये व्यय होंगे। अत: खाद्य सुरक्षा कानून खाद्यान्न महँगाई बढ़ेगी।

सबसे बड़ा खतरा अनाज के वितरण को लेकर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। अंत्योदय परिवारों का चयन भी एक बड़ी चुनौती है। अंत्योदय परिवारों की पहचान की समस्या को कारगार तरीके से हल नहीं किया गया तो संभवतया कुछ पात्र परिवार लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम को भंडारण क्षमता पर भी ध्यान देना होगा ताकि लाखों टन खाद्यान्न उचित देखरेख के अभाव में बर्बाद होने से बच सकें।

इसके साथ ही इस अधिनियम का क्रियान्वयन खाद्यान्न उत्पादन तथा उपलब्धता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा का मूलमंत्र कृषि में सन्निहित है किन्तु वर्तमान में कृषि घाटे का सौदा हो गई है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान घटकर 14 प्रतिशत रह गया है। 70 प्रतिशत कृषक ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों का लाभ बिचौलियों को हुआ है न कि कृषकों को। ऐसे में मौजूदा कृषि संसाधनों, कृषकों तथा औद्योगिक विकास की नीतियों की समीक्षा किए बिना इसका क्रियान्वयन बड़ी चुनौती है।

खाद्य सुरक्षा कानून में सरकार द्वारा भोजन मुहैया न कर पाने की स्थिति में नकद देने का प्रावधान किया गया है किन्तु इस प्रावधान को लागू करने में सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि नकद अंतरण से विविध खाद्य आधारित योजनाओं के लाभ से वंचित होने तथा प्रत्यक्ष पोषण की लक्षित योजना से भटक जाने का खतरा बना रहेगा।

निष्कर्ष – विभिन्न चुनौतियों के बीच सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना सरल नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना लेने से ही समस्या का समाधान संभव नहीं है। अधिनियम तथा अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक निर्धनों तक पहुँचने के लिए गरीबी रेखा के सही आँकड़ों की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, कृषि विकास, कृषिगत, उत्पादकता में वृद्धि, कृषिगत आधारभूत सुविधाओं की सही समय व उचित मूल्य पर उपलब्धि, उचित भंडारण व्यवस्था, निर्धनों की क्रयशक्ति में सुधार, कृषि में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, नई तथा परम्परागत तकनीकों में सामंजस्य होना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का ईमानदारीपूर्वक क्रियान्वयन आवश्यक है ताकि देश की खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्या को हल किया जा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – धनकर प्रकाशन, मेरठ।
2. योजना – भारत सरकार का प्रकाशन।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था – सुदंरम व रूद्रदत्त।
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था – अर्जुन पब्लिशिंग, दिल्ली।
5. नईदुनिया दैनिक समाचार पत्र ।
6. पत्रिका दैनिक समाचार पत्र।

****

वेब मीडिया और उपभोक्ता व्यवहार

रावेन्द्र सिंह पटेल *

प्रस्तावना – आज मीडिया ने उपभोक्ता के व्यवहार को काफी हद तक परिवर्तित किया है, साथ ही वह देशी व विदेशी कंपनियों की वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने में, वैश्विक मंदी को दूर करने में अपनी महत्ती भूमिका निभायी है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि वह पूंजीवाद का पालन पोषण करने के साथ-साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करे।

वेबमीडिया व अर्थशास्त्र का बहुत ही गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री-उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व राजस्व[1] वेबमीडिया से काफी हद तक प्रभावित है। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करता है। वह उसी वस्तु की माँग करता है जिसमें उपयोगिता होती है।[2] इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है –

$$Dx_t = f\,(ux)_t$$

जहाँ –

Dx_t = एक निश्चित समय में x वस्तु की माँग

f = फलन

Ux_t = एक निश्चित समय में x वस्तु से प्राप्त उपयोगिता

लेकिन वास्तव में वेबमीडिया के कारण आज उपभोक्ता के विवेकशीलता की मान्यता संदेह के दायरे में आ चुकी है। आज उपभोक्ता द्धारा उन वस्तुओं की ज्यादा माँग हो रही है जिसका विज्ञापन सर्वाधिक हुआ है और हो रहा है। गणितीय रूप में –

$$Dx_t = f\,(Ax_{t,\ t-1})$$

जहाँ –

Dx_t = एक निश्चित समय में ु वस्तु की मांग

f = फलन

Ax_t = एक निश्चित समय में ु वस्तु का विज्ञापन

t-1 = वर्तमान समय से पूर्व का विज्ञापन

आज प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अपनी बिक्री को अधिकतम करना है[3] और इसीलिए प्रत्येक फर्म अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती है। वस्तुओं का बहुत ही तीव्र गति से प्रसार-प्रचार हो इसके लिए वेबमीडिया का सहारा लिया जा रहा है। आज वस्तुओं का विज्ञापन फर्म के लिए 'जीवन-मरण' का प्रश्न बन चुका है।[4] जैसा कि प्रो. बामोल ने कहा है कि विक्रय अधिकतम करने के लिए विज्ञापन महत्वपूर्ण है, नहीं तो फर्म अन्य फर्म की तुलना में नहीं टिक पाएगी।[5] वास्तव में सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन का मूलभूत उद्देश्य उपभोक्ताओं के ध्यान को आकर्षित करना और उनके मस्तिष्क पर एक विशेष वस्तु का नाम अंकित करना है। इस संबंध में सदैव यही उद्देश्य सामने रखा जाता है कि उपभोक्ता अपनी जेब से पैसे निकालकर वस्तु विशेष को खरीदने के लिए तैयार हो जाए।[6] आज वही वस्तु ब्रांड बन रही है जिसका सर्वाधिक विज्ञापन हुआ हो।

उपभोक्ता के सारे कार्यकलाप व व्यवहार उसके दिमाग द्धारा नियंत्रित होते है, वह जैसा सोचता है वैसा ही कार्यकलाप करता है, लेकिन आज वेबमीडिया ने उपभोक्ताओं के दिमाग को हैंग कर लिया है। अब मीडिया उपभोक्ताओं को जैसा दिखाता है, वह उसी तरह कार्यकलाप करता है। आज उपभोक्ताओं की तर्कशक्ति काम नहीं कर रही है, मीडिया जैसा दिखाता है वह उन्हीं वस्तुओं को आखमूद कर खरीद लेता है। एडोल्फ हिटलर ने भी इस संबंध में कहा है – 'प्रचार माध्यमों का काम लोगों की भावनाओं को उद्धेलित करना है, उनकी तर्कशक्ति को जगाना नहीं।' हम सब बाजार में वस्तु खरीदते समय देखते है कि अधिकतर उपभोक्ता कहते है कि यह वस्तु अच्छी है इसका विज्ञापन टी.वी. में खूब आता है। आज उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने में ज्यादा ध्यान न देकर वस्तु के विज्ञापन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उपभोक्ता उसी वस्तु को खरीदेगा जिसका विज्ञापन सर्वाधिक हुआ है।

वास्तव में मीडिया के प्रभाव से न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्र के 40 प्रतिशत लोग टीवी देखते हैं और 25 प्रतिशत लोग रेडियो सुनते है।[7] सन् 2004 के पहले ग्रामीण क्षेत्र में एक ही चैनल 'दूरदर्शन' आता था, लेकिन 2004 में DTH सेवा आने के बाद 200 चैनल आ रहे है। जिसके चलते ग्रामीण उपभोक्ताओं में भी विज्ञापन का भूत सवार हो गया है। आज वैश्विक मंदी के चलते देशी व विदेशी कम्पनियां भी ग्रामीण क्षेत्र में अपना बाजार खोज रही है और उन्हें यह अहसास हो गया है कि वैश्विक मंदी के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की और संजीदगी से देखने का यह सही वक्त है। अब वे ग्रामीण परिचालन के लिए अपनी रणनीति दोबारा बनाने की होड़ में जुटी है।[8] आज ग्रामीण भारत में एफ.एम.सी.जी. सेक्टर 20 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं शहरी भारत में यह 17-18 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है।[9]

वेबमीडिया व पूँजीवाद का एक-दूसरे से चोली-दामन का संबंध है। जहाँ एक और वेबमीडिया पूँजीवाद के अस्तित्व को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, तो वही दूसरी और पूंजीवाद वेबमीडिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है। पूंजीवाद ने मीडिया के चाल, चेहरे, चरित्र को

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

इस कदर बदला है कि सब कुछ डगमग हो गया है। आज मीडिया लाभ देखता है सामाजिक सारोकार नहीं।[10] कौन सा समाचार किस प्रकार छपेगा, कहां छपेगा सब कुछ निर्णय करने का अधिकार मीडिया से पूंजीवाद ने छीन लिया है। पूंजी का दबाव दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। आज मीडिया चाहती है कि यह समाज अधिकाधिक पूंजी की सत्ता के अधीन हो जाए क्योंकि इसकी आय और व्यक्तिगत स्वार्थ पूंजीवादी व्यवस्था में अपनी जड़ जमा चुका है।[11] इलेक्ट्रानिक मीडिया और संचार तकनीक मौजूदा दौर में पूंजीवाद के मदद्गार हैं। ये इसके हिरावल दस्ते की तरह काम करते हैं। पूंजीवाद के मौजूदा दौर में उपनिवेशों में उत्पादक सम्पत्ति खड़ी करने के लिए वित्त के निर्यात की जगह अब विश्व स्तर पर सट्टेबाजी और मुद्रा की खरीद-फरोख्त पर ज्यादा निवेश किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की मीडिया पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञापन जगत में अमरीकी कंपनियों का दबदबा है। अमेरिका स्थित जे. वाल्टर थॉमसन नामक विज्ञापन ऐजेन्सी के दबाव के आगे बी.बी.सी. जैसी निष्पक्ष कही जाने वाली समाचार एजेन्सी को भी झुकना पड़ा और अपने टीवी चैनलों पर विज्ञापन के लिए उसे अनुकूल स्थान बनाना पड़ा।[12] आर्थिक दृष्टि से मीडिया के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बड़ी पूंजीवादी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अच्छी तरह पहचान रही हैं। आज भूमण्डलीकरण के दौर में मीडिया ने समाचार की नई परिभाषा गढ़ी है - ' समाचार वही जो व्यापार बढ़ाए।' बाजार और पूंजी के तर्क मीडिया पर इतने हावी कभी नहीं रहे जितने आज हो चले हैं। जो समाचार या फीचर टी.आर.पी. बढ़ाए या विज्ञापन लाए वही समाचार प्रकाशित या प्रसारित किया जाने लायक है। मीडिया के विशुद्ध लाभ का यही सिद्धान्त उसे गैर जिम्मेदार, निरकुंश और जनविरोधी बताता है।

भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय अर्थतंत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज भारतीय मीडिया भी भूमण्डलीयकरण के प्रभाव से अछूता नहीं है। भूमण्डलीय मीडिया के दबाव ने आज भारतीय इलेक्ट्रानिक मीडिया के समूचे परिदृश्य में भारी उलटफेर की है। उलटफेर के इस क्रम ने इलेक्ट्रानिक मीडिया में आये त्वरित बदलावों, नित नये जुड़ते विविध आयामों ने मनोरंजन और सूचना संचार को अकल्पनीय एवं मनमोहक तथा मायावी रूप प्रदान किया है।[13]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा, एच.एल. 'उच्चतर आर्थिक सिद्धान्त' संस्करण-2001, एस.चन्द्र एण्ड कंपनी लि. नई दिल्ली पृष्ठ संख्या -24
2. Marshal ' Principle of Economics' 8th edition, Oxford university Press, P-10
3. Boumel ' Business Behaviour, value and Grouth, 1967, P-47
4. E.H. Chamberlin `The Theory of Monopolistic compitition' 6 edition, p-79
5. Bormel ' Business Behaviour, valiue and Grouth, 1967, P-48
6. Storier and Hague `A Text book of Economic Theory' 1953, P-222
7. IRS Report, 2007
8. खुराना ललित, 'संपादकीय' कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2009, पृष्ठ संख्या-02
9. कुमार योगेश 'ग्रामीण क्षेत्र में प्रगतिशील अर्थव्यवस्था से बदलता परिवेश' कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2009, पृष्ठ संख्या-05
10. मिश्र श्रीनिवास 'मीडिया का अर्थशास्त्र' आलेख, मीडिया विमर्श 2012 संपादक - वीरेन्द्र सिंह यादव, रावेन्द्र साहू, पृष्ठ संख्या-317
11. कुमार अमरेन्द्र, निशान्त सिंह (संपादक) 'अब तो मुद्दे बिकते है।' इक्कीसवी सदी और हिन्दी पत्रकारिता, पृष्ठ संख्या-39
12. ए.के. अरूण 'भूमण्डलीकरण के दौर में मीडिया' योजना, मई 2009, पृष्ठ संख्या-14
13. शर्मा मुंकुद 'भूमण्डलीकरण और मीडिया'' ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली, संस्करण 2009, पृष्ठ संख्या-52

****

जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव

डॉ. अंजना चतुर्वेदी *

प्रस्तावना – जलवायु किसी देश की संरचना का आधारभूत हिस्सा होती है। किसी स्थान विशेष का दीर्घकालिक मौसम, जल की उपलब्धता एवं वायु प्रवाह ही वहाँ की जलवायु का निर्माण करते है। 'ब्लेयर कहते है – जलवायु मौसम के बहुरूपीय प्रभावों के परिणाम अथवा सारांश को कहते है।'[1] वस्तुत: पर्यावरण को भी हम कमोवेश ऐसे परिभाषित करने का प्रयास करते है – पर्यावरण उन समान्त बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो भूमि की बनावट वन, जल, खनिज, पदार्थ परम्पराएँ, संस्कार आदि।[2] अत: पर्यावरण एवं जलवायु एक दूसरे के पूरक है अथवा कहें कि एक सिक्के के दो पहलू है।

जलवायु पर्यावरण का निर्धारक तत्व है तो पर्यावरण जलवायु के निर्माण का अनिवार्य तत्व है जलवायु निर्धारण हेतु स्थान विशेष में वायुमंडल का दबाव तापमान, आद्रता हवा की प्रक्रिया तथा बादलों के आवागमन क्रम का लम्बी अवधि तक आंकलन किया जाता है और तब जलवायु की एक आधारभूत धारणा बनती है।'624–546 ईसा पूर्व यूनानी गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थेल्स ने पश्चिम में जलवायु विज्ञान की नींव रखी थी।[3] मौसम जलवायु का अंग है मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है परंतु जलवायु में स्थिरता का भाव निहित होता है। स्थिर जलवायु को हम प्राकृतिक नियम का हिस्सा मान सकते है। परंतु प्राकृतिक एवं अन्य मानव प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन की स्थिति निर्मित हो रही है 'वास्तव में परिवर्तनशीलता जलवायु का अंतरंग गुण है। इस तरह किसी भी स्थान की मौसम संबंधी दशाओं में दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है।[4]

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन ने एक समस्या का रूपधारण कर लिया है। जलवायु परिवर्तन अल्पकालिक नहीं होता, यह एक माह अथवा वर्ष में दिखलाई नहीं देता बल्कि इसमें अनेक दशक अथवा लाखों वर्षों का समय लग सकता है। इसका प्रभाव क्षेत्र विशेष पर भी होता है अथवा सम्पूर्ण विश्व पर भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है इनका संबंध प्रकृति से भी है एवं मानव जन्य स्वार्थ परक क्रियायें। यदि दोनों कारणों पर गहन विचार करें तो प्राकृतिक तत्वों की अपेक्षा मानव क्रियायें अधिक प्रभावकारी नजर आ रही है।

प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी, महाद्विपीय पृथककरण एवं महासागरी धारायें है। ज्वालामुखी फटने पर जब पृथ्वी के गर्भ से गैस एवं लावा बाहर आता है तो वह जलवायु को प्रभावित करता है जो गैस जलवायु पर प्रभाव डालती है वे होती है – सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2) कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) तथा तथा कार्बन मोनो ऑक्साइड ज्वालामुखी से निकली आग तो शांत हो जाती है परंतु ये गैस बहुत लम्बे समय तक वातावरण में उपस्थित रहकर जलवायु को प्रभावित करती है। धरती के भू–भाग जब अलग होते हैं तो समुद्रिक धारायें एवं हवा का दबाव भी बदलता है एवं प्रवाह भी, जो जलवायु को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में आज भी जारी है। महासागर की धाराएँ भी जलवायु को प्रभावित करती है। पृथ्वी के लगभग 70 प्रतिशत भाग पर जल है जो सागर तथा महासागर के रूप में है। समय–समय पर ये अपना ताप वायुमंडल में छोड़ते है जिससे भी जलवायु प्रभावित होती है।

ये प्राकृतिक कारण उतने खतरनाक नहीं है जितनी की मानवीय प्रक्रियाऐं है जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव जिनका निर्माण कृषि कार्यों के लिए किया गया। जलवायु पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं।' कांच के अंदर कुछ उत्पाद किए जाते है ,जिनमें सूर्य का ताप अंदर आ जाता है, पर बाहर नहीं निकल पाता। फसलों के लिए लाभदायक होता है।[6] ऐसा ही प्रभाव कार्बनडाई आक्साइड का होता है जो ताप CO_2 में आ जाता है वह बाहर नहीं निकल पाता एवं जलवायु को प्रभावित करता है।

मानवीय प्रक्रियाऐं जिनमें शहरीकरण, औद्योगीकरण, जंगल का कटना, मशीनीकरण आधुनिक घरेलू उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग सभी CO_2 को बढ़ाने वाले है। जिनका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है।इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव की प्राथमिक आवश्यकता खाद्यान्न के उत्पादन की मात्रा एवं प्रकृति पर भी पड़ा है। 'कृषि का उद्भव संयोग मात्र नहीं रहा होगा। कृषि वनस्पतियों के उपयोग के क्रम में ही उसे फसलों का ज्ञान हुआ होगा और उन्हें अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए कृषि का विकास हुआ होगा।[7] कालान्तर में यही कृषि व्यवस्था विकास एवं व्यापार का आधार बनती गई। परन्तु जलवायु परिवर्तन ने कृषि पर भी अपना दुष्प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया है।

मौसम के परिवर्तन की श्रृंखला ने खाद्यान्न संकट उत्पन्न कर दिया है तथा किसानों के संकट भी बढ़ा दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होने में कृषि वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्त्ता भी मुसीबत में पड़ते दिखाई दे रहे है। एक अनुमान कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण धान उत्पादन में 2020 तक 6.7 प्रतिशत की तथा 2050 तक 15.71 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। वैज्ञानिक ने सब्जी उत्पादन में भी कमी के संकेत दिए है। दुग्ध उत्पादन में तो वर्तमान में लगभग 18 लाख टन घट गया है।[8] हमारे देश में किसानों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्याएँ इस बात का प्रत्यक्ष प्रभाव है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे देश के कृषि उत्पादन पर बढ़ रहा है। अत: इससे बचने हेतु मानव प्रक्रियाओं को नियंत्रित एवं पर्यावरण संरक्षण को तीव्रता से अपनाया जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जलवायु एवं समुद्र विज्ञान – डॉ. एस.एम. सिसोदिया, कैलाश पुस्तक सदन, पृ. 3
2. पर्यावरण अध्ययन – डॉ. विजय कुमार तिवारी, हिमालय पब्लिसिंग हाउस मुम्बई, पृ. 1
3. परीक्षा मंथन – भाग–4 तारकंद मार्ग इलाहाबाद 2013–14 पृ. 26
4. पर्यावरण भूगोल – सविन्द्र सिंह, प्रयोग पुस्तक भवन इलाहाबाद 2009, पृ. 272
5. परीक्षा मंथन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तारकंद मार्ग इलाहाबाद 2013 पृ. 98
6. वही पृ. 98
7. कृषि भूगोल – सतनाम सिंह यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन दिल्ली 2008, पृ. 19
8. 5वां संदर्भ पृ. 109

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

Make In India - Prospects And Challenges

Dr. Anil Kumar Jain *

Introduction - 'Make in India' is an initiative of the Government of India launched by Prime Minister Narendra Modi on 25 September 2014 in a function at the Vigyan Bhavan. The major objective behind the initiative is to focus on job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy. The initiative also aims at high quality standards and minimising the impact on the environment. It hopes to attract capital and technological investment in India. The entire campaign design was done by Wieden Kennedy.

Need - India had fallen to a lowly 134th rank out of 189 countries this year (three down from 2013) in the World Bank's Ease of Doing Business rankings. Currently, it takes 12 procedures and 27 days to stat business, 35 procedures and 168 days to get construction permits and 1420 days to enforce contracts in India. India's ailing infrastructure scenario and defunct logistics facilities make it difficult for the country to achieve an elite status as a manufacturing hub. The bureaucratic approach of former governments, lack of robust transport networks, and widespread corruption makes it difficult for manufacturers to achieve timely and adequate production.

Prospects - 'Make in India' aims to take the share of manufacturing in the country's GDP from a stagnant 16% currently to 25% by 2022, as stated in the National Manufacturing Policy, and to create 100 million jobs by 2022. About 25 economic sectors have been included in this project namely, Automobiles, Aviation, Biotechnology, Chemicals, Defence manufacturing, Electrical machinery, Food Processing, Leather, Media and Entertainment, Mining, Oil &Natural Gas, Pharmaceuticals, Ports & Shipping, Information Technology & Business process Management, Electronic systems, Construction, Railways, Roads & Highways, Space, Wellness, Hospitality & Tourism, Thermal Power, Textiles & Garments, Renewable Energy and Auto mobile components.

The initiative was taken to get more capital and technological investment in India. After its launch, government released FDI caps from various sectors and now there are only few sectors where FDI is limited to some extent such as Space -74% , Defence- 49% and News Media 26%. Apart from these for all other sectors 100% FDI is allowed. At present, there are no restrictions for FDI in tea plantations and the same limit in Defence sector increased to 49% from 26%.

Further, all those innovators and creators who are willing to manufacture their products in India, their intellectual copy rights will be improved with latest infrastructure as well as state of the art technology.

The Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) worked with a group of highly specialised agencies to build brand new infrastructure, including a dedicated help desk and a mobile-first website that packed a wide array of information into a simple, sleek menu. Designed primarily for mobile screens, the site's architecture ensured that exhaustive levels of detail are neatly tucked away so as not to overwhelm the user. 25 sector brochures were developed. Contents included key facts and figures, policies and initiatives and sector-specific contact details, all of which was made available in print and on site.

The program included following key points -

Guide Foreign Investors - Invest India will act as the first reference point for guiding foreign investors on all aspects of regulatory and point issues and to assist them in obtaining regulatory clearances.

Assistance to Foreign Investors - Investor facilitation cell will provide assistance to the foreign investors from the time of their arrival in the country to the time of their of their departure, with focus on green and advanced manufacturing and helping these companies to become an important part of the global value chain.

Prompt Response - Prospective investors can post questions on the make in India portal and they will be answered by a panel of experts within 72 hours.

Provide Relevant Information - Visitors registered on the website or raising queries will be followed up with relevant information and newsletter.

Proactive Approach - A pro-active approach will be deployed to track visitors for their geographical location, interest and real-time user behaviour.

Progress - The workshop titled **Make in India - Sectorial perspective & initiatives** was conducted on 29th December, 2014 under which an action plan for 1 year and 3 years has been prepared to boost investments in 25 sectors. The ministry has engaged with the World Bank group to identify areas of improvement in line with World Bank's 'doing business' methodology.

A 2 day workshop and several follow up meetings were held to formulate framework which could boost India's ranking

*Asst. Professor (Political Science) Govt. Girls' College, Ratlam (M.P.) INDIA

which is currently 142 in terms of Ease of doing business. An 8 membered investor facilitation cell (IFC) dedicated for the Make in India campaign was formed in September 2014 with an objective to assist investors in seeking regulatory approvals, hand-holding services through the pre-investment phase, execution and after-care support.

The Indian embassies and consulates have also been communicated to disseminate information on the potential for investment in the identified sectors. DIPP has set up a special management team to facilitate and fast track investment proposals from Japan, the team known as 'Japan Plus' has been operationalized w.e.f October 2014.

Following are some of the recent policy measures and projects to open up India's manufacturing sector:

- 100 per cent FDI allowed in the telecom sector.
- 100 per cent FDI in single-brand retail.
- Various sectors have been opened up for investments like Defence, Railways, Space, etc. Also, the regulatory policies have been relaxed to facilitate investments and ease of doing business.
- Six industrial corridors are being developed across various regions of the country. Industrial Cities will also come up along these corridors.
- Validity of industrial license extended to three years.
- For all non-risk, non-hazardous businesses, a system of self-certification to be introduced.
- Process of obtaining environmental clearances made online.
- The Government of India is developing the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) as a global manufacturing and an investment destination utilising the 1,483 km-long, high-capacity western Dedicated Railway Freight Corridor (DFC) as the backbone.
- **FDI is surging -** Foreign direct investment between October and May was up 40% to $23.7 billion from the same period a year earlier. Net investments by foreign institutional investors, or the money coming through financial markets, totaled $40.92 billion in the fiscal year ended March 31, roughly seven times as much as in the prior year.
- **Industrial production is warming -** The pick-up in investments is starting to show in the country's industrial production numbers. Official data show India's industrial production rose an average 2.7% year-over-year in the seven month period from October to May. Nothing spectacular one may say. But it is a significant step up from the measly 0.6% increase during the comparable period a year earlier.
- In a short space of time, the obsolete and obstructive frameworks of the past have been dismantled and replaced with a transparent and user-friendly system that is helping drive investment, foster innovation, develop skills, protect IP and build best-in-class manufacturing infrastructure.
- The most striking indicator of progress is the unprecedented opening up of key sectors – including Railways, Defence, Insurance and Medical Devices - to dramatically higher levels of Foreign Direct Investment.

Challenges - However, the concept could face the following major issues and challenges:

- Creating healthy business environment will be possible only when the administrative machinery is efficient. India has been very stringent when it comes to procedural and regulatory clearances. A business-friendly environment will only be created if India can signal easier approval of projects and set up hassle-free clearance mechanism.
- India should also be ready to tackle elements that adversely affect competitiveness of manufacturing. To make the country a manufacturing hub the unfavourable factors must be removed. India should also be ready to give tax concessions to companies who come and set up unit in the country.
- India's small and medium-sized industries can play a big role in making the country take the next big leap in manufacturing. India should be more focused towards novelty and innovation for these sectors. The government has to chart out plans to give special sops and privileges to these sectors.
- India's make in India campaign will be constantly compared with China's 'Made in China' campaign. The dragon launched the campaign at the same day as India seeking to retain its manufacturing prowess. India should constantly keep up its strength so as to outpace China's supremacy in the manufacturing sector.
- India must also encourage high-tech imports, research and development (R&D) to upgrade 'Make in India' give edge-to-edge competition to the Chinese counterpart's campaign. To do so, India has to be better prepared and motivated to do world class R&D. The government must ensure that it provides platform for such research and development.
- From technological point of view, India is lagging behind the western world, as far as manufacturing is concerned. Experts say, we are still about a decade behind advanced countries, when it comes to usage of technology and manufacturing excellence. We try to bargain on cost instead of insisting for best features and in the process, lose on value. We get a momentary pleasure of saving the cost but in the long run, we stand to lose because we don't add value to our investment. Usage of low cost technology often poses problems in terms of product quality, reliability, consistency and performance. Our delivery commitments are fired.

Many of us in India generally think that low investment means low manufacturing cost, which is utterly wrong. We look at their cost but overlook their inconsistency in performance, durability and quality. We have to challenge and change this scenario. We should be more demanding and insist for superior technology or superior quality, that is used elsewhere in the advanced world. Investment in such machinery, tooling or equipments may appear high but its

results and returns will be incredibly quicker and higher.

In many of the Indian industries, people insist for manual skill because they apprehend that adoption of advanced technology will result in redundancy of human resource, which is abundantly available in India. However, technology driven processes with minimum human intervention will guarantee manufacturing excellence.

Make in India necessarily involves the drive to boost the manufacturing sector. However, the investors are wary of prevalent labour laws and bureaucratic hassles in India and as such, unless conducive atmosphere is created on these fronts the investments will not come as expected and Make in India drive will not accomplish desired results.

In order to make this initiative a great success, we need to be at par with the advanced world as far as usage of modern technology is concerned and we need to have more clarity, maturity and intensity on quality aspects of our products. Most of the western countries and even China are rapidly ageing, whereas India will continue to remain young for next 2-3 decades. So the aging world will have to depend a lot on India.

Today, India's credibility is stronger than ever. There is visible momentum, energy and optimism. 'Make in India' is opening investment doors. Multiple enterprises are adopting its mantra. The world's largest democracy is well on its way to becoming the world's most powerful economy. But, 'Make in India' is not a short term programme. It will be an ongoing process, irrespective of the fact that whichever government is in power, the drive has to continue with the same thrust.

References :-

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Make_in_India
2. http://www.makeinindia.com/about
3. http://zeenews.india.com/business/news/economy/narendra-modis-make-in-india-campaign-five-challenges_109098.html
4. http://mfgtechupdate.com/2015/07/make-in-india-challenges-and-opportunities-for-manufacturing-sector/
5. http://digitalindiainsight.com/make-in-india-project/
6. http://www.slideshare.net/KotakSecurities/make-in-india-40158909
7. http://www.mapsofindia.com/government-of-india/make-in-india.html
8. https://www.iimcal.ac.in/make-india-academic-perspective-prof-partha-priya-dutta
9. http://blogs.wsj.com/briefly/2015/08/12/five-things-that-show-modis-make-in-india-campaign-is-working/

****

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण (महिला आरक्षण के विशेष संदर्भ में)

डॉ. टी. पी. मिश्रा *

शोध सारांश – वर्तमान दौर में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंतन का मुख्य बिन्दु रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में महिला आरक्षण के कारण महिलाओं की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देने लगी है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो या विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र हों, यहाँ महिलाओं ने दस्तक दी है। राजनैतिक क्षेत्र में 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन जो पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित हैं। इन संस्थाओं में 33 प्रतिशत (कई स्थानों पर 50 प्रतिशत) आरक्षण के कारण इनसे संबंधित पदों पर यथा–वार्ड पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में महिलाएँ न केवल सहभागिता कर रहीं हैं बल्कि अपने नेतृत्व से महिला सशक्तीकरण का संकेत दे रही हैं। अत: प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से इस तथ्य को उजागर किया गया है कि देश की सर्वोच्च निकाय विधानसभा एवं लोकसभा में यदि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कर दिया जाये तो न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी आशातीत परिणाम दृष्टिगोचर होने लगेंगे तथा महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में प्रकटीकृत होगी।

प्रस्तावना – सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि सशक्तिकरण क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? और इस दिशा में किये गये प्रयास क्या हैं? सामान्यत: सशक्तिकरण का तात्पर्य शक्तिशाली बनाना है तथा उस खाई को पाटना है जो सामाजिक, आार्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई है। इसमें जागरूकता, अधिकार एवं हक को जानना, सहभागिता निर्णयन जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल किये जा सकते हैं। निडरता, सम्मान, जागरूकता आदि सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम कहे जा सकते हैं। भारतीय परिदृश्य में नारी आदिकाल में पूज्यनीय और सम्माननीय थी। मुगलकाल में नारी की वह स्थिति लुप्तप्राय हो गयी। नारी को दोयम दर्जा प्राप्त हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब मौलिक अधिकारों के माध्यम से पुरूष एंव नारी को समान अधिकार देने की बात कही गयी। संविधान के द्वारा वे सभी द्वार महिलाओं के लिए खोल दिये गये जो पुरूषों के लिए हैं। किन्तु सामाजिक वास्तविकता के चलते महिलाओं की उपस्थिति हर क्षेत्र में नगण्य रही। फलत: महिलाओं को सशक्त करने हेतु अनेक पूरक प्रयास अनेक नियम–कानून, विशेष उपबंध, महिला आयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में नारी आरक्षण के माध्यम से प्रारंभ किये गये। फलत: शासकीय सेवा के क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में कुछ संख्या में महिलाएँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। संविधान के 73 वें संविधान संशोधन जो पंचायती राज के स्थापना से संबंधित है, के माध्यम से इन संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से निर्धारित स्थानों में महिला पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों के रूप में कार्य करते हुए दिखने लगीं। यह अलग बात है कि प्रारंभ में इन महिलाओं के स्थान पर इनके पति, पुत्र, भाई या पिता आदि ने इन पदों के वास्तविक अधिकार का उपयोग किया और ये अनेक जगह रबर–स्टॉम्प के रूप में देखी गयी। लेकिन क्रमश: बीतते समय एवं अनुभव ने इन्हें स्वावलंबी बनाना प्रारंभ कर दिया। अत: कहा जा सकता है कि 73 वाँ संविधान संशोधन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ।

अध्ययन के उद्देश्य – केन्द्र सरकार व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाऐं, कार्यक्रम, नीतियाँ एवं कानून बनाती हैं तथा सभी का प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास किया जाता है। कुछ अवधि से इसके परिणाम भी सामने आते रहे हैं। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसके वांछित परिणाम भी आये हैं, किन्तु पूर्ण राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए राज्य की विधान सभाओं एवं लोक सभा में इनकी संख्या में वृद्धि होना आवश्यक है ताकि देश की आधी आबादी का विधि निर्माण एवं निर्णयन में महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। साथ ही इन महत्वपूर्ण संस्थाओं में अधिक महिलाओं की उपस्थिति से मर्यादा और गरिमा भी कायम की जा सके।

संकल्पनाएँ – पंचायत एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए किये 33 प्रतिशत (कई स्थानों पर 50 प्रतिशत) आरक्षण के परिणाम बताते हैं कि महिलाओं ने ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उत्थान के लिए प्रभावी काम किया है। ऐसे में उन्हें अगर ऊपरी लोकतंत्र निकायों में आरक्षण का लाभ दिया जाये तो इससे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में बदलाव आ सकता है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध कार्य में उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है साथ ही विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से उनका दृष्टिकोण प्राप्त किया गया है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण का स्वरूप – लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ भारत एक गणतंत्रात्मक देश है तथा शासन व्यवस्था का स्वरूप संसदात्मक है। कटु सत्य यह है कि भारतीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व तो दूर की बात है, इसे कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता है। जिसे महिला आरक्षण विधेयक की स्थिति से समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2010 को संसद एवं विधान सभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी के लिए महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में भारी बहुमत से पारित हो गया, यह विधेयक पिछले कई दशक से लंबित था परन्तु इसको मूर्त रूप देने के लिए लोकसभा में पारित होना शेष है। इस दिशा में कई बार प्रयास हुए परन्तु राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति के अभाव के चलते यह आज तक पारित नहीं हो पाया है।

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर, जिला– मण्डला (म.प्र.) भारत

पुरूषवाद सदैव इस बात पर बल देता रहा है कि नारी और राजनीति दो बेमेल स्थितियाँ हैं अर्थात् राजनीति नारी का कार्यक्षेत्र नहीं हो सकता किन्तु नारीवाद इन मान्यताओं का विरोध करता है और इस बात पर बल देता है कि राजनीति में नारी को लगभग बराबर की भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए। महिलाएँ न केवल राजनीति में भाग लेने की योग्यता और क्षमता रखती हैं बल्कि वे इस कार्य को पुरूषों की तुलना में अधिक योग्यता और क्षमता से कर सकती हैं। महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष जैसे गुरूत्व दायित्व का निर्वाह कर यह सिद्ध भी कर दिया है।

भारत में महिलाओं की स्थिति अलग-अलग राज्यों/जिलों/स्थानीय क्षेत्रों की परिस्थितिनुसार भिन्न-भिन्न हैं। अभी तक पूर्णरूपेण महिलाओं की दशा को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं, तथा इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, तकनीकी या व्यवसायिक शिक्षा हो सभी जगह महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो महिलाएँ कहीं भी पीछे नहीं हैं। राजनीतिक सशक्तीकरण की बात करें तो स्पष्ट संकेत मिले हैं कि स्थानीय संस्थाओं में 33 या 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में सकारात्मक वृद्धि हुई है। हालाँकि अभी कुछ समस्याएँ एवं चुनौतियाँ अवश्य हैं लेकिन भविष्य सुनहरा और उज्ज्वल। आज महिलाएँ घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर रूढ़ीवादी प्रवृत्तियों को पार कर विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में कार्यरत हैं, जिससे न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता आ रही है बल्कि समाज एवं परिवार की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देना प्रारंभ हो गया है। सरकारी सेवा व राजनीति में सक्रिय महिलाओं को समाज में स्थान व सम्मान मिल रहा है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, जज एवं प्रशासनिक अधिकारी जैसे पदों पर महिलाओं ने दस्तक दे दी है। राजनीति में तो वार्ड, पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य एवं अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों में अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं है।

दुनिया के कई देशों में महिला आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गयी है या विधेयक के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। कई देशों में राजनीतिक दलों के स्तर पर ही इसे लागू किया गया है। अर्जेंटीना में 30 प्रतिशत, अफगानिस्तान में 27 प्रतिशत, पाकिस्तान में 30 प्रतिशत एवं बंग्लादेश में 10 प्रतिशत आरक्षण कानून बनाकर महिलाओं को प्रदान किया गया है। जबकि राजनीतिक दलों के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने वाले देशों में डेनमार्क 34 प्रतिशत, नार्वे 38 प्रतिशत, स्वीडन 40 प्रतिशत, फिनलैण्ड 34 प्रतिशत तथा आईसलैण्ड 25 प्रतिशत आदि उल्लेखनीय है।

यदि हम भारत में लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या, कुल सदस्यों की संख्या के अनुपात में तुलना करें तो कुछ इस तरह की तस्वीर दिखती है-

तालिका क्रमाँक-01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

भारत में लोकसभा निर्वाचन में महिलाओं की भागीदारी की समीक्षा इनके कमजोर स्थिति को इंगित करती है। निर्वाचन की शुरूआत 1952 से अंतिम लोक सभा निर्वाचन 2014 तक की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि लोकसभा में निर्वाचित होकर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2014 में सर्वाधिक 61 रही अर्थात् 11.19 प्रतिशत महिलाएँ निर्वाचित हुई जो कि आधी आबादी के प्रतिनिधित्व के हिसाब से न्यायसंगत नहीं है। इसके पीछे अनेक कारण हैं परन्तु महिलाओं के प्रति राजनीतिक दलों में न तो इच्छा शक्ति है और न ही वे पुरूष प्रधान की भूमिका को कमतर होने देना चाहते हैं। कई राजनीतिक दल तो भयभीत हैं कि अधिक संख्या में महिलाओं को टिकिट देने से वे निर्वाचित होंगी तो पुरूषों के वर्चस्व का ग्राफ निरंतर कम होता जायेगा।

आरेख क्रमाँक-01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमाँक-02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

आरेख क्रमाँक-02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका में वर्णित केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में महिला मंत्रियों की संख्या भी समीक्षा उपरान्त कमजोर स्थिति को ही इंगित करती है। वर्ष 2002 से 2014 तक के मंत्रीमण्डल की स्थिति पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि अधिकतम महिला मंत्रियों की संख्या 08 ही रही है। प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखें तो सन् 2014 में 66 मंत्रियों में कुल 08 महिला मंत्री हैं अर्थात् मंत्रीमण्डल की संख्या के हिसाब से 12.12 प्रतिशत महिलाएँ मंत्रीमण्डल में स्थान प्राप्त कर सकी हैं जो अभी तक का सर्वाधिक है।

तालिका क्रमाँक-03 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन में महिलाओं की भागीदारी की समीक्षा भी इनके कमजोर स्थिति की ओर इशारा करती है। निर्वाचन वर्ष 1998 से निर्वाचन वर्ष 2013 तक की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि मध्यप्रदेश विधानसभा में निर्वाचित होकर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2013 में सर्वाधिक 32 रही है, अर्थात् 13.91 प्रतिशत महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं जो आधी आबादी के प्रतिनिधित्व के हिसाब से न्यायसंगत नहीं है।

आरेख क्रमाँक-03 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

समस्याएँ - देश की आधी आबादी का लोकतंत्र के सर्वोच्च निकायों में नगण्य उपस्थिति को दूर कर बराबरी का दर्जा देने में कुछ राजनीतिक दल एवं उनकी विचारधाराएँ सबसे बड़ी बाधक बनी हुई हैं। यही कारण है कि राज्य सभा में बहुमत से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लोकसभा में यह प्रस्ताव बार-बार गिर रहा है। विरोधी पक्ष को विधेयक के वर्तमान स्वरूप पर कड़ा विरोध है। उनके अनुसार इनका लाभ केवल एक वर्ग विशेष की महिलाओं को ही मिल पायेगा। पुरूष सांसदों के पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता तथा महिलाओं को दोयम दर्जा देने की सोच भी इस दिशा में बाधक है।

सुझाव - पुरूषों की तुलना में महिलाएँ अधिक व्यवहारिक होती हैं, अधिक मर्यादित आचरण की प्रवृत्ति रखती हैं अत: उनकी भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था को अधिक मर्यादित रखेगी, अनुशासित करेगी तथा राजनीतिक व्यवस्था अधिक उद्देश्यपूर्ण हो सकेगी। देश की आधी आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा समस्त जीवन व्यवस्था में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है यह तभी संभव है जबकि राजनीति में महिलाओं को अधिक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

केवल महिला समानता व बराबरी का लक्ष्य निर्धारित करने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस दिशा में कार्य करना आवश्यक है। एक बात तो तय है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई मसीहा अवतरित होगा न ही समाज को नारीवाद की परिभाषा पढ़ाने से कोई बात बनेगी बल्कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। सरकारें केवल महिला अधिकारों एवं कानूनों की संख्या में वृद्धि न करें अपितु व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाएँ तभी वास्तविक राजनैतिक सशक्तीकरण की अवधारणा को मूल रूप दिया जा सकता है।

महिलाओं को भी इस दुर्गम यात्रा को तय करने में बजनदारी के साथ अपनी भागीदारी निभानी होगी।

निष्कर्ष – पंचायत एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए किये आरक्षण के परिणाम बताते हैं कि महिलाओं ने ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उत्थान के लिए प्रभावी काम किया है। ऐसे में उन्हें अगर ऊपरी लोकतंत्र निकायों में आरक्षण का लाभ दिया जाये तो इससे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में बदलाव आ सकता है।

वैश्वीकरण के इस दौर में महिला शिक्षा, महिला अधिकार, समानता सम्मान एवं महिला सशक्तीकरण का मुद्दा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिन्तन का प्रमुख विषय रहा है। साथ ही महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास भी किये गये हैं, जो महिलाओं में चेतना का विकास करने में सफल भी हो रहा है तथा इसका परिणाम वर्तमान समय में स्पष्ट दिखाई भी देने लगा है। आज महिलाओं ने अपनी क्षमता और साहस के साथ अनेक क्षेत्रों में अपने बुद्धि–विवेक का परिचय दिया है। आज महिलाएँ स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होने के साथ दूसरों के सिर पर छाया करने की स्थिति में हैं। अत: महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण तथा इसके माध्यम से अन्य सभी क्षेत्रों मे सशक्तीकरण हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राज्य के विधानसभाओं एवं देश की संसद में भी पंचायती राज संस्थाओं के तर्ज पर महिला आरक्षण की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका मार्च 2015, ISSN0971-8451, प्रकाशक–प्रकाशन विभाग सूचना भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. 'रचना' पत्रिका नवम्बर–दिसम्बर 2015] ISSN2249-5061,प्रकाशन–मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 462003।
3. चन्देल, धर्मवीर (2012), भारत में महिला सशक्तीकरण: दशा और दिशा, आलेख।
4. मिश्रा, टी.पी. (2002) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, प्रकाशन–जिला पंचायत मण्डला।

तालिका क्रमाँक–01

लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या, निर्वाचन वर्ष 1952 –2014

क्र.	निर्वाचन वर्ष	लोकसभा में सदस्यों की संख्या	कुलमहिला सदस्यों की सख्या	प्रतिशत
1	1952 (प्रथम आम चुनाव)	499	22	4.4
2	1957	500	27	5.4
3	1962	503	34	6.8
4	1967	523	31	5.9
5	1971	521	22	4.2
6	1977	544	19	3.3
7	1980	544	38	5.2
8	1984	544	44	8.1
9	1989	517	27	5.2
10	1991	544	39	7.2
11	1996	543	39	7.2
12	1998	543	43	7.9
13	1999	545	49	8.65
14	2004	539	44	8.16
15	2009	545	60	11
16	2014	545	61	11.19

आरेख क्रमाँक-01

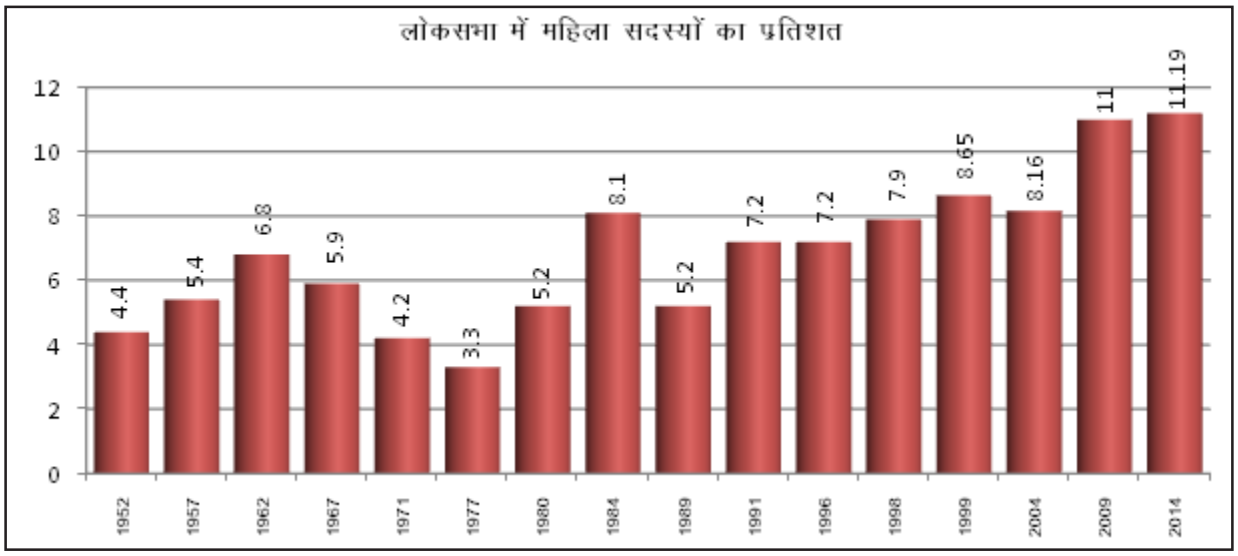

तालिका क्रमाँक-02

केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में कुल मंत्रियों की संख्या वर्ष 2002 -2014

क्र.	वर्ष	मंत्रीमण्डल में कुल मंत्रियों की संख्या				मंत्रीमण्डल में कुल महिला मंत्रियों की संख्या				संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या
		केबिनट मंत्री	राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	राज्य मंत्री	मंत्रियों की कुल संख्या	केबिनट मंत्री	राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	राज्य मंत्री	महिला मंत्रियों की कुल संख्या	
1	2002	32	41	00	73	02	06	00	08	49
2	2004	33	45	00	78	02	06	00	08	44
3	2009	34	07	37	78	03	01	04	08	60
4	2014	27	13	26	66	06	01	01	08	61

आरेख क्रमाँक-02

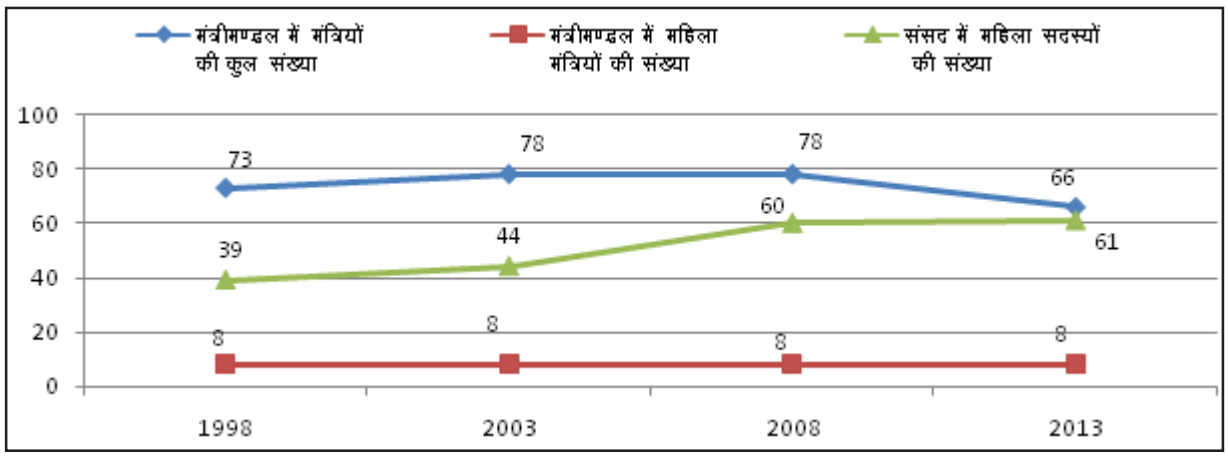

तालिका क्रमाँक-03

म.प्र. विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या, निर्वाचन वर्ष 1998-2013

क्र.	निर्वाचन वर्ष	म.प्र. विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या	महिला सदस्यों की सख्या	प्रतिशत
1	1998	320	23	7.19
2	2003	230	19	8.26
3	2008	230	22	9.56
4	2013	230	32	13.91

आरेख क्रमाँक-03

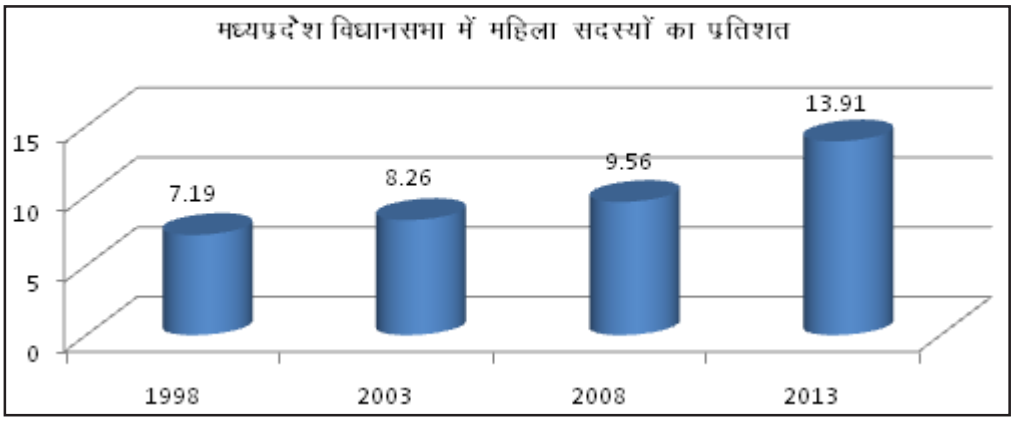

****

वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्यम उभरता अन्तर्क्षेत्रीय इब्सा (IBSA)

भावना ठाकुर *

प्रस्तावना – पिछले एक–दो दशक के दौरान दक्षिण के कुछ प्रमुख राष्ट्रों (भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका) के द्वारा शीतोत्तरकाल के बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में अपनी राजनीतिक सक्रियता तथा तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के आधार पर क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीति में अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये राष्ट्र गरीबी, भुखमरी तथा विकास की अन्य समस्याओं से जूझते हुए अपनी एक स्थायी प्रजातांत्रिक शासन तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त किए है, जो अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए (प्रेरणा स्त्रोत) उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका आदि राष्ट्रों के द्वारा आधुनिक भूमण्डलीकरण के इस दौर में एक बार पुन: 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग' (South-South Cooperation) को सुदृढ़ बनाने तथा ऐसे गति प्रदान की वकालत की जा रही है। अपने इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के दृष्टिकोण से दक्षिण अफ्रीका के द्वारा अपने सम्बन्धों को एक नयी दिशा देने के लिए भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका वैचारिक मंच (India-Brazil-South Africa Dialogue Forum) अर्थात इब्सा (IBSA)की स्थापना का प्रावधान ब्राजिलिया घोषणा पत्र, जून 2003 में किया गया।

इब्सा नामक वार्तालाप मंच की स्थापना का विचार राष्ट्रपतिय कूटनीति (Presidential Diplomacy) के परिणाम स्वरूप सम्भव हुआ। यद्यपि यह (इब्सा) भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास से अस्तित्व में आया परन्तु विशेष तौर पर इसे निवर्तमान दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति थाबोमवेकी (Thabo Maveki) के दिमाग की उपज (Brain Child of Mabeki) के रूप में जाना जाता है। इब्सा नामक संघ की स्थापना का विचार थाबोमवेकी के द्वारा जनवरी 2003 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे वास्तविक रूप देने के उद्देश्य से जून 2003 में ग्रुप–8 के बैठक के दौरान फ्रांस के एविअन(Evian) में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा एक अनौपचारिक बैठक किया गया तथा तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा जून 2003 में ब्राजिलिया घोषणा पत्र का निर्माण किया गया। IBS नामक वैचारिक मंच की स्थापना की औपचारिक घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, लुला द सिल्वा (Lula da Silva) तथा थाबोमवेकी (Thabo Mabeki) के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सितम्बर 2003 के बैठक के दौरान की गयी। इब्सा नामक मंच के अंतर्गत ये राष्ट्र दक्षिण की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने तथा उनके साथ अपने आपसी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि इब्सा नामक मंच की स्थापना भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है, परन्तु यह दक्षिण के राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाने के ऐजेण्डा से भी प्रेरित हैं। क्रिस लैण्डवर्गस (Chris Landsberg) के अनुसार इब्सा सहयोग का उद्देश्य विकसित राष्ट्रों के ग्लोबल प्रभुत्व (Hegemony) तथा एकत्तव के विपरीत विकासशील राष्ट्रों के हित से सम्बन्धित एजेण्डे को एकजुट तथा आगे बढ़ाना है।

इब्सा सहयोग के महत्वपूर्ण उद्देश्य – भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका इब्सा विभिन्न घोषणापत्रों के अन्तर्गत अत्यधिक महत्त्वाकांक्षीय मुद्दों (Issue) को सम्मिलित किया है। यह विश्वस्तरीय, क्षेत्रीय तथा आपसी सहयोग से सम्बन्धित मुद्दों पर केन्द्रित है। इब्सा सहयोग त्रिस्तरीय सहयोग (Three Pillar Approach) के दृष्टिकोण पर आधारित है। **प्रथम स्तर** पर इब्सा विश्व के महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य सहयोग तथा सम्पर्क को बढ़ाने के लिए मंच (Forum) प्रदान करता है। **द्वितीय स्तर** यह भारत, ब्राजील तथा दक्षिण के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में 16 कार्यात्मक समूहों (Working Groups) के माध्यम से आपसी व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाता है। **तीसरे स्तर** पर यह IBS Facility Fund आदि के माध्यम से विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।इब्सा के **प्रथम स्तरीय दृष्टिकोण** के अन्तर्गत भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ब्राजिलिया तथा अन्य इब्सा घोषणा पत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रजातांत्रिक सुधार तथा विकसित राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में विकासशील राष्ट्रों के सक्रिय सहयोग को जुटाने पर बल दिया है। इब्सा घोषणा पत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार के अतिरिक्त विश्व के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे–आतंकवाद की समाप्ति के लिए आपसी सहयोग, नि:शस्त्रीकरण, ग्लोबलतापीय वृद्धि को नियंत्रित करना आदि पर अपने आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है। जहाँ दक्षिण अफ्रीका तथा ब्राजील अपने नाभिकीय शस्त्रीकरण को पहले ही छोड़ चुके हैं, वहीं भारत इन राष्ट्रों के साथ विश्व के भेदभावपूर्ण रहित, सार्वभौमिक नि:शस्त्रीकरण का इब्सा के अनेक घोषणा पत्रों में समर्थन किया है। भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका अपने आर्थिक विकास को वातावरण के अनुकूल बनाने तथा पृथ्वी के बढ़ते ताप को नियंत्रित करने के लिए 'सतत विकास की संकल्पना' (Concept of Sustainable Development) को अपनाने का इब्सा घोषणा पत्र में समर्थन किया है। ये राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सतत् विकास की संकल्पना पर 2012 में रियो डीजेनेरियो (Rio deJanerio) में आयोजित होने वाले

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय रेहटी, सीहोर (म.प्र.) भारत

सम्मेलन का इब्सा के ब्राजिलिया घोषणापत्र 2010 के अन्तर्गत अपना समर्थन प्रदान किया है।

इब्सा सहयोग के **द्वितीय स्तर** के अन्तर्गत भारत ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका आपसी द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय (Trilateral) सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है, इन राष्ट्रों के द्वारा नए उभरते क्षेत्रों (Sectoral Cooperation) जैसे-ऊर्जा, परिवहन तथा संचार, विज्ञान तकनीकी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपने सहयोग को एक नयी दिशा देने के दृष्टिकोण से 16 कार्यात्मक समूहों (Working Groups) का निर्माण किया गया है।

इब्सा सहयोग के **तीसरे स्तर** के अन्तर्गत भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक सहायता से सम्बन्धित मुद्दों को इब्सा घोषणा पत्र में सम्मिलित किया है। इब्सा सहयोग के अन्तर्गत गरीब राष्ट्रों को 'सहसाब्दि विकास लक्ष्य' (Millennium Development Goal) की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका संयुक्त रूप से IBSFacility for Poverty and Hunger Alleviation की 13 दिसम्बर 2006 में स्थापना की है। इस सुविधा के अन्तर्गत इब्सा राष्ट्रों के द्वारा गरीब राष्ट्रों को भुखमरी तथा विकास की अन्य समस्याओं का सामना के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के विकास प्रोग्राम के दक्षिण-दक्षिण सहयोग के विशेष इकाई के कार्यकारी बोर्ड के 2007 की रिपोर्ट के अनुसार इब्सा Facility for Poverty and Hunger Alleviation गरीब राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने में एक कड़ी का काम कर रही है। इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच आपसी विवाद को UN के प्रस्ताव संख्या 242, 338, 1817 और 1515 के तहत् शांतिपूर्ण हल ढूंढ़ने तथा एक प्रभुत्व सम्पन्न फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण का समर्थन इब्सा के 'नई दिल्ली शिखर वार्ता' के घोषणा पत्र 2008 में किया है। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इब्सा सहयोग भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से तीन क्षेत्रों-लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र (Southern African Region) तथा भारतीय उपमहाद्वीप के बीच सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में नये सहयोग की सम्भावनाओं को तलाशने के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है।

इब्सा सहयोग के राजनीतिक आयाम - जहाँ तक इब्सा सहयोग के राजनीतिक आयाम का प्रश्न है इब्सा संघट्य दक्षिण की उभरती हुई शक्तियों के धुरी (Axis of South) के रूप में उभर रहा है। यह दक्षिण की तीन प्रमुख क्षेत्रीय ताकतों-ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से तथा भारत को दक्षिण एशिया से एक साथ जोड़ने के लिए मंच प्रदान करता है। तीनों प्रमुख शक्तियाँ-भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका इब्सा राजीतिक सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीति में सक्रिय तथा सकारात्मक भूमिका निभाना चाहती है। इब्सा संघट्य विकासशील राष्ट्रों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अन्तर्गत बनाये गए विभिन्न समूहों जैसे-G-20, G-80 आदि में केन्द्रीय भूमिका (Core Group) रखने वाला समूह के रूप में जाना जाता क्योंकि भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका इन समूहों के संचालन तथा विभिन्न मुद्दों पर विकासशील राष्ट्रों को एकजुट करने में अहम् भूमिका अदा किया है।जैसा कि ब्राजील के विदेश मंत्री सेल्सोअमोरिम (Celso Amorim) ने G-20 समूह के निर्माण में IBAS राष्ट्रों की अहम भूमिका के सन्दर्भ में कहा है-

''मैं यह दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इब्सा सहयोग के बिना G-20 का अस्तित्व नहीं हो सकता। विकासशील दुनिया के तीन प्रमुख प्रजातांत्रिक शक्तियों के संघट्य से उद्भूत राजनीतिक वातावरण G-20 समूह के कठिन निर्माण के लिए विभिन्न आधारों में से एक ठोस आधार शिला प्रदान किया''।

भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका का अपने स्थानीय क्षेत्र (Region) में केन्द्रीय स्थिति (Hub) तथा क्षेत्रीय प्रभुत्व: इब्सा सहयोग के अन्तर्गत भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक सम्बन्धों को निर्धारित करने वाला सर्वप्रभुमकारक (Factor) इन राष्ट्रों का अपने स्थानीय क्षेत्रों में विशेष (केन्द्रीय) स्थिति तथा उनका क्षेत्रीय प्रभुत्व (Regional Hegemony) है। भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका क्रमश: दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप, विशेष तौर पर दक्षिणी पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र (Southern African Region) को जोड़ने में केन्द्र (Hub) की भूमिका रखते हैं। जहाँ दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के 'प्रवेश द्वार' (Gateway) के रूप में जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील भी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को एक साथ जोड़ने में केन्द्रीय भूमिका रखता है तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है।

ब्राजील क्षेत्रफल लगभग 8.5 मिलियन (8514.9 हजारवर्ग किमी.) के दृष्टिकोण से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है तथा दक्षिण अमेरिका में प्रथम स्थान रखता है। ब्राजील वर्ष 2008 के आँकड़ों के अनुसार लगभग 190 मिलियन की जनसंख्या जो कि दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश तथा विश्व में 5वाँ स्थान रखता है।वर्ष 2008-09 के ग्लोबल कम्पेटेटिव रिपोर्ट (Global Competitive Report 2008-2009World Economic Forum) के अनुसार ब्राजील जहाँ लगभग 1.665 बिलियन डॉलर (2008) जी.डी.पी. (GDP) के साथ UNASUR (South American Union of Nations) के राष्ट्रों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं यह विश्व की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। क्षेत्रफल तथा आर्थिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त ब्राजील सैन्य शक्ति में भी दक्षिण अमेरिकी देशों में प्रथम स्थान रखता है। वर्ष 2009 के Military Balanced अनुसार ब्राजील 328 हजार सैन्य बल के साथ UNASUR देशों में प्रथम स्थान रखता है। यह अपनी सैन्य व्यवस्था पर करीब 20.15 बिलियन डॉलर (2008 में) खर्च करता है जो कि दक्षिण अमेरिकी देशों में सर्वाधिक है।

जहाँ ब्राजील, भारत लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण-एशिया में सैन्य, आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टि से बड़ी शक्तियाँ हैं वही दक्षिण अफ्रीका यद्यपि इन राष्ट्रों की तुलना में छोटी परंतु अफ्रीका महाद्वीप, विशेष तौर पर दक्षिण-पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में आर्थिक, भौगोलिक तथा सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ब्राजील तथा भारत लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण-एशिया में भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व (Regional Dominance) रखते है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका की मध्यस्थ (Intermediatiory Role) भूमिका तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (Regional Reper Sentation) का दावा - भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका के माध्यम से अपनी विशेष पहचान बनाना चाहते हैं। ये दक्षिण की तीन प्रमुख शक्तियाँ

जो बड़ी शक्ति बनने की क्षमता एवं महत्वाकांक्षा रखती है, क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय मुद्दों पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्तर्गत निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं। परंतु ये अपनी सीमित क्षमता तथा शक्ति के कारण सिर्फ अपने बल पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार में असक्षम पाते हैं। ये अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति व्यवस्था एवं वितरण (International Power Arrangement System) के अन्तर्गत विकसित राष्ट्रों तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य स्थिति पाते है।जैसा कि भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के इब्सा के अन्तर्गत सामूहिक शक्ति एवं भूमिका के सन्दर्भ में प्रसिद्ध विद्वान एवं जौहनिसर्ब्ग स्थिति दक्षिण अफ्रीका के विदेश कार्यो सें सम्बन्धित संस्था के निर्देशक ऐलिजावेथ सिद्रि पॉल्स (Elizabeth Sidiropoulas) का मानना है।

2003 में इब्सा की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया की तीन प्रमुख उभरती हुई शक्तियों के क्षेत्रीय एवं ग्लोबल राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव को अन्तर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के सुधार के सन्दर्भ में शक्तियों को संकलित करना है। जहाँ इब्सा का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से अधिक आर्थिक कार्यों में सहयोग को बढ़ाना है साथ ही साथ वर्तमान भू-राजनैतिक शक्ति संतुलन को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करना भी है।

इस प्रकार भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं। चूंकि ये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विकासशील राष्ट्रों के प्रतिनिधि एवं एक अच्छे नागरिक (good citizen of world) के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। इसलिए ये अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, मूल्यों जैसे- शांति, सहयोग, प्रजातंत्र का प्रसार, मानवाधिकार की सुरक्षा आदि का भी समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष - इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य इब्सा के अन्तर्गत उभरता अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग इन राष्ट्रों के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। इब्सा के माध्यम से भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य बढ़ता राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग न केवल क्षेत्रीय एवं विश्वस्तरीय राजनीति में इन राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह अन्य विकासशील राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जहाँ इब्सा संघट्य दक्षिण के तीन प्रमुख केन्द्र (Hub) भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका को एक साथ जोड़कर विकासशील राष्ट्रों के मध्य अनेक नये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयामों को जन्म दिया है जो कि विकासशील राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इन समूहों, संघट्यों (Alliance) के माध्यम से भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्तर्गत विभिन्न विश्वस्तरीय मुद्दों जैसे-भेदभावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का सुधार, विकसित राष्ट्रों से जुड़े मुद्दों पर इनका एक साथ खड़ा होना, विकसित राष्ट्रों की भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करने के लिए तथा दक्षिण राष्ट्रों की एकता को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से इनका आपसी सहयोग महत्वपूर्ण है। इब्सा भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रों की सुरक्षा की एकता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के अंतर्गत आपसी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक नये फ्रेमवर्क को जोड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Landsberg. Chris (2006), "IBSA Political Origins. Significance and Challenges". Synopsis 8(2):4. Woodrow Wilson International Centre for Scholars (WWICS)]
2. "Emerging Powers:India Brazil and South Africa (IBSA) and Future of South-South Cooperation". Special Report August 2009, (Online:web) Accessed 21st April 2010]
3. URL: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm? topic_id= 1419. p.2.
4. Brasilia declaraton 15th April 2010, http://www.ibsa-trilateral.org/index.php?option=com_content &task=view &id=102&Itemid=46. Ibid.clause 48.
5. Rio De janeiro Ministerial Communique. March 2006, clause 50-56 [online;web] Accesssed 18th Feb. 2008, URL: http//www.ibsa- trilateral.org/rioministerial.htm.
6. New Delhi Agenda for cooperation, March 2004, clause 12 [Online web] Accessed 12th Feb. 2008, URL:http:/ /www.ibsa-trilateral.org/n_delhi _agen_annexure_c.htm.
7. Heine, Jorge (2010), "Lula and the Brazilian Movement". The Hindu, New Delhi, 7th May 2010.
8. Closing Remark by Indian Prime Minister Dr. Man Mohan Singh at Second IBSA Summit 2007, [Online:web] Accessed 25th Nov. 2008, URL:http// meaindia.nic.in/speech/2007/10/17ss04.htm.
9. Soko,Mills (2006), South-South Economic Co-operation:The India-Brazil-South Africa Case, SAIIA Trade Policy Report No. 12 May 2006: Johannesburg, South Africa. p.8.
10. Mokoena, Refilwe (2007), "South-South Cooperation:The Case for IBSA", South African Journal of International Affairs 14(2):134.

****

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा और पंचायती राज

डॉ. समीना खॉन खटक *

प्रस्तावना – स्वतंत्रता के पश्चात निचले स्तर पर स्वशासन की प्रक्रिया को मजबुत बनाने के लिये विभिन्न समितियाँ गठित करके यह प्रयास निरन्तर चलते रहे कि पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में बदलाव का एक असरदार माध्यम कैसे बनाया जाये। सन् 1988 में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में ससंद की सलाहकार समिति की एक उपसमिति गठित की गई।इस समिति ने भी जी.वी.के.राव समिति व अशोक मेहता समिति की भाँति इस बात पर जोर दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिये। बिना अपेक्षित नतीजे पाना संम्भव नहीं है।मई 1989 में राजीव गाँधी सरकार ने 64 वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया।ये विधेयक लोकसभा में पारित हो गया परन्तु राज्ससभा में पारित नहीं हो पाया।सन् 1989 के आम चुनाव में राष्ट्रीय मोर्च की सरकार आई, इस सरकार ने 1990 में 74 वां संविधान संशोधन विधेयक ससंद में प्रस्तुत किया, परन्तु लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक भी पारित नहीं हो सका। सन् 1991 में कांग्रेस सरकार दुबारा सत्ता में आई और इस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं से सबंधित 64 वें विधेयक को 73वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया और दिसम्बर 1992 में इस विधेयक को पारित किया गया।24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया।इस अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप सभी राज्य सरकारों ने भी अगले एक वर्ष में अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर लिये और इस प्रकार भारत के राजनीतिक इतिहास में एक क्रांन्तिकारी परिर्वतन का आरम्भ हो गया। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को एक सही दिशा और दशा देने में भविष्य में यह कदम एक क्रान्तिकारी बदलाव लाने वाला था।संवैधानिक दर्जा प्राप्त न होने के कारण पंचायत राज संस्थाओं को विभिन्न राजनैतिक दलों ने अपनी इच्छा व सुविधा के हिसाब से चलाया। इन्हें पोषित व मजबुत करना तो दुर कई राज्य सरकारों ने तो कई वर्षो तक इन संस्थाओं के चुनाव भी नहीं कराये।इन संस्थाओं के क्षरण को रोकने व इनको ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये इन्हें सवैंधानिक दर्जा देना अति आवश्यक था और 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह अधिनियम प्रशासनिक तंत्र को पंचायतों के अधीन लाना चाहता है।साथ ही पंचायतों को पर्याप्त वित्तिय संसाधन प्रदान करना चाहता है।जिससे वे अपने क्षेत्राधिकार में विकास की योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें।इस अधिनियम की व्यवस्थाओं से मिलते जुलते प्रयास पूर्व में भी किये जा चुके थे, परन्तु राज्य सरकारों नौकरशाही व राजनैतिक दलों ने इन प्रयासों को सही ढंग से कभी लागू ही नहीं होने दिया और ये सब मात्र एक औपचारिकता बन कर रह गये थे। महिलाओं व दबे कुचले वर्गो के लिये था तो योजनाएँ लागू ही नहीं कि या उन्हें आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। यह अधिनियम राज्य सरकारों को यह अधिकार ही नहीं देता कि राज्य सरकारें कोई स्वतंत्र खेमा अपना सके।उन्हें समय पर चुनाव कराने ही होगें और उल्लेखित वर्गो को आरक्षण देना ही होगा।

इस अधिनियम ने एक अद्भुत सामाजिक व राजनीतिक क्रान्ति का सुत्रपात किया है जिसने सामाजिक विकास की गति को एक नई दिशा दी है और अब तक के सभी शोषित वर्गो को अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो सकने और राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा के साथ जुडने का साहस व अवसर प्रदान किया है।इस अधिनियम के द्वारा पंचायतो को निश्चितता निरन्तरता व सशक्त बनाने का एक अवसर मिला।

पंचायती राज की अवधारणा का विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने और इच्छित जनसहयोग प्राप्त करने से हुआ। 1952 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के समय राजनैतिक नेतृत्व के मन में मूल विचार यही था, कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत शासन संस्थाओं को निर्मित किया जाये ताकि उन्हें विकास से सबंधित कुछ विशिष्ट कार्यो को सौंपा जा सकें।इसी का नाम बलवन्त राज मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण दिया।भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का विचार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधारणा बन चुका है।लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी राज व्यवस्था से है जहाँ शासन व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों के हाथों में न होकर जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों के हाथ में हो।लोकतंत्र में जनता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में भाग लेती है।प्रजांतत्र एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में राष्ट्र के प्रशासनिक ढांचे में लोगों की साझेदारी की व्यवस्था हीं नहीं है वरन् रोज के कार्यो में भी जनता की भागीदारी की व्यवस्था है। प्रजातंत्र की अलग–अलग व्याख्याओं के होते हुए भी जो एक मुख्य तत्व उभर कर सामने आता है वह है इस व्यवस्था में जनता की अधिक से अधिक साझेदारी।किसी भी आदर्श प्रजातंत्र का स्वरूप जनता की आर्थिक सामाजिक राजनैतिक साझेदारी के अभाव में अधुरा होता है लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय ही यही है कि लोकतंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया जाये और उनमें सत्ता का इस प्रकार से वितरण किया जाये कि जनता को पग–पग पर उसकी अनुभुति हो।ग्रामीण समाज में परिवर्तन लाने के व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रख कर पंचायती राज संस्थाओं के माध्मय से एक गतिशील नेतृत्व के विकास पर बल दिया ।

यह आशा की गई कि इस प्रकार तैयार किया गया नया व युवा राजनीतिक नेतृत्व ग्रामीण समाज में बुनियादी विकास के लक्ष्य को अपनी आधुनिक सोच के कारण सही दिशा में आगे बढाने के सक्रिय योगदान दे सकेगा।पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सत्ता को ग्रामीण खण्ड और

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

जिला स्तर पर विभिन्न जन प्रतिनिधियों को सौंपने और उन्हें ही विकास कार्यो को दायित्व संभालने की दृष्टि से ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन किया गया।इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्मय से सत्ता का तृणमूल स्तर पर वितरण किया गया तथा इसी को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का नाम दिया गया।

पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है।धरातल पर लोकतंत्र से अभिप्राय यह है कि ऐसी राजनैतिक सरंचना जिससे प्रजांतत्र केवल राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तरों तक ही समिति न हो अपितु उसका विस्तार वास्तविक अर्थ में स्थानीय स्तरों तक भी होता है इस प्रकार यह अवधारणा प्रजातंत्र में जनता की सहभागिता को सही अर्थो में सुनिश्चित करने का माध्यम है।एक ऐसा लोकतंत्र जो केवल चुने गये प्रतिनिधियों तक ही समिति नहीं है तथा जिसमें जनता की सहभागिता प्रत्येक पांच वर्ष में होने वाले चुनावों में ही अभिव्यक्त नहीं होती। अपितु यह सहभागिता जनता के दैनिक आचरण से सबंधित से सबंधित सार्वजनिक विकास कार्यो और अपने क्षेत्र ग्राम और कस्बों के दैनिक प्रबन्धन में भी अभिव्यक्त होती है।जिस व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक शासन के कार्यो में किसी न किसी स्तर पर सक्रिय भाग लेते है और उनकी यह भागीदारी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहती है।उसी शासन व्यवस्था को सच्चा प्रजातंत्र कहा जाता है।ऐसे प्रजातंत्र में सत्ता का राष्ट्रीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण के द्वारा निर्णय करने की अधिकतम शक्ति जनता में निहित करने की प्रक्रिया की ही सही अर्थो में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कहा जाता है।

राजनीति में प्रजातंत्र के प्रयोग का अभिप्राय ना केवल राजसत्ता में जनता की भागीदारी का प्रयास है अपितु शासन के दैनिक कामकाज में जनता की भागीदारी बनाना भी है। जिस व्यवस्था में शासन के संचालन में जनता की सहभागिता जितनी अधिक निरन्तर सक्रिय रचनात्मक व निर्णायक होगी। वह व्यवस्था प्रजातंत्र के राजनैतिक आदर्श के उतनी ही समीप समझी जायेगी।जे.एस.मिल के अनुसार एक ऐसी सरकार जिसमें सभी लोगों की भागीदारी है, वही सामाजिक राज्य की समस्त आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर सकती है।यह जिज्ञासा का विषय है कि प्रजांतत्र की अवधारणा में जब विकेन्द्रीकरण का विचार अन्तर्निहित है कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण शब्द का उपयोग क्यों आवश्यक है। विद्धानों का मत है कि प्रजातांत्रिक अथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण शब्द का उपयोग निरर्थक नहीं है वस्तुत: लोकतांत्रिक शब्द विकेन्द्रीकरण को अभिव्यक्त करता जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण में लोगों के व्यापक अधिकतम और निकटतम सहयोग की आकांक्षाओं को अधिक स्पष्टता देता है।प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण राजनीतिक विचार के रूप में क्षेत्र के अधिक तथा लोगों की साझेदारी के उद्देश्य से प्रभावित है।जनता की स्वयायतता और सत्ता जन प्रतिनिधियों में सत्ता के विभाजन से आयेगी।यह विचार का आधार है राजनीतिक निर्णय वित्तीय नियंत्रण और प्रशासकीय व्यवस्थापन उच्च स्तरीय न्यूनतम हस्तक्षेप से सम्पन्न हो यही प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा सच्चे अर्थो में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है।इसके द्वारा जनता में सहयोग उत्तरदायित्व स्वावलम्बन निर्णय लेने की क्षमता नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। बलवन्त राय मेहता के अनुसार प्रजातंत्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन नहीं चलाया जाये वरन् स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाये।यह तभी संभव है जबकि वे सक्रियता से शासन के कार्यो में भाग ले सकें।इसको सत्ता का विकेन्द्रीकरण अथवा पंचायती राज करते है। अत: जिस राष्ट्र में सत्ता का जितना अधिक विस्तार होगा वह उतना ही अधिक लोकतांत्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्य होगा। विकेन्द्रीत शासन व्यवस्था में जनता अपने विकास तथा कल्याण सम्बंधि कार्यकलापों के लिये शासन पर निर्भर न रहकर स्वंय अपने साधनों से विकास एंव कल्याण सम्बंधी कार्य पूरा करने के लिये तत्पर रहेगी। क्योंकि उसके पास सत्ता है, अधिकार है और उनके उपयोग करने की शक्ति भी उसी के पास है।इस प्रकार विकेन्द्रीकरण व प्रजांतत्र दोनों एक दुसरे के पूरक है। लोकतंत्र राजनैतिक परिस्थिति या शासन चलाने की पद्धति मात्र नहीं है अपितु यह सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थिति भी है।यह एक विकासशील दर्शन एंव जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जिसमें समाज की एक इकाई के रूप में व्यक्ति मूल आधार है।गांधी जी का यह कथन कि सच्चे लोकतंत्र में केन्द्र में बैठे 10–20 व्यक्ति शासन नहीं चला सकते। वह तो नीचे से गांव के हर आदमी द्वारा चलाया जाना चाहिये।प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आत्मा का बोध कराता है।जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि सभी समस्याएँ केन्द्र की समस्याए नहीं है। उनका हल स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनता द्वारा ही किया जाना आवश्यक है क्योंकि स्थानीय परिवेश को जितना अधिक वे लोग समझते है केन्द्र में बैठे लोग नही समझ सकते है। इस प्रकार सत्ता अधिकार शक्ति एंव उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना आधुनिक प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में अपरिहार्य बन गई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। अत: यदि राष्ट्र की केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों पर सभी शासन कार्यो का भार हो तो वे इन सभी कार्यो को कुशलतापूर्वक सम्पन्न नही कर सकते है।सामाजिक,आर्थिक व राजनीतिक परिर्वतनों के कारण लोकप्रशासन शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सामाजिक सुरक्षा आणविक उर्ज्जा शहरी पुनविकास जनसंख्या नियंत्रण पर्यावरण आदि अनेक उत्तरदायित्व ग्रहण करता जा रहा है।नौकरशाही का असीमित विस्तार हुआ है।भारत विश्व का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है।यहॉ कि समस्याएं व चुनौतियां भी विभिन्न प्रकार की है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये यह अति आवश्यक है कि समग्र ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निचले स्तर पर स्थानीय जनता की भागीदारी को बढावा दिया जाये।इसके लिये सत्ता व शक्तियों का विकेन्द्रीकरण ही हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विस्तार का एकमात्र उपाय है।

यह सर्वविदित है कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण शब्द अथवा विचार का सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिशों में उल्लेख किया था। अपने प्रतिवेदन में उन्होंने इस विचार पर बल दिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता ही इस बात पर निर्भर करती है कि इन कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी किस सीमा तक हो और प्रजातंत्र को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने के लिये पंचायत राज व्यवस्था के संस्थागत ढांचे में कौन से आमूलचूल परिवर्तन किये जायें।मेहता समिति के सम्मुख सामुदायिक विकास और विस्तार कार्यक्रमों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होना था। अत: प्रतिवेदन में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार का जो विकास हुआ। वह ग्रामीण सदंर्भो में ही है।प्रतिवेदन में समिति ने इस विचार को प्रदत्तीकरण से अलग किया है।इस विचार को सकारात्मक रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया है कि एक प्रतिनिधित्व और सशक्त प्रजातांत्रिक संस्था विकास सम्बंधी सभी कार्यो का भार लें। यह एक निर्वाचित संस्था हो उसको व्यापक अधिकार और उत्तरादायित्व सौपें जायें तथा स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उसे आर्थिक संसाधन और शक्तियाँ दी जायें।सरकार व नौकरशाही के

अत्यधिक नियंत्रण व हस्तक्षेप से मुक्त हो।

वर्तमान पंचायती राज गांवो को प्रशासनिक व क्रियान्वयन ईकाई बनाने पर जोर दे रहा है। पंचायतों के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यो को जनसहयोग के द्वारा पूरा करने के प्रयास किये जा रहे है। ग्रामीण विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारत के ग्रामीण संस्थागत परिदृश्य में एक बडा परिर्वतन आ रहा है।इसमें कोई संदेह नहीं है जो अन्ततः ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिये एक बेहतर विकल्प प्रदान कर सकता है।बशर्ते पंचायतों के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यो का विकेन्द्रीकरण किया जाये ताकि पक्षपात भाई-भतीजा वाद और भ्रष्टाचार को बढावा ना मिले नौकरशाही को पारदर्शिता के द्वारा जनता के प्रति अधिक जवाब देह बनाया जायें।

सदंर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ.अशोक शर्मा भारत में स्थानीय प्रशासन आर बी एस ए पब्लिशर्स जयपुर 20
2. इकबाल नारायण (लेख) डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन दि आईडिया दि इमेज एण्ड दि रियेलिटी संकलन आर बी जैन पंचायती राज वोल्यूम आई पीए नईदिल्ली।
3. डॉ.गिरवर सिंह राठोर भारत में पंचायती राज पंचशील प्रकाशन जयपुर 2004
4. डॉ.सुशीला कौशिक भारतीय शासन एंव राजनीति हिन्दी माध्यम कार्यान्वन निदेशालय दिल्ली विश्वविधालय दिल्ली। 1990
5. कुरूक्षेत्र सूचना और प्रसारण मन्त्रालय सूचना भवन लोधी रोड नईदिल्ली नवम्बर 2015

****

राम मनोहर लोहिया –विचार एवं प्रासंगिकता

डॉ. मुकेश शर्मा * वनीता रानी **

प्रस्तावना – 'लोहिया गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखण्ड समर्थक थे, लेकिन गांधीवाद को अधूरा दर्शन मानते थे, वह राष्ट्वादी थे, परन्तु विश्व सरकार की कल्पना करते थे, वह आधुनिक थे, परन्तु आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयास करते थे, वह विद्रोही और क्रान्तिकारी थे लेकिन शान्ति और अहिंसा के अनूठे उपासक थे।' – **श्री ओंकार शरद**।

राम मनोहर लोहिया एक समन्वयवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते है। वे समाजवादी विचारकों में अग्रणी थे। उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद का गहनता से अध्ययन किया, परन्तु उनके विचारों में अन्धानुकरण कहीं भी दृष्टि गत नहीं होता। उन्होंने गांधीवाद व मार्क्सवाद के अच्छे विचारों को मिलाकर एक नवीन विचारधारा का निर्माण किया। उन्होंने अपनी पुस्तक '**मार्क्स, गांधी व समाजवाद**' में अपने समाजवादी होने का चित्रण किया है। उनके अनुसार समाजवाद को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी साधनों को अपनाना और आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकरण को लाना है। उनका गहरा विश्वास था कि गांधीवाद और साम्यवाद अलग–अलग कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते।[1] राम मनोहर लोहिया ने 1952 में समाजवादी पार्टी के पंचमर्ची सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कुछ पुराने प्रश्नों के बड़े सटीक उत्तर देते हुए **सप्तक्रान्ति** के विचार से अवगत कराया, उनका मानना था कि **सप्तक्रान्ति** लाकर भारत में समाजवाद की स्थापना की जा सकती है।

- सरकारी निरकुशंता, अत्याचार, शोषण के विरूद्ध सविनय अवज्ञा जैसे संवैधानिक तरीके को अपनाने का अधिकार नागरिको को देना।
- आर्थिक समानता।
- जाति व्यवस्था का अन्त।
- नारी का सशक्तिकरण।
- राष्ट्रीय स्वतन्त्रता।
- रंगभेद की समाप्ति।
- विचारों की स्वतन्त्रता जो सभी प्रकार के बाध्यकारी बन्धनों से मुक्त हो।

लोहिया का विचार था कि इस सप्तक्रान्ति की सफलता केवल तभी सम्भव है। जब सम्पूर्ण विश्व में इस क्रान्ति को अपनाया जाएगा।[2] समाजवाद की दिशा में उनका मानना था कि बड़े उद्योग धन्धे स्थापित करने के स्थान पर छोटे–2 कुटीर उद्योग लगाने से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। वर्तमान समय में लोहिया के इस विचार को यदि लागू किया जाए तो निचले स्तर पर अधिक विकास व रोजगार के अवसरों को अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध करवाया जा सकता है। क्योंकि निम्न स्तर पर केवल वित्तिय कमी के कारण ही बहुत सारे विकास कार्यो को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका यह दृढमत था कि पूंजीवाद और साम्यवाद में सुधार नहीं ला सकते जबकि समाजवाद से सुधार सम्भाव्य है। गांधी जी का कार्य एक ऐसे छन्ने का कार्य करता है जिसमें से समाजवादी विचार स्त्रावित होते है, शुद्ध निर्मल रूप में। अप्पा दोराई ने लोहिया के इन विचारो को अर्थ शास्त्रियों के प्रति ऐसा आहवान कहा है, जो मात्र विकसित देशो की ही अर्थव्यवस्था की बात करते है, लोहिया ने उन्हें अविकसित देशों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने की बात कही।[4]

लोहिया के शिक्षा के बारे में विचार वर्तमान भारत के लिए प्रासंगिक है क्योंकि उनका मानना था शिक्षा सरकार द्वारा संचालित होनी चाहिए। उनका मानना था कि यदि निजी शिक्षण संस्थाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ढाचांगत सुधार कर दिया जाए और सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए और सभी वर्गों, जातियों व वंशों के बच्चो को समान शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, तो इस व्यवस्था से न केवल समाज में विषमता को रोका जा सकेगा अपितु, जाति प्रथा पर भी अंकुश लगेगा। लोहिया के इन विचारों को यदि मूर्त रूप दे दिया जाये तो भारत में शिक्षा संबंधी कई कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। इससे एक और जहां सरकारी स्कूलो में विधार्थी की संख्या में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर सरकार को अत्यधिक आर्थिक लाभ होगा। बेरोजगारों को सरकारी नौकरिया उपलब्ध होगी और निजी विद्यालयों की मनमानी जो भारत में वर्तमान समय में एक समस्या बन चुकी है समाप्त हो जाएगी क्योंकि अब भारत में, निजी शिक्षण सस्थाए अभिभावकों से मनमानी फीस लेती है, प्रवेश देने के लिए भारी भरकम **डोनेशन** लेते है और कई बार तो इन सबके बावजूद प्रवेश नही मिलता। निजी विद्यालयों में पढ़े लिखे व सरकारी विद्यालयों में पढ़े लिखे विधार्थियों में असमानता साफ झलकती है। जिससे न केवल मानसिक कष्ट बच्चो को उठाना पड़ता है अपितु नौकरी प्राप्त करने में भी वे पिछड़ जाते है। यदि लोहिया की विचारधारा को अपना लिया जाए तो इन सब समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

डॉ0 लोहिया समानता को समाजवाद का आधार मानते थे। एक सच्चे राष्ट्रवादी के अनुसार लोहिया ने समानता का गहन अर्थ लिया है। उनके अनुसार समानता के दो आयाम होते है।

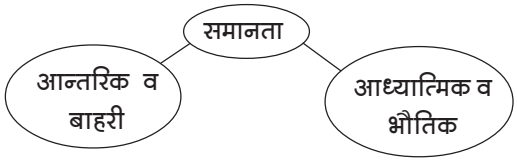

इसके अतिरिक्त लोहिया ने समानता के चार तत्व बताए।

- आन्तरिक भौतिक समानता (ऐसी समानता जो एक देश के अन्दर प्राप्त होती है)।

* प्राध्यापक (राजनीतिक विज्ञान) राजकीय महाविद्यालय, छछरौली, यमुना नगर (हरियाणा) भारत
** सहायक प्राध्यापिका, राजकीय महाविद्यालय, छछरौली, यमुना नगर (हरियाणा) भारत

- बाहरी भौतिक समानता (ऐसी समानता विभिन्न देशों के मध्य पाई जाती है)।
- बाहरी आध्यात्मिक समानता (सवंशता आधार पर समानता)।
- आन्तरिक आध्यात्मिक समानता (ऐसी समानता जो सम भाव या धैर्य पर आधारित हो ।

डॉ0 लोहिया 1953 में हुए एशियाई देशों के समाजवादी सम्मेलन में एशिया के देशों के लिए आर्थिक नियोजन के महत्व पर बल दिया । उनका मानना था कि नियोजन के माध्यम से एशियाई देश सीमित साधनों द्वारा सीमित समय में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते है । यदि भारत में नियोजन को सही तरीके से लागू किया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि भारत अपने सभी लक्ष्यें को प्राप्त कर सकेगा । क्योंकि भारत में साधनों का कोई अभाव नहीं है अगर अभाव है तो वह है नियोजन को सही रूप में कार्यान्वित करना ।

डॉ0 लोहिया ने जून 1958 में एक लेख 'Towards the distraction of castes and classes'द्वारा जातिवाद के सिद्धान्त का खुले तौर पर वर्णन किया । उनकी जातिवाद की नीति को कांग्रेस समाजवादी दल ने बनारस में अप्रैल 1959 में हुई एक बैठक में अपनाया । इस दल ने हरिजन, नारियों, मुसलमानों, ईसाइयों और आदिवासियों के लिए सरकारी, नौकरियों में 60 प्रतिशत आरक्षण की मांग की । इस दल की आगामी बैठको में भी इस नीति को दोहराया गया ।[7] डॉ0 लोहिया को इसलिये आज के आलोचक आरक्षण नीति का मुख्य निर्माता कहते है । डॉ0 लोहिया एक दूरदर्शी नेता थे इसलिए वह इस नीति के भयानक परिणामों से परिचित थे । उन्होंने ऊपर बताए लेख में स्वयं कहा था पिछड़ी जातियों और समूहों को उभारने की नीति भयानक रूप धारण कर सकती है । क्योंकि इसमें पांच प्रकार का विष भरा है।

- इसका लोगों के मन पर तुरन्त प्रभाव ।
- निचली जाति वाले समूह इस नीति का लाभ तो उठा लेगें परन्तु अन्य छोटी जातियों को उसका भागीदार नहीं बनने देगें ।
- व्यक्तिगत उन्नति के लिए उसका दुरउपयोग ।
- शुद्र और द्विज की कड़वी नोक झोंक की सम्भावना ।
- आर्थिक व राजनीतिक मुद्धों का पिछड़ा वर्ग ।[8]

डॉ. लोहिया के अनुसार समाजवाद बिना जाति के उन्मूलन के स्थापित नहीं किया जा सकता । जाति की गहरी पकड़ ने कर्म के प्रति अनास्था पैदा की है । इससे देश का इतिहास भी जकड़कर रह गया है । डॉ0 लोहिया का यह प्रयत्न रहा कि निम्न जाति की समझी जाने वाली कौम को वे आत्म निर्भरता की ओर ले जाए । जाति प्रथा ने जिस आत्मीयता तथा सौहार्द को खो दिया। उसे मानव समाज में पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने दो सुझाव प्रस्तुत किए थे ।[9]

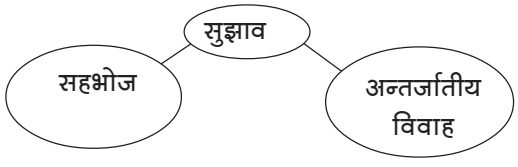

वर्तमान समय में ये दोनों सुझाव जाति के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है क्योंकि इनसे जाति के बंधन ढीले होने की सम्भावना है ।

डॉ0 लोहिया हिन्दी भाषा के सबसे बड़े समर्थक थे और उन्होंने इस विषय के लिए जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपनाई जाने वाली नीति का सदैव विरोध किया । उनकी इस विचारधारा के कारण प्राय: लोगों को यह भी गलतफहमी होती है कि लोहिया हिन्दी के अन्ध पक्षधर और अंग्रेजी को हटाने पर बल देते थे । हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित करने का उनका आग्रह हठवादी कदापि नहीं था कारण वे देशी भाषाएं बनाम अंग्रेजी के संघर्ष की चर्चा करते थे न कि हिन्दी बनाम अंग्रेजी की, अंग्रेजी तो तमाम देशी भाषाओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए खतरनाक सिद्ध हो रही थी। उनका इस संदर्भ में सुझाव था कि सभी भारतीय भाषाओं की लिपियां देवनागरी लिपि में समाहित हो जाए । अनेक ऐसे उदाहरण है जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान में हिन्दी को बिना किसी संकोच के अंग्रेजी का स्थान दे दिया जाये तो न अन्य भारतीय भाषाओं का विकास रूकेगा और न लोकतत्रं की अनुभूति से आम जनता दूर रहेगी।[11]

डॉ0 लोहिया के अनुसार शक्ति का स्त्रोत नीचे से ऊपर की ओर बहना चाहिए न कि ऊपर से नीचे की ओर डॉ0 लोहिया ने इस संदर्भ में दो खबों वाली व्यवस्था (केन्द्र व राज्य) के स्थान पर चार खबों वाली योजना प्रस्तुत की जिसे उन्होंने चौखबां योजना के नाम से सम्बोधित किया । इस दृष्टि से वे देश में आर्थिक तथा राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे । यथार्थ व्यवहार में उनका चार स्तम्भीय राज्य प्रशासनिक तथा राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्री करण के पक्ष में थे । राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के लिए उन्होंने चौखंबा योजना प्रस्तुत की । भारत में विद्यमान संघात्मक व्यवस्था को वे देश की अपूर्ण व्यवस्था मानते थे । उनके अनुसार सर्वोच्च शक्ति केन्द्र व राज्य में ही निहित न होकर अन्य छोटी इकाइयों में विकेन्द्रति होनी चाहिए । केन्द्र, राज्य, मण्डल, व ग्राम नामक इकाइयां एक दूसरे की सहयोगी हों ना की एक दूसरे को प्रभावित करने वाली । ऐसी व्यवस्था में नागरिक स्वतन्त्रता पूर्वक देश को एक सूत्र में बांधे रहेगें, देश के विकास को गति दे सकेंगे तथा अपना हाथ बंटा सकेंगे ।[12]

लोहिया आर्थिक क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे । वे समाज में ऐसा ढांचा स्थापित करना चाहते थे, जिससे आम आदमी सुविधा से जीवन यापन कर सके और मालदारी की तरफ सम्मोहन न बढ़ सके । उनका मत था कि हमारे देश के सीमित साधनो तथा देश की आवश्यकता के अनुरूप छोटी मशीनों द्वारा चालित उद्योग देश के कोने – 2 में स्थापित किए जाने चाहिए । हमारे देश में मानव शक्ति व कच्चे माल की बहुतायत है । अत: इन छोटी मशीनो का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है ।[13] वे न तो बड़ी मशीनों और न ही गांधी जी के चरखे में विश्वास करते थे । वे तो बीच का मार्ग अपनाना पसन्द करते थे ।

संक्षेप में डॉ0 लोहिया के विचारों से यह स्पष्ट है उन्होंने राष्ट् निर्माण के लिए प्रत्येक विचार को अपने दर्शन में स्थान दिया । उनके कई विचार अच्छे है जिन्हें यदि भारत में कार्यरूप दिया जाये तो कई समस्याएं हल हो सकती है परन्तु यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उन्हें कार्यरूप देना उतना सरल नहीं है । जितना अध्ययन से लगता है । जैसे शिक्षा के बारे में विचार कि सभी निजी विद्यालयों को बन्द करके उसके स्थान पर सरकारी स्कूल खोले जाए यह एक अच्छी कल्पना है । उद्योग के सम्बन्ध में उनके विचार वर्तमान समय में उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए जितने उनके समय में थे वर्तमान युग औद्योगिकरण का युग है कुटीर उद्योगों से बड़ा विकास सम्भव नहीं । हिन्दी को जो स्थान वे देना चाहते थे वह आजतक भी नहीं दिया जा सका । एशियाई राजनीति संबंधी समस्याओं का समाधान जिस तरीके से निकालने का सुझाव डॉ0 लोहिया ने दिया वह बिल्कुल संभव नहीं । वह भी एक सुखद कल्पना लगती है । उन्हें एक सच्चा समाजवादी विचारक माना जाता है परन्तु उनका समाजवाद समाजवादी अर्थो में समाजवाद न होकर इन्सानी

समतावादी भ्रातृत्व वादी और स्वतन्त्रतावादी समाजवाद था– यही उनके जीवन के मनन का निष्कर्ष है।

सदंर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. डॉ0 एस0आर0मायननी, 'राजनीति विज्ञान' इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, फरीदाबाद, 2006, पृ0 536।
2. Anil Kumar Jain and Parul Gupta, "Economics Idea of Lohia some aspects", main stream weekly voll No. 14, 27 march 2014
3. उपरोक्त वही।
4. पी.के. त्यागी, 'भारतीय राजनीतिक विचारक', विश्व भारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2013, पृ0 300 से 301
5. उपरोक्त वही।
6. डॉ0 राजेन्द्र मोहन भटनागर, 'डॉ0 लोहिया का जीवन दर्शन', किताब घर मेन रोड़ गांधी नगर दिल्ली 1979 पृ0 162
7. पी.के. त्यागी, 'भारतीय राजनीतिक विचारक', विश्व भारती पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2013, पृ0 301
8. उपरोक्त वहीं पृ0 302
9. डॉ0 राजेन्द्र मोहन भटनागर, 'डॉ0 लोहिया का जीवन दर्शन' किताब घर मैन रोड़ गांधी नगर दिल्ली पृ0 157
10. उपरोक्त वही पृ0 161
11. उपरोक्त वही पृ0 167
12. उपरोक्त वही पृ0 187
13. उपरोक्त वही पृ0 202

****

पंचायतों के माध्यम से किये गए लोक कल्याणकारी कार्यों का विवरण (धार जिले के विशेष सन्दर्भ में)

राकेश जाधव * डॉ. किरण राठौड़ **

प्रस्तावना – धार जिले में 13 विकासखण्ड है, जिनमें 12 विकासखण्ड आदिवासी क्षेत्र में है। वर्तमान में इस जिले की जनसंख्या 2148672 है। विशेष रूप से तिरला, मनावर, धरमपुरी विकासखण्डों के कार्यों के विवरण को शामिल किया गया है।

पंचायत के प्रारंभिक दौर में वर्ष 2006 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्राप्त आवंटन का 59 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। जिले में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2153 कुटीर बनाये गए, जिनमें 65 प्रतिशत कुटीर निमार्ण पूर्ण किये गए। राजीव गाँधी जलग्रहण प्रबंधन मिशन के अंतर्गत 77206 हेक्टेयर में कार्य किया गया। इसी प्रकार जिले की 3368 प्राथमिक शालाओं औसतन 22 हजार छात्रों को कुल मध्याह्न भोजन से लाभान्वित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया, जिसमें 340000 जॉब कार्य वितरित किये गए और 13000 से अधिक परिवारों को रोजगार की आवश्यकता पूरी की गई।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना के तहत वर्ष 2009 तक बैंकों द्वारा 892.84 लाख रुपये बैंकों द्वारा जारी किये गए। इसी प्रकार 2009 में 2837 शालाओं में औसतन 337889 छात्र लाभान्वित किये गए, जो 98 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वर्ष 2009–10 में 28859 लाख का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें8259 लाख कार्य पूर्ण किये गए। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2009–10 में 3357 आवास योजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 2777 आवास पूर्ण किये गए। राजीव गाँधी जलप्रबंधन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में 1076.9 का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 976.71 कार्य पूर्ण किया गया। राजीव गाँधी जलग्रहण मिशन के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों में 40 प्रतिशत के करीब प्रगति की गई तथा वर्ष 2009–10 में यह प्रगति 90 प्रतिशत पूर्ण की गई। बैकवर्ड ग्रान्ट फण्ड योजना के अंतर्गत 6 वर्षों में 4480 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 4172 लाख से अधिक व्यय किया गया। इस दृष्टि से इस योजना में करीब 90 प्रतिशत लाभान्वितों को लाभ पहुँचाया गया। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 2009–10 में3894 शालाओं में 329952 छात्रों को मध्याह्न योजना से लाभान्वित किया गया। बीपीएल परिवारों के लिए पक्के शौचालय बनाने की योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में 54500 का लक्ष्य रखा गया था, जो 33947 पक्के शौचालय बनाये गए।

कॉलोनी निर्माण संबंधी शक्तियाँ –

(क)कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रेशन

1. पंचायतःक्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी भूमि को, भूखण्डों में बाँटता है। कॉलोनी की मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करता है, जहाँ आवासीय या गैर आवासीय निर्माण करना चाहता है, क्रमशः भूखण्ड क्रम करने वालों को एक–एक कर अंतरण करता है या एक साथ अंतरण करता है, तो ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कॉलोनी की स्थापना के समर्थन में सम्यक् रूप से पारित किये गये संकल्प की प्रति के साथ उपखण्ड (राजस्व) अधिकारी को आवेदन करेगा।
2. उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उपखंड (राजस्व) अधिकारी, नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा अथवा जारी करने से इंकार करेगा, किन्तु उपखंड अधिकारी (राजस्व) को इनकार करने की लिखित सूचना संबंधित को देना होगी।

अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दण्ड –

1. कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी भूमि का उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, तो वह अवैध व्यपवर्तन का अपराधी है।
2. उक्त धारा 172 के नियमों के उपबंध का उल्लंघन कर अपनी भूमि व किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को भूखण्डों में विभाजित करता है तो वह अवैध कॉलोनी निर्माण करने का अपराधी है।
3. इस प्रकार के अवैध कृत्य के लिए, अथवा इस संबंध में किये गये दुष्प्रेरण के लिए सादा कारावास, जो छह मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जा सकेगा।
4. इस प्रकार अवैध कॉलोनी व्यपवर्तन, अवैध कॉलोनी निर्माण के क्षेत्र में भवन निर्माण करता है तो अपराधी होगा।

ऐसे व्यक्ति को उक्त दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा –

अवैध निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड –

1. भवन निर्माण का ले–आउट, नक्शा मंजूर करने की शक्ति रखने वाला अधिकारी भी यदि इस प्रकार को कृत्य को मंजूर करेगा।
2. किसी प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करने का जानबूझकर लोप करेगा।

* शोधार्थी,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय माधव कला, वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

3. या इस प्रकार के अपकृत्य के विरुद्ध कार्रवाई में असफल होगा।
4. विद्युत या जल प्रदाय को बिना किसी में अधिकारी के ऐसे संयोजन के लिए मंजूरी देगा।
5. अथवा इस कार्य में प्राधिकृत अधिकारियों पर अवैध रूप से असर डालेगा। ऐसा अधिकारी भी नियम के अध्यधीन दण्ड का पात्र होगा।
6. उक्त राजस्व नियम 1959 के अनुसार अवैध व्यपवर्तन, निर्माण, ले-आउट, आदि के लिए किया गया अंतरण शून्य होगा।
7. विहित प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को कारण दर्शित करने हेतु सूचना देने के पश्चात् भूमि का प्रबंध ग्रहण कर सकेगा। उस क्षेत्र के संबंध में योजनाएँ बनवाएगा, विकसित करवाएगा। भूमि के अधिमान्य भू-खण्ड कारकों के बीच ऐसी रीति में ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए आवंटित करेगा।

पंचायत निधि और उसकी सम्पत्ति संबंधी पंचायत की शक्तियाँ - राज्य शासन द्वारा पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों को उसकी वैध निधि और सम्पत्ति के अनुरक्षण के लिए कुछ नियमों का प्रावधान किया गया है।

1. राज्य शासन पंचायत में निहित किसी सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण कर सकेगी और उसके बदले पंचायत को बाजार मूल्य देगी, जिसके लिए अन्य कोई उपकर देय नहीं होगा।
2. राज्य सरकार पंचायतों को कर, पथ कर, फीस वसूल करने के अधिकार नियमानुसार देगी व आवश्यकता हो तो राज की संचित निधि से सहायता अनुदान दे सकेगी।
3. वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य शासन पंचायतों को वित्तीय अनुदान देगी।

4. स्थावर सम्पत्ति का अंतरण -

1. पंचायत की किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, दान, बंधक, या विनिमय द्वारा तीन वर्ष से अधिक कालावधि के लिए पट्टे द्वारा अन्यथा कोई अंतरण, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी से ही किया जाएगा।
2. राज्य सरकार के विहित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार की पंचायतस्थावर सम्पत्ति का अंतरण कर सकेगी।

पंचायतों को प्राप्ति विधियों के आहरण के प्रावधान -

1. ग्राम के मामलों में सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से।
2. जनपद तथा जिला पंचायतों के मामले में कार्यपालन अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से ही धनराशि का आहरण किया जा सकेगा।
3. परन्तु जनपद पंचायत या जिला पंचायत को उसके क्षेत्राधिकार में वार्षिक बजट के अनुसार विस्तृत कार्य योजना की व्यवस्था करने के प्रयोजनों हेतु आवंटित राशि सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से ही निकाली जा सकेगी।
4. इस प्रकार के आहरण की संपूर्ण जानकारी पंचायत की आगामी ग्रामसभा के समय रखी जाएगी।
5. पंचायतों द्वारा संविदाओं को निष्पादित करने का तरीका नियमानुसार होगा।

(अ) भवन व सम्पत्ति पर कर - केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की जमीन या भवन, शिक्षा के लिए उपयोगी भवन, छात्रावास, बोर्डिंग हाउस आदि को छोड़कर बाकी जमीन और भवनों पर जिनकी कीमत 6000 रुपये से अधिक है, ग्राम सभा उन पर कर लगा सकती है।

(ब) निजी संडासों पर, जिनकी सफाई के लिए ग्रामसभा कर लगा सकती है।

(स) सार्वजनिक उपयोग हेतु की गई प्रकाश व्यवस्था पर कर लगा सकती है, जिनम छोटे भवनों पर कम कर और बड़े भवनों पर अधिक कर लगाये जाने चाहिए। शैक्षणिक भवन, छात्रावास, बोर्डिंग हाउस, धार्मिक स्थल जिन भवनों का मालिक को कोई किराया नहीं मिलता, उन पर प्रकाश कर नहीं लगाया जाएगा।

4. आजीविका या व्यवसाय पर कर - ग्राम की सीमा में व्यापार करने या आजीविका कमाने वाले लोगों पर उसकी आय के हिसाब से कर लगाये जा सकते है, जिसका व्यक्ति को अग्रिम कर देना होगा।

अनुरक्षित भवनों के संबंध में ग्राम पंचायत की शक्तियाँ -

1. ग्राम पंचायत निवास की दृष्टि से अनुरक्षित भवनों मेंलोगों को निवास करने से रोक सकती है। यदि ऐसे भवनों से गिरने की आंशका हो और इससे सार्वजनिक जीवन को हानि पहुँचाने वाले प्रतीत होते हो, तो ग्राम पंचायत ऐसे भवनों को उसके स्वामी से ढहाने का निर्देश देने चाहिए। यदि वह नहीं ढहाता तो ग्राम पंचायत उसे ढहाकर खर्चा संबंधित से वसूल कर सकती है।

बाजार लगाने वाले, मेले आदि में दुकाने लगाने वाले व्यापारियों से कर वसूल कर सकती है। मेला क्षेत्र में आने वाले वाहन, पशु आदि पर भी कर लगा सकती है।

गरीबों को कर्ज देने संबंधी पंचायत के अधिकार -

1. ग्राम सीमा में रहने वाले गरीबों को उनके किसी निजी व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनकी अत्येष्टि के लिए 300/रुपये अथवा अधिक की मांग होने पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज देय राशि पंचायत कर्म के रूप में दे सकती है।

ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार -

1. ग्राम क्षेत्र में विकास कार्यों का संचालन, निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग का अधिकार है।
2. सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएँ तैयार करना और अनुमोदन के लिए जनपद में भेजना।
3. हाट, बाजारों और मेलों की व्यवस्था करना।
4. पंचायत को आवंटित निधियों से चल रहे विकास कार्यों में निधि के सही उपयोग पर नियंत्रण रखना।
5. निराश्रित तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पेंशन राशि तथा योजनाओं से लाभान्वित करना।
6. पंचायत के क्षेत्र में पंचायत की सम्पदा, जैविक निधि (पेड़ पौधों) का अनुरक्षण करना।

ग्राम पंचायत की अचल सम्पत्ति विक्रय या पट्टे देने संबंधी शक्तियाँ -

1. ग्राम पंचायत खाली जमीन को कृषि कार्य हेतु 3 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकती है।
2. तीन साल से अधिक के देना हो अथवा विक्रय करना हो तो राज्य शासन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
3. ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाएगी तथा इस प्रकार की भूमि या सम्पत्ति का कूल बाजार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। इस

संदर्भ में म.प्र. पंचायत स्थावर सम्पत्ति अंतरण नियम 1994 के उपबंधों सहित पालन करना आवश्यक है।नीलामी मेंपंचायत सदस्य, सेवक, अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षःबोली नहीं लगाएगा और उसमेंसे कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

ग्राम पंचायते वित्तीय मामलों में म.प्र. शासन पर निर्भर है, उस पर प्राप्त आवंटन जिला जनपद से जनपदों और कॉलोनी निर्माण संबंधी शक्तियाँ

(क)कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रेशन –

अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दण्ड

1. कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी भूमि का उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, तो वह अवैध व्यपवर्तन का अपराधी है।
2. उक्त धारा 172 के नियमों के उपबंध का उल्लंघन कर अपनी भूमि व किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को भूखण्डों में विभाजित करता है तो वह अवैध कॉलोनी निर्माण करने का अपराधी है।
3. इस प्रकार के अवैध कृत्य के लिए, अथवा इस संबंध में किये गये दुष्प्रेरण के लिए सादा कारावास, जो छह मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जा सकेगा।
4. इस प्रकार अवैध कॉलोनी व्यपवर्तन, अवैध कॉलोनी निर्माण के क्षेत्र में भवन निर्माण करता है तो अपराधी होगा। ऐसे व्यक्ति को उक्त दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा

अवैध निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड –

ग्राम–सभा की शक्तियाँ –

(अ) भवन व सम्पत्ति पर कर

(ब) निजी संडासों पर, जिनकी सफाई के लिए ग्राम सभा कर लगा सकती है।

(स) सार्वजनिक उपयोग हेतु की गई प्रकाश व्यवस्था पर कर लगा सकती है। आजीविका या व्यवसाय पर कर।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. म.प्र.पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 2–11 तक वही।

****

ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं क्रियान्वन, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में

डॉ. मालती तिवारी *

प्रस्तावना – वर्तमान समय में सामुदायिक विकास का संबंध ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य गांवो में जीवन–निर्वाह की मुख्य दशाओं में सुधार करना है। सामुदायिक संगठन तथा विकास का तात्पर्य भी यही है कि समाज की स्थानीय क्रियाओं द्वारा प्रगति हो। इसी को दूसरे देशों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे–ग्रामीण पुनर्निमाण, ग्रामोत्थान, जन शिक्षा तथा सामुदायिक संगठन या सामुदायिक विकास। भारत में प्रथम योजना के प्रारम्भ में इसे 'ग्रामीण पुनर्निमाण' या ग्रामोध्दार का नाम दिया गया था। 2 अक्टूबर 1952 में 'सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा कार्यक्रम' का प्रारंभ हुआ। इस योजना को संयुक्त–राष्ट्र–अमेरिका की सहायता से भारत में लागू किया गया। देश में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इसी समय 'अन्न उपजाऊ जाँच समिति' ने गाँव के सर्वांगिण विकास के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय विस्तार संगठन की स्थापना की सिफारिश की जो घर–घर पहुंच सकें और ग्रामीण विकास कार्य में उन्हें सहभागी बना सके। इस प्रकार की सिफारिशों से जहां सामुदायिक विकास कार्य में विकसित होने में सहायता मिली, वहीं 'राष्ट्रीय विस्तार सेवाखण्ड' की भी स्थापना की गयी। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम दो भागों में विभाजित हो गया – 1. सामुदायिक विकास योजना तथा 2. राष्ट्रीय विस्तार सेवा। सामुदायिक विकास योजना अथवा ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रमों पर चर्चा करने से पहले हमें सामुदायिक विकास का अर्थ और उसके उद्देश्यों को समझना होगा। देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है जो अभाव की जिन्दगी जी रही है वे उपभोक्ता वस्तुओं की कल्पना ही कर सकते हैं।ग्रामीण विकास का सूत्रपात महात्मा गांधी के इस कथन से हुआ–'भारत के आत्मा गाँव में बसती है।' जब तक गांव का विकास नहीं होगा तथा गाँव आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास की इस अवधारणा को स्वीकार करते हुए पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता दी गई, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में यह योजना सर्वोच्च लक्ष्य में एक रहा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रस्ताव सर्वप्रथम सन् 1976–77 में रखा गया। 2 अक्टूबर 1980 से देश में समन्वित ग्रामीण विकास लागू किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को सीधे लाभ पहुचाने वाली देश की पहली और सबसे विशाल योजना थी।

सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य – छ.ग. राज्य में ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण–व्यक्ति में समुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना, ग्रामीण–व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्म–ज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, स्थानीय संस्थाओं को उत्साहित करना जिससे वे ग्रामीण पुनर्निमाण के कार्य में सहायता कर सकें। उत्पादन की पध्दतियों में विकास करना, आवागमन एवं सन्देश वाहन के साधनों में वृध्दि करना, शिक्षा का पर्याप्त प्रसार व प्रचार करना, ग्रामीण–स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर ध्यान रखना, ग्रामीण व्यक्तियों का आत्मनिर्भर व प्रगतिशील होने की प्रेरणा देना, कृषि कार्यों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना और उसके महत्व को समझाना, कुटीर उद्योग–धन्धों को प्रोत्साहित करना, रोजगार के नये आधार खोजना, सहकारिता का प्रचार व प्रसार करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करना, स्त्रियों की दिशा में सुधार करना। इस प्रकार, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन–स्तर के लिए पथप्रदर्शन करना है।

ग्रामीण विकास सम्बन्धी इकाइयाँ – छ.ग. राज्य में विकास के संदर्भ में प्रशासन तंत्र की विशिष्ट भूमिका होती है, इसके लिए संस्थाएं, विभाग इकाइयों कार्य करती है, ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक कार्यरत है – 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र, 2. केन्द्रिय सहायता देनी वाली समिति 3. विपणन और निरीक्षक निर्देशालय 4. ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान 5. जनकार्य और ग्रामीण विकास तकनीक समिति 6. ग्रामीण विकास विभाग राज्यों में 7. प्रांतीय स्तर की समन्वय समिति 8. जिला ग्रामीण विकास एंजेसी 9. जिला सलाहकार समिति 10. ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था 11.ग्रामीण पंचायती राज संस्था है। छ.ग. राज्य में ग्राामीण विकास तथा पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया, ग्रामीण स्तर पर एक ऐसी संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें सरकार का भी प्रतिनिधित्व हो और धरातल पर जन समुदाय से भी जुड़ी हो, ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषयों को पंचायतो के अधिकार में दे दिया गया, इस प्रकार ग्राम विकास योजना बनाना तथा उन्हें क्रियांन्वित करना ग्राम पंचायतो का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया।

सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं क्रियान्वयन – छ.ग. राज्य में 11 अक्टूबर 2014 को प्रांरभ योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू किया गया। जिसके जरिये उम्मीद की जा रही है कि गांव के जीवन मूल्यों विकास के अवधारणों को अपनाकर परिवर्तन करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना में उन्नत बुनियादी सुविधाये अधिकतर उत्पादन, बेहतर मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसर असमानता में कमी अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाने, वृहत सामाजिक एकजुटता, समृद्ध सामाजिक पुंजी का निर्माण शामिल है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा के संबद्ध में जारी मार्गदर्शिका में आदर्श ग्राम के लिए किये गये है। उन मानकों में प्रमुख रूप से आदर्श ग्राम होंगे जिसमें उद्योगो और उपक्रमों को जोड़ने अधिकारियों और सांसदो की महत्वपूर्ण भूमिका जहाँ लोग स्वस्थ, स्वरोजगार के अवसर को

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति शास्त्र) शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छ.ग.) भारत

स्वास्थ्य केन्द्र हो, कुपोषण न हो, लोगों में भेदभाव न हो स्वच्छता हो, यातायात की सुविधा हो, महिलाओं का सम्मान हो, वोटर आईडी, वाई-फॉई की सुविधाएं हो, बैंक हो तथा गांव में सभी को आजीविका का साधन मिलें, आदर्श ग्राम योजना के जरिये समग्र विकास के अवधारणा को व्यक्तिगत विकास, पर्यावरण विकास मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक विकास और मानव विकास पर समान रूप से जोर देती है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ राज्य -

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 12 वर्षो में 6,788 करोड़ रूपए की लागत से 23,708 किलोमीटर की सड़के पूर्ण।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के अन्तर्गत 1,772 करोड़ रूपए की 3737 किलोमीटर की 1157 सड़के स्वीकृत। 2415 किलोमीटर की 811 सड़कें पूर्ण।
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अन्तर्गत 598 करोड़ रूपए की लागत से 1290 किलोमीटर की 4477 गली का निर्माण पूर्ण।
- मनरेगा के अन्तर्गत 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान। दो वर्षों में 3.18 लाख परिवारों को 71 लाख मानव दिवस का रोजगार दिया गया।
- स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत मनरेगा से डेढ़ लाख व्यक्तिगत घेरलू शौचालय निर्माण की स्वीकृति। 40 हजार शौचालय पूर्ण।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण।
- ग्राम पंचायतों को विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन हेतु उप रजिस्ट्रार का अधिकार।
- सरपंच को अविवादित भूमि के नामांतरण हेतु तहसीलदार का अधिकार।
- पंचायतों को भवन निर्माण और मरम्मत के लिए अनुज्ञा देने का अधिकार।
- ग्रामीण युवाओं के सृजनात्मक विकास हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना। 1,63,234 युवाओं का पंजीयन।

ग्रामीण विकास -

- ग्रामीण विकास के लिए 89,765 करोड़ रूपए का आबंटन।
- मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रूपए, मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब, कुएं।
- 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली।
- 87,761 करोड़ रूपए का बजट रूरल सेक्टर के लिए आबंटित किया गया है।
- पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रूपए वित्तीय वर्ष 2017 के लिए आवंटित किए गए ।
- पीएमजीएसवाई को पूरा करने की लक्षित अवधि को दो साल घटाकर वर्ष 2019 की गयी।
- ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रूपए से ज्यादा।
- गांवों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन।
- सूखाग्रस्त एवं ग्रामीण क्षेत्रों समस्याग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक प्रखंड को दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत सहायता ।
- ग्रामीण भारत के लिए एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन योजना ।
- 5.35 लाख उचित दर दुकानों में से 3 लाख को मार्च 2017 तक ऑटोमेट किया जाएगा।

योजनांए -

- **किसानों के विकास की प्रतिबद्धता -** वर्ष 2012-13 से अलग कृषि बजट की शुरूआत। चालू, वित्तीय वर्ष 2015-16 के कृषि बजट में 10 हजार 676 करोड़ रूपए का प्रावधान।
- **कृषि कर्मण पुरस्कार** - राज्य को सर्वाधिक चावल उत्पादन के लिए तीसरी बार वर्ष 2013-14 के लिए भी राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार।
- **ब्याज मुक्त ऋण** - किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों से खेती के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा।
- **जीरो पावर कट** - छत्तीसगढ़ देश का पहला जीरो पावर कट राज्य है। एक जनवरी 2008 से बिजली कटौती पूरी तरह से समाप्त। राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में विद्युतीकृत सिंचाई पम्पों की संख्या लगभग 72 हजार थी, जो आज बढ़कर तीन लाख 50 हजार से भी ज्यादा हो गयी है। राज्य के 97.40 प्रतिशत गांवो में पहुंची बिजली।
- **नि:शुल्क बिजली** - कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत खेती के लिए किसानों को सालाना साढ़े सात हजार यूनिट बिजली नि:शुल्क।
- **उन्नत कृषि यंत्र** - हरित क्रांति विकास योजना के तहत वर्ष 2014-15 से अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण शुरू। कृषि सेवा केन्द्र योजना का विस्तार, अब तक 380 केन्द्र स्थापित।
- **सिंचाई के लिए लाइन विस्तार पर अनुदान -** सिंचाई पम्प विद्युतीकरण के लिए आवश्यक लाइन विस्तार पर अनुदान राशि 50 हजार रूपए से बढ़ाकर अब 70 हजार बिजली का कनेक्शन देने में 75 हजार रूपए से ज्यादा खर्च होने पर अतिरिक्त राशि सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र तथा बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से देने का प्रावधान। ड्रिप सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई यंत्र स्थापित करने के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को 75 प्रतिशत एवं बड़े किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान।
- **युवाओं का कौशल विकास -** देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसने वर्ष 2013 में अपने युवाओं को विधानसभा में कानून बनाकर दिया कौशल विकास के लिए मन पसंद व्यवसाय में प्रशिक्षण पाने का अधिकार। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 200 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान।

निष्कर्ष - विकास निश्चित लक्ष्यों के सन्दर्भ में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को कहते है छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण विकास के पायदान पर सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्र निर्माण के तत्वों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आधुनिकीकरण लगभग सभी गतिविधियों अधिकाधिक विवेक या बौध्दिकता के प्रयोग से सम्बन्धित आधुनिकीकरण (विकास) मूलत: एक ऐसी आन्तरिक क्रिया है जो स्वत: सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रकट होती चलती है चाहे इसे विकास कहें अथवा आधुनिकीकरण यह अन्ततोगत्वा विभिन्न समाजों द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने तथा आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। छ.ग. राज्य में ग्रामीण विकास की लम्बी यात्रा में हमारे सामने जो चुनौती उभर कर आयी है, ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रम संचालित एवं क्रियान्वयन किये जा रहे है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से ग्रामीण विकास के सम्भवनाओं में वृध्दि तो हुई है, ग्रामीण जनता में जागृति आई है लेकिन विकास के इस दौड़ में ग्रामीण जनता अभी भी बहुत पीछे है, आत्मनिर्भरता के बजाय पर-निर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जिसे आत्मनिर्भर बनाना छ.ग. राज्य का लक्ष्य है, ग्रामीण लोगों में आधुनिक मनोवृत्ति का विकास करना होगा। अर्थशास्त्रीय मत के अनुसार विकास का मुख्य लक्ष्य मानव का विकास जिससे उनका रहन-सहन, वातावरण में सुधार हो, यह तभी संभव है जब लोग विकास कार्य में सहभागी हो। समाज शास्त्रीय का मत है कि ग्रामीण विकास से समाज से समाज की संरचना और कार्य में उन्नत्ति होती है, जिससे

वे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनते है। समग्र रूप से ग्राम विकास प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही साधनों के विकास पर निर्भर करती है जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में अधिक सुधार का प्रयास किया जाता है, विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी इत्यादि पहलू है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सफर - छत्तीसगढ़ जनसंपर्क।
2. पत्रिका दैनिक समाचर पत्र - 1 मार्च 2016 - पृ. 07
3. नवभारत दैनिक समाचर पत्र - 1 मार्च 2016 - पृ. 02
4. भारत में पंचायती राज - डॉ. गिरवर सिंह राठौर, पृ. 256 से 260
5. भारत में लोक प्रशासन, ग्रामीण विकास - अवस्थी एवं अवस्थी संस्करण 2013, पृ. 551-552
6. पंचायती राज अपडेट - इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सांसद आदर्श ग्राम योजना - प्रो. रणबीर सिंह - दिसम्बर 2014
7. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास - डॉ. आर.पी. जोशी, पृ. 200-203
8. हरिभूमि दैनिक समाचार पत्र - आजकल 25 जनवरी 2015, पृ. 08।
9. प्रखर दैनिक समाचार पत्र - पृ. 4, 13 दिसम्बर 2014
10. भारत में ग्रामीण समाज - डॉ. अमित अग्रवाल
11. ग्रामीण समाज शास्त्र - डॉ. वी.एन सिंह, पृ. 276-77
12. रचना - क्षेत्रीय विकेन्द्रीय आयाम, पृ. 12,13,27

****

राष्ट्रों के मध्य अपराधियों का प्रत्यर्पण

डॉ. अनिल कुमार जैन *

प्रस्तावना – अन्तर्राष्ट्रीय विधि में राज्य के क्षेत्राधिकार में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है, उसे उस राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना पड़ता है। व्यक्ति अपने देश के नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा दण्डित होता है, पर कभी–कभी यह स्थिति पूर्णत: भिन्न होती है, क्योंकि अपराध करने वाला व्यक्ति दण्ड दिये जाने के डर से उस देश को छोड़कर दूसरे देश को चला जाता है। तब प्रश्न यह उठता है कि उस व्यक्ति के साथ उस नवीन राज्य द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाये ? इस प्रश्न को लेकर उन दोनों राज्यों के मध्य संबंध विच्छेद या संधि की स्थिति ही उत्पन्न हो जाती है क्योंकि अपराधी वास्तव में अपराध से हानि को प्राप्त होने वाले देश से निकल चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि इस सामान्य प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन अपराधियों की समस्या को लेकर कुछ विशेष समझौते किये जाने चाहिऐ। इस दृष्टिकोण से होने वाले समझौतों के अन्दर यह तय किया गया कि यदि किसी राष्ट्र का अपराधी किसी दूसरे राज्य को भाग जाता है तो दूसरे राज्य को चाहिए कि वह उस अपराधी को पकड़ कर उस राज्य को सौंप दे जहां से कि उसका संबंध है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत की इस समस्या को हल करने के लिए यह हल निकाला गया कि राज्यों के मध्य इस प्रकार के समझौते अपेक्षित है, क्योंकि ऐसा न होने पर एक विषाद एवं विवादपूर्ण स्थिति आ सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यों के बीच अपराधियों को सौंपने की प्रक्रिया के लिए संधि या समझौते आवश्यक है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जब किसी देश के कानून के समक्ष अपराधी अपने अपराधिक कृत्य के दण्ड से बचने के लिये अन्य देश को भाग जाता है तब वह राज्य संबंधित राज्य से अपने अपराधी की वापसी की मांग करता है, जिसकी दण्ड प्रक्रिया से वह बचने के लिये इस देश में भाग कर शरण लेता है। तब यह राज्य उस राज्य की प्रार्थना पर उसे अपने देश को सौंप देता है। इस प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहते है। इस प्रक्रिया के लिए राज्यों के बीच संधि या समझौता आवश्यक है। स्टार्क के अनुसार अपराधी जिस राज्य में शरण लेता है उस राज्य से प्रार्थना पर उस राज्य के द्वारा अपराधी को सौंपा जाना ही प्रत्यर्पण है।

सामान्य रूप से प्रत्यर्पण प्रक्रिया का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है, इसलिये प्राय: यह माना जाता है कि इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई सिद्धान्त अवश्य लागू होगा। परन्तु प्रोफेसर डिकिन्सन के अनुसार प्रत्यर्पण का आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई सिद्धान्त नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय सौंजन्य तथा संधियां इसकी मुख्य आधार है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के मध्य प्रत्यर्पण से संबंधित संधियों से परे प्रत्यर्पण के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है। यह संभव है कि संबंधित दूसरा राष्ट्र स्वैच्छा से अपराधी का समर्पण कर दें। इससे स्पष्ट होता है कि समर्पण की मांग का कानूनी अधिकार और इसे स्वीकार करने या कानूनी कर्तव्य केवल तभी माना जा सकता है जब इस संबंध में दोनों राष्ट्र के मध्य संधि की गई हो। सं. राज्य अमेरिका में सरकारी मत में संधि के अभाव में भाग कर आये किसी व्यक्ति को समर्पित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

विश्व के कतिपय राष्ट्र प्रत्यर्पण की संधियों एवं परस्पर व्यवहार पर ही निर्भर न रहकर इसके लिये वे स्वयं विशेष राष्ट्रीय कानून बनाते है, जिनमें ऐसे अपराधों का उल्लेख करते है, जिनमें प्रत्यर्पण की मांग नैतिक आधार पर स्वीकार की जा सके। सन् 1833 में बेल्जियम ने 1870 में ब्रिटेन ने तथा सन् 1962 में भारत ने भी इसी प्रकार के प्रत्यर्पण संबंधी राष्ट्रीय कानून पारित किये है।

जिन देशों में प्रत्यर्पण संबंधी कानून नहीं होते तथा वहां का संविधान भी इसकी व्यवस्था नहीं करता तो वहां की सरकार अपनी स्वेच्छा से, इसके लिये अन्य देशों से संधियों का निष्पादन करती है। कभी–कभी देश के कानूनों और संधियों में विरोध की स्थिति में बन जाती है, तब भी प्रत्यर्पण संधि के अनुसार कार्य व्यवहार ही मान्य होगा।

भारत में सर्वप्रथम 1903 में प्रत्यर्पण अधिनियम पारित किया गया था। इससे पूर्व प्रत्यर्पण का विनिमय ब्रिटिश प्रत्यर्पण अधिनियम 1870 के आधार पर होता था। यह अधिनियम संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के लिये था। इसके अनुसार प्रत्यर्पण चाहने वाले देश को अपराधी के विरूद्ध ब्रिटिश न्यायालय में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करना पड़ता था। यह कठिन कार्य था। अत: प्रत्यर्पण में बाधा सिद्ध हो रहा था। अत: भारत तथा ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यर्पण को सरल बनाने के प्रयास किये है।

प्रत्यर्पण से संबंधित विषयों पर दुनियाभर में उपस्थित समस्याओं पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था 'इन्टरपोल'' है। यह विश्व में संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेन्टल आर्गेनाइजेशन है। यह दुनियाभर के अपराधों पर नजर रखने वाली संस्था है। भारत में इन्टरपोल की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करने वाली संस्था सी.बी.आई. है। इन्टरपोल दुनियाभर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पुलिस का सबसे बड़ा शक्तिशाली महत्वपूर्ण संगठन है। इन्टरपोल का पूरा नाम 'इन्टरनेशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गेनाइजेशन'' है। यह नाम इसे सन् 1956 में मिला था। इस संस्था का मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पनप रहे अपराधों पर नियंत्रण रखना है। इन्टरपोल के सदस्य देश इसके व्यय को वहन करते है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लयॉन में है।

इन्टरपोल किसी देश के राजनीतिक, धार्मिक तथा सेना के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। यह आतंकवाद, संगठित अपराध, मानवता के विरूद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध, युद्ध अपराध, पाइरेसी, अवैध दवा उत्पादन, नशीले पदार्थ, तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी , काले धन को वैध बनाना, बच्चों को नशीले कार्यो में लगाना, साइबर क्राईम तथा भ्रष्टाचार से जुड़े मामले देखता है।

इन्टरपोल मूलत: विभिन्न देशों की पुलिस के मध्य समन्वय करने वाली संस्था है। इसके द्वारा गिरफ्तार किये गये अपराधियों का प्रत्यर्पण संभव हो जाता है। भारत के अपराधियों में महत्वपूर्ण अबू सलेम का प्रत्यर्पण भी इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। इन्टरपोल के सदस्यों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सात प्रकार के नोटिस जारी होते है, जो अपने रंगों के

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

नाम से जाने जाते है, यथा –

- **रेड कॉर्नर नोटिस –** सभी देशों को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये जारी किया जाता है, जो एक देश में जुर्म कर दूसरे देश भाग जाता है।
- **ब्ल्यू नोटिस –** किसी जुर्म से संबंधित व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।
- **ग्रीन नोटिस –** उन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है, जो अपराध कर चुके है और किसी देश में अपराध को दोहरा सकते है।
- **यलो नोटिस –** गुमशुदा लोगों की तलाश या उन लोगों की पहचान के लिए होता है, जो अपनी पहचान बताने में अक्षम होते है। विशेष रूप से नाबालिग के बारे में जानकारी के लिए यह है।
- **ब्लेक नोटिस –** अज्ञात शवों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिये जारी होता है।
- **आरेंज नोटिस –** पुलिस तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को खतरनाक सामग्री पार्सल बम आदि के खतरे की सूचना देने के लिये होता है।
- **इन्टरपोल यू एन नोटिस –** इन्टरपोल – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विशेष नोटिस संगठनों या व्यक्तिगत रूप से उनके लिए जारी किया जाता है जो आतंकी संगठनों अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लगाये गये संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते है।

भारत में अपराध की विदेश में शरण लेने वाले कतिपय अपराधियों के प्रत्यर्पण के संबंध में की गई कार्यवाही के विवरण उल्लेखनीय है। पिछले दशक में खालिस्तान आंदोलन के प्रबल होने पर भारत में पुलिस अधिकारियों की हत्या या अन्य आतंकवादी कार्यवाही कर अपराध कर भागने वालों ने अनेक पश्चिमी देशों में शरण ली तथा प्रत्यर्पण में छूट की मांग की। कुछ पश्चिमी देशों ने इसे स्वीकार कर भारत की चिंता को बढ़ा दिया। इस विषय में तलबिन्दरसिंह का मामला उल्लेखनीय है। उग्रवादी भारतीय नागरिक तलविन्दरसिंह 1981 में पंजाब पुलिस के दो पुलिस अधिकारियों की हत्या कर गिरफ्तारी से बचने के लिये नेपाल भाग गया। वहां से अनेक देशों में घूमते हुए कनाड़ा पहुँचा। इन्टरपोल की सहायता से भारत ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया तब भाग कर उसने पश्चिमी जर्मनी में शरण ली।

भारत सरकार ने पश्चिमी जर्मनी सरकार से निवेदन किया कि उस पर दो हत्याओं का अपराध आरोपित है। उस पर मुकदमा चलाना चाहते है, यहाँ राजनीतिक शरण का प्रश्न नहीं है। प्रकरण में विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने से भारत को विश्वास था कि कोर्ट प्रत्यर्पण की अनुमति दे सकेगा, किन्तु न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही वहाँ की सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तलविन्दर को कारागार से मुक्त कर कनाड़ा भेज दिया। बॉन के विदेश मंत्रालय का कथन था कि उसके पास कनाडा का पासपोर्ट था, अत: उसे वहीं भेजना उचित था। तलविन्दर का अपने बचाव में कथन था कि पंजाब में उत्पन्न अकाली आंदोलन तथा पृथक सिख राज्य की मांग के संदर्भ में, उत्पन्न स्थिति में उस पर हत्या का आरोप भारत सरकार राजनीतिक कारणों से लगा रही है। बॉन ने इसे मान लिया।

इसी के विपरीत सन् 1965 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रतापसिंह कैरो की हत्या करने के बाद सुच्चासिंह भाग कर नेपाल चला गया। नेपाल भारत के मध्य प्रत्यर्पण संधि होने के कारण नेपाल सरकार ने सुच्चासिंह को वहां के कानून के अनुसार कार्यवाही करके भारत के हाथ प्रत्यार्पित कर दिया। नेपाल ने सुच्चासिंह के अपराध को राजनीतिक नहीं माना।

सन् 1973 में भारतीय नौ सेना कमाण्डर इलिजाह इब्राहीम जीरहद द्वारा भारत में 13 लाख रूपये के दुर्विनियोग से संबंधित है। यह अपराध उन्होंने 1960 में एडवोकेट जनरल के पद पर रहते किया था। शिकायत प्राप्त होने पर सी.बी.आई. ने जांच कर 1968 में चार्जशीट दायर की। इलिजाह अपराध के बाद देश छोड़कर चले गये थे। सन् 1972 में उन्हें न्यूयार्क में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस ने पकड़ा। भारत ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की। कमाण्डर ने इसका विरोध किया, किन्तु जुलाई 1975 में न्यूयार्क न्यायालय ने प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान कर दी।

चोरी, धोखाधड़ी और तस्करी के अपराध से संबंधित नारंग भाई प्रत्यर्पण वाद 1976 में, मनोहरलाल तथा ओमप्रकाश नारंग के विरूद्ध हरियाणा के कुरूक्षेत्र के पास स्थित अमीन स्तम्भ के चोरी करने, धोखाधड़ी तथा तस्करी के आरोप थे। ये भागकर इंग्लैण्ड चले गये। भारत की प्रार्थना पर, इनके वहां से प्रत्यर्पण की कार्यवाही की गई तथा 1976 में उन्हें प्रत्यार्पित कर दिया गया। मनोहरलाल एवं नारंग भाई के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया कि लाइबेरियन एम्बेसी के लिए पेरिस में फाइनेन्शियल एडवाइजर होने के आधार पर राजनीतिक उन्मुक्ति पाने के हकदार है।

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान की इन्टरपोल के द्वारा जारी वारंट के तहत बेल्जियम की पुलिस ने 19 अक्टूबर 1993 को भारत में उसके द्वारा की गई एक हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। भारत द्वारा खान पर कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीर उलहक की हत्या का आरोप लगाया गया था। इन्टरपोल ने यह कार्यवाही की थी।

वर्तमान के संदर्भ में, एक ऐसे ही प्रत्यर्पण के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के लिये काम करने वाले पाकिस्तानी अमरीकी डेविड हेडली और पाकिस्तानी कनाडाई तहव्वयूर राणा जो कि इस समय शिकागो जेल में है। इन पर बम्बई हमले के लिए दोषी होने का आरोप है। भारत इनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। स्थिति यह है कि भारत और अमेरिका के मध्य 1997 की प्रत्यर्पण संधि राणा के प्रत्यर्पण को रोकती है। इसके अनुसार संधि की धारा 6.1 के अनुसार उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो अथवा बरी कर दिया गया हो, जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण चाहा गया है, प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस राज्य की विधि के अधीन अभियुक्त सिद्ध हो चुका हो और उसे उसके मामले में विचारण का अधिकार हो।

जर्मनी तथा फ्रांस में यह नियम है कि वे दूसरे देश में अपराध करने वाले नागरिक को स्वयं दण्ड देते है। इसके विपरीत ब्रिटेन व अमेरिका ऐसे लोगों का प्रत्यर्पण कर देते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राठौड़ डॉ. एल.एस., फडिया डॉ.बी.एल. : अन्तर्राष्ट्रीय कानून : साहित्य भवन आगरा, (1992) पृष्ठ 314-333
2. शर्मा उॉ. हरीशचन्द्र : अन्तर्राष्ट्रीय कानून : कॉलेज बुक डिपो जयपुर।
3. खत्री हरीशकुमार : अन्तर्राष्ट्रीय कानून : कैलाश पुस्तक सदन भोपाल (2015)।
4. दुबे डॉ. रमेश, शर्मा उॉ. हरीशचन्द्र : अन्तर्राष्ट्रीय कानून : कॉलेज बुक डिपो जयपुर, पृष्ठ 262-273
5. मिश्रा काशीप्रसाद, रस्तोगी गौरीनाथ : अन्तर्राष्ट्रीय विधि (खण्ड-1) हिन्दी प्रकाशन विभाग राजस्थान वि.वि.जयपुर (1966) पृ. 512-529
6. टण्डन एम.पी. : अन्तर्राष्ट्रीय विधि : इलाहाबाद लॉ एजेन्सी इलाहाबाद (चतुर्थ संस्करण) पृष्ठ 222-228
7. स्टार्क : एन इन्ट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ (चतुर्थ संस्करण) पृष्ठ 260
8. दैनिक भास्कर, जोधपुर : डी.बी.स्टार 30 अगस्त 2010
9. राजस्थान पत्रिका 20 अक्टूम्बर 1993
10. ट्यूनकिन : इंटरनेशनल लॉ (1986) पृष्ठ 369

जीवन मूल्य और शिक्षा-उपादेयता

डॉ. भावना यादव *

प्रस्तावना – शिक्षा ही मानव को सभ्य और सुसंस्कृत बनाती है, जिससे वह जीवन के मूल्यों को समझता है और उन्हें जीवन में अपनाता है। सीखने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शास्त्री मैकेन्जी के अनुसार 'व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रही है और जीवन के अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है।'[1] अच्छी शिक्षा न केवल व्यक्तित्व को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक रूप से मजबूत करती है वरन साथ ही मनुष्य को मानवीय नैतिक मूल्यों के लिये भी तैयार करती है। इन्हीं मूल्यों के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सम्भव होता है।

वास्तव में किसी भी समाज का विकास उसके अन्तर्विहीत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। समाज अपने विकास के क्रम में जितने अधिक उत्कृष्ट मूल्यों को स्थापित करता जाता है उतना उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। समाज में मनुष्यों के व्यवहार द्वारा मूल्यों का आकलन किया जा सकता है। परम्परागत भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा व मूल्यों को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रमन बिहारी लाल के अनुसार मूल्य से तात्पर्य है कि 'किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मापदण्ड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होता है, वही उस समाज और उसके व्यक्तियों के मूल्य होते हैं।'[2]

शिक्षा का मुख्य कार्य लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का निर्माण कर उसे ग्राह्य बनाना है। स्वामी दयानन्द के अनुसार – 'शिक्षा मानव और समाज की नींव है। इस तथ्य को सत्य मानते हुये आपने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे सम्मुलास में व्यापक चर्चा की है। वह मानते हैं कि घर और विद्यालय अथवा गुरूकुल शिक्षा के मुख्य अभिकरण हैं। शिक्षा वैदिक धर्म का प्रसार करें, बच्चों का चरित्र निर्माण करे, मोक्ष प्राप्ति का साधन बने, मानसिक शक्तियों का विकास कर मातृभाषा में बच्चे शिक्षा ग्रहण करे। तभी हम देश, समाज, व्यक्ति को मूल्यपरक रूप में देख सकेंगे।[3] माना जाता है कि मूल्यों का सम्बन्ध मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से होता है जो मनुष्य के व्यवहार को न केवल निर्देशित करते हैं वरन् साथ ही नियन्त्रित भी करते हैं। भारतीय समाजशास्त्री डॉ. राधाकमल मुकर्जी के अनुसार 'मूल समाज द्वारा स्वीकृत उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किये जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा साम्यांतरीक किया जाता है और जो आत्मनिष्ठ अधिमान तथा आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं।'[4]

किसी व्यक्ति, वस्तु विचार या संस्था से किसी मनुष्य का संबंध कैसा होगा, यह उसके मूल्यों पर निर्भर करता है। इस रूप में मूल्य एक मानक की तरह होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में अपने संबंधों को बनाये रखता है। ये मूल्य मानक के रूप में विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से व्यक्त होते हैं। शिक्षा सुधार का साधन है।' ऋग्वेद में कहा है कि आंख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान है पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वे सन्तों से श्रेष्ठ होते हैं। शिक्षा हमें विवेकशील बनाती है। उचित-अनुचित में भेद कर सकने योग्य बनाती है इसलिये विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्तो की पूंछ की तरह व्यर्थ है। विद्याविहीन मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं है.....प्रो. अल्तेकर के अनुसार शिक्षा प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्त्रोत मानी जाती थी जो हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रगतिशील और सुसंगत विकास द्वारा हमारी प्रकृति को ही बदल देती है तथा उसे और उदत्ता बनाती है।'[5] ऐसी शिक्षा मानव में मूल्यों की स्थापना हेतु आवश्यक होती। शिक्षा में मूल्यों के अभाव का प्रभाव समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट के रूप में दिखाई देता है।

विकास की दौड़ में नित परिवर्तित होते हमारे विविधतापूर्ण समाज में हमें परस्पर विरोधी मूल्यों और मान्यताओं का सामना करना पड़ता है। मूल्य आधारित शिक्षा हमने इन परिस्थितियों के प्रति सामंजस्य पैदा करती है परन्तु बदलते समय के साथ शिक्षा से मूल्यों का आधार तकनीक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो गया। फलस्वरूप तकनीक ज्ञान और आकांक्षाओं के विस्फोट ने सामाजिक संरचना, मानवीय संबंध और समस्या समाधान के तरीकों में परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक तकनीक और प्रगति ने कार्य क्षमता को बढ़ाया जरूर है परन्तु इस परिवर्तन ने हमारे जीवन मूल्यों को भी गहरे से प्रभावित किया है। समयगत यह प्रगति समाज के लिये चुनौती बनकर उभरी है। शिक्षा में जीवन मूल्यों के अभाव और पतन के कारण भ्रष्टाचार, हिंसा, चोरी, डकैती, बलात्कार, व्यभिचार जैसी समस्याएं नित बढ़ती जा रही हैं।

सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन ने भी आधुनिक समाज में गिरते मूल्यों के उत्थान हेतु मूल्य शिक्षा को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित करते हुये कहा 'शिक्षा केवल मात्र सूचना व कौशल विकास हेतु नहीं होनी चाहिये वरन शिक्षा मूल्यों की उचित समझ देने वाली होनी चाहिये।' कवि अज्ञेय ने शिक्षा को परिभाषित करते हुयें लिखा है, 'शिक्षा भविष्य में उठ सकने वाली समस्याओं का निराकरण भी है और उनकी शक्ति और संभावनाओं के उपयोग की क्षमता भी, सही उपयोग करने का विवेक और कल्पना भी, सर्जना भी मूल्यांकन भी और जानकारी के नीचे दब जाने का संकल्प भी। सिद्धान्त और व्यवहार में जब तक हम संतुलन नहीं कर पायेंगे, तब तक कोई भी मूल्य हमारे समाज शिक्षा के लिये उपयोगी न होंगे। नत्थूलाल गुप्त जी के अनुसार-आज मूल्य शिक्षा की आवश्यकता हर क्षेत्र में है। आज परमाणु नीति और प्रदूषण दुर्बल मदविकल विश्व के महान मानव मूल्यों की प्रतिपादक तथा शांति को उत्प्रेरक संस्कृति के नाना आयामी तत्वों (शाश्वत मूल्यों) की नितान्त

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्वशासी कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

आवश्यकता है। विश्व के अरबों वासी इन मूल्यों की प्रतिष्ठा हेतु भारत की ओर ताकते हैं।'[6] आधुनिक समाज में इन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। मूल्य स्वास्थ्य, बौद्धिक, सौन्दर्यबोधक, आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक मूल्यों के रूप में मानव के जीवन के सभी आयामों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के समस्त उद्देश्य मानव व्यक्तित्व के इन्हीं आयामों को विस्तार देते हैं।

प्रत्येक शिक्षा का स्वरूप जीवन मूल्यों की शिक्षा में उपस्थित द्वारा निर्धारित होता है। अत: किसी भी समाज के विकास के लिये प्रयुक्त होने वाली शिक्षा को विभिन्न जीवन मूल्यों का आधार मिलेगा, तभी समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव होगा। परम्परागत भारतीय शिक्षा इन जीवन मूल्यों के साथ व्यवहार पक्ष पर भी बल देती है। परन्तु आज शिक्षा व्यवसायोन्मुखी हो गयी है और उसका उद्देश्य मात्र जीवकोपार्जन तक सीमित हो गया है। फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक मूल्यों से मुक्त शिक्षा ने मानव रूपी यंत्र का विकास कर दिया। जिससे स्नेह, प्रेम, दया, सहनशीलता, आदर, सम्मान, सहयोग, सहायता, सदस्यता, परोपकार जैसे मानवीय गुणों का विकास अवरूद्ध हुआ और मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का जन्म हुआ। जो आज विकराल रूप में हमारे समक्ष है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत बौद्धिक पक्ष को महत्व दिया जाता है जबकि विद्यार्थियों के मानवीय मूल्यों और नैतिक आचरण से जुड़े पक्षों को पूरी तरह नकार दिया जाता है।' यही कारण है कि आजकल शिक्षण संस्थाओं से निकले छात्रों में व्यवसायिक दक्षता तो एक सीमा तक पायी जा सकती है किन्तु उनमें मानवीय मूल्यों का सर्वथा अभाव ही रहता है। ऐसे मूल्यविहीन छात्र भविष्य में अपने विवेक को खोकर प्राय: अराजकता व अनाचार के अंग बन जाते हैं।'[7]

विषमताओं, अराजकता, असन्तुष्टि, अपराध, अनाचार, अत्याचार, पक्षपात, भेदभाव, हृदयहीनता से भरे वर्तमान को वास्तव में आवश्यक है। जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था की। जिसका उद्देश्य धर्म व संस्कृति के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रप्रेम, सदाचार, सदगुणों का विकास करना हो। ज्ञान और मूल्यों का पुन: संयोजन आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा में जीवन मूल्यों का समावेश ही सम्भवत: वर्तमान में उत्पन्न अनेक समस्याओं को कम करने का अधिकार होगा। अत: प्राचीन परम्परागत मूल्य आधारित शिक्षा को पुर्नस्थापित करने हेतु प्रयास करने होगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जे.एस. मैकेन्जी – आधुनिक शिक्षा पृष्ठ – 27
2. रमन बिहारीलाल, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, रस्तोगी पब्लिकेशन्स गंगोत्री शिवाजी रोड मेरठ 2004 पृष्ठ–524
3. विश्व प्रकाश गुप्ता, मोहिनी गुप्ता – स्वामी दयानन्द सरस्वती पृष्ठ–207
4. रमन बिहारी लाल–पूर्ववर्णित पृष्ठ–525
5. रवीन्द्र अग्निहोत्री – आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएं और समाधान राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर पृष्ठ – 20
6. डॉ. नत्थूलाल गुप्त – मूल्यपरक शिक्षा और समाज पृष्ठ –235
7. डॉ. शंकरशरण श्रीवास्तव – परम्परागत भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं प्रबन्धन भारतीय शिक्षा शोध संस्थान लखनऊ पृष्ठ – 76

****

जनजातियों में उपजातिगत पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन

पवन डावर * डॉ. किरण राठौड़ **

प्रस्तावना – भील सर्वाधिक विपन्न वर्ग में समझा जाता है। अशिक्षा का उसका ग्राफ भी सबसे निम्न स्तर पर देखा जाता है। शराब, सट्टा, जूआं तथा शराब पीकर महिलाओं से मारपीट करना, अपने वचन पर ईमानदार न होना, काम से जी चुराना, एक कुशल श्रमिक भी नहीं है वह। इन सब कारणों से भी वह बहुत अधिक पिछड़ा हुआ दिखाई देता है।

शिक्षा के प्रति अरूचि का होना, किसी कार्य के प्रति उत्साह की कमी होना, रहन सहन का स्तर, पारिवारिक संसाधनों की बेहद कमी, आर्थिक स्थिति के समीकरणों में पशुधन से विहित, श्रेष्ठतम उपजाऊ कृषि भूमि की कमी, महिलाओं के साथ सम्मानीय व्यवहार नहीं, राजनीति में देता विहिन आदि प्रमुख कारण है।

शिक्षा – अन्य जनजातियों में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, विघटनकारी प्रवृत्ति, अलगाववादी घटनाएँ एवं पिछड़ापन जैसे ज्वलन्त समस्याओं को परे करने का यह शोध एक प्रबल विकल्प हमारे सामने है, जिसके माध्यम से हम इन जनजातियों में एक नई सोच एवं दिशा दे सकते है जिसके माध्यम से ये अपना स्तर सुधारने में कामयाब हो सके।

आर्थिक स्थिति – शिक्षा से उच्च शिक्षित नहीं होने के कारण अन्य उपजाति वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनके रहन–सहन, खानपान और वेशभूषा में भी काफी बदलाव आया है। यह वर्ग शराब जैसे व्यसनों में लगा रहा है। इस कारण से मारपीट जैसी प्रवृत्तियाँ इनमें पाई जाती है। अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह वर्ग अन्य जनजातीय वर्ग में अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाया। उच्च वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग का प्रभुत्व बहुत कम है।

अत: उच्च शिक्षित नहीं होने से कई महत्वपूर्ण पदों पर इस वर्ग को नहीं देखा जा सकता है। इसी कारण इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अन्य उपजातियाँ इस कारण आर्थिक रूप से पिछड़ी और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी होने के कारण अन्य उपजातियाँ निरक्षर और निर्धन रही। अन्य उपजातियों में अधिकांश लोग भूमिहीन या सीमांत कृषक है। अन्य उपजातियां निर्धनता, ऋण ग्रस्तता और शराबखोरी जैसी प्रवृत्तियों के कारण विकास की दौड़ मेंकाफी पिछड़ गये।

सामाजिक स्थिति – अन्य जनजातीय वर्ग से इनकी सामाजिक स्थिति काफी कमजोर और ठीक नहीं है। सामाजिक कार्यों में ये वर्ग हिस्सा नहीं लेते है। सामूहिक आयोजनों तीज–त्योहारों के अवसरों पर आपस में मिलजुल कर रहने की भावना इनमें नहीं पनप पाई। आपसी सम्बन्धों में प्रगाढ़ता नहीं होने के कारण ये सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए विफल रहे है। आपस में हिलमिलकर नहीं रहते है। एक दूसरे के सुख–दुख: में मिलकर मदद जैसी विचार व भावनाएँ नहीं होती है। इनमें वर्चस्व वादिता नहीं होने के कारण सबसे अलग है, जबकि अन्य समुदाय प्राचीन परम्पराओं के प्रति काफी प्रतिबद्ध रहे।

अन्य उपजातियों के पिछड़ेपन के कारण –

- अन्य उपजातियों के वर्ग ने आर्थिक और शैक्षणिक विकास की और ध्यान नहीं दिया, जबकि अन्य उपजातियों ने आर्थिक और शैक्षणिक विकास को उपेक्षित किया।
- अन्य उपजातियों के पिछड़ेपन के कारण आर्थिक रूप से सम्पन्न और शैक्षणिक दृष्टि से प्रगतिशील नहीं हो पाये अन्य उपजातियाँ निरक्षर और निर्धन रही।
- अन्य उपजातियों ने अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं उठाया, जबकि भिलाले शिक्षित और सम्पन्न होने से योजनाओं का लाभ उठाने में अग्रणीय रहे।
- भिलालों ने अपनी परम्परा की कट्टरता में काफी कमी की और समय को पहचान कर सामाजिक रीति–रिवाजों में भी शिथिलता बरती, जबकि अन्य समुदाय प्राचीन परम्पराओं प्रति काफी प्रतिबद्ध रहे।
- अन्य उपजातियों में अधिकांश लोग भूमिहीन या सीमांत कृषक है , जबकि भिलालों में अधिक संख्या में लोग भूस्वामी है। उन्होंने कृषि विकास में भी संतोषजनक प्रगति की।
- अन्य उपजातियां निर्धनता,ऋण ग्रस्तता और शराबखोरी जैसी प्रवृत्तियों के कारण विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गये।

शराब, सट्टा, जूआं तथा शराब पीकर महिलाओं से मारपीट करना, अपने वचन पर ईमानदार न होना, काम से जी चुराना, एक कुशल श्रमिक भी नहीं है वह। इन सब कारणों से भी वह बहुत अधिक पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। उसकी अपनी निर्धनता के कारणों मेंनशाखोरी तथा और भी अनेक ऐसी बातहै।

पारिवारिक संसाधनों की कमी – अधिकांश लोग केवल कृषि मजदूरी पर ही अपना जीवन यापन करते है, जिनमें से भी करीब 18 प्रतिशत लोग एक या दो एकड़ से अधिक भूमि धारक नहीं है। इस प्रकार भूमि स्वामी नहीं है। फलत: ऐसे लोगों के लिए मजदूरी के अतिरिक्त कोई आजीविका के स्रोत नहीं है। अधिकांश कृषि मजदूर नर्मदा तटीय पट्टी में, जहाँ पर्याप्त कृषि उपज होती है वहां कृषि मजदूरी करते है। वर्ष में 6 से 9 माह तक कृषि काम करते है। बीच–बीच में वे वर्षाकालीन फसल के बाद और मार्च–अप्रैल में अपनी मजदूरी नियम होते है। इन दिनों मेंकपास बीनना, गन्ने की कटाई और सोयाबीन की फसल होने के समय कृषि कार्य में लगे रहते है। बाद में गेहूं चने

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय माधव कला, वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन(म.प्र.) भारत

आदि की बुआई के समय पुन: कृषि कार्य में लग जाते है। इसी समय फिर गेहूं कटाई के समय पुन: अपने कार्य में संलग्न होते हौ इस प्रकार की जीविका के कारण प्राय: एक परिवार अपने पेट भरने के लायक अपनी आजीविका कमा लेता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आजीविका के संसाधन सीमित है और उस पर भी उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ते है और कई जगह उन्हें विपरीत स्थितियों मेंकार्य करना पड़ता है।

रहन-सहन का निम्न स्तर – अधिकांश महिला और बच्चों में कुपोषण की स्थितियाँ रहती है। वयस्क महिलाओं पर काम का अधिक बोझ है। महिलाएँ घर के दैनिक कार्य पूरे करने की बावजूद प्रतिदिन ईंधन जुटाना, घर के वृद्ध पुरुष और महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना जैसे कठोर कार्य महिलाओं को ही सम्पन्न करना पड़ते है। इससे महिलाओं के पोषण आहार को ठीक से नहीं रख पाते। इसके अलावा आये दिन बीमारियों, जिसमें बुखार, मलेरिया, टाइफाईड जैसी बीमारियों की देखभाल की व्यवस्थित नहीं हो पाती। सही ढंग से बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। बहुत सी महिलाओं को रक्तल्पता जैसे अन्य स्वास्थ्य की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों से स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है।

अकुशल श्रम – ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर पेशा प्राय: सभी अकुशल मजदूर होते है। अत: उनके पर्याप्त मजदूरी भी देय नहीं होती है। अथवा अकुशल मजदूर अन्य कुशल मजदूरों में अधिक आय अर्जित नहीं पाता, किन्तु जिले में अधिकांश अकुशल मजदूर ही होते है प्राय: पुरुषों और महिलाओं को भिन्न-भिन्न मजदूरी दी जाती है।

बेरोजगारी – बहुत से मजदूरों को कई दिनों में बेरोजगार भी रहना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे होते है, जहाँ उन्हें समय पर रोजगार नहीं मिलता है। इस स्थिति परिवार का भरण-पोषण करना कठिन होता है। बेरोजगार की अवस्था में निकलने के उचित उपाय भी नहीं हो पाते।

जीवन के प्रति पारम्परिक दृष्टिकोण – एक जैसे ढर्रे के जीवन में कोई विशेष बदलाव की कोई संभावना नहीं रही। इन लोगों के पास किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, इसलिए जीवन के प्रति बदलाव का विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ।

शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया – भील जनजाति में बच्चों के प्रति शिक्षा के मामले में उदासीन रवैया पाया जाता है। वस्तुत: एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल मजदूरी पर जीवित है, जिससे उनके बाल बच्चे साथ में रहते है, जिसके कारण उनकी शिक्षा व्यवस्था अपूर्ण रह जाती है और इस प्रकार के लोग शिक्षा के प्रति पूर्णतया उदासीन पाये जाते है।

बच्चों और महिलाओं के प्रति उपेक्षा भाव – बच्चों को और महिलाओं को उचित देखभाल अथवा सारसंभाल नहीं हो पाती। घर पर वृद्ध माता पिता को उचित दवाइयाँ नहीं मिलती और न ही उनको उनके बीमारी में देखभाल की जाती है। सामान्य जरूरतों को भी अक्सर परिवार पूरी नहीं कर पाते।

विकास योजनाओं में सहभागिता का अभाव – अधिकांश सीमांत किसानों ने अक्सर प्राकृतिक प्रकोप में, उदाहरण के लिए, मुआवजें की मांग की है, किन्तु राजस्व अधिकारियों ने कभी भी मुआवजे की ओर ध्यान नहीं दिया। अधिकांश लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप मुआवजे की उचित कार्रवाई की, किन्तु अक्सर वांछित मुआवजों के विपरित उनको आंशिक लाभ ही मिल पाया, किन्तु अक्सर 20 प्रतिशत से अधिक का मुआवजे की भरपाई नहीं हो पाई है।

बहुत से किसानों को फसल बीमे का लाभ ही नहीं मिलता। केवल सम्पन्न किसानों ही फसल बीमे का लाभ मिल पाते है, किन्तु उसका भी आंशिक रूप ही उपलब्ध हो पाता।

अंधविश्वास – जनजातीय लोगों में यद्यपि अंशविश्वासों में कमी हुई है, किन्तु आज भी कुछ :क्षेत्रों में अंधविश्वास प्रबल है। अक्सर निरक्षर लोग ही अंधविश्वास गिरफ्त में है। आज भी कहीं-कहीं :क्षेत्रों में अंधविश्वास के नाम पर किसी महिला को डाकन या चुड़ैल के रूप में स्थानीय बड़वे डाकन घोषित कर देते है और कहीं-कहीं ऐसी स्त्रियों को गाँव से विस्थापित कर देते है या कभी-कभी जघन्य हत्या भी कर देते है।

शराब का प्रचलन – शराब के सेवन की आदते पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देती है। बच्चें को इस कारण अभावग्रस्त जिंदगी जीना पड़ती है। घरेलू महिलाएँ शराब खोरी के कारण घरेलू हिंसा की शिकार होती है। जब भी परिवार का कमाऊ सदस्य शराब का आदी हो जाता है, तब भी वह परिवार भारी संकट ग्रस्त हो जाता है। अनेक बीमारियों से परिवार पीड़ित रहता है। एक ओर कमाऊ सदस्य का शराब में डूबे रहने से अभाव के साथ साथ कर्ज में डूब जाता है। इस प्रकार शराब के कारण अनेक हानियाँ उठानी पड़ती है। शराब के कारण इन लोगों की आर्थिक स्थिति सदा दयनीय रहती है। आय का एक बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद हो जाता है, जिसके बावजूद शराब किसी भी प्रकार से अपनी हालत को ठीक नहीं पाता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेल डी.एस.- सामाजिक अनुसंस्थान, पुष्पराज प्रकाशन, 1995
2. दोषी एस.एल- भिल्स बिटवीन सोश्यल सेल्फ अवेयरनेस, एण्ड कल्चर सिथेसिस, 1971
3. गुप्ता वी.एस- द ट्रायबल ऑफ इंडिया, 1951
4. कश्यप सुभाष- भारतीय शासन और राजनीति, नेशलन बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2005
5. शर्मा कमल- म.प्र. की जनजातियाँ व समाज व्यवस्था, म.प्र. हिन्दी अकादमी भोपाल, 1999

पत्र-पत्रिकाएँ -

1. प.नि. गजेटियर, 1973
2. जिला सांख्यिकी जिला बड़वानी, 2009

****

प्राकृतिक संसाधनों पर भौतिकता का प्रभाव

प्रो. जी. एस. वास्कले *

प्रस्तावना – 'प्रकृति ने मनुष्य को स्वतन्त्र पैदा किया है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है।'–रुसो

प्रकृति प्रदत्त संसाधन व मानव जीवन पूर्णत: प्राकृतिक है तथा मनुष्य जैसे–जैसे प्रगति की राह पर धीरे–धीरे अपने आपको आगे बढ़ाता है, वह विभिन्न प्रकार के स्तरों पर विभिन्न प्रकार से कई प्रकार के बंधनों में बंधता हुआ अपने विकास पथ पर अग्रसर होते हुवे प्राकृतिक वातावरण सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, धार्मिक वातावरण व अन्य प्रकार के वातावरण में पलते हुए भौतिकता से अत्यधिक प्रभावित होता रहता है।

प्लेटों ने भी कहा है कि मनुष्य परिस्थितियों की कृति है। अर्थात् समझा जा सकता है कि मनुष्य को जैसी परिस्थितियाँ या वातावरण मिलेगा वैसा ही मनुष्य भी प्रभावित होगा और अपना निर्माण करेगा। वर्तमान समय की परिस्थितियों एवं वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर स्पष्टत: दिखाई देता है। वर्तमान समय का प्राकृतिक मनुष्य, भौतिक मनुष्य हो गया है।

प्रकृति ने मनुष्य को अथाह जल दिया है, कुछ समय पहले तक मनुष्य जल को जल समझकर प्रयोग करता था, परंतु वर्तमान समय में भौतिकता का असर देखिए कि जल को मिनरल वाटर नाम दे दिया है और इसका इतना असर और दिखावा हो गया है कि इस मानव जीवन पर ही शहरी मनुष्य ने बगैर मिनरल वाटर के पानी पीना छोड़ दिया है। अर्थात् प्राकृतिक जल को नकार दिया है और भौतिकता का असर तो देखिए मनुष्य ने गिलास का पानी पीना छोड़कर बॉटल का पानी पीना स्वीकार कर लिया है।

किसी गीतकार ने क्या खूब गीत लिखा है कि–पानी रे पानी तेरा रंग कैसा...जिसमें मिलाओं लगे उस रंग जैसा।

माँ गंगा, नर्मदा के जल को छीड़ककर घर, खेती, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ईश्वर पूजा आदि को पवित्र करने का प्रभाव मनुष्य करता है। गंगा पूजन कर घर–गृहस्थी को पाक–पवित्र करने का धार्मिक अनुष्ठान करता है। इनके ही जल से स्नान कर अपने आपको पवित्र और पापों से मुक्त कर लेता है। सिंहस्थ में लाखों लोगों की भीड़ अपने आपको पवित्र करने के लिए स्नान ध्यान करती हैं। परन्तु मनुष्य ग्रहण करता है मिनरल वाटर फिर वह चाहे विभिन्न रंगों में रंगा वाटर पेप्सी हो या कोका कोला हो या देशी दुबारा या विदेशी व्हिस्की या अंग्रेजी माल की खूबसूरत बॉटल में रखी विदेशी रंगीन शराब हो उससे मनुष्य अपने आंतरिक शरीर की प्यास बुझाने का प्रयास करता है।

प्रकृति प्रदत्त जल का छिड़काव व स्नान तथा पापों की शुद्धि तथा जिस जल से जीवन संचालित होता है उसमें मिनरल वाटर (चाहे वह गंदी नाली का साफ किया हुआ पानी ही क्यों न हो) थम्सअप, पेप्सी, कोका कोला या देशी विदेशी रंगीन पानी का रंग देकर मनुष्य रंगीला हो जाता है और उसी को पीकर फिर असुरी कार्य करता है। कहते भी है कि जैसा अन्न, वैसा मन और जैसा जल वैसा छल। वर्तमान समय में मनुष्य अधिक समझदार हो गया है और पानी का असर भी अब असरदार हो गया है। पानी के भौतिक प्रभाव में मनुष्य प्रभावित हो गया है।

गाँव की पनघट के झीर के नीर, गाँव की गाय का कच्चा और मीठा दूध और भैंस का जाड़ा और मीठा दूध छोड़कर पाऊच का पानी और पैंकेट में रखा साँची व अन्य प्रकार का जाड़ा दूध प्रयोग करके मनुष्य जाड़ा हो गया है। एक समय ऐसा भी रहा है कि पानी की बॉटल और दूध की बॉटल का भाव बराबर रहा है। थोड़े समय पहले की बात है कि मैंने दुकान वाले से पूछा कि पानी की बॉटल कितने की है तो उसने जवाब दिया कि बॉटल लो या पानी की दोनों के भाव बराबर ही है। सन् 2010–11 के आसपास की बात है कि दूध की एक लीटर 12 से 20 रुपये पानी की बॉटल भी 12 से 20 रुपये। दूध हमारा देशी गाँव की गाय या भैंस का और पानी मिनरल वाटर की देशी–विदेशी बॉटल का। एक कम्पनी देशी–विदेशी हमारे देश में दूध के भाव में पानी बेचकर धन कमाती हैं और उसका प्रयोग करके मनुष्य अपने–आपको गौरान्वित महसूस करता है। चिंतनीय है।

हम स्वीकारते है कि भारत गाँवों का देश है इसकी 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में बसती हैं। हम देखते है कि आज भी गाँव प्रकृति की गोद में बसे हुए है और रोशनी के नाम पर आज की गाँव सूर्य की रोशनी और चाँद की चाँदनी में रोशन है। भौतिकता के इस युग में शहर कृत्रिम रोशनी से रोशन हो रहे हैं और यहां बसने वाले मनुष्यों के अधिक ठंड व अधिक गर्मी लगती हैं, क्योंकि शहरी मनुष्य भौतिकता से अधिक प्रभावित है। उसने मिनरल वाटर ग्रहण किया है जो गर्मी में अंदर से गर्मी छोड़ता है और ठंड में अंदर से ठंड छोड़ता है, क्योंकि जल तो जल है अपने प्राकृतिक रुप में उसमें जैसा कलर मिलेगा वैसा दिखाई देगा जैसा तापमान मिलेगा वैसा उसका रुप होगा। वर्तमान समय में मनुष्य ठंड में पानी गरम करके पीता है और गर्मी में ठंडा करके पीता है परन्तु वास्तविक जल का स्वरुप प्राकृतिक है इसलिए प्रकृति की गोद में बसने वाले गाँव के मनुष्य प्राकृतिक जल ग्रहण करके मेहनत कर मेहनत के झंडे गाड़ता है और कहा भी जाता है कि इस दुनिया को सुंदर मेहनत करने वालों ने बनाया है न कि रुपये पैसे वालों ने।

मनुष्य पर भौतिकता का इस कदर असर हुआ है कि वह भौतिकता से अछूत रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जबकि जीवन जीने के लिए रात के अंधेरों को मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिये की रोशनी की कॉफी है फिर क्यों मनुष्य उजालों के सायों में रोशनी को तरसता है। भौतिकता के इस युग में मनुष्य ने अपने आपको आंतरिक व बाह्य रुप से भौतिक बना लिया है। प्राकृतिक, प्रकृति व शुद्ध हवा, सूर्य की रोशनी व चंद्रमा की चांदनी से दूर भागता रहता हुआ मनुष्य प्राकृतिक जल को छोड़कर विभिन्न रंग का जल

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा जिला–बड़वानी (म.प्र.) भारत

ग्रहण करने वाला मनुष्य कैसे प्राकृतिक मनुष्य होगा। वह तो भौतिकता की अंधी दौड़ में अंधा हो गया है और गाँव की गौरी भी गाँव की साड़ी में उसे बुढ़िया नजर आने लगी है। ऊँगली से बटन दबाकर सरकारें बनाने वाला मनुष्य ऊँगली से दुनिया देखने वाला मनुष्य भौतिक मनुष्य हो सकता है। हाथ से हाथ कंधे से कंधे तथा कदम से कदम मिलाकर हल चलाकर अन्न पैदा करने वाला मेहनत से दुनिया को सुन्दर बनाने वाला तथा अपने दिमाग से दुनिया को हिलाने वाला मनुष्य ही प्राकृतिक मनुष्य हो सकता है।

रुसो –प्रकृति से प्रेम करो और प्रकृति की ओर लौट चलो।

प्रश्न– क्या अगर मिनरल वाटर पूरी तरह शुद्ध है तो फिर उसे पूजा में, स्नान में, धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग इस भौतिक युग में किया जाना चाहिए। यहाँ पर आस्था, विश्वास, श्रद्धा से परे जाकर चिंतन करना चाहिए?

जय हिन्द, जय भारत।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. पुखराज जैन : प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक।
2. डॉ. बी. एल. फड़िया : समकालीन राजनीतिक मुद्दे।
3. हरीश कुमार खत्री : राजनीति विज्ञान।
4. प्राकृतिक भूगोल।
5. मौलिक चिंतन।

****

जनजातियों की राजनैतिक एवं शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण (धार जिले के विशेष संदर्भ में)

भूरे सिंह सोलंकी *

प्रस्तावना – सन् 1956 में मध्यप्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया। इस प्रकार राज्यपुनर्रचना के आधार पर मध्यप्रदेश का निर्माण किया गया।

धार जिले की जनसंख्यात्मक स्थिति – धार जिले में 13 विकासखण्ड है, जिसमें 12 विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड है। धार जिले में कुल 1474 आबाद ग्राम है तथा जिले में 762 ग्राम पंचायत है। 13 जनपद तथा 1 जिला पंचायत है। जिले मेंअजजा की जनसंख्या कुल जनसंख्या से 54.5 प्रतिशत है। इस प्रकार धार जिला आदिवासी बहुल जिला है। संपूर्ण जिले का औसत साक्षरता प्रतिशत 52.45 है।

धार जिले की वर्ष 2011 की जनगणना 2,184,672 है, जिसमें 1,114,267 पुरुष व महिला 1,070,405 है। शहरी जनसंख्या 1.177,557 है, जिसमें पुरुष 896,057 व महिला 875,500 है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 413,115, जिसमें पुरुष 218,219 व महिला 194,905 है।

धार जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनजाति बहुल है, जहाँ जनजाति की अनेक उपजातियाँ बरसों से परम्परागत जीवन शैली में जी रही है। धार जिले का जनजातीय क्षेत्र अभी भी बहुत से मामलों में पिछड़ा हुआ है। आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जिले के 12 विकासखण्ड अभी भी पिछड़े हुए है। बहुत से गाँव अभी मुख्य सड़कों से नहीं जुड़े है।

वर्तमान राजनैतिक वातावरण ने इसको और अधिक बढ़ावा दिया है। राजनीति ने तमाम मानवीय मूल्यों को ध्वस्त करना शुरू किया है। इस प्रकार की दिशाहीन राजनीति ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को चरमरा दिया है। प्राचीन मूल्य नष्ट होते जा रहे है और नये मूल्यों का निर्माण नहीं हो रहा है।

बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे तमाम संसाधनों को निगलती जा रही है। भावी पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय और समस्याग्रस्त दिखाई दे रहा है।

जिले की जनजातीय स्थिति – जनजातियों के पास पर्याप्त कृषि भूमि नहीं है। सिंचाई सुविधाएँ भी कम है। सामान्य सम्पर्को के विभक्त रहने के कारण इन लोगों में शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। इस प्रकार शिक्षा से जोड़ने के अभियान निरंतर जारी रहने के बावजूद हजारों बच्चे शाला से बाहर रह जाते है अथवा बीच में ही शिक्षा छोड़ देते है।

जनजातियों के 60 प्रतिशत से अधिक लोग भूमिहीन है, कृषि मजदूरी ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। स्थानीय तौर पर पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें प्रतिवर्ष पलायन करना पड़ता है। साथ में बच्चों को भी ले जाते है, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ऐसे में मजदूरी पेशा लोगों के बच्चे शाला में प्रवेश ही नहीं लेते और प्रवेश लेते भी है, तो बीच में शाला छोड़ देते है।

जनजातियों की उपजातियों में केवल भिलाला और बारेला ही उपजनजातियाँ ही शिक्षा के प्रति जागरूक है। इन दो उपजातियों में भी कुछ प्रतिशत निर्धन और भूमिहीन है, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। शेष उपजातियाँ अपनी आजीविका की समस्या के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजतीं। बालिका शिक्षा के प्रति इन जनजातियों में घोर उपेक्षा भाव है। लड़कियों को घरेलू कामधंधों में लगा दिया जाता है। अल्पवय में विवाह कर दिया जाता है। इस कारण स्त्री शिक्षा के मामले में जनजातियाँ काफी पिछड़ गई है।

समस्याओं में बेरोजगारी, अशिक्षा, पारम्परिक सोच के प्रति अंधविश्वास, जीने के प्रति अनास्था की भावना, आर्थिक प्रयत्नों के प्रति अरूचि, परिवेश के प्रति असहजता, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आदि ऐसे अनेक कारण है, जिससे वह बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई देता है।

मुख्य रूप से पारिवारिक बंटवारों में कृषि का टूकड़ों में बंट जाना, शराब अथवा सट्टे जुएं की प्रवृत्तियों से जुड़ जाना, आधुनिकता के प्रति अधिक रूझान, अपनी अस्तित्ववादिता के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति, अपने क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई के लिए प्रतिबद्धिता आदि ऐसे अनेक कारण है, जिससे वह हमेशा ही तनावग्रस्त दिखाई देता है।

आज भी असंख्य बच्चे ऐसे रह गये है, जो स्कूल ही नहीं गये। शिक्षा के प्रति इस अरूचि के कारण शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं पा रहे है।

मजदूर पेशा परिवार और महिलाओं को आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों की और महिलाओं की उचित देखभाल अथवा राजसंभाल नहीं हो पाती। घर पर वृद्ध माता-पिता को उचित दवाइयाँ नहीं मिलती और न ही उनको उनके बीमारी में देखभाल की जाती है। सामान्य जरूरतों को भी अक्सर परिवार पूरी नहीं कर पाते।

यही स्थिति बच्चों और महिलाओं की भी है। महिलाओं को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिसकी भरपाई पोषण आहार से नहीं हो पाई।

अनेक बीमारियों से परिवार पीड़ित रहता है। एक ओर कमाउ सदस्य का शराब में डूबे रहने से अभाव के साथ साथ कर्ज मेंडूब जाता है। इस प्रकार शराब के कारण अनेक हानियाँ उठानी पड़ती है। शराब के कारण इन लोगों की आर्थिक स्थिति सदा दयनीय रहती है।

शिक्षित वर्ग की राजनीतिक समस्याएँ – जिले में अधिकांश जनजातियाँ निवास करती है। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा नहीं है। अब भी ऐसे बहुत से गाँव है जहाँ कच्ची सड़के अथवा पगडंडियाँ है, जिनमें 5 से 10 किलोमीटर और कहीं इससे भी अधिक रास्ता पैदल ही पार करना पड़ता है।

* शोधार्थी (राजनीति शास्त्र) शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

जिले के कुछ विकासखण्डों में कुछ अत्यधिक दूरवर्ती स्थान है, जिनमें मूलत: बाग, टाण्डा, गंधवानी, उमरबन, धरमपुरी आदि स्थानों के आसपास आवागमन के साधन नहीं के बराबर है, जहाँ केवल बैलगाड़ियों से ही आवागमन संभव होता है। ऐसे स्थानों पर शिक्षित छात्र-छात्राओं को निर्धारित स्थान तक जाने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय पंचायतों में अशिक्षित जनप्रतिनिधि – प्राय: अधिकांश ग्रामीण पंचायतों के निर्वाचित सरपंच और पंच निरक्षर है। इस कारण वे पंचायत के दायित्वों को समझते ही नहीं, इसलिए उनकी दृष्टि में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। कुछ समझदार प्रतिनिधि इस और वरिष्ठ अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत भी कराते है, तो वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। लगातार मानिटरिंग करना उनकी क्षमता से बाहर की बात हो गई। इस कारण मानिटरिंग नहीं होती है।

ग्रामीण समुदाय का अशिक्षित होना – ग्रामीण लोग अनपढ़ है। वे अपने खेतीबाड़ी और मजदूरी से व्यस्त रहते है। अत: स्थानीय ग्रामीण लोग भी शिक्षा के प्रति उदासीन है। प्राय: सभी ग्रामों में परम्परागत व्यक्तियों का प्रभुत्व रहा है। इस कारण भी पूर्व के जनप्रतिनिधि नहीं बदले जा रहे है। इसके अलावा केवल शिक्षित लोगों को ही जनप्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करने का समुचित अवसर भी प्राप्त नहीं होता है।

केवल प्राथमिक शिक्षा तक प्राप्त जनप्रतिनिधि यद्यपि साक्षर तो है, किन्तु उनके साथ शैक्षणिक कमी की बात जरूर सामने आई है, इसलिए स्थानीय निर्वाचनों में पर्याप्त शिक्षित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की निरक्षरता का यह प्रधान कारण है। इसके अलावा ग्रामीण लोग लड़के और लड़कियों से अन्य घरेलू काम करवाते हैं। लड़कों से पशु चराने के काम में लगा दिया जाता है। लड़कियाँ घरेलू ईंधन जुटाने में, कृषि मजदूरी करने, घर में छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने जैसे कामों में व्यस्त हो जाती है इस कारण स्कूल नहीं जाती।

लड़कियों की शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की दूरी उदासीनता है। लड़कियों को शिक्षित करने का उनकी दृष्टि मेंकोई स्थान नहीं है और न ही बालिका शिक्षा की उपयोगिता को समझते है। इन सब स्थितियों के पीछे ग्रामीण समुदाय की निर्धता ही प्रमुख कारण है।

रोजगार के अवसरों का कारगर उपाय – प्रतिवर्ष जिस तेजी से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, इनकी मात्रा में रोजगार के अवसर का सृजन नहीं कर रहे है, जिससे बेरोजगारी का ग्राफ ऊँचा होता जा रहा है। इसके लिए रोजगार के अवसर केवल नौकरियों तक ही नहीं होना चाहिए। सब प्रकार के रोजगार के उचित अवसर ढूंढना चाहिए। बहुत से बहुमुखी रोजगार के अवसर है, उनका उपयोग करना चाहिए।

रोजगार के अवसरों का कारगर उपाय – प्रतिवर्ष जिस तेजी से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, इनकी मात्रा में रोजगार के अवसर का सृजन नहीं कर रहे है, जिससे बेरोजगारी का ग्राफ ऊँचा होता जा रहा है। इसके लिए रोजगार के अवसर केवल नौकरियों तक ही नहीं होना चाहिए। सब प्रकार के रोजगार के उचित अवसर ढूंढना चाहिए। बहुत से बहुमुखी रोजगार के अवसर है उनका उपयोग करना चाहिए।

वस्तुत: जनजातियों की कुछ उपजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का नितान्त अभाव पाया जाता है। अशिक्षा और निर्धनता के कारण जीवन की प्रति इनका दृष्टिकोण अत्यंत सीमित है। मात्र पेट भरने लायक कमाई हो जाय और एक ढर्रे की परम्परागत जीवन शैली में जिंदगी व्यतीत हो जाय इतना ही मात्र इनकी दृष्टि में प्रमुख है। रोजगार के लिए कठोर श्रम करने में सारे परिवार की शक्ति जहाँ खप जाती है, वहा अन्य बातों के लिए सोचने की न दृष्टि है और न समय है।

शराबवृत्ति जनजीवन का एक घोर अभिशाप है। कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मद्यपान की भेंट चढ़ जाता है, इसलिए भी कमजोर आर्थिक स्थिति और भी कमजोर बन जाती है। पूरा परिवार जिंदगी पूरी अभावग्रस्तता में बिता देता है, इसलिए परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं होती।

मजदूरी में व्यस्तता के कारण, तथा शिक्षा के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण जनजातीय लोग बच्चों को नियमित स्कूल नहीं भेजते। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से भी सम्पर्क कर वस्तुस्थिति जानने का प्रयास किया।

भाषा की कठिनाइयाँ – शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम लागू है, जबकि दोनों क्षेत्रों में सूचनाओं में भारी अंतर है। शहरी बालकों को अनेक माध्यमों से सूचनाएँ प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएँ नहीं है, इससे दोनों क्षेत्रों के बालकों की बुद्धिलब्धि में पर्याप्त अंतर है।

अध्यापन का माध्यम हिन्दी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए एक जैसा है। ग्रामीण बालक/बालिका आदिवासी बोलियों को बखूबी समझते है, लेकिन उनकी बोली में कोई पाठ्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम में भाषिक स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर भिन्नता रखी जाये तो ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को आगे उच्च शिक्षा में कई परेशानियाँ आ सकती है, इसलिए दोनों के लिए एक-सा पाठ्यक्रम और माध्यम एक-सा रखने की विवशता है।

अक्सर राजनैतिक दलों में परस्पर वैमनस्य के भाव बने रहते है, जिनसे स्थायी शत्रुता का भाव पनपने लगता है। इससे गाँव की अथवा क्षेत्र की अखण्डता को हानि पहुँचती है। गाँव की एकता खंडित होती है।

शिक्षित जनजातीय कृषकों की अपनी राजनैतिक समस्याएँ होती है। अक्सर मंडी समितियों में कृषकों को लागत मूल्य के अनुसार किसानों को उचित लाभ नहीं मिलता। व्यापारी लोग बहुत कम दाम पर उनके उत्पाद क्रय करने की फिराक में रहते है। पिछले कुछ दशकों में कपास के दामों में वाजिब दाम न मिलने पर किसानों को आन्दोलन करना पड़ा था। इसमें मंडी समितियों के पदाधिकारी विशेष योगदान नहीं दे पाते। अत: व्यापारी और किसानों में अक्सर विवाद की स्थितियाँ बनती है। कुछ बड़े किसानों को इन गतिविधियों से हानि आने का भय बना रहता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाटील डॉ. अशोक डी.- भीलों की संस्कृति, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1998
2. पंवार डॉ. मीनाक्षी- जनजातीय विकास में राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. शालिनी वाधवा- भारतीय राजनीतिशास्त्र का विकास, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

पत्र पत्रिकाएँ -

1. प.नि. गजेटियर, प्रथम संस्करण, 1973
2. धार जिला सांख्यिकी, 209, 2011.
3. म.प्र. विकास- विकास की नई दिशा, जनवरी 1986
4. इन्टरनेट से प्राप्त

****

भारत में नगरीकरण और राजनीतिक संस्कृति

डॉ. अनुराधा जैन *

शोध सारांश – भारत में बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या ने सामाजिक जीवन मान्यताओं व्यवहारों को तेजी से प्रभावित किया है। इस परिवर्तित सामाजिक परिवेश में राजनीतक आस्था सक्रियता व व्यवहार भी प्रभावित होते स्पष्टत: देखे जा सकते है। नगरीय जनता में जागरूकता मीडिया का प्रभाव, जाति, धर्म का प्रभाव व महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि की दृष्टि से बड़ा परिवर्तन, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की नवीन दिशायें निर्धारित कर रहा है।

प्रस्तावना – भारत गावों का देश है यह उक्ति समय के साथ अब बदलनी पड़ेगी। वर्तमान में शहरों की आबादी और शहरों की बढती संख्या से इस तथ्य की पुष्टि होती है वर्ष 2001 में जब भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ थी उस समय शहरी आबादी करीब 28 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की आबादी बढ़कर 37 करोड़ के ऑकड़ों पर पहुॅच रही है। वर्ष 2001 में शहरों की संख्या 5161 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 7936 हो गई वर्ष 2001 से 2011 के दौरान देश में शहरी जनसंख्या के अनुपात में 3.35प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निश्चित ही नगरों में ही मानव सम्यता की भौतिक उपलब्धियों का चरम दिखाई देता है। आज के नगर अपने अंदर अपेक्षाओं और अवसरों को चरम संजोये हैं तो दूसरी तरफ हवा पानी रहने की जगह और अपनेपन के अभाव से जूझ रहे हैं। यह निर्विवाद है कि शहरीकरण ही भविष्य है विश्व के आर्थिक विकास को दर्शाता है। शहरों का विकास न केवल स्वाभाविक है बल्कि अपरिहार्य भी है। वैश्विक स्तर पर जनसंख्या में हो रही लगातार बढोतरी, औद्योगीकरण और रोजगार के नये अवसरों ने शहरीकरण व शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति को बढ़ाया है ,किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया अथवा कृषि से सम्बंधित समुदाय के लोगों का धीरे–धीरे उद्योग व्यापार, वाणिज्य तथा सरकारी कार्यालयों से सम्बंद्ध होना ही नगरीकरण Urbanization नहीं है, बल्कि यह तो सम्पूर्ण मानवीय प्रकृति में परिवर्तन का पर्याय है। एंडरसन के अनुसार नगरीकरण की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों के विचारों, व्यवहारों, मनोंवृत्तियों और मूल्यों में होने वाला परिवर्तन भी सम्मिलित है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण नगरीय जीवन ढ़ंग का विस्तार व प्रसार होता है। अत: नगरीकरण केवल ज्यामितीय क्षेत्र में स्थानांतरण नहीं है। नगरों का विकास शहरीकरण तथा नगरीकरण पर्यायवाची नहीं है। नगरीकरण का तात्पर्य एक ऐसी जीवन पद्धति से है। जिसमें व्यक्तिवादी सम्बंधों में दिखावा, अस्थायीत्व परिवर्तनशीलता है, इसके कुछ अन्य तत्व हैं–

- संयुक्त परिवार का विघटन।
- मूल्यों में परिवर्तन।
- विभिन्न धर्म जाति वर्ग के समूहों में अंत क्रिया।
- रूढ़िवादी धर्म का ह्रास।
- पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास।
- औपचारिक सामाजिक सम्बंध।
- महिलाओं में शिक्षा एवं तार्किक दृष्टिकोण का प्रसाद।
- मनोरंजन केन्द्रों की बहुलता एवं व्यापारीकरण।
- तकनीकी ज्ञान की प्रचुरता।

उपरोक्त अनेकानेक तत्व जो आज नगरीय समाज की सामान्य संस्कृति का हिस्सा बन गये हैं, एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाज के लोगों का, राजनीतिक गतिविधियों के प्रति ऐसा निजी रूख है, जिससे व्यक्ति राजनीति के बारे में अपना स्वयं का विचार बनाता है। ल्यूसियन पाई के अनुसार 'राजनीतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ और सुचारूता प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को निरूपित करने वाली धारणाओं व नियमों को बनाता है।'

इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति विश्वासों भावनाओं और दृष्टिकोणों का ऐसा समूह है जो राजनीतिक गतिविधियों को आंकने में सहायता करता है। राजनीतिक व्यवस्था, प्रश्नों से संबंधित दृष्टिकोणों, विश्वासों और मूल्यों से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। ये धारणायें उनके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। शहरीकरण के परिणाम स्वरूप 'सहभागी राजनीतिक संस्कृति' का विकास हो रहा है। जिसमें व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता के हर चरण के प्रति सचेत होता है। जिससे राजनीतिक दलों, नेताओं प्रत्याशियों के प्रति उनका सुनिश्चित दृष्टिकोण बन जाता है। संचार साधनों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता उनके निर्णयों व ज्ञान को प्रभावित करती है। नगरों में नागरिकों को न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है वरन् वो उनकी व्यवहारिकता में भी रूचि रखते है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अत्यंत सकारात्मक रूख रखते हुये उसे अपने विकास का प्रभावी साधन मानते है। राजनीति और नीति को प्रभावित करने वाले शहरीकरण का एक स्वरूप यह भी है कि यह जाति और धर्म पर आधारित पुरानी राजनीतिक लामबंदी को कमजोर करता है और विकास पर आधारित स्थानीय मुद्दो को सशक्त करता है। यही कारण है कि नगरों में राजनीतिक संस्कृति नितान्त भिन्न पाई जाती है और उनका राजनीतिक व्यवहार भी तदानुरूप पाया गया। नगरवासियों का राजनीतिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण नितान्त भिन्न होता है यहॉ लोगों की मनोवृत्तियॉ, विश्वास व मनोभाव उसकी रानीतिक क्रियाओं को सम्पादित करवाती है।

- नगरवासियों के अनुभव भिन्न होते हैं ये उनके नये विश्वास और आस्थाओं को जन्म देते है जो उनके राजनीतिक व्यवहार को संचालित करती है।

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

- राजनीतिक विश्व के बारे में उनकी समझ व्यापक होती है।
- राजनीतिक जागरूकता अधिक होती है छोटी–छोटी बातों को लेकर जुलूस, हड़ताल व बन्द हो जाते हैं, वे अन्याय के विरूद्ध संघर्षरत रहते है।
- अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध रहता है।
- राजनीतिक गतिविधियों, दलीय राजनीति में बड़ी संख्या में नारी और पुरूष दोनों की राजनीति में सक्रियता देखने को मिलती है।
- नगर के नागरिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर मुक्त रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं।
- नगर में मीडिया, समाचार पत्र दूरदर्शन, कम्प्यूटर इन्टरनेट के अधिकाधिक उपयोग से अपनी राजनीतिक अवधारणाओं का निर्माण करते हैं।
- राजनीतिक व्यवहारों में जाति धर्म के स्थान पर कानून व्यवस्था व स्थायित्व को प्रमुखता प्रदान करते है।

राजनीतिक दल भी उनकी मनोवृत्तियों अभिरूचियों के अनुसार अपने दलों के चुनाव कार्यक्रम व प्रचार की रूपरेखा तय करते है।

नगरीय व ग्रामीण राजनीतिक संस्कृति का विभाजन इतना स्पष्ट हो रहा है कि उसको केन्द्र में रखकर ही राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने घोषणा पत्रों, चुनावी सभाओं रैलियों की तैयारी करते हैं।

अत: नगरीकरण के परिणाम स्वरूप निरन्तर एक भिन्न राजनीतिक संस्कृति का विकास होता दिख रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पन्त डी0सी– भारत में ग्रामीण विकास।
2. राजीव पी0वी0 – भारत नया अध्याय।
3. जयापालन एम– अर्बन सोशियोलॉजी।
4. डा0 पान्डे गणेश– नगरीय समाजशास्त्र।
5. गेना सी0बी0– तुलनात्मक राजनीति।
6. वर्षा एवं लुसियन पाई– "Introduction Political culture and Political development"
7. योजना– सितम्बर – 2014 पृ0क्र0 45

****

Aftermath of the Revolt of 1857 in the region of Saugor Narbudda

Dr. Madhumita Bhattacharya *

Introduction - The Revolt of 1857 was the first war of Independence in India which spread to all parts of the country. 18th sept 1857 was felt at Jabalpur. The Fifty second battalion of the cantonment revolte as soon as Shankar Shah and his son Raghunath Shah were roasted to die in the fire of cannons in the agency house which is at present the residence of the Commissioner in Jabalpur. Soon after the revolt spread all over the Nerbudda region of Jabalpur,Damoh and Saugor and Narsinghpur .

However it was the destiny of the revolt that like in other places of the country it was a failure in this region too. The fire of revolt was extinguished successfully by the British in no time.

The Aftermath of the Revolt was unbearable to all. Though the British won over the rebels and boasted about their harsh suppersive measures yet for the first time they had a fear in their mind that atlast the Indians have awakened to unite and fight for the freedom of their country.

The British suppressed the revolt by their so called superior strategy of savagery upon the innocent villagers by creating a reign of terror and causing destruction to the economy of the districts of Jabalpur, Saugor,Damoh and Narsinghpur of the Nerbudda region.

The districts of Saugor Damoh and Jabalpur were the centres of anti British resistance where the land lords and masses were the worst sufferers . Court martial and immediate hanging of the rebels on the streets of Jabalpur was a common sight after the revolt of 1857 which was followed by wholesale destruction of villages. The British were so blinded with rage and hatred that they resorted to burning of villages and depopulation of wide stretches of territory which struck a terror in the hearts of the people.

One of the major consequences of the outbreak of the mutiny and its failure was to create racial bitterness which poisoned the relationship between the Englishmen and Indians.The British were filled with the mutiny mentality which meant that in their thought and action there was no place for human feelings and civilized behavior.

Confiscation of property was a severe punishment to the Indians who rose against British rule in 1857. The deputy commissioner of the Saugor Nerbudda district was asked to prepare a list of persons who rose against the British authority.As a result every village was surveyed carefully and property of the suspected people was confiscated immediately. This caused geat poverty amongst the Indian masses.

Another severe punishment of the rebels was to deprive the Indians of their arms and weapons of defence. Since keeping arms and weapons was a sign of respectability for an Indian the British tried to curb the spirit of the people and destroy their power of resistance . Thus the Act of xxviii was enacted to deprive the people their right of defence.

The major forts of the Nerbudda rgion viz Rahatgarh ,Garhakota in Sagar district , Balakot Hindoria and Narsinghgarh in Damoh district, Bilheri and Bijairaghabgah in Jabalpur district Hirapur in Narsinghpur district , Ramnagar in Mandla district were all destroyed .

Another important aftermath of the revolt of 1857 in Saugor Nerbudda region was the passing of the hands of company to the Crown which caused economic exploitation of the region as more and more European population migrated to safeguard the British rule against another such revolt of the Indians.

The merger of the Saugor Nerbudda territories with the Nagpur territory to form the centrol jprovinces in 1861 was a significant aftermath of the Revolt of 1857. The reason was because Nagpur was a peaceful area compared to sagar Nerbudda region where powerful rebels could in no time cause another uprising against the British Crown . Hence the Beitish Formed the state of central provinces with greater control over the region against any other revolts.

However the indirect effect of the revolt of 1857 had a far reaching impact on the political fervor in the whole of India . It imbibed patriotism through socio religions movement in Jabalpur , Saugor, Damoh and Narsinghpur as elsewhere in India .It brought men and women cliser to the national movement of the country and thus paved way towards the idependence of india.

References :-

1. D.P Mshra history of Freedom Movement in Madhya Pradesh
2. R M Sinha 1857 in Jabalpur district
3. Jabalpurdivision F/31 1857
4. Ibid
5. Ibid

* **Professor (History) Govt. P.G. College, Narsinghpur (M.P.) INDIA**

प्राचीन भारत में युद्ध के नियम

डॉ. मानसिंह अजनार *

प्रस्तावना – प्राचीन भारत में युद्ध को य*ान की संज्ञा दी जाती थी जिसका अर्थ होता है अभियान। अर्थात् जब एक शासक दूसरे शासक पर आक्रमण करता है उसे यान कहा जाता है। लगभग समस्त प्राचीन भारतीय चिंतकों ने यह विचार अभिव्यक्त किया है कि यान का उपयोग अन्तिम अस्त्र के रूप में किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने सर्वप्रथम यान को परिभाषित किया है। आचार्य शुक्र के अनुसार 'शत्रु को पराजित कर उसका दमन करने का कार्य युद्ध या विग्रह कहलाता है।[1]

आचार्य कामंदक का मत है 'युद्ध में दोनों पक्ष एक–दूसरे को क्षति पहुँचाने के लक्ष्य की और प्रवृत्त हो जाते हैं।[2] शुक्र का मत है 'परस्पर शत्रुभाव रखते हुए निश्चल चित्त होकर दो व्यक्तियों का अस्त्रादि के द्वारा जो व्यापार होता है उसे युद्ध कहते हैं।' आचार्य कौटिल्य ने विग्रह को परिभाषित किया है। अपकारों विग्रह[3] अर्थात् शत्रु का अपकार करना ही विग्रह है। श्री श्यामशास्त्री ने इस कथन का अर्थ बताया है, आक्रामक कार्यवाही ही युद्ध है। कौटिल्य का यह भी मत है कि अभ्युदय प्राप्त शासक को ही यान नीति अपनानी चाहिए।

आधुनिक युग के विद्धानों ने युद्ध को परिभाषित किया है, लारेन्स के अनुसार 'युद्ध राज्यों अथवा राज्यों तथा जातियों के बीच सरकारी शक्ति द्वारा किया गया संघर्ष है जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सम्बंधों को समाप्त करके उसके स्थान पर शत्रुता की स्थापना करना है।[4] **हाल** ने इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है। जब दो राज्यों के बीच मतभेद उतने बढ़ जाते हैं कि दोनों पक्ष बल प्रयोग का अवलम्बन करते हैं अथवा उनमें से कोई एक पक्ष हिंसा के ऐसे कार्य करता है। जिन्हें दूसरा पक्ष शांति भंग होना समझता है तो दोनों में युद्ध का सम्बंध स्थापित हो जाता है। इसमें दोनों पक्ष एक–दूसरे के विरूद्ध नियंत्रित हिंसा का प्रयोग उस समय तक करते हैं जब तक की दोनों मे से एक पक्ष उन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो जाए जिन्हें उनका शत्रु उससे मनवाना चाहता है।[5] **प्रो. ओपन हाइम** का मत है 'युद्ध दो या अधिक राज्यों के बीच होने वाला संघर्ष है। यह उनकी सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया जाता है। तथा उद्देश्य यह होता है कि एक पक्ष दूसरे को हरा दे तथा फिर उससे बलपूर्वक शर्तें मनवा ले।[6] प्रयोजन निश्चित रूप से साम्राज्यवादी न होकर लोक कल्याणकारी था। युद्ध की विभीषिका तथा विनाश प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम विकल्प के रूप में युद्ध को मान्यता प्रदान की गई। इसके साथ ही सार्वभौम सत्ता की स्थापना युद्ध का लक्ष्य एवं उद्देश्य था।

युद्ध के नियम – प्राचीन भारत में विरोधी शासक पर सशस्त्र आक्रमण करने से पूर्व युद्ध की औपचारिक घोषणा करने के नियम का विधिवत् पालन किया जाता था। इसका मूल कारण यह था कि उस समय इस प्रकार की घोषणा धर्म युद्ध का अंग मानी जाती थी। अतएव राजदूतों द्वारा प्राय: अन्तिम चेतावनी के रूप में विरोधी राज्य के शासक के पास संदेश भेजने की परम्परा थी। प्राचीन भारत के महान चिंतकों ने युद्ध में नैतिकता को उच्चतम् स्थान प्रदान किया। युद्धरत् पक्षों द्वारा निर्धारित नियमों, आदर्शों एवं मानदण्डों के अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की जाती थी। नियमों के उल्लंघनकर्ता को दण्डित भी किया जाता था तथा उसे विधर्मी अथवा पापी कहा जाता था। देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार एक शासक के लिए धर्म युद्ध तथा कूट युद्ध दोनों के ही प्रयोग को उचित माना जाता था किन्तु किसी भी प्रकार का युद्ध करते समय शासक को युद्ध क्षेत्र में निर्धारित नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता था।

युद्ध सम्बंधी नियमों एवं विधियों के तीन क्षेत्र हैं– थल युद्ध सम्बंधी नियम, जल युद्ध सम्बंधी नियम, तथा वायु युद्ध सम्बंधी नियम। वायु युद्ध आधुनिक काल की वैज्ञानिक प्रगति एवं अविष्कार की देन है, पूर्व में मुख्यत: स्थल हुआ करते थे तथा प्राचीन भारत में इसी प्रकार के युद्धों का प्रचलन था। बड़ी नदी अथवा समुद्र तटवर्ती राज्य नौ–सेनाएं भी अवश्य रखते थे परन्तु जलयुद्ध का व्यापक प्रचलन नहीं था। देवासुर संग्राम में रणभूमि में रथी के साथ रथी, पैदल सैनिक के साथ पैदल सैनिक, घुड़सवार– घुड़सवार से, हाथी से –हाथी वाले भिड़ गये।[7] इस प्रसंग से प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत का क्षितिज राजनय के नीति नियमो से ओतप्रोत था।

प्राचीन भारत में धर्मयुद्ध करना क्षत्रिय का पुनीत कर्तव्य माना जाता था तथा इसे महान् यज्ञ माना जाता थां। तथापि समस्त प्राचीन भारतीय आचार्य इस सम्बंध में एकमत है कि युद्ध को अन्तिम उपाय के रूप में ही अपनाना चाहिए। अकारण एवं अनावश्यक हिंसा तथा रक्तपात का आचार्यो ने विरोध किया है। महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं 'युद्ध में न्याय तथा धर्म का बराबर ध्यान रखना चाहिए। क्रोध युक्त होकर हत्या करने की मनोवृत्ति से युद्ध नहीं करना चाहिए।[8] अन्यत्र कहा गया है कि शत्रु को उतना ही प्रताड़ित करें जितना कि आवश्यक हो। उसे छल से, न ढंग, न ही उस पर अधिक कुपित हों।[9]

एक शासक को सदैव अपने प्रतिद्वन्द्वी शासक के साथ युद्ध करना चाहिए, किसी अन्य सैनिक के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए।, अलग–अलग प्रकार की शत्रु सेना भी सेना के उसी पक्ष के साथ युद्ध करे जिस पक्ष का वह है। अर्थात् कवचधारी सैनिक कवचधारी सैनिक के साथ, रथी–रथी के साथ तथा घुड़सवार, घुड़सवार के साथ युद्ध करे। द्वन्द्व युद्ध के आमंत्रण पर द्वन्द्व युद्ध और सैनिक युद्ध के आक्रमण पर सैन्य युद्ध करे।[10] प्राय: दोनों पक्षों की सेनाओं के प्रत्येक सैनिक को एक दिन में एक ही सैनिक से युद्ध करना चाहिए। प्रतिद्वन्द्वी सैनिक के घायल हो जाने पर अथवा मर जाने पर अन्य सैनिक से युद्ध नहीं करना चाहिए अपितु युद्ध वहीं रोक देना चाहिए। युद्ध में घायल नि:शस्त्र एवं निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए।, युद्ध सदैव पक्ष एवं विपक्ष द्वारा सूचना देकर आरम्भ किया जाए। कभी भी किसी भी पक्ष की सेना पर धोखे से आक्रमण नहीं किया जाए साथ ही दो सैनिक यदि आपस में युद्ध कर रहे हों तब किसी तीसरे सैनिक द्वारा उनमें से किसी एक पर

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, मनावर (म.प्र.) भारत

वार नहीं किया जाना चाहिए।, राजा को धर्म से युक्त होकर युद्ध करना चाहिये जो इस प्रकार युद्ध करता है, उसकी विजय होती है युद्ध अपने बराबर वालों से करना चाहिए जैसे हाथी पर सवार योद्धा को हाथी वाले योद्धा से युद्ध करना चाहिए व संग्राम से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए।[11] बूढ़े, बच्चे, स्त्रियाँ, असहाय व्यक्तियों, अपंग व्यक्तियों पर आक्रमण न किया जाए।, युद्ध में शत्रु सेना की शक्ति के भय से यदि कोई सैनिक युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर भाग जाए तब उसका पीछा करके उस पर हमला नहीं करना चाहिए।[12] भोजन करते हुए, सोते हुए या मादक पदार्थों के सेवन में लीन एवं धूत सैनिकों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।, ऐसे घातक अस्त्र जो विष से भरे हो अथवा (वर्णीभाग) जिसके प्रयोग से सम्पूर्ण शरीर में विशेष प्रकार की भयानक पीड़ा अत्पन्न होती हो, उनका प्रयोग न किया जाए।, यदि दोनों पक्षों में युद्ध को समाप्त करने के लिए या आपस में संधि के लिए यदि बाह्य दोनों सेनाओं के बीच आकर खडे हो जाए तो युद्ध बन्द कर देना चाहिए।, जिस सैनिक का शस्त्र टूट गया हो, वाहन नष्ट हो गया हो, उस पर भी अस्त्र नहीं चलाना चाहिए। , मोक्ष मार्ग का अवलम्बन करने वाले साधु, भोजन करने वाले सैनिक, सोते या थके सैनिक भी अवध्य माने जाने चाहिए।, अति, भयभीत तथा पराजित सैनिकों पर प्रहार वर्जित था।, मनु के अनुसार जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, नपुंसक हो, हाथ जोडे खड़ा हो, जिसके बाल खुले हो, शरणागत हो, सोया हुआ हो, कवचविहीन हो, आयुध नष्ट हो गए हो या शोकाकुल हो। ऐसे शत्रु को रणक्षेत्र में नहीं मारना चाहिए।[13] युद्ध देखने वाले को गिरे हुए, शांत, तथा नींद से युक्त आदमी को नहीं मारना चाहिए।[14]

वीर क्षत्रिय राजा को भग्न शस्त्रों, व्यसन, इष्टनाश, विपत्ति से ग्रस्त, दु:खी, अत्यधिक घायल, डरे हुए, भागते हुए शत्रु का वध नहीं करना चाहिए।[15] इस प्रकार युद्ध के खतरों को कम करने के लिए तथा कम से कम विनाश के लिए प्राचीन विद्धानों ने युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले युद्ध के नियमों का निर्माण किया तथापि अनेक उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कई शासकों द्धारा युद्ध क्षेत्र में इन नियमों का उल्लंघन भी किया जाता था जैसे महाभारत में कौरव सेना द्धारा निहत्थे अभिमन्यु का वध किया गया था। ठीक इसी प्रकार अर्जुन द्धारा कर्ण का वध भी अनुचित था क्योंकि जब कर्ण रथ के धंसे हुए पहिए को निकाल रहे थे तब वे निहत्थे थे। ऐसे समय में अर्जुन द्धारा वार करके उसका वध करना सर्वथा नियम विरूद्ध था। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोये हुए, बालक, स्त्री, विवेकशून्य, शरणागत ,रथहीन, भयभीत शत्रु को नहीं मारते।[16] आचार्य कौटिल्य ने असमान लोगों के बीच भी युद्ध को उचित बताया है चूकि कौटिल्य साम, दाम, दण्ड, भेद में विश्वास करते थे। अत: निर्देश दिया है कि जो सैनिक शत्रु राजा को मार डालेगा। उसे एक लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी, जो सैनिक शत्रु के सेनापति अथवा राजकुमार को मार डालेगा उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाऐगी। अतएव कौटिल्य ने यथार्थवादी नीति का अनुसरण करते हुए असमान लोगों से युद्ध को न केवल मान्यता प्रदान की है अपितु शासक, राजकुमार तथा सेनापति को मारने वाले के लिए विशेष प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की है।

प्राचीन भारत में पराजित शत्रु बंदियों तथा आत्म-समर्पण करने वाले शत्रु सैनिक के साथ मानवीय व्यवहार के नियम थे। महाभारत में कहा गया है कि पराजित के साथ दयापूर्ण व्यवहार करने वाले नरेश के यश में अत्यधिक वृद्धि होती है।[17] युद्ध बंदियों के साथ कठोर व्यवहार न कर मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। युद्ध में बंदी बनाए गए शत्रु सैनिक तो आश्रित संतान की भॉति हैं, उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।[18] युद्ध में पकड़े गऐ बंदियों को प्राय: एक वर्ष तक विजयी व्यक्ति दास बनाकर रखते थे।[19] महाभारत में कतिपय विशेष युद्धबंदियों को अस्थायी दास बनाने के संकेत भी मिलते हैं जो शत्रु शस्त्रों का परित्याग करके शरणागत् हो जाए उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे शरणागत् को एक वर्ष के लिए दास के रूप में रखा जाए परन्तु दासत्व काल में उसके साथ शत्रुवत नहीं अपितु पुत्रवत व्यवहार किया जाए। प्राचीन भारत में दास प्रथा का प्रचलन अवश्य रहा परन्तु यह व्यवस्था कभी भी अमानुषिक नहीं रही। दासों को परिवार के सदस्यों की भॉति समझा जाता था। उनके साथ निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाता था। विजय राजा विजित देश में ऐसा व्यवहार करे कि वहाँ की प्रजा संतुष्ट हो जाये । वस्तुत: भारतीय दास अस्थायी एवं बंधक के रूप में ही होते थे तथा उन्हें समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी।[20] अग्नि पुराण के अनुसार युद्ध की समाप्ति के पश्चात् युद्धबंदी किए गए सैनिकों को दया कर उन्हें मुक्त कर देना चाहिए।[21] नीतिवाक्यामृतम् के अनुसार युद्ध समाप्ति के पश्चात् युद्धबंदियों को ससम्मान स्वतंत्र कर दिया जाता था। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय चितंन में पराजित शत्रु राजा के साथ प्राय: उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाता था किन्तु इसके अपवाद भी थे। अतएव इस सम्बंध में यद्यपि कोई निश्चित मापदण्ड नहीं थे तथापि शत्रु बन्दी सैनिकों के प्रति उदार व्यवहार किया जाता था। यद्यपि इस बात में प्राचीन ग्रीस तथा रोमन राज्य युद्धबंदियों के साथ अत्यन्त कठोर व्यवहार करते थे एवं भारत में युद्धबंदियों के साथ आश्रित पुत्र के समान व्यवहार किया जाता था।

युद्ध में घायलों के साथ व्यवहार भी नियमानुसार किया जाता था। जिस प्रकार युद्धबंदियों, शरणागतों के साथ मानवीय व्यवहार के नियम थे उसी प्रकार प्राचीन भारत में युद्ध में घायल सैनिकों, बीमारों आदि के साथ भी सहानुभूतिपूर्ण आचरण के नियम-निर्देश आचार्य ने दिए हैं। प्राचीन भारत में सेना में ऐसे चिकित्सक विद्यमान रहते थे जो युद्ध भूमि में घायल सैनिकों की आकस्मिक चिकित्सा करते थे। रामायण के युद्धकाण्ड में ऐसे चिकित्सकों का उल्लेख प्राप्त होता है। रामायण में सुशेन नामक वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण का उपचार करने के प्रयोजन से संजीवनी बूटी का प्रयोग किया था।

महाभारत के अनुसार ऐसे शत्रु सैनिक, जिनके शस्त्र यंत्र हो गए हो, जो रूग्ण एवं कातर हों, उनकी आवश्यक चिकित्सा करने के उपरान्त उन्हें उनके शिविर में पहुंचा देना चाहिए।[22] भीष्म ने कहा है आहत सैनिकों की चिकित्सा की व्यवस्था करना शासक का दायित्व है, अगर वह चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो तो उन्हें रण छोड़कर घर जाने की अनुमति होनी चाहिए। अतएव सैनिकों की तत्काल चिकित्सा करने के लिए सेना के साथ वैद्य, परिचय तथा आवश्यक उपकरण एवं औषधियाँ रखी जाती थी।[23] मनु स्मृति में अत्यन्त घातक एवं भयभीत सैनिक को मारना वर्जित किया गया है।[24] आचार्य कौटिल्य ने युद्ध में आहत एवं रोगग्रस्त सैनिक की चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था दी है कि घायल सैनिकों को उपचार की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिए। घायल शत्रु सैनिकों को उसके शिविर में पहुँचा देना चाहिए। यदि उसे अपने युद्ध शिविर में लाया जाए तो उसकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सैनिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सेना के साथ कुशल चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, चिकित्सा में प्रयुक्त किए जाने वाले शस्त्र एवं यंत्र, औषधियाँ, स्नेह अर्थात् घावों पर लगाने वाली औषधि, मिश्रित घृत, तेल आदि पट्टियों के लिए वस्त्र तथा अन्नपात सामग्री सहित परिचारिकाओं के रहने की आवश्यकता होती है जो पशु एवं मानव का उपचार करे।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि युद्ध में घायलों के साथ नितांत मानवीय व्यवहार किया जाता था तथा उन्हें अपने शिविर में पहुँचाने की व्यवस्था के साथ ही उनके उपचार की व्यवस्था करने के भी प्रावधान थे। अत: हम कह सकते है। कि प्राचीन भारत में एक श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली प्रचलन रही है। जो कि आज कि युद्ध प्रणाली से उत्तम् व श्रेष्ठ कही जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शुक्र नीति 4, सेना निरूपण 304–306
2. कामंदकीय नीतिसार, 101
3. अर्थशास्त्र 71
4. अन्तर्राष्ट्रीय कानून, बाबूलाल फड़िया द्वारा उद्धत पृष्ठ 3.2
5. हाल–इण्टरनेशनल लॉ अष्टम संस्करण पृष्ठ 8
6. ओपन हाइम–इण्टरनेशनल लाँ पृष्ठ 200
7. श्रीमद्भागवत–सुधा–सागर, अध्याय 10, पृ 450
8. महाभारत–शांति पर्व 95/1
9. उपर्युक्त 96/5
10. महाभारत–शांकतपर्व 95/10
11. अग्नि पुराण डॉ धनष्याम त्रिपाठी, श्लोक 56 57, पृ 723
12. अग्नि पुराण डॉ धनष्याम त्रिपाठी, श्लोक 56 57, पृ 723
13. महाभारत–शांतिपर्व।
14. अग्नि पुराण डॉ. धनश्याम त्रिपाठी, श्लोक 56 57, पृ 723
15. मनु स्मृति–राम चन्द्रवर्मा शास्त्री अध्याय 7, ष्लोक 91–93 पृ, 149
16. श्रीमद् भागवत सुधा सागर, गीता प्रेस, पृ. 41
19. महाभारत–शांतिपर्व 102–30
20. शांतिपर्व 102–32।
21. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, हरिश्चन्द्र शर्मा, पृ. 74
22. देवराज चन्ना–दि आइडियोलोजीकल आस्पेक्ट्स आफ स्लेवरी इन एनशिएण्ट इण्डिया, जर्नरल आफ दा औरीएण्टल इन्स्टीच्यूट संख्या 4, 159
23. अग्नि पुराण–235, 63।
24. महाभारत–शांकतपर्व 95/13

****

निमाड़ के सन्त अफजल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – मध्यकालीन निमाड़ धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध रहा है। यहां एक ओर सिंगाजी जैसे भक्ति परंपरा के सन्त हुए तो दूसरी ओर अफजल जैसे सूफी परंपरा के सन्त हुए। सन्त अफजल का चिंतन शाश्वत श्रेणी का है। प्रस्तुत शोध पत्र में उनके व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व का विवेचन किया गया है।

(अ) व्यक्तित्व – निमाड़ के विशिष्ट सूफी सन्त अफजल का जीवनवृत्त अंधकारमय है। 'उनके जन्म वर्ष, जन्म स्थान और यहां तक कि उनके वास्तविक नाम के बारे में भी अधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है।'[1] उनकी रचनाओं में निहित संकेतों, जनश्रुतियों और अनुमानों के आधार पर उनके जन्म के सम्बन्ध में कुछ तथ्य जुटाये जा सके हैं।

1. **जन्म –** कतिपय उल्लेखों के आधार पर उनके जन्म वर्ष का आकलन किया जा सकता है। उन्होंने विक्रम सम्वत् 1810 (ईसवी सन् 1753) के आसपास बड़वानी में अनामी सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इस समय वे 20-22 वर्ष के युवा रहे होंगे।

उन्होंने अमर सागर नामक एक ग्रन्थ की रचना की है। इस ग्रन्थ के 1725 वें पद में ग्रन्थ के पूर्ण होने की तिथि दी है, जो है- 'मिति चैत्र सुदी द्वितीया, गुरूवार, विक्रम सम्वत् 1848, शके 1791 (ईसवी सन् 1791)'[2] किसी व्यक्ति से सामान्यत: इतने उच्च कोटि के ग्रन्थ की रचना की अपेक्षा उसकी परिपक्वावस्था में ही की जा सकती है। अमर सागर के प्रणयन के समय अफजल साहब की वय 55-60 वर्ष की रही होगी। 'इस तरह सन्त अफजल का जन्म विक्रम सम्वत् 1790 (ईसवी सन् 1733) के लगभग हुआ माना जा सकता है।'[3]

2. **निवास –** सन्त अफजल बड़वानी के रहने वाले थे। बड़वानी का पूर्व नाम सिद्धनगर था। इस नामकरण का कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में रहने वाले तांत्रिक, साधक, संन्यासी एवं सन्त थे। बड़वानी में 200-250 वर्ष पूर्व कई मठ थे, जिनमें सन्त साधक रहा करते थे। एक मठ तो वर्तमान में भी उपलब्ध है, जहाँ पर विद्यालय का संचालन होता है। इस मठ में सन्तों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली चिमटा, धूनी जैसी सामग्री आज भी मौजूद है। इन्हीं विभिन्न मठों में से किसी में सन्त अफजल का निवास था। यह मठ अब जर्जरावस्था में है। शोधार्थी ने मठ का अवलोकन किया और कुछ पुरानी वस्तुएं देखीं।

उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं के संबंध में प्रतीकात्मक तौर पर कुछ उल्लेख किया है। वे एक स्थान पर स्वयं को पूरब का निवासी घोषित करते हैं-

अफजल, मैं पूरबीया, पुरब से आया, पुरब की लाया बानी।
बानी हमारी तो परख, जीन प्रीत सतगुरु की जानी।।[4]

अपने एक पद में वे अपे नाम और गाँव का संकेत करते हुये लिखते हैं-

अफजल, हम वासी सत लोक के, अजर हमारा नाव।
सत हमारी जात है, अमर हमारा गाव।।[5]

3. **पारिवारिक स्थिति –** अमर सागर के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सन्त अफजल का जन्म अन्य अनेक सन्तों की भाँति ही किसी ऊँचे वंष, जाति, कुल या गोत्र में नहीं हुआ था। यह संकेत उनके इस पद से मिलता है-

अफजल, जात पात कुल मीट गई, पानी में घुल गयो लोन।
खारे से मिठा भया, अब खारा कहेगा कौन।।[6]

सदगुरु के सम्पर्क में आने से उनकी लौकिक जाति वैसे ही विलीन हो गई, जैसे पानी में नमक विलीन हो जाता है। अब वे खारे से मीठे हो गये। वैसे वे जाति-पाति को महत्व नहीं देते थे-

अफजल, ना हम हिन्दू, ना हम तुरक, हम हय अनाम की जोत।
अफजल की जोत में जो मिलेगा, उनकु पाप पुन नहीं छोत।।[7]

उन्हें स्वयं को हिन्दू, हिन्दू, मुस्लिम जैसी किसी परिधि में बद्ध करना स्वीकार्य नहीं था।

अपने जातीय चिन्तन को और अधिक उच्चता पर ले जाते हुये वे लिखते हैं-

अफजल हमारी जात सबल हय, हम म कोउ सब न मिलऽ।
हम म मिल गा गुर धरमी, गुरु धरमी के दाग नहीं।।[8]

अर्थात् यह जाति इतनी सबल है कि उसके समक्ष सभी जातियाँ निर्बल या अस्तित्वहीन हैं। इसमें कालुष्य या कालिमा नहीं है, बेदाग लोग ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।

वास्तव में अफजल की सही जाति का ज्ञान भले ही न हो पर वे पाप-पुण्य से परे गुरु धर्मी सबल जाति के हैं। वे कहते हैं कि सभी जातियों की सीमा है, इन सभी जातियों से पृथक ऊपर ब्रह्म जाति की सीमा है, वहाँ सांसारिक जाति के लोग स्थिर नहीं रह सकते।

4. **प्रारम्भिक जीवन –** न तो सन्त अफजल ने अपनी रचनाओं में और न ही अन्य समकालीन या परवर्ती रचनाकारों ने सन्त अफजल के वंश, परिवार, परिवेष आदि का विवरण दिया है। सन्त अफजल ने अपना वंश ब्रह्म ज्ञानी और गांव अमर बताया है। न तो वंश लौकिक है और न ही स्थल।

अफजल, बंस हमारो, बह्म गियानी, लेसी ब्रह्म कु चीन्ह।
हमारे बंस की सच परमानु, अजब जोत हम झीन।।
अफजल, हम वासी सत लोक के, अजर हमारा नाव।
सत हमारी जात है, अमर हमारा गाँव।[9]

सन्त अफजल द्वारा प्रकट किये गये विचारों के आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि उनका प्रारम्भिक जीवन अभावों और संघर्षों में व्यतीत हुआ है। विद्यालयीन औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हुये उन्होंने जीवन के विविध पहलुओं को आत्मसात किया। सात्विक एवं आत्मसंतुष्ट पारिवारिक वातावरण में बाल्यावस्था की सांसें लेते हुये उनका संस्कारी व्यक्तित्व विकसित हुआ।

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

5. दीक्षा – इसमें सन्देह नहीं कि अफजल ने योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी। सदगुरु के बारे में अफजल ने खूब लिखा है, किन्तु उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है। गुरु की प्रशंसा और वन्दना करते वे थकते नहीं हैं। वे सदगुरु पर अपने आपको न्यौछावर करते हैं और गुरु के प्रति ब्रह्म की दृष्टि रखते हैं। उन्हीं के शब्दों में–

अफजल, कथनी हमारी सरभगह, कहे सबद अपार।
संसा मेरा जब ही भगा, सतगुरु मिले दातार।।[10]

उपर्युक्त साखी में अफजल ने यही प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि सदगुरु अर्थात् ब्रह्म सामने खड़े हैं, उनमें रंच मात्र की दूरी नहीं है, केवल बीच में माया का पर्दा है, उसे हटाने पर ही उनके दर्शन संभव है। इतना तो कहना होगा कि सदगुरु के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण के भाव के कारण उन्हें सदगुरु की प्राप्ति हुई और वे कंचन से कुन्दन बन गये। वे गोविन्द से भी अधिक विश्वास गुरु पर करते हैं। उनके गुरु तो सब देवता के देव और पीरों के पीर हैं।

अफजल सब देवन के देवता, सब पीरन के पीर।
गुरु मत नीरबान हय, श्रीरामजी न नाम सरीर।।[11]

गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा इसी से प्रकट होती है कि उन्होंने अपने हृदय के सारे संबंध सदगुरु से ही जोड़े हैं। गुरु ने उन्हें संसार से डूबने से बचाया है। उनके गुरु वास्तव में अदृश्य और सर्वव्यापी हैं। वे धरती और आकाश में भी नहीं हैं और हमेशा उनके पास हैं–

गुरु हमारे अलख हय, धरती नहीं अकास।
पाव पल अन्तर नहीं, सदा सेवक के पास।।[12]

उन्होंने अपने समर्थ गुरु को कहीं भृंगी, कहीं मलय गिरी चन्दन, कहीं पारस, कहीं अजर–अमर, कहीं गारूड़ी, कहीं ब्रह्मा–विष्णु–महेश, कहीं दीनदयाल, कहीं शीतल जल से भरे हुए निर्मल सरोवर, कहीं पूर्ण चन्द्रमा की तरह, कहीं सर्प के जहर महरे के समान, कहीं संजीवनी बूटी, कहीं कुषल वैध, कहीं कुशल यंत्री, कहीं सुनार तो कहीं धोबी, कहीं केवट, कहीं अमृत सागर, कहीं रसभरी कटोरी आदि अलंकारों एवं उपमाओं से विभूषित किया है।

6. साधना – सन्त अफजल ने हठयोग की साधना पद्धति को अपनाया था। 'नागपंथ की साधना पद्धति का नाम हठयोग है।'[13] 'हठयोग में कुण्डिलिनी का विशेष महत्व है। यह समस्त यौगिक साधनाओं का आधार है।'[14] हठयोग के अनुसार कुण्डिलिनी नामक एक शक्ति है, जो अखिल सृष्टि में व्याप्त है। व्यष्टि में व्यक्त होने के कारण इसे कुण्डिलिनी कहा जाता है। जीव की जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न तीनों स्थितियों में कुण्डिलिनी शक्ति निष्चेष्ट रहती है। 'पीठ में स्थित मेरूदण्ड जहाँ जाकर पायु और उपस्थ के मध्य भाग में लगता है वहाँ एक स्वयंभू लिंग है, जो एक त्रिकोण में अवस्थित है। इसे अग्नि चक्र कहते हैं। इसी त्रिकोण चक्र में स्थित स्वयंभू लिंग को साढ़े तीन वलयों या वृत्तों में लपेटकर सर्पिणी की भाँति कुण्डलिनी अवस्थित है।'[15] उन्होंने कुण्डिलिनी जागरण के सम्बंध में अनेक पद लिखे हैं। उन्होंने पतली सी डोरी के सहारे आत्मा का गगन मण्डल में परमतत्व से मिलने के लिये यात्रा करना औार शून्य चक्र में परमतत्व से मिलने के अनूठे अनुभव का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं–

अफजल, पतला सुलेज अकस चहेड़ी, फूल रही हय श्याम।
मोती करे झालरी, चहेड़ी धुन कमान।।[16]

अर्थात् अफजल साहब कहते हैं क जब आत्मा एक पतली सी डोरी के सहारे गगन मण्डल में परम पुरुष से मिलने चली तो संध्या सुहानी हो गई। मोलियों के झालर का बंधनवार बंध गया और आत्मा अपनी मंजिल पर पहुँच गई।

चार दलों का एक कमल है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके ऊपर नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र है। यह छह दलों के कमल के आकार का है। स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपुर चक्र और हृदय के पास अनाहद चक्र है। ये दोनों दस और बारह पंखुड़ियों के कमल के समान हैं और कण्ड के पास 16 दलों के कमल के समान विशुद्ध चक्र है। इन चक्रों का भेदन करने के बाद मस्तक में शून्य चक्र मिलता है। योगी अपनी साधना से शून्य चक्र में जीवात्मा को पहुँचाता है। इसका आकार सहस्त्रदल के समान है। इसे सहस्त्रार भी कहते हैं। शून्य चक्र को गगन मण्डल, कैलाश आदि नामों से योगियों ने संबोधित किया है।

मानव के मरूदण्ड में प्राण वायु वहन करने वाली इड़ा, पिंगला एवं अन्य नाड़ियां हैं। हठयोग प्रदीपिका में 62000 नाड़ियों का उल्लेख है। बायीं ओर की नाड़ी को इड़ा और दायीं तरफ की नाड़ी को पिंगला कहा जाता है। ये दोनों नाड़ियाँ क्रमश: चलती हैं। इनके मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुण्डिलिनी शक्ति उर्ध्वगमन करती है। सुषुम्ना के अंदर अनेक सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, यथा– ब्रह्म, व्रजा, चित्राणी आदि। कुण्डलिनी शक्ति का वास्तविक मार्ग ब्रह्म नाड़ी ही है। 'अफजल भी कबीर की भाँति कुण्डलिनी जागरण कर अनाहद नाद सुनकर और सहस्त्रार तक पहुँच कर द्वन्द्वातीत होकर इतने अधिक आश्वस्त हो गये कि विभिन्न योगानुभव उनके भाव जगत की निधि बन गये।'[17]

7. कार्यक्षेत्र – सन्त अफजल वर्तमान बड़वानी नगर में ही रहकर साधना करते थे। उनके अनुयायी प्राय: उनके मठ पर एकत्र होकर उनसे तत्व चर्चा करते थे और अपनी कठिनाइयों पर उनसे दिशा निर्देष प्राप्त करते थे।

ब. कृतित्व – सन्त अफजल ने साखियों की रचना की है। उनके द्वारा रचित साखियों की पांडुलिपि ग्राम नागझिरी, जिला खरगोन के श्री भीकाजी कुषवाह के पास संरक्षित थी। श्री कुशवाह से महेश्वर के परिश्रमी साहित्यकार स्व. श्री बाबूलाल सेन ने उक्त पांडुलिपि प्राप्त करके तथा अन्य स्रोतों से सन्त अफजल के भजनों/साखियों का संकलन करके उनका अनुवाद किया है। यह संकलन कपिल तिवारी और नवल शुक्ल के सम्पादन में मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल से 'अमर सागर' शीर्षक से दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम खण्ड में 1 से 590 तक तथा द्वितीय खण्ड में 591 से 1675 तक साखियाँ संकलित की गई हैं।

उनकी साखियों में तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब स्पष्टत: दिखाई देता है। सामाजिक विसंगतियों, हिंसा, जात–पाँत, सम्प्रदायवाद, धर्माडम्बर आदि के विरोध में अपनी रचनात्मकता को मुखरित किया। उनके काव्य में दार्षनिकता की अनुभूति होती है। उन्होंने ब्रह्म का स्वरुप, ब्रह्म साक्षात्कार, जीव, जगत, माया, मोक्ष आदि दार्षनिक विषयों पर लिखा है। उन्होंने अपने काव्य में कल्पना, यौवन, भोग विलास आदि की उपेक्षा की शिक्षा दी है। उन्होंने गुरु की महिमा पर अनेक साखियों की रचना की।

उनकी शैली व्यंग्यात्मक तथा अभिव्यक्ति सधुक्कड़ी ही है। निमाड़ की संस्कृति, भाषा और परिवेश को स्पष्ट प्रभाव सन्त अफजल की रचनाओं पर दिखाई देता है।

सन्त अफजल निर्गुण निराकार के उपासक, शून्य शिखर पर आसीन होकर व्रत रस का पान करने वाले, भक्ति और योग के समन्वय कर्ता होने के साथ ही अध्यात्म का ज्ञान देने वाले धर्म गुरु थे। उनके साहित्य के अध्ययन से लगता है कि उनकी दृष्टि व्यापक थी और वे समाज सुधारक के रूप में सर्वधर्म समन्वयकारी थे। जिस प्रकार 'कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से

काव्य की कटोरी में भी रस इकट्ठा नहीं हुआ है।'[18] इसी प्रकार अफजल के काव्य को भी समझा जा सकता है। यद्यपि सन्त अफजल को कबीर के साथ जोड़ना युगों की दूरियाँ कम करना है और कबीर के व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व से अफजल के काव्य की तुलना करना भी समीचीन प्रतीत नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि कबीर के द्धारा जिस योग और भक्ति की लता का बीज किया गया था, अफजल ने उसे और अधिक विकसित किया है।

उपसंहार – इस प्रकार सन्त अफजल के जीवन वृत्त की कुछ कड़ियां विश्रृंखलित हैं। उपलब्ध स्रोत भी बहुत सीमित हैं और संकेत मात्र करते हैं। उन्हीं संकेतों का निर्वचन करते हुए सन्त के व्यक्तित्व तथा कृत्तित्व का ताना–बाना बुना गया है। उनके लेखन से उनके परिपक्व चिंतन और महनीय विचारधारा का ज्ञान होता है। कतिपय तथ्यात्मक बातों के प्रकाश में आये बगैर भी उनके योगदान पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं रहता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

सीरवी समाज की विवाह परंपरा का ऐतिहासिक विवेचन

शताब्दी अगल्चा *

प्रस्तावना – सीरवी समाज भारत के विभिन्न राज्यों में फैला एक बड़ा समाज है। मुख्यत: हिन्दू सभ्यता और संस्कृति का अंग यह समाज कुछ बातों में विशिष्टता लिये हुए है। यह हमारे देश की खासियत भी है कि यहां अनेकता में एकता है। सीरवी समाज में विवाह की व्यवस्था न केवल रोचक, आनंददायक और उल्लास से भरी है बल्कि भावनाओं से परिपूर्ण भी है। इस शोध पत्र में विवाह से संबंधित प्रमुख पहलुओं का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र विवाह आयोजनों के सूक्ष्म अवलोकन, समाज के वरिष्ठजनों से साक्षात्कार, हाल ही में विवाह के बंधन में बंधे दम्पतियों से चर्चा के आधार पर तैयार किया गया है।

विवाह के उद्देश्य – मानव जीवन का सबसे खूबसूरत संस्कार होता है- विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के तीन मुख्य उद्देश्य है-

1. धार्मिक कार्यों को करने के लिये।
2. पुत्र प्राप्ति के लिये विवाह आवश्यक है।
3. स्वाभाविक काम तृप्ति अथवा रतिक्रिया भी विवाह का एक प्रयोजन है।

विवाह हिन्दू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। जिसमे दो शरीर का नहीं आत्माओं का मिलन होता है। विवाह संस्कार के माध्यम से लड़का और लड़की सात जन्मों के साथी बन जाते है।

सीरवी समाज की विवाह प्रक्रिया –

1. सगपण – समाज में विवाह के पहले लड़का और लड़की का सगपण की रस्म पूरी कि जाती है। सगपण दो प्रकार के होते है- एक इकेवड़ा, दूसरा दोवड़ा। पहला इकेवड़ा यानि (खुला सगपण) यानि लड़की देते है, बदले में उस घर से लड़की नहीं लेते है। दूसरा दोवड़ा का मतलब (सामा-सामी) इसमें लड़की देकर बदले में उस परिवार से लड़की लाई जाती है।

सगपण में माता-पिता की गौत्र टाली जाती है। सगाई पक्की करने के लिए शुभ दिन पर लड़के वालों की तरफ से परिवार के दो आदमी और आजतक दो औरतें भी मानी जाती है। लड़की को पाट पर बैठाकर लड़के के परिवार की महिला कुमकुम, चावल से, फूल से रस्म पूरा करते है, साथ ही 5रु और नारियल लड़के के पिता लड़की के परिवार में से किसी को देते है। उसी तरह लड़की वालों की तरफ से जवाई थापण की विधि कि जाती है। इस विधि ने शुभ मुहर्त में विधि विवाह से धोती, कुर्ता व साफे से सजा लड़के को पाट पर बैठाकर लड़की के परिवार से तिलक करके लड़की का भाई, पिता जो उस समय उपस्थित है लड़के को नारियल 10 रु देकर जवाई थापण करते है। इस तरह अपना रिष्ता बनाकर दोनों पक्ष के सम्बन्धी गुड रोटी का भोजन पाकर स्थानीय बडेर में यह सम्बन्ध दर्ज कराते है।

2. गहना मंगवाना – वधु पक्ष से जब वधु के लिये वर पक्ष से गहना मंगवाते है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुख्य गहना मांग की पहचान वोर और पांवो में कड़िया (पायल) व कपड़ों में लाल कुम्कुम रंग के वस्त्र लाते है। इसके अलावा अपनी सुविधा अनुसार और भी आभूषण पहना सकते है साथ ही मिष्ठान मोतीचूर के लड्डू आदि भी साथ लाते है। वह मोतीचूर के लड्डू भाईया में हांती के रूप में दिया जाता है। उपस्थित सभी बड़ों के समक्ष वधु उपर्युक्त गहनों को सहर्ष स्वीकार करती है। वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष वालों को मर्यादा के रूप में जवांईजी के लिये नारियल व कपड़े और वधु की सांस के लिये कपड़े दिये जाते है। इसके पश्चात भोजन के बाद मेहमानों को तिलक लगाकर सीख(विदाई) दी जाती है। सगाई के पीछे पहले से ही कोई विवाह के लिये समय नहीं तय किया जाता। आधुनिक समयानुसार व सरकारी कानून शारदा एक्ट को मर्यादा देते हुए समाज में बाल विवाह नहीं किया जात है। विवाह के वक्त लड़की, लड़के की उम्र 18-21 वर्ष तक होती है। सीरवी समाज में सगपण के मामले में विशेष बात है कि बालक, बालिका का यदि छोटी अवस्था में सगपण कर दिया गया है तो वादम के पीछे पलट फेर नहीं होता। इसलिये कहावत है कि 'परणी छुटे तौ छुटे पर मांग नहीं छुटे।'

3. विवाह का श्रेष्ठ सावा – समाज में अक्षय तृतीया (आखा तीज) वैशाखी सुदी 3 का दिवस सबसे उत्तम माना जाता रहा है। वधु के पिता के द्वारा ब्राह्मण से श्रेष्ठ सावा निकलवाकर (शुभ विवाह का निर्धारित समयदन) परिवार का मुखिया के साथ सावा लिखवाने की दिनांक व विवाह की श्री समान वडेर में उपस्थित महानुभवों और भाईयों के समक्ष घोषणा करता है कि हमारे परिवार में उक्त भाई की लड़की का विवाह श्रेष्ठ दिन पर श्रेष्ठ मुहूर्त है आप श्री समस्त पंचगणों से प्रार्थना है कि उक्त दिवस पर सावा लिखवाने के श्री गणेश से विवाह के समस्त कार्यों एवं सीख दिलवाने (विदाई समारोह) तक सम्पूर्ण व्यवस्था बनाकर शुभ कार्य को सफल बनाते है।

4. सावा लिखवाना – उपयुक्त समय पर ब्राह्मण द्वारा सावा (कुम्कुम पत्रिका) लिखवाने भाई, बन्धु व ननिहाल पक्ष और वरपक्ष को आमन्त्रित किया जाता है। निर्धारित समय पर श्रेष्ठ मुहूर्त में और लड़की गहना पहले न मंगवाया गया हो तो उस दिन गहना भी मंगवाते है। सावा (कुम्कुम पत्रि) लिखवाने के समय पहले मेहमानों का अफीम से स्वागत होता था लेकिन आज कल सूखे मेवे का प्रचलन है। श्रेष्ठ समय पर कुम्कुम पत्रिका सर्वप्रथम रिद्धि-सिद्धि के दाता विघ्न हर्ता गणेशजी के नाम लिखी जाती है। फिर कुल देवी-देवता को कुम्कुम पत्रिका लिखि जाती है। उसके बाद सभी मेहमानों को भोजन जिमाकर कुम्कुम तिलक के द्वारा सीख दी जाती है। सावा में लिखी कुम्कुम पत्रिका के साथ एक नुम्बका भाई, मामा कोई भी वर पक्ष वालों के यहां लेकर जाता है। विवाह के पूर्व आपकी सुविधानुसार सावा भेजा जा सकता है। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है।

5. बिन्दोले बैठना – कुम्कुम पत्रिका भेजे जाने के बाद वधु व वर को विन्दोले(वाने) बिठाने की प्रथा का निर्वाह किया जाता है। बाने अपनी सुविधानुसार 3, 5, 7 दिन का भी ले सकते है, परन्तु बाने बिठाने कि रस्म ब्राह्मण द्वारा ही पूर्ण कि जाती है। वर और वधु को लग्न तक सुबह शाम

* शोधार्थी (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

पीठी(हल्दी उबरन) लगाया जाता है, फुलों के हार पहिनाना और पान मेवा खिलाते है।

6. **जान जीमण** – वर पक्ष की तरफ से पहले दिन जान जीमण रखा जाता है। उसी दिन ननिहाल से बीच व उसके परिवार के लिये कपड़ों व गहने और कुछ रुपये जिसे (भीन्द भायो) भरना कहते है।

7. **विनायक** – शुभ विवाह का प्रारंभ रिद्धि–सिद्धि के आगमन से ही होता है। विनायक महाराज को (बप्पा) पांच दिन पहले ही कुम्हार के वहां गेहूं, घी, गुड, तेल व पूजा सामग्री के साथ जाकर चॉक की पूजा करके ढ़ोल ढमाके के साथ औरतें नाचती हुई लाती है और कुल देवी, देवता के मंदिर में जिसे माया कहते है, वहां खुर्खणियें रखे जाते है। उसमें परिवार की सभी महिलायें पतासा, खारकों गुड व पैसे डालती है। उसी दिन वर, वधु को अपने अपने घर में उबरन लगाया जाता है। इसे तेल चढ़ाना भी कहते है। वर वधु को कपड़ों, गहनों व फूलों से सजाने की जमावारी ननिहाल पक्ष की होती है। बीन्द के साथ रहकर परणाने तक की सारी जिम्मेदारी मामा की होती है। मामेरा जब आता तो वर, वधु की मां मामेरे का स्वागत बड़े प्यार से करती है। मामेरा में वर, वधु की मां, पापा, भाई, बहन, परिवार के मुख्य जनों के लिये पेरावनी भी लाई जाती है। जान जीमण में आधुनिक युग में पांच पकवान बनाये जाते है। पहले हलवा–पूरी का विशेष प्रचलन था। जो निमन्त्रित मेहमान आते है वह सभी वर, वधु को आशीर्वाद के रूप में सोब (पैसे) देते है।

8. **बड़ी वन्दोली (बड़ा बाना)** – लग्न के एक दिन पूर्व जो बाना निकाला जाता है उसे बड़ी बन्दोली कहा जाता है। इस दिन की बन्दोली को विशेष महारथी बन्दोली कहते है। यह बन्दोली पूरे परिवार मेहमानों और गांव वालों के साथ बड़े धूम–धाम से निकाली जाती है। इस दिन देर रात तक नाच–गीत चलते है।

9. **मौबण या थाम्बला स्थापित करना** – विवाह के दिन वधु के घर के चौक में थाम्बला या मौबण स्थापित किया जाता है। एक बेरे यानि ढ़ाणी में एक से ज्यादा परिवारों में से कन्याओं के लग्न होने हो तो विवाह स्थल के मुख्य द्वार पर मुहरत से मौबण स्थापित किया जाता है। साथ ही घर के चौके में तगी बांदी जाती है। उसमें एक लाल कपड़े में खोपरा व पांच खाने जो मैदा के आटे के बनते है, पिरोये जाते है। जब सारा काम साज–सज्जा का पूर्ण हो जाता है तो वधु पक्ष के मुख्य द्वार से थोड़ा दूर बारातियों के ठहरने कि व्यवस्था कि जाती है। इस तरह की व्यवस्था को 'जानीवासा' कहते है।

10. **बारात निकासी** – दूल्हे राजा की बारात निकासी से पहले दूल्हे का तेल उतारा जाता है। उसे उबरन (हल्दी) लगाई जाती है। इसके बाद अपने कुल देवी–देवता अथवा इष्ट देवता के मंदिर में नारियल चढ़ाया जाता है। घर से दूल्हे के गले अथवा कमर में कटारी, हाथ तलवार लिये सावा के रूप में भेजा गया नुम्ब का नारियल, जो वधुपक्ष द्वारा झेलाया गया था उसे कमरबन्धा जाता है और सिर पर मौड व किलंकी, तुरा तारों की तरह चमकती तुर्रीया, हरा लाल मोतियां जड़ित कंठहार से दूल्हा सज धजकर बारात की निकासी होती है। बारात निकासी के समय पर दूल्हा विशेष रूप से अपनी माता से आज्ञा लेता है। स्तन पान करता है। अनुपस्थित में बड़ी मां, बड़ी काकी, अथवा बड़ी भुजाई से भी विशेष आज्ञा लेने का रिवाज है। बारात निकालने के बाद दूल्हा गांव के मुख्य द्वार पर बीन्द घोड़ी से उतरकर पागड़ा का नारियल जो बारात की गाड़ी की पीन्जणी पर रखा जाता है। दूल्हा नारियल पर पांव रखकर बारात की गाड़ी में बैठता है।

11. **बारात का स्वागत** – बारात के आगमन का समाचार सुनकर वधु पक्ष वाले बारात का स्वागत फुलों से मालाओं से किया जाता है और जानीवास में स्वागत के पीछे बारातियों का मिष्ठान–नमकीन आदि से मनुहार कि जाती है।

12. **कंवारा भात** – निमंत्रित मेहमानो व गांव वाले जब भोजन कर चुके होते है, तब जानीवास में वधु पक्ष वाले बारातियों व बीन्द को कंवारी भात जीमण के लिए आमन्त्रित किया जाता है। दूल्हा व परकंगिया और कुछ दो चार लोगों को जानीवास में ही जीमाया जाता है। साथ ही महिलायें जानीवास का गीत गाती है।

13. **साम्मेला** – कंवारी भात की रीति के बाद बारातियों का जानीवास पहुंच जाने के पीछे साम्मेला की तैयारी होती है। समाज के कोटवाल/जमादार, और वधु पक्ष के समस्त परिवार वाले साम्मेला में शामिल होते है। बडबेरिया वधु की भुआ, भुजाई सर पर लेते है, बधावा का थाल जिसमें गुड, घी, कुम्कुम, कायासूत, चावल जल से भरा कलश, गुलाल नेत्रो सहित चांदी की बार्डो जो वधु पक्ष परिवार की औरतें लेती है। वधू पक्ष की औरतें गीत गाती हुई जानीवास में पहुंचती है। दूल्हा बडबेरिया को नमन कर (स्वीकार करता), स्थानीय कोटवाल/जमादार, वर को एक रुपया देते है जिसे वर कलश में डालता है। उसके पश्चात वर की सासु द्वार कुम्कुम, तिलक लगाकर नारियल से तीन बार खारकों, पतासा सिन्गाड़ो वगैरह से कोटवाल/जमादार दूल्हे की आरती करते है। सोम्मेला की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पंचगण गुलाल से समस्त बारातियों का स्वागत करते है।

14. **तोरण** – विवाह की सारी पवित्र, शुभ रस्मों में से एक रस्म तोरण की मानी गई है। जब बारात घर आती है तो दूल्हे के द्वारा दूल्हन के दरवाजे पर तोरण लगाई जाती है। उसके बाद वर और वधू को साथ लाया जाता है। वर पक्ष से लाया गया मोर व कांकणडोरा और माया के सामने ब्राह्मण बीन्द–बीन्दणी के गठजोड़ बांधता है।

15. **पाणिगृहण संस्कार** – वर वधु का गठजोड़ व हथलेवा जुड़ाकर चंवरी के सामने एक झंवाड़ा रखा होता है वर–वधु को पाणिगृहण संस्कार करवाने के लिये ब्राह्मण पास लगे आसन पर बैठता है। सीरवी समाज में आठ विवाहों में से वृहय विवाह को गृहण किया गया है। उसी तरह विवाह की विधियों का पालन करवाया जाता है। सात जन्मों में बंधने के लिये सात फेरे चौवरी के आस–पास लगाये जाते है।

16. **कन्यादान** – वधु के पिता के द्वारा सभी दानों में श्रेष्ठ माने जाने वाला दान किया जाता है। कन्यादान वधु के पिता के द्वारा किया जाता है उसके पश्चात् परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा गौ दान कि जाती है। साथी ही अन्य वस्तुयें अपनी सुविधानुसार दान कि जाती है।

17. **कन्यावल(व्रत पालना)** – पाणिगृहण संस्कार के बाद कन्यादान के बाद बिटियां पराई हो जाती है। उसके पश्चात् वधु की गोद भराई कि रस्म की जाती है। पहले यह कार्य पंचों के द्वारा किया जाता था अब परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले विवाह के प्रारंभ से कन्यादान तक परिवार के सदस्यों द्वारा व्रत किया जाता था। वर्तमान में लग्न के दिन कन्यादान तक व्रत का पालन किया जाता है। इस प्रकार से कन्यावल खोला जाता है।

18. **सीख (विदाई)** – विदाई जो हर मां–बाप के लिये सबसे कठिन कार्य है लेकिन यह रीति हे कि बिटिया को अपना घर संसार बसाना होता है। अंत में मां, बाप, भाई, बहन सभी नातेदार–रिष्तदारों के द्वारा आसुंओं से विदाई दी जाती है।

उपसंहार – इस प्रकार विभिन्न चरणों से होते हुए विवाह संस्कार सम्पन्न होता है। हर स्तर पर ऐसा प्रयास किया जाता है कि विवाह सौहार्द और

प्रसन्नता के परिवेश में सम्पन्न हो तथा नवविवाहित युवा–युवती सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय संस्कृति–डॉ. प्रीति प्रभा गोयल, सन 2000 भारत प्रिंटर्स जालोरी बारी, जोधपुर।
2. श्राजपूत वंशावली– ठाकुर ईश्वरसिंह मडाढ़ सन 1889 भारत प्रिंटस जोधपुर।
3. खारड़िया सीरवीयों का इतिहास – चन्द्रसिंह जी सीरवी (अगलेचा) सन् 2007 चौधरी प्रिंटसे जोधपुर।
4. सीरवी समाज का उद्‌भव एवं विकास –रजनलाल जी सीरवी (अगलेचा) सन् 2007 चौधरी प्रिंटसे जोधपुर।
5. स्त्रियों के लिये कर्तव्य शिक्षा जयदयाल गोयन्दा वि.सं 2064 गीत प्रेस, गोरखपुर।
6. श्री आई माताजी चेतावनी संगह – रामलाल जी पंवार, वि.स. 2048 महावीर प्रिंटिग प्रेस गोरखपुर।
7. सीरवी (क्षत्रिय) समाज खारड़िया का इतिहास एवं बांडेर वाणी– जसाराम लचेटा, चैन्नई सन् 2011 प्रथम संस्करण।

****

हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास

डॉ. उमा त्रिपाठी * डॉ. उषा मिश्रा **

प्रस्तावना – जिज्ञासा की प्रवृति मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृति है। जिज्ञासा की इसी वृत्ति में पत्रकारिता के उद्‌भव व विकास की कहानी छिपी हुई है। जीवन में होने वाली घटनाओं, परिवर्तनों के बारे में लोग जानना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं। मनुष्य की इसी वृत्ति ने पत्रकारिता को जन्म दिया। वर्तमान समय के वैचारिक सम्प्रेषण का माध्यम पत्रकारिता ही है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बूकर के अनुसार– 'पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क में उस दुनिया के बारे में समस्त सूचनायें संकलित करते है, जिन्हें हम स्वत: कभी नहीं जान सकते।'[1]

जॉर्ज बर्नाड शॉ ने कहा था – 'ऐसा कुछ भी साहित्य के रूप में बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता जो पत्रकारिता न हो।'[2] इन्द्रविद्यावाचस्पति पत्रकारिता को यपॉचवां वेद' मानते हैं। उनका कथन है कि 'पत्रकारिता पॉचवां वेद है जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं।'[3]

वास्तव में पत्रकारिता समाज को मार्ग दिखाने, सूचना देने एवं जागरूक बनाने का माध्यम है। पत्रकारिता भी साहित्य की भॉति समाज में चलाने वाली गतिविधियों एवं हलचलों का दर्पण है। विद्धानों में पत्रकारिता को शीध्रता में लिखा गया इतिहास भी कहा गया है। 'वास्तव में पत्रकारिता जनभावना की अभिव्यक्ति, सदभावों की उद्‌भूति, और नैतिकता की पीठिका है। संस्कृति और स्वतंत्रता की वाणी होने के साथ यह जीवन में अभूतपूर्व क्रांति की अग्रदूतिका है।'[4] अकबर इलाहबादी की शायरी में पत्रकारिता की ताकत की यही अनुगूँज है –

खीचो न कमानों को ना तलवार निकालो।
जब तोप मुकाबिल हो तो अकबार निकालो ।।[5]

जैम्स मैकडोनल्ड पत्रकारिता को एक वरेण्य जीवन दर्शन मानते हुये लिखते है, ' पत्रकारिता को मैं रणभूमि से अधिक बड़ी चीज समझता हूँ , यह कोई पेशा नहीं, वल्कि पेशे से कोई ऊॅची चीज हैं। यह एक जीवन है जिसे मैंने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया।'[6] प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील संसार का दिग्दर्शन पत्रकारिता के द्वारा ही संभव है। प्रो. अंजन कुमार बनर्जी के शब्दों में – 'पत्रकारिता पूरे विश्व की ऐसी दैनन्दिनी है जो सब में दूरदृष्टि प्रदान करती है।'[7]

पत्रकारिता का क्षेत्र एवं परिधि बहुत व्यापक है। असत्य, अशिव और असुंदर पर 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की शंख ध्वनि ही पत्रकारिता है। जनकल्याण एवं विश्वबंधुत्व के भाव उसके मूल में है।

कीरति भनिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कर हित होई ।।[8]

गोस्वामी तुलसीदास की यह चौपाई पत्रकारिता की मूल भावना को स्पष्ट करती है।

आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का प्रारम्भ हमारे देश में 18 वीं शाताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुआ। 29 जनवरी 1780 वह स्वर्णिम दिवस है जिस दिन एक गैर भारतीय द्वारा पत्र प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट एण्ड कैलकटा एडवर्टाईजर के सर्वस्व जेम्स आगस्टस हिकी थे। यह पत्र अल्प समय तक ही जीवित रहा। उदन्त–मार्तण्ड का प्रकाशन हिन्दी पत्रकारिता की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण बिन्दु है। हिन्दी प्रदेश का प्रथम पत्र 1845 में बनारस अखबार बनारस से प्रकाशित हुआ। अन्य प्रमुख पत्रों में मालवा अखबार, इण्डियन सन् (कलकत्ता 1846), जयदीप भास्कर (कलकत्ता 1849), सुधाकर (बनारस 1850), सामदण्ड मार्तण्ड (कलकत्ता 1850), बुद्धि प्रकाश (आगरा 1852) आदि थे। हिन्दी और उर्दू में निकलने वाले पत्र पयामे–आजादी का 1857 के राष्ट्रीय आन्दोलन को गति देने में महत्वपूर्ण स्थान है।

हिन्दी पत्रकारिता के स्तम्भ भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र ने पत्र संपादन कला को नई दिशा दी। 1868 में काशी से कवि वचन सुधां का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रपात था। 1873 ई. में भारतेन्दु ने 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका' नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1826 ई. से 1873 ई. तक को हम हिन्दी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते है। उदंत मार्तड के बाद प्रमुख पत्र है –

बंगदूत 1829, प्रजामित्र 1834, मार्तण्ड पंचभाषीय 1846, ज्ञानदीप 1846, मजहररूसरूर 1850, ग्वालियर गजेट 1853, समाचार सुधावर्षण 1854, दैनिक कलक्तता, प्रजाहितैषी 1855, सर्वहितकारक 1855, सूरजप्रकाश 1861, जगलाभचिंतक 1861, सर्वोपकारक 1861, प्रजाहित 1861, भारतखंण्डामृत 1864, हिंदू प्रकाश 8171, प्रयागदूत 8171, बुंदेलखण्ड अखबर 1871, बोधा समाचार 1871।

इन पत्रों में से कुछ मासिक थे कुछ साप्ताहिक। दैनिक पत्र केवल समाचार सुधावर्षण था।

हिन्दी पत्रकारिता का दूसरा युग 1873 से 1900 तक चलता है। 19 वीं शताब्दी की पत्रकारिता का आदर्श भारतेन्दु की पत्रकारिता थी। उनके बाद अनेक प्रमुख पत्रकार इस क्षेत्र में आये। 1895 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका य के प्रकाशन के साथ पत्रकारिता में गंभीर साहित्य समीक्षा का प्रारम्भ होता है। सन् 1900 में सरस्वती व सुदर्शन का प्रकाशन हिन्दी पत्रकारिता में महत्वपूर्ण है। हिन्दी पत्रकारिता इन 25 वर्षो में अनेक दिशाओं में विकसित हुई। इन 25 वर्षो का आदर्श भारतेन्दु की पत्रकारिता थी। कविवचानसुधा 1867, हरिश्चन्द्र मैगजीन 1874, श्री हरिश्चन्द्र चंद्रिका 1874, बालबोधिनी 1874, के रूप में भारतेन्दु ने इस दिशा में पथप्रदर्शन किया था। हिन्दी प्रदीप , भारत जीवन आदि अनेक पत्रों का नामकरण ही उन्होंने ही किया था। भारतेन्दु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार

* प्राध्यापक (हिन्दी) छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (इतिहास) छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

आये उन प्रमुख थे पंडित रूद्रदत्त शर्मा (भारत मित्र 1877) , बालकृष्ण भट्ट (हिन्दी प्रदीप 1877), दुर्गाप्रसाद मिश्रा (उचित वक्ता 1878), पंडित सदानंद मिश्र (सारसुधानिधि 1878), बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन (आनंदकांदबिनी 1881), देवकीनंदन त्रिपाठी (प्रयाग समाचार 1882), राधाचरण गोस्वामी (भारतेन्दु 1882), प्रतापनारायण मिश्र (ब्राहमण 1883), अंबिकादत्त व्यास (पीयूष प्रवाह, 1884), और बाबूदेवकीनंदन खत्री एवं बाबू जगन्नाथदास (साहित्य सुधानिधि 1894) । 1895 ई. में 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन आंरभ होता है। इस पत्रिका से गंभीर साहित्य समीक्षा का आरंभ हुआ ।

बींसवी शताब्दी की पत्रकारिता में विविधता और बहुरूपता मिलती है। य सरस्वती य के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और इन्दु के माध्यम से पंडित रूप नारायण पाण्डे ने संपादकीय सर्तकता और ईमानदारी का जो आदर्श प्रस्तुत किया उसने हिन्दी पत्रकारिता को नवीनता दी।

1921 के बाद हिन्दी पत्रकारिता का समसामयिक समय प्रारम्भ होता है। इस युग में साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना साथ-साथ चलते हैं। 1921 के बाद साहित्य क्षेत्र में निम्न प्रमुख पत्र आये। स्वार्थ 1922, माधुरी 1923, मर्यादा चाँद 1923, मनोरमा 1924, समालोचक 1924, चित्रपट1925, कल्याण 1926, सुधा 1927, हंस 1930, विश्वमित्र 1933, साहित्य संदेश 1938, मधुकर 1940, नया साहित्य 1945, हिमालय 1946 आदि। राजनैतिक क्षेत्र में इस युग में निम्नलिखित पत्र पत्रिकाएँ प्रमुख रही। कर्मवीर 9124, स्वदेश 1921, जागरण 1929, स्वराज्य 1931, हरिजन सेवक 1932, हिंदू 1936, राष्ट्रीयता 1938, लोकवाणी 1942, जनवार्ता 1972 आदि।

1990 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारो में अमर उजाला दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि पत्र निकलने प्रारंभ हुये । जिससे महानगरों से लेकर गॉव की खबर जनजन तक पहुँचने लगी। आज पत्रकारिता अपने चरम वैभव पर है साथ ही बाजारवाद से प्रभावित होकर पत्रकारिता का मूल उद्देश्य धूमिल हो रहा है। पत्रकारिता आज सेवा से आगे बढ़कर व्यवसाय में परिवर्तित होती जा रही है। इसी कारण पराड़कर जी की भविष्यवाणी याद आती है - 'एक समय आयेगा जब हिन्दी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को ऊँची तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ होगा किन्तु उनकी आत्मा मर जायेगी, सम्पादक न होकर मालिक का नौकर होगा।' महात्मा गाँधी ने कहा था - 'समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है। इनमें शब्दो की सरलता, शैली का गांभीर्य और लालित्य होना अनिवार्य है। ठीक वैसी ही जैसे पानी के जबर्दस्त प्रवाह में होती है। इसे आप खुला छोड देगें तो यह गॉव को बहा देगा, खेतों को डुबा देगा, उसी तरह से निरंकुश कलम, विनाश का कारण बन सकती है , लेकिन अंकुश भीतर का ही होना चाहिए , बाहर का अंकुश और भी जहरीला होता है।'[9]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्ल डॉ त्रिभुवन नाथ, जैन डॉ. किरण, चतुर्वेदी डॉ. कमल (संपादक) पत्रकारिता , प्रयोजन मूलक हिन्दी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ. 78
2. शुक्ल डॉ त्रिभुवन नाथ, जैन डॉ. किरण, चतुर्वेदी डॉ. कमल (संपादक) पत्रकारिता , प्रयोजन मूलक हिन्दी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ. 78
3. तिवारी , डॉ. अर्जुन, आधुनिक पत्रकारिता वि.वि. प्रकाशन वाराणसी पृ. 1
4. तिवारी , डॉ. अर्जुन, आधुनिक पत्रकारिता वि.वि. प्रकाशन वाराणसी पृ. 1
5. तिवारी , डॉ. अर्जुन, आधुनिक पत्रकारिता वि.वि. प्रकाशन वाराणसी पृ. 1
6. तिवारी , डॉ. अर्जुन, आधुनिक पत्रकारिता वि.वि. प्रकाशन वाराणसी पृ. 1
7. तिवारी, डॉ. अर्जुन आधुनिक पत्रकारिता विवि. प्रकाशन वाराणसी (प्रस्तावना से)।
8. गोस्वामी तुलसी दास, रामचरित मानस का बालकाण्ड, दोहा नं. 13वीं के 5 वीं चौपाई पेज नं. 19 गीता प्रेस गोरखपुर।
9. शुक्ल डॉ त्रिभुवन नाथ, जैन डॉ. किरण, चतुर्वेदी डॉ. कमल (संपादक) पत्रकारिता , प्रयोजन मूलक हिन्दी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ. 79

****

प्राचिन भारतीय इतिहास का हर्षकालीन धर्म

डॉ. रूचिका वर्मा *

प्रस्तावना – हर्ष वर्धन भारतीय इतिहास में एक ऐसा सम्राट था जिसने जनता के नैतिक स्तर को उठाने का गम्भीर रूप से निरन्तर और अथक प्रयास किया। हर्ष वर्धन 606 ई. में राज वर्धन ही हत्या के बाद सिंहासन पर बैठा और 646 ई. तक राज्य किया।[1]

एक विजेता तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ-साथ हर्ष वर्धन एक कुशल प्रशासक भी था। उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था का ज्ञान हमें बाणभट्ट के हर्षचरित तथा ह्वेसांग के यात्रा विवरण के साथ-साथ उसके कुछ लेखों से प्राप्त होता है। हर्ष 'महाराजाधिराज' 'परमभट्टारक' चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी महान उपाधियां धारण करता था।[2]

'हर्षचरित' में हर्ष वर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार[3] कहा गया और शिव, इन्द्र, यम, वरूण, कुबेर आदि से तुलना करते हुए बाणभट्ट ने हर्ष को 'चक्रवर्ती', 'प्रजापति', 'दैवदेव', 'सर्वदीपभुज', 'चतुस्समुताधिपति', 'परमेश्वर', 'राजचक्र', 'चुड़ामणि' उपाधि दी।[4]

यद्यपि हर्ष शैव था।[5] परन्तु महात्मा बुद्ध के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। हर्ष ने कश्मीर नरेश से बलपुर्वक महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त कर उन्हें कन्नौज के पश्चिम में एक विहार का भव्य भवन निर्माण कराकर संरक्षित किया था। उसने नालन्दा बौद्ध विहार में 200 फीट उंचे एक कास्य मन्दिर का निर्माण कराया था तथा नालन्दा विहार को 100 ग्राम दान में दिये थे। हर्ष ने गंगा के तट पर 100-100 फीट उंचे सहस्त्रों स्तूपों का निर्माण कराया था तथा बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित कर उनका 21 दिन तक अभुतपूर्व अतिथि सत्कार करते थे। हर्ष, बौद्ध धर्म की महायान शाखा में असीम आस्था रखता था। उड़ीसा में महायान के प्रचार-प्रसार के लिए उसने नालन्दा से चार महायान प्रचारकों को भेजा था।

ह्वेसांग ने, जो भारत में 630-644 ई. तक रहा था तथा हर्ष के घनिष्ट सम्पर्क में आया था, अपने यात्रा विवरण में हर्ष द्वारा वर्ष 643 ई. मे आयोजित किये गये दो विशाल उत्सवों का विस्तृत ब्योरा दिया है। प्रथम उत्सव कन्नौज में तथा दूसरा प्रयाग में सम्पन्न हुआ था।

हर्ष ने कन्नौज में 643 ई. में धार्मिक वाद-विवाद के लिए एक महासभा आयोजित की। इस सभा में भिन्न-भिन्न धर्मों के विद्धानों को आमंत्रित किया गया था। अधिवेशन के उस स्थल पर गंगा के पश्चिमी तट पर हर्ष ने एक वृहद् विहार का निर्माण कराया था। वहा महात्मा बुद्ध की सम्राट हर्ष के स्वयं के आकार की स्वर्ण मूर्ति 100 फीट उंचे विशाल सिंहासन पर स्थापित की गई थी। समारोह का प्रारंभ प्रात: एक भव्य शोभा यात्रा से होता था उसमें मंत्रीगण, 18 देशों के राजा, 3000 बौद्ध भिक्षु, 1000 नालन्दा विहार के भिक्षु, 300 ब्राह्मण एवं जैन उपस्थित थे। साथ अनुदान राजा देते थे। यह सम्मेलन 18 दिन तक चला परन्तु जिस उद्देश्य से इस आयोजित किया गया था, वह पूरा नहीं हुआ। इसमें बौद्ध धर्म के प्रति पक्षपात प्रदर्शित किया गया। यह ही नहीं भारतीय धर्मों का यह महासम्मेलन एक प्रकार से बौद्धधर्म के प्रचार का साधन सा हो गया था।

दूसरी प्रमुख घटना हर्ष द्वारा प्रयाग में **पंचवर्षीय** महामोक्ष परिषद गंगा-यमुना के संगम पर प्रयाग में आयोजित करने से सम्बन्धित है। वर्ष 643 ई. में तो महोत्सव ह्वेसांग की उपस्थिति में वहा आयोजित किया गया वह छठा समारोह था। इसके अवसर पर दूर-दूर से लोग आये व दान दिया गया।

आयोजन में पहले दिन शोभा-यात्रा दूसरे दिन आदित्य अर्थात् सूर्य देवता की और तीसरे दिन शिव की मूर्तियाँ स्थापित की गई और दान दिया गया।[6] दस हजार बौद्ध आदि 20 दिन तक ब्राह्मण को दान दिया। यह समारोह 64 दिन चला। दान देते-देते अपना कोष व आभूषण समाप्त कर दिये।

यह हर्ष की धर्म सहिष्णुता की नीति का उच्चतम उपहार था। इस प्रकार दानशीलता में सम्भवत: संसार का कोई भी अन्य सम्राट उसकी कोटी में नहीं आता। प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में उसका महादान संसार के इतिहास में एक **विस्मयकारी** घटना है।[7]

हर्ष के शासन के 22 वें वर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र[8], 24 वें वर्ष का मधुबन ताम्रभिलेख[9], नालन्दा सील एवं सोनीपत सील में उसे 'परमाहेश्वर' अर्थात् शिव भक्त कहा गया है। बाण के हर्ष चरित के अनुसार शशांक से युद्ध करने से पहले शिवजी की पूजा का ब्राह्मणों को दान दिया।

फर्रुखाबाद से प्राप्त हर्ष की स्वर्णमुद्रा पर शिव-पार्वती अंकित पाये गये है। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के राजदूत से हर्ष ने कहा था कि शिव के अतिरिक्त उसे किसी के भी समझ नतमस्तक होने के आवश्यकता नहीं। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि शैवमत के अनुयायी थे।

ब्राह्मण विद्धान बाणभट्ट उसके राज्य में आश्रय पाते थे। राज्य में बौद्धधर्म को मानने के साथ-साथ हिन्दु समाज में सूर्य उपासयों की अधिक संख्या थी। इसका प्रमाण यह था कि ब्राह्मणों का राज्य में विशेष स्थान दिया जाता था। हर्ष के काल में हिन्दुओं का प्रमुख केन्द्र प्रयाग आदि वाराणसी था।

हर्ष द्वारा लिखित एक नाटक नागानन्द के प्रदर्शन द्वारा बौद्धधर्म के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने मे उसन्न सहायता मिली। प्रियदर्शिका आदि रत्नावली नाटकों में ब्राह्मणों ने देवी-देवताओं की स्तुतियों की। यह सब भारतीय संस्कृति के अनुसार हर्ष के धर्म सहिष्णु नीति के आधार पर हुआ जिसकी पुष्टि प्रतिष्ठित इतिहासकारों के मत से होती है।

ह्वेसांग हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की ओर आकृष्ट होकर भारत आया था जिसमें गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, तंत्र, राजनीति, वेद की शिक्षा दी जाती थी। धर्मगंज पुस्तकालय अपनी पाण्डुलिपि के लिए

* इतिहास विभाग, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

इस काल में विख्यात था।

कला स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध विहार, मठों, मन्दिरों के निर्माण हुए।

1. शाहबाद में स्थित मुण्डेश्वर का अष्टकोणीय मन्दिर।
2. कन्नौज का संधाराम।
3. रायपुर जिले का राम–लक्ष्मण मन्दिर उत्कृष्ट नमूना।

हर्ष ने शिक्षा, कला और साहित्य की उन्नति को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया। वह एक धर्म–सहिष्णु सम्राट भी था।[10] आगे इस रूप में ब्राह्मणों तथा बौद्धों का सम्मान करता था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में फैली हुई अराजकता एवं अव्यवस्था का अन्त कर हर्ष ने देश की सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया।

प्राचीन भारत में यंत्र–तंत्र सर्व धार्मिक सहिष्णुता व्याप्त होने के प्रमाण परिलक्षित होते है। प्राचीनकाल के विभिन्न युगों के विभिन्न सम्राटों के विभिन्न स्थानों में स्तम्भ लेख, शिलालेख एवं सिक्के से ज्ञात होता। नरेशों में धार्मिक नीतियों का सहारा लिया था जो की मूलत: सहिष्णुता पर आधारित था। प्राचीनकाल में भारत में धार्मिक अत्याचार का कोई ऐसा उदाहरण नहीं जैसा रोमांचकारी उदाहरण यूरोप के इतिहास में था। जो भारत के मध्ययुग में मिलते है। अत: विभिन्न धर्म का सह–अस्तित्व भारतीय संस्कृति की परम्परा की एक अद्धितीय देन है।

भारत के इतिहास में हर्षवर्धन ही एक ऐसा शासक था जो राज्य प्रबंध के साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यो में अपना विशेष योगदान दिया करता था। हर्ष के काल में प्रजा के हित के लिये वृहत पैमाने पर धर्मशाला, सराओं, मार्ग में छायादार वृक्ष लगाये गये, इसके अलावा हर्षवर्धन स्वयं भी बहुत बड़ा दानी था। कहा जाता है कि प्रयाग की सभा में हर 5वें वर्ष अपना सब कुछ दान कर देता था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीवास्तव कृष्णचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड डिपो इलाहबाद, 2005, पृ. 487
2. झा एवं श्रीमाली– प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण 1981,पृ. 286
3. सर्वदेवतावतारमिर्वकत्र, हर्ष चरित, पृ. 98
4. गोयल श्रीराम– प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, इलाहाबाद प्रकाशन, पृ. 168
5. मजूमदार आर.सी., ऐशियंट इण्डिया, पृ. 253
6. श्रीवास्तव कृष्णचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड डिपो इलाहबाद, 2005, पृ. 490
7. पाण्डेय विमलचन्द्र–प्राचीन भारत का इतिहास, इलाहाबाद प्रकाशन,पृ. 263
8. बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख, उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर जिले में ब्राह्मलिपि एवं संस्कृत, हर्ष संवत् 22 (628ई.) अनुवादित, श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृ. 499
9. मधुबन ताम्राभिलेख, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोषी तहसील के मधुबन स्थान पर हर्ष संवत् 25 (631 ई.) अनुवादित, श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृ. 500
10. श्रीवास्तव कृष्णचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड डिपो इलाहाबाद, 2005,पृ. 494

****

स्वामी विवेकानन्द का सांस्कृतिक योगदान

डॉ. रूचिका वर्मा *

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति के पुर्नरूत्थान में स्वामी विवेकानन्द ने अपनी भूमिका पुरोधा की भाँति निभाई। विश्व पटल में जागृति लाने वाले महान संत थे। जिनके हृदय में मानवता को ऊँचा उठाने की अग्नि सतत् प्रज्वलित होती रहती थी। क्योंकि उनके अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य मानव निर्माण माना है।

स्वामी विवेकानन्दजी का जन्म जिस समय हुआ था, उस समय देश में राजनैतिक एकता का अभाव था। जिस प्रकार बारहवीं शताब्दी में भारत वर्ष के हिन्दू और बौद्ध एक साथ सिर झुकाते हुए इस्लामी शक्ति के सामने खड़े हुए थे, ठीक उसी प्रकार अठारवहीं शताब्दी में हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियाँ बिना किसी प्रतिवाद के अंग्रेजों के चरणों में झूक गई थी। ब्रिटिश शासन संपूर्ण देश को एक दृढ़ केन्द्रित शासन के अन्तर्गत लाने में सफल हुआ था। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीयों को पराधीन करने के साथ-साथ उन्हें एक विपरित शिक्षा तक पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगना था। लेकिन पाश्चात्य के आदर्श के साथ प्राच्य के संघर्ष का तभी शुभारंभ हो गया, जब 12 जनवरी, 1963 ई. में स्वामी विवेकानन्द का जन्म हुआ। स्वामी जी सांस्कृतिक नवजागरण के प्रथम दृष्टा थे। 'इनका जन्म स्थल कलकत्ता था। स्वामी जी का वास्तविक नाम नरेन्द्रनाथ था। आपके पिता श्री विश्वानथ दत्त बंगाल के सुप्रसिद्ध वकील थे तथा माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्म परायण महिला थी।'[1]

स्वामी विवेकानन्द अपने राष्ट्र और समाज को भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुसार पुनर्गठन चाहते थे पर देश और समाज के सामने जो व्यावहारिक विसंगतियाँ तथा समस्याएँ थी, उनकी ओर उन्होंने पूरा ध्यान दिया और वैदिक संस्कृति के पुनरोत्थान का मार्ग मानव को दिखाया।

राष्ट्रवाद की जागृति – स्वामी विवेकानन्द जी प्रखर राष्ट्रवादी थे। फिर भी उनका दर्शन अन्तर्राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत प्रतीत होता है। उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था बल्कि उनका राष्ट्रवाद ऐसा राष्ट्रवाद था जो दूसरे राष्ट्रों के लिए भी प्रेरणा प्रदान करें।[2] उन्हें भारत की भूमि से प्यार था और वे फिर अपने देश को सोने की चिड़िया की उपमा देना चाहते थे। स्वामी विवेकानन्दजी ने राष्ट्रवाद की जागृति के लिए जिन शब्दों से नवयुवकों एवं सम्पूर्ण देश के नागरिकों का आव्हान किया, वे शब्द इस प्रकार है –

'उठो जागो, मेरे भारत के लोगों जागों! कहाँ है तुम्हारी प्राणशक्ति? तुम्हारी प्राण शक्ति तुम्हारे अन्दर निहित है, उठो जागों शुभघड़ी आ गयी है, उठो जागों तुम्हारी मातृभूमि तुम्हारा बलिदान चाहती है, जागों सांसार तुम्हारा आह्वान कर रहा हैं।'[3]

स्वामी विवेकानन्द के क्रांतिकारी भाषणों, साहित्यों के प्रभाव से ही हमारे देश में सुभाषचन्द्र बोस, भगतसिंह जैसे शहीद उत्पन्न हुए। जिन्होंने भारत से विदेशी सत्ता को जड़ से उखाड़कर फैंक दिया। विवेकानन्द जी के शब्द में क्रांति के एक-एक बीज बन गये। जिससे भारत के करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना की जागृति हुई। स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत भारतीय नवजवानों से कहते है कि – जैसे गीता में लिखा है – य राष्ट्रीय जीवन को जिस ईंधन की जरूरत है, उसे देते जाओ वह अपने ढंग से उन्नति करती जायेगी।'

विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार – सन् 1893 में शिकागों (अमेरिका) में अखिल विश्व धर्मो का एक एक महासभा सम्मेलन हुआ था। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में वैदिक संस्कृति का ऐसा शंखनाद किया जैसा न तो कभी पहले हुआ था ओर उसके बाद से लेकर आज तक हो पाया है।

शिकागों – सम्मेलन में स्वामीजी ने जिस ज्ञान, जिस उदारता, जिस विवेक और जिस वाग्मिता का परिचय दिया उससे समस्त विश्व चमत्कृत हो उठा। वहाँ के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गये।[4]

स्वामीजी का कहना है कि भारतीय संस्कृति की दृष्टि में **'मनुष्य भ्रम में सत्य की ओर नहीं जाता, अपितु सत्य से सत्य की ओर अग्रसर होता है। निरन्तर सत्य के उच्चतर सत्य की ओर।'[5]** स्वामीजी ने विदेशों में बड़े संक्षेप में भारतीय संस्कृति व हिन्दू धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, सामान्य मत एवं विश्वास, आचार-विचार आदि का परिचय दिया था।

मानव इतिहास के सुदीर्घ एवं जटिलतम अनुभूतियों द्वारा प्रमाणित इस संस्कृति को भारत वर्ष ने स्वामी विवेकानन्द के माध्यम से आज के पाश्चात्य जगत् के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस तरह भारतीय संस्कृति की पूर्णतया विश्व में प्रतिस्थापना हुई । विश्व में प्रमुख देश के नाम लंदन, इंग्लैण्ड, जेनेवा, स्विटजरलैण्ड, इटली, फ्रांस के फ्लोरेन्स, रोम, अमेरिका (शिकागों) में भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ।

सर्वधर्म समभाव –स्वामी विवेकानन्द जीवन भर सभी धर्मो की एकता के लिए सतत् प्रयत्नशील रहकर सर्वधर्म समन्वय की स्थापना की। सर्वधर्म समन्वय का मतलब सभी धर्मो को अच्छाईयों को मिलाकर एक नये धर्म की स्थापना करना, जो विश्व धर्म हो, जिसमें मेरा धर्म-हमारे धर्म के रूप में परिणित हो जाय। 'ईसाई को हिन्दू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, और न हिन्दू अथवा बौद्ध को ईसाई। पर हाँ प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात् करके पुष्टि-लाभ को ओर अपने वैशिष्टय की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो।'[6]

विवेकानन्द जी ने अपने वक्तव्यों में सभी धर्म के सार को मिलाकर- सभी धर्मो की विशेषताओं को जो मानव मात्र, प्राणी मात्र के लिए आन्तरिक एवं बाह्य रूप से कल्याणकारी हो-उसे एकता के सूत्र में बांधकर एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसे हम सर्वधर्म समन्वय कहते है।

* इतिहास विभाग, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

'जिस प्रकार सैकड़ो नदियाँ अन्त में जाकर अनन्त सागर में विलिन हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्म हमें अन्तवो–गत्वा एक ही ईश्वर के पास ले जाती है, जिसे हम परम सत्ता कहते है।'

रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित सांस्कृतिक योगदान व्यवस्थापक – विवेकानन्द जी के प्रदत्त कार्य –

1. विवेकानन्द जी ने जातिवाद का विरोध कर इसे समाज में एक संक्रामक रोग बताकर जन जागृत करने का कार्य किया। वे इस संदर्भ में कहते थे मैं तो जाति–पाँति के मामले में किसी भी वर्ग के प्रति कोई पक्षपात नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह एक सामाजिक नियम है और व्यक्ति के गुण एवं कर्म के भेद पर आधारित है।[7]
2. जन समूह की शिक्षा के प्रसार में स्वामी जी का विश्वास था कि देश उसी अनुपात में उन्नति करता है, जिस अनुपात में वहां के जन समूह में शिक्षा तथा विद्या का प्रसार होता है। स्वामी जी के शब्दों में 'हमे ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैरो पर खड़ा होना सीखें।'[8]
3. नारी जागरण के कार्यो में भी वे संलग्न थे। स्वामी विवेकानन्द जी कहते है की सभी उन्नतिशील राष्ट्रो ने स्त्रियों को समूचित सम्मान देकर ही महानता प्राप्त की है जो राष्ट्र स्त्रियों का आदर नहीं कर सकते वे कभी बड़े नहीं हो सकते, न हो पाये और न ही हो पायेंगे।
4. अस्पृष्यता का विरोध कर दलितों का उद्धार किया। वे दु:खी होते हुए उन्हें ऊचाँ उठाने की कोशिश करते थे और अन्य मिशनरियों को प्रेरणा देते थे। 'मैं दार्शनिक नहीं हूँ, तत्वेत्ता नहीं हूँ। कोई सन्त भी नही हूँ। मैं दरिद्र हूँ ओर दरिद्रों को प्यार करता हूँ। दरिद्रता और अज्ञान के गर्त में सदा से डूबे हुए इन 20 करोड़ नर–नारियों के दु:खों को कौन अनुभव करता है।'[9] उन्हें प्रकाश देने, उनके लिए द्वार–द्वार भटकना, उनके लिए काम करना, उनके लिए प्रार्थना करना। इसके लिए ईश्वर मार्गदर्शन करता है।
5. स्वामी विवेकानन्दजी समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। वे व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर देना चाहते थे। साथ ही समाज को व्यक्ति के माध्यम से उन्नत देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि – 'देश का सर्वांगिण विकास तभी संभव है, जब सब लोग ऊँच–नीच, जातिवाद का भेदभाव भुलाकर आपस में मिलकर सहकारिता से कार्य करें।'[10] स्वामी विवेकानन्द ने पुकार कर कहा 'आओ सब दीन–दु:खी, परित्यक, पद दलितों आओं हम सब एक है।'[11]

स्वामी विवेकानन्द भारतीय और विश्व इतिहास के उन कुछ गिने–चुने व्यक्तियों में से है जो राष्ट्रीय जीवन को एक नई दिशा देते है। स्वामी जी भारतीय इतिहास के संधि युग में एक चट्टान की भांति खड़े है, जो प्राचीन और नवीन विचारों में भारतीय परम्परा के सर्वश्रेष्ठ तत्व निहित थे।

स्वामी जी चाहते थे कि भारत की ख्याति एक सांस्कृतिक परिदृश्य में उभरकर विश्व पटल के सामने आये क्योंकि प्राचीनतम समय से हमारी संस्कृति में सर्वश्रेष्ठता के गुण निहित है जो प्रदर्शित करते है कि विश्व में भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु मध्यकाल व आधुनिक काल में स्वार्थवादी लोगों ने विजातीय तत्वों को प्रवेश देकर उसे विकृतियों के परिणिती में तैयार करने की कोशिश की। उसे तिरोहीत करने के लिए विवेकानन्द ने सांस्कृतिक योगदान जैसे महत्वपूर्ण कार्यो का सम्पादन किया। वे अपने राष्ट्र और समाज का भारतीय संस्कृति और परम्परा के अनुसार पुनर्गठन चाहते थें। जिसके माध्यम से देश में जागृति व विश्व में इसका प्रमाणिक व श्रेष्ठ परिदृश्य उभरकर आयें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. मजूमदार सत्येन्द्रनाथ, विवेकानन्द चरित्र, रामकृष्ण आश्रम, धन्तौली नागपुर 1977, पृ. 4
2. शर्मा श्रीराम, महापुरूषो के अविस्मरणीय प्रसंग, भाग–1, (वाड्.मय) जनजागरण प्रेस, मथुरा, द्वितीय संस्करण 1998, पृष्ठ 2.19
3. श्री रामकृष्ण स्मृति, ग्रन्थ माला – पृ. 349
4. स्वामी गम्भीरानन्द – युगनायक विवेकानन्द, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ – 31
5. विवेकानन्द साहित्य (तृतीय खण्ड) , अद्धैत आमृम, मायावती, पिथैरागढ़, हिमालय, 1973 पृष्ठ–109,
6. विवेकानन्द साहित्य (प्रथम खण्ड), अद्धैत आमृम, मायावती, पिथैरागढ़, हिमालय, 1973 पृष्ठ–5,
7. विवेकानन्द साहित्य (भाग–एक), अद्धैत आमृम, मायावती, पिथैरागढ़, हिमालय, 1973 पृष्ठ–341
8. स्वामी विवेकानन्द, शिक्षा, संस्कृति और समाज। अद्धैत आमृम, मायावती, पिथैरागढ़, हिमालय, 1973, पृ. 3
9. स्वामी विवेकानन्ददद, शिक्षा, पृष्ठ 52–53 (विवेकानन्द के भाषणों का संकलन)
10. विवेकानन्द साहित्य (सप्तम खण्ड) अद्धैत आमृम, मायावती, पिथैरागढ़, हिमालय, 1973, पृ. 30
11. रोंला रोमा, विवेकानन्द जीवनी, अद्धैत आश्रम, कलकत्ता, अगस्त 1998, पृष्ठ 5

****

भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 में श्री नारायण चौबे का योगदान

अंतिम मौर्य *

प्रस्तावना – महात्मा गांधी जी अपने युग के महान नेता थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर सन 1920 से 1947 तक राष्ट्रीय आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान किया। गांधी जी ने अपने आन्दोलन से पूरे देश की राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना को जाग्रत किया और यही राजनीतिक चेतना आगे चलकर जन आन्दोलन के रूप में परिणित हो गयी। 8 अगस्त, 1942 को मुम्बई तत्कालीन बोम्बे से गांधीजी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारंभ किया। देखते ही देखते यह आन्दोलन संपूर्ण भारत में फैल गया।

मध्यप्रदेश के निमाड़ के वर्तमान बड़वानी जिला क्षेत्र में भी स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित गतिविधियां हुईं। यहां अनेक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी सक्रिय रहे। उनमें श्री नारायण चौबे जी भी सम्मिलित थे। वर्तमान में 95 वर्षीय श्री नारायण जी चौबे जी बड़वानी में निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ानें का कार्य किया था। प्रस्तुत शोध पत्र श्री चौबे के व्यक्तित्व एवं योगदान की विवेचना की गई है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसंधान की साक्षात्कार, प्रश्नावली, संबंधित ग्रंथों एवं दस्तावेजों का अध्ययन एवं उनका विश्लेषण जैसी विधियों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भारत छोड़ो आन्दोलन से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों एवं अन्य परिजनों से संपर्क करके जानकारी एकत्रित की गई है।

शोध पत्र के उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र को निम्नांकित के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है–

1. भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 का बड़वानी जिले के योगदान को ज्ञात करना।
2. स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन एवं उनके संघर्ष को प्रकाश में लाना।
3. अंग्रेजों के विरोध हुए विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करना।
4. बड़वानी के ग्राम ओझर के श्री नारायण चौबे के भारत छोड़ो आन्दोलन में योगदान को इतिहास के रूप में प्रकाश में लाना।

भारत छोड़ो आन्दोलन का परिचय – इंग्लैण्ड द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली, जर्मनी एवं जापान के विरूद्ध फंसा हुआ था। यह एक स्वर्णिम अवसर था जब इंग्लैण्ड या ब्रिटेन को भारत छोड़ने हेतु बाध्य किया जा सकता था। वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव बना और भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी 7 एवं 8 अगस्त, 1942 को मुम्बई में होने वाली बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। इसमें गांधी जी ने समस्त देशवासियों से अपील की थी कि देश की आजादी में सभी को आगे आना है। इस भारत छोड़ो प्रस्ताव ने देश के वातावरण को गरम कर दिया था जिसका प्रभाव दूर दूर दिखाई देता है। बड़वानी में भी इस आन्दोलन का प्रसार हुआ।

भारत छोड़ो आन्दोलन का बड़वानी में प्रसार – भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रसार बड़वानी में हुआ था। होल्कर स्टेट इंदौर से सेंधवा से होने वाली अंग्रेजी सरकार की गतिविधियों का प्रसार हुआ। जैसे जैसे आन्दोलन का विकास होता गया, वैसे वैसे बड़वानी में भी इस प्रसार होता गया और श्री काशीनाथ त्रिवेदी, श्री नारायण सोनी, श्री भेरुलाल यादव, श्री बाबूलाल सोनी, सूरजमल लुक्कड, रामरतन शर्मा, प्रभुदयाल चौबे, शिवनाथ गुप्ता, दयाराम घोड़े, नत्थु प्रसाद पटेल, मिट्ठूलाल जैन, नारायण परसाई, श्रीमती कलावती त्रिवेदी, श्री बाबूलाल सोनी, औंकारलाल बजाज, श्री नारायण चौबे आदि ने इस आन्दोलन को प्रसारित करने में एवं अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत छोड़ो आन्दोलन में श्री नारायण चौबे जी का योगदान –

(अ) जीवन परिचय – राजस्थान के अंतरालिया नामक स्थान पर रघुनाथ चौबे एवं नानीबाई की संतान के रूप में श्री नारायण जी चौबे का जन्म 1920 में हुआ। श्री नारायण जी चौबे का प्रारंभिक जीवन अंतरालिया में ही व्यतीत हुआ।

चित्र – श्री नारायण चौब जी अपने पुत्र डॉ. मधुसूदन चौबे जी के साथ

(ब) राजस्थान से पलायन – श्री रघुनाथ जी चौबे का राजस्थान के अंतरालिया के जागीरदारों से विवाद हो जाने के कारण वे वहां से पलायन होकर मध्यप्रदेश के निमाड़ में बड़वानी के ग्राम ओझर आ गये। इस समय श्री नारायण जी चौब मात्र 4–5 वर्ष के थे।

(स) प्रारंभिक शिक्षा – श्री नारायण जी चौबे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम ओझर में प्राप्त की। इसके बाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्दौर चले गये। इन्दौर में अपनी बहन के घर पर रहकर कक्षा 7वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाये और पुन: ग्राम ओझर आ गये।

* शोधार्थी (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

(द) जीविकोपार्जन हेतु संघर्ष – ओझर आ जाने के बाद आपने ओझर में ही एक किराणा दुकान पर नौकरी की। इसके बाद आपने सेन्धवा में भी किराणा दुकान पर नौकरी की। इस समय मात्र 15 रुपये मासिक पगार प्राप्त होती थी। कम पगार मिलने के कारण आपने अन्य नौकरी की तलाश करते हुए इन्दौर चले गये और वहां नौकरी की। इन्दौर में प्रजामण्डल से संपर्क हुआ और इसके बाद आप वापस ओझर आ गये और भारत छोड़ो आन्दोलन से जुड़कर कार्य करने लगे।

(इ) भारत छोड़ो आन्दोलन में योगदान – श्री नारायण चौबे ने इन्दौर में प्रजामण्डल में संपर्क होने के बाद भारत छोड़ो आन्दोलन से जुड़ गये थे और आन्दोलन से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने लगे। ग्राम ओझर, सेन्धवा के निकट होने के कारण सेन्धवा से होने वाली अंग्रेज विरोधी क्रियाकलापों में अपने सहयोगी मित्र श्री भेरुलाल जी यादव, बाबूलाल जी सोनी और औंकारलाल जी बजाज के साथ संलग्न हो भारत छोड़ो आन्दोलन को गति प्रदान की। अंग्रेज विरोधी कार्यों में आपने नारे लगाना, प्रभात फेरी निकालना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, शराब की दुकानों पर धरना, किले पर झण्डा फहराना आदि जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया है।

श्री चौबे ने नवयुवकों को आन्दोलन हेतु प्रेरित कर और उनके साथ मिलकर सभाएं आयोजित करना आपका मूल कार्य रहा है। इसके साथ ही आपने वृहत स्तर पर जुलूस भी सफलतापूर्वक निकलवाने का कार्य किया है। इन गतिविधियों के माध्यम से आपने कई नवयुवकों को आजादी के इस आन्दोलन में शामिल करने का कार्य किया है। इसी समय आपने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर एक अंग्रेजी सिपाही को पकड़कर पिटाई कर दी थी। इसके बाद आप अपने एक मित्र के साथ जंगल में चले गये थे, परन्तु आपक एक साथी अंग्रेजों के हाथ लग गया था। इस तरह श्री चौबे ने निमाड़ के बड़वानी में होने वाली अंग्रेज विरोधी गतिविधियों सम्मिलित होकर समय समय पर प्रदर्शन करते रहे।

श्री नारायण चौबे भारत छोड़ो आन्दोलन से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के कारण कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, कभी वे गिरफ्तार नहीं हुए।

1942 ई. का भारत छोड़ो आन्दोलन देश के प्रत्येक कोने कोने में प्रारंभ हो गया था। इसे परिणामस्वरूप बड़वानी में भी चला। बड़वानी में यह आन्दोलन अहिंसक रूप से चला। यह आन्दोलन यहां पर उग्र रूप धारण नहीं किया था। शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से संचालित होता रहा।

(ई) आजादी के बाद – आजादी प्राप्त होने के बाद आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय सदस्य बन गये और इस संघ से संबंधित कार्य में संलग्न हो गये। इसके बाद आपने राजनीति में भाग लेकर सरपंच का चुनाव जीता और सफलतापूर्वक कार्य किया है। वर्तमान में श्री चौबे अपने पुत्र डॉ. मधुसूदन चौबे के साथ बड़वानी में रह रहे हैं।

उपंसहार – उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रसार संपूर्ण भारत देश में दिखाई पड़ता है। बड़वानी जिले में इस आन्दोलन का प्रसार हुआ। यहां पर भी इस आन्दोलन को में कई लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में भूमिका का निर्वाह किया है। यहां पर भी गांधी जी के इस भारत छोड़ो आन्दोलन से प्रभावित होकर यहां के स्वतंत्रता सेनानियों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, प्रभात फेरी निकालना, आन्दोलन से संबंधित सभाएं आयोजित करना, आदि गतिविधियां शांतिपूर्वक संचालित हुई। इनमें ओझर के श्री नारायण चौबेजी ने स्थानीय स्तर पर आन्दोलन की आग को जलाएं रखा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, लेखक डॉ. हंसा व्यास मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2007
2. भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, डॉ. जीतेश नागोरी, श्रीमती कान्ता नागोरी, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि. चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2007
3. बड़वानी जिले के स्वतंत्रता संग्राम (1857–1947ई.) में योगदान के विविध पक्ष, घटनाएं, व्यक्तित्व तथा प्रवृत्ति, प्रवीण मालवीया।
4. साक्षात्कार।
5. कलेक्टर कार्यालय, जिला बड़वानी में उपलब्ध दस्तावेज।
6. निमाड़ स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण–पत्र– पश्चिमी निमाड़ जिला स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संघ द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

****

लोक साहित्य में लोक संस्कृति का प्रतिबिम्ब

अनिल पाटीदार * डॉ. पुष्पलता खरे **

प्रस्तावना – लोक शब्द की व्यापकता में मानव जीवन की विकास यात्रा है। मानव ने अपने उत्थान, विकास व पतन के दौर में जो जीवन मूल्य संजोएं वे उसकी संस्कृति बन गये। संस्कृति की सर्वमान्य परिभाषा देना दुष्कर है, किन्तु साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है इसी रूप में लोक साहित्य समाज का, संस्कृति और जनसमुदाय का दर्पण बन जाता है। लोक साहित्य का कार्य महज लोक गीत, आख्थान, लोक कथाएं, लोकनाट्य, लोक कहावतों का संकलन करना ही नहीं है, अपितु मानवीय सभ्यता का प्रत्येक चरण जो चाहे सुख–दुख, जीवन–मृत्यु, यश–अपयश, उत्थान–पतन, अच्छाई–बुराई के रूप में हो उसका रेखाकंन करना है।

धरती के किसी भी क्षेत्र के समुदाय या लोक के मन की गहराइयों में पहुँच कर संस्कारों की सलोनी सुगंध पा सकते है, माटी की महक महसूस कर सकते है। समाज लोक परम्परा का वाहक है। वहाँ लोक के विश्वास, रीति–रिवाज, जीवन मूल्य, मान्यताएं और परम्परागत जीवन–पद्धति के साथ–साथ चारित्रिक विशेषताएं, नैतिक मान्यताएं और मूल सामाजिक संरचना में समाहित वैचारिक संजीवनी समाहित होती हैं। लोक साहित्य के अन्तर्गत हम लोक गीत, कथाएं, लोकोक्ति, मुहावरे, लोक नाट्य इत्यादि को पाते हैं। इनका अध्ययन हमें किसी समाज की मूल विशेषताओं तक ले जाता है। उस समाज को जानकर उसकी समृध्द संस्कृति की थाह पा सकते है। संस्कारों की खुशबू पाते हैं। उस संस्कृति को जान सकते है, जिसे लोकजीवन ने बड़ी शिद्दत से अपनी गोद में पाला है। लोकगीत लोक की पारम्परिक छोटी–छोटी कविताएं हैं, जिनमें जीवन के समस्त सुख सौन्दर्य, दुख तनाव सम्मिलित होते हैं।

लोक काव्य की यह जीवनधारा लोक के सांस्कृतिक जीवन में निरंतर बहती है। लोक समाज में प्रचलित विभिन्न संस्कार, अनुष्ठान और रीति–रिवाज लोक कविता की अभिव्यक्ति के अवसर है। जन्म, विवाह, ऋतु, पर्व, त्यौहार के गीत, मांगलिक अवसरों के गीतों के रूप में लोक काव्य की उपस्थिति मूलत: परम्परागत है। विश्व के लोक और जनजातीय मौखिक साहित्य को देखने से पता चलता है कि लोक साहित्य की समस्त अभिव्यक्ति प्राय: काव्य रूप में हुई है, जिस तरह कठोर पर्वत अपने हृदय में सरिता के उद्‌गम को छिपाये रहते हैं, वैसे ही ऊपर से कठोर देखने वाले ये जनपद जन अपने हृदय में लोक साहित्य की अक्षय परम्परा को जिन्दा रखे हुए हैं, जिनकी अंगुली पकड़ कर उसमें शताब्दी की दूरियों को लांघा और अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर भविष्य के लिए मार्गदर्शन पाया है। आदिम युग से चली आ रही लोक गीतों की अजस्र लोकधारा में कितनी ही संस्कृतियों के सभी तेजस्वी तत्व मौजूद है, जो मनुष्य को परम्परा से बेहतर से बेहतर बनाने में समर्थ है। लोक गीतों में भारतीय मनीषा का वह चरम आदर्श है, जो लोक जीवन की धड़कने होती हैं। लोक गीत किसी जाति, समूह और देश की लोक संस्कृतियों के परिचायक होते हैं, उनमें जीवन की प्रत्येक गतिविधि का एहसास है। लोकगीत संस्कृति के संवाहक हैं। लोक संस्कृति बहते हुए नीर के समान है, जिसका स्वरूप नैसर्गिक रूप से किसी समाज, क्षेत्र या प्रदेश के लोकमानस में समाहित संस्कारों को आत्मसात करते हुए, वहाँ की धरती के रंग–माटी की महक, जीवन का दर्शन, रीति–रिवाजों की सुंदरता, लोक विश्वासों के जादू, पर्वों–उत्सवों मेलों की मिठास, गीतों का संगीत तथा लोकमानस की सहजता के साथ निखर कर सामने आता है। लोक साहित्य इस प्रकार लोक संस्कृति की इन्द्रधनुषी आभा को न जाने कब से सुरक्षित रखे हुए हैं। मानव जिस धरती पर रहता है, जिस लोक जीवन से जुड़ा रहता है, उससे उसका लगाव बहुत स्वाभाविक है। वहाँ धरती का बिछौना है। आकाश का ओढ़ना है। नदियाँ उसे चलना सिखाती हैं। झरने उसके लिए गाते हैं। बादल उसके सन्देश वाहक होते हैं। पशु–पक्षी उसके दुख–दर्द के साथी होते हैं। वह पेड़–पौधों से बतियाते हैं। पवन उसके साथ संवेदना प्रकट करता है। बदलती हुई ऋतुएं उसे जीवन दर्शन का पाठ पढ़ाती हैं। पर्वों, उत्सवों, मेलों और त्यौहारों में उसके विश्वास और संस्कार रूपायित होते हैं। ऐसे वातावरण में जब जीवन फलता हैं, तो मानवीय संवेदनाओं के विविध चित्र सामने आते हैं। जीवन के मीठे–कड़वे अनुभव पुनर्जीवित होते हैं। कहीं पनघट है, कहीं कुआँ है, कहीं चौपाल है, शादी की शहनाई है, मंगलगीत है, पूजन– अर्चन है, ढोल मंजर है, गीतों की गूंज है, और थिरकते पग है। जीवन का उल्लास, हर्ष–विषाद, सुख–दुख, आँसू–मुस्कान, मिलन–विरह, हास–परिहास आदि के चित्र हैं। संस्कृति का संबंध संस्कारों से है। लोक का चिंतन जीवन–दर्शन, परम्पराओं की झलक, मानवीय संबंधों एवं रिश्तों की मिठास आदि पीढ़ी दर पीढ़ी लोक साहित्य में सुरक्षित रहकर संस्कारों की छटा से संस्कृति के रूप में और रंग को निखारते रहते हैं। गांव और जंगलों में रहने वाले मनुष्य को कभी राजतंत्र से उतना लेना देना नहीं रहा। गॉव लोक संस्कृति के केन्द्र है और आदिम समुदाय इस लोक संस्कृति का रक्षक और पोषक है। गांव में रहने वाले ग्रामीण और वनों में रहने वाले आदिम जनसमुदाय भले ही शिक्षा के नाम पर अक्षर ज्ञान से कोसों दूर है, लेकिन उनके पास अपनी संस्कृति की ऐसी परम्पराएं हैं, जो सदियों से उनको पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत से मिलती रही हैं, जो उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, बिना पढ़े ही भारत में कितने ही लोक प्रज्ञावान मिल सकते हैं, ऐसे लोग जीवन का मर्म समझ सकते हैं, जिन्हें अपनी परम्परा से ही सब कुछ मिला है, जिन्हें अपनी परम्पराओं पर अटूट विश्वास है। एक–दूसरे पर अटूट भरोसा है। यही लोक विश्वास जीवन की कुंजी है, इसी से लोक संस्कृति में जन–जन के विचार, विश्वास, आस्था, अवधारणा, अनुष्ठान कार्यकलाप निहित हैं।

* शोधार्थी, शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (इतिहास) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

लोक गीत, लोक कथाएँ या लोक यात्राएँ हमे किसी क्षेत्र विशेष की सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराती हैं, उनमें लोक बोलता है। पात्रों के और चरित्रों के माध्यम से लोकमानस को वाणी मिलती हैं। लोगों की सोच का पता चलता है। अनेक संस्कार, आचरण, प्रथा, परम्परा द्वारा समाज का पूरा चित्र सामने आ जाता है। लोकगीतों को ही ले उनमें नारी जीवन की व्यथा, पुरुष का श्रम, दलित-पीड़ित और शोषित की पीड़ा, सामाजिक विसंगतियों के चित्र, जातीय समीकरण, वर्ग भेद, अमीरी-गरीबी के ताने बाने, झोपड़ी से लेकर महलों तक की गाथाएं होती हैं। मानव और मानवेतर जगत के सामंजस्य की कहानी उनमें विद्यमान रहती हैं।

लोक जीवन का हर पहलू लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है। जन-जन की रग-रग में रमी हुई रुढ़ियाँ संस्कृति की रीढ़ होती हैं, इसलिए लोक साहित्य में हमारे धर्म और संस्कृति के स्वरूप का संरक्षण होता है। आचार, विचार, पहनावा, विश्वास, आस्था, दान-पुण्य दया, परोपकार, करूणा, प्रेम, सद्भाव और वैर-विरोध, ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, अपने-पराये का भाव, हमारा रहन-सहन हमारी सोच-समझ, धर्म-कर्म, आहार-व्यवहार सब कुछ आदिकाल से अब तक एक सतत प्रकिया के रूप में अनवरत रूप में समाज को प्रभावित करते आए हैं। इनसे हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ है। सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताएँ सुरक्षित हैं। कहा भी गया है कि चिन्तन द्वारा अपने मन को सरस, सुंदर, कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शनशास्त्र के रूप में जो चिन्तन किया, साहित्य, संगीत और जो कला का सृजन किया, सामूहिक जीवन को सुखी बनाने को लिए जिन प्रथाओं और संस्थाओं को विकसित किया, उन सबका समावेश हम संस्कृति में करते हैं। लोक साहित्य में लोकजीवन की मूल चेतना प्रतिबिम्बित होती हैं। लोक साहित्य हमे अतीत से जोड़ता है, हमारे वर्तमान को आनंदित करता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। लोकगीतों में वचन को वाणी मिलती हैं और सामाजिक मूल्य अभिव्यक्त होते हैं।

लोक कथाओं में समाज की मान्यताएँ, चारित्रिक विशेषताएँ और जीवन मूल्यों के चित्र मिलते हैं। गाथाओं में विश्वास, मनोवृति, विचार और मान्यताएँ झलकती हैं। लोकोक्तियों और लोक मुहावरों में लोकानुभूति को वाणी मिलती हैं और अनुभव बोलता है। यहीं वह भावभूमि है,जिसे हम सांस्कृतिक तत्वों के पनपने, पल्लवित और विकसित होने के लिए उर्वर भूमि मानते है। यही जीवन की उदात्त वृत्रियों की धरती है, जिसकी संस्कृति के विकास में महती भूमिका है।

लोकनाट्यों के विभिन्न स्वरूप है। वर्षा के सुहावने मौसम में, जबकि किसान के प्राण फसलों के रूप में खेतों में लहराने लगते हैं, भादव माह के कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गॉवों में रास लीलाएं रचने लगते हैं, उसी प्रकार चिलचिलाती गर्मी के दिनों में भगवान राम के तपस्वी जीवन की तरह चैत्र की महीने रामनवमी के अवसर पर रामलीला होती है, इनमें ऐतिहासिक घटनाओं को स्थानीय पुट देकर रंगमंच पर अभिनित किया जाता है। इन लोक प्रहसनों में गीतों की भूमिका होती हैं।

लोकजीवन, परम्परा, संस्कृति को लोकसंतों के साहित्य ने अमृत दिया है। संतों ने सामाजिक सांस्कृतिक योगदान के रूप में विपुल साहित्य रचा, जिनमें लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। संस्कृति जीवन के पथ को आलोकित करती हैं। यह जीवन को उत्कर्ष की ओर उन्मुख करने का महत्वपूर्ण साधन है। यह हमे जीवन के शाश्वत और चिरंतन सत्य से पहचान कराती हैं। लोक जीवन हमारे विश्वास, पूजा अर्चना की पद्धति, टोने-टोटके, रीति-रिवाज, प्रकृति-पूजा, कुआँ पूजना, मुहूर्त निकालना, लग्न में विश्वास करना, फूलों का महत्व, नारियल से पूजा, तंत्र-मंत्र वृत-पर्व और त्यौहारों का महत्व, स्नान ध्यान की ओर दान-पुण्य की महिमा, भक्ति भाव और साधना, देवी-देवताओं में विश्वास, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य, रिश्तों की मिठास, संबंधों का महत्व, मैत्री, करूणा और परोपकार और सद्भाव का विचार आदि सभी बाते हमारी सोच और लोकचेतना से संबद्ध हैं। इन सभी का संबंध लोक जीवन से ही है और लोकमानस से भी लोक साहित्य और लोक संस्कृति का यही मूल भाव हमारे संस्कारों का उर्जा स्रोत है। लोक साहित्य की विकास यात्रा लोक संस्कृति को आधार प्रदान करती है। लोक साहित्य की सभी विधाओं में लोक जन के अनन्य पक्षों का समावेश होता है, धर्म-कर्म आचार-विचार को नियमित व निर्धारित करने में लोक साहित्य का अपूर्व योगदान है।

मानव जीवन की विकास यात्रा में आने वाले अवशेषों को काव्यमयी भाषा में संजोकर उसका समाधान भी खोजा गया है। लोकनाट्य हेय दृष्टि से देखे जा रहे हैं। आज तथाकथित सभ्य समाज इसे पाश्चात्य संस्कृति के काले चष्मे के कारण पिछड़ों, ग्रामीणों, अनपढ़ों, दलित-शोषित वर्ग और मजदूरों एवं श्रमिकों की थाती मानता हैं।

इस मानसिकता को बदलकर आज लोकसाहित्य के महत्व को समझने की आवश्यकता है। यहां पर डॉ. रामविलास शर्मा के विचार द्रष्टव्य हैं वह कहते है-'संस्कृति के सबसे मूल्यवान तत्व वे हैं, जो शोषक वर्ग के हितों का विरोध करते हैं और शोषित वर्ग हितों की रक्षा में सहायक होते हैं। ये तत्व शोषित वर्ग को बहुधा वर्गहीन आदिम समाजों से प्राप्त होते हैं। यह बात हमारी संस्कृति के आदिम स्वरूप और मूल तत्वों की ओर सचेत करती हैं। प्राचीन होते हुए भी लोकसाहित्य नित नवीन रहता है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वसन्त निरगुणे- निमाड़ी संस्कृति एवं साहित्य।
2. रामनारायण उपाध्याय- निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास एवं लोकसाहित्य समग्र।
3. ग्राम्य संस्कृति पत्रिका- जून 2012
4. डॉ. रामविलास शर्मा- लोक संस्कृति की विशेषताएं।

****

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ के भीलाला क्रांतिकारी

डॉ. प्रवीण मालवीय *

प्रस्तावना – भारत में स्वाधीनता संघर्ष का अंकुर वनों और पर्वतों के पीछे रहने वाले वनवासियों के बीच भी अंकुरित हुआ। इन वनवासियों के मन में अपनी माटी के प्रति समर्पण की अटूट श्रृद्धा थी। इनमें भील व भीलाला प्रमुख थे। 1857 की क्रांति के दौरान और उसकी असफलता के बाद भीलाला क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का साहस व शक्ति के साथ सामना किया और देश के लिए बलिदान दिया।

सर्वविदित है कि निमाड़ में विभिन्न भीलाला जनजाति के लोग रहते हैं। इनके बारे में यह माना जाता है कि राजपूत सरदारों का विवाह भील कन्याओं से होने के फलस्वरूप ये अस्तित्व में आये। 'भीलाला अन्य हिन्दुओं की तरह दिखते हैं और उनमें जनजातीय तत्व नहीं दिखते। यह बहुत संभव है चूंकि बहुत पहले भील इलाके में काफी तादाद में राजपूत बस गए थे, इसलिए उनमें राजपूत रक्त हो।'[1]

भीलाला समुदाय भीलों से ज्यादा आकर्षक और उग्र माना जाता है उनके प्रमुख शस्त्र तीर-कमान रहे हैं। भीलाला लोगों की आबादी ज्यादातर झाबुआ और बड़वानी इलाके में है। 1857 ई. के विप्लव के समय भीलालों ने भी अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और भीलों के साथ मिलकर अपना राष्ट्रधर्म निभाया।

सीताराम कँवर और रघुनाथ मण्डलोई, भीलाला जनजाति के नायक थे। उन्होंने 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ निमाड़ क्षेत्र में आवाज उठाई। शोषण के खिलाफ मोर्चा लिया और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए प्राणों का उत्सर्ग किया।

सीताराम कँवर – सीताराम कँवर भीलाला जनजाति के महान सेनानायक क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों द्वारा भील नायकों के दमन के बाद सीताराम कँवर और उनके साथी रघुनाथ सिंह मण्डलोई ने क्रांति की कमान संभाली। सीताराम कँवर ने होल्कर दरबार के सिपाहियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया साथ ही भील-भीलाला का संगठित दल बनाया, जिसमें 2-3 हजार लोग जुड़ गए। 'सितम्बर 1858 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होल्कर रियासत के इलाकों में और बड़वानी सियासत में गंभीर विद्रोह शुरू हो गया। इस इलाके में सीताराम कँवर ने होल्कर के सवारों, सिपाहियों आदि को अपनी ओर मिला लिया था और अनेक भील और भीलाला भी उनके गिरोह में शामिल हो गए।'[2]

सतपुड़ा रेंज के भीलों को विद्रोह करने के लिए सीताराम ने काफी उकसाया। उसने यह घोषित कर रखा था कि वह पेशवा के लिए ही यह सब काम कर रहा है। प्रसिद्ध भील सरदार भीमा नायक की तरह सीताराम कँवर भी अंग्रेजों का माल लूटने में माहिर था। उसने बरूड़, बुड़वाली व बालसमदं जैसे स्थानों को लूटा जिससे अंग्रेज परेशान हो गए। '30 सितम्बर 1858 को क्रांतिकारियों ने सीताराम कँवर के नेतृत्व में बालसमुद चौकी पर अधिकार कर लिया तथा जामुनी चौकी को भी लूटकर जला दिया। आगे जाने पर उन्हें अफीम से लदी कुछ बैलगाड़ियाँ मिली, उन्होंने उन्हें भी लूटा और 10 मन अफीम पर हाथ साफ किया और लूटे गये माल को बीजागढ़ पहाड़ी पर ले गए। [3]

सीताराम को पकड़ने के लिए पाँच सौ रूपये के इनाम की सरकार ने घोषणा की। अकबरपुर इलाके में भी सीताराम ने विद्रोह खड़ा कर दिया। अत: मेजर कीटिंग ने रिसालदार फरजंद अली को 30 सवारों के साथ मण्डलेश्वर से अकबरपुर भेजा। फरजंद अली रिसालदार अकबरपुर आया। यहाँ पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि दक्षिण के लिए तारों का आना जाना बंद है, क्योंकि विद्रोहियों ने तार काट लिये थे। रात को मेजर कीटिंग को ख़बर मिल गई कि विद्रोही पहाड़ी से नीचे रास्ते पर उतर आये हैं। विद्रोहियों ने नीचे आते ही 2 चौकियाँ नष्ट कर दी। डाकघर नष्ट कर दिया तथा डाक के घोड़ों को छीन लिया।

अब मेजर कीटिंग ने सीताराम को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया। वह जुलवानिया से चलकर पुण्डाली आया। यहाँ उसे मालूम हुआ कि सीताराम पिछली रात को पहाड़ी छोड़कर बरूड़ गाँव को लूटने के लिए चला गया है। अस्तु मेजर कीटिंग ने सीताराम के घेराव के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की उसने रिसालदार फरजंद अली के साथ 100 से अधिक सवार रखे वहाँ सीताराम के न मिलने के कारण ब्रिटिश फोर्स बुड़वाली की ओर बढ़ गई क्योंकि अनुमान यह था कि सीताराम का दल बरूड लूटकर यहीं से गुजरेगा। यहाँ होल्कर रियासत का सेनाधिकारी बख्शी खुमानसिंह भी होल्कर सेना को लेकर मेजर कीटिंग के साथ था। मार्ग में कुछ भीलाला क्रांतिकारी मिले। फोर्स को देखकर इन क्रांतिकारियों ने यहाँ से चले जाना ही उचित समझा। लेकिन 2 भीलाला पकड़े गए। जोर जबरदस्ती कर उनसे मालूम किया कि सीताराम अनाज तथा पीतल के बर्तन से लदी बैलगाड़ियों को विद्रोहियों के ठहरने के स्थान पर ले जा रहा है। मेजर कीटिंग की फोर्स अब और आगे बढ़ी। बरूड से बीजागढ़ जाने वाले मार्ग पर बुड़वाली गाँव आया। वहाँ पर विद्रोहियों के पिछले भाग के कुछ व्यक्तियों को देखा गया जो कि लूट का माल ले जा रहे थे। ब्रिटिश फोर्स ने इन्हें ललकारा तो विद्रोहियों ने भागने का प्रयास किया। कुछ पकड़े भी गये और कुछ भागने में सफल हो गये। बैलगाड़ियों के पहियों के चिन्हों के आधार पर ब्रिटिश फोर्स आगे बढ़ती गई।

ब्रिटिश फोर्स का सीताराम के दल से बंड नामक स्थान पर युद्ध हुआ इसलिए इसे 'बंड का युद्ध' कहते हैं। इस मुठभेड़ में सीताराम कँवर साहस और शौर्य के साथ लड़े और शहीद हो गए। सीताराम का कटा सिर कैम्प में लाया गया। उसकी पहचान कर ली गई। सीताराम की मृत्यु के बारे में गवर्नर जनरल के एजेंट के 10 अक्टूबर, 1858 के पत्र से प्रतीत होता है कि 'सीताराम अपने पड़ाव से कुछ दूर फारिग होने की गरज से गया हुआ था। जब मेजर कीटिंग को इस बात की खबर लगी तो वह फौरन सीताराम के पीछे हो लिया व अपने

* (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

तथा होल्कर के कुछ सवारों को लेकर वहाँ आ पहुँचा जहाँ सीताराम फारिग हो रहा था। उस पर कीटिंग की फोर्स ने यकायक गोलियाँ दागी। सीताराम तथा अन्य 12 विद्रोही पकड़ लिये गये और उनके 12 घोड़े तथा सभी सामान को भी छीन लिया गया। पत्र में यह भी उल्लेख है कि सीताराम के कटे सिर से उनकी पहचान कर ली गई। पत्र आगे बताता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वह मारा गया है।'[4]

सीताराम के साथ विद्रोह करने के अपराध में जितने भी लोग बंदी बनाये गये थे, उन्हें इंदौर से मुक्त कर दिया गया और वकील के जरिये उन लोगों को मुक्त करने की कोशिश भी की गई जो मण्डलेश्वर में कैद थे। सर्वत्र यह सोचा जा रहा था कि इंदौर से ही यह सब हो रहा है।

रघुनाथ सिंह मण्डलोई भीलाला – भील-भीलाला समाज की एक विशेषता थी कि उसके नायक के शहीद होने पर दूसरा बिना रूके मोर्चा सम्भाल लेता था। यही वजह है कि वनांचल से उठी आवाज कभी नहीं रूकी। सीताराम कँवर के शहीद होते ही अक्टूबर 1858 के आसपास टाण्डा-बरूड़ के रघुनाथ सिंह मण्डलोई भीलाला ने अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दीं । इंदौर दरबार ने रघुनाथ सिंह मण्डलोई का क्षेत्र बलवंत सिंह मण्डलोई के नाम कर दिया और हिदायत दी की वह होल्कर सरकार के आदेशानुसार रघुनाथ सिंह और उसके सहयोगियों को पकड़ने का प्रयास करे और अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करें।

'कीटिंग ने अपने 2 अक्टूबर, 1858 के पत्र में उसे उचित सहायता देने का भी आश्वासन दिया। जब रघुनाथ सिंह को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था तब उसने तथा उसके साथियों ने अनेक भीलों को एक जगह आमंत्रित किया । फिर क्या था, रघुनाथ सिंह की विद्रोहात्मक गतिविधियाँ और भी तेज हो गईं। वे बरूड़ इलाके के अनेक गांवों को लूटने लगे। यहाँ तक कि बरूड़ के वहिवटदार को पकड़कर अपने साथ ले गए। अब सरकार ने टीकाराम जमादार को बरूड़ का वहिवटदार बनाया। इसके अलावा बरूड़ के दौलतसिंह जमींदार को आदेश दिया कि वह टीकाराम को वहाँ के थाना का चार्ज दे दे और दोनों यानि दौलतसिंह मण्डलोई और टीकाराम जमादार मिलकर विद्रोह को शांत करें तथा पूरे बरूड़ के इलाके की रियाया को अपने विश्वास में रखे तथा वहां के विद्रोहियों को पकड़े।'[5]

रघुनाथ सिंह मण्डलोई भीलाला, मण्डलोईयों की बिरादरी का पटेल था। भीलाला और मण्डलोई बिरादरी के सभी लोगों को बता दिया गया था कि जो भी व्यक्ति रघुनाथ सिंह मण्डलोई का साथ नहीं देगा वह बिरादरी से निकाल दिया जायेगा। इस मंतव्य के साथ ही सम्पूर्ण भीलाला समुदाय एक जुट हो गया और रघुनाथ सिंह मण्डलोई के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरूद्ध क्रियाकलाप बढ़ गए।

सरकार ने सोचा कि आसपास के इलाके में शांति स्थापित करने की गरज से इनकी बिरादरी के किसी पटेल और मण्डलोई को मिला लिया जाए, जिससे आसपास भीलाला लोग एकत्र हो जाए। तद्नुसार होलकर सरकार ने टाण्डा-बरूड़ निवासी दौलतसिंह को मण्डलोई नियुक्त कर दिया। वह तुरंत नौकरी में आ गया और तत्काल उसके प्रभाव का परिणाम देखा गया, पर होल्कर दरबार ने उसे शुरू से ही उसकी नियुक्ति का राजस्व एकत्र नहीं करने दिया और होलकर दरबार ने विद्रोही मण्डलोईयों को ही उनके पद पर बनाए रखना तय किया। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह मण्डलोई को पकड़ने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई पर नाकाम रहे। 'जब रघुनाथ सिंह मण्डलोई पकड़ में नहीं आ रहा था तो होलकर रियासत के सेनाधिकारी बख्शी खुमानसिह ने अपने 4 अक्टूबर, 1858 के पत्र में होल्कर राज्य के दीवान रामचन्द्र भाउ साहब को लिखा कि रघुनाथ सिंह के पूरे परिवार को बंदी बनाया जाए साथ ही दौलतसिंह को उससे पूर्व में छीना गया वतन उसे वापस कर दिया जाए, इससे रघुनाथ सिंह के दल को अलग करने में आसानी रहेगी तथा दौलत सिंह के पास अनेक भील आ जायेंगे।'[6]

रघुनाथ सिंह मण्डलोई अपने अभियान के बाद अक्सर बीजागढ़ में ठहरते थे। उन्हें पकड़ने के लिए मेजर कीटिंग बीजागढ़ किले पर धावा बोलने हेतु एक फोर्स लेकर बीजागढ़ के लिए चला। बड़वानी में होलकर राज्य की फोर्स भी कीटिंग से आ मिली। अगले दिन वह जलालाबाद नामक गाँव पहुँचा । इस स्थान से बीजागढ़ किले पर एकत्रित विद्रोही दिखाई देते थे। मेजर कीटिंग ने बीजागढ़ किले में रघुनाथ सिंह मण्डलोई तथा अन्य एकत्रित क्रांतिकारियों के पास संदेश भेजा कि वे बातचीत के लिए आगे आएं। इस पर रघुनाथ सिंह मण्डलोई कीटिंग के पास आए तथा शस्त्र रखने एवं अपने-अपने क्षेत्र में जाने देने की मांग की। इस प्रकार आधा घण्टा तक चर्चा होती रही, लेकिन मेजर कीटिंग ने धोखे से युवा रघुनाथ सिंह को बंदी बना लिया। बख्शी खुमानसिंह की मौजूदगी में मण्डलोई के साथ समझौता हुआ कि रघुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा के लिए अन्यत्र न भेजा जावे और न ही उसके पैरों में बेड़ियाँ डाली जावे।

अंतत: रघुनाथसिंह को बंदी बनाकर बख्शी खुमानसिंह को सौंप दिया गया, बख्शी खुमानसिंह ने उन्हें खरगोन भेज दिया। मण्डलोई की प्रतिष्ठा को देखते हुए होलकर दरबार द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि उन्हें जेल में न रखते हुए किसी अच्छे स्थान पर रखा जावें ओर यदि वे अच्छी जमानत देता है तो उसे मुक्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

रघुनाथ सिंह मण्डलोई भीलाला फिर कहाँ रखा गया, वह कब तक जीवित रहा और उसका क्या अंत हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती।

'रघुनाथ सिंह मण्डलोई भीलाला के शहादत की जानकारी अज्ञात हैं।'[7]

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. दी ट्राईब्स एण्ड कॉस्टस् ऑफ दी सेन्ट्रल प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, जिल्द 1 एवं 2, संस्करण 1997 पृष्ठ 293-95
2. फैजेस ऑफ फ्रीडम, स्ट्रगल इन मध्य भारत, लेखक - बी.एन. लुणिया, पृष्ठ - 371 (2 एवं 5)
3. 1857, मध्य प्रदेश के रणबांकुरे, लेखक -डॉ. सुरेष मिश्र एवं भगवान दास श्रीवास्तव, प्रकाशक-स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल, संस्करण 2007, पृष्ठ - 228 (3 एवं 4)
4. रा.अ. कंसलटेशन्स 173, दिनांक 14.01.1859 एवं पॉलिटिकल पत्र संख्या 13, दिनांक 12.10.1858
5. रोटी और कमल की कहानी, लेखक-अनिल माधव दवे, प्रकाशक-स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, पृष्ठ-60

****

मध्यकालीन मालवा की शिल्प एवं दस्तकारी बस्तियॉ

डॉ. मलिका खान *

प्रस्तावना – मध्यकालीन मालवा में दस्तकारी उद्योग एवं बस्तियों पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र की इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, जावरा, बड़वानी, रतलाम, मंदसौर, सांरगपुर एवं महेश्वर आदि अनेक बस्तियों की दस्तकारी का विशद् विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैं कि इन बस्तियों की दस्तकारी मालवा में ही नहीं वरन् संपूर्ण भारत तथा विश्व के विभिन्न देशों में भी प्रसिद्ध थी।

मध्यकालीन मालवा की प्रसिद्ध नगरी इंदौर बुनकरों एवं वस्त्र शिल्पियों के निवास का प्रमुख केन्द्र थी। महारानी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा महेश्वर में वस्त्र एवं साड़ी उद्योग में काम करने वाले वस्त्र शिल्पियों के विकास के लिए प्रशासकीय स्तर पर कई प्रशंसनीय एवं स्मरणीय कार्य किये जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन बुनकरों एवं शिल्पियों के प्रमाण मालवा के लोकगीतों में भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में भी स्थानीय बुनकरों द्वारा केवल साड़िया ही नहीं वरन् दुपट्टा, सलवार, सूट, कमीज और अन्य ड्रेस
मटेरियल भी तैयार किया जाता हैं जो देश भर में आसानी से उपलब्ध होता है।

इस तरह स्पष्ट होता हैं कि महेश्वर की साड़ियाँ निश्चित ही इतिहास, संस्कृति एवं दस्तकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मध्यकालीन मालवा के उज्जयिनी में निर्मित हथकरघा वस्त्र एवं झाडू दस्तकारी की महत्वपूर्ण वस्तुएँ थी जो विदेशों में निर्यात होने के प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। भैरवगढ़ मध्यकाल में छपे कंबल, कपडे, दरियाँ, आदि के लिये प्रसिद्ध था। भैरवगढ़ में जो मुस्लिम छिपे निवास करते थे तथा दस्तकारी करते थे, कि बस्तियों के प्रमाण मध्यकाल से लेकर आज तक मिलते हैं। दस्तकारी बस्ती रंगाई एवं वस्त्र छपाई की ग्रामीण तकनीकों से भलीभांति परिचित थी। इनके अलावा मध्यकालीन मालवा में कागदीपुरा, कराड़िया, सेजावदा, आलोट, महिदपुर, जावद, नीमच, मंदसौर, नरसिंहगढ़, जावरा, धानासुता, खाचरौद, गौतमपुरा, बड़नगर, सांवेर, क्षिप्रा आदि दस्तकारी एवं वस्त्र बुनकरों की महत्वपूर्ण बस्ती होने के प्रमाण होते हैं।साथ ही वस्त्रों की रंगाई और छपाई के कार्य को पूर्ण करने में स्थानीय कलाविद सुतार बस्ती सांचे बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करती थी।इसके अलावा ज्ञात होता हैं कि रामपुरा, महिदपुर के बर्तन, कोलिकोप्रिंट एवं चित्र मध्यकालीन मालवा में प्रसिद्ध थे तथा इन बस्तियों ने स्थानीय स्तर पर उद्योग का जूते अर्थात् चमडे क़ा उद्योग विकसित था। इन वस्तुओं के आसपास के क्षेत्र एवं राजस्थान तक निर्यात होने के प्रमाण मिलते है। बड़नगर में जूते एवं कपड़ा बुनाई की बस्ती प्रसिद्ध थी।

मंदसौर एवं जावद के बुनकरों द्वारा निर्मित साड़िया, लुगडे एव चुनरियॉ गुजरात एवं सौराष्ट्र में प्रसिद्ध थी। सारंगपुर, बुनाई, कसीदाकारी तथा जरीवर्क के लिए तथा रामपुरा, भानपुरा एवं खडावदा, शाजापुर का दुपाड़ा सरोते के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। वही वर्तमान शाजापुर जिले के बड़ोद तहसील के सुधवास में कलीन निर्माण उद्योग के प्रमाण मिलते है जो कालीन निर्माण के बुनकरों की दक्षता को प्रकट करता हैं।

मध्यकालीन मालवा में लाख की चुड़ियाँ गुजरात एवं सौराष्ट्र में प्रसिद्ध थी। सारंगपुर, बुनाई, कसीदाकारी तथा जरीवर्क के लिए तथा रामपुरा, भानपुरा एवं खेड़ावदा, शाजापुरा का दुपाड़ा सरोते के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। वही वर्तमान शाजापुर जिले की बड़ोद तहसील के सुधवास में कालीन निर्माण उद्योग के प्रमाण मिलते है जो कालीन निर्माण के बुनकरों की दक्षता को प्रकट करता है।

मध्यकालीन मालवा में लाख की चुड़ियॉ, इंदौर, महेश्वर एवं रामपुरा में बनती थी। इनके अलावा मध्यकालीन मालवा में ताँबा, पीतल के बर्तन, लोहे की मेजे, चिटखनी, नकूचे, जरीरे, पेटियाँ, ट्रंक, तगारी, बाल्टी आदि बनाने वाले कारीगरों की अपनी अलग–अलग एवं समृद्ध बस्तियाँ थी। साथ ही लकड़ी की नक्काशी हमें आज भी किलों के प्रवेश द्वार, स्तम्भों पर हुयी नक्काशी से स्पष्ट होते हैं। इंदौर और रामपुरा सोने चांदी पर नक्काशी के लिए झालावाड़ के निकट गागरोन में ऊँट पर नक्काशी करने की दस्तकारी, मध्यकालीन मालवा में प्रसिद्ध थी।

विवेच्य काल में सोना, चाँदी, मणि मुक्ता के आभूषण बनाने की कला भी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस कला से जुडे क़ारीगर (सुनार) तत्कालीन समाज की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार के आभूषण निर्मित करते थे।

मध्यकालीन मालवा के समाज में लुहारों की अपनी समृद्ध बस्तियाँ थी जो लोह उद्योग में पारगंत थी और तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

मध्यकालीन मालवा में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक उन्नत अवस्था में था अत: इस उद्योग से जुड़ी बस्तियाँ अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इन बस्तियों में इन्दौर, मंदसौर, उज्जैन में मलमल एवं हरक (सूती वस्त्र) बुनने की प्रमुख बस्तियाँ थी। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन में सूती वस्त्र एवं जुलाहे तथा बुनकरों की समृद्ध बस्तियाँ होने के प्रमाण यह स्पष्ट करते है कि मध्यकालीन मालवा में जुलाहे एवं बुनकरो की बस्तियाँ विद्यमान थी।

इसके अतिरिक्त रूई पिंजने वालो की अलग बस्ती संपूर्ण मालवा में पाई जाती थी। साथ ही मध्यकालीन मालवा में कुम्हार बस्ती का पर्याप्त महत्व था। तत्कालीन मालवा में कुम्हार दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं के निमार्ण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे।मध्यकालीन मालवा में चर्मकार बस्ती उपेक्षित थी। तथापि तत्कालीन समाज की आवश्यकता पूर्ति हेतु चर्मकार बस्ती अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी।

मध्यकालीन मालवा में लकड़ी का कार्य करने वाले सुतारों की बस्ती भी महत्वपूर्ण थी। ये लोग अनेक कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में दक्ष थे। बांस चीर कर वस्तुएँ बनाने वालों की पृथक बस्ती थी। जो बागरी जाति के नाम से जाने जाते थे। रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, भिलसा, भोपाल, शाजापुर, सीहोर में पीतल तांबा एवं कांसे के बर्तन बनाने वाले ठठेरों की बस्तियाँ पायी जाती थी।

मध्यकालीन मालवा में चित्रावरण का कार्य चितेरे द्वारा किया जाता था। इनकी बस्तियाँ व समुदाय होते थे। माण्डवा एवं गोदना मध्यकालीन मालवा के प्रमुख शिल्प थे।मध्यकालीन मालवा दस्तकारी के गाँव एवं बस्तियाँ विकसित अवस्था में थी जो आज भी उनकी दस्तकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे – कसेरा बाजार, पटनी बाजार, धानमण्डी, नमकमण्डी, मालीपुरा, रंगरेज पुरा, तेलीवाड़ा, काछीवाड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

* विभागाध्यक्ष (इतिहास) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

The Role & Impact of Computer & Internet Access in School Children

Dr. Mamta Bajpai *

Introduction - It is a common place that the influence of technology in the modern world is pervasive. The allure of finding easier, faster, better ways of accomplishing a task is compelling. Most people rarely stop to assess the potential negative consequences that technology may produce. If they do, such considerations are often coupled with a belief that technology can itself, ultimately, resolve the eventuate problems. [1]

The consequences in education are that economic and political concerns take precedence over a pedagogy that supports the basic progress of children's development. An effort is needed to understand the processes involved in this fundamental growth. When this is done, it becomes clear that questions of appropriate usage and the timing of exposure to technology are critical to integrating computers into young lives. Computers are not demonic in nature. They are certainly useful tools should be suitably and thoughtfully integrated within educational system. [2]

However, exposing children to even a felicitous experience at the wrong time or in the wrong way may alter the manner in which they sense and perceive the world.

(See Table : 1 in last page)

Objectives of the Study

1. To understand the impact of computer & Internet on children and its impacts on their behaviors, especially on violence, formation of character and their studies and real life situations.
2. To find out the impact of computer on children, especially on the transfer of ideas on children in comparison with other media.
3. To find out the impact of computer on cognitive, social and health related development.
4. To asses the characteristics, development and applications of Computer and its many manifestation in day-to-day life.
5. To find out the content treatment and different phases of computer
6. To find out the impact of gender difference in matters of comprehension, social learning and attitude changes.
7. To understand the impact of computer on their behaviours, especially on violence, formation of character and their studies and real life situations.
8. To find out the impact of computer on psycho-social and health.
9. To find out the difference in usage of computers on basis of genders & class or age.
10. To check their knowledge through Test Questionnaire.
11. To computer the previous research done on similar subject.

Study area - This study will include the students of 10th to 12th class studying in government as well as private schools of Chhatarpur District in Madhya Pradesh with the facilities of computer in internet access.

(See Table : 2 in last page)

From each block 1 private 1 government schools is selected. Through this total & private & government schools are selected. Sampling is done by rely selection.

Methodology

Primary Data - With the main objectives in mind, I have opted a combination of survey method and content analysis of which is meant for children. I have scientifically studied the content and characteristics of 2D and 3D animation on children in visual media especially in computer and Internet in Chhatarpur over a period between 2014-15. Thus I have scientifically designated a questionnaire with the main objectives in mind.

Some Of The Findings - The present study provides an overview on the effects on the use of computer on children's physical, cognitive, and social development.

1. This study includes 600 Children 63.33% Children our personal computer & internet facility.Only 13.18% Children used internet at internet cafe. Today smartphone is the most common medium for internet usage.
2. 43% Children mainly use internet for social networking websites. Only 19% use internet for education purpose.
3. 51.8% children uses chatting groups to discuss & solve their problems. 159 girls out of 262 says that they discuss their problems with their family first .
4. 57.8% children use computer for chatting .24.61% children says that they use computer internet facility to search study related materials'. This is accepted by maximum girls.
5. Students of 10th class says that they uses computer mainly for chatting 69 out of 178 students of 12th class accepted they use internet mainly for project preparation
6. 35.3% & 31.3% children admit that their favorite websites is Facebook &Youtube respectively.
7. In space time 47% boys do chatting & 50.4% girls play

* Professor (Sociolgy) Govt. Maharaja College, Chhatarpur (M.P.) INDIA

computer games.

8. 61.8% boys & 46.2% girls admitted their level of tension is high when their parents get angry on them 17.5% boys & 8.8% girls admit that their level of tension is elevated if their homework is not completed.
9. 7.1% children play gamer for more than 4 hr while 65% children for 2hr.
10. 43.8% children admit that they suffer from neck pain on long hour usage of computer& 31.8% admit that they suffer from mental stress.
11. The evidence indicates that the use of computer increases better academic performance.
12 helps for better interaction compared with recognition, collaboration and problem solving.
13. The research findings indicate that use of computer especially playing games has a negative impact on children's friendship and family relationships.
14. The study shows that increased use of the computer & net causes loneliness and depression.

Positive Effects of Computer & Internet Access

1. The impact of Home computer use on children's activities and Development.

The research findings are more mixed. However regarding the effects on children's social development. Although little evidence indicates that the moderate use of computers to play games has a negative impact on children's friendship and family relationships, recent survey data show that increased use of the internet may be linked to increases in loneliness and depression of most concern are the findings that playing violent computer games may increase aggressiveness and desensitize a child to suffering and that the use of computers may blur a child's ability to distinguish real life from simulation. The author conclude that more systematic research is needed in these areas to help parents and policymakers maximize the positive effects and to minimize the negative effects of home computer in children's lives.

Information age. Although they are increasingly concerned about the influence of the Web on their children and are disappointed with their children's watching some of the online programs and the activities they engage in—such as games and browsing the Internet etc. Parents generally view computers favorably, and even consider children without computer programs to be at a disadvantage.

Creative Ability Test. Value of 'F' is 70.706, whilch is 0.01 better then level. So it concludes that there is difference in all three categories, actual of creative ability. There is significant effect on creative ability of using computer regularly, occasionally or with no use. So we conclude that if computer is used under parental guidance it will enhance creative ability of children.

Impact of Net on the Displacement other Activities - Children in homes without Computer and Internet spent more time doing schoolwork and reading magazines or newspapers, compared with children

in homes with Computer and Internet with computer game.

Impact of Computer Animation on Physical Well-Being - Since in the early years of computer technology began with video games in the 1970s and playing games has been the predominant computer activity for children overall. However studies have indicated, that playing animated computer games causes number of physical risks in children, including seizures, hand injuries, and changes in heart rate. Excessive computer animated game playing also has been associated with a form of tendinitis, called Nintendinitis, which is a sports injury characterized by.

Effect on Cognitive Skill and Academic Performance - Computers and the Internet are used widely by children for schoolwork and to obtain information, but whether home computer use can make children "smarter" remains an open question. Nevertheless, playing specific computer games has been found to have immediate positive effects on specific cognitive skills, and use of home computers has been linked to mildly positive effects on academic performance. With the narrowing of the gender gap in home computer use, early fears that girls are turned off by computer technology appear unfounded.

Computer Games and the Development of Cognitive Skill - Cognitive skill are the skill associated with thinking and knowing the skill required for children to understand language and number to reason and problem solve, and to learn and remember Although the term " cognitive skill" encompasses a broad array of competencies, research on the effects of computer use on cognitive skill has focused on the development of a specific set of visual intelligence skills crucial to the use of computer technology: spatial skills, iconic (or image representation) skill, and visual attention skill.

Computer application of many kinds, and especially computer games, are designed in ways that emphasize visual rather than verbal information processing. Consider popular action games with their rapid movement, imagery, and intense interaction, plus various activities occurring simultaneously at different locations on the screen. Studies indicate that children who play such games can improve their visual intelligence skill-skills that may provide them with " training wheels" for computer literacy such skill may be especially useful in the fields of science and technology. What research exists, however, appears to corroborate parents perceptions that home computer use is related to better academic performance. For example, early home computer use studies found that high school students who used educational software at home scored significantly higher than other students on computer literacy tests Home computer use has been linked to improvements in general academic performance as well.

Conclusion and Suggestions - As well as pressuring children into mature behavior, studies of the effects of computer/video games, suggest the following recommendations:

1. Children's needs are increasing according to new world. Mentality is also changed, now children like to take decisions themselves. responsibility of financial, emotional and psychological safety is increasing among parents while time and adjustments between parents and children is decreasing. Obviously behavior of

children is changed but the work to give them safety, cooperation is also increased (father used to be the ideal of children). Therefore do behave like an ideal with children.

2. Deal conthsummarthen when talking to children do not siold, cuhen year are talking to them vother tell them hotiently.
3. Do say "No" on any inappropriate thing so that children can learn that no can also be said.
4. Do behave what you want them your children to behave.
5. Father child relationship should be like a rite's string whether tight than loose.
6. Set a good example, by not watching computer while your children are doing homework.
7. Spend time together, as a family, doing healthy activities, like hiking or hobbies, rather than watching computer. Your children will thank you later on, and your mental and physical health will be better.
8. Heed computer game ratings.
9. Don't forget to use parental controls.
10. Put your children on a media diet.
11. Set limits and logical consequences. Don't be afraid to say no.
12. Play what your kids play and watch what they watch to learn what they're experiencing.
13. For very young children, hard core, rigid academics may have a downside by negatively affecting brain function, motivation and spirit. For children there is no substitute for good, old fashioned play.
14. Exposure to mature computer shows, hanging out with mature crowds or raising kids to be too mature at an early age, robs kids of their childhoods.
15. A final note: Television, computer and Computer games are not play activities since studies on the negative effects of Computer addiction show that these activities interfere with successful child functioning and damage children's health, whereas play does the exact opposite.
16. Child's play is usually characterized by mind enlivening imagination, creativity, social cooperation, and physical movement. One tends to be mind elevating and enlivening, the other, mind numbing. Therefore, always encourage your child to play the old fashioned way.

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहूजा, राम (2004) सामाजिक अनुसंधान, रावत प्रकाशन, जयपुर।
2. अरूण कुमार सिंह : समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास बंगलो रोड, दिल्ली 110007
3. अमर कुमार : योगेन्द्र सिंह समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली।
4. अमरनाथ राय मधु अस्थाना : निर्देशन एवं परामर्शन (संप्रत्यय क्षेत्र एवं उपागम),मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक प्रा.लि.41 यू.ए. बंगलो रोड जवाहर, नगर दिल्ली 110007
5. बर्मन, गायत्री (2005), किशोरावस्था, द्वितीय संशोधित संस्करण, शिवा प्रकाशन, इन्दौर, पृ. क्र 131
6. भार्गव, ऊषा (1993) किशोर मनोविज्ञान, हरिप्रसाद भार्गव आगरा, प्रथम संस्करण।
7. वर्मा, डॉ. प्रीति, श्रीवास्तव डॉ. डी.एन. (2007-08) बाल मनोविज्ञान: बाल विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा, पंद्रहवॉ संस्करण।
8. चौबे, एस. पी. (2002), किशोर मनोविज्ञान के मूल तत्व, कान्सेप्ट प्रकाशक।
9. डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव : व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
10. जी.डी. अवस्थी, सुधीर कुमार निगम : परिमाणात्मक पद्धतियाँ, भारत बुक सेण्डर 17 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
11. जी.आर.मदन : विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली-7
12. डॉ. गणेश पाण्डेय : सामाजिक मनोविज्ञान, राधा पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली-110002
13. श्रीमती गायत्री बर्मन : किशोरावस्था, शिवा प्रकाशन श्रीगणेश मार्केट,खजूरी बाजार, इन्दौर।
14. कटार सिंह : ग्रामीण विकास सिद्धान्त, नीतियाँ एवं प्रबन्ध, रावत पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली।
15. डॉ. मुहम्मद सुलैमान : मनोविज्ञान शिक्षा एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक प्रा.लि.41 यू.ए. बंगलो रोड जवाहर नगर, दिल्ली 110007

Position of Higher Secondary Schools in Chhatarpur

Chhatarpur has eight blocks in which following number of Government and private schools are present:

Table No. 1

Session – 2013-14

S.	Blocks	Govt. School			Private School		Total Sec
		High School	Higher Secondary	Central	High School	Higher Secondary	
1.	Badamalahara	13	10	0	04	02	29
2.	Bijawar	05	10	0	04	03	22
3.	Buxwaha	05	05	0	03	01	14
4.	Barigarh	12	07	0	07	03	29
5.	Ishanagar Chhatarpur	09	16	11	35	30	91
6.	Lavkush Nagar	10	08	0	11	0	29
7.	Nowgong	19	10	01	22	16	68
8.	Rajnaagar	10	08	0	10	08	36
	Total	83	74	02	96	68	318

In Chhatarpur District these are 318 schools.

Table : 02

S.	Blocks	School Name	No. of students class wise						Grand Total	
			10th		11th		12th			
			Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
1.	Badamalahara	1. Govt. H.S. Excellence School	69	15	33	03	28	04	130	22
		2 ShriMahaveer Bal. Sanskar	62	31	0	0	0	0	62	31
2.	Bijawar	1. Excellence School, Bijawar	68	13	46	15	44	0	158	28
		2. Bundelkhand HSS Bijawar	154	87	62	34	114	73	330	194
3.	Buxwaha	1. Govt. HS Model school Buxwaha	47	34	37	18	38	22	122	74
		2. HSS SKJ Nainagiri	26	12	25	09	23	06	74	27
4.	Barigarh	1. Govt. HS Excellence School	50	29	26	20	33	21	109	70
		2. HSS Nehru School Pahra	28	13	16	24	39	23	83	60
5.	Ishanagar Chhatarpur	1. Govt. H S Excellence school	67	9	29	9	12	3	108	21
		2. KendriyaVidyalaya HSS Chhatarpur	37	39	39	35	23	19	99	93
6.	Lavkush Nagar	1. Govt. H S. Excellence School Lavkushnagar	49	5	13	3	42	5	104	13
		2. ShriVigyan HSS Lavkushnagar	326	139	240	128	274	134	840	401
7.	Nowgong	1. Govt. HS Excellence Nowgong	86	31	65	16	39	20	190	67
		2. Mahatma Gandhi HSS Garimalahara	110	52	72	17	221	39	403	108
8.	Rajnaagar	1. Govt. HS Model School Rajnagar	56	02	39	7	27	03	122	12
		2. Pranvanand PS Khajuraho	73	29	27	26	21	12	121	67
	Toatal		1308	540	769	364	978	384	3055	1288

****

Role of NGO's in Disaster Management

Khurshid Ahmad Malla * Dr. P.B Sengupta **

Abstract - This paper highlights the importance of NGOs in managing a disaster. The main thrust of this paper is to explore the role of NGOs in the post- disaster management. NGOs are in a unique position to mobilize communities at the grassroots level in providing disaster management programmes. The study was carried out in the Kashmir division of India, the study analysis the role of NGOs in providing rehabilitative programmes and the social work intervention among the victims.

Introduction - Disaster management is the discipline of dealing with and avoiding both natural and manmade disasters. It involves preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disasters. All aspects of emergency management deal with the processes used to protect populations or organizations from the consequences of disasters, wars and acts of terrorism. Disaster management doesn't necessarily avert or eliminate the threats themselves, although the study and prediction of the threats is an important part of the field. The basic levels of emergency management are the various kinds of search and rescue activity.

Kreps (1984), elaborating upon an earlier attempt by Fritz, gave a more detailed of disaster in the following definitions: "Disasters are events, observable in time and space, in which societies or their large such- units (e.g. communities, regions incur physical damages and losses and/ or disruption of their routine functioning). Both the causes and consequences of those events are related to the social structures and processes of society or their sub-units".[1] UNDRO (1984) has defined a disaster in more qualitative terms: "An event, concentrated in time and space, in which a community undergoes severe danger and incurs such losses to its members and physical appurtenances that the social structure is disrupted and the fulfillment of all or some of the essential functions of the society is prevented".[2]

The Jammu and Kashmir has a long history of natural disasters and is witnessed many natural disaster especially in the 19th and early 20th century. The disaster management is becoming the burning issue all over the world especially country like India.

Emerging trends in managing natural disaster have highlighted the role of NGOs as one of the most effective alternative means of achieving an efficient communication link between the disaster management agencies and the affected community. Many different types of NGOs are already working at advocacy level as well as grassroots level. In typical disaster situations, they can be of help in preparedness, relief and rescue, rehabilitation and reconstruction, and also in monitoring and feedback. The role of NGOs is a potential key element in disaster management. The NGOs operating at grassroots level can provide a suitable alternative as they have an edge over governmental agencies for involving community involvement. This is chiefly because; the NGO sector has strong linkages with the community base, and can exhibit great flexibility in procedural matters vis-à-vis the government.

Review of literature - NGOs played an important role during seventies and more in eighties, there has been an explosion in the number of INGOs and an upsurge of interests in realistic answer to problems over a kind of neglected issues related to ecological degradation, waste land development, appropriate technologies, rights of people over common property resources, health welfare, family welfare, women's rights and disaster management etc. in 1992, the literature on INGOs working style has exploded and focus of INGOs activity has expanded and shifted from development as delivery to development as leverage, for example the patterns of poverty and insecurity, violence within and between countries.[3]

The role of NGOs in developmental process has mushroomed across the world addressing every conceivable need in seemingly every corner of the world's poorest continent. Apart from socio- economic development they also involve themselves to understand the universal principles of emergency management and offered many academic courses to build a solid foundation of expertise in disaster preparedness, response and management, including the private sector and academia. With the increasing recognition of the plight of disaster victims and the vulnerability of nations, the number of INGOs focusing on international humanitarian relief and development has grown exponentially. NGOs have significantly improved international relief agency efforts ability

* Research Scholar, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.) INDIA
** Prof. & Head (Sociology & Social Work) Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.) INDIA

to address the victims need with their diverse range of skills and supplies.[4]

NGOs in the field of disaster management and humanitarian assistance tend to have common background and they have defined mission that guides their actions. For instance their focus on disaster management provide a great many required resources and services in the fields of agriculture and allied activities, counseling education, health care, emergency response, safer water food nutrition, clothing, sanitation, shelter, community development, environment, employment and skills training services, peace building and victims security and safety.[5] the role of NGOs playing an important role in providing services in pre and post- disaster management to victims for reducing their sufferings and pain.

Objectives

1. To know the role of NGOs in integrated rehabilitation among respondents.
2. To know the social work intervention among victims.

Action plan

1. To make coordination between the concerning deportments for rehabilitation amongst the victims.
2. To make coordination between NGOs and victims after disaster inmates.

Tentative expectations

1. There is a relationship between the concerning deportments and rehabilitation process.
2. There is a relationship between the NGOs and integrated rehabilitation deportments

Methodology - The design of the study is exploratory cum descriptive. The empirical primary data used for analysis purpose. The study will describe the role of NGOs in rehabilitation among victims after the disaster inmates.

Area of the study - The study has been carried in the Kashmir division of Jammu And Kashmir State. Owning to its peculiar topography, rugged terrain, extreme weather conditions and underdeveloped economy, the state has suffered a lot on account of natural disasters. The Jammu and Kashmir state is divided into three divisions; the Kashmir division is one of them. According to the census of 2011 the population of Kashmir division is 6,907,623 and the total area covered is 15,948 (km^2). The study is based on the victimized people of Kashmir division through natural disasters mainly earthquake 2005 and flood 2014.

Size of sample and selection of respondents - 300 respondents have been selected for study. The respondents are the victimized people and the family members of the casualties of disaster inmates. The purposive sampling method is used for selection of respondents.

Data collection and Analysis - Observation and interview schedule is used for data collection. After editing the data properly has been tabulated and used statistics.

Role of Non- Governmental Organization (NGOs) in providing the rehabilitation programmes among the victims - In the surroundings of Government Organizations contribution the relief/ rehabilitation efforts of such a magnitude and scale could not have been successful without the whole hearted support from the Non- governmental organizations from within and outside the state. These organizations are best known for their modes of functioning at the grassroots level. So for the rehabilitation of the affected population is concerned, which include various aspects of overall socio- economic development viz revival/ strengthening of agriculture, livestock, education, health and housing/ shelter.

(See table in next page)

The NGOs has provided various rehabilitative programmes among victims through which they can cope up from these emerging problems. From the above table (1.1) it is clear that out of three hundred (300) respondents; 233 respondents i.e. 67.66% of respondents are agree that the NGOs intervene in rehabilitation programmes among victims, 67 respondents i.e. 22.33% of respondents are not agree that NGOs intervene in rehabilitation among victims. The 203 respondents i.e. 57.66% of respondents have received agricultural support from NGOs, 144 respondents i.e. 48.00% of respondents have received livestock rehabilitation from NGOs, and 172 respondents i.e. 57.33% of respondents have received medical support from NGOs, 216 respondent's i.e. 72.00% of respondents have received house hold goods like raw material, household items, financial support etc. from NGOs, 228 respondents i.e. 76.00% of respondents have received educational services from NGOs and 233 respondents are agree that they have received immediate/ long term requirements in the form of dry ration and important construction materials. Overall the victims of the study area are very much thankful of NGOs in providing such a role through which they saved our crucial lives from the events.

Conclusion - To conclude, in the background of foregoing discussion, an inclusive study was carried out to explore the role of NGOs in providing relief and rehabilitative programmes among the victims. The rehabilitation process involves the overall themes of socio- economic development such as agriculture, health, housing/ shelter, livestock and education of the affected people were dealt with. Overall the NGOs had played a vital role in providing the rehabilitative programmes among the victims. The NGOs played a key role in disaster management in Kashmir division of India.

References :-

1. Kreps (1984), Sociological Inquiry and Disaster Research, Annual Review of Sociology, 10, pp.309-312.
2. Singh tej, Disaster Management, Approaches and strategies, Akansha Publishing House New Delhi, (2006), pp.2.
3. Behera C.M. 2005. Globalization and Rural Development. Common Wealth Publishers, New Delhi.
4. Coppla D.P. 2007. Introduction to International Disaster Management. Elserich, New York, Oxford.
5. Jammu and Kashmir Development Report, 2014. http://planningcommission.nic.in/plans/stateplan/index.php?state=sdr_jandk.htm

1.1. Intervention of NGOs in rehabilitation among victims:

S.	Rehabilitation programmes received from NGOs	Distribution of Respondents		Overall Distribution of Respondents	
		Numbers	Percentage	Numbers	Percentage
1.	Did NGOs intervene for rehabilitation	233	67.66%	300	100.00%
	Not intervened	67	22.33%		
2.	Agriculture support received	203	57.66%	300	100.00%
	Not received	97	32.33%		
3.	Livestock rehabilitation received	144	48.00%	300	100.00%
	Not received	156	52.00%		
4.	Health/medical services received	172	57.33%	300	100.00%
	Not received	128	42.66%		
5.	House hold goods received (tent houses,blankets,mattresses etc.)	216	72.00%	300	100.00%
	Not received	84	28.00%		
6.	Received educational support	228	76.00%	300	100.00%
	Not received	72	24.00%		
7.	Providing long/short term services.	233	67.66%	300	100.00%
	Not received	67	22.33%		

****

शासकीय चिकित्सालयों में उपचार हेतु भर्ती महिलाओं की समस्याएँ एवं समाधान

ममता गोयल *

प्रस्तावना – परिवार नियोजन के मामलों में कुछ बुनियादी बाधाएं है जिनका समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करने की जरूरत है।

प्रसव क्रिया – जनजातीय लोग घर पर ही गांव की किसी अनुभव महिला से प्रसव करवाते है। इसके कई कारण है। पर इनमें उनकी परम्पराएं सर्वप्रमुख है। दूसरे कारणों में गांव के स्तर पर प्रसव कराने की कोई सुविधा नहीं है। अत: पास–पड़ोस के किसी कस्बे में जाकर वक्त बेवक्त प्रसव के लिए गर्भवती को ले जाना खतरे से खाली नहीं होता। आवागमन के लिए बैलगाड़ी के अलावा दूसरा कोई साधन भी नहीं है, किन्तु उबड़–खाबड़ रास्ते से रात–बेरात बैलगाड़ी से महिला को प्रसव के लिए ले जाना कठिन है। उसमें गर्भवती को उसके होने वाले बच्चे को जिंदगी से खतरा ही रहता है। अत: घर के वातावरण में बिना स्टरलाइस्ट औजारों से उन्हें प्रसव क्रिया सम्पन्न कराना होती है। अक्सर ऐसे प्रसवों में दोनों को जान से खतरा होता है। टिटेनस होने का खतरा है। नवजात बच्चों की जन्मता पीलिया होने का भय होता है। बच्चे का बच्चेदानी में उल्टा सीधा फंसा होना भी प्रसव को खतरनाक बना देता है फिर भी वे लोग परम्पराओं के वशीभूत होकर घर पर ही प्रसव करा लेते है।

परिवार नियोजन करवाना अथवा उसके बाह्य साधनों का इस्तेमाल करना भी उनकी परम्पराओं में नहीं है। वे परिवार नियोजित नहीं करना चाहते। इस मामले में उनकी धार्मिक विचारधारा भी आड़े आती है।

बाल विवाह का परिवार नियोजन पर प्रभाव – जनजातियों में लड़का–लड़की की 14–15 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया जाता है। वे बौद्धिक रूप से और शारीरिक दृष्टि से परिपक्व भी नहीं होते। ऐसी कच्ची उम्र में लड़की माँ बन जाती है, इसलिए बालक शरीर और बुद्धि से कमजोर रहता है। वे पूर्ण समझदार भी नहीं होते और माता–पिता बन जाते हैं। इसके बाद संतानोत्पत्ति का सिलसिला थमता नहीं है और 20–22 साल की उम्र तक वे 3–4 बच्चों के माता–पिता बन जाते हैं। अत: कम उम्र में लड़की पर प्रसूति का बोझ पड़ता है। 25–30 साल की उम्र तक आते–आते वे बूढ़ी दिखाई देने लगती है। प्रसवकाल में उन्हें खाने–पीने को भी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। अत: वे बेहद कमजोर हो जाती है। सामान्यतया 40–50 वर्ष की आयु में वे अत्यंत बूढ़ी हो जाती है। लड़का भी परिवार का बोझ संभालते संभालते असमय वृद्ध हो जाता है।

प्रसूता को प्रसव के तत्काल बाद शराब भी पिलाई जाती है, जिससे प्रसव के पश्चात् दर्द सहने की ताकत मिले। शराब के नशे में वह दर्द के एहसास को भूल जाती हैं और पौष्टिक पदार्थ के स्थान पर उसे मछली या मांसाहार भी कराते जिससे पौष्टिक पदार्थ मिल सके। अक्सर उसके शरीर में प्रसव के बाद गर्मी उत्पन्न हो इसके लिए केकड़े का सूप भी पिलाया जाता है। इसी प्रकार के अंधविश्वास अलग अलग क्षेत्रों में पाये जाते हैं। और उससे उत्पन्न संकटों के निवारण के तरीके भी अंधविश्वास से भरे पड़े हैं।

परिवार नियोजन के मामलों में यहीं देखने में आया हैं वे परिवार नियोजन की अवधारणा उसके व्यापक उद्देश्य और उसके दूरगामी सुखद परिणामों से पूरी तरह से असहमत है बल्कि यूं कहा जाये कि उनकी समझ अभी इन बातों को समझने में नितान्त अधूरी ओर अपरिपक्व हैं। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही ऐसी अंधविश्वासों की स्थितियों में बदलाव आने का एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है।

सहयोग का अभाव – महिला चिकित्सालय में भर्ती महिलाओं एवं बीमारी के लिए आयी महिलाओं को डॉक्टरों एवं नर्सों का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता, जिसके कारण ठीक से उनका इलाज नहीं हो पाता है। इलाज ठीक न होने से तथा सहयोग न मिलने पर उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। उस पर उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक काम का बोझ है। रोजमर्रा के काम जैसे दोनों समय भोजन पकाना, घरेलू काम करना, घर के जानवरों की देखभाल करना, बच्चों का लालन पालन और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतीबाड़ी का काम करना उस पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त घरेलू जानकारी के लिए चारा काटकर लाना तथा ईंधन जुटाना जैसे काम भी उसे ही करना पड़ते हैं। जीवन स्तर घटिया होने से उसे गर्भवती की स्थिति में आवश्यक पोषण भी नहीं मिलता। उस पर प्रजनन का भार वहन करना–इत्यादि कठोरताओं के कारण वह असमय में बूढ़ी और कार्य के लिए अक्षम हो जाती है। इसके अलावा कम उम्र में विवाह का बोझ उस पर लादा जाता है। जनजातीय समूह में उक्त कारणों से बाल मृत्यु दर अधिक है। इसमें घर पर ही गंदे वातावरण में प्रसव कराने पर भी बाल मृत्यु दर अधिक है। इसी प्रकार प्रसव के दौरान का प्रसव पश्चात् मातृ मृत्य दर भी अधिक है।

परामर्श का अभाव – महिला चिकित्सालय में भर्ती महिलाओं का परामर्श नहीं दिया जाता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए आदि का परामर्श नहीं मिलता, जिसे उन्हें जानकारी नहीं रहती, तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिला प्रसव अब दवाखाने में सुरक्षित तरीके से करने की भी शुरूआत हो गई है और अब महिलाएं सुरक्षित प्रसव की ओर बढ़ रही है। इसी प्रकार स्त्रियां भी परिवार नियोजन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। महिला ऑपरेशन की संख्या संतोष करने योग्य है। कुछ परिवार परिवार नियोजन के प्रत्यक्ष लाभों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। संतानों का बोझ कम होने से उनके लिए सुविधाएं जुटाना भी आसान हो गया है।

प्रसव के बाद नर्स द्वारा महिला को स्तनपान की जानकारी नहीं देना – प्रसव के बाद महिला को नर्स द्वारा स्तनपान की जानकारी नहीं दी जाती है। शहरी एवं शिक्षित महिला को तो यह जानकारी रहती है, लेकिन ग्रामीण

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) बरकतउल्ला विश्वविश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

एवं अनपढ़ महिला को इसकी जानकारी नहीं रहती, तो वह अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराती और उसकी जगह वह उसे गुड़ का पानी पिलाती है।

ग्रामीण महिलाओं में योजनाओं की जानकारी का अभाव – महिला चिकित्सालय में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीण महिलाओं तक नहीं पहुँच पाती, जिससे वे लाभ से वंचित रह जाती हैं तथा इन योजनाओं का लाभ नहीं लेते। इन योजनाओं में जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मती योजना, विजया राजे योजना, दीन दयाल योजना आदि योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे जननी सुरक्षा योजना एवं विजया राजे योजना में उन्हें यह पता नहीं होने के कारण वे प्रसव के लिए अस्पताल में नहीं आती, जिसका उन्हें लाभ नहीं मिलता।

जागरूकता का अभाव – उपचार के हेतु महिलाओं में कुछ महिलाएँ ग्रामीण महिलाएँ होती हैं, जिससे वे अशिक्षित होने के कारण उनमें जागरूकता की कमी हैं, जिससे वे महिलाएँ अपने आप जागरूक नहीं हैं, जिससे वे महिलाएँ इलाज के बारे में जागरूक नहीं रह पाती। ऑपरेशन के बारे में जागरूक नहीं हो पाती, योजनाओं के प्रति जागरूक नहीं हो पाती, इसलिए महिलाएँ इन सबका उपचार में भर्ती होने का लाभ नहीं ले पाती।

व्यवहार का अभाव – महिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती महिलाओं के साथ स्टॉफ द्वारा व्यवहार ठीक नहीं किया जाता है, इसलिए भी वहाँ पर भर्ती महिलाओं के उपचार की सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती।

महिला चिकित्सालयों की समस्याओं का समाधान – गर्भवती प्रसव पूर्व टीटेनस के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, किन्तु इंजेक्शन जनजातीय लोग लगवाते ही नहीं है, उन्हें इंजेक्शन से भारी भय लगता है न हीं प्रसव पूर्व जांच का प्रश्न है।

एम्बुलेंस की पूर्ति होना चाहिए – महिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस की पूर्ति होना चाहिए ज्यादा ना सही दो एम्बुलेंस होना चाहिए, जिससे कोई इमरजेंसी हो, तो शीघ्र ले जाया जा सके, इसलिए एम्बुलेंस की पूर्ति होना चाहिए।

साफ–सफाई का ध्यान रखना चाहिए – महिला चिकित्सालयों में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा जिससे की बीमारी न होना चाहिए, साफ–सफाई रखने से बीमारी से बचा जा सकता है तथा मरीजों को साफ रहने की सीख मिलती है, इसलिए चिकित्सालय में साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे बीमारियाँ नहीं झेल सके, इसलिए हमें साफ–सफाई रखना चाहिए।

साधनों की पूर्ति – महिला चिकित्सालयों में जिन साधनों की कमी है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, जिससे महिलाओं को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए महिला चिकित्सालय में जिन साधनों का अभाव है उसकी पूर्ति करना चाहिए।

प्रसूति उपकरण की पूर्ति – महिला चिकित्सालयों में प्रसूति करने में विभिन्न उपकरणों का अभाव हैं, जिससे प्रसव के लिए आई महिलाओं का कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।

शिशु वार्ड की पूर्ति – महिला चिकित्सालयों में शिशु वार्ड की पूर्ति करना चाहिए, ताकि जब शिशु के इलाज के लिए इस चिकित्सालय में आता है, तो उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाता तथा उसे भर्ती भी नहीं किया जा सकता। अत: चिकित्सालय में शिशुओं के इलाज के लिए शिशु वार्ड की व्यवस्था करना चाहिए।

पोस्टनेटल एवं शल्य कक्ष की पूर्ति – महिला चिकित्सालय में पोस्टनेटल एवं शल्य कक्ष की पूर्ति होना चाहिए, ताकि वहाँ पर भर्ती होने वाली प्रसव एवं ऑपरेशन वाली महिलाओं को सुविधा मिल जाए, इसलिए महिला शल्य कक्ष एवं पोस्टनेटल कक्ष की पूर्ति की जानी चाहिए।

शिशु चिकित्सकों की पूर्ति –महिला चिकित्सालयों में शिशु चिकित्सकों की पूर्ति जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि जब शिशु को इलाज के लिए लाये, तो उसका यहाँ पर सही–सही इलाज हो सके।

दवाइयों की पूर्ति – महिला चिकित्सालयों में दवाइयों की पूर्ति की जानी चाहिए तथा दवाइयों को सही–सही एवं पूर्ण मात्रा में भेजना चाहिए, ताकि यहाँ पर दवाइयों का अभाव न हो जिस प्रकार दूसरी जगह दवाइयाँ भेजते है, उसी प्रकार से यहाँ भी दवाइयाँ भेजना चाहिए, ताकि वहाँ पर भर्ती महिलाओं को पूर्ण रूप से दवाई मिले तथा उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और उन्हें खर्चा ना करना पड़े।

स्टॉफ की पूर्ति – महिला चिकित्सालयों में स्टॉफ की कमी से पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाती है, इसलिए इस व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए स्टॉफ की व्यवस्था करना चाहिए, ताकि यहाँ पर संपूर्ण बीमारियों का इलाज करने में सफल हो सके, इसलिए सरकार द्वारा इस विभाग से स्टॉफ की पूर्ति जल्द से जल्द की जानी चाहिए।

ग्रामीण महिला एवं अशिक्षित महिलाओं को योजनाओं की पूर्ण जानकारी देना चाहिए – इस विभाग में भर्ती होने वाली ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलाओं का योजनाओं के बारे पूर्ण जानकारी देना चाहिए, जिससे उन्हें योजनाओं की जानकारी के बारे में जान सके तथा उसका लाभ ले सके।

अच्छा व्यवहार करना चाहिए – इस विभाग में स्टॉफ द्वारा भर्ती महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह मरीज महिलाओं की भावनाओं को समझ सके। इस प्रकार मरीजों के साथ स्टॉफ द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए।

इस प्रकार हम महिला चिकित्सालय में उत्पन्न समस्याओं का समाधान कर सकते है तथा इसी तरह अन्य समस्याओं का समाधान कर सकते है।

शासकीय चिकित्सालयों की भूमिका – परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये शासकीय चिकित्सालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

इस दिशा में परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं में कार्य करने की शैली 'प्रेरक' नहीं देखी गई। वे शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की मात्र औपचारिक खाना–पूर्ति ही करते हैं। वास्तव में होना यह चाहिए कि जनजातियों के मध्य कार्यक्रम में उत्साहजनक वातावरण निर्मित हो, इस हेतु उन्हें पूर्ण संकल्प के साथ निर्धारित कार्य को रूचि पूर्ण ढंग से सम्पन्न करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिये।

जनसंचार माध्यमों का योगदान – परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जनसंचार माध्यमों की भूमिका अहम् हो सकती है। इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर एवं प्रादेशिक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में प्रचार–प्रसार की दिशाएं निश्चित भी है–लेकिन यदि इसका ओर अधिक अच्छे स्तर पर क्रियान्वयन किया जाय तो बेहतर परिणामों की संभावनाएं बन सकती हैं।

वित्तीय सहायता का प्रावधान – वर्तमान में जन संख्यात्मक स्थिति की ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ समीक्षा होना चाहिये। दो से अधिक संतानों पर रोक लगे, इस हेतु वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से दी जाना चाहिये। ऐसा करने से कार्यक्रम को ओर अधिक अच्छे–अच्छे स्तर पर सफल बनाया जा सकेगा। वित्तीय सहायता के अंतर्गत नगद, राशि अथवा ऋण सुविधाओं का प्रावधान निश्चित होना चाहिए।आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिये भी कुछ इस तरह की योजनाएं

बनाई जाना चाहिये, जिससे वे परिवार नियोजन के लिये प्रेरित हो। इस हेतु उन्हें रोजगार के निर्धारित विकल्पों के अतिरिक्त कुछ नये विकल्प देने की योजनाएं बनाना चाहिये। वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी योजना का ठीक से प्रचार–प्रसार हो, जिससे अधिकतम हितग्राही लाभान्वित हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हमारा घर (स्वास्थ्य विशेषांक) हमारा घर (स्वास्थ्य विशेषांक), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, दिसम्बर 2006
2. म.प्र. मनक चिकित्सा संदर्शिका संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. शासन भोपाल, 2004
3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशासकीय प्रतिवेदन, 2002–03
4. टीकाकरण पुस्तिका स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नई दिल्ली 2006
5. गर्भवती की देखभाल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नई दिल्ली 2005 दिसम्बर।
6. स्वास्थ्य मिशन जिला बड़वानी जिला स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो।
7. जीवन संदेश भारतीय संस्करण यूनिसेफ भोपाल कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित।
8. बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. 2007 फरवरी।
9. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, राजकुमार सरकार (सम्पादक)।
10. धनवन्तरी विकासखण्ड योजना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।

****

'महिला सशक्तिकरण' – दशा एवम् दिशा (वर्तमान संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

डॉ. सुलभा काकिर्डे*

प्रस्तावना –समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी, समाज उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में भी लिखा गया है– **'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'**। महिला सशक्तिकरण का प्रयोग पिछले एक दशक से भारत सहित पूरे विश्व में हो रहा है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसमें महिलाओं को पुरूषों के समरूप लाकर उनके प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। जिससे वह आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सके। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम–2005, पंचायती तथा नगरीय निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण तथा स्वयं सहायता समूह आदि वर्तमान समय वर्ष–2016 में महिला सशक्तिकरण के सशक्त प्रमाण है।

महिला सशक्तिकरण अर्थ – सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह महिला में इतनी जागरूकता लाती है कि वह शक्ति को प्राप्त करे और स्वयं शिक्षित आत्मनिर्भर होकर सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता का विकास करे।

महिला सशक्तिकरण परिभाषाएँ – 'यह पुरूष संप्रभुता के स्थान पर महिला सशक्तिकरण स्थापित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय के आधार पर सामंजस्यपूर्ण भागीदारी की माँग है।'

सशक्तिकरण का आशय सिर्फ शक्ति का अधिग्रहण नहीं है बल्कि इसमें शक्ति प्रयोग की क्षमता का विकास किया जाता है। महिलाओं को परावलम्बन की भावना से मुक्त करना, उनकी दीन–हीन भावना को समाप्त करना ही वास्तविक अर्थों में सशक्तिकरण है।

महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य – महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति–2001 का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति, सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों को बराबरी का साझेदार बनाना है। इस संदर्भ में इसका प्राथमिक उद्देश्य नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन करना है जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में वह स्वयं नीतियों का निर्माण कर उनका संरक्षण संवर्धन कर सके।

महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया – यह एक लगातार चलने वाली गतिशील सतत प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य यह है हाषिये पर रही महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करके उन्हें सत्ता संरचना में भागीदार बनाया जा सके। स्त्रियों का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व दक्षता में अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति को हासिल करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। स्त्रियों का सशक्तिकरण उन्हें क्षितिज दिखाने का प्रयास है। जिससे वे नई क्षमता को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेंगी। लैंगिक असमानता, दहेज, सामाजिक मान्यता एवं समुचित शिक्षा आदि कुछ पहलुओं की दिशा में प्रयास करके ही महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण भारतीय संविधान द्वारा – अनु. 14, 15, 16, 23 अनु. 51(क) में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई है। संविधान के 42वां संशोधन द्वारा वर्ष–1976 में अंत: स्थापित किए गए इस अनुच्छेद के भाग (3) में नागरिकों से ऐसा कहा गया है कि वे ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।

संविधान के अनु. 40 के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संसद द्वारा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन–1992 पारित, लागू–1993 किया गया था। जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था जिसे वर्तमान में अक्टूबर–2009 में ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में महिला आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर 50 कर दिया गया है केन्द्र सरकार द्वारा। म.प्र. सरकार ने तो काफी समय पूर्व ही यह कर दिया था।

महिला सशक्तिकरण विशेष सरकारी प्रयत्न –

1. महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष–1985 में स्थापना।
2. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, वर्ष–1953
3. राष्ट्रीय महिला कोष – वर्ष–1999
4. राष्ट्रीय महिला आयोग – 31 जन.–1992
5. महिला सशिक्तकरण वर्ष–2001
6. विवाह पंजीयन, अनिवार्य विधेयक–2005
7. 6 – 14 वर्ष बच्चों निशुल्क अनिवार्य शिक्षा विधेयक–2005
8. घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधि.–2005

राष्ट्रीय महिला शक्ति संम्पन्नता नीति–2001 – भारत में वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में पहली बार राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की गई। केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम था। नीति के महत्वपूर्ण तथ्य–

1) देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु आधारभूत ढ़ाँचा तैयार करना।
2) सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में उन्हें शामिल करना।
3) महिला मानवाधिकारों की रक्षा।
4) सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, न्यायिक सभी क्षेत्रों में आधारभूत स्वतंत्रता प्रदान करना।
5) महिला भेदभाव समाप्त करना।
6) महिला यौन उत्पीड़न रोकना।

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधि. 2005 – भारत में महिलाओं पर हो रहे हिंसात्मक आचरण पर कठोरता से रोक लगाने तथा पीड़ित महिलाओं को

* विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

संरक्षण दिलाने हेतु अधि. 2005 में पास हुआ है।

महिला सशक्तिकरण हेतु किये जाने वाले आवश्यक प्रयास –

1) शिक्षा का प्रचार प्रसार विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा।
2) कन्या भ्रुण हत्या को रोका जाना।
3) दहेज, बाल विवाह पर पूर्ण रोक।
4) बलात्कार, घरेलू हिंसा से संरक्षण।
5) महिला स्वयं सिद्ध योजना।
6) महिला डेयरी परियोजना।
7) जेण्डर बजट (म.प्र. शासन)
8) महिला स्वयं सहायता समूह (S.H.G.)

निष्कर्षत – महिला सशक्तिकरण द्वारा भारतीय जनमानस के (सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण) में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। महिला सशक्तिकरण द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, शारीरिक, वैधानिक आदि क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से निर्णय लेने की स्वायतता प्राप्त होनी चाहिए। भारत में महिला सशक्तिकरण द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशा में सुधार आ रहा है। देश के सर्वोच्च महामहिम पद पर पूर्व वर्षों में श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का बैठना, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का बनना आदि देश के सर्वोच्च पदों पर वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। समाजसेवी अरूधंती राय, मेधा पाटकर, किरण बेदी तथा पर्यावरणविद् सुनीता नारायण अपने-अपने क्षेत्रों ने श्रेष्ठ कार्य सम्पादित करके देश में महिला सशक्तिकरण के सबसे प्रबल प्रमाण दे रही हैं। 5 अक्टूबर-2011 में म.प्र. सरकार द्वारा, बेटी बचाओ अभियान तथा 24 जनवरी- 2015 से केन्द्र सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ' अभियान की शुरूआत करके भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष एवं उल्लेखनीय प्रयास किये हैं।

सह कर उपेक्षा सदियों से, यह परिवार को संभालती,
देकर जन्म सृष्टि को, तन-मन से पालती।।
मन्दिर की आरती, मस्जिद की अजान है बेटियाँ,
गुरूग्रंथ, गीता, बाईबिल, कुरान है बेटियाँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रावत, ज्ञानेन्द्र : औरत एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. आहूजा, राम (2009) : महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. मोहन, राजेन्द्र (2005) : भारत में समाज, पियूष पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. नारायणी, प्रकाश (2012) : महिला जागृति और कानून, अविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर।
5. श्रीवास्तव, मयंक : महिला सशक्तिकरण सामाजिक बदलाव के लिए आवश्यक, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, अगस्त, 2013, पृ-क्र. 16
6. सक्सेना, योगेन्द्र नारायण (2009) : बढ़ता हुआ नारी उत्पीड़न, पुलिस के लिए चुनौती, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
7. तिवारी, डॉ. कणिका : महिला सशक्तिकरण का आत्मावलोकन, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, पृ.क्र. 3
8. वोरा, आशारानी (2002) : नारी शोषण आईना एवं आयाम, नेशनल बुक पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
9. शर्मा, त्रिभुवन (2013) : आधुनिक समाजों में महिला सशक्तिकरण, इग्नू अध्ययन सामग्री, नई दिल्ली।
10. गौरव कुमार : महिला सशक्तिकरण के सामाजिक-आर्थिक आयाम, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, पृ.क्र.13
11. गौतम, डॉ. नीरज कुमार : ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का बदलता स्वरूप, पृ. 23
12. वोरा, आशाारानी (2009) : भारतीय नारी दशा एवं दिशा, नेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
13. परीक्षा मंथन, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे, इम्प्लाईज पत्रिकाओं से प्राप्त शोध विषय संबंधित अध्ययन सामाग्री।
14. नई दुनिया, द हिन्दू, जनसत्ता, जागरण, प्रभातकिरण, स्वदेश, आदि समाचार पत्रों से प्राप्त शोध संबंधित महत्वपूर्ण आँकड़ें।

****

अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनैतिक सहभागिता

डॉ. राजेश कुमार सक्सेना *

प्रस्तावना – वर्तमान में समाज का प्रत्येक व्यक्ति राजनैतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या परोक्ष कम या अधिक मात्रा में रुचि रखता है। उसकी यह रुचि निरन्तर, आवश्यकतानुसार या फिर यदा-कदा हो सकती है। हर स्थिति में यह व्यक्ति की ऐसी क्रिया है जिसका सीधा प्रभाव समाज की राजनैतिक व्यवस्था पर पड़ता है। व्यक्ति का राजनैतिक व्यवहार या उसका राजनीति में लगाव; राजनीति में उलझाव कि राजनैतिक सहभागिता कही जाती है। इस प्रकार राजनैतिक सहभागिता राजनैतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संकल्पना कही जा सकती है। जिसके अभाव में समाज एक वीरान जंगल मात्र ही कहा जा सकता है।

राज्य में दो प्रकार के व्यक्ति (शासक और शासित) रहते है। इन दोनों वर्गों के बीच एक प्रकार का राजनीतिक सम्बंध होता है। यह सम्बंध तभी चल सकता है, जब उपरोक्त दोनों वर्ग अपने-अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति यह जागरुकता ही राजनीतिक-सहभागिता का साकार स्वरूप है। यह जागरुकता किस समाज में कितनी मात्रा में है, इस पर ही वहां की शासन-प्रणाली निर्भर करती है तथा उसी के अनुरूप शासन सत्ता में परिवर्तन भी संभव होते है।

राजनैतिक सहभागिता को लिमब्राथ ने दर्शक क्रियाऐं, संक्रांतिक क्रियाऐं, यादकुशल क्रियाऐं तथा उदासी की श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वैसे तो राजनीतिक सहभागिता का हर प्रकार की शासन प्रणाली में अपना महत्व होता क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्थायित्व वैधता पर आधारित होता है और वैधता जन समर्थन पर। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सहभागिता के परिणाम स्वरूप समर्थन शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। अत: राजनैतिक गतिविधियों में व्यक्तियों की सहभागिता एवं जागरूकता के सम्बंध में राय शिवानी (1979), जैन सुशीला (1981), बंसल विमला (1981), तिवारी पी.के. (2000), सिंध प्रीति (2009), गोपाल राम (2012) द्वारा किये गये अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि राजनैतिक गतिविधियों में सहभागिता का आविर्भाव भी पुरूष अधीन होता है। अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक निर्योग्यताएँ राजनैतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। यद्यपि शिक्षा के विकास के कारण अब पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं में राजनैतिक सहभागिता के प्रति जागरूकता बढ़ी है परन्तु क्षेत्रीय सांस्कृतिक परिवेश राजनीति में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को प्रभावित करता है।

निरन्तर ज्ञान की ललक ही व्यक्ति को अनुसंधान के लिये प्रेरित करती है। इस दृष्टि से शोध या अनुसंधान का उद्देश्य अनुसंधानकर्ता के अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, जिससे कि उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके साथ ही प्रत्येक शोध का व्यवहारिक पक्ष भी होता है कि इसके अंतर्गत अध्ययन समस्या के कारणों की खोज कर समाधान हेतु महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव प्रस्तुत हो सके। अत: इस बात को दृष्टिगत करते हुये प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य बनाए गऐ हैं।

1. यह ज्ञात करना कि चयनित उत्तरदाता किस स्तर के चुनावों में अभिरूचि रखते हैं।
2. यह ज्ञात करना कि किस प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में उत्तरदाताओं की अभिरूचि थी।
3. उत्तरदाताओं की राजनैतिक अभिरूचि के क्या कारण थे।

उद्देश्यों को दृष्टिगत करते हुये निम्नलिखित प्राक्कलपनाओं का निर्माण किया गया।

1. राजनैतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों में सार्थक भिन्नता मिलती है।
2. विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता में अन्तर मिलता है।
3. राजनैतिक सहभागिता एवं जागरूकता हेतु किये गये प्रावधानों एवं प्रयासों की प्रभावशीलता दृष्टिगत होती है।

किसी भी शोध कार्य को विश्वसनीय एवं प्रमाणित बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही सत्यता तक पहुंचा जा सकता है। शोध में वैज्ञानिकता लाने के लिये सांख्यिकीय पद्धति एवं निदर्शन को प्रयोग में लाया गया जिस हेतु ग्वालियर महानगर के मुरार क्षेत्र में निवास करने वाली जाटव जाति की 150 महिलाओं (18 से 80 वर्ष) का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया। उक्त अध्ययन के लिये साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में लाया गया। प्राप्त तथ्यों को तालिकाबद्ध करते हुये विवरणात्मक शोध प्रचना में प्रस्तुत किया गया है।

अत: चयनित उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि वे किस स्तर के चुनाव में सहभागिता करती है। प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक-1

विभिन्न स्तरों के चुनाव सहभागिता

क्रं.	चुनाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पंचायत	12	8.00
2	नगर निगम	26	17.33
3	विधानसभा	38	25.33
4	लोकसभा	19	12.67
5.	सभी में	55	36.67
	कुल	**150**	**100**

*सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

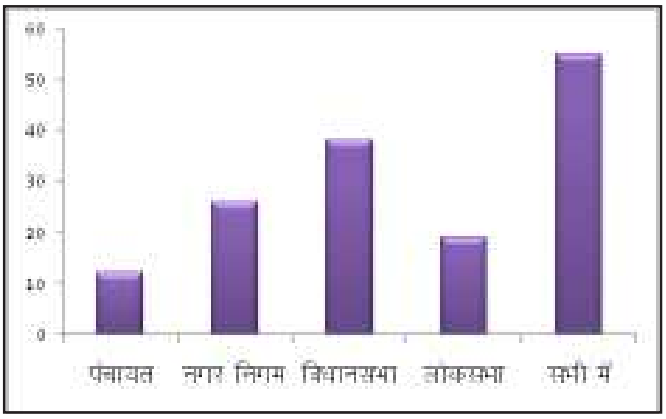

उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि कुल चयनित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 55 (36.67;) ऐसी उत्तरदाता थी जिन्होंने सभी स्तरों के चुनाव में भागीदारी को स्वीकार किया। जबकि 38 (25.33;) उत्तरदाताओं ने विधानसभा 26 (17.33;) उत्तरदाताओं ने नगर निगम तथा 19 (12.67;) उत्तरदाताओं ने लोक सभा के चुनाव में भागीदारी को स्वीकार किया। केवल 12 (8.00;) ऐसी उत्तरदाता थी जिन्होंने पंचायत के चुनाव में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया। ये वह उत्तरदाता थी जिनके वोट ग्रामीण क्षेत्रों के थे तथा मतदान के समय वहां उपस्थित रहती थी। उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि वे विभिन्न स्तरीय चुनाव में किस प्रकार की भूमिका निभाती हैं। अत: इस सम्बंध में जो तथ्य ज्ञात हुऐ उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक–2

सहागिता के प्रकार

क्रं.	चुनाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्रचार प्रसार में भाग लेना	20	13.33
2	मतदान करना	20	13.33
3	दोनों में सम्मिलित रहना	75	50.00
4	तटस्थ	35	23.33
	कुल	**150**	**100**

उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 75 (50.00) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे चुनाव के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ मतदान में भी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेती है जबकि 20 (13.33) उत्तरदाताओं का मानना था कि वे केवल प्रचार–प्रसार में भाग लेती हैं तथा 20 (13.33) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे केवल मतदान करने के लिये ही जाती है। जबकि 35 (23.33) उत्तरदाताओं का मानना था कि वे किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेती और न ही वे मतदान करने और न ही प्रचार–प्रसार में भाग लेती हैं। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीते उन्हें तो इन्हीं हालातों में जीना है। उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि उनकी राजनैतिक सहभागिता में अभिरूचि के क्या कारण है अत: इस सम्बंध में जो तथ्य ज्ञात हुये उन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक–3

अभिरूचि के कारण

क्रं.	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	व्यक्तिगत	58	38.67
2	राजनैतिक	63	42.00
3	आर्थिक	17	11.33
4	पता नहीं	12	08.00
	कुल	**150**	**100**

उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 63 (42.00) उत्तरदाता राजनैतिक कारणों से 58 (38.67) उत्तरदाता व्यक्तिगत कारणों से तथा 17 (11.33) उत्तरदाता आर्थिक कारणों से प्रभावित होकर राजनैतिक सहभागिता में अभिरूचि रखती थी जबकि 12 (8.00) उत्तरदाता को यह नहीं मालूम था कि यह किन कारणों से राजनीति में सहभागिता कर रही है।

अत: उपरोक्त कारणों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्योग्यताऐ स्त्रियों को दूसरे पायदान पर रखती हैं। यद्यपि महिला सशक्तिकरण को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न स्तरों पर प्रत्याशियों के रूप में स्थानों को आरक्षित किया गया है। तथापि शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव, पुरूष प्रधान समाज व्यवस्था, पारिवारिक उत्तरदायित्व आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बघेल डी.एस. (2013) राजनैतिक समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली।
2. भट्ट आशीष (2000) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, रामप्रसाद सन्स भोपाल।
3. फाड़िया बाबूलाल (1999) मताधिकार एवं निर्वाचन पद्धति, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली।
4. गौड़ के.के. (2002) भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उदयीमान स्वरूप मानव, पब्लिकेशन नई दिल्ली।
5. कश्यप सुभाष (2000) भारत का संवैधानिक, विकास और स्वाधीनता संघर्ष वाणी प्रकाशन नई दिल्ली।

****

सामाजिक न्याय और डॉ. भीमराव अम्बेडर

डॉ. आर. सी. पान्टेल *

प्रस्तावना – आज के स्वतंत्र भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से जॉच की जाये तो दृढता से कहा जा सकता हैं कि हमारा देश शुद्ध मानसिकता के आधार पर स्वतंत्र नहीं हुआ हैं, मात्र कानुनों की सहायता से एक दूसरे को करीब लाने का प्रयास हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया हैं कि जन्म, जाति, भाषा, लिंग, धर्म, प्रजाति के आधार पर भारत के नागरिकों से भेद भाव नहीं किया जावेगा। तभी सभी नागरिकों को समानता व उन्नति के समान अवसर प्रदान किये जायेगे, लेकिन हमारा देश ग्रामीण समाज हैं और ग्रामीण समाज की मानसिकता पर उपरोक्त तथ्यों का प्रभाव अधिक नहीं हैं। भारत में दलितों की समस्या का संबंध लगभग 20 करोड से अधिक नागरिकों से हैं। जो हिन्दू समाज का अंग होने के बाद भी धार्मिक ग्रंथों में प्रदत्त निर्देशानुसार समाज में एक अपवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

दलितों की समस्या का वास्तविक आधार जातिगत संस्तरण हैं जिनमें उच्च कही जाने वाली बाह्राण जाति को विशेष अधिकार दिये गये और कुछ जातियों को अपवित्र मानकर पवित्र जातियों से अलग कर दिया। भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में दलितों को शुद्र कह कर पायदाप पर रखते हुए ऊपर के तीनों वर्णो की सेवा करने का दायित्व सौपा गया, तभी से भारत में उच्चता–निम्नता के भाव विकसित होकर आज के वैज्ञानिक समाज में भी उपस्थित है, तो किसी भी राष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा हैं।

पौराणिक गाथाओं और कर्म के सिद्धान्त के आधार पर पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों को प्रोत्साहन देने के साथ ही उनके औचित्य को भी प्रमाणित करने का प्रयास इस देश में किया जाता रहा हैं।

जिस मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। उसमें यह नियम बना दिया हैं कि कुछ जातियों के लोगों को मात्र देख लेने से ही स्वर्ण जाति के व्यक्ति अपवित्र हो जाते हैं तथा पुन: पवित्र होने के लिये उन्हें प्रायश्चित करना आवश्यक हैं।

मध्य काल तक हिन्दू समाज इतना धर्मान्ध तथा अंधविश्वासी बन गया कि वैदिक धर्म को तिलांजली देकर स्मृतियों में दिये गये विधानों के अनुसार अपवित्र कही जाने वाली जातियों को सभी तरह की सुविधाओं से दूर रखकर उनका अमानवीय शोषण किया जाने लगा।

ब्रिटिश शासन काल में भी अस्पृष्य जातियों की सामाजिक एवं अन्य स्थितियॉ ठीक नहीं थी। आर्य समाज में अपने सुधार वादी आन्दोलन के अंतर्गत अपवित्र कहीं जाने वाली जातियों को **दलित जाति** के नाम से संबोधित करके पवित्र कहीं जाने वाली जातियों के समान सुविधाऍ और अधिकार देने की आवाज उठाई। आर्य समाज के आन्दोलन के बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों ने भी अपवित्र समझी जाने वाली जातियों को दलित जाति कहना प्रारम्भ किया। सन् 1931 की जनगणना के आयुक्त जे.एच. हट्टन ने दलित जातियों को **बाहरी जाति** कहकर संबोधित किया। उनकी मान्यता थी कि इन जातियों को जब हिन्दू जातियों के समान अधिकार नही है तो ऐसी स्थिति में उन्हें हिन्दू समाज के बाहर मानना उचित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अस्पृश्य जातियों की स्थिति ने राजनीतिक रंग लेना प्रारम्भ कर दिया था।

इंग्लैण्ड के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आधुनिक युग के मनु कहे जाने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने आवाज उठाई कि हिन्दू जातियों के बाहर मानकर मतदान का पृथक अधिकार दिया जाये, लेकिन माहात्मा गॉधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दूओं के विरोध के बाद भी अछुत जातियों को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग मानकर उनकी स्थिति में सुधार करने की आवाज उठाई तथा उन्होंने बाहरी जातियों को सुधारात्मक दृष्टिकोण से **हरिजन** कहना प्रारम्भ कर दिया तथा स्वयं ने विभिन्न क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों में जाकर निवास किया जिसके कारण सन् 1935 में अछुत जातियों की सूची तैयार की गई जिनके माध्यम से समानता हेतु उनकी परम्परागत स्थिति में सुधार किया जाये और इस विचार को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक अंग मान लिया गया।

दलित वर्ग की आर्थिक – स्थिति डॉ. अम्बेडकर का मत हैं कि जो जातियॉ गरीब, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं, उन्ही को हम दलित कहते हैं। सामान्यत: सामाजिक अपमान के साथ ही विभिन्न प्रकार उत्पीड़न का शिकार जातियॉ दलित हैं।

संविधान से जिन जातियों को अनुसूचित जाति कहा गया हैं वो दलित जातियॉ हैं क्योंकि उन्हीं जातियों को अनुसूचित जातियॉ कहा गया हैं जिनमें 5 लक्षण पाये जाते हैं।

1. वे जातियॉ जाति व्यवस्था के निम्नतम पायदान पर हैं और अपना विकास करने में असमर्थ हैं।
2. जिन्हें परम्परागत रूप से उच्च जातियों से सम्पर्क की अनुमति न हो।
3. जिन्हें हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार न हो।
4. जो सार्वजनिक स्थानों व वस्तुओं से वंचित हैं।
5. घृणित और अपवित्र पेशों के कारण अजीविका उपार्जित करने के लिये बाध्य हो।

परम्परागत अछुत जातियों एवं दलित वर्ग के मध्य कोई भेद न मानते हुए डॉ. मजुमदार का मत हैं कि अछुत जातियॉ वह हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीजिक निर्योग्ताओं से पीडित हैं, जिनमें से अधिकांश निर्योग्ताओं को धार्मिक परम्पराओं के द्वारा निर्धारित करके उन्हें उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महान पुस्तक प्रेमी थे तथा साथ ही अध्ययन अध्यापन उनका सबसे प्रिय कार्य था, लेकिन उनके जीवन में जो पीडाऍ सामने आयी उन्हें प्रभावित कर सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक की ओर आकर्षित कर दिया। उनके जीवन का लक्ष्य दलितोद्धार हो गया ओर इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे। आपने जीवन के 35 वर्षो

* समाजशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला – धार (म.प्र.) भारत

तक अपमान, अमानवीय व्यवहार, भारी यन्त्रणा की स्थितियों का सामना किया। एक पत्रकार से डॉ. अम्बेकर ने कहा ' मेरे दु:ख दर्द ओर मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे रो पडोगे'।

डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा की पूर्णता के दौरान अछुतो में जनजागृति उत्पन्न हो चुकी थी तथा वे अपने समानता की स्थिति को प्राप्त करने के लिये स्वर्णो से लड़ाई प्रारम्भ कर चुके थे। 30 वर्ष तक अंहिसक लड़ाई का नेतृत्व डॉ. अम्बेडकर ने किया। हिन्दूओं के विरोध भावनाओं को देखते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा हैं कि 'उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछुतों की बात करने का हक नहीं हैं जो स्वयं अछुत नहीं हैं। हिन्दूओं की नीति शुद्धों को उठाने की नहीं'।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर समझ लिया कि अछुत सभी प्रकार से कमजोर हैं तथा वे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलु पर स्वर्णो का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर अछुतो का उत्थान करने के लिये अहिंसात्मक संघर्ष में लग गये।

सामाजिक न्याय और दलितोद्धार की दिशा –

1. जाति प्रथा और हिन्दू समाज के परम्परागत विधानों पर कठोर प्रहार किया। डॉ. अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि चार वर्णो पर आधारित सामाजिक ढॉचे की हिन्दू योजना ने ही जाति व्यवस्था और स्पृष्यता को जन्म दिया हैं। जो कि असमानता का एक अमानवीय चरम रूप हैं। इस चरम रूप ने अस्पृश्यों के जीवन में विभिन्न समस्याओं को उत्पन्न कर दिया और उनकी समस्याओं को छोटे मोटे उपचार से हल नहीं किया जा सकता हैं। आवश्यकता हैं क्रान्तिकारी सामाजिक हल की ओर यह क्रान्तिकारी सामाजिक हल सम्पूर्ण जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना ही हो सकता हैं। डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया हैं कि प्रारम्भ में कोई जाति प्रथा नहीं थी। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने जो अपने आप को उच्च समझते थे, उन्होने अपनी इच्छा से कमजोर लोगों को उन्हीं इच्छा के विरूद्ध कार्य करवाना प्रारम्भ किया तथा इससे पीड़ित होकर उन्होंने अपना मत प्रगट किया 'जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग हैं अन्तर्जातीय विवाह न कि सहभोज क्योंकि खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता हैं।'
2. स्वयं अछुतों के जीवन ओर प्रवृतियों में सुधार पर बल – डॉ अम्बेडकर ने अपने लेख व भाषणों में कहा हैं कि अछुत स्वयं अपना सुधार करना प्रारम्भ करे। जैसे – भीख मांगना, मुर्दा जानवर को खाना, अपने आप में सम्मान के लिये अछुत शिक्षित व संगठित रहे। इसके साथ ही उनका विचार हैं 'कभी मत सोचों कि तुम अछुत हो। साफ–सुथरे रहो।'
3. अछुतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार।
4. दलितों के लिये पृथक प्रतिनिधित्व।
5. दलितो की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय।
6. धर्म परिवर्तन (सन् 1956 में 5 लाख लोगों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया।) उपरोक्त उद्धार कार्यो के कारण डॉ. अम्बेडकर को अद्भुत योद्धा, दलितों का मसीहा, आधुनिक युग का मनु, भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कहा गया हैं क्योंकि उनके द्धारा ये निश्चय किया गया कि भारत के अस्पृश्य वर्ग के लिये अमानवीय जीवन की इस स्थिति को समाप्त कर उन्हे मानवता के स्तर पर लाना हैं और उन्हें इस नेक काम में भारी सफलता प्राप्त हुई।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत की अस्मिता को प्रतिष्ठित करने वाली सामाजिक व राजनीतिक क्रान्ति के प्रणेता थे। जिन्होने दलित मुक्ति का प्राण प्रण से प्रयास किया। स्वाधीनता पूर्व काल खण्ड में उच्च शिक्षित नेतृत्व में जो हमें त्रिवेणी संगम दिखाई देता हैं, उसमें तीनो बेरिस्टर थे, महात्मा गॉधी, वीर सांवरकर एवं डॉ. अम्बेडकर।

उक्त त्रिवेणी संगम हमारे समाज की दशा और दिशाएँ हैं। इनमें से डॉ. अम्बेडकर अखण्ड संघर्ष की मुर्ति थे, अत: तर्क दृष्टि से हमें डॉ. अम्बेडकर से प्रेरणा प्राप्त कर समाज हितैषी दृष्टि विकसित करना चाहिए।

प्रश्न ये उठता हैं कि क्या डॉ. अम्बेडकर के विचारों ने समाज को पूर्ण प्रभावित कर जाति प्रथा के परम्परागत निर्देशो को समाप्त कर दिया हैं ? क्योंकि विचारों की दृढता और कानूनी अधिकार दो अलग अलग धारणा हैं। अछुत एवं भारी कही जाने वाली जातियों को संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वर्तमान में अनुसूचित जाति के नाम से पंजीकृत किया गया हैं और संरक्षी तथा विकासी प्रावधानों के द्धारा समानता ओर विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं जिससे इन जातियों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सुधार अवश्य ही हो रहा हैं ओर जो स्थिति पूर्व में थी उसमें परिवर्तन हुआ हैं। यह उनकी सामाजिक क्रान्ति का ही परिणाम हैं, लेकिन दूसरा प्रश्न ये उठता हैं कि अनुसूचित जातियों के प्रति सभ्य व उच्च जातियों की मानसिकता में कोई परिवर्तन आया हैं? वर्तमान में मसीहा कहे जाने वाले डॉ. अम्बेडकर जी का भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं हैं, मात्र उनकी सामाजिक क्रान्ति की विचारधारा क्रियाशील हैं हो सकता हैं कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अन्तर्गत जो भी विसंगतियॉ शेष है उन विकारों को दूर करने के लिये दूसरा अम्बेडकर जन्म ले क्योंकि भारत के समाज के सन्दर्भ में कहा गया हैं कि जब–जब भी धर्म की हानि होती हैं तब–तब महापुरूषों का जन्म होता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. गुप्ता शर्मा, समाजशस्त्र, साहित्य भवन आगरा।
2. डॉ. अग्रवाल एंड अग्रवाल।
3. डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
4. द्धिमासिक रचना, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा भोपाल, अंक 111

****

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विद्वानों की स्थिति – एक अवलोकन

धीरज जॉनसन *

प्रस्तावना – भारत विश्व का एक विशाल देश है। शिक्षा प्रणाली की दृष्टि से दुनिया के बडे देशों में शामिल है इसके बावजूद 21 वीं सदी के शैक्षणिक जगत की केन्द्रीय शक्तियों से निपटने मे यह कई देशों से पीछे हैं। 21 वीं सदी के शैक्षणिक बदलाव, अपने वैश्विक प्रकृति, संस्था और प्रभाव के कारण बहुत व्यापक है। वर्तमान में मौजूदा शैक्षणिक क्रांति के कारण जन उच्च शिक्षा, वैश्वीकरण ज्ञानपरक समाज का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी है इन कारणों की वजह से अन्य दूसरे परिवर्तन भी हुए जैसे निजी क्षेत्र का उदय, दूरवर्ती शिक्षा जागरूकता एवं परिवर्तन।

वर्तमान में उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक उद्यान बन गई है। यह उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायक भी हो सकती है परन्तु इसके साथ ही शैक्षणिक समुदाय और पारंपरिक मूल्यों के हास में भी सहायक हो सकती है। पिछले वर्षो से उच्च शिक्षा के नामांकन में वृद्धि हुई है, परन्तु उच्च शिक्षा मांग विस्तृत आधारभूत संरचना की आवश्यकता और काफी संख्या में अध्यापको की जरूरतों की चुनौतियों का उच्च शिक्षा को सामना करना पड रहा है।

21 वीं सदी की मूलभूत वास्तविकता वैश्वीकरण है जिसने उच्च शिक्षा को भी प्रभावित किया है। हम वैश्वीकरण को एक ऐसी वास्तविकता के रूप में परिभाषित करते है जो बढ़ती हुई समेकित अर्थव्यवस्था,नई सूचना प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के एक नेटवर्क का उदय, अंग्रेजी भाषा की भूमिका और शैक्षणिक संस्थाओं के नियंत्रण के बाहर के अन्य बलों से निर्धारित होता हैं।

अंतर्राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विविध नीतियों तथा कार्यक्रमों को उच्च शिक्षा व सरकारें वैश्वीकरण के प्रत्युत्तर में कार्यान्वित करते है जिसमें विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए विदेश भेजना, विदेशों में उच्च शिक्षा के परिसर खोलना, पाठयचर्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना कुछ सीमा तक शैक्षणिक संस्थान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत कार्य करते है। अब उच्च शिक्षा राष्ट्रीय सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। अनेकों विद्यार्थी ,विद्वान ,डिग्री पाठ्यक्रम और अनेक विश्वविद्यालय वैश्विक धारा में बह रहे है।

विगत दशकों में उच्च शिक्षा प्रणालियो में असमानता बहुत बढ़ी है उच्च शिक्षा को नए कौशल,व्यापक ज्ञान आधार और बढ़ती जटिलताओं तथा अंतर निर्भरता से भरी दुनिया में प्रवेश के लिए अपेक्षित क्षमतायें तैयार करना है छात्रों और विद्वानों का बढ़ता विस्थापन पारदर्शी गुणवत्तायुक्त आश्वासन व्यवस्था की जरूरत पर बल देना है। नए प्रदाता जैसे दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम निजी महाविद्यालय गुणवत्ता के संबंध में नए प्रश्नों को जन्म दे रहे हैं आर्थिक संकट, अधिक संख्या में नामांकन और निजीकरण के पक्ष में व्यापक स्वीकृति ने उच्च शिक्षा के निजीकरण, अध्ययन परिवेश में गिरावट अकादमिक जगत की सामान्य बदहाली को बढ़ाने में सहायक है।

अत्याधिक नांमाकन की मांग के प्रत्युत्तर में अकादमियों की औसत योग्यता में भी कमी आई है। अधिकांश आकदमिक पार्ट टाइम है, जिनके पास रोजगार एंव वेतन की कोई सुरक्षा नही है, ऐसी स्थिति में अध्यापक अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध क्यों हों ?

यह सर्वविदित है कि पिछले वर्षो में भूमंण्डलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है परन्तु वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले विकासशील देशों को क्या परिणाम हासिल हुआ यह विवेचना कठिन भी है क्योंकि सभी देशों में सुधार व परिवर्तन कार्यक्रम एक समान लागू नहीं होते व सभी देशों की परिस्थितियां एक समान नहीं होती वैश्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश को निश्चित कार्यक्रम बनाने होगें।

भारत में उच्च शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992) में संशोधित) तय की गई इसका उद्देश्य देश के विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल एवं सांस्कृतिक वातावरण में सहभागिता निभाने योग्य बनाना है, आवश्यकता के अनुरूप नामांकन दर बढ़ाने,कमजोर वर्ग की आवश्यकता पूरा करने, अनुसंधान को श्रेष्ठता स्तर का बनाने, पाठयक्रमो को उपयोगी बनाने, व्यवासायिक पाठयक्रमों का विस्तार करने तथा भारतीय उच्च शिक्षा के समक्ष उत्पन्न होने **वाली वैश्वकीकरण** तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुडी चुनौतियाँ का सामना करने पर केन्द्रित है।

उच्च शिक्षा के केन्द्र छात्र–छात्राओं के प्रवेश, पठन–पाठन परीक्षा व परीक्षा उपरांत अंकपत्र व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कार्य करते है नियमत: उपाधि प्रदान करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होता है अत: महाविद्यालय का किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबंद्ध होना अनिवार्य है। महाविद्यालयों में, संबंद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढाए जाते है। विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालयों के निर्देशन में संपन्न होती है, फिर विश्वविद्यालय परीक्षार्थियो को यथोचित उपाधि प्रदान करते हैं। आय की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकार तथा अन्य संस्थानो से प्राप्त अनुदान व्यक्तियों व संस्थाओ से मिला दान व उपहार, महाविद्यालयों से विभिन्न मदों मे प्राप्त राशि छात्र छात्राओं से वसूल किया गया शुल्क आदि आय है।

तकनीकी शिक्षा के विस्तार एवं शिक्षा के व्यवसायीकरण ने शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया है विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अनेकों उपाय किये जा रहे हैं स्वयं वित्तपोशी शिक्षा व्यवस्था ने भी गुणवत्ता को कमजोर किया है। स्थाई शिक्षको के अभाव में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है मध्यप्रदेश मे सहायक प्राध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति कई वर्षो से रिक्त है जिससे शैक्षणिक कार्य मे बाधा उत्पन्न हो रही है सरकार द्वारा मानदेय की नई व्यवस्था के अंतर्गत महाविद्यालयों में भी 100 रू प्रति

* अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

व्याख्यान, कभी 120रू, कभी 155 रू और कभी 200रू प्रति व्याख्यान की दर से एवं कभी अधिकतम 4 व्याख्यान प्रति दिवस, कभी 3 व्याख्यान प्रति दिवस के आधार पर आमंत्रण की व्यवस्था एक सत्र कभी दो सत्र के लिए कर दी जाती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है । अधिकांश महाविद्यालयों को संबद्धता व नए विषयों को प्रारंभ करने की अनुमति स्ववित्तीय पोषित योजना के अंतर्गत दी जा रही है जिसमें महाविद्यालय शुल्क लेकर न तो मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते है, और न ही योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक ।

म.प्र.में सन् 2002 से अतिथि विद्वान व्यवस्था जारी है, इस व्यवस्था में जहां शासन ने यू.जी.सी के मानको को पूरा किये जाने की उपेक्षा की, वहीं अतिथि विद्वानों की उपेक्षा करते हुए उनका शोषण किया है। उदारीकरण के दौर मे शासकीय व्यय को कम करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई है इस नीति के तहत शिक्षकों के भी वेतन शर्तो को कमजोर किया गया है।

उच्च शिक्षित युवा जो नेट/ स्लेट/ पी.एच.डी. /एम. फिल.पात्रता मानकों को प्राप्त करने के बाद महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने का स्वप्न देखते है उनका भविष्य शासन की इस नीति से दिशाहीन हो गया है । शासकीय महाविद्यालयो मे कार्यरत अतिथि विद्वान आर्थिक क्षेत्र में शासन द्वारा निंरतर प्रताड़ित किये गए है। प्रत्येक शिक्षण सत्र में पृथक आवेदन, कार्यकाल की अनिश्चितता, सेमेस्टर व्यवस्था मे परीक्षाओ की अनिश्चिता ने अतिथि विद्वानों के कार्यकाल और मानदेय को कम कर दिया है, रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि विद्वान के स्थान पर अगर स्थानांतरित होकर स्थाई सहायक प्राध्यापक आ जाता है। उक्त पद पर कार्य कर रहे अतिथि विद्वान की सेवा समाप्त हो जाती है। शासन द्वारा अतिथि विद्वानों के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया कि जिन अभ्यर्थियो ने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयो में सहायक प्राध्यापक या क्रीडा अधिकारी या ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वानो के रूप में किया है उन्हें सीधी भर्ती में शासन द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक प्रदान किये जाएगे एवं आयु सीमा मे अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी। जिससे अतिथि विद्वान रोजगार सृजित होने की आशा में कार्य करते रहे लंबे समय बाद 2014 में सीधी भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया पर जिस संख्या में युवा (NET/ SLET/Phd/M.Phil कर के) इस क्षेत्र में आए उतनी संख्या में पद विज्ञापित नहीं किये गए एवं परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई, जिससे अतिथि विद्वानो में रोजगार हीनता की स्थिति निर्मित हुई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के 2934 पद रिक्त है एवं शासन द्वारा नवीन महाविद्यालय भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में खोले गए हैं। प्रदेश में कुल 432 शासकीय महाविद्यालय है जिनमें लगभग 3600 अतिथि विद्वान कार्यरत है। जिनकी सामाजिक पहचान एवं व्यक्तित्व शासन की नीति के कारण धुंधली हो गई है । इस व्यवस्था ने शिक्षक, छात्र-छात्राओं को भी प्रभावित किया है । जब अतिथि विद्वान की स्थिति ही स्पष्ट नहीं हैं तो क्या वह शिक्षा की गंभीरता के विषय में छात्रों को बता पाएगा ? या छात्रों को अन्य जगह उज्जवल भविष्य बनाने की सलाह देगा। अतिथि विद्वानों की समस्याओं को लेकर अतिथि विद्वान संघ भी सक्रिय रहा परन्तु उसका प्रभाव भी नगण्य रहा । शासन के साथ-साथ महाविद्यालय कार्यालय भी अतिथि विद्वानों के शोषण मे सहभागी रहा जिसमें शासन की नीति मासिक वेतन के स्थान पर प्रति कालखंड मानदेय देने की रही है, जिसमें प्राचार्य का निर्णय ही मान्य होता है। कुछ अतिथि विद्वान प्रतियोगी परीक्षाओं मे सम्मिलित होने की निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके है, वे अन्य विकल्प तलाशने के लिए विवश है।

एक ओर तो संस्थान शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदाय करने का दावा करते है और शिक्षण और शैक्षिणेत्तर गतिविधियों का नियमित संचालन कर अपनी गुणवत्ता सिद्ध करते है। वही दूसरी ओर शासकीय नियमानुसार पारिश्रमिक प्रदान नहीं करते, जो गुणवत्ता पर प्रश्न है।

शोध लेख का निष्कर्ष यह है कि वैश्वीकरण के कारण जहां एक ओर शैक्षिक परिदृश्य तो परिवर्तित हुआ वही शासकीय संस्थाओं में नियमित प्राध्यापको की भर्ती पूर्ण रूप से बंद कर दी गई एवं उसके स्थान पर तदर्थ, अतिथि विद्वान व्यवस्था लागू की गई , जो जारी है । अतिथि विद्वान का कार्य सिर्फ व्याख्यान तक सीमित है, क्योंकि वह किसी भी रूप से शासकीय सेवक की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता। अत: शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकरण का प्रभाव यह हुआ कि शासकीय शिक्षा व संस्थानों में निर्धारित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्तियाँ नहीं हुई जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई । शासन का प्रयास यह होना चाहिए कि शासकीय शिक्षण संस्थानो को गुणवत्तायुक्त बनाए जिससे वैश्वीकरण की दौड में शासकीय शिक्षक पिछड न जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अल्टबाख फिलिप जी (2006) टाईनी एट द टॉप विल्सन क्वार्टरली (ऑटम) पृ 49- 51
2. अल्बाख फिलिप जी (2009) द जीयंट अवेक : हायंर एजुकेशन सिस्टम इन चाईना एंड इडिया
3. इकानमिक एंड पालिटिकल वीकली 44 (जून 6) पृ.39- 51
4. आर्गेनाईजेशन फार इकानमिक कोआपरेशन एंड डवलपमेट (2008) हायर एजुकेशन टू 2030
5. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग वार्षिक प्रतिवेदन 2014 - 15

****

भारत में बढ़ रहे साइबर अपराध तथा प्रबंधन

डॉ. रश्मि दुबे *

प्रस्तावना – अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो उसी समय से प्रचलन में है जब से सभ्यता विकसित हुई। वस्तुत: अपराध तभी होने शुरू हो गए थे जब मानव ने धीरे–धीरे सभ्य होना शुरू किया था। अपराध प्रत्येक युग और हर समाज में पायी जाने वाली घटना है। कुछ उदारवादी विद्धान यह भी कहते हैं कि अपराध एक मानव व्यवहार है। साथ ही ये विद्धान यह भी कहते कि सभी मानव व्यवहार अपराध नहीं होते हैं। केवल उन्हीं मानव व्यवहारों को अपराध कहा जा सकता है, जो सामाजिक मान्यताओं और नैतिकता के प्रतिकूल हों। अपराध एक संवेदनशील शब्द है। चूंकि हमारे जीवन में अपराध का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इनके कारण कभी–कभी तो हमारी संपूर्ण जीवनधारा ही बदल जाती है। यद्यपि अपराध एक सार्वभौमिक घटना है लेकिन इसकी व्याख्या में सार्वभौमिकता का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि अपराध की अवधारणा स्थान, समय परिस्थितियों और आदर्शों से संबंधित होती है। इसी कारण अपराध के संबंध में साइबर शब्द को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाता है। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। आज कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है। कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कम्प्यूटर बैंकिंग, क्रेडिट व डेबिट कार्ड आदि का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में होने लगा है।

आज सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अपराध बढ़ रहे हैं तो उसी ने उन पर नियंत्रण के उपाय भी बनाए हैं। साइबर अपराध के अन्तर्गत वे सभी अपराध आते हैं जो किसी न किसी रूप में कम्प्यूटर से संबंधित होते हैं। वैसे आजकल मोबाइल फोन और बैंकिंग से संबंधित अपराधों को भी साइबर अपराधों की श्रेणी में रखा जाने लगा है। जैसे–जैसे हमारा जीवन कम्प्यूटर के अधीन होता जा रहा है, वैसे–वैसे अपराधों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ इंटरनेट से जुड़े अपराध साइबर अपराध होते थे, अब तो तकनीकी से जुड़े सभी अपराध साइबर अपराध हैं। जैसे साफ्टवेयर की चोरी बहुत बड़ा साइबर अपराध है, इसी प्रकार कम्प्यूटर के आंकड़ों को बदलना या परिवर्तित करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। अध्ययन से कुछ प्रमुख साइबर अपराधों के बारे में पता चला जो इस प्रकार है–

इन्टरनेट– आज सबसे ज्यादा इन्टरनेट के उपयोग ने साइबर अपराध को बढ़ावा दिया है। इन्टरनेट ने आम आदमी के जीवन में जगह बना ली है। इन्टरनेट आज किसी वरदान से कम नहीं है, पर इसका दुरूपयोग साइबर अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। युवाओं में चैटिंग द्धारा गलत संबंध बना लेना फिर लड़कियों को ब्लेकमेल करना। इसी तरह वैवाहिक बेबसाइट पर धोखाधड़ी के मामले भी अपराध के रूप में उभर कर आये। जैसे–जैसे इन्टरनेट का उपयोग बढ़ेगा साइबर अपराध के मामले भी बढ़ेंगे।

हैकिंग – हैकिंग का अर्थ है अनाधिकृत रूप से किसी भी बेबसाइट या ई–मेल खाते तक पहुँच कर उससे डाटा आदि चुरा लेना हैकिंग के द्धारा दो लोगों द्धारा ई–मेल के जरिये हो रही बातों को भी सुना जा सकता है। वास्तव में हैकिंग आज के साइबर युग की सबसे बड़ी समस्या है। हैकिंग के कारण पूरा सूचना तंत्र ध्वस्त किया जा सकता है। किसी कम्प्यूटर तंत्र में उपस्थित डाटा को नष्ट किया जा सकता है। कम्प्यूटर तंत्र के सॉफ्टवेयर को फुलप्रूफ बनाकर उसे हैक होने से बचाया जा सकता है।

भारत की एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाणन कम्पनी, 'अप्पीन' ने हैकिंग की रोकथाम करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी इंटरनेट से समझौता किया है। समझौते के मुताबिक 'अप्पीन' और 'इंटरटेक' परस्पर मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनायेंगे जो हैकिंग से कम्प्यूटर तंत्र की सुरक्षा करेगा। इस सुरक्षा–सॉफ्टवेयर को 'एपीपीएसईसी' नाम दिया गया है। यह वास्तव में 'सॉफ्टवेयर' एप्लीकेशन सिक्युरिटी सर्टिफिकेट होगा। यह सुरक्षा प्रमाण–पत्र प्रदान करने से पहले 'अप्पीन' और 'इंटरनेट' मिलकर सॉफ्टवेयर का 20 मानदण्डों पर परीक्षण करेगी। 'एपीपीएसईसी' नामक इस सॉफ्टवेयर को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड सहित लगभग सभी यूरोपियन देशों में मान्यता प्राप्त है।

सोशल साइट्स– सोशल साइट्स को मित्रता साइट्स भी कहते हैं इसमें सभी युवा अपना प्रोफाइल बनाकर व्यक्तिगत विवरण डालते हैं जिसमें नाम, पता, उम्र, शौक सब शामिल रहता है। इसके जरिये वे एक–दूसरे को बिना देखे भी मित्रता कर सकते हैं। ऑरकुट, फेसबुक, फॉयर, माई स्पेस आदि नाम से प्रमुख साइट्स उपलब्ध हैं। इस साइट्स में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें फर्जी प्रोफाइल का उपयोग होने से अपराधों में वृद्धि हो रही है। इस तरह की किसी सोशल साइट्स से यदि आप जुड़े है तो विशेष कर लड़कियाँ अपनी व्यक्तिगत जानकारी इस प्रकार की साइट्स में बिल्कुल न डालें क्योंकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है।

सामाजिक साइट्स की दुनिया में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप अपने पासवर्ड को हैक होने से बचा सकते हैं। यदि आपका पासवर्ड `Swapn@123' है तो पासवर्ड टाइप करते समय पहले `Swapn@' टाइप करें और फिर @ को मिटा दें। ऐसा दो–तीन बार करें। किसी केरेक्टर को दो–तीन बार मिटाने के बाद पूरा पासवर्ड टाइप करें। अब यदि कोई आपका पासवर्ड हैक करेगा तो उसे `Swapn@@123' या `Swapn@@@123' दिखाई देगा। इसके अलावा अपनी जन्मतिथि वाहन संख्या आदि के आधार पर कभी भी अपना पासवर्ड न बनाऐं।

ऑनलाइन खरीददारी– ऑनलाइन खरीददारी का मतलब है इन्टरनेट पर होने वाली खरीददारी। आज जिस भागदौड़ की जिन्दगी हम जी रहे हैं, उसमें

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

ऑनलाइन खरीददारी का प्रचलन बढ़ रहा है। हम इन्टरनेट के जरिये वस्तुओं को देखकर पसंद करते हैं और नेट से ही आर्डर बुक करवा कर सामान मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन खरीददारी से चौबीस घंटे आप खरीददारी कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीददारी के लिये अमेजन डॉट कॉम, रेडिफ, डॉट कॉम, फेमार्ट डॉट कॉम आदि साइटें काफी लोकप्रिय हैं।

फिशिंग– प्रयोक्ता की जानकारी के बिना ही उसकी व्यक्तिगत और निजी जानकारी फिशिंग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भारत की वित्तीय संस्थाओं को भी फिशिंग का निशाना बनाया जा रहा है। यह विधि पैसा चुराने के आसान तरीके के रूप में विकसित हुई है। फिशिंग किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश में किसी भरोसेमंद संस्था का रूप धारण करके आपराधिक तरीके से यूजरनेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण जैसी जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया है। फिशिंग ईमेल के माध्यम से की जाती है। कभी–कभी फिशिंग के लिये फोन द्वारा संपर्क का तरीका भी अपनाया जाता है। फिशर्स आमतौर पर जाली ई–मेल का प्रयोग करते हैं।

जाने–पहचाने और मशहूर बैंकों, ऑनलाइन रिटेलर्स और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के भरोसेमंद ब्राण्डों का 'हाइजैक' करके ये फिशर्स ई–मेल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपनी बात मनवाने के लिए राजी कर लेते हैं। इससे भी कहीं अधिक चिंता की बात यह है कि फिशर्स अब की–लॉगिंग, ट्रांजेक्शन जनरेटर्स और डी.एन.एस. हाइजैकर्स जैसे परिष्कृत हमले करने के लिए 'क्राइम–वेयर' का उपयोग करने लगे हैं। फिशिंग के इन हमलों का मकसद सिर्फ उपभोक्ताओं की पहचान या वित्तीय जानकारी की चोरी करना ही नहीं होता है। बहुत से नये हमलों में अब कॉरपोरेट तथा सरकारी प्रयोक्ताओं के ऑथेन्टिकेशन क्रेडेन्शियल्स को भी निषाना बनाया जाने लगा है। जो इस बात का संकेत है कि फिशिंग करने वाले हमलावर डाटाबेसों और नेटवर्कों को भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास करने लगे हैं।

दुर्भाग्य से ऐसा कोई उपाय उपलब्ध नहीं है जिसकी सहायता से वित्तीय संस्थाएं फिशिंग की समस्या को खत्म कर सकें। यह एक जटिल समस्या है क्योंकि इसमें किसी कॉरपोरेशन के नेटवर्क पर सीधे हमला नहीं किया जाता है। इसके बजाय फिशिंग में वित्तीय संस्थाओं और ई कॉमर्स साइट्स के ब्राण्डों के साथ जालसाजी करके इंटरनेट प्रयोक्ताओं पर हमला किया जाता है। इसके बाद इन क्रेडेन्शियल का उपयोग वित्तीय घोटालों, आइडेंटिटी थेफ्ट और नेटवर्क पर गड़बड़ियां करने के लिए किया जाता है।

कम्प्यूटर वायरस– कम्प्यूटर इस्तेमाल करने वालो के लिये कम्प्यूटर वायरस एक बड़ी समस्या है । इन वायरस के कारण समूचा डाटा नष्ट हो सकता है। इसलिये कुछ कम्पनियां या देश अक्सर दुश्मन कम्पनियों या देशों के कम्प्यूटर डाटा को नष्ट करने के लिये वायरस हमला करते रहते हैं। सबसे पहला कम्प्यूटर वायरस ब्रेन था। जिसकी खोज डेलवेयर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में लगभग 10 हजार वायरस सक्रिय हैं। जिससे हमारे कम्प्यूटर डाटा पर खतरा मंडरा रहा है।

शुरूआत में किसी वायरस को फैलने में महीनों लग जाते थे लेकिन जब से इंटरनेट को लोकप्रियता मिली है, तब से वायरस, रातों रात दुनियाभर के कम्प्यूटरों पर हमला कर देते हैं। ये कम्प्यूटर वायरस वास्तव में मानवनिर्मित डिजिटल परजीवी हैं जो किसी दूसरे कम्प्यूटर के डेटा को संक्रमित कर देते हैं। यदि कोई जाना– पहचाना वायरस किसी प्रोग्राम में छिपा हो तो उसे मात्र 10 मिनट में खोज कर नष्ट किया जा सकता है। लेकिन किसी अपरिचित व नए वायरस को ढूंढना कभी–कभी काफी कठिन हो जाता है। जैसे–जैसे कम्प्यूटर वायरसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैसे–वैसे वायरस विरोधी उद्योग (एन्टी वायरस इंडस्ट्री) भी फैलता जा रहा है। इस व्यवसाय में तेजी का आलम यह है कि जैसे ही हम कोई एंटी वायरस फ्लापी या सीडी खरीदते हैं, वैसे ही वह पुरानी हो जाती है और हमें नए एंटी वायरस की जरूरत महसूस होने लगती है। जितनी तेजी से कम्प्यूटर तकनीक बदल रही है उतनी ही तेजी से कम्प्यूटर वायरसों में तकनीकों का प्रयोग बढ़ रहा है और वायरस लगातार अधिक आक्रामक व अधिक घातक होते जा रहे हैं। सबसे पहला कम्प्यूटर वायरस सी–ब्रेन को माना जाता है जो 1980 के दशक में प्रकाश में आया था। 1992–93 के आसपास कम्प्यूटर वायरसों ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया तो लोग इसके बारे में सचेत हुए।

आज जिस तेजी से सारी दुनिया एक बड़े नेटवर्क में बदल रही है उसके कारण साइबर अपराधों का खतरा भी बड़ रहा है। सुरक्षा को लेकर चौकस करती साइबर सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार नए इंटरनेट कनेक्शन के साथ–साथ विभिन्न संस्थान भी आपस में जुड़ रहे हैं। देश भर में क्राइम से निपटने आई टी एक्ट बनाया गया है। अत: हमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत सजगता व जागरूकता के साथ करना होगा जिससे हम साइबर अपराध से स्वयं बच सकें तथा लोगों को भी बचने के उपाय बता सकें तभी हमारा समाज प्रगति पथ पर अग्रसर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. कल्पना जैन – सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, यूनिवर्सिटी बुक हाउस जयपुर 2015
2. यू.एस. पाण्डे – कम्प्यूटर विज्ञान, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली 2014
3. अंजली वर्मा – इन्टरनेट महत्व और अनुप्रयोग, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2013
4. नरेश कुमार शर्मा – साइबर अपराध चुनौतियां व प्रबंधन महेन्द्र बुक कंपनी, गुड़गांव 2013
5. बी.डी. शर्मा – शिक्षा एवं सूचना तकनीकी, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2012
6. अजय तिवारी – इन्टरनेट एवं वेब टेक्नालाजी, यूनिवर्सिटी बुक हाउस जयपुर 2011
7. रमेश जैन – इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूनिवर्सिटी बुक हाउस जयपुर 2011

****

Climate Change And Its Implications In Indian Context

Dr. Prabhakar Mishra *

Introduction - Change is the law of nature. But this law of natural change is creating global threats to the human society and other living creatures. Our living planet earth is intended to a critical situation where unexpected climatic changes are influencing the physical as well as social environment. An interwoven system of Atmosphere, oceans, rivers and other water bodies, land, ice covers and biosphere constitutes the natural environment. The normal natural environment provides life supporting conditions for the livings and other systems related to the physical factors.

Totality of atmospheric conditions for a long time creates a type of environmental characteristic. This state of atmosphere is called climate. Of all the salient characteristics of physical environment which have the potential to make changes in our living planet, climate is more effective physical element and has the self control system. The effects of climate prevail equally over land, sea and air because all the earth is surrounded by atmosphere and its changing characteristics.

Aims and Objectives - Nowadays climate change is the burning issue and the question of life and death. The moderate atmospheric conditions provide the life supporting environment for flora and fauna. But the present scenario of natural environment is badly affected by unexpected and extreme climate change. Therefore, present study deals with the study of effects of climate change and search measures to check or minimize the bad effects of climate change.

India is the country of diversities and the land of climates not the climate. The Diversity of land that consists the mountains, river basins, plateaus, deserts and coastal area is also a salient feature of India which plays an essential role to stir the climatic conditions. Northern Himalayan region and 6000 km. long coastal boundary have their unique effects over the countrywide circulation and retreat of monsoonal winds. The diversity of land and climate makes the situation critical and challenging for resolving the problems arising due to climate change.

Climate change is one of the most significant global issues that prevails all over the world. India has an area of 32.8 lakh sq.km. which is the 2.7 percent of the land surface with 17.5 percent of world population also faces the global crises. Uneven rainfall, heat strokes, floods, droughts, retreat of glaciers and loss of biodiversity are some reflections of climatic changes in our country.

Climate change - The change in climatic conditions depends upon the various physical factors i.e. solar radiation, distribution of temperature, location and extent of land, water and ice cover, gradient of earth surface etc in general but the horrendous penetration of human behavioral and so called developmental activities distort the various processes of the physical environment in the form of climate change which leads the path to natural disasters and environmental degradation.

The elements, the forces and the processes of environment are either being restrained or aggravated by those elements which are responsible for the inappropriate climate change. Increasing effect of various environmental systems over physical and social factors creates a brainstorming phenomenon for administrators, scientists and policymakers.

Unprecedented Climate change has a wider range of negative effects on human activities. Physical Environment plays an important role to the developmental human activities but increasing effect of environmental systems reflects among the physical and social factors. The normal natural environment provides life supporting conditions for the livings and other systems related to the physical factors. The Climate change reflects in the shrinking ice cover, increasing sea level, heavy rainfall, severe draughts, natural calamities and floral and faunal behaviours. It also creates and increases the problems pertaining to the human health, housing, displacement of population and agricultural practices and other developmental problems.

Impacts of climate change - Of all the effects of increase in temperature, change in climatic conditions is an important and salient feature of atmosphere. Climate change is a change of weather conditions that shows the fluctuation from normal climatic conditions of an area within a long period of time. The Climate change reflects in the increase in atmospheric temperature, uneven rainfall, shrinking ice cover, increasing sea level, severe draughts, loss of biodiversity, natural calamities and floral and faunal behaviours. It also increases the health, housing, displacement of population and other developmental problems.

Increase in atmospheric temperature - An increase of atmospheric temperature changes the climatic conditions and has global impact. In present world scenario, global warming is a great threatening to the physical environment of the planet. Global warming is primarily a problem of high concentration of carbon dioxide (CO_2) in the atmosphere –

*Asst. Professor (Geography) Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.) INDIA

which acts as a blanket effect, trapping heat and warming the earth surface. Consumption of fossil fuel like coal, oil and natural gas accumulates the carbon with the deforestation practices also overload the atmosphere. Certain agricultural, waste management and goods manufacturing practices intensify the problem by releasing other global warming gasses like Methane and Nitrous oxide. These heat trapping gasses rise the average atmospheric temperature and disturb the routine of regulatory systems related to the temperature. Scientific evidences pertaining to the global warming indicates an increase of more than 3.6 degree Fahrenheit or 2 degree Celsius. Global mean temperature has increased by 0.74 degree Celsius between 1906 and 2005. Increasing temperature also poses severe risks to the natural atmospheric conditions and human wellbeing.

Rise in sea level - The Rise in global sea level will be the more crucial challenge to the coastal population. Due to the melting glaciers, ice sheets and the thermal expansion of the oceans, level of sea water has already increased by 10 to 25 cm during past century. As per the estimation of intergovernmental panel for climate change a mean value of sea level rise by 46 cm at the time of 2100. The average rate of global sea level rise is 1.8mm/yr during 1961-2003 and it has been faster during 1993-2003 (@3.1 mm/yr). Any sharp rise in sea level could have a considerable impact on India. According the United Nations Environment Programme, India is among the 27 countries which are most vulnerable to a sea level rise. Out of four mega cities of the country, three cities have coastal location i.e. Kolkata, Mumbai and Chennai and also have large and growing populations and huge economic as well as cultural infrastructure. Low -level areas, such as Orissa and West Bengal and the areas of the Andaman Nicobar, Lakshadweep and Daman Diu and low land of Gujarat could be Vulnerable to the sea level rise.

Uneven rainfall - Indian monsoon rains are the most significant characteristic of the climate of India. It is also responsible for most of our agricultural activities, rivers and replenishment of ground water sources. Monsoon rains are a manifestation of the complex interactions between land, ocean and atmosphere. A decline in monsoon rainfall since the 1950s has already been observed. A 2°C rise in the world's average temperatures will make India's summer monsoon highly unpredictable. The frequency of heavy rainfall events has also increased. there are some regional variations. A trend of about 10 to 12% (of the normal) increase in monsoon rains were reported along the west coast, northern Andhra Pradesh and north-western India during the last century. A decreasing trend of about 6 to 8% is observed over the last 100 years over eastern Madhya Pradesh, North-Eastern India and some parts of Gujarat and Kerala.

Retreat of Himalayan glaciers - The Himalayan ranges are the store house and permanent source of water for perennial rivers of India as well as China and Pakistan. At 2.5°C warming, melting glaciers and the loss of snow cover over the Himalayas are expected to threaten the stability and reliability of northern India's primarily glacier-fed rivers. The global mean temperature is expected to increase between 1.4 to 5.8ºC over the next hundred years. The consequences of this change in global climate are already being witnessed in the Himalayas where glaciers and glacial lakes are changing at alarming rates. Himalayan glaciers are retreating at rates ranging from 10 to 60m per year and many small glaciers (<0.2 sq.km) have already disappeared. The impacts of Climate change also responsible for the problems related to Health, Agriculture, Coastal Erosion, Biodiversity Loss, Storm/Storm Events, Soil Moisture Availability and increase of Sea Surface Temperature.

Solution - The crisis of climate change has no boundary and the system of world governance is divided into physical as well as political boundaries with their own political systems and policies. The level of human development, science and technology with diversities of natural features make the situation more critical. Therefore, we have collective responsibility to fight against the global crisis of climate change.

NASA suggested two options Mitigation and Adaptation available to address the problems which may arise out of pollutions caused to the air, water or soil. The term 'mitigation' involves actions that reduce the likelihood of the event or process. In other words, Mitigation refers to measures for reduction of emissions of GHGs that cause climate change like switching from fossil fuel based power generation to alternative sources of renewable energy like solar, wind, nuclear etc. 'Adaptation' involves actions that reduce the impact of the event or process without changing the likelihood that it will occur.

Conclusion - India is a developing country and facing the challenge of sustain its rapid economic growth with the global threat of climate change. At the global platform, reduce the emission of green house gases is an international, collective and co operative issue, India requires a strong strategy to deal the situation at the time of international negotiations and policymaking. In dealing with the global challenge of climate change India has its own solution that hinges on the pivot of new technology and management of resources. Use of solar energy, enhancement of energy efficiency, sustainable habitat, water mission, sustenance of Himalayan eco system, mission green India, practice of sustainable agriculture, development of strategic knowledge as a research and development are the key measures to tone down the challenge of climate change.

References :-

1. www. Ourclimate.net
2. www.censusindia.gov.in
3. www.nasa.org
4. www.mospi.gov.in
5. www.nrsa.gov.in
6. http://www.worldbank.org
7. Bajracharya,Mool and Shrestha :Impact of climate change on Himalayan glaciers and glacial lakes, ICIMOD, 2007

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

ग्रामीण परिवेश में उच्च शिक्षा की ओर बेटियों के बढ़ते कदम (शासकीय महाविद्यालय बरही, जिला कटनी का एक अध्ययन)

डॉ. सुकचैन सिंह धुर्वे *

शोध सारांश – उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, किन्तु उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं में विद्यमान मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। समाचार पत्र–पत्रिकाओं एवं अवलोकन के आधार पर देश में उच्च शिक्षा केवल डिग्रियाँ थमा रही है। सक्षम व मध्यम वर्ग अपने बच्चों के बेहतर के लिए कुछ अलग सोचने लगा है। ग्रामीण विद्यार्थी समस्या–सम्पन्न उच्च शिक्षा संस्थाओं में परंपरागत पाठ्यक्रम पढ़कर सिर्फ डिग्री लेने को लाचार हैं। यह डिग्री भी अत्यधिक शुल्क अदा कर और अध्ययन अवधि का अधिकांश समय आने–जाने की यात्रा में व्यतीत कर प्राप्त करता है। खेलकूद व सांस्कृतिक–साहित्यिक गतिविधियों की औपचारिकता का निर्वाह करता है। ग्रामीण अभिभावक बेटियों को समाज के वर्तमान परिवेश में शहर भेजने में आतंकित हैं। अत: गाँव की बेटियाँ गाँव में पढ़ने को मजबूर हैं। गाँव में भी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दी जा सकती है; सिर्फ आवश्यकता है तो इन ग्रामीण शिक्षा संस्थानों की समस्याओं को समाप्त करने की। जो विकसित देश और सभ्य समाज के लिए सार्थक पहल होगी।

प्रस्तावना – गाँधी जी कहते हैं कि अगर एक पुरुष को शिक्षा मिलती है तो वह एक व्यक्ति साक्षर होता है, जबकि एक महिला को शिक्षा मिलती है तो सभ्यता साक्षर होती है।जनगणना वर्ष 2011के अनुसार देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या 48.52 प्रतिशत है और इनकी साक्षरता प्रतिशत 65.5 है जबकि पुरुष साक्षरता 82.1 प्रतिशत है।

आज देश में ऐसी महिलाओं की संख्या अधिक है जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक अवसर आदि क्षेत्रों में पुरुषों से बहुत पीछे हैं। किसी देश की प्रगति व वास्तविक स्थिति का यदि अध्ययन करना है, तो वहाँ महिलाओं की शिक्षा का स्तर देखना चाहिए। आज महिला साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत है। जिसमें ग्रामीण महिलाओं का हिस्सा और भी कम है।देश में यदि हम साक्षरता या सिर्फ अक्षर ज्ञान के आधार पर विकास की बात करेंगे तो यह कल्पना मात्र होगी क्योंकि शिक्षित एवं विवेकशील नारी ही सभ्य समाज की रचना कर सकती है, और यह तभी संभव है जब उच्च शिक्षा में बेटियों व महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के तुल्य हो। भारतीय नारियाँ–उनका भूत, वर्तमान और भविष्य विषय पर स्वामी विवेकानन्द जी कहते हैं–'हमारा हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल शिक्षा का प्रसार कर देने तक ही सीमित है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें।' उनके अनुसार भारत के सभी स्त्री प्रकारों में माँ सबसे उपर है। सच भी है–समकालीन भारत में उभरते सामाजिक समस्याओं का निदान शिक्षित व विवेकशील माँ से ही संभव है। कन्याभ्रूण हत्या, शिशु कुपोषण, निरक्षरता, अस्पृश्यता, बेरोजगारी,जनसंख्या वृद्धि आदि समस्याएँ उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर, कम की जा सकती हैं। 'बेटी बचाओ–बेटी बढ़ाओ' अभियान महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा से प्रत्यक्ष जोड़ना है। इसी सन्दर्भ में शोधार्थी ने शासकीय महाविद्यालय बरही जिला कटनी मध्यप्रदेश का अध्ययन कर उच्च शिक्षा में बेटियों की बढ़ती सहभागिता एवं संस्थागत समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य – केन्द्र सरकार व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाऐं , कार्यक्रम, नीतियाँ एवं कानून बनाती हैं तथा सभी का प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास किया जाता है। कुछ अवधि में इसके परिणाम भी सामने आते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की भागादारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, इसके कुछ परिणाम भी आये हैं। इसी सन्दर्भ में कटनी जिले के इस ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों के बढ़ते कदमों की स्थिति का अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है –

1. ग्रामीण परिवेश में उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी में क्रान्ति का अध्ययन करना।
2. बेटियों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने वाली प्रमुख योजनाओं का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों की समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित कराना।
4. ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों की उच्च शिक्षा की ओर गतिशीलता में बाधक तत्वों का अध्ययन करना।
5. बेटियों की समग्र शिक्षा हेतु उच्च शिक्षा संस्थाओं में शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं की अति न्यून भागीदारी को उजागर करना।

संकल्पनाएँ – शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित संकल्पनाओं के अनुसार अध्ययन कर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया हैं :–

1. शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के कारण उच्च शिक्षा में बेटियों की संख्या में क्रान्ति आयी है।
2. ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों की निर्धनता उच्च शिक्षा के लिए बाधा उत्पन्न करती है।
3. उच्च शिक्षा संस्थाओं में विद्यमान समस्याएँ बेटियों की शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, बरही, जिला – कटनी (म.प्र.) भारत

4. उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम परंपरागत होने के कारण अभिभावक बच्चों को पढ़ाने हेतु शहरों का रुख करते हैं।
5. महाविद्यालयों में प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क की अधिकता के कारण निर्धन छात्र-छात्राओं की प्रवेश संख्या कम रहती है।

शोध प्रविधि – शोध पत्र लेखन में निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया गया है-

1. महाविद्यालय में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों से परिचर्चा द्वारा जानकारी एकत्र की गयी है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर छात्राओं की समस्याओं का अवलोकन कर जानकारी एकत्र की गयी है।
3. शिक्षा सत्र 1999-2000 से 2015-2016 तक के आँकड़े महाविद्यालय के कार्यालय से द्वितीयक आँकड़ों के रूप में प्राप्त किये गये हैं।
4. शिक्षकों,पालकों एवं विद्यार्थियों से चर्चा कर सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के प्रोत्साहन हेतु प्रमुख योजनाएँ –

1. गाँव की बेटी योजना -इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मध्यप्रदेश के प्रत्येक गाँव से प्रति वर्ष 12 वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिकाओं को अध्ययन अन्तराल किये बिना उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्क्रमों में प्रवेश एवं अध्ययन के दौरान प्रतिमाह रु0 500 की दर से एक शैक्षणिक सत्र के लिये रु0 5000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। नवोदय विद्यालय से 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलता है। इसमें आय की सीमा लागू नहीं है।

2. प्रतिभा किरण योजना -गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की ऐसी छात्राऐं जो शहर की पाठशाला से 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो तथा अध्ययन अंतराल किये बिना उच्च शिक्षा में प्रवेश ली हो। ऐसी छात्रा को परंपरागत पाठ्यक्रम हेतु रु0 300 प्रतिमाह 10 माह तक तथा तकनीकि एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु रु0 750 प्रतिमाह 10 माह तक प्रतिवर्ष दिये जायेंगे।

3. आवागमन सुविधा योजना -राज्य शासन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों की ऐसी छात्राऐं जो अध्ययन स्थल से 5 कि. मी. या इससे अधिक दूरी पर निवास करती हैं उन्हें शैक्षणिक स्थल तक पहुँचने के लिये प्रवेश दिनाँक से रु. 5 प्रतिदिन की दर से राशि प्रदान की जाती है। अधिकतम 200 दिवस का ही भुगतान किया जाता है। यह गणना माह जुलाई से मार्च तक की जाती है।

4. नि:शुल्क बालिका शिक्षा योजना '(इंदिरा गाँधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना)'-केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 से अब माता-पिता की अकेली बेटी को 6 वीं से 12वीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्नातक स्तर की पढ़ाई (नॉन मेडिकल तथा नॉन इंजीनियरिंग) के लिए रु0 500 प्रतिमाह और मेडिकल व इंजीनीयरिंग स्नातक कोर्स के लिए रु0 1000 प्रति माह की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से परा-स्नातक शिक्षा प्राप्त करने पर रु0 2000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है।

5. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति -इस छात्रवृत्ति की शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में की गयी, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय में गरीब प्रतिभाशाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना है।

6. उड़ान योजना -केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों के 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं के लिए यह योजना शुरू की गयी है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में छात्राओं के घटते अनुपात को कम करने के लिये सी. बी. एस. ई. ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध करायेगी। आई आई टी, जे ई ई परीक्षा की तैयारियों के लिये ट्योटोरियल, लेक्चर्स व स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध होगी। छात्राओं को टेबलेट भी दिया जायेगा। इसके लिये छात्राओं के अंक 10 वीं में न्यूनतम 70 प्रतिशत, 11वीं में 75 प्रतिशत 'पी.सी.एम.' अनिवार्यत: होनी चाहिए। ऐसी छात्रायें योजना का लाभ उठाने के लिये सी.बी.एस.ई. की वेबसाइट पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।

इन योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकारें छात्र-छात्राओं दोनों के लिये तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति व निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये अनेक योजनाऐं संचालित कर रही है। जैसे-एकीकृत छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति-जनजाति विद्यार्थियों हेतु नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय योजना, आवास योजना, पी.एच.डी. के लिए शोध छात्रवृत्ति योजना, भूमिहीन श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदाय योजना, विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना आदि।

शासकीय महाविद्यालय बरही जिला कटनी में छात्राओं की संख्यात्मक स्थिति का अध्ययन – शोध विषय, शासकीय महाविद्यालय बरही जिला कटनी मध्यप्रदेश का अध्ययन, शिक्षा सत्र 1999-2000 से 2015-2016 तक छात्राओं तथा छात्रों के प्रवेश में आये बदलाव पर आधारित है। इस अवधि में महाविद्यालय में बेटियों के प्रवेश में आयी क्रान्ति देश एवं समाज के विकास की आधारभूत सीढ़ियाँ हैं, की परिचायक है। इसका स्वरूप निम्नानुसार है -

तालिका क्रमाँक-01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

आरेख क्रमाँक-01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 01 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शिक्षा सत्र 2008-09 के पूर्व महाविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती गयी है किन्तु छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में कम ही रही है। सत्र 2008-09 में छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग बराबर रही है, शासकीय योजनाओं एवं पालकों की जागरूकता के कारण 2009-10 से कुल प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के साथ छात्राओं की संख्या में आशाजनक वृद्धि हुई है वहीं छात्रों की संख्या में गिरावट आई है।

तालिका क्र. 01 में ही महाविद्यालय के कुल विद्यार्थियों में से छात्र-छात्राओं की संख्या के प्रतिशत तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अनुसार 1999-2000 में छात्र 66% एवं छात्राएँ 34% थीं। सत्र 2011-12 एवं 2012-13 में यह स्थिति ठीक उल्टी होकर छात्र 34-34% एवं छात्राएँ 66-66% क्रमश: रही हैं। यह क्रान्ति 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के सकारात्मक संकेत हैं। सत्र 2009-10 से बेटियों का प्रतिशत अंतर धनात्मक रूप से क्रमश: बढ़ा है।

तालिका क्रमाँक-02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमाँक-03 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

आरेख क्रमाँक-02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्र- 2 एवं 3 में सत्रवार कुल विद्यार्थियों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र एवं छात्राओं की स्थिति को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन सारणियों के अनुसार उपर्युक्त दोनों वर्गों का प्रतिशत महाविद्यालय में बहुत ही कम है, जो शासन के लिये प्रश्न चिन्ह है। स्वतंत्रता के बाद से सरकारें इन वर्गों के उत्थान के लिये अनेक योजनाएँ संचालित कर रही है किन्तु इनका आशानुरूप परिणाम आज भी नहीं दिखायी देते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की दशा सबसे न्यून है। इस वर्ग के छात्राओं का प्रतिशत सत्र 2006-2007 तक 1 प्रतिशत से भी कम रहा है।

समस्याएँ - यह महाविद्यालय जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।अधिकांश छात्र-छात्रायें लगभग 15 से 20 कि. मी. दूरी से सार्वजनिक बस या अन्य वाहनों से अध्ययन हेतु आना-जाना करते हैं। महाविद्यालय का भवन उपयुक्त है किन्तु संस्था में कुछ समस्याएँ हैं जो छात्र-छात्राओं के अध्ययन को प्रभावित करते हैं-

1. **विद्यार्थियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत न होना** - महाविद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं। आने-जाने के लिये लंबा समय वाहनों का इंतजार व यात्रा में व्यतीत करना पड़ता है। साथ ही भीड़युक्त वाहनों में यात्रा करने से थकान व परेशानी उठानी पड़ती है। जिससे विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है।
2. **खेल मैदान का न होना** -विद्यार्थियों में खेल प्रतिभा को उन्नत करने के लिये खेल गतिविधियाँ एवं खेल मैदान अनिवार्य हैं। महाविद्यालय की लगभग 6 हेक्टेयर भूमि का 90% हिस्सा खाली है, किन्तु यह भूमि ऊबड़-खाबड़ एवं पथरीली है। महाविद्यालय का खेल मैदान न होना विद्यर्थियों की दूसरी समस्या है।
3. **विज्ञान व व्यावसायिक पाठ्यक्रम न होना**- इस महाविद्यालय में कला संकाय एवं सत्र 2007-2008 से वाणिज्य संकाय स्ववित्तीय योजना से संचालित हैं। वाणिज्य संकाय में स्थानीय बरही के कुछ सक्षम अभिभावक ही अपने पाल्यों को पढ़ाते हैं। महाविद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी जो ग्रामीण, निम्न व मध्यम आय वर्गीय एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के होते हैं, कला संकाय के परंपरागत विषयों को पढ़ने के लिये बाध्य रहते हैं। अपनी निम्न आर्थिक दशा एवं महाविद्यालय में विज्ञान व व्यावसायिक विषय न होने के कारण विद्यार्थी परंपरागत विषय पढ़ता है।
4. **शिक्षकों की कमी** -यह महाविद्यालय चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है अत: यहाँ सदैव स्वीकृत पद अनुसार पूर्णकालिक शिक्षकों की कमी रहती है। जिसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों पर पड़ता है।
5. **उन्नत प्रयोग शालाओं का न होना**- विद्यार्थियों की संख्या एवं नयी तकनीकि की दृष्टि से पर्याप्त कम्प्यूटर एवं भूगोल प्रयोगशाला की कमी महाविद्यालय की अन्य समस्या है।

सुझाव - महाविद्यालय एवं विद्यार्थियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं -

1. दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों की आवागमन असुविधा कम करने तथा उपस्थिति प्रतिशत बढ़ाने के लिये महाविद्यालय परिसर में नि:शुल्क कन्या एवं बालक छात्रावास आवश्यक है।
2. विद्यार्थियों को खेल में बढ़ावा देने के लिये महाविद्यालय परिसर में उपयुक्त खेल मैदान होना अति आवश्यक है।
3. महाविद्यालय में शासन द्वारा विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शीघ्र संचालित किया जाना चाहिए।
4. महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
5. प्रयोगशालाओं को उन्नत करने की आवश्यकता है।
6. सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के लिये सांस्कृतिक शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए।

निष्कर्ष - 'यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत: हो जायेगा।' पण्डित जवाहर लाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सच है। यह भी सच है कि भारत देश गाँवों में बसता है। अत: गाँवों के विकास के लिये गाँव की बेटियों को सिर्फ साक्षर करना पर्याप्त नहीं है बल्कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के द्वारा शिक्षित एवं विवेकशील बनाना होगा जिससे पूरी सभ्यता सुनहरी होगी। किन्तु देश में उच्च शिक्षा की स्थिति जर्जर है, ऐसे में जिन अभिभावकों के पास क्षमता है वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये शहरों या विदेशों में भेज रहे हैं। यह यकायक नहीं हुआ कि देश में उच्च शिक्षा के स्तर में इस तरह गिरावट आयी हो। उच्च शिक्षा संस्थाओं के मुख्य आधार होते हैं शिक्षक, किन्तु आलम यह है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हुये हैं। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसी संस्थाओं की स्थिति सबसे दयनीय है। देश में उच्च शिक्षा में कला,विज्ञान एवं अन्य विषयों के पाठ्यक्रम विदेशों की तुलना में काफी पुराने हैं। देश में उच्च शिक्षा केवल डिग्री थमा रही है। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनायें संचालित कर रही है। इनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं किन्तु ग्रामीण परिवेश के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पूर्णकालिक शिक्षकों अत्यधिक कमी के साथ विद्यार्थियों के लिये अन्य समस्याएँ विद्यमान हैं। इसका दुष्प्रभाव उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। इनका निदान सरकारों के हाथों केन्द्रित है। देश के विकास के लिये ऐसी समस्याओं को यथाशीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका मार्च 2015, ISSN0971-8451, प्रकाशक-प्रकाशन विभाग सूचना भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. 'आगे आयें लाभ उठायें' पुस्तिका , संस्करण 2011, प्रकाशक आयुक्त जनसंम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. 'रचना' पत्रिका जनवरी-फरवरी 2015,ISSN2249-5061, प्रकाशन-मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 462003।
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला कटनी, मध्यप्रदेश, वर्ष 2011
5. 'ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेन्ट' वाल्यूम-दखख(4)2012,ISSN 0973-3833, प्रकाशन-द काउन्सिल फॉर पीस, डवलपमेन्ट एण्ड कल्चरल यूनिटी, मोदी निवास, जैन मंदिर रोड, मुरैना, म.प्र.।
6. 'दिव्य शोध समीक्षा'जर्नल, वाल्यूम 1 अप्रैल 2015,ISSN2394-3807, संपादक- आशीष शर्मा, श्री श्याम भवन, 795, विकास नगर एक्सटेन्सन 14/2,नीमच, म.प्र. 458441.
7. 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका अक्टूबर 2014.
8. कार्यालयीन अभिलेख, शासकीय महाविद्यालय बरही, जिला-कटनी, म.प्र.।
9. दैनिक समाचार पत्र-पत्रिका, दिनाँक 06 दिसम्बर 2015, जबलपुर संस्करण।
10. www.censusindia.gov.in/2011.
11. www.distt handbook katni/2011.
12. www.literacyrate.india/2011.

तालिका क्रमाँक-01

शिक्षा सत्र/ वर्ष	प्रवेशित छात्र संख्या	प्रवेशित छात्रा संख्या	कुल प्रवेशित विद्यार्थी	छात्र संख्या प्रतिशत में	छात्रा संख्या प्रतिशत में	छात्राओं का अन्तर प्रतिशत में
1999-2000	101	052	153	66	34	-32
2000-2001	098	053	161	61	33	-28
2001-2002	122	072	194	63	37	-26
2002-2003	142	093	235	60	40	-20
2003-2004	183	099	282	65	35	-30
2004-2005	187	098	285	66	34	-32
2005-2006	175	098	273	64	36	-28
2006-2007	231	131	362	64	36	-28
2007-2008	212	174	386	55	45	-10
2008-2009	252	250	502	50	50	00
2009-2010	192	256	448	43	57	+14
2010-2011	216	314	530	41	59	+18
2011-2012	156	306	462	34	66	+32
2012-2013	152	297	449	34	66	+32
2013-2014	144	266	410	35	65	+30
2014-2015	166	235	401	41	59	+18
2015-2016	150	254	404	37	63	+26

स्रोत:- कार्यालय, शासकीय महाविद्यालय बरही, जिला-कटनी।

तालिका क्रमाँक-02

अनु.जाति वर्ग के छात्राओं का विवरण

सत्र	कुल विद्यार्थी	अनुसूचित जाति		कुल	कुल विद्यार्थियों से प्रतिशत	एस.सी. छात्राओं का प्रतिशत
		छात्र	छात्राएँ			
1999-2000	153	09	03	11	07.18	01.96
2000-2001	161	10	03	13	08.07	01.86
2001-2002	194	16	05	21	10.82	02.57
2002-2003	235	16	04	20	08.51	01.70
2003-2004	282	24	06	30	10.63	02.12
2004-2005	285	23	05	28	09.82	01.75
2005-2006	273	18	07	25	09.15	02.56
2006-2007	362	21	04	25	09.50	01.52
2007-2008	386	22	09	31	08.03	02.33
2008-2009	502	30	09	39	07.76	01.79
2009-2010	448	23	17	40	08.92	03.79
2010-2011	530	25	29	54	10.18	05.47
2011-2012	462	14	33	47	10.17	07.14
2012-2013	449	20	42	62	13.80	09.35
2013-2014	410	22	38	60	14.63	09.26
2014-2015	401	31	34	65	16.20	08.47
2015-2016	404	26	22	48	11.88	05.44

स्रोत:- कार्यालय, शासकीय महाविद्यालय बरही, जिला-कटनी।

तालिका क्रमाँक–03

अनु.जनजाति वर्ग के छात्राओं का विवरण

सत्र	कुल विद्यार्थी	अनुसूचित जनजाति		कुल	कुल विद्यार्थियों से प्रतिशत	एस. टी. छात्राओं का प्रतिशत
		छात्र	छात्राएँ			
1999–2000	153	04	01	05	03.26	00.65
2000–2001	161	05	00	05	03.06	00.00
2001–2002	194	10	00	10	05.15	00.00
2002–2003	235	11	01	12	05.10	00.42
2003–2004	282	11	02	13	04.60	00.70
2004–2005	285	10	02	12	04.21	00.70
2005–2006	273	08	01	09	03.29	00.36
2006–2007	362	13	01	14	05.32	00.38
2007–2008	386	18	05	23	05.95	01.29
2008–2009	502	23	11	34	06.77	02.19
2009–2010	448	15	12	27	06.02	02.67
2010–2011	530	17	16	33	06.22	03.01
2011–2012	462	11	15	26	05.62	03.24
2012–2013	449	17	16	33	07.34	03.56
2013–2014	410	21	19	40	09.75	04.63
2014–2015	401	26	20	46	11.47	04.98
2015–2016	404	23	21	44	10.89	05.19

स्रोत:– का लि , शासकीय महाविद्याल, बरही, जिला–कटनी।

आरेख क्रमाँक–01

आरेख क्रमाँक–02

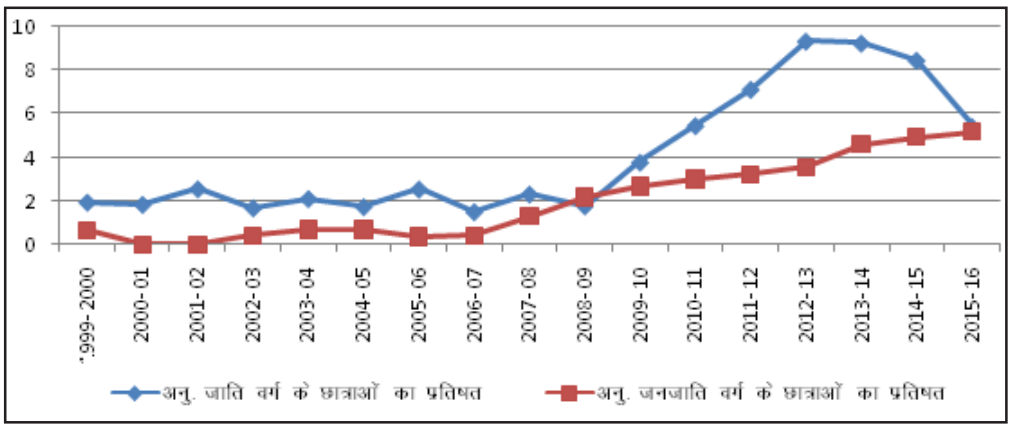

****

रतलाम जिले में लिंगानुपात - स्थानिक तथा कालिक विश्लेषण

डॉ. अख्तर बानो *

शोध सारांश – रतलाम जिले में लिंगानुपात का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि क्षेत्र में विगत तीन दशकों में स्त्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इसमें सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडो अभियान, साक्षरता अभियान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायक हुई हैं किन्तु अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए रोजगार में पचास प्रतिशत आरक्षण तब तक कर दिया जाए जब तक क्षेत्र की आधी आबादी पुरुषों की संख्या के बराबर न हो जाए। जो भी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए चला रही है उनका निरीक्षण समय समय पर होते रहना चाहिए तभी क्षेत्र में लिंगानुपात शत प्रतिशत होगा और महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर होगी।

प्रस्तावना – लिंगानुपात जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समाज स्त्री पुरुष से बनता है अत: दोनों का अनुपात बराबर होना अति आवश्यक है। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में स्त्रियों कि संख्या पुरुषों कि तुलना में कम है। यही स्थिति रतलाम जिले की है। यदि यही स्थिति रही तो युवाओं कि शादियाँ होना मुश्किल हो जाएगी और समाज में पुरुष वर्ग बुराइयों की और अग्रसर होंगे। अत: आवश्यकता इस बात की है कि रतलाम जिले में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर रहे और जिले का विकास हो। इसी उद्देश्य से रतलाम जिले में लिंगानुपात का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र रतलाम जिला है जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। जिले में पांच तहसीलें जिनके नाम आलोट, जावरा, रतलाम, सैलाना और बाजना है। जिले का कुल क्षेत्र फल 4861 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में रतलाम जिले में तीन नई तहसीलें बनने के कारण जिले में आठ तहसीलें हैं। यह तहसीलें 1991 के बाद बनी हैं अत: तुलनात्मक अध्ययन होने से इन्हें पुरानी तहसीलों में ही रखा गया है।

उद्देश्य –

- लिंगानुपात ज्ञात करना।
- स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण ज्ञात कर, इनकी संख्या में वृद्धि करने हेतु सुझाव देना अध्ययन का उद्देश्य है।

शोध प्रविधि – रतलाम जिले के लिंगानुपात के तहसीलवार आंकड़े जिला सांख्यिकी पुस्तिका, रतलाम से वर्ष 1981 तथा 2011 के द्वितीयक आंकड़े लिए गए हैं।

रतलाम जिले के लिंगानुपात का विश्लेषण – अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1981 में सभी तहसीलों में लिंगानुपात मध्य प्रदेश (919) तथा भारत (933) से अधिक था और वर्ष 2011 में भी यह अनुपात अधिक ही है। तालिका क्र. 1 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात बाजना (999) तहसील में है। वर्ष 1981 में यहाँ यह अनुपात 979 था। क्षेत्र में सैलाना तहसील (988) द्वितीय स्थान पर है। यहाँ लिंगानुपात अधिक होने का मुख्य कारण जनजातियों का अधिक होना है। ये लोग पुत्र पुत्री में अंतर नहीं करते तथा इनमें दहेज प्रथा भी नहीं होती है।

तालिका क्र. 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

अन्य तीन तहसीलों में विगत तीन दशकों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि रतलाम तहसील (933 से 965) में हुई। इसके कई कारण हैं रतलाम जिला मुख्यालय है अत: यहाँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास अन्य तहसीलों कि तुलना में अधिक हुआ है। यहाँ के निवासी शिक्षित होकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तथा पुत्र पुत्री में भेद करने में कमी आई है। जावरा तहसील में वर्तमान में लिंगानुपात 966 है जो रतलाम से अधिक है इसका कारण जावरा तहसील में मुस्लिम जनसंख्या अन्य तहसीलों की अपेक्षा अधिक है तथा यहाँ नगरीय प्रभाव दिखाई देता है। आलोट तहसील में 1981 में एक हजार पुरुषों पर केवल 940 स्त्रियाँ थी जो 30 वर्ष पशचत 961 हो गई। आलोट तहसील में अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या अधिक है तथा यह तहसील औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ी है। अत: यहाँ का लिंगानुपात अध्ययन क्षेत्र में सबसे कम है।

रतलाम जिले में जनजाति बहुल तहसीलों को छोड़कर लिंगानुपात निम्न होने का मुख्य कारण सभी समाज में पुत्र की चाह है। ग्रामों में लड़कियों को पढ़ाने में रूचि नहीं लेते तथा महिलाओं में शिशु मृत्यु दर अधिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. चांदना, आर. सी. (1980) जनसंख्या भूगोल, कल्याण पब्लिशर्स, नई दिल्ली PP 81.84
2. Bano, Sabina (2012) Gender Disparity in Varanasi city. The Deccan Geographer (Pune) Vol. 50(1), 2012, 39-53

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) आर.जी. शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

तालिका क्र. 1

रतलाम जिला – तहसीलवार लिंगानुपात 1991 तथा 2011

क्र.	तहसील	कुल जनसंख्या		पुरुष		स्त्री		लिंगानुपात	
		1981	2011	1981	2011	1981	2011	1981	2011
1	आलोट	125322	218958	64579	111620	60743	107338	940	961
2	जावरा	222838	381432	114012	193999	108826	187433	954	966
3	रतलाम	309705	555259	160152	282488	149553	272771	933	965
4	सैलाना	59651	134959	30191	67880	29460	67079	975	988
5	बाजना	65213	164461	32949	82254	32264	82207	979	999
	जिला	782729	1455069	401883	738241	380846	716828	947	973
	मध्य प्रदेश							919	973
	भारत							933	940

स्त्रोत– जिला जनगणना पुस्तिका 1981 एवं 2011

****

पर्यटन उद्योग का विकास एवं संभावनाएँ

डॉ. एस. एस. बघेल *

शोध सारांश – भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है। जहां इसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में 6.23 प्रतिशत और भारत के कुल रोजगार में 8.78 प्रतिशत योगदान है। भारत में वार्षिक तौर पर 5 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन और 562 मिलियन घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण परिलिक्षित होता है। 2018 तक 9.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ पर्यटन उद्योग को US$ 275.5 मिलियन तक बढ़ने के उम्मीद है।

प्रस्तावना – भारत में पर्यटन उद्योग के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिये पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेन्सी है और **'अतुल्य भारत'** अभियान की देखरेख करता है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार भारत सर्वाधिक 10 वर्षीय विकास क्षमता के साथ 2009 से 2018 तक पर्यटन का आर्कषण केन्द्र बन जायेगा।

यात्रा एवम पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिर्पोट 2007 ने भारत में पर्यटन को प्रतियोगी कीमतों के संदर्भ में 6वॉ तथा सुरक्षा एवं निरापदता की दृष्टि से 39वॉ दर्जा दिया है।

होटल के कमरो की कमी के रूप में और मध्यमावधि रूकावट के बावजूद 2007 से 2017 तक पर्यटन राजस्व में 42 प्रतिशत उछाल की उम्मीद है।

पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन विकास के लिए आरक्षित राशि को बढ़ाकर पर्यटन केन्दों की सुविधाओं को बेहतर करना होगा। 1996 से पर्यटन मंत्रालय द्वारा **'राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार'** तथा **'उत्कृष्टता पुरस्कार'** प्रदान किये जा रहे है। ऐसे प्रोत्साहन को बढ़ाकर राष्ट्र व्यापी करना होगा। पर्यटन उद्योग वास्तव में विश्व का एकमात्र ऐसा उद्योग है। जिससे आय, भाईचारा, स्नेह सौहार्द और सांस्कृतिक अंतर संबंध बढाता है। जिसके लिए सरकारी प्रयास के साथ-साथ स्थानीय जन सहयोग की भावना अतिआवश्यक है। जिससे देशी-विदेशी पर्यटक आर्कषित और रोमांचित हो, **अतुल्य भारत, अतिथि देवोभव सार्थक** हो इस असिमित संभावनाओं वाले क्षेत्र में अवसर भी अनंत है और उम्मीदे भी।

आधुनिक युग में मानव कार्यकलापो में से पर्यटन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यहाँ तक कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन उद्योग बहुत तेजी के साथ प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप जिस तीव्रगति से बढ़ रहे है उसी के साथ-साथ मानव मस्तिष्क में तनाव की भी वृद्धि हो रही है। अत: निजी व्यस्तता में सुकुन के क्षण प्राप्त करने के उद्धेश्य से व्यक्ति मनोनुकुल भ्रमण करने को तत्पर होता है। इसी प्रकार की यात्राए पर्यटन की श्रेणी में आती है।

आधुनिककाल में पर्यटन की परिभाषा व्यापक हो चली है जिनसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित जुड़े हुए है, घरेलू पर्यटन से वैदीशिक नीति, शांति और अर्थव्यवस्था को मजबुती मिलती है। फलस्वरूप विभिन्न देशों के द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, थाइलैण्ड, हांगकांग, इण्डोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशो की अर्थव्यवस्था तो पर्यटन पर ही आधारित है। पर्यटन ही एक ऐसा उद्योग है जिससे हर देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास की गतिविधियाँ जुड़ी हुई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है तथा रोजगार के अनेकानेक साधन निर्मित होते है। रोजारोन्मुख, विदेशी मुद्रा अर्जन, आय में वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में पर्यटन के योगदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस उद्योग के विकसित होने से न केवल सांस्कृतिक समन्वय स्थापित होगा वरन् उससे जुड़े सभी वर्ग आर्थिक रूप से सम्बद्धता की और अगसर होगें।

पर्यटन का महत्व उस समय सामने आया जब युनाइटेड नेशन ने आम सभा में 1967 को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया। बहुउद्धेशीय मनीता घोषणा से इस विचार को बढ़ावा मिला है कि पर्यटन एक ऐसी ऐच्छिक मानवीय गतिविधि है जो देश के विकास के लिए जरूरी है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण सेवा उन्नमुखी क्षेत्रक है जो सकल राजस्व और विदेशी मुद्रा की अर्जन की दृष्टि से वैश्विक रूप से त्वरित विकास किया है, पर्यटन उद्योग अधिक रोजगार का सृजन करने के लिये प्रोत्साहन करने के साथ मूल संरचना सुविधाएँ जैसे सड़क, दूरसंचार और चिकित्सा सेवाओं का अर्थव्यस्था में विकास करता है। **पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1980, 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितम्बर का दिन चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन सगठन का संविधान स्वीकार किया गया था।** आर्थिक विकास के एक साधन के तौर पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1982 में भारत सरकार द्वारा एक विस्तृत पर्यटन नीति घोषित की गयी। 1986 में पर्यटन को एक **'उद्योग'** की मान्यता दी गयी। वर्ष 1991 को पर्यटन वर्ष एवं 1999 -2000 को **'भारत यात्रा वर्ष'** घोषित किया गया। सन 2001 में **अतुल्य भारत (इंक्रेडेबल इंडिया)** अभियान की शुरूआत की गयी थी। इसके अलावा भारत सरकार ने 2002 में नई पर्यटन नीति घोषित की है, जिससे देश को इस क्षेत्र में एक (ग्लोबल ब्राण्ड) बनाने की बात कही गयी थी।

वर्तमान में पर्यटन एक रोजगार का साधन बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था में 17.3 फीसदी हिस्सेदारी पर्यटन उद्योग की है। भारत में यह एक ऐसा सेवा उद्योग का रूप ले चुका है इसका योगदान देश के सकल घरेलू उत्पादन में 6.23 प्रतिशत है एवं कुल रोजगार में 8.78 प्रतिशत है। भारत में हर वर्ष 50 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते है तथा 50 लाख से अधिक घरेलू पर्यटक भी पर्यटन करते है।

* विभागाध्यक्ष (भूगोल) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

अनुमानत: भारत में अनुशासित श्रेणी में 44,405 होटले सुलभ है जिन्हें आने वाले दिनों में दोगुना अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे रोजगार प्राप्ति की और अधिक संभावनाऐं है। पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से दक्ष एवं अदक्ष कार्यो से लेकर प्रबंधकीय कार्यो तक रोजगार की अद्भूत सामर्थ है। होटल से लेकर टूर ऑपरेटरों, पर्यटन कार्यालय परिवहन संचालको, टूरिस्ट गाईडो एवं हवाई कम्पनियों को रोजगार प्राप्त होता है। साथ ही साथ टेक्सी चालको, पुष्प विक्रेताओं, शिल्पियों, कारीगरों स्मारिका विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं, मांस विक्रेताओं, हाउस कीपर, भोजन विशेषज्ञ, मनोविनोदकर्ता, बिजलीकर्मी, फोटोग्राफर, केश श्रृंगारक, कपड़ा उद्योग आदि में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। पर्यटन उद्योग में लगे लोगों और उनके परिवार वालों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, समान सेवाओं एवं शिक्षा आदि की आवश्यकता होती है। जिससे दुकान, अस्पताल एवं स्कूल आदि से भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते है।

निष्कर्ष –

देश में पर्यटन की विधिवत शुरूआत 1948 में हुई 1967ई. तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना के साथ ही देश के पर्यटन उद्योग का संगठित विकास होने लगा। आधुनिक काल में पर्यटन की परिभाषा व्यापक हो चली है। जिनसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित जुड़े हुये है, घरेलु पर्यटन से विदेशिक नीति शांति और अर्थव्यवस्था की मजबुती मिलती है। फलस्वरूप विभिन्न देशों के द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Tourism and hospitality – 1 BEF
2. http/www/livemint.com/2009/05/B14705/commonwealth - games to-bost-tohtm h=B
3. Tourism inIndia has little to cheer 2007
4. The troble with India , crumbling roads. Jammed airport and power bloclouts could hobble growth business week 19 March 2007
5. जगन्नाथ एस. 'पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक महत्व' जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड 26(2) फर. 1976
6. दीक्षित, डॉ. के.के. व डॉ. जे.पी. गुप्ता, पर्यटन के विविध आयाम तक्षशिला प्रकाशन, नईदिल्ली, 2003

****

स्पिनोजा के दर्शन में आत्म स्वातंत्र्य की अवधारणा

डॉ. पुष्पा कपूर *

शोध सारांश – स्पिनोजा 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिकों में से एक है। स्पिनोजा का जन्म 1632 में हॉलैण्ड के एम्सटर्डम नगर में हुआ था। स्पिनोजा के विचार क्रान्तिकारी थे। स्पिनोजा अपने सर्वेश्वरवादी दर्शन में नीतिशास्त्र के अस्तित्व को सम्भव मानते हैं।

प्रस्तावना – स्पिनोजा जहाँ एक ओर यह कहते हैं कि विश्व में अनिवार्यता है न कि स्वातंत्र्य, वहीं दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि इस अनिवार्यता के बावजूद नीतिशास्त्र का अस्तित्व सम्भव है। स्पिनोजा के अनुसार हमारे प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं –

1. आन्तरिक कारण।
2. बाह्य कारण।

आन्तरिक कारण से प्रेरित होकर किये गए कार्यों को वे 'स्वतंत्र कार्य' कहते हैं और जो कार्य बाहरी दबाव के कारण हम करते हैं, उनको वे स्वतंत्र कार्य नहीं कहते। उदाहरणार्थ – बाढ़ में बह जाना स्वतंत्र कार्य नहीं है, इसी प्रकार चोर को डर के कारण चाबियाँ सौंप देना भी बाध्यता से किया गया कार्य है। इसके विपरीत जो कार्य मनुष्य आन्तरिक कारणों से प्रेरित होकर करता है, उन्हें स्वतंत्र कार्य कहा जाता है। जैसे – विद्यार्थी विभिन्न विषयों में से कुछ का चयन करना चाहता है तो उसमें अन्य लोग परामर्श देते हैं, किन्तु वह अपनी रूचि के अनुसार ही कार्य करता है अर्थात् आन्तरिक कारणों की प्रेरणा से वह कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका कार्य 'स्वतंत्र' कहलाएगा, किन्तु स्पिनोजा यह भी स्वीकार करते हैं कि अपने प्रत्येक कार्य के लिये लगभग हर जगह दोनों कारणों का होना सम्भव है, अन्तर केवल मात्रा का आयेगा। जिस कार्य के लिये आन्तरिक कारणों की मात्रा ज्यादा है, उन्हें हम स्वतंत्र कार्य कह सकते हैं और जिन कार्यों के लिये बाहरी तत्वों की मात्रा ज्यादा जिम्मेदार है, उनको हम बाध्य कार्य कह सकते हैं।

संकल्प स्वातंत्र्य – स्पिनोजा 'संकल्प स्वातंत्र्य' को नहीं मानते। हम जो कुछ करते हैं, उससे अन्यथा हम कर सकते हैं, ऐसा वे नहीं मानते। ऐसी परिस्थिति में 'अ' ने 'ब' को नहीं चुनकर 'स' को चुनना चाहिए था, ऐसा कहने का फिर क्या तात्पर्य है ? तब क्या नीतिशास्त्र बेकार है ? स्पिनोजा कहते हैं कि अ जो कुछ करता है, उसको उस परिस्थिति में वही बात सबसे अच्छी लगती है, परन्तु अन्य लोग 'अ' का मूल्यांकन करते हैं कि उसने 'ब' को चुनकर अच्छा किया या बुरा किया। इस विषय में स्पिनोजा का मत है कि जब कोई व्यक्ति किसी विकल्प का चयन करता है तो उस समय उस व्यक्ति को वही विकल्प सबसे अच्छा लगता है, परन्तु यह सम्भव है कि बाद में उसको वह विकल्प गलत लगे क्योंकि अब उसका दृष्टिकोण बदल गया है। इस तरह किसी एक घटना का मूल्यांकन अन्य दृष्टिकोणों से होता है और हम एक–दूसरे के कार्य का तथा अपने ही किसी भी कार्य का मूल्यांकन करते हैं। हम जो भी विकल्प चुनते हैं, उसके लिए कुछ आन्तरिक या बाह्य कारक जिम्मेदार हैं। वे हमारे चुनाव के लिये उत्तरदायी हैं और इस तरह संकल्प–स्वातंत्र्य न होते हुए भी व्यक्ति–विशेष को (विभिन्न कारकों को) उसके कार्य के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और हम व्यवहार में भी यही देखते हैं कि अगर हम किसी का मत परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उस मत से सम्बन्धित कारकों को बदलने का प्रयत्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रचार का यही उद्देश्य होता है। व्यक्ति का अगर हम स्वभाव जानते हैं या वह क्या चाहता है, यह अगर हम जानते हैं तो उचित कार्यवाही द्वारा हम उसके संकल्प को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार संकल्प स्वातंत्र्य नहीं होते हुए भी नीतिशास्त्र भी सम्भव है और उत्तरदायित्व भी सम्भव है।

स्पिनोजा के अनुसार हमारा कार्य जितना अधिक बाह्य कारकों से प्रभावित होगा, उतना ही हमारी आत्मा बँधनमयी हो जाएगी। हमारे मन में कुछ भावनाऐं बाह्य परिस्थिति के कारण निर्मित होती है – जैसे घृणा, द्वेष, क्रोध आदि। ये भावनायें कभी–कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि हम उनमें बह जाते हैं और इस तरह हम अपना स्वातंत्र्य खो बैठते हैं। इसके विपरीत अगर हम दया, सहानुभूति, प्रेम आदि को अपने जीवन में ज्यादा स्थान या महत्व दें तो हम भावनाओं में नहीं बहेंगे और अपना स्वातंत्र्य कायम रहेगा।

निष्कर्ष – स्पिनोजा यह मानते हैं कि हमारे वे संवेग जो हमको निष्क्रिय बनाते हैं, वे ज्ञान की अस्पष्टता के कारण होते हैं। इन निम्न संवेगों में जितना हम लिप्त रहेंगे, उतना ही हम बँधन में जकड़े रहेंगे। इसके विपरीत मनुष्य जितना व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगा, उतना ज्यादा मुक्त होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. जमनाप्रसाद अवस्थी : पाश्चात्य दर्शन का इतिहास।
2. डॉ. संगमलाल पाण्डेय : आधुनिक दर्शन की भूमिका।
3. डॉ. फ्रेंक थिली : पाश्चात्य दर्शन का इतिहास।
4. अशोक कुमार वर्मा : नीतिशास्त्र की रूपरेखा।
5. याकूब मसीह : पाश्चात्य दर्शन का समीक्षात्मक इतिहास।
6. शोभा निगम : पाश्चात्य दर्शन के सम्प्रदाय।
7. चन्द्रधर शर्मा : पाश्चात्य दर्शन।

****

* प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

Mind Mechanisms and Information Processing

Dr. Saroj Kothari * Deepak Jahagirdar **

Abstract - Information is a basic entity for decision making. Decision is perceived as processing of information for meaningful interpretations. Mind and computer are contemporary tools for information processing. All basic architectural and behavioural features of computers are based on deep observations of mental organization and mechanisms of human beings. In specific sense the memory, learning and communication aspects are almost similar in the two.

This paper highlights the individual mind mechanisms like perception, cognition, short-term memory, mind set, reinforcement, selection, learning, fatigue and confidence in perspective of information processing. Also interpersonal mind mechanisms as appearance, role, conformity, environment, suggestion, group thinking, and integrity are elaborated

Introduction - Computers are unique in that we can use them for almost anything. However, we must plan them properly to assure they do the right things. It is necessary to create a better awareness of the person in automation land. Our main task is to how to make computers work for people, rather than make people adapt to computers. Computers are an economic means for mankind. To optimize their usefulness, we must adapt them to people by realizing the three quality goals-(1) make information systems attractive (2) design information systems to do their work at minimum cost (3) proper communication with all people affected, before making final decisions.

To adapt computers to people, we must first understand people. There are some human qualities and characteristics of the mind that are important to information processing. Information processing is the act of selecting and arranging information in a form that can be used by people. There are four basic types of information processing (i) Transaction processing, to bring data and their changed values into the system (ii) Output processing, to provide information to people (iii) Decision information processing, to gather statistical information (iv) Informal information processing, to help people do their work.

Mechanisms of the Mind and Information Processing - The mind is what makes every person unique, in spite of its exhibiting some common mechanisms (Snyder and Fromkin, 1980) The word 'Mind' stands for the mental power of the human being (Ryle, 1963). The capabilities of the mind are boundless; people's performance is often limited. People don't learn how the mind works and consequently cannot use it optimally (Buzan, 1977,1984)

In psychology there are various approaches to understanding the mind, the behaviouristic approach (how people behave), the cognitive approach (how people think, plan and decide)- and the humanistic approach (how people are responsible for their actions). (Lindsay and Norman,1977).

There are two different types of mind mechanisms (i) Individual mechanisms, which operate when person act alone (ii) Interpersonal mechanisms, which operate when person act in a group. These mind mechanisms are important to human relations in information system development/ computerization.

Individual Mind Mechanisms :

1. Perception- the way the mind sees patterns. The windmill of our mind searches for patterns in the stream of impressions, grouping related elements, but it perceives only one pattern at a time, and we become conscious of anything that we perceive.

2. Conception and Cognition - the way the mind makes mental models making models seems characteristics of the human mind, our views and stereotypes are models that govern our expectations and perceptions (Lindsay and Norman, 1977; Hunt, 1982). Most of what we learn is in the form of mental models: rules of arithmetic, language syntax, behaviour and so on. We learn to perform an activity by visualizing it in our mind, seeing the example and making the model our plan of action.

3. Short-Term Memory - there is three major types of memory (baddeley, 1976,1982). (i) Sensory memory, where we automatically store for a few tenths of a second what our senses perceive (ii) Long-term memory- where we can store information and retrieve it by conscious effort. Short-term memory creates the requirement of meeting a critical response time for efficient on-line communication (Millr,1977).

4. Mind-Set - or frame of reference is the tendency of a person to think or act in a particular way, depending upon prior experience and future need. Craik (1943) proposed that the brain symbolically parallels the structure and logic of

***Professor & H.O.D. (Psychology) Govt. M.L.B.P.G. Girls College, Indore (M.P.) INDIA**
****Asst. Professor, Shri Vaishnav College of Teacher Training, Indore (M.P.) INDIA**

the human environment in mental models.

5. Reinforcement - feedback to correct actions. Simple and direct feedback systems are most effective for understanding the mechanisms. Reinforcement is an essential part of all human interaction. It is essential for check and correct our course of action, to achieve quality in action, and for effective learning.

6. Selection - choosing meaningful options. Selection is present in the mechanism of perception and memory. Selection is an act of self preservation and efficiency. We use self-deception, a form of selection, to close off our awareness of such things (Goleman, 1985) meaningfulness, improves our involvements with something, and increases the chance of selection.

7. Learning - is the act of acquiring knowledge, skills and attitudes. Learning is important for people in information processing; it is a way of life for most of them. Computer professionals spend at least fifty percent of their working time learning about applications, software, and hardware and so on.

8. Fatigue and Confidence - fatigue results when mind is overloaded, when there are too many things going in mind. Confidence enables to do things better and easier because mind is free from fear.

Interpersonal Mind Mechanisms :

1. Appearance - people not only listen the content of a communication, but also perceive its appearance. Content appeals our rational side, and appearance to our emotional side. For effective communication, it is necessary that content and appearance should support each other.

2. Role - is the acting part selected or imposed. The coordination and control of activities within an organization take place through the mechanism of a role. Power, opening, approach, style, tone, pace, and emphasis are the basic aspects of the role mechanism.

3. Environment and Time - chooses a proper occasion, day, method, medium, location, and facilities to give a communication the best chance of registering.

4. Suggestion and the Self-Fulfilling prophecy - suggestion is a powerful way to make something happen, either in ourselves or in others. The self-fulfilling prophesy uses the suggestion mechanism to cause a statement, expression, or thought to happen, by means of the mind set mechanism. Important uses of the self-fulfilling prophecy in goal setting, in information processing are in planning and in management.

5. Groupthink and a Hidden Agenda - ways of communicating and deciding. Group thing refers to a deterioration of mental efficiency, reality testing, and moral judgment that results from in-group pressures (Janis, 1972).

6. Conformity and Assertiveness - conformity is the change in a person's behaviour or opinions as a result of real or imagined pressure from others. In order to work successfully in groups, a certain degree of conformity is desirable. Assertiveness in the act of individuals who pursue their own rights and views without infringing on the rights of others. Its purpose must be the improved functioning of individuals and groups, for getting something so in the best way, overcoming formalities, implicit assumptions, and in-group pressures.

7. Integrity - is behaviour in line with sound moral values. The human user must trust the computer to do only predictable things. Integrity toward oneself involves personal honesty, responsibility, and accountability, and is necessary for self- respect, and self- respect is an important part of self-image (Bradshaw, 1982). Integrity enabling the mind to function optimally (Mowrer, 1980).

Conclusion - Once people understand the effects of the various mind mechanisms it becomes possible to manipulate people, to operate on them using unfair methods. Mind mechanisms can be used to optimize the process of planning, developing, and using information systems so as to achieve laudable goals for computerization.

References :-

1. Baddeley,A.D. (1976) The Psychology of Memory. New York: Harper & Row.
2. Baddeley,A.D.(1982) Your Memory: A User's Guide. New York: Basic Books.
3. Bardshaw,P. (1982) The Management of Self-Esteem. Cliffs, N.J. Prentice-Hall.
4. Buzan, T.(1977) Use Both Sides of Your Brain. New York: E.P.Dutton.
5. Buzan,T. (1984) Speed Reading. New York: E.P.Dutton.
6. Craik, K.J.W. (1943) The Nature of Explanation. Cambridge, England: Cambridge University Press.
7. Goleman,D. (1985) Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of self-Deception. New York: Simon & Schuster.
8. Hunt,M. (1982) The Universe within. Brighton, England: Harvester Press.
9. Janis, I.L.(1972) Victims of Groupthink. Boston: Houghton Miffin
10. Lindsay,P.H., and Norman, D.A. (1977) An Introduction to psychology. New York: Academic press.
11. Miller, R.B. (1977) 'Response Time in Man- Computer Conversational Transactions' Montvale, NJ Proceedings of the AFIPS National Computer Conference, pp. 409-21.
12. Mowrer, O.H. (1980) Psychology of Language and learning. New York Plenum Press.
13. Ryle, G. (1963) the concept of Mind. Harmondsworth, England: Penguin.
14. Snyder, C.R. and Fromkin, H.L. (1980) Uniqueness. New York: Plenum Press.

****

The Case Study Of A Child Aged 4 Years And 7 Months For Educational Planning (As A Part Of Longitudinal Study)

Smita Jain *

Introduction -
Subject's Name: XYZ
Date of Birth: 22.5.2011
Gender: Male
Reason for Referral - He was referred for a cognitive abilities evaluation as part of the application process for admission to a private school.
Chief characteristics of the boy - The parents reported that their son is younger of two children however he is mostly sleep deprived and hence defiant. His developmental milestones have been reported to be age appropriate, however, he has poor control of his emotions.

The child showed a cooperative and friendly attitude in completing the evaluation. Rapport was easy to establish and maintain. He appeared relaxed and comfortable throughout the testing session. He recalled and understood instructions without apparent difficulty. English and Hindi are spoken in his home.
Psychological test administered - Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, Fourth Edition (WPPSI-IV). The WPPSI-IV is used to assess the general thinking and reasoning skills of children aged 2 years to 7 years. This test has six main scores: Verbal Comprehension (VCI), Visual Spatial (VSI), Fluid Reasoning (FRI), Working Memory (WMI), Processing Speed (PSI), and Full Scale score (FSIQ). The VCI is a measure of knowledge acquired from a child's environment, verbal concept formation, and verbal reasoning. All of the tasks require the child to listen to questions and give spoken answers to them. The VSI is a measure of visual spatial processing, understanding of part-whole relationships, attentiveness to visual detail, solving problems without the use of words, and visual-motor integration. The FRI is a measure of fluid and inductive reasoning, broad visual intelligence, simultaneous processing, conceptual thinking, and classification ability. All of the FRI tasks involve nonverbal processing. The WMI is a measure of visual working memory, visual-spatial working memory, and the ability to resist proactive interference. Working memory involves attention, concentration, mental control, and reasoning. The PSI provides a measure of the child's ability to quickly and correctly scan or discriminate simple visual information. The PSI also measures short-term visual memory, visual-motor coordination, cognitive flexibility, visual discrimination, concentration, and rate of test taking. The FSIQ is derived from a combination of the above tasks. It is one way to view the child's overall thinking and reasoning skills.
How WPPSI-IV scores are reported - The scores show how well the child performed compared to a group of peers. The highest possible score is 160 and the lowest possible score is 40. Half of all children will score less than 100 and half of all children will score more than 100. Scores from 90 to 109 are average. A percentile rank is also given. This shows the child's rank in the national comparison group. If the percentile rank were 45, for example, it would mean that he/she scored higher than approximately 45 out of 100 children his/her age.
Composite Score Summary - (See in the last page)

Although the WPPSI-IV is a test of thinking and reasoning abilities, a child's scores on this test also can be influenced by motivation, attention, interests and opportunities for learning.

References :-

1. Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock. (2008) Kaplin Sadock's Concise Textbook of Clincal Psychiatry, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, USA.
2. Dr. L.P Shah and Hema Shah, The Hand- book of Psychiatry, Vora Medico Publications.

Composite Score Summary

Composite	Composite Score	Percentile Rank	95% Confidence Interval	Qualitative Description
Verbal Comprehension VCI	129	97	120-134	Superior
Visual Spatial VSI	135	99	122-140	Very Superior
Fluid Reasoning FRI	139	99.5	129-144	Very Superior
Working Memory WMI	121	92	111-127	Superior
Processing Speed PSI	94	34	85-104	Average
Full Scale IQ FSIQ	140	99.6	133-144	Very Superior

Confidence intervals were calculated using the Standard Error of Estimation.

*Professor & Head (Psychology) Govt. Vivekanand Post Graduate College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

Analysis Of The Symbolisation Technique In 'The White Tiger' By Arvind Adiga

Nidhi Chandra * Dr. Manisha Dwivedi **

Abstract - The White Tiger is one of the debut novels written by Arvind Adiga. Adiga, an Indian writer and journalist whose novel The White Tiger was published in 2008 won the Man Booker Prize in the same year. The novel is written in an epistolary form. Balram the protagonist of the novel writes these letters to the premier of China and tells him about his struggle and ways through which he became a successful entrepreneur. In The White Tiger many symbols are used as ingredients and the collective use of symbol helps in creating the motif in an interesting manner.
Key Words - The White Tiger, Balram, Epistolary, Premier, Entrepreneur, Ingredient, Protagonist, Man Booker Prize.

Introduction - The Novelist born in 1974 in Chennai to Kannadiga parents, Aravind Adiga was educated in Mangalore and Sydney. He studied English literature at Columbia University, New York and Magdalen College, Oxford. He worked as journalist with *financial Times, Wall Street* and *TIME* magazines. He has also written for the *New Yorker, Independent* and *Sunday Times*. His debut novel *The White Tiger* (2008) won the Man Booker prize, which he dedicated to the national capital Delhi. His *Between the Assassinations* (2008) is a 'novel in stories' that portrays India between 1984 and 1991. Both *The White Tiger* and *Between the Assassinations* were shortlisted for the John Llewellyn Rhys Prize. His latest novel *Last Man in Tower (*2011) depicting Mumbai in the era of corporate globalization has been widely acclaimed.

The novel *The White Tiger* widely described as an explosive novel, consists of a series of letters written by the protagonist Balram Halwai, entrepreneur from Bangalore, to Chinese premier Wen Jiabao who is on a state visit to India. These imaginary letters which are the confessions of a murderer are in fact a brutal satire on new India.

Arvind Adiga uses a distinctive narrative technique of symbols and images that complement his theme. There are several symbols used in the story of Balram Halwai.

The White Tiger - Balram earns this nickname when he impresses a visiting school official with his intelligence and reading skills. It's a symbol for rare talent – only 1 in 10,000 Bengali tigers are white.Thus in the village like white tiger he is considered as a rare creature that was deeply attracted to knowledge and the path of growth. This name suit Balram so well that author used it in the title of his novel. Apart from being rare Balram has lots of similarity with the white tiger. White tigers are solitary predators that live and hunt alone. Balram also achieved all in life by being away from his family and loved ones. Usually the cubs after getting mature go their own way and continue living alone. Similarly Balram after getting mature left his family and the life of darkness and came into the light of Delhi. He has turned into an animal which is similar to the white tiger. Just like the white tiger which is an emotionless predator having no regrets after killing Balram also kills his boss and gloat the murder as a way out from the rooster-coop. the cat is both feared and respected and so is Balram after becoming the owner of a taxi company. Similarity between the two makes white tiger, a symbolic name for Balram. Even the protagonist finds a lot of similarity between him and the white tiger hence he names his taxi business as White Tiger Drivers.

The Darkness - The poverty-stricken, rural area of India where Balram's village, Laxmangarh is located. It is fed by The Ganges, "The River of Death", where millions of India's dead are cremated. Darkness as a symbol stands commonly for evil, mystery or fear. It is considered as a monster waiting to swallow the happiness and joy. The symbol of darkness has been widely used in literature whether it is Cornard's *Heart of Darkness.* They all talk about the state of sadnsess and loss. Balram talks about darkness present in India through these line.

"Please understand Your Excellency that India is two countries in one: an India of Light, and an India of Darkness."

He refers to Laxmangarh as 'darkness' because of the practices, lifestyle and conditions preset in the village. Here the name, family and religion mean everything to the people. Working another job than the caste allows is frowned upon and not tolerated by the population. Also people in uniforms have a high influence and represent force and strength to decide about minor castes. For Balram the river Ganga is a symbol for Darkness which result in calling it "Ganga of black"(p.57). Warning Wen Jiabao not going to wash himself in the Ganga naming all the different diseases, acids and garbage that flows in it, he describes the death bringing

* Research Scholar, Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota (C.G.) INDIA
** H.O.D (English) Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota (C.G.) INDIA

power of the stream. Originally it is a holy river which cleans body and soul. Therefore it is a big tourist attraction and very famous.

The 'Darkness' of Balram is talks about region which is undeveloped, people who are in rooster-coop, ideology which stops from raising questions, and a region with collection of problems that makes the process of development static. Darkness is also talking about lack of education in The White Tiger.

Light - Similar to the notions attached with the symbol of Light, Adiga's novel The White Tiger refers to an area which is developed, where there is scope for growth. In terms of region it is a place which is filled with opportunities. The city of Delhi in the novel is representative of light. Light like darkness is a multifaceted symbol. It refers to time which is futuristic, abundance of wealth and absence of obligations. The urban setting is thus denoted by narrator as area of light because they allow developments to take place at any cost. The rich in them posses a lot of wealth through which they can easily achieve whatever they want and corruption is a clear indicator of absence of obligations from them. Hence, light is not a symbol of nobleness and divinity in Adiga's novel but it is the symbol of prosperity and growth at any cost. It is merely the land of rich.

The Black Fort - The architectural centerpiece of Balram's village. As a child he is afraid to go alone, but he conquers this fear as he gets older. It later becomes his sanctuary, where he goes to contemplate his misfortune. The fort is located high on a hill, and as he looks down on his village, he vows to escape from The Rooster Coop and never to return. Black fort is an extension of the Dark imagery. It is a symbol of the extreme poverty that Balram is in. It was the symbol of his fear and bondages that kept him in the darkness. He says -

"I leaned out from the edge of the fort in the direction of my village…I spat. Again and again…Eight months later I slit Mr. Ashok's throat."

The Chandelier - Hanging in Balram's Bangalore office is a vintage chandelier. He frequently looks to it for "inspiration," confessing to "staring" for long periods of time. The chandelier comes to symbolize the "Light" of Bangalore and Balram's new life.

Honda City car - This is the more luxurious of the 2 cars owned by the Stork's family. When Balram is 1st hired as a driver, he is never allowed to drive this car. When he is promoted and able to drive the Honda, he feels like he has "made it" in life. Later in the story, Balram secretly takes the car out at night on his own, pretending to be wealthy.

Animal imagery - Adiga demonstrates characteristics of landlords in contemporary India, using animal imagery. The four land lords of Laxmangarh, who Balram sees travelling in ambassador, bear no names in the novel but the author has metaphorically rebuked them with names as Raven, Wild Boar, Buffalo, and Stork.

The Rooster Coop - A metaphor Balram employs to describe the Indian servant/master system. One day in the marketplace, Balram sees roosters being slaughtered next to other live, caged roosters. The roosters know they are next, but they do not rebel. Balram observes that servants in India remain trapped in servitude – but no one breaks out of the "Rooster Coop" because of family honor. The metaphor of the rooster coop emphasizes how immortality is encouraged through the large gap between the rich and the poor. It is employed by Balram to describe the Indian servant and master system. Adiga uses this domestic fowl metaphor to describe the life style of servants existing in perpetual servitude. The author frequently mentioned the rooster coop when describing the situation or characteristics of the servant class in India and he defends his hideous act of murdering his master as a suggestive measure to come out of the coop.

Half Baked Indians - Half baked Indian is a symbolic expression of those people who have never been able to finish their formal education and have accidently or by any means like murder in the case of Balram have made it to the top. Balram describes the concept of Half Baked Indians in these lines -

"Me and thousands of others in this country like me are half baked, because we were never allowed to complete our schooling. Open our skull, look in with a penlight, and you'll find an odd museum of ideas. Sentence of history or mathematics remembered from school text books… sentences about politics read in a newspaper…triangle and pyramids seen on the torn pages of the old geometry textbooks which every tea shop in this country uses to wrap its snacks in, bits of all India Radio news bulletins, things that drop into your mind, like lizard on the ceiling, in the half hour before falling asleep- all these ideas, half formed and half digested and half correct, mix up with other half cooked ideas in your head, and I guess these half formed ideas bugger one another and make more half formed ideas and this is what you act on and live with."

As a symbol Half baked Indian represents those who have regret of not being able to finish anything due some unfavorable condition or lacking of resources.

Conclusion - There are many form of symbolization in Arvind Adiga's the White Tiger but the most obvious and prominent one is the term, White Tiger. Balram, the main character is tagged as a White Tiger early in his life. This meaning that he is one of a kind, or a protégée. White tigers in real life are not only beautiful and rare, just as someone like Balram but they are still tigers.

Throughout the story Balram show his genius side making extra for himself, manipulating him masters but just like a tiger he has a vicious side and this shows through when he steals from his master and eventual kills him. However if tigers were vicious they would not be dominant and wouldn't survive, just like Balram who managed to escape the "Darkness" of India and went on as a thriving business man in "Light." That means we can lastly say that the symbolization techniques of The White Tiger is excellent, and provide us different form of truth.

References:-

1. Deswal, Prathik. "A critical Analysis of Arvind Adiga's The White Tiger: a socio-Political perspective." Research spectrum Vol 14 Issue 12 December 2014
2. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/arvind_adiga.html#Q6oqQdQPRZWZ38Mq.99
3. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-08-
4. www.wwindependent.co.uk/arts-entertainment/books/features/arvind-adiga-how-english-literature-shaped-me-7494229
5. Nazibar, Rahaman. "Marginalization Research spectrum Vol 3 Issue 2 August 2012
6. Rana, Randeep. "Perils of Socio-economic Inequality-A study of Arvind Adiga's The White Tiger." Research Spectrum vol 11 Issue 10 October 2011
7. Times of India. New Delhi, October 17, 2008

****

Bernard Shaw's Philosophical Concept of 'Life Force'

Dr. Swati Chandorkar * Varkey K. O. **

Abstract - The term "Life Force" is considered as God's agent, an irresistible force that drives man and woman for the creation of a superman. Shaw assumed intelligence as the most important factor which showed the fullest expression of Life force. It is the same with the philosophy of eugenics which was abandoned due to egalitarianism. If man discards the persuasion of life force, he will be superseded by some higher species. In the context of homo-sexual marriages, where there is no scope for better generation how will the life force progress with its aim of creating the superman?
Key Words - Life Force, *élan vital*, Evolution, Longevity and Eugenics.

Introduction - George Bernard Shaw, the greatest English dramatist of the Modern Age, has been called "the father of the theatre of Ideas in England" (Mathur, S.S). Shaw appeared on the literary scene of England at a time when England was going through radical changes in all spheres of human thought and activity. New paradigms, new opinions, heresies and controversies in philosophy and religion began to rise. For all the contemporary problems, Shaw sought for solutions and brought forth his own ideas with logic and evidence. He had offered powerful and penetrating ideas to the various pressing problems of the society. The aim of his plays was not to tell stories but to convey his ideas. One of the major philosophical ideas Shaw used in his plays was the concept of 'Life Force'

The term 'Life Force' is the English translation of the French word *élan vital.* It was coined by French philosopher, Henri Bergson in his book *Creative Evolution*. The literal meaning of *élan vital* is described as 'vital force' or 'vital impulse' which is the substance of consciousness and nature (The Thoughtful Conservative). Shaw's Life force can be defined as "the spiritual power behind evolution, moves forward stumblingly, gropingly and slowly, by fits and starts between long intervals of gestation and quiescence, which are its only instruments of expression." (Mathur S.S). Life force is connected with evolution and it explains evolution in a less mechanical and livelier manner, as it accounts for the creative impulse of mankind. Bergson linked *élan vital* closely with consciousness, which was a hypothetical explanation for evolution and development of organisms. He also has given a metaphorical description of the term *élan vital* as "current of life." For Bergson life is a current that is flowing through the universe and growing in force even though brings so much of complications with the development of life.

The origin of Life Force philosophy could be traced back to the evolution theory of Erasmus Darwin (1731-1802) who exposed the concept of a 'vital force' behind evolution. It is seen in the elemental forces of the world causing the world to grow from its small beginning. Then it was seen in the works of a French Naturalist, Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) who advocated a *Force Vitale* or power of life behind the process of evolution. It is this power that causes unconscious or sub-conscious progress in the evolution of world. The publication of Charles Darwin's (1809-1882) *On the Origin of Species by Means of Natural Selection* in 1859 gave way to an explicit reference to the term 'Life Force.' According to Darwin the development and survival of life on the earth could be explained without any sort of divine intervention. He believed in a mechanical process of natural selection and based his concepts on the survival of the fittest. He assumed that life evolved of itself with certain physical and chemical laws governing the material universe. And in the process new characteristics caused by external forces emerge by chance.

Darwin's theory of evolution had a mixed reception. It gave hope to the materialists who believed in infinite material progress. But at the same time there were philosophers who fought against it. The first one to oppose Darwin was Samuel Butler (1835-1902) who rejected the idea of mechanically determined universe where there was no place for mind. Butler viewed there is a 'spiritual force' behind life and this he called God the Known. There is a greater God detached from this world and this he called God the Unknown. According to Arthur Schopenhauer (1788-1860) 'will' is the only reality and thing-in-itself. It is self-conscious in man whereas it finds its equivalent in the unconscious forces working in other living beings. The world is created by the will and it controls the human and directs them into reproducing and perpetuating life. The 'will to live' is the force behind evolution and it is an impersonal god in creating himself. In the same way the philosophical ideas of Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-

* H.O.D. (English) Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) INDIA
** Research Scholar, S.S.N.M., Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

1900) showed a vital force behind evolution and this force he called 'will to power.'

Shaw created his own philosophy by choosing from a wide variety of interpretations, but was mainly influenced by Henri Bergson's concept of *élan vital* and the Life Force is somewhat similar to Bergson's *élan vital*. It was to refute the mechanistic and deterministic fatalism of Darwin's theory of Natural Selection. Shaw rejects this view of mindless evolution of the universe. He chose to believe an impersonal but creative will that directs the development of all living beings towards higher form. So Shaw understood the need to have a religious philosophy and evolved one with the concept of life force.

The life force became his god who is creative in nature. He is in communion with his creation through creative beings. He is the source of all life and love, this love is radiated through the created universe and then radiated back again through his intelligent beings. For God exists and is manifest in the physical creation of the universe through life force. It is like the *will of God* operating through man's mind and will to create a better race of men. Man's purpose in living is to guide the universe to its highest form and each man must realize his own potential in helping to perfect creation.

For Shaw life force is a metaphysical hypothesis that needs to be proved. He found the life force functions in two different ways: works miracles and reveals mysteries. This led Shaw to prophesy the coming of superman in two ways and both these are based on the promptings of life force. The first one in which life force works miracle is the creation of superman through procreation and the other which reveals mysteries leads one to become a superman through contemplation. The life force is present in an individual as his will but it matters how one makes use of this will for any purpose and direction. Life force makes use of thought as its tool. The whole process of creation begins with imagination. Shaw imagined that the miracle of creating a superman is possible through the marriage of two intelligent people; a man and woman. This is evident in the play *Man and Superman*. Shaw in his Play *Back to Methuselah* says "You imagine what you desire, you will what you imagine and you create what you will." Imagination, based on desire leads to form a will which finally finds its fulfillment in the creation of superman.

A responsible individual recognizes the working of life force within him. It is the intelligence that makes him to think what is the meaning of life? And where does it aim for? These questions lead him to contemplate the mysteries of life and he becomes a mystic. And when he gets a revelation he shares it to the world and influences others to accept it into their own conscious thought. And in this way an individual succeeds in possessing a positive knowledge of his role in the universe and finally becomes a superman.

Shaw's philosophy of life force is obvious in his writings. In *The Adventures of the Black girl in her search for God* by Shaw, the black girl encounters a Jew who has been waiting for the Messiah to come and set everything right. She impatiently tells him "If you wait for other people to come and get everything right you will wait forever" (Klein Juliana). This response suggests that the world will not change itself without the active participation of the people. The life force is alive and active in her for she is driven by her will. Shaw hopes that others will follow her example and awaken their own will so that the race of superman will come to fruition and make the world a better place.

Shaw as a responsible individual persisted in his efforts to wake up people to have a collective will to make an evolutionary jump into longevity. In his play, *Back to Methuselah* Shaw attempts for a spiritual and mental evolution of man and as a mystic, he advocates mankind the solution for the creation of a superior race. The gospel of Barnabas brothers reveal the mystery of human will to increase the average life span to somewhere around three hundred. We find the life force working in all the main characters of the play *Arms and the Man*. Though in the beginning of the play we find Raina and Sergius were lovers but later we find the life force directing them to marry their suitable partners. Sergius was attracted by the servant, Louka and marries her. And Raina marries the chocolate soldier, Bluntschli.

In *Man and Superman* Shaw explains how life force uses its power on man and woman for its own purposes. Each sex has its role. Both should be intelligent for the creation of a super intelligent off-spring. Man represents the philosophic consciousness of life while woman represents fecundity. Woman takes initiative to get a husband and to continue the race. Man after completing his task, is free for intellectual pursuits which in turn increase the collective consciousness of the life force. Man and woman should readily submit to this process. Though life force exists in every man it has its fullest expression only in a few. Octavius, the lover of Ann was termed as a young man whom the life force does not grip and it passes by him. According to Shaw men of that type are invalids and never marry.

To conclude the discussion on Shaw's concept of Life Force we can say Shaw understood it as the spiritual force which has been working for the betterment of life since its origin. It is operating as God's agent through man's mind and will to create a better race of men. Man makes use of his will and intelligence as the tool of Life Force. And finally Shaw's Life Force philosophy is very interesting as it refers to the society, its everyday affairs to improve the society especially in creating intelligent super human beings.

But still it has left some serious points for our further reflection. The Life Force philosophy of Shaw has become a philosophy of discrimination. Octavius, good-looking and well mannered, though not a suitable partner for Ann, would be a partner for someone else. All the human beings are powered by the life force in spite of different race, class, colour and country as it was concluded in *Arms and the Man.* Shaw believed that Life force has the fullest expression only in a few. But he has not mentioned any of those few. His emphasis was on intelligence and when an intelligent man marries an intelligent woman we are certain that the child would be a

super intelligent. But the human experience is contrary to this belief. So, it may lead one to say that Shaw was preoccupied with eugenics, a popular concept of 19th century, which was also supported and propagated by Shaw, while he composed his life force philosophy.

The function of life force is not only procreation which is rather a slow process but also self actualization or enlightenment that can empower the human race rapidly. We have some supermen in the history such as Jesus Christ, Sri Krishna, Lord Buddha and Prophet Muhammad and many others who have inspired and changed the meaning of life through their preaching for peace and teaching for charity and contributed for the well-fare of humanity. Shaw has no mention of such concrete examples. And about longevity, neither Shaw nor anyone else in the recent history could make an evolutionary jump into a long life span. And Shaw has not proposed any eugenics program or any secret formula to achieve this temporary immortality and therefore it remains abstract. And finally, since the life force is related to marriage and procreation, in the context of growing social phenomena of same sex marriage, what would be the function of life force? Is it not something related to the sexuality of an individual?

References :-

1. Drabble, Margaret, ed. *The Oxford Companion the English Literature*. 5th ed. New York:Oxford UP, 1985. Print.
2. "Elan Vital – The Philosophy of Henri Bergson." *The Thoughtful Conservative*. Arizona: U. S. 2008. Web. 21 Feb. 2013.
3. *Great Works of Bernard Shaw*. Delhi: Jainco Publishers, 2006. Print.
4. MacIntosh, Jay W. *The Origins of George Bernard Shaw's Life Force Philosophy*. Create Space Independent Publishing Platform: Google. Web. 30 Dec. 2011.
5. Mathur, S.S. ed. *Man and Superman*. By George Bernard Shaw. 1903. Agra: Laxmi Narain Agrawal, 2008. Print.
6. Klein, Juliana C. *Shaw's Black Girl: A Case Study in Creative Evolution*. Diss. Florida State U, 25 May 1999. Google Book Search. 15 Oct. 2012.

****

Modern Novels And Some Novelists' Trends

Vinay Dubey *

Introduction - Modern English fiction has been the great attraction of English readers. The readers of all over the world are attracted to English novels, which has commanded novel changes during the last decades & that has even increased the curiosity amongst the English novel readers. The multi-faceted it has grown the more have the readers become interested. 'Every thing has happened to English novel'.

The influence of psychology in psycho- analysis of the subconscious & the unconscious strata of mind has worked wonders. Stream of consciousness " technique which has adversely affected the comprehensiveness of character as well as the traditional method of plot- construction. The technique has resulted into:

1. The minimization of plot.
2. Decay in comprehensiveness of character ;
3. Absence of the chronological continuity ;
4. Disappearance of the author as narrator ;
5. Theme limited to a small period of time.

Plot like character has also gone into background. The new Psychology hasbeen responsible for the change. Life, as per the modern psychologist tells, is to be found neither in biography, nor in the contents of a mind nor in its development, nor even in a psychological mood, but in a psychological moment.

" An individual is not a personality at all ; he is merely a succession of fleeting persons, each of whom endures for a psychological moment".

Like this when the 'Self' is denied, life becomes a series of separate, successive instantaneous moments like a moves. Hence the search of the novelist moves round the fleeting psychological state or moment of experience. Unlike the traditional novelists, keeping an eye on the clock and calendar and narration of passing of house and years, The experimenters abolished time and place to that only "consciousness prevailed''.

There has been a complete change outlook on sex, marriage and morals. There is a break- down of puritan inhibitions on Sex, as a result of free Indian psychology and the exposition of Sex psychology by Havelock Ellis and radical thinkers. The Victorian prudery and conception of holy wedlock has been discarded much to the interest of the modern readers. Adultery no longer remains a mortal sin and sex, being like a daily routine other works in life. D.H. Lawrence stands ahead of such novelist. Huxley also depicts the sexual indulgence, but pointing out to be pointless and boring. Some modernists take this feature to the charge of obscenity.

The modern novelists have a great consciousness for the form. Novels seem to be well constructed, compacted and connected. The events like series follow one by one like a movie and develops the story. Dickens did not pay any heed to form and style as his desire for utterance was so strong. Meredith & Henry James had less to say and could pay attention to say very carefully. When creative energy become still less a abundant after 1914, disproportionate attention began to be given to theories of fiction. The prose of good fiction has become more elaborate and exciting; art has begun to be judged by technical standards.

Edwardian novel was concerned with the discussion of Ideas : Scientific ; Social, Political, industrial and was designed for the large middle class public which has grown up during the 19th Century and was now well established. The readers needed the support of general notions for their intellectual life. It was the novel of Ideas, which provided them with the tonic they needed in its right doses and in the right strength. HG Wells was outstanding in this work of popular enlightenment. He was a missionary, teaching and healing and propagating a gospel of life and conduct for the new Age. He skipped the accepted conventions and he rated those values, not having scientific proof, as fictitious. Unlike him, Arnold Bennett was not fired by a passion of change the world but accepted it as it was. His was detached point of view a suppression of the narrator, a deliberate simplicity. Bennett succeeds in making the society the streets, the houses of his five towns so realistic that it produced a cumulative effect. His novels are replete with excellent observation and a " sort of poetry of streets hotels, emporiums". As Priestley sums up.

" Arnold Bennett was at once the historian, the philosopher and the troubadour of our ordinary human life."

John Galsworthy has not been with serene detachment of Bennett. He is hurt and angry and he sympathies and attacks. When Galsworthy is merely content to narrate his picture of far sight family becomes one of the notable things

* Asst. Prof. (English) Govt. Girls College, Bina (M.P.) INDIA

of modern fiction.

Joseph Conrad stood in general opinion alongside Bennett, Wells and Gal sworthy as one of chief novelists. This works differed greatly from theirs. He put forward more exciting and colorful stories than did the other three, with more attention than they to the psychological presentation of character and motives and achieved a more comprehensive and universal criticism of life.

Wells, Bennett, Galsworthy and Conrad – were the four outstanding nove- lists who maintained the prestige of the traditional type of novel in the first two decades of the 20th century.

Among the psychological novel, Hennery James deserves a special mention. He made his concern in the inside rather than the outside of his characters. 'The Wings of the Dove,' 'The Ambassador' and, 'The Golden Bowl' are the three major novels, which brought him acclaim. This new technique was rather a great innovation in field of fiction, but it came before time as it was not yet ripe for the same. That was the reason, he could not gain popularity despite his super artistry.

The Stream of Consciousness School of novelists came into being around 1920. Freud and Jung shook the foundations of human thought by their revolutionary discoveries in the field of psycho – analytics. It was revealed that the human consciousness has very deep layers and burried under the conscious region, are the sub-conscious and unconscious regions of the human psyche. According to Freud human thinking suffers greatly from sexual obsessions and every action of man- even his dreams, reverie, half expressed and unexpressed could be traced back to his sex- instincts. People now began to look at things from a new perspective. Experiments were made in the light of psycho- analysis. Stream of consciousness was such experiments. William James, Dorthy Rechard son, James Joyce were the prominent novelists in this field. Virginia wolf, too, expresses a feeling of the meaning less ness of life, it is only in the temporary thought in the sea of life, even if she felt herself in the wasteland she would raise her eyes and her heart to the stars. Her spirit failed and she died.

Some critics have strong doubts about the future of English fiction and novel. It was thought that the English novel was declining into mediocrity, but it is not so as it was about to enter into what is our prophetic powers are no greater than theirs. English novel cannot be poor for it has already left us a gigantic and imperishable legacy."

References :-

1. J.B. Priestley and his observations.
2. The Stream of Consciousness School of Novelists.
3. Freudian and Ellis' Psychology of Sex.

****

Appreciation Of Poetry

Dr. Vandana Bakshi *

Abstract - Appreciation of poetry is not only single activity of mind, or something which can be described in a simple sentence, the full understanding of it is not cozily achieved, and sample space is required to set it all out clearly. An explanation of what is meant by appreciation of poetry must take more note of the proportions and of the interrelatedness of all that constitutes poetic appreciation than is given by most of the treatises on the subject. The present paper is an attempt to see more in poetry than emotional appalls and word-melodies and to prove that poetry is a luring experience.
Key words - meditation, sentiments, experience appreciation, awareness.

Introduction - Appreciation is not merely the enjoyment of visual images, not even if they are delightfully vivid or picturesque, or especially pleasing in some other way, for 'images however beautiful, though faithfully copied from nature and as accurately represented in words, do not of themselves characterize a poet'[1]. Similarly, as Sir Joshua Reynolds insisted upon, 'painting is not merely a gratification of the sight.' Pleasure of this sort arises no doubt from successful imagining, from discovering more, for instance, in a landscape than we had perceived by our own efforts, or in a bird's flight, in a flower, or in what-ever the poem happens to be about; just as there is pleasure in visualizing those scenes, people, and things with which we have been happily acquainted in days gone by. For reminiscences are pleasant, as are other mental processes successfully performed ; but pleasures of this sort must not be taken for appreciation, for they are of a much simpler order, and are much more easily achieved than those resulting from the more exacting experiences provided by poetry. Pope, we may remind ourselves, 'expressly laid it down that whoever wished to bear worthily the name of a poet, ought to renounce as early as possible the mania for pictorial description'.[2]

And appreciation is not even the process of understanding all the meanings which are expressed in a word or in a phrase ; not the process of identifying recondite references the scholar's unique reward.

Again, appreciation is not even the enjoyment of sounds signifying beautiful things-such as 'melodious plots of beechen green' and as 'breezes blown through verduous glooms and winding mossy ways'. However pleasant the voice of the reader may be, and however soothing the sound of the 'murmuring of innumerable bees', of babbling of brooks on pebbles, of 'ocean softly washing all her warless isles', of 'the moan of doves in immemorial elms' ; yet this simple- and superficial-enjoyment in the mere sound of words is far from being identical with that richly complex event which we call appreciation. As Professor Whitehead says : 'Sense-perception, despite its prominence in consciousness, belongs to the superficialities of experience'.[3]

Appreciation cannot be defined as 'being transfused with emotion. For although it is the peculiar province of poetry to call up in the reader's mind predetermined thought and emotion so that the thinking will be charged with emotion and will thus be invigorated and vitalized, yet the appreciation of poetry does not consist merely of such emotionalized thought. The experience of appreciating a poem is far more complex than the relatively simple act of perceiving or-more accurately-feeling an emotion, even though that emotion is supposed to be an aesthetic, or poetic emotion, for 'no art endeavours to express the emotions of the artist in any more particular fashion than it expresses his conceptions or images' [4] as Professor Alexander convincingly reasons.

Appreciation is not merely the enjoyment of felicitous pharsing, of the poet's beautiful choice of words'. It is not the warm appraisal, of modes of expression, however apt, sensuous, or moving:" There may be considerable pleasure in this facet of poetic experience, it is one which has attracted considerable notice from almost every writer on poetry-poets, critics, and others-often to imply, if indeed not to state explicitly, that appreciation consists solely of this delight in words. But this peculiarly literary pleasure is not an experience which can be divorced from the complete act of appreciation, it must take account of content and of every-thing else which goes to make up the poem. It is true that this savouring of the words-tasting them, as it were, to get their full flavour of meaning, sound, rhythm, aptness-can be the most conscious part of the experience, it can yield so much, and is the peculiar reward of the reader with a sensitive awareness to words; but it cannot be all that there is in appreciation.

Finally, appreciation cannot be solely, or mainly, the pure apprehension of Form, as if we could be aware of the

*Asst. Professor (English) Govt. S.V. College, Berasia (M.P.) INDIA

beauty of a cathedral without realizing that the cathedral was a building and had a noble purpose. To be able to contemplate Formal Beauty and to find delight therein is the culminating point of one's aesthetic development, it can be achieved only as the result of very many rich appreciations, for all these appreciations give meaning to Formal Beauty. We must emphasize the fact that appreciation includes all of those activities. It is not a simple event; or a process loosely compounded of a few elements; but it is both complex and complete ; and it is an experience in which all of man's finest mental powers are involved; it should therefore be indisputable that no single ingredient of such a complete and perfect moment can be omitted. And our sense of rhythm, our powers of forming imagery, our perception of sound, and our emotions are quite inadequate separately. to bring us to an awareness of beauty: to suppose otherwise is to deceive ourselves. As Professor Buck says of music, that He may enjoy the noble sounds, the rolling rhythms., the feeling of splendour and pageantry they evoke, and his may be as great as you like ; but as to appreciation, that you will maintain, is not a gift of the senses but a reward of the mind'[5]

On the contrary, appreciation is a complex activity in which all powers of the mind are working together to one end: to experience all that is possible of what was intuitively conceived by the poet's insight and vision, and at the same time to have a lively awareness of all the virtues of the poet's words to express those experiences.

Thus appreciation of a poem has essentially and necessarily a unity. By unity we mean here not ,a vague mystical blending or mysterious fusion of elements, but a real and close association of thought, imagery, and emotion; and this, apprehended as a whole, is expressed in rhythmic and patterned language so precisely, so completely, and so inevitably that the language itself is felt to be that imaginative and impassioned thought. For 'Poetry in one sense is all form . . . not properly the artistic treatment of the subject, but the subject so translated into form that the mind does not want anything else'.' Contemplation of the form' then becomes also contemplation of what is expressed, and is, in fact, the process of bringing about a combination of content and expression; is in fact, the process, of becoming of the experience which is evoked by the words, and at the same time that the words express that experience. So that in reading poetry one is not only receiving new ideas, new impressions; new conceptions, but one is also receiving at the same time words to express those experiences. And the two complex acts of impassioned, imaginative cognition and of full, precise expression of that activity are one:, the words both evoke experiences in us and express them for us-The true moment of appreciation is that in which we recognize the "form" of the imaginative creation.' It is when this combining, this unifying, of all the elements occurs successfully, when contemplation is rapt, conscious only of the work of art, and with all one's powers at a stretch, then occurs that penetrating insight or vision which is the act of intuition ; for it is only in moments of intense and highly sensitive concentration of our powers that we know we have come in contact with something which excites our wonder, Which stirs our exultation, and which leaves us with a profound satisfaction

References :-

1. Coleridge Samuel Taylor, BiographiaLiteraria : Oxford The Clarendon Press, 1907 P 267
2. Aristotle, Nicomacheon Ethics: University of Chicago Press, 2012 P 101
3. Whitehead Alfred North, Adventure of Ideas, Simon and Schuster, 1967 P 69
4. Prof. Alexander, Beauty and other forms of Value : Macmillan & Co. Limited, 1933 P 198
5. Buck C. Percy, The scope of Music : H. Milford, Oxford Uni. Press, 1924 P 17.

****

वैश्वीकरण और विश्व मानवता स्थापन में साहित्य का योगदान

डॉ. सुरैया जबीं सिद्दीकी *

प्रस्तावना – पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य में वैदिक युग से ही विश्व–मानवतावादी आदर्श मूल्य 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा में निहित रहे हैं। वैश्विकता का मूल आधार व्यापार–बाजार है। मानव सभ्यता के विकास के साथ विश्व के अन्यान्य देशों में समय–समय पर वैश्विक समाज बनाने में व्यापार ने अहं भूमिका निभायी है। सुदूर अतीत से ही व्यापार ने पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। 323 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक के हेलेनेस्टिक युग में ग्रीक प्रभुत्व वाले भारत से स्पेन तक कई व्यापारिक केन्द्र विकसित हुए। जिसमें ग्रीक संस्कृति का प्रारंभिक वैश्विक रुप मिलता है। तब इस विश्वव्यापी व्यापार प्रक्रिया ने कास्मोपोलिटन (विश्व नगरीय) संस्कृति के विचार को जन्म दिया। बाद में चीन के हेन वंश ने 'सिल्क मार्ग' द्वारा एक वृहद भू भाग में व्यापार के माध्यम से एकीकृत संस्कृति को बढ़ावा दिया। इस्लामिक स्वर्ण युग ने गन्ने, कपास, फसल, मसाले और कीमिया के साथ ज्ञान और तकनीकी वैश्वीकरण को जन्म दिया, तो हाजियों ने तो ईसा पूर्व ही 'विश्व संस्कृति' की स्थापना कर दी थी। मंगोलो द्वारा विजित यूरेशिया (यूरोप–एशिया) के निवासियों पर स्थायी प्रभाव पड़ा और इस संपूर्ण क्षेत्र में एकीकृत प्रशासन के कारण संचार और व्यापार में स्थायित्व आया और पहली बार वैश्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय डाक–सेवा प्रारंभ हुई।

अन्वेषण–युग में वैश्वीकरण के कारण यूरेशिया, अफ्रीका, और भारत के बीच बड़े सांस्कृतिक और जैविक बदलाव आये। 1942 में क्रिस्टोफर कोलम्बस द्वारा नयी दुनिया की खोज के साथ 16वीं शताब्दी में पूर्व और पश्चिम के बीच संस्कृति के वैश्वीकरण का प्रोटोटाइप रुप प्रारंभ हो चुका था। सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्पोरेट–ईस्ट इण्डिया कंपनी (1600ई) और डच ईस्ट इण्डिया कंपनी, (1600ई) ने शेयर जारी किये थे। इस तरह 19वीं शताब्दी में औद्योगीकरण के साथ वैश्वीकरण का आधुनिक रुप अस्तित्व में आया और 20वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप और अमेरिका में स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण आज के वैश्वीकरण का मार्ग खुला और विज्ञान के नूतन विकास तकनीकि और उत्पादों का विश्वव्यापी विनिमय प्रारंभ हुआ। इस वैश्वीकरण से निर्बाध वैश्विक संचरण का जन्म हुआ है। औद्योगिक युग के प्रारंभ के साथ विज्ञान और तकनीकी के अतिरिक्त साहित्य, संस्कृति, विचारधारा, दर्शन, आर्थिक कार्यकलाप, श्रम के निर्बाध वैश्विक संचरण ने व्यक्ति की व्यक्तिकता पर लगे प्रतिबंधो का विलोप कर दिया और इस महान विश्व को इकाई के रुप में प्रतिष्ठत कर विश्वव्यापी बना दिया है। समूचा विश्व अब एक मुक्त बाजार है। सत्य ही आज विश्व भारतीय अवधारणा के अनुरुप 'हस्तामलक' (हथेली पर रखा हुआ ऑवला) हो गया है। इन्टरनेट और कम्प्यूटर के मकड़जाल ने पूरे विश्व को एकीकृत कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैश्विकता सदा से ही विश्व मानव समाज की आवश्यकता भी रही है। मानव समाज के इतर क्षेत्रों की भांति साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। आज के साहित्य ने जिसका फलक विश्व धरातल है, सही अर्थो में 'वसुधैव कुटुम्बम्' की धारणा को साकार कर दिया है। 'अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यक आदान–प्रदान के इस युग में आधुनिक हिन्दी सहित्य कई रुपों में अन्य राष्ट्रों की वैचारिक गतिविधि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से निरन्तर प्रभावित हो रहा है।'

रोमांटिक युगीन अंग्रेजी कविता–लेखक–कृष्ण युरारी मिश्र।

वास्तव में साहित्य और संसार का बड़ा गहरा संबंध है। भारतीय साहित्य समीक्षक काव्य (सहित्य) को सृष्टि और कवि को इस सृष्टि का रचियता मानते आये है। मम्मट कहते है – 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण कवि कर्म' अर्थात् कवि कर्म– काव्य संसार और कवि इस संसार का रचयिता। अग्नि पुराण में कहा गया है –

'अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापंति:।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेवं परिवर्तते।।' (339/10)

अर्थात् इस विस्तृत एवं अनंतव्यापी काव्य– रुपी संसार का विधाता–प्रजापति कवि है, वह अपनी रुचि विशेष के अनुसार इस विश्व (काव्य या आज की साहित्यिक विधाएँ) का सृजन करता है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो काव्य सहित्य में अवर्णनीय हो। मानव जीवन के समस्त भावों की अभिव्यक्ति सहित्य में सरलता से संभव है। प्राचीन भारतीय आचार्य 'सत्य, शिव, सुन्दर' को साहित्य (काव्य) का लक्ष्य मानते थे। लेकिन तब साहित्य का पर्याय काव्य माना जाता था। इसलिए 'शब्दार्थो सहितौ काव्यम्' कह कर भामह, राजशेखर, भोजराज, कुन्तक ने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य माना। सातवीं आठवीं सदी तक आते–आते यही शब्द और अर्थ का सहभाव 'साहित्य' बन गया आधुनिक युग आते–आते सहित्य शब्द अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। बाबू गुलाबराय के अनुसार 'सहित्य शब्द अपने व्यापक अर्थ में सारे वाङमय का द्योतक है। वाणी का जितना प्रसाद है वह सहित्य के अंतर्गत है'। आज हिन्दी का साहित्य शब्द अंग्रेजी के Literature शब्द का पर्याय है– Literature is an art of writing and expressing yourself– इस अर्थ में सहित्य में ज्ञान राशि का लिखित संचित कोष और भावनाओं का प्रकटीकरण दोनों आ जाता है। ज्ञान का सहित्य या कहना चाहिए, प्रयोजन या रोजगारमूलक सहित्य आज के युग की अलग बड़ी आवश्यकता है। ग्लोबल दुनिया में अपने पैरो पर खड़े होने लायक बनाने का प्रयास है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयोग में लाया जाने वाला भाषा सहित्य दरअसल सर्विस टूल है। जो जीविकोपार्जन का माध्यम बन सकता है। किन्तु यहां हमारा फोकस भावात्मक साहित्य है जिसका मानव समाज के लिये अपना चिरन्तन महत्व और आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय आचार्यो–भरत, भामह, रुद्रट, विश्वनाथ ने काव्य (साहित्य) को जीवन से जोड़ा है। क्योंकि यह सब कहीं मानव जीवन के लिये हितकारी है– 'सुरसरि–सम सब कहँ हित होई।' तुलसी। गाँधी जी कहते हैं– 'कला वह है जो जीवन को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाए'। काव्य (साहित्य) के द्वारा मनुष्य के विचार उन्नत व परिष्कृत और सुसंस्कृत होते हैं। वह हमें ऐसी भावभूमि पर ले जाता है कि हम ममत्व और परत्व की भावना से

* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शासकीय गृ. वि. महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

ऊपर उठ जाते हैं। मानव मात्र से हमारा रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। मनोभाव का भाव के साथ, मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अंतरंग मिलन सहित्य के अतिरिक्त कहीं और सम्भव नहीं है। अत: सहित्य और जीवन चिर सम्बद्ध है। प्रसाद लिखते हैं– 'काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूति का नित नया–नया रहस्य खोजने में प्रयत्नशील है' भावात्मक साहित्य संसार की अनेक विकट स्थितियों में भी उससे कदम से कदम मिलाकर अपनी चिर यात्रा का पथगायी और पथ प्रदर्शक है। यही वह साहित्य है जो संसार का विडियोग्राफिक आईना है, और उसे आईना दिखाकर सजग भी करता है। उसका एक्स–रे भी करता है और चीर–फाड़ कर विकृतियों को दूर भी करता है। साहित्य में वर्णित त्रासद भावनाएँ मनोवेगों को उत्तेजित कर किस प्रकार उसका उचित विरेचन करती है, इस हेतु यूनानी विद्धान और प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने Theory of Catharsis– विचेरन सिद्धांत द्धारा मानव मन के विकारों की शुद्धि या निष्कासन पर विस्तार से प्रकार डाला है, उनका मानना है कि मानव मन की विकृतियों या कहें अमानवीन भावनाएँ साहित्य के द्धारा परिष्कृत की जा सकती है। Catharsis (यूनानी चिकित्सा पद्धति) हिन्दी पर्यायवाची 'विरेचन' (आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति) का अर्थ है, रेचक औषधियों द्धारा शरीर के अनावश्यक एवं अस्वास्थ्यकर पदार्थो (Foraign Matter) को निकालना। अत: अरस्तु के अनुसार दुखात्मक साहित्य द्धारा करुणा या त्रास का उद्रेक कर मानव जीवन की वास्तविक करुणा या त्रासद भावनाओं का निष्कासन या शमन होता है। ट्रेजरी देखते समय मन की कटुता नष्ट हो जाती है और पाठक या दर्शक मन: शान्ति का अनुभव करता है। इस प्रकार अरस्तु का यह सिद्धांत त्रासद भावनाओं के आस्वादन प्रक्रिया को समझाता है। भारतीय सीमाक्षा शास्त्र साहित्य द्धारा यह अस्वादन न केवल दुखात्मक भावों अपितु सुखात्मक, दुखात्मक सभी प्रकार के भावों की आस्वादन प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। भारतीय मीमांसा में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। उसे 'रसौ वै स:' कहकर' ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा गया है। भरतमुनि के आठ रसों से लेकर अब तक रस ने विभिन्न मानव अनुभूतियों के अनुरुप अपनी संख्या लगभग दुगुनी कर ली है। इस रसास्वादन की प्रक्रिया के साहित्य के पाठक, दर्शक या श्रोता ममत्व और परत्व की भावना से मुक्त होकर साहित्य में वर्णित भावना से तादात्म्य स्थापित कर लोकोत्तर आनन्द की अनुभूति करते हैं। यही प्रक्रिया साधारणीकरण (अभिनवगुप्त का सिद्धांत) कहलाती है जो भावात्मक साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी इसी रेचक क्षमता के कारण वह मानव मन की विकृतियों का नाश कर सकती है।

इस वैश्विक दौर में विश्व समस्याएँ भी भूमण्डलीकृत हो गयी है। अपराध, अमानवीय अतिवादिता का भी व्यवसायीकरण जारी है। देशीय संघर्ष, पर्यावरण दूषितीकरण, कालाबजारी, भ्रष्टाचार, श्वेत वसनापराध, ड्रग तस्करी आदि समस्याएं न होकर पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिये हुए हैं। इन आसुरी प्रवृत्तियों पर, जो मानव जाति पर भारी है, उन पर अंकुश कौन लगाए? साहित्य के अतिरिक्त कोई और अनुशासनात्मक व्यवस्था ऐसी दूध की धुली नहीं है जो नि:स्वार्थ भाव से उस पर लगाम लगा सके। पूर्व में जो कार्य धर्म दर्शन, अध्यात्म और साहित्य ने किया है– मानवीय संवेदना जागृत करने का, वह कार्य आज भी साहित्य कर सकता है। बिन पानी साबुन बिना स्वभाव को निर्मल करने की शक्ति दण्ड या प्रशासन में नहीं, साहित्य ही में है। साहित्य एक तरह से मानव मन का विज्ञान है– मनोविज्ञान है, जो मनोचिकित्सा की क्षमता रखता हैं। इसमें समाज का नेतृत्व करने की शक्ति और समाज को प्रभावित करने की शक्ति होती है। यह मानव की आदि सम्प्रेषणात्मक विधा होने के कारण अतीव प्रभावोत्पादिनी शक्ति से सम्पन्न है। 'साहित्य में चित्रित भावनाएँ हमारे हृदय को भी आन्दोलित करती है। अपनी भावोत्पादिनी क्षमता के कारण साहित्य 'साहित्य' की संज्ञा प्राप्त करता है।'साहित्य स्वरुप विवेचन, लेखक–गणपतिचन्द्र गुप्त। संसार में जब ज्ञान विज्ञान नहीं था, तब भी मानव मन की सहजानुभूति ने साहित्य की रचना की थी। यह आदि विधा समस्त ज्ञान–विज्ञान की जननी है। यजुर्वेद के श्लोक आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति में सर्वोपरि है। गीता का अध्यात्म, कर्म योग, चाणक्य की अर्थनीति की महत्ता संसार में किसी से छिपी नहीं है। संसार के सभी धर्मशास्त्र, अध्यात्म, दर्शन साहित्यमय ही है। पर साहित्य वही अमर होता है जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक हो। कालिदास, मिल्टन, शेक्सपियर, तुलसी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचन्द आदि अमर साहित्यकार आज भी देशकाल, भाषा की सीमा से परे हैं। होमर की इलियड, तुलसी का रामचरितमानस, उमर खैय्याम की फारसी रुबाइयाँ, खलील जिब्रान की अति सूक्ष्म विराटता का बोध कराती आध्यात्मिक रचनाएँ मानव मन को सदैव प्रभावित करती रहेंगी।

साहित्य सदैव ही मानव समाज (विश्व समाज) के लिये प्रासंगिक है। साहित्य भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। यह काल से परे है। साहित्यकार समाज का एक जागरुक भावी द्रष्टा और अग्रदूत होता है। लियोनार्डो द विंसी कला, साहित्य, और विज्ञान की संयुक्त अदभुत प्रतिभा (मल्टीटैलेन्टेड) के धनी साहित्यकार, कलाकार और वैज्ञानिक थे। उनकी कला में रसात्मकता और भावात्मकता (पेंटिग– द लास्ट सपर मोनालिसा आदि) चित्रात्मक साहित्य को साकार करती है। संसार के पहले 'एयर शिप और टैंक' की कल्पना उसके बनने के शताब्दी पूर्व ही उन्हेंने अपनी पेंटिग में कर ली थी। मोपांसा ने वैज्ञानिक फिक्शन से भरपूर काल्पनिक वैज्ञानिक साहित्य की रचना की जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने साकार कर दिखाया। आरेबियन नाइट्स की कहानी के वाक्य 'खुल जा सिम–सिम' ने सैकड़ो साल बाद अपने करिश्में से दुनिया को चकित कर दिया। इवान प्लेमिंग के जासूसी उपन्यासों के काल्पनिक उपकरणों को आज के इंजिनियरों ने साकार कर दिया है। कौन जाने जे.के., रोलिंग के हेरी पॉर्टर के जादू भी भविष्य में वैज्ञानिक सच कर दिखाएँ। इसलिये कवि या साहित्यकार बुद्धि व भावना की दृष्टि से अपने युग का आदर्श व्यक्ति होता है जैसा कि शैली लिखते है। 'But poets are not only the authers of language and of music … They are the institutors of laws and the founders of civil society, and the inventors of the art of life.'

अत: साहित्य समाज का मार्गदर्शक भी है और प्रतिनिधि भी। जहां इतिहास मौन होता है वहां तत्कालीन साहित्य ही उस समाज और संस्कृति के बारे में हमें अवगत कराता है। तो दूसरी तरफ सामाजिक सोच को अपनी उदात्तता से निर्मलता भी प्रदान करता है। तुलसी का रामचरित्र मानस पाठक के चरित्र को भी महामानत्व की श्रेणी तक पहुँचाने को लालायित करता है। लॉजाइनस और मैथ्यू आर्नल्ड के समीक्षा सिद्धांतो ने पाश्चात्य साहित्य को औदात्तता की नई दिशा दी। समय–समय पर साहित्य समीक्षा की कई विचारधाराओं के तहत् अपनी सामाजिक उपयोगिता पर ध्यान न देकर मनोरंजनकारक हुआ, पर उसका मूल उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना ही है। साहित्य का अंन्तिम लक्ष्य मनुष्य ही है Art for live's sake ही उसका मूल उद्देश्य है, विधि चाहे जो हो। यहाँ तक कि मनोरजंन भी मानव जीवन में प्रसन्नता का कारक ही है। इस रुप में भी साहित्य Suprime Happiness, joy for ever, emotional delight, a pure and elevated pleasure (आस्कर वाइल्ड) ही है। दूसरी तरफ यथार्थता की विद्रूपता उघारना सआदत हसन मण्टो का साहित्य हो या अभिजात्य वर्ग का उपहास उड़ाता निराला की

कुकुरमुत्ता हो, प्राचीन रुढ़ियों की समाप्ति और नवीन शोषणमुक्त मानवतावादी समाज की स्थापना का विश्वास उत्पन्न करती पन्त की कविता 'द्रुत झरोय हो–सबका लक्ष्य एक ही है–मानव को मनुष्यत्व की श्रेणी तक पहुँचाना। गुप्त जी के शब्दों में 'है वही मनुष्य, जो मनुष्य के लिये मरे।' साहित्य इसी मनुष्यता का साधक है। उसका उद्देश्य बेहतर इन्सान Better Human बनाना है।

वैश्वीकरण के इस दौर में जब पूरा संसार सकारात्मक विकास के साथ–साथ क्षोभनीय, आवांक्षनीय, त्रासदीजन्य स्थितियों से भी दो–चार हो रहा है तब साहित्य का क्या उत्तरदायित्व है यह हमें विचारना है। जब–जब संसार में मनुष्य के जीवन मूल्यों पर खतरा मंडराया है, साहित्य ने आगे बढ़कर उसका मार्गदर्शन किया है– सही राह दिखायी है। भारत में आदिकालीन हिन्दी साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, स्वतंत्रता आन्दोलन के समय का साहित्य इस बात का साक्षी है कि साहित्य केवल मनोरंजन कारक होकर निरर्थक नहीं है। सदियों के साहित्य ने इतिहास में दर्ज विकट सामाजिक स्थितियों को बदलकर प्लेटो की इस मान्यता को–कि साहित्य समाज के लिये अनुपयोगी है– झुठला दिया है। इतिहास में अनेकानेक बार साहित्य ने क्रांतिकारी परिवर्तन किये है। रुसो, मेजिनी, वाल्टेयर की रचनाओं ने उनके देशों की जनता को अत्याचार से संघर्ष करने का साहस दिया। गोर्की की रचनाओं ने रुस की जनता को जार का तख्तापटल करने की शाक्ति दी। बिहारी के एक दोहे ने राजा जयसिंह के व्यक्तित्व को बदलकर रख दिया। नाटक (भरतमुनि का दृश्य काव्य) और सिनेमा साहित्य का समाज पर प्रभाव विलक्षण है। इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है। व्ही. शाताराम की हिन्दी फिल्म 'दो आँखे बारह हाथ' ने दूरदर्शिता का ऐसा परिचय दिया जो आगे चलकर नेहरुजी की डाकुओं, कैदियों के आत्मसर्मपण और उनके विस्थापन की नीति निर्धारण का कारण बनी। कहने का तात्पर्य यह कि साहित्य की इस मारक शक्ति का उपयोग विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण के लिये हो।

आज मनुष्य को मशीन बनाने का व्यापार पराकष्ठा पर हैं। जीवन जगत की समस्याओं में उलझा मनुष्य मनुष्यता के मानदण्ड भूल चुका है। वैश्विक जटिल परिस्थितियों ने मनुष्य को मानव यंत्र बना दिया है। आसुरी प्रवृत्तियों के वशीभूत मानव स्वार्थ हिंसा, लोभ का पुतला बन गया है। ऐसे रोबोटिक युग में मनुष्य को मनुष्यता की छुट्टी साहित्य ही पिला सकता है। यह मुर्दो (संवेदनहीन) में भी जान (सद्भाव) फूंक सकता है। आज के संवदेनहीन समाज में भावात्मक साहित्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज सभ्यतावरण के पीछे कितनी विद्रूपता छिपी हुई है, इसे हम आए दिन समाचारों में पढ़ते, देखते और सुनते हैं। इस अमानवीयता का बस एक ही इलाज है–वह है साहित्य। साहित्य का प्रभाव समाज में बड़ी तीव्रता से संक्रमित होता है। प्रश्न है कि साहित्य कैसा हो? ऐसी विकट वैश्विक स्थितियों में जब पाश्विकता का बाजार गर्म है साहित्य ऐसा हो जो मनुष्य हृदय को सुन्दर और विकार रहित बनाए। कविता वस्तुत: जीवन की आलोचना है। कवि का महत्व इसी में है कि वह अपने विचारों को सुन्दर और सशक्त ढंग से जीवन–यापन के प्रश्न पर लगाएँ। कला एवं काव्य पेज 11, लेखक–डॉ0 राजकिशोर सिंह। 'कला जीवन के लिये के समर्थक पाश्चात्य समीक्षक मैथ्यू ऑर्नल्ड लिखते हैं– 'Peotry is at bottom a criticism of life; that the greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas of life.' उनके अनुसार यदि किसी काव्य में नैतिकता के प्रति विद्रोह है तो वह स्वयं जीवन के प्रति विद्रोह है। भारतीय मीमांसा में भी 'हितेन सह साहित्यम्' कहकर हितकारी रचना को साहित्य कहा गया है।

किंतु आज के विषम वैश्विक समाज में साहित्य पर भी व्यवसायीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। यह सत्य है कि साहित्य समाज को बेहतर बनाता है और एक बेहतर समाज एक बेहतर साहित्य रचता है यह एक Cyclic Reaction है। आज के व्यवसायीकरण का प्रभाव यद्यपि साहित्य पर नगण्य है किंतु फिर भी साहित्यकार को समाज के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन के लिये सचेत रहना चाहिए। आज साहित्य Literature का पर्याय होकर मनुष्य को Literacy (विशेष जानकार) तो बनता है, किंतु स–हित्यक नहीं। आज साहित्य की प्रयोजनीयता इस बात मे देखी जाती है कि वह अर्थोपार्जन में कितना सहायक है। जबकि विश्व–मानवता की स्थापना अपने आप में ही इस संसार का सबसे महान और प्रयोजनीय कार्य है। और यह भावात्मक साहित्य द्धारा ही संभव है। 'ज्ञान के साहित्य का लक्ष्य सीखना होता है वहीं भावना के साहित्य का लक्ष्य भावनाओं को जागृत करना होता है। एक में तथ्यों और उपदेश की प्रधानता होती है, जबकि दूसरे में कला और सौन्दर्य कर अभिव्यक्ति होती है' साहित्य स्वरुप विवेचन, लेखक–गणपति चन्द्र गुप्त। हृदय की कुरुपता को यही भावात्मक साहित्य मानवतावादी भाव सौन्दर्य में बदल सकता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन पूरे साहित्य पर सटीक बैठता है– 'ज्यों–ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नये–नये आवरण चढ़ते जाएँगे त्यों–त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी दूसरी ओर कवि–फर्म कठिन होता जाएगा। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है, और जगत के बीच क्रमश: उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। मनुष्य के लिये कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभी सभ्य, असभ्य जातियों में किसी न किसी रुप में पायी जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो पर कविता का प्रसार अवश्य रहेगा। बात यह है मनुष्य अपने ही व्यापारों को ऐसा सघन और जटिल मण्डल बांधता चला आ रहा है। जिसके भीतर बंधा–बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला–सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को मनुष्यता खोने का डर बराबर बना रहता है। इसी से अन्त प्रकृति में मनुष्यता को समय–समय पर जगाते रहने के लिये कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी'।

कविता क्या है (निबंध) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल – सच ही साहित्य मनुष्यत्व का साधक है। साहित्य के प्रभाव से क्रूर से क्रूर भी द्रवीभूत हो जाते हैं। साहित्य की संप्रेषण शक्ति के कारण अनैतिक, अवांछित, अत्याचार, अन्याय, शोषण, क्रूरता को हमारा हृदय सहन नहीं कर पाता। हमारी आत्मा जाग उठती है और सारे जहाँ का दर्द हमारे हृदय में साधारणीकृत हो जाता है। तब भला ऐसा साहित्यिक मानव दूसरों के प्रति क्यों न मानवीय होगा। यह सच है कि साहित्यकार होना हर सामाजिक के लिये संभव नहीं है। दैवीय प्रतिभा से सम्पन्न स्वत: स्फूर्त भावाभिव्यक्ति में सक्षम अत्यन्त संवेदनशील मनुष्य ही सार्वेभौमिक साहित्य की रचना कर सकता है जैसा कि काव्य उत्पत्ति के बारे में Wordsworth का विचार है– 'The spontaneous overflow of powerfull feelings' डॉ0 नगेन्द्र लिखते हैं– आत्मभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है।'यही आत्माभिव्यक्ति मानव मन पर चुम्बकीय प्रभाव डालती है। साहित्य कुम्हार के आवें की तरह है जो अपने अनुसार दूसरे के मनोभावों को गढ़ता है, Wordsworth कहते है 'A great poet is a teacher' इस तरह साहित्य का पाठक या व्याख्याकार साहित्यकार न होकर भी मनोभावों का पढ़ लेने वाला अधिक संवेदनशील मनुष्य बन जाता है। उसकी यही संवेदनशीलता हर क्षेत्र में उसका सकारात्मक मार्गदशन करती है और उसे उचित निणय लेने में सहायता करती है। साहित्य में डूबकर ही

सहृदयता और सहानुभूति पर शान-धार चढ़ती है। जड़ चेतन को साकार करने वाला साहित्य मन की गहराइयों को नापने वाला पैरामीटर है। यहां गणित का दो दुनी चार नहीं होता, दो दुनी अगणित होता है। साहित्य द्धारा ही इस अगिणत से साक्षात्कार करके विश्वात्मा, महामानव बना जा सकता है।

यह सत्य है आज के जटिल यांत्रिक वैश्विक परिवेश में साहित्य के सामने चुनौतियां बहुत है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने मनुष्य को विचार वृद्धि के साथ विवेकहीनता भी दी ओर विकास के साथ उसे विनाश की ओर भी ढकेला है। आज विश्व की समस्याएं गंभीर है-

'यह प्रगति निस्सीम। नर का यह अपूर्व विकास,
चरण-तक भूगोल। मुटठी में निखिल आकाश
किन्तु बढ़ता गया मस्तिष्क ही नि:शेष,
छूटकर पीछे गया है, रह हृदय का देश।'

मनुष्य बाजारवाद के प्रभाव में हृदय हीन हो गया है। विज्ञान जिसका लक्ष्य मानवता को सुखकर बनाना था-

'श्रेय यह विज्ञान का वरदान,
हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान'

वही विज्ञान मानवता का संहारक हो गया है। विज्ञान की इस विध्वंसक क्षमता पर साहित्य ही लगाम लगाकर उसे मानव कल्याण की दिशा में मोड़ सकता है। संसार के परिवर्तित परिवेश के साथ-साथ साहित्य भी विराट से विराटतर होता जा रहा है। मानव मन और बुद्धि की समस्त अनुभूतियां और अभिव्यक्तियां अपनी समस्त गहराइयों के साथ साहित्य सागर में समाहित हो सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका भावात्मक हल एवं उद्धुद्धिकरण साहित्य में न हो सके। आज का बाजारवाद मनुष्य को दानव बनाने को लालायित है तो साहित्य में ही वह क्षमता है कि वह उसे फिर से मानव बना सके। हम सृष्टि की सर्वोपरि रचना मनुष्य है अत: हमारे जीवन का उद्देश्य भी मनुष्यत्व की रक्षा करना होना चाहिए न कि संहार करना। साहित्य को भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। आज का साहित्यकार सर्वथा नवीन वैज्ञानिक, आणविक, व्यावसायिक युग का साहित्यकार है। कोई एक त्रासद घटना अब एकदेशीय नहीं है, वह हमारे गृह-पूरे भू-मण्डल को अपनी चपेट में ले लेने वाली घटना बन जाती है। ऐसे में साहित्यकार को चाहिए कि अपनी अधिक संवेदनशील मानवीय बुद्धि के बल से अपने युग की समस्या के समाधान में उत्साहपूर्वक आगे बढ़े और अपने, गृह-ग्रह की सुरक्षा का दायित्व संभाले। दूषित मनोवृत्तियों के लिये उपचारत्मक साहित्य का सृजन करे। साहित्य को व्यवसायीकरण के गर्त में न ढकेल कर शुद्ध साहित्य, सही अर्थो में साहित्य-'स-हित' ही रहने दें।

आधुनिक युग के साहित्य में पूरे विश्व मानवता के प्रति यह चिन्ता देखी जा सकती है। समकालीन साहित्य में युगीन वैश्विक परिस्थितियों के प्रभावस्वरुप कुंठा, संत्रास, आक्रोश, साहस, नैराश्य, पराजय, वेदना के नकारात्मक स्वर है तो विश्वास अदमनीय जिजीविषा, साहस अडिगता का जीवन के प्रति आशावादी स्वर भी मुखर है। कुल मिलाकर लक्ष्य एक ही है-विश्व मानवता और संस्कृत समाज की स्थापना। आज के साहित्यकार को देश-दुनिया के साथ आम आदमी की भी चिन्ता है। वह सच्चे अर्थो में मानवता प्रेमी है। क्योंकि वह कहीं अन्याय सहन नहीं कर पाता। आज का साहित्य अपने काल का पन-पल का सांस्कृतिक इतिहास है जिसमें युगीन विसंगतियों और जीवन के ज्वलन्त प्रश्नों को सर्वोधिक टटोला और परखा गया है।

भूमण्डलीकरण के इस युग में दिग्भ्रमित मानव समाज को मानव जीवन मूल्यों का ठोस धरातल प्रदान करने का स्त्रोत आज साहित्य ही रह गया है। उसकी सफलता इसी में है कि वह मानव समाज के लिसे उपयोगी हो। आज जब हमारी धरा एक वैश्विक गांव के रुप में प्रतिष्ठित हो चुकी है तो साहित्यकार भी एकदेशीय, परम्परावादी, वर्गीय संस्कृति के संकुचन से निकलकर विश्व कल्याण के लिये सृजन करें, वे केवल चीर-फाड़ ही न करें, अपितु संवेदनाओं का मलहम लगाकर मानवता के मानदण्ड स्थापित करें। जब कोई बाल्मीकि प्रकृति प्रेम के वशीभूत होकर महान सहृदय कवि बन सकता है तो क्या साहित्य मनुष्यत्व विरोधी तत्वों का स्वभाव निर्मल नहीं कर सकता? वैश्विक विषम स्थितियों में मनुष्य को साहित्य से बहुत अपेक्षाएँ है। आज के विश्व को भावात्मक साहित्य की बहुत आवश्यकता है। साहित्य की हर विधा में आदर्श सामाजिक चरित्रों का वर्णन हो, जिससे हिंसा, बूटेलिटी और अपराधी हिंसात्मक मनोभाव वाले लोगों पर समाज के प्रति सकारात्मक उत्तरदायित्व वहन करने का प्रभाव पड़े। साहित्यकार का दायित्व अब विश्व समाज के लिये पहले से अधिक बढ़ गया है। विश्व मानवतावाद के लिये साहित्यकार द्धारा साहित्य के माध्यम से जन आन्दोलन और जनचेतना का प्रसार भावात्मकता के साथ करने का समय आ गया है। उसे आज के सद्भावविहिन समाज में विश्व बन्धुत्व का ध्वज स्थापित करना चाहिए। साहित्य की आज अनेकानेक विधाएं-फिल्में, पत्रकारिता आदि हैं, जो सरलता से जन साधारण की पहुंच में है। उनमें विश्व संस्कृति की निर्मिति का ध्येय रखने पर फोकस करना चाहिए, ताकि संसार की कई नकारात्मक गतिविधियों के बीच मनुष्य के हृदय को शांति मिल सके। साहित्य की इन सभी दृश्य, श्रृव्य और पठ्य विधाओं में अतीव प्रभावोत्पादिनी शक्ति है। इन विधाओं में साहित्यकार की भावात्मक प्रस्तुति वैश्विक संस्कृति और विश्व मानवतावाद के स्थापना में महती भूमिका निभा सकती है।

मार्केटिंग के इस युग में विश्व कल्याण के लिये मानवतावादी साहित्य की भी मार्केटिंग होनी चाहिए। इसके लिये विभिन्न देशों की एन.जी.ओ. को भी पहल करनी चाहिए। संसार के नीतिगत साहित्य और सार्वभौम अनुभूतिगम्य साहित्य को एक मंच पर लाकर उसका प्रचार-प्रसार हो क्योंकि आज अर्थ अर्जन का स्वार्थ कतिपय विकृत मानसिकता वाले तत्वों का ब्रेनवाश करके उन्हें मानवता सहांरक बना रहा है। इसकी काट केवल साहित्य ही है। साहित्य को वर्गीकृत कर उसका संकुचन न करके उसे विश्व मानवता का पैरोकार बनाना चाहिये। शताब्दियों से विश्व के महान साहित्यकार यही कर रहे हैं। ऐसे उदात्त विश्व साहित्य को सर्वजन सुलभ बनाना भी आज की आवश्यकता है। एक समय में 'हिन्द पाकेट बुक्स' ने नगण्य मूल्य पर अमूल्य साहित्य को घर-धर पहुँचा दिया था। सामाजिकों में साहित्यिक अभिरुचि जगाने में यह प्रयास बड़ा कारगर है। साहित्य द्धारा जागृत की गई यह संवेदनशीलता एक स्वस्थ्य वैश्विक समाज के स्थापन की नींव रख सकती है। कुल मिलाकर विश्व बन्धुत्व की भावना विकसित करने में साहित्य का प्रयोग एक सकारात्मक उपाय है।

'शक्ति के विद्युतकण जो व्यस्त,
विकल बिखरे हैं जो निरुपाय।
समन्वय उनका करे समस्त,
विजयिनी मानवता हो जाय।
श्रद्धा सर्ग - कामायनी

साहित्य यह कर दिखा सकता है। यदि साहित्यकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सोद्देश्य विश्व बन्धुत्व स्थापन का साहित्य सृजित करें तो मानवता को अमरत्व दान मिल जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

सामाजिक समरसता के अग्रदूत – डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डॉ. पी. एस. परमार *

प्रस्तावना –मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज का आशय व्यक्तियों के समूह से है अर्थात् समूह के लोगों के आपसी मेल–मिलाप के तौर–तरीकों का विशाल स्वरूप ही समाज है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों ने अपनी भिन्न–भिन्न भौगोलिक परिस्थितियो के कारण अलग–अलग समाजों को जन्म दिया।

प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म, गुण एवं श्रम–विभाजन को माना गया। ऋग्वेद के पुरूष सूक्त में कहा गया है कि **ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुये, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य एवं पैरों से शुद्रों की उत्पत्ति हुई।** ऋग्वेद का मंत्र यह दर्शाता है कि शरीर के ये चारों अंग अपनी–अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करते है, जिससे शरीर पूर्णत: स्वस्थ और निरोग रहता है। उसी प्रकार स्वस्थ समाज के लिये श्रम पर आधारित ये चारों व्यवस्थायें आवश्यक है। गीता में भी यही उल्लेख किया गया है कि समाज के चारों वर्णों को उनके गुण कर्मो के आधार पर विभाजित किया गया है। ये चारों वर्ण है – **(1) ब्राह्मण (का कार्य)–विद्या अध्ययन करवाना, (2) क्षत्रिय (का कार्य)–सुरक्षा प्रदान करना, (3) वैश्य (का कार्य)–व्यापार करना, (4) शूद्र (का कार्य)–सेवा करना।** यह व्यवस्था इस युग में मानव समाज के लिये व सामाजिक समरसता के लिये विसंगतिपूर्ण है। जिसे दूर करने के लिये डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनेकों पीड़ायें झेलकर इन्हें दूर करने का सार्थक प्रयास किया है।

डॉ. अम्बेडकर आधुनिक भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता, चिन्तक और संघर्षशील योद्धा थे। उनमें अपार नेतृत्व शक्ति थी। उन्होंने जीवन में किसी परंपरा में विश्वास नहीं किया, फलत: वे किसी परंपरा से जुड़े हुये नहीं थे। डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे, इसलिये उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। उन्होंने समाज का विशेषत: दलितों के उत्थान का महान कार्य किया, इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्यप्रदेश में महू छावनी में एक महार परिवार में 14 अप्रैल 1891 में हुआ। भारतीय वर्ण व्यवस्था में महार अस्पृश्य वर्ग में आते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की पीड़ा को जन्म से ही अनुभव किया। बाल्यकाल से ही उन्होंने अस्पृश्यता के पापपूर्ण व्यवहार को झेला। छात्र जीवन से ही वे अप्रतिभ–प्रतिभा के धनी थे। पर जाति कारणों से उन्हें प्रारम्भ से ही अपमानित होना पड़ा। विद्यार्थी जीवन में ब्लैक बोर्ड तक उन्हें इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उसके पास सवर्ण जाति के छात्रों के भोजन के डिब्बें रखें जाते थे। संस्कृत पढ़ने की अनुमति उन्हें इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वे जाति से महार थे। कॉलेज की केन्टीन में चाय पीने से उन्हें इसलिए रोका गया क्योंकि वे अस्पृश्य थे। विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने समाज के इस उपेक्षित व्यवहार को झेला। उन्हें होटल में रूकने का स्थान जाति आधार पर नहीं मिला। एक बार मकान मालिक ने भी उन्हें मकान खाली करने के लिए इसलिये बाध्य किया क्योंकि वे अस्पृश्य थे। इसके बावजूद वे समाज के बहुत बड़े वर्ग के इस उपेक्षित व्यवहार से हतप्रभ नहीं हुए उन्होंने इन व्यवहारों का प्रतिरोध किया और स्वयं अपने लिए नहीं अपितु समूचे दलित और पीड़ित समाज को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया।

डॉ. अम्बेडकर की उच्च शिक्षा विदेशों में हुई। उन्होंने एम.ए., पीएच.डी., डी.एस.सी. तथा बार एट–लॉ की उपाधियाँ प्राप्त की थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वे भारत आये और उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रीय आंदोलन में भी डॉ. अम्बेडकर ने भाग लिया। उन्होंने अछूतों के उद्धार की बात की। अँग्रेजी शासन ने उनकी माँग का समर्थन किया। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर दलित और शोषितों के नेता स्वीकार किए गए। 1923 में डॉ. अम्बेडकर ने अछूतों को सवर्णों की भाँति समाज में एक स्तर पर लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1930 में उन्होंने पहली गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लिया। इस कान्फ्रेंस में उन्होंने अँग्रेजी शासन की इस बात के लिए आलोचना की कि अँग्रेज भारत के अछूतों की स्थिति सुधारने में असफल रहे हैं। उन्होंने अँग्रेजों द्धारा घोषित 'साम्प्रदायिक परिनिर्णय' का समर्थन किया पर गाँधीजी द्धारा आमरण अनशन करने के कारण और काँग्रेस से ही अधिक सीटें देने के प्रस्ताव के कारण डॉ. अम्बेडकर **'साम्प्रदायिक परिनिर्णय'** से अलग हो गये।1

स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा का गठन हुआ तो एक बार यह विचार सामने आया कि संविधान बनाने का कार्य सर **आयवर जैनिंग्स** को सौंपा जाये, क्योंकि उन्होंने कुछ एशियायी देशों के संविधानों की रचना की थी, लेकिन यह कार्य अंतत: डॉ. अम्बेडकर को सौंपा गया इस हेतु उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसी कारण डॉ. अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रीमण्डल में डॉ. अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया। उन्होंने रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की, तथा दलितों को उचित समान अधिकार दिलाने के लिये आजीवन संघर्ष किया। **डॉ. अम्बेडकर ने एक बार कहा था 'मैं हिन्दू पैदा तो हुआ हूँ, परन्तु मैं हिन्दू रहकर मरूँगा नहीं।**'[2] जीवन के अन्तिम दिनों में 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वे अपने अनुयायियों के साथ उस धर्म में दीक्षित भी हुए। हमारे संघर्षरत दलितों के भीष्म नहीं भीम पितामह का निर्वाण 6 दिसम्बर 1956 को हुआ।

डॉ. अम्बेडकर के पूर्व तक सामाजिक समरसता के लिए किये गये प्रयास – भारतीय समाज का सांस्कृतिक, सामाजिक विकास धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाओं से प्रभावित रहा है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता इस समाज की विशेषताऐं हैं। इसका व्यावहारिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज ऊँच–नीच के भेद में बँटा हुआ समाज बना। इस समाज में अस्पृश्यता जैसे अभिशाप भी है। अस्पृश्यता ऐसी वास्तविकता है जिसके

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

परिणामस्वरूप शताब्दियों तक समाज का एक वर्ग सभ्य मानवीय जीवन व्यतीत करने से वंचित रहा है तथा उसका शारीरिक, मानसिक शोषण होता रहा है वह कहने को तो मनुष्य हैं पर उसका जीवन जानवरों से भी गया बीता रहा है।

भेदमूलक सामाजिक व्यवस्था को सभी ने स्वीकार किया हो ऐसा नहीं है। समय-समय पर अनेक समाज सुधारकों ने तथा उन विचारकों ने, जिन्होंने इस व्यवस्था का विकृत रूप देखा, विरोध किया है। ऐतिहासिक क्रम में यदि देखें तो इस व्यवस्था का व्यापक रूप से और वैचारिक तथा दार्शनिक आधार पर सशक्त विरोध गौतम बुद्ध ने किया। गौतम बुद्ध पहले समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्राह्मण के वर्चस्व को खुली चुनौती दी तथा आक्रामक और प्रभावशाली तरीके से वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ प्रहार किया। वेदों की अपौरूषेयता को नकारा। ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद और इनका पोषण करने वाले शास्त्रों की मान्यताओं को अस्वीकार किया।**डी.आर.जाटव का विचार है 'बौद्ध धर्म में एक नवीन समाज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके समाज दर्शन में स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। बौद्ध धर्म ने समतावादी-जनतांत्रिक समाज व्यवस्था की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने मनाववादी आध्यात्मवाद का प्रचार किया और सामाजिक गत्यात्मवाद के दर्शन के तत्वों को पूर्ण मान्यता दी।'**[3]

बौद्ध धर्म में बिना भेदभाव के चारों वर्णों के लोगों को प्रवेश दिया गया। गौतम बुद्ध ने अपने संघ में चाण्डाल कहे जाने वाले और अन्य अस्पृश्य जातियों को भी प्रवेश दिया। उन्होंने दीक्षा लेने का अधिकार सभी को दिया जिसमें चाण्डाल सहित सभी अस्पृश्य जातियाँ सम्मिलित थी।

गौतम बुद्ध ने अपनी सभी शिक्षाओं में जन्म आधारित जाति प्रथा का विरोध किया। वे मानते थे कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण अथवा शूद्र नहीं होता। बुद्ध का विचार था कि जिस व्यक्ति में पूर्ण ज्ञान और नैतिकता हो वही व्यक्ति मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। महात्मा बुद्ध ने परलोकवाद की धारणा के स्थान पर इहलोकवाद में विश्वास व्यक्त किया तथा कर्मकाण्डों और अनुष्ठानों का विरोध किया।

इसी प्रकार महावीर स्वामी, रामानुज (1017-1137) रामानन्दजी (1360-1450) और इनके शिष्य संत रैदास, संत कबीरदास और धन्ना के अलावा गुरूनानक देव (1469-1538), दादू, संत ज्ञानेश्वर के शिष्य संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत चौखामेला इसी कड़ी में राजाराम मोहनराय (ब्रह्म समाज), महादेव गोविंद रानाड़े (प्रार्थना समाज), स्वामी दयानंद सरस्वती (आर्य समाज), स्वामी विवेकानंद (रामकृष्णन मिशन), महात्मा ज्योतिबा फूले (सत्य शोधन समाज) आदि अनेक ऐसे दलित चेतन्य संतों ने यज्ञ, हवन, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, पूरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकाण्ड, वर्णाश्रम, पशुबली आदि का विरोध कर दलित समाज में चैतना पैदा की।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा सामाजिक समरसता के लिये किये गये प्रयास - हिन्दू समाज की सामाजिक संरचना विश्व में अद्‌भूत है। वर्णाश्रम व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में एक वर्ग उपेक्षित स्थिति को प्राप्त हो गया जिसे कालान्तर में लोगों ने हेय दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया और जिसको स्पर्श तक करना पाप श्रेणी में माना जाने लगा इस वर्ग के लिये किये जाने वाले संघर्ष में कई नाम है, प्राचीन काल से ही वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति प्रथा और अस्पृश्य माने जाने वाले विरोध में संघर्ष किया जाता रहा है। पुनरोदय के बाद जब पूरा समाज स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये संघर्षरत् था, उस समय डॉ. भीमराव अम्बेडकर हिन्दू समाज में अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों के अधिकारों के लिये संघर्षरत् थे। उनके लिये अस्पृश्यता उन्मूलन और दलितोद्धार स्वतंत्रता प्राप्ति से कम नहीं था। दलित चेतना को दलित आन्दोलन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचाने में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका निर्णायक रही है। डॉ. अम्बेडकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को दलित समाज की महत्वाकांक्षा बना दिया। दलित समाज को उसका न्यायोचित सामाजिक स्थान दिलाने के लिए आक्रामक मार्ग अपनाते हुए सतत् संघर्ष किया। डॉ. अम्बेडकर वस्तुत: दलित उत्थान के अग्रदूत थे।

धरातल तो तैयार हो चुका था। हर युग में उस युग की परिस्थितियों के अनुसार दलित वर्ग की चेतना को व्यक्त किया गया और दलित वर्ग को धार्मिक, सामाजिक समानता दिलाने के प्रयास भी किये जाते रहे। डॉ. अम्बेडकर के पूर्व तक मानसिक रूप से समाज यह अनुभव करने लगा था कि दलितों को शेष समाज के अन्य वर्गों के समान अधिकार मिलने चाहिए और अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक अभिशाप होने के साथ-साथ देश के सर्वांगीण विकास में बड़ा अवरोध था। कुछ परम्परावादी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। डॉ. अम्बेडकर ने इस लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने की कार्य योजना तैयार की और स्वयं को उसके लिए समर्पित कर दिया।

अस्पृश्यता का दर्द - अस्पृश्यता के दर्द को डॉ. अम्बेडकर ने बाल्यकाल से ही झेला। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। जो स्वयं अस्पृश्य जाति मानी जाती थी। प्रारम्भिक छात्र जीवन में डॉ. अम्बेडकर ने स्वर्ण समुदाय के अमानवीय व्यवहार को देखा था। सन् 1900 में सतारा के सरकारी स्कूल में प्रवेश के बाद प्राथमिक शिक्षा, कक्षा के दरवाजे के बाहर बैठकर प्राप्त की। अछूत होने के कारण उनको संस्कृत पढ़ने की सुविधा से रोका गया। अत: उन्हें संस्कृत के स्थान पर फारसी पढ़नी पड़ी।

विद्यालय में प्यास लगने पर वे हाथ से पानी लेकर नहीं पी सकते थे। दूसरा कोई छात्र उन्हें पानी पिलाता था। विद्यालय जाते समय एक बार जब वे बैलगाड़ी में अन्य बच्चों के साथ बैठ गए तो उन्हें बैलगाड़ी वाले ने इसलिए उतार दिया क्योंकि वे अस्पृश्य थे। छात्र जीवन में उन्हें ब्लैकबोर्ड तक इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उसके पास सवर्ण जाति के छात्रों के भोजन के डिब्बे रखे जाते थे। संस्कृत पढ़ने के अनुमति उन्हें इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वे अस्पृश्य थे। विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने इस अपमानजनक व्यवहार को झेला। उन्हें होटल में रूकने का स्थान जातिय कारण से नहीं दिया। एक बार मकान मालिक ने भी उन्हें मकान खाली करने के लिए इसलिए बाध्य किया क्योंकि वे अस्पृश्य थे। इन सब अपमानजनक घटनाओं ने डॉ. अम्बेडकर के चिंतन, मनन और कार्यों को प्रभावित किया। सन् 1912 में बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पाकर डॉ. अम्बेडकर अध्ययन करने अमेरिका गए। वहीं उन्होंने एम.ए. उत्तीर्ण किया तथा पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। 1917 में डॉ. अम्बेडकर अध्ययन पूरा कर जब भारत वापस आए तब बड़ौदा रेल्वे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये कोई नहीं था। यहीं अस्पृश्य होने का दर्दनाक अहसास उनके हृदय में घर कर गया। दलित शोषित वर्ग को समाज में समानता का दर्जा दिलाने के लिये सन् 1920 में उन्होंने मराठी भाषा में **'मूक नायक'** नामक समाचार-पत्र का प्रकाशन किया। मूक नायक समाचार-पत्र दलित वर्ग की आवाज को अभिव्यक्ति देने का साधन बना। साथ ही उसने दलित चेतना विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। समाचार-पत्र के पहले अंक में इसकी झलक मिलती

है। **डॉ. अम्बेडकर ने नेडस में लिखा–'भारत को स्वतंत्र होने के पूर्व आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक अछूतों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं होगी तब तक स्वराज्य से कोई लाभ नहीं हो सकेगा।'**[4]

सन् 1920ई. और सन् 1930ई. के बीच जब वे लंदन में बैरिस्टरी की शिक्षा पूर्ण करने गए तब तक उनके भावी जीवन का उद्देश्य और कार्य निर्धारित हो चुका था। लंदन में अध्ययन के दरमियान डॉ. अम्बेडकर की मुलाकात मॉटेग्यू से हुई जो ब्रिटिश सरकार के उच्च पदाधिकारी थे। सर मॉटेग्यू ने डॉ. अम्बेडकर को सलाह दी कि वे बम्बई लेजिस्लेटिव असेम्बली में सदस्य के नाते बैठे। उन्होंने कहा कि इस हेतु आवश्यक सिफारिश कर देंगे तथा बम्बई के गर्वनर आपकी नियुक्ति करेंगे। पर डॉ. अम्बेडकर ने अध्ययन छोड़ असेम्बली सदस्य बनना पसंद नहीं किया। इसका कारण बतलाते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कोल्हापुर के महाराजा साहू क्षत्रपति को पत्र में लिखा, **'मैं अपनी व्यक्तिगत कीर्ति बढ़ाने के लिये मॉटेग्यू साहब की सलाह ठुकरा रहा हूँ, ऐसा कृपया मत सोचिए। मुझे मेरे समाज बंधुओं की सेवा करनी है मेरा विचार है कि सेवा कार्य करने के लिए अधिकाधिक पढ़ाई करना आवश्यक है, इसलिए लगन से अध्ययन करना और बाद में समाजसेवा के लिये उचित नौकरी करना यही भूमिका मुझे प्रिय है।'**[5]

20 जुलाई 1924 ई. में डॉ. अम्बेडकर ने **'बहिष्कृत हितकारिणी सभा'** की स्थापना बम्बई में की। इसका उद्देश्य था, दलितों में शिक्षा का प्रसार, वाचनालयों की स्थापना, समाज केन्द्रों और छात्रावासों को खोलना तथा अन्य कठिनाईयों पर ध्यान देना। **सन् 1927 में 'बहिष्कृत भारत' नामक मराठी पत्रिका** का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्र के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर दलितों की समस्याओं को उठाते रहे और दलितों को आन्दोलन के लिए तैयार भी करते रहे। दिसम्बर 1927 में डॉ. अम्बेडकर ने महानगर पालिका क्षेत्र में पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन को अछूतें के लिए निषिद्ध करने के विरोध में सत्याग्रह किया तथा उन्होंने अपने समर्थकों के साथ **चावदार तालाब** में जाकर पानी पीया।

चावदार तालाब आन्दोलन – चावदार तालाब में जाकर पानी पीना समानता प्रदर्शित करने की प्रतीकात्मक पहल थी। डॉ. अम्बेडकर ने 25 दिसम्बर 1927 को चावदार तालाब में पानी पीने के लिए अपने साथियों के साथ कूच किया। उन्होंने उसके पूर्व भाषण देते हुए कहा **'हमनें चावदार तालाब का पानी नहीं पीया तो हमारी जान के लाले पड़ जाएँगे ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये दिखा देना चाहते हैं कि ओरों की तरह हम भी इंसान है। यह सभा समता का श्री गणेश करने के लिए बुलाई गई है। हम यहाँ उस आन्दोलन का मुहूर्त खम्भ गाड़ना चाहते है।'**[6]

मनुस्मृति ने वर्णाश्रम व्यवस्था को मजबूती प्रदान की तथा सामाजिक संरचना में वर्ण की पवित्रता का उपदेश दिया। दिसम्बर 1927 में संपन्न सम्मेलन में दो प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव का आशय था कि **'मनुष्य जन्म से समान पैदा होता है मरने तक उन्हें समान ही रहना चाहिए।'** दूसरा प्रस्ताव स्वाभाविक रूप से पहले प्रस्ताव का अनुपूरक था। यह प्रस्ताव था **मनुस्मृति के दहन का।** इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद पूर्व से तैयार दहन कुण्ड में मनुस्मृति रखी गई और अस्पृश्य समाज के साधुओं ने विधिपूर्वक दाह संस्कार किया। मनुस्मृति को जलाना प्रतीकात्मक था। इस कार्य से यह संदेश देना था कि **'दुनिया यह समझ ले कि विषमता का कानून इस भारत में नहीं चलेगा।'**[7] इसी सम्मेलन में पारित एक अन्य प्रस्ताव में यह माँग की गई थी कि पुरोहित कर्म सब जातियों के लिये खुला हुआ है।

दलित महिलाओं को संदेश – डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष दोहरा था। एक ओर वे हिन्दुओं में जातीय समानता के लिये संघर्ष कर रहे थे तो दूसरी ओर वे अस्पृश्य जातियों में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे थे।

27 दिसम्बर 1927 को डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्य महिलाओं की एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि **'वे सब साफ सुथरी रहें। पढ़ी–लिखी उच्च वर्ग की महिलाओं के समान अपने परिधान पहनें, यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं, उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। उन्हें भीतर न आने दें, अपने बेटे–बेटियों को उच्च शिक्षा दें।'**[8]

महार सम्मेलन – महार सम्मेलन का दलित आन्दोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व को स्थापित किया और दलित आन्दोलन को दिशा देने का रूप–रंग दिया। यज्ञोपवीत संस्कार द्विज होने का प्रमाण है। यह संस्कार केवल द्विज लोगों के लिए ही है। डॉ. अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मई 1928 ई. को दापोली गांव में अस्पृश्यों का उपनयन संस्कार किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 600 महार जाति के लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किए। इसी प्रकार अप्रैल 1929 में रत्नागिरी जिले में दलित जाति परिषद का अधिवेशन डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सम्पूर्ण हुआ। इस सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने अपने ब्राह्मण सहयोगी देवराज नायक के सहयोग से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हजारों अछुतों को यज्ञोपवीत धारण करवाया। सन् 1928 में डॉ. अम्बेडकर को साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बम्बई प्रदेश समिति का सदस्य चुना गया। डॉ. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के सम्मुख भारत की भावी संवैधानिक व्यवस्था में दलित वर्गों के हितों और उनके राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित कराने की दृष्टि से **'बहिष्कृत हितकारिणी'** सभा की ओर से मई 1928 को दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। एक प्रतिवेदन में बम्बई प्रदेश में अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए तत्कालीन शासन ने जो कार्य किए हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करते हुए अपनी ओर से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव दिए। दूसरे प्रतिवेदन में विधान मण्डल में 22 सीटें अस्पृश्यों के लिये सुरक्षित रखने की माँग की गई।

मंत्रिमण्डल में दलित प्रतिनिधित्व, फौज, नौसेना, जंगीजहजों पर दलित वर्ग को नौकरियाँ देने तथा प्रदेश की आय में दलित वर्ग की शिक्षा पर खर्च करने की माँग रखी गई।

डॉ. अम्बेडकर का पूरा संघर्ष दलितवर्ग के उत्थान व उनके उचित सम्मान के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वीकृति दिलाने के लिए था। वे इस कार्य के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। हिन्दू समाज के अन्दर अथवा उससे बाहर इससे पूर्व **सन् 1919 में मोन्टफोर्ड सुधारों** के संदर्भ में गठित **साउथब्रो कमीशन** के सम्मुख भी डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर पृथक **निर्वाचन मण्डल** व्यवस्था की सुरक्षित स्थान और दलितों के प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार केवल दलितों को ही देने की माँग की थी।

कालाराम मन्दिर प्रवेश सत्याग्रह – अस्पृश्यों द्वारा मन्दिर में प्रवेश का मुद्दा स्पृश्य समाज में सदैव संवेदनशील रहा है। डॉ. अम्बेडकर इस मत के थे कि हिन्दू मन्दिरों में अस्पृश्य एवं दलितों का प्रवेश बिना रोक–टोक होना चाहिए। उनका मत था कि मन्दिर की मूर्तियाँ किसी के छून से न तो अपवित्र होती है और न उन पर उसका कोई विलोम प्रभाव पड़ता है। डॉ. अम्बेडकर ने

दलितों के लिये अलग से मन्दिर बनवाने की किसी भी व्यवस्था के विरोधी थे। उनका मत था कि मन्दिर सार्वजनिक पूजा के स्थान होते हैं। उनमें समूचे हिन्दू समाज की भावना जुड़ी है। तब उनमें कुछ हिन्दू प्रवेश करें और कुछ के लिए वर्जित हो, यह बात गले नहीं उतरती। हिन्दू धर्म केवल सवर्णों के लिये नहीं हो सकता, वह सबके लिए है। इसी शुद्ध और न्यायोचित सोच को ध्यान में रखकर मार्च **1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया गया।** नासिक में भगवान राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति काले पत्थर की है इसलिए उसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। उनके दर्शन करने के लिए अम्बेडकर के नेतृत्व में 15 हजार स्त्री-पुरूषों ने एक होकर दर्शन की अनुमति न दिये जाने पर सत्याग्रह प्रारम्भ किया। यह सत्याग्रह एक माह तक चला तत्काल सफलता नहीं मिली पर संघर्ष चलता रहा। अन्त में अक्टूबर 1935 में मंदिर प्रवेश का कानून बना और मंदिर के द्वार दलितों और अस्पृश्य लोगों के लिए खोल दिये गये।

प्रथम गोलमेज परिषद् – सन् 1930 में डॉ. अम्बेडकर ने **'प्रथम गोलमेज परिषद्'** जिसका आयोजन लन्दन में किया गया था, में भाग लिया। सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने समान नागरिक अधिकार, दलितों के सामाजिक बहिष्कार और बहिष्कार की धमकी पर दण्ड का प्रावधान, दलितों को विधानसभाओं एवं सरकारी नौकरियों में समुचित प्रतिनिधित्व तथा पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों के खिलाफ संरक्षण, मंत्रिमण्डल में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व आदि माँगों को रखा। इसी प्रकार द्वितीय गोलमेज परिषद् 1934 में भी डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल और प्रतिनिधित्व की माँग की। यह दुर्भाग्य था कि इन मुद्दों पर भारतीय नेताओं में कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी। इसके परिणामस्वरूप 1932 में ब्रिटिश सरकार ने **एवार्ड (साम्प्रदायिक परिनिर्णय/पंचाट) की घोषणा की।** इसके अनुसार दलितों के पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया तथा दलितों को सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अतिरिक्त सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने की छूट दी गई।

पूना-पैक्ट (1932) – कम्युनल एवार्ड वास्तव में दलितों को अन्य हिन्दूओं से पृथक करने वाली व्यवस्था साबित होने वाली थी, क्योंकि इसके द्वारा दलितों को अल्पसंख्यक माना गया था। परिणाम स्वरूप गाँधीजी ने कम्युनल अवार्ड के विरोध में **पूना स्थित यरवदा जेल में** अनशन प्रारम्भ किया। इस अनशन के कारण समूचे देश का राजनीतिक वातावरण उत्तेजित हुआ और कई नेतागण तथा प्रबुद्ध लोगों से मिलकर समस्या के समाधान का रास्तान निकालने की पहल की। अंतत: महात्मा गाँधी और डॉ. अम्बेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना-पैक्ट हुआ, जिसके अनुसार काँग्रेस ने अपने स्तर पर दलितों को पृथक से सीटें देने की व्यवस्था की।

अक्टूबर 1935 का ऐतिहासिक येवला सम्मेलन – अभी तक के अस्पृश्यता विरोधी और दलितों के उत्थान के लिए किये गए प्रयत्नों और सत्याग्रहों के प्रति सवर्ण हिन्दूओं, विशेषत: कट्टरपंथियों की प्रतिक्रिया प्रतिगामी और उग्र थी। कई बार डॉ. अम्बेडकर पर छुटपुट हमले भी किये गये। न्यायोचित और मानवीय तर्कों को भी नहीं सूना गया। सवर्ण लोगों द्वारा अपमान, उपेक्षा, उत्पीड़न, अस्पृश्य वर्ग के लिये सामान्य व्यवहार हो गया था। इन सबकी प्रतिक्रिया यह हुई कि येवला शहर में अस्पृश्यों की राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों का पुनरावलोकन करने के लिए **अक्टूबर 1935 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया।** उस सम्मेलन में भाग लेते हुए डॉ. अम्बेडकर ने उपस्थित लोगों को समझाया कि दलितों की उपेक्षा, अनादर और उत्पीड़न का कारण यह है कि हम हिन्दू धर्मावलंबी हैं। उन्होंने उसी सम्मेलन में **प्रतिज्ञा करते हुये कहा कि 'मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ, क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं है, मगर मैं हिन्दू धर्मावलंबी रहकर नहीं मरूँगा।'**

संवैधानिक व्यवस्थाएँ – दलितों के संघर्ष को मजबूती देने की दृष्टि से उन्होंने सन् **1936 में 'इण्डिपेन्डेट लेबर पार्टी की स्थापना की** और माँग रखी कि महार जाति के जवानों को फौज में भर्ती किया जाना चाहिए। इसके लिए डॉ. अम्बेडकर ने 1941 में प्रयत्न किये जिसमें उन्हें सफलता मिली। **सन् 1942 में डॉ. अम्बेडकर को वायसराय की काउन्सिल में श्रम सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। कौंसिल के सदस्य के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिक सुरक्षा और गर्भवती महिलाओं के लिये तीन माह का सवेतन अवकाश का प्रावधान किया।'**[9] यहां अस्पृश्य समाज के हित उनके लिए सर्वोपरि था। स्टेफर्ड क्रिप्समिशन मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन के सम्मुख चर्चा में डॉ. अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ इस तथ्य को रखा कि भारत में कोई भी योजना अस्पृश्य समाज के परामर्श के बिना थोपी नहीं जानी चाहिए। **डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि –'अस्पृश्य समाज को बराबरी का दर्जा दिलवाने में सफलता पाना ही मेरी उपलब्धि है। यदि हमारे समाज का भविष्य सुधारने के मेरे प्रयत्न सफल न हो पाने का मुझे तनिक भी संदेह हुआ तो मैं इस अधिकारी पद से चिपका नहीं रहूँगा। वरन् तुरन्त त्याग पत्र देकर बाहर आ जाऊँगा।'**[10] श्रम मंत्री की हैसियत से डॉ. अम्बेडकर ने एक पत्र लार्ड लिनलिथगो को भेजा जिसमें अस्पृश्य वर्ग के उत्थान के लिए ये माँगें रखी –

1. आई.सी.एस. (वर्तमान आई.ए.एस.) नौकरी में अस्पृश्यों का अनुपात बढ़ाया जाये।
2. अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए कुछ नीति निर्धारित की जाये।
3. जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों की तरह अस्पृश्यों को नौकरियाँ देने के सन् 1934 के निर्णयों को लागू किया जाये।
4. दलित छात्रों के लिए लंदन में कुछ स्थान आरक्षित किये जाये।
5. केन्द्रीय एसेम्बली में अस्पृश्यों की संख्या बढ़ाई जाये।
6. एक्जीक्यूटिव कौंसिल में एक के स्थान पर दो अस्पृश्य सदस्य रखे जाये।

स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। तथा उन्हीं दिनों उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान में दलितों के लिए विभिन्न उपलब्धों की उपस्थिति डॉ. अम्बेडकर का योगदान है।

डॉ. अम्बेडकर का लेखन – डॉ. अम्बेडकर ने अपने चिन्तनपूर्ण लेखन द्वारा सामाजिक विषमता के विरोध में देशव्यापी वातावरण निर्मित किया। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति प्रथा, अस्पृश्यता की समाप्ति आदि के संबंध मं ठोस तर्क प्रस्तुत किये और समतामूलक न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए वैचारिक आधार प्रस्तुत किया।

प्रश्न यह है कि शूद्र कौन ? डॉ. अम्बेडकर ने 'हु द शूद्राज: हाउ देकेम टू बी द फोर्थ वर्णा इन द इण्डो आर्यन सोसायटी' नामक पुस्तक में उन तथ्यों को खोजने की कोशिश की कि शूद्र कौन थे ? तथा वे किस प्रकार समाज रचना में इतने निम्न स्तर पर पहुँच गये। अम्बेडकर के अनुसार शूद्र मूलत:आर्य ही थे। **वे इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी क्षत्रीय थे।** ब्राह्मणों द्वारा पारस्परिक संघर्ष के कारण उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिये जाने के कारण वे इस अवस्था को प्राप्त हुए। डॉ. अम्बेडकर का तर्क है कि प्रारम्भ में हिन्दू समाज में तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रीय और वैश्य थे। इन तीनों में सामाजिक, आर्थिक वर्चस्व के लिए परस्पर में संघर्ष होता रहा।

वेणु, पुरूरवा, नहुश, निमि, पिजावर, सुदास ये सभी राजा आर्य थे। इन राजाओं का विशेषता सुदास का ब्राह्मणों से संघर्ष चलता रहा है। विश्वामित्र सुदास के पुरोहित थे। वे स्वयं क्षत्रिय वंश के थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ में जो ब्राह्मण थे, संघर्ष था क्योंकि सुदास वशिष्ठ की अपेक्षा विश्वामित्र को अधिक सम्मान देते थे। अत: ब्राह्मणों ने सुदास के वंशजों का उपनयन संस्कार बन्द कर दिया। कालान्तर में इस वंश के वंशज शूद्र कहलायें और समाज व्यवस्था में चौथे वर्ण का प्रारम्भ हुआ।

'कास्ट्स इन इण्डिया: द मैकेनिज्म जैनेसिस एण्ड डेवलपमेन्ट' नामक पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने जाति, उसकी उत्पत्ति, रचना, विकास निरन्तरता आदि की व्याख्या की है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक विकास क्रम में ब्राह्मणों ने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अन्य समूहों के साथ वैवाहिक संबंध बन्द कर दिए। ब्राह्मणों के समान ही उनकी देखा-देखी अन्य समूहों ने भी ऐसा ही किया, फलत: जाति व्यवस्था का उदय हुआ।

एनिहिलेशन ऑफ कास्ट – सन् 1936 में अम्बेडकर लाहौर में जात-पात तोड़कर मण्डल के अधिवेशन में अध्यक्षता करने के लिए जाने वाले थे। उन्हें जब पता चला कि उनके अध्यक्षीय भाषण पर प्रतिबंध लगने वाला है तो वे वहाँ नहीं गए। इसी प्रस्तावित अध्यक्षीय भाषण को डॉ. अम्बेडकर ने **'इनहिलेशन ऑफ कास्ट'** नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने वर्णाश्रम व्यवस्था को समाप्त करने की माँग की। इस पुस्तक में उन्होंने जाति प्रथा को अवैज्ञानिक निरूपित करते हुए स्वस्थ और समतामूलक समाज रचना का समर्थन किया।

सच्चे अर्थों में डॉ. अम्बेडकर ने दलित चेतना और सामाजिक समरसता कायम करने का भागीरथी प्रयास किया है। डॉ. अम्बेडकर एक सच्चे देशभक्त और महान मानवतावादी और सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे।

डी.आर.निम ने कहा है कि –'डॉ. अम्बेडकर इस देश के युग परिवर्तनकारी महामानव थे। उनमें अपार विद्या, अगाध ज्ञान, प्रकाण्ड पांडित्य, आश्चर्यजनक अध्ययन शीलता, विस्मयकारी स्मरण शक्ति, विशुद्ध राष्ट्रभक्ति, न्यायशीलता, स्पष्टवादिता, सहनशीलता, कष्ट सहिष्णुता, निर्भीकता तथा उच्चकोटि की सभ्यता तथा सज्जनता थी।'[11]

भारत के दलितों और पीड़ितों को जीवन का संदेश देकर उठकर आगे बढ़ोय की संगीत लहरी सुनाकर, उन्हें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाकर, मृत्यु से अमरत्व का पथ दिखाकर भारत माता के सच्चे सपूत डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की हृदय तंत्री को जो झंकृत किया था। आज उनमें से मधुर संगीत निकलने लगा हैं। जिसे सुनकर मानवता प्रेमियों का हृदय आन्दोलित हो उठता है युग की विचार धारा में परिवर्तन उपस्थित कर देने वाले ऐसे महापुरूष को भारत माता कभी-कभी ही जन्म देती है। देश का कल्याण चाहने वाले सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के बताये हुए पथ का अनुसरण करें –

'शिक्षित बनों, संगठित हो, संघर्ष करो।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिनचंद्र।
2. भीमराव अम्बेडकर डॉ. डब्ल्यू. एन.कुबेर।
3. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन – गोविन्द प्रसाद शर्मा पृष्ठ क्र. 156
4. प्रमुख राजनीतिक विचारक एवं विचार धाराएँ – डॉ. ओम नागपाल एवं श्रीमती वीना नागपाल पृष्ठ क्र. – 99
5. भारतीय समाज और विचारधारा – डी.आर. जाटवा पृष्ठ क्र.-67
6. डॉ. अम्बेडकर जीवन और दर्शन – राजेन्द्र मोहन भटनागर, पृष्ठ क्र. 45
7. भारत सपूत डॉ. भीमराव अम्बेडकर – डॉ. अशोक मोडक पृष्ठ क्र-14
8. बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर – बसंत मून पृष्ठ क्र-42
9. डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विचार डॉ. राम गोपाल सिंह।
10. बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर दत्तों पंथ ठेंगड़ी।
11. द ग्रेट थिंकर्स ऑफ इण्डिया वारेन्ट ग्रोवर।
12. पत्रकारिता के युग निर्माता-भीमराव अम्बेडकर सूर्य नारायण रणसूभे।
13. डॉ. अम्बेडकर-सामाजिक, आर्थिक, विचार दर्शन सं-डॉ. बालकृष्ण पंजाबी
14. डॉ. अम्बेडकर जीवन और दर्शन – राजेन्द्र मोहन भटनागर पृष्ठ क्र. – 56
15. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन -गोविन्द प्रसाद शर्मा पृष्ठ क्र-167
16. बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर – बसंत मून पृष्ठ क्र. – 128
17. प्रमुख राजनीतिक विचारक एवं विचार धाराएँ-डॉ.ओम नागपाल एवं श्रीमती वीना नागपाल पृष्ठ क्र. 103

****

'आदमी का जहर' उपन्यास में चित्रित सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ

डॉ. ज्योति सिंह *

प्रस्तावना – 'आदमी का जहर' श्री लाल शुक्ल के अपने दो अन्य उपन्यासों से नितान्त भिन्न उपन्यास है। उपन्यास की पूर्व टिप्पणी में ही लेखक ने स्पष्ट रूप से यह संकेत कर दिया है–

'इस उपन्यास में दस्तावस्की से लेकर निर्मल वर्मा तक के उपन्यासकारों की शैली से भिन्न इस उपन्यास की प्रस्तुति है।'

अपनी लेखन शैली में यह उपन्यास जासूसी उपन्यास मालूम पड़ता है। मेरी दृष्टि में वस्तुत: शैली को छोड़कर (जासूसी) और उसके ट्रीटमेन्ट को दृष्टि में रखकर इसमें जासूसी उपन्यास की अन्य विशेषताएँ नहीं हैं। हांलाकि उत्सुकता जागृत करने के लिए जासूसी ढंग का उपयोग अवश्य किया गया है।इसमें सी0आई0डी0 पुलिस और जासूसी छानबीन के सभी तरीकों का उपयोग मिल जायेगा, परन्तु यह अपने सम्पूर्ण रूप में सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में ही रखा जाने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास के अर्न्तगत आज के नगरीय सभ्यता के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक द्विविधा, विसंगतियाँ और विघटन उत्पन्न हो जाता है उसी का सजीव एवं तथ्यात्मक वर्णन हमें मिलेगा।

श्री लाल शुक्ल का उपन्यास 'आदमी का जहर' बहिर्मुख वर्णन प्रधान उपन्यास है। जीवन का बहिर्मुख्ष वर्णन करने वाला उपन्यास पात्र एवं उसके क्रिया–कलापों को सामाजिक भूमिका में देखता है। उसका धरातल भौतिक होता है इसलिए जीवन का व्यवहारिक पक्ष ही उसका प्रतिपाद्य बन पाता है। व्यक्ति का जीवन समूह सापेक्ष्य है, वह समाज का प्राणी है, और सामाजिक–परिस्थितियों के प्रकाश में ही उसका चरित्र स्पष्ट हो पाता है। यह बात नहीं कि इस प्रकार के चित्रण में पात्रों के मनोविकारों एवं अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं रहता, ऐसा होने पर तो उपन्यास का कोई मानवीय मूल्य ही न रह जाएगा। मनोविकार उठते हैं, परन्तु उनका संबंध अधिकतर चेतना के ऊपरी स्तर से रहता है। उनमें प्रधानता बाह्य द्वन्दों की होती है, अन्तर्द्वन्द की नहीं। यही कारण है कि इस प्रकार के उपन्यास अत्यधिक जीवन्त एवं विश्वसनीय होते हैं। उनमें रंजन शक्ति भी अधिक होती है क्योंकि चरित्र घटना सापेक्ष्य होते हैं।

'आदमी का जहर' उपन्यास के लेखक में सच्चे यथार्थ की संवेदना है और रचनात्मक ईमानदारी है। उसने आज के शहरी जिन्दगी का यथार्थ चित्र उभारा है। आज का शहरी समाज पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। परन्तु इस सभ्यता से प्रभावित होकर समाज में केवल विघटन और विसंगतियाँ ही उत्पन्न हुई हैं। एक ओर भारतीय संस्कृति संस्कार रूप में प्रगाढ़ हो गई है, दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता का बाह्य आवरण भी समाज ने डाल लिया है। ऐसी द्विविधा की स्थिति में समाज का जीवन अधिक जटिल हो गया है।

लेखक ने उपन्यास के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि शहर के रहने वाले फैशन परस्त योरोपिय सभ्यता से अधिक प्रभावित हैं। बाह्य रूप में हम उस सभ्यता से भले ही प्रभावित हों परन्तु आन्तरिक रूप से हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हरिश्चन्द्र कथा के प्रारम्भ में ही एक अपटूडेट आदमी के रूप में सामने आता है। कार में चढ़कर अपनी पत्नी रूबी के साथ रेस्तरां और होटलों में खाना खाने जाता है। वहाँ कॉफी और बियर का दौर चलता है–

'बैरे ने मेज से जूठी प्लेटे, नैप्कीन, छुरी आदि हटा लिए। मेरे लिए कॉफी लाओ, आपके लिए बियर या जिन'। पति–पत्नी दोनों ही अत्याधुनिक हैं परन्तु आन्तरिक रूप से वे अपने संस्कारों से प्रभावित हैं। हरिश्चन्द्र यह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी पत्नी रूबी उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी अनुपस्थिति में पर पुरूष के साथ घूमे या बातचीत करे। रूबी के यह कहने पर कि आज उसे ललितकला एकेडमी जाना है हरिश्चन्द्र चौंक जाता है। यहीं से दोनों के मन में खिंचाव एवं अन्तर्द्वन्द्व का प्रारम्भ हो जाता है। स्पष्ट है कि जहाँ पर बाह्य और अन्तर का सामंजस्य नहीं है वहाँ पर समाज में विघटन और टूटन आयेगा ही।

लेखक में यथार्थ की संवेदनशीलता और रचनात्मक ईमानदारी है। वह स्वयं पर्दे के पीछे होकर नगरीय समाज का फोटोग्राफ प्रस्तुत करता है। लेखक प्रेमचन्द की विचारधाराओं से प्रभावित तो है, परन्तु उसकी एक विशेष शैली है और कथानक की भूमि बनाई है शहर को। 'आदमी का जहर' यद्यपि सामाजिक उपन्यास है तथापि इसका प्रस्तुतीकरण जासूसी पैटर्न पर है। कौतूहल के साथ–साथ समाज की सारी समस्याएँ भी सामने आती जाती हैं। लेखक ने समाज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, व्याभिचार एवं आर्थिक शोषण आदि मुद्दों पर प्रकाश डाला है।

लेखक ने प्रेम और यौन समस्या को उभारा है। शहरों में जहाँ नारी समाज स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहा है, वहीं अनैतिकता और व्याभिचार भी बढ़ रहा है। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। वहाँ प्रेम और विवाह स्वेच्छा से होता है। परन्तु यहाँ इस प्रकार की स्वतन्त्रता से सफलता और सुख प्राप्त नहीं हो पाता। आज शहर में रहने वाली लड़कियों को पूरी स्वतन्त्रता है। वे लड़कों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। उनके साथ स्वतन्त्र रूप से घूमती हैं। उनकी मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। लेखक यह बता देना चाहता है कि इस प्रकार की स्वतंत्रता में आंशिक सफलता ही प्राप्त होती है। रूबी आनन्द से प्रेम करती है। किन्हीं कारणों से आनन्द से विवाह नहीं हो पाता। परन्तु बात आगे बढ़ जाती है –

'मुझे पता लगा मैं मॉ बनने वाली हूँ पर उस वक्त मुझे घबराहट नहीं हुई। मैंने आनन्द को खत भेजकर सारी बातें बता दी थी। उसने जवाब भेजा वह शीघ्र ही आकर शादी की रस्म पूरी कर लेगा, मेरी तरफ से कल तक जो एक स्वाभाविक व्यवहार की बात थी, वही जब अचानक अपराध बन गई और मेरे लिए यह लाजमी हो गया कि मैं झूठ का सहारा लूँ।'[2]

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

हमारे समाज में यदि एक ओर नारी को स्वतंत्रता प्राप्त है तो दूसरी ओर सामाजिक दृष्टि से अनैतिक व्यापारों का जन्म भी हो रहा है। परिणाम स्वरूप नारी जीवन सामाजिक दृष्टि से मूल्यहीन हो रहा है। सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं। रूबी विवाह के पूर्व ही पुत्र जन्म की बात को बिल्कुल छिपा देना चाहती है और हरिश्चन्द्र से विवाह कर आदर्श सामाजिक जीवन जीना चाहती है। संदीप रूबी का पुत्र है इस बात को छिपाने के लिये झूठ का सहारा लेती है। उसे भय है कि उसका पति हरिश्चन्द्र इस बात को जान न जाए। उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा या नहीं? रूबी एक विशेष कुंठा से ग्रसित है। वह द्विविधा की स्थिति में जी रही है। हमारे समाज ने पाश्चात्य सभ्यता के बाह्य रंग को तो ग्रहण अवश्य किया है परन्तु अपनी संस्कृति पर आधारित नैतिक मूल्यों को भी नहीं छोड़ सका है। जहाँ पाश्चात्य सभ्यता में सब कुछ ठीक है वहीं हमारी संस्कृति में अनैतिक है। अत: इस असमंजस्य की स्थिति में जीवन नारकीय हो गया है।

'मैं भारी से भारी मुसीबत झेल सकती हूँ – जब मुझे यह यकीन हो जाय कि तुमने मुझे माफ कर दिया है।'[3] मैं जानती थी कि वे पिछले दिन मुझसे बदला जरूर लेंगे। लेखक ने आधुनिकता के पीछे भागने वाली आधुनिकाओं का सही चित्र प्रस्तुत किया है। अजीत सिंह जो एक पत्रकार है रूबी की सारी कमजोरियों को जानता है। कहीं वह उसका पर्दाफाश न कर दे रूबी उसे खूब पैसे देकर मुँह बन्द करना चाहती है –

'मैं यह जानती थी कि मेरे सामाजिक और विवाहित जीवन को खत्म कर देने के लिए इतना काफी था।'

रूबी का छिपकर अजीत सिंह से मिलना और रूपए देना हरिश्चन्द्र के मन में संदेह उत्पन्न कर देता है और अजीत सिंह हरिश्चन्द्र की गोली का शिकार बनता है।

लेखक इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि आज कल हत्या और आत्महत्या इन्हीं सामाजिक विषमताओं के कारण हो रही हैं। हमारे नगरीय समाज में नारियाँ आधुनिका बनने की नकल तो करती हैं पर क्या वे सफल होती हैं? स्वतन्त्रता भी एक सीमा तक अपेक्षित है। 'महादेवी जी' का यह कथन सत्य ही है –

'आधुनिकता की दौड़ में नारी ने खोया अधिक, पाया कम'।

उपन्यासकार ने नारी की प्रेम और यौन सम्बन्धी ज्वलन्त समस्या को उभारा है। क्या इस स्वतन्त्रता से नारी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है? क्या उसे मानसिक सुख प्राप्त हो सकता है?

शहरों में नि:सहाय महिलाओं की सुविधा के लिए महिला आश्रम जैसी संस्थाएँ स्थापित हैं। लेखक कथा के माध्यम से यह बताना चाहता है कि ये संस्थाएँ व्यभिचार, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक शोषण के अड्डे बन गए हैं –

'उन्हीं दिनों लखनऊ के साप्ताहिक 'जनक्रान्ति' में एक संपादकीय छपा था – 'भ्रष्टाचार के अड्डे। इसमें शहर के एक बड़े प्रसिद्ध महिला आश्रम के खिलाफ कई प्रकार के संदेह प्रकट किए गए थे। संपादक ने लिखा था कि – इस महिला आश्रम में जिसका नाम सभी जानते हैं.....लड़कियों को फॅसाकर लाया जाता है। महिला आश्रम की इमारत पुरानी है और इसमें कई ऐसे कमरे हैं जिसमें किसी भी लड़की को आसानी से छिपाकर रखा जा सकता है। उन्हें संस्था के प्रबन्धकों और शहर के दूसरे रईसों के साथ पापाचरण के लिए मजबूर किया जाता है। यह सब कानून की निगाहों के नीचे बरसों से होता आ रहा है।'[4]

शहर के इन आश्रमों का खर्च अधिकतर चन्दे से ही चलता है। चन्दा देने वाले हैं शहर के रईस। चन्दा देकर ये ही रईस इन आश्रमों को व्यभिचार का अड्डा बनाए हुए हैं। उपन्यासकार इस तथ्य को उजागर करना चाहता है कि ये आश्रम पुराने वेश्यालयों से क्या भिन्न हैं? एक ओर वेश्यालय और वेश्यावृत्ति को समाप्त करने का अभियान चल रहा है तो दूसरी ओर समाज की ये पवित्र संस्थाएँ पापाचार की संस्थाएँ बन रही हैं।

महिला आश्रम की लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस गहलोत अति आधुनिक महिला हैं। विचारों में मॉ–बाप से सदैव टकराव रहा है। इसीलिए स्वतन्त्र रूप से रहकर समाज की सेवा करने की इच्छा से ही यह कार्यभार सम्हाला है। आज की नारी की मानसिकता कुछ भिन्न है। वह दोहरे व्यक्तित्व में जीना चाहती है। अनुचित माध्यम से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहती है।

शान्तिस्वरूप, जो शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं उनके साथ मिस गहलोत का अनैतिक सम्बन्ध है। महिला आश्रम की अनाथ लड़कियों और स्त्रियों को हर घिनौने कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं।

लेखक ने शहरी समाज का स्पष्ट नक्शा खींचा है। शहर के रईस अनैतिक कार्य को अनैतिक ही समझते हैं, अत: हर कुछ छिपकर करना चाहते हैं। यहाँ बाह्य रूप में सब व्यवस्थित है, सुन्दर हैं सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, परन्तु यदि उसकी पर्तो को उघाड़ा जाय तो यह पता लगेगा कि शहरों का सामाजिक ढाँचा बिल्कुल खोखला है जो समाज को पतन की ओर ले जा रहा है।

शहरों में बड़े–बड़े अस्पताल हैं। यहाँ भी वही अव्यवस्था। कोई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। यहाँ भी भ्रष्टाचार का ही बोल बाला है, डॉक्टर और नर्से भी लापरवाह हैं –

'अस्पतालों का स्टॉफ कितना निकम्मा और गैर जिम्मेदार है।'[5]

अस्पताल में ही अजीत सिंह को कोई व्यक्ति जहर दे देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अस्पताल की नर्सों की ओर भी लेखक ने ध्यान आकर्षित करवाया है। समाज इनको अच्छी निगाह से नहीं देखता। ये स्वयं भी अपने को हीन समझने लगती हैं। उनमें भी कुंठा आ जाती है। वे अपने को कमजोर समझने लगती हैं। अत: अस्पताल और नर्सों के घर भी व्यभिचार के अड्डे बन गए हैं।

लेखक ने हरिसिंह के चरित्र को उभार कर गाँवों के रईस जमींदारों का भी चरित्र उभारा है। आज भी गाँवों में कुछ रईस हैं जो पैसे के जोर से व्यभिचार और अनाचार करने में तनिक भी नहीं हिचकते। गाँवों में अनैतिकता और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। अब केन्द्र हो गया है शहर। इसीलिए गाँव के विलासी व्यक्ति शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। गाँव के लोग शहर को भ्रष्टाचार का केन्द्र समझते हैं।

'आदमी का जहर' उपन्यास में अजीत सिंह के चरित्र को उभार कर लेखक यहाँ बताना चाहता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे समूचे समाज को विषाक्त बनाने पर तुले हुए हैं। अजीत सिंह पूरे उपन्यास की कथा उपकथा में छाया हुआ है, एक गन्दे आदमी के रूप में। 'अजीत सिंह एक गन्दा आदमी था। उसके फ्लैट में मिली तस्वीरें जाहिर करती हैं कि उसका कोई भी दुश्मन हो सकता है....दुश्मनी की वजह.....किसी माशुका के पीछे दुश्मनी।'[6]

अजीत सिंह ऐसा आदमी है जो शहर के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढाँचे को कमजोर कर रहा है। वह 'जनक्रान्ति पत्रिका' का सम्पादक है। आज समाज की बागडोर सम्हालने वाले लोग ही समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप समाज में विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। शहरी समाज में ब्लेकमेल की घटनाएँ हो रही हैं जिससे नैतिक मूल्य लगभग समाप्त हो रहे हैं। आज का आदमी व्यक्तिगत स्वार्थो के पीछे दूसरों की जिन्दगी बिगाड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकता। अजीत सिंह हरिश्चन्द्र और रूबी के वैवाहिक और सामाजिक जीवन को नष्ट करने का प्रयास करता है – केवल पैसों के लिए।

चरित्र का महत्व घट गया है पैसे का मूल्य बढ़ रहा है आधुनिक समाज में।

अजीत सिंह रूबी के विगत जीवन की कुछ कमजोरियों और भूलों को जानता है। अत: वह रूबी को धमकाता है और उससे मनमानी रूपये लेता है। समाज के सभ्य कहलाने वाले पुरूष ही समाज के लिए समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं। हर गलती के लिए क्या नारी ही जिम्मेदार है? क्या पुरूष उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? पुरूष नारी की समस्याओं का समाधान न ढूँढ़ कर उसे नारकीय जीवन बिताने के लिए बाध्य कर देता है।

शहरी समाज में नारी की प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। वह कहीं भी अपने को सुरक्षित नहीं पा रही है। वह मात्र पुरूषों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' की स्थिति आज नहीं है। आज पुरूष नारी को देव स्वरूपा नहीं समझता और न ही नारी अपनी गरिमा को सुरक्षित रख पा रही है। अजीत सिंह रूबी की सामाजिक प्रतिष्ठा गिरा देता है। रूबी की एक भूल का गलत लाभ उठाना चाहता है। 'वह मुझे बराबर भय दिखाता था कि 'जनक्रान्ति' में वह मेरे पिछले जीवन के बारे में एक कहानी छापेगा... मैं जानती थी कि मेरे सामाजिक जीवन को खत्म करने के लिए इतना काफी होगा... वह मुझसे रूपया ही नहीं चाहता था यदि मैं उसकी बात मानती तो वह मुझे अपनी प्रेमिका बनाकर रखता...वह चाहता था कि मैं उसे रूपया ढूँ....दूसरी इच्छाओं को पूरा करूँ....'[7]

उपन्यासकार ने समूचे समाज की अव्यवस्था में अर्थ को ही प्रमुख कारण बताया है। अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। आज का आदमी इतना जहरीला क्यों हो गया है। इसके मूल में है धनी समाज में आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप सामाजिक शोषण हो रहा है। प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का अंग है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो – पैसा प्राप्त करने का तरीका कुछ भी हो। लोगों की आम धारणा बन गई है कि पैसे से ही मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा है। ऐसा है भी – जिसके पास धन है उन्हीं की समाज में प्रतिष्ठा है। इसलिए धन की ही लूट खसोट समाज में चल रही है। माध्यम कैसा भी हो। अधिक धन संग्रह करके व्यक्ति ही समाज में अनीति और भ्रष्टाचार फैलाए हुए है। अजीत सिंह जनक्रान्ति का संपादक है। इस साप्ताहिक के माध्यम से उसने लखनऊ के मशहूर लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। हरिश्चन्द्र की पत्नी रूबी के साथ ब्लैकमेल करके छिटपुट रकम लेता है। उसे बराबर धमकाता रहता है कि उसे यदि वह रूपये न देगी तो हरिश्चन्द से उसके विगत जीवन की सारी कहानी का भंडाफोड़ कर देगा।

आज सारा ढाँचा ही बिगड़ गया है। उसके मूल में है अर्थ और अर्थलोलुपता। पैसे के सामने सारे नैतिक मूल्य समाप्त हो गए हैं। मनुष्य पैसे के कारण दूसरों की जिन्दगी नारकीय बना रहा है। अजीत सिंह रूबी के वैवाहिक जीवन में विष घोलने का कार्य कर रहा है। शहर के उद्योगपति एवं बड़े-बड़े लोगों की पोल वही खोलने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठता है। समाज का इससे अधिक पतन क्या हो सकता है? कि एक संपादक जो समाज की सच्चाईयों को सामने रख कर समाज को जागरूक करता है वही पर अजीत सिंह एक संपादक होकर धन के लालच में भ्रष्ट व्यक्तियों को सच्चे समाज सुधारक के रूप में प्रशंसा करता है। इस सामाजिक अनैतिकता के मूल में है अर्थ। समाज अर्थ से ही मजबूत और व्यवस्थित होता है और अर्थ के ही दुरूपयोग से विघटित होता है। शान्ति स्वरूप और यशवन्त महिला आश्रम जैसी पवित्र संस्था को पापाचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए हैं। जनक्रान्ति का संपादक सब कुछ जानते हुए भी चुप है पैसे के पीछे। नि:संदेह हमारे समाज की अर्थ-व्यवस्था के ही कारण नैतिक शोषण हो रहा है।

हमारे समाज में अर्थ की समान व्यवस्था नहीं है। आर्थिक असमानता के ही कारण जन-साधारण घुट रहा है। ऐश्वर्यशाली भौतिक सुखों में डूबे हुए विलासिता और व्यभिचार का खुलकर उपभोग कर रहे हैं। नीति, अनीति, विवेक-अविवेक का मूल्य इनकी निगाहों में नहीं रह गया है। सारे अनैतिक व्यापार और हत्याओं का कारण यदि हम ढूँढ़े तो कारण होगा धन। मालना की हत्या कर दी जाती है। हत्या करवाने वाले हैं समाज के ऐश्वर्यशाली व्यक्ति। इनको कुछ करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। पैसे के बल पर ये सबका मुँह बन्द कर देते हैं। भयंकर अपराध भी पैसे के कारण दबा दिए जाते हैं।

'बहुत से अपराधों के आरोप में उसका चालान किया गया था, पर ज्यादातर मुकदमें खत्म हो गए....बादशाह के पास काफी रूपया था और वह अच्छा से अच्छा वकील कर सकता था।'[8]

हर व्यक्ति एक अच्छा इन्सान होता है परन्तु आज की अर्थ-व्यवस्था ही ऐसी है कि परिस्थितिवश गरीब आदमी भी विद्रोही हो जाता है। क्या शहरी चमक-दमक और ऐशो-आराम में पलने वाला उच्चवर्गीय समाज विद्रोह और अपराध के लिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है?

'खुद बादशाह का व्यक्तित्व मटमैला और सस्ता नहीं था। वह निहायत साफ-सुथरा और चुस्त इन्सान था।'[9]आर्थिक परिस्थितियों ने उसे अपराधी बना दिया था।

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जहाँ पर आर्थिक विषमता होगी वहाँ अपराध भी अधिक होंगे। चोरी और जालसाजी की घटनाएँ भी अधिक होंगी। बादशाह जज को झाँसा देकर रूपया ले लेता है। मनुष्य बुरा नहीं होता परिस्थितियाँ बुरा बना देती हैं। लेखक मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करता है।

शहरों में कालाबाजारी और तस्करी का धन्धा करने वालों का गिरोह बना हुआ है। ये देश-विदेश की वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं, जिससे देश में आर्थिक असमानता व्याप्त हो रही है, जिसका कुप्रभाव समूचे राष्ट्र पर पड़ रहा है।

उपन्यास जन साहित्य है- इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अत: उपन्यासकार तटस्थ होकर युगीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। श्रीलाल शुक्ल ने आदमी का जहर उपन्यास में वर्तमान युग के शहरी समाज की समस्याओं का यथार्थ पक्ष पाठकों के समक्ष रखा है।

आधुनिक शहरी समाज बाह्य रूप से कितना आकर्षक और उन्नत दिख रहा है परन्तु उसके सारे नैतिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं। समाजवादी और मानवतावादी सिद्धांत ढीले हो गए हैं परिणामस्वरूप शहरी जीवन का सम्पूर्ण ढाँचा जर्जरित हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-12
2. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-62
3. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-63
4. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-128
5. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-110
6. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-46
7. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-60
8. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-61
9. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर, पृष्ठ-90

शैलेश मटियानी की कहानियों का भाषाई भूगोल

डॉ. प्रतिभा जोशी *

प्रस्तावना – भाषा को लेकर शैलेशजी का लेखक सजग है। उन्होंने अपनी कहानियों में शब्दों एवं भाषा पर चिंता प्रगट की है। वे कहते–'यू सी द कवैश्चन ऑफ द लैंग्विझ इज द क्रैश्चन ऑफ एग्झिस्टैंस। भाषा का आदमी के जान माल से भी वास्ता है। भाषा आदमी के अस्तित्व का निर्माण करती है। वह उसकी अस्मिता होती है। वकील साहब के माध्यम से लेखक कहता है – 'भाषा को सर्वांगीण तरक्की के सवालों से अलग करके देखना ठीक नहीं।'

एक मनुष्य की भाषा से दूसरे मनुष्य की भाषा का भेद अनिवार्य होता है, यह बात पहले अनेकश: स्पष्ट हो चुकी है। वस्तुत: प्रत्येक मनुष्य की अपनी भाषा होती है। एक व्यक्ति का उच्चारण दूसरे से भिन्न होता है, शब्द भिन्न होते है।, यहाँ तक कि वाक्य–रचना के ढंग में भी भेद पाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि –सम्पन्न आलोचक बड़ी आसानी से देख लेते हैं। उनमें बोली का अध्ययन भूगोल से सबसे अधिक सम्बद्ध है। इसलिये आज बोली–भूगोल नाम की भाषा में अधिक–से–अधिक साम्य दिखता है और जो निकट सम्पर्क में नहीं रहते, उनमें अपेक्षाकृत वैशम्य दिखता है। स्थानकृत अंतर के समान सामाजिक अंतर भी भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हुआ करता है। शिक्षितों की भाषा अशिक्षितों की भाषा से भिन्न होती है: धनिकों की भाषा से कुछ भिन्न होती है। इस तरह भाषा–भेद में सामाजिक और भौगोलिक दोनों ही कारण दिखायी देते हैं। बोली –भूगोल के अध्ययन के निम्नलिखित प्रयोजन है। –

किस भाषा के कौर से उल्लेख्य स्थानीय भेद हैं और ये भेद किन कारणों से उत्पन्न हुए हैं, यह जानना।

बोली–भूगोल भाषा के इतिहास के निर्माण में भी कुछ दूर तक सहायक होता है, जैसे–किसी भाषा में कोई रूप कब, क्यों, किस स्थान–विशेष पर विकसित हुआ, यह बताना बोली भूगोल के लिये ही संभव है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि भाषा के इतिहास के निर्माण में बोली–भूगोल का उपयोग सीमित ही है। जब तक लिखित या अन्य माध्यमों से उपलब्ध सामग्री के द्वारा बोली–भूगोल के द्वारा उपस्थापित निष्कर्ष तब अधिक ग्राह्य होते हैं जब भाषा के बोलनेवाले किसी क्षेत्र में बहुत दिनों से बसे हुए हों और साथ ही स्थानकद्ध हों, अर्थात् जल्दी –जल्दी स्थान नहीं बदलते हों, क्योंकि स्थान–परिवर्तन से दूसरी भाषाओं के संपर्क के कारण भाषा में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है और उसके कारण भाषा का अपना रूप बदल जाया करता है। बोली–भूगोल भाषा के अधिक ठोस और विशिष्ट रूप को सामने लाता है, क्योंकि इससे भाषिक समुदायों की तथा भाषिक वैशिष्ट्यों के वितरण की अधिक जानकारी प्राप्त होती है।

मध्यवर्ती पहाड़ी – पहाड़ी क्षेत्र के मध्यभाग में यह बोली जाती है, अत: इसका नाम मध्य पहाड़ी है इसकी प्रमुख दो बोलियाँ हैं– 1 कुमायूँनी और 2 गढ़वाली 1 कुमायूँनी – इसका प्रमुख क्षेत्र कुमायूँ है , इसलिये इसे कुमायूँनी कहते है। अधिक मान्य मत के अनुसार इसका संबंध संस्कृत कुर्मांचल से है।

कुमायूँनी बोली नैनीताल, अलमोड़ा, पिथौरागढ़ ,चमोली तथा उत्तर काशी जिलों में बोली जाती है।

कुमायूँनी में पुराना साहित्य तो नहीं हैं किंतु इधर लगभग डेढ़ सौ वर्षो से साहित्य रचना हुई ह । कुमायूँनी पर राजस्थानी और भेट बोलियों का प्रभाव रहा है। यहाँ के पुराने साहित्यकारों में गुमानी पन्त, कृष्णदत्त पांडे आदि प्रमुख है।

2 गढ़वाली –उत्तराखंड, केदारखंड या तपोभूमि का नाम गढ़वाल है। गढ़वाली टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, अलमोड़ा, सहारनपुर, बिजनौर, तथा मुरादाबाद के कुछ भागों में बोली जाती है।

ग्रामीण भाषा/आंचलिक भाषा – शैलेश जी की कहानियों में कुमायूँ अंचल अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित हैं पहाड़ी जीवन के खड़े शब्दों का प्रयोग ग्रामीणों के कड़े संघर्ष को बोध कराते हैं। यह अहसास भर देते हैं कि पहाड़ी नदी से बहते शब्द अपनी आवाज को खनककर स्वत: ही अर्थो को खोलते चलते हैं। कुमायुँ अंचल के सामाजिक जीवन स्तर पर उनकी कई कहानियाँ हैं। इनमें पहाड़ी भाषा एवं परिवेश से साक्षात्कार होता है।

कथा के लिए शिल्प भी अति आवश्यक है। शिल्प ही वह परिवेश है, कथ्य है जो कथाकार को विषय उपलब्ध कराता है। इसके आधार पर कथाकार कहानी का ताना–बाना बुनता है। समकालीन समय में कथावस्तु ग्रहणकर उससे रची गई कहानियाँ यथार्थ के अधिक निकट लगती है। नागरिक एवं ग्रामीण जीवन की प्रकृति से संचालित संस्कृति शैलेश जी की कहानियों में समानान्तर विद्यमान हैं ग्रामीण जीवन से युक्त कहानी 'प्रेतमुक्ति' की भाषा में ग्रामोचित तद्भव प्रियता विशेष रूप से ध्यातत्व है। – 'महाराज! शास्तरों में तो आत्मा–परमात्मा के ही मंतर लिखे हुए हैं न, आपके चरणें का सेवक ठहरा, दो–चार मन्तर मेरे अपबित्तर कानों में भी पड़ जाये तो मेरी आत्मा का मैल भी छंट जाये। क्या करूं गुसाई? घास खानेवाले पशु बैल नहीं हुए अनाज खाने वाला पशु किसनराम ही हो गया..... महाराज, मरने के बाद आत्मा कहीं 'परलोक' को चली जाती है या इसी लोक में भटकती रह जाती है।' इस तरह ग्रामीण कथानक ने भाषा को ग्राम के अधिक निकट लाने का प्रयास किया है। वैसे तद्भव–प्रियता केवल ग्रामीण कथावस्तु के साथ ही नहीं दिखाई देती बल्कि नागरिक जीवन से ली गई कथावस्तु के साथ भी यह प्रकृति कहीं न कहीं अवश्य दिखाई पड़ती है। शिल्प की दृष्टि से कहानी वर्णन प्रधान, चरित्र प्रधान, घटना हैं उनकी भाषा कहानी के वर्ण्य के साथ पूरा सहयोग करती है। लेखक की भाषा में उसके व्यक्तित्व की छाप है। भाषा के रूप में लेखक स्वयं व्यक्त होता है। किंतु जहाँ पात्र बोलते हैं, लेखक का व्यक्तित्व ओझल हो जाता है।

लोक भाषा (पहाड़ी हिन्दी) – कुमायूँ में प्रचलित मुहावरे एवं लोकाक्ति का प्रयोग पहाड़ों की भाषाई विरासत को प्रदर्शित करते हैं। 'वह तू ही था'

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) क्रिश्चयन ऐमिनेंट महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

कहानी का संवाद–'ऐ हो कथा सुनने वालो। तुम्हारी सोने की काया हो जाए, कि कुल –कलंकिनी राधिका बान सुदंरी का बालपन का सेंतुआ पालने वाला, जन्म का देने वाला, गोदी का खिलाने वाल मर जाए। चन्द्र– लगा ग्रहण छूआ जाता है, कि ऐ हो सुनने वालों, तिरिया—लगा पातक नहीं छूटता।'

राधिका बान को देश का भूमिया देवता बांया हो जाए।'इसमें 'ऐ हो' का सौन्दर्य अपनत्व से भरने वाला है इससे राधिका के लिए दी जाने वाली बदुआएँ भारी, होकर भी हल्की लगने लगती है। 'ऐ हो' शब्द की शक्ति को 'सेतुआ' और 'भूमिया देवता बायाँ होकर भी कम नहीं कर सकता। 'सेतुआ' और 'भूमिया' का देशी ठाठ वाक्यों को भी ठेठ देशी बना देता है।

पहाड़ी भागों में बोली जाने के कारण इसका नाम पहाड़ी पड़ा है! पहाड़ी हिन्दी हिमाचल प्रदेश में भद्रवाह के उत्तर पश्चिम से लेकर नेपाल के पूर्वी भाग तक फैली हुई है। पहाड़ी की बोलियों में साहित्यिक महत्व केवल नेपाली तथा कुछ कुमायूँनी का ही है। अन्यों में लोक साहित्य ही है पहाड़ी हिन्दी के लिये नागरी लिपि का प्रयोग होता है। पूर्वी पहाड़ी में नेपाली आती है।

महानगरीय भाषा – 'जंगल में मंगल' आज की व्यस्त जिदंगी के तमाम पहलुओं को इस तरह पेश करती है कि उसका शिल्प और शैली हिन्दी कथा साहित्य में स्मरणीय हो जाती है । इसमें बस ड्राइवर द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है –'अजी साहब, खड़े रहे आपके दुश्मन! पंदरा पैसे का टिकट आपने खरीदा है, कोई खैरात में थोड़े ही बैठे हैं। हम कण्डक्टर हैं, आपके सेवक हैं। आपने पंदरा पैसे का टिकट न खरीदा होता, श्रीमान् जी तो बंदे के घर की एक रोटी कम हो जाती। आप तो हमारे अन्नदाता हैं–अजी हमारी ही क्या, इस ससुरी पूरी डी.टी.यू. कंपनी की रोजी–रोटी आपके दम से है।'

उनकी भाषा जमीनी है। उन्होंने जिस जमीन से पात्रों को उठाया, उसी जमीनी परिवेश से भाषा एवं मुहावरे ज्यों की त्यों उठा लिए है। इस जमीनी पकड़ के कारण उनकी कहानियों में लोकरस व जमीनी कहानियों के पात्र अपने अस्तित्व के लिऐ जूझते दिखाई देते हैं।

मटियानी जी भाषा के प्रश्न को अनुभव की असमर्थता के साथ जोड़ते है उनका यह कथन कि.....'जो कुछ मैं लिखना चाहता हूँ वह गूंगे की जिव्हा के स्वाद की तरह मेरी भाषा में नहीं आ पाता है और निरंतर मुझे यही लगता है कि नहीं, यह अपने आपको अभिव्यक्त कर पाने की नहीं बल्कि अनुभव न कर पाने की असमर्थता है, उनके भाषागत संघर्ष को उजागर करता है। शायद यह संघर्ष को उजागर करता है । शायद यह संघर्प उनके लिए इसलिये भी गहरा हो जाता है क्योंकि उनकी एक मान्यता है भाषा बाहर कागज पर लिखने, पढ़ने की ही नहीं, अपितु भीतर सुनने की चीज है।

शैलेश ने अपनी जमीनी सोच और भाषा को अपनी कहानियों में प्रमुखता दी है। 'शैलेश मटियानी की कहानियों को पढ़ना उनके सैकड़ों पात्रों की जिन्दगियों से गुजरना है। उनकी कहानियों में गहराई है और कुछ चुनिंदा रचनाओं में वे उस तत्व को छू लेते हैं जहाँ एक साधारण रचना बड़ी और कालजयी होने की क्षमता से भरपूर हो जाती हैं।

शैलेश मटियानी जमीन से जुड़े कथाकार हैं। पहाड़ी परिवेश जिस तरह प्रकृति के हर रूप को अपनी लय में ढालकर गुनगुनाता है। वैसे ही मटियानी की भाषा भी अंचल के अनुसार खनखनाती, गुनगुनाती सुनाई देती है। कहीं कहीं शब्दो का प्रयोग मस्तिष्क को झनझना देता है,कभी लगता है, भाषा का असंस्कृत प्रयोग लेखक को ही गरियाने लगता है। इसके बावजूद भाषा को वे अपनी कुशलता से इस तरह घड़ते हैं कि वह परिवेशजन्य स्थितियों को बखूबी प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाती है।

जमीनी भाषा का इस तरह यथार्थ प्रयोग शैलेशजी के पूर्ववती कहानीकारों ने नहीं किया। उन्होंने जिन दृष्यों और स्थितियों की रचना की है वे प्रभावकारी हैं भाषा प्रयोग के लिये शैलेशजी इतने सजग हैं कि उन्होंने अपनी कहानी–संग्रह की भूमिका एवं कहानियों में भाषा और शब्द को लेकर विचार अभिव्यक्त किए हैं।

मटियानी जी ने भाषा को कई स्तरों पर 'इजाद' करने की कोशिश की है और कई बार असफल भी हुए हैं। भाषा का संकट अपने आपमें बड़ा संकट है। भाषा अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को वहन करने वाला वह रथ है जिसे रचनात्मकता, तेज और अनुभव की अग्नि की संपूर्ण वर्षा को अपने ऊपर झेलना पड़ता है ।

शहरी भाषा – शैलेशजी ने बम्बई में संघर्ष कर जीवन–यापन किया। इस दौर की कहानियों में बम्बईया हिन्दी के शब्दों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया है। 'इल्लेस्वामी' की भाषा की बानगी प्रस्तुत है–'जो काम तुम हमकूं पहली दफा दिया था,कईसा क्या सेठ, उससे भी ये काम करने को अपने को जरा भारी पड़ेगा। कइसा क्या एक तो हम अईसे ही बम्बई से 'तड़ीपार' है, लफड़े में पड़ेगा, तो दो साल बांदा हो जाएगा। वाहरगाम का बात दूसरा है।' मुम्बई की खिचड़ी भाषा का यह प्रयोग फुटपाथी जिदंगी में बहुत देखा जाता है। 'एक कोपचा: दो खारी बिस्किट' का एक संवाद–'उस दिन हम तुमरे से फकत उलफत करने को गया था, मगर अभी मोहब्बत भी हो गया। पण सोचता है, तुम हमरे जिगर पर बिजली बन के गिरा भी तो कड़काई में। क्या आजकल अपना भी पोल–पट्टी चल रिया है?'इस संवाद को किस भाषा का कहा जायेगा? इसे हिन्दी भी नहीं कहा जा सकता। यह मिश्रित भाषा है। जो मुम्बई की झोपड़पट्टी एवं फुटपाथी परिवेश में जन्म लेने वाला बच्चा अपनी मातृ–भाषा के रूप में सीखता है। इसी क्रियोल का एक संवाद 'प्यास' कहानी से उद्धृत है –'बस थई गयो, बाबा। अब जयास्ती मत करो, नहीं तो मर जाएगा छोकरा और अपने को भी खाली–पीली लफड़ा होगा। मारने वाला लोग पण लफडे में पड़ेगा हम।' इसमें मराठी, हिन्दी,पारसी के शब्द इसे मिश्रित भाषा का रूप प्रदान करते है। शैलेशजी ने कहानियों में उर्दू भाषा का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया है।

उसी प्रकार दिल्ली प्रवास के दिनों में दिल्ली की खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग भी शैलेष जी ने किया है। 'जंगल में मंगल' कहानी में ससुरी, रोजी, रेजगारी, मेहरबानी, मुल्क, हिंदुस्तान, जनानियों, मर्दाना शब्दों का प्रयोग हुआ है–''हाँ जी भाई साहब, आपने दो टिकट कहाँ के माँगे थे? जंगेपुरे के? ये लेना जी ओर जरा मेहरबानी करके खुली रेजगारी देना, अब रेजगारी के दर्शन भी दुलर्भ हो गये.....शर्म वालों के दर्शन तो फिर भी कभी–न–कभी हो ही जाते है लेकिन भाई साहब, इस हिन्दुस्तान नाम के मुल्क में तो जो बदत्तर हालात मर्दानों की हैं, उस पर जनानियों को भी आंसू बहाने पड़ते हैं।' कंडक्टर की हाजिर जवाबी में आम फहम शब्दों को दिल्लीवासी न समझेंगे तो कौन समझेगा।

'देट माय फादर बाल जी' कहानी में अंग्रेजी शब्द हिन्दी के व्याकरण में ढलकर भी अर्थ सम्प्रेषण में सक्षम है–''देयर ....एट द स्टॉक एक्सचेंज...टॉप फ्लोर ....सातवीं मंजिल....अपोलो स्ट्रीट,फोर्ट मुम्बई...नंबर वन ....'इसी प्रकार 'ओलनकिट' में–'जंचता नहीं फिर बड़ा वण्डर की बात है, आपने हिन्दी का सांग राइटर यानि शायर होकर इंग्लिश नाम रखा है?'

'दूसरों के लिये' कहानी भी हिन्दी–अंग्रेजी के शब्दों का सम्मिश्रण है।–'मिस्टर जोशी एक्सक्यूजमी। दूसरी शादी की तो सही, मगर आप जैसे आलादर्जे के अफसर के लिये तो सुदर्शन भाभी ही अच्छी थी। .....कट नो

मेटर। जस्ट ट्राई टू मेक हर स्मार्ट एण्ड सोशल।'

महानगरीय भाषा के निम्न तबके और उच्च वर्ग दोनों ही शैलेश जी की कहानियों में व्यक्त हुए हैं और उनके अनुकूल भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है। किन्तु निम्न तबके की भाषा के प्रयोग में लेखक ने अपनी अनुभूति को उतार दिया है। इससे कथन पूरी सत्यता एवं यथार्थ से साक्षात्कार कराते हैं। महानगर मुबंई की भाषा के अलग-अलग दो रूपों के उदाहरण 'रहमतुल्ला' एवं 'मिसेज ग्रीनवुड ' कहानी में देखे जा सकते है -अरी',शौकत की अम्मा! ये गबरू चाचा क्या कैरिये हैं, कुछ सुना तुमने?मैंने तो कल ही तुमसे इल्तजा की थी कि फत्ती के बेटे को हिंया ले आओं।' इसमें अरी, कैरिये, हिंया शब्द एवं वाक्य विन्यास निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

'डियर, एक छोटा सा तुम, एक छोटा-सा हम। बहुत बड़ा बंगला हमको 'सूट' नहीं करने सकता। इस तरह शैलेश मटियानी की सम्मिश्रित भाषा से कहानियों में भाषा का नया और समायोजित रूप देखने को मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शैली विज्ञान - डॉ.सुरेश कुमार।
2. संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण - कामता प्रसाद गुरू।
3. हिन्दी भाषा अतीत से आज तक - डॉ विजय अग्रवाल।
4. भाषा विज्ञान प्रवेश एवं हिन्दी भाषा - भोलानाथ तिवारी।
5. आधुनिक भाषा विज्ञान - राजमणि शर्मा वाणी प्रकाशन।
6. दलित दृष्टि परिप्रश्य।
7. दलित साहित्य के प्रतिमान। डॉ. एन सिंह।
8. दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र - डॉ. शरण कुमार लिम्बाले।
9. उकृट आधुनिकतावाद और दलित साहित्य।
10. दलित साहित्य वेदना और विद्रोह।
11. दलित चेतना की पहचान।
12. अंतिम दशक की हिन्दी कहानियाँ संवेदना और शिल्प। मीरा गौतम।
13. शब्द और मनुष्य। परमान्द श्रीवास्तव।
14. प्राचीन भारत में सामाजिक परिवर्तन । राघवेन्द्र पान्चरी।

****

हिन्दी कथा साहित्य में सामाजिक चेतना

सुनिता चौहान *

प्रस्तावना – हिन्दी उपन्यास साहित्य में आलोच्य युग को निर्विवाद रूप से प्रेमचंद युग से जाना जाता है। कथा साहित्य में इस युग में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। मनोरंजन और प्रचार से ऊपर उठकर जीवन की अभिव्यक्ति की ओर साहित्य प्रतिष्ठित होने लगा। प्रेमचंद ने सीधे जीवन से सम्पर्क लाने का प्रयास किया।

उस काल में अनेक सामाजिक समस्याओं ने जीवन को आक्रान्त कर रखा था। देश की पराधीन स्थितियाँ, जमींदारों का वर्चस्व, जिन्होंने ग्रामीण भूमिधर किसानों का जीना मुहाल किया था, पूंजीपतियों ने और सरकारी कर्मचारियों में शोषण, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज आदि कुप्रथाओं से ग्रस्त थे। गोदान, रंगभूमि ओर कर्मभूमि जैसे उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण उसकी अद्धितीय और कालजयी कृतियाँ रहीं।

चेतना के विविध आयाम –

सामाजिक क्षेत्र में चेतना – प्रेमचंद के युग में मुख्यतया किसानों का शोषण, निरक्षरता, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथाएँ, समाज में नारी की दयनीय स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, विधवाओं की अनेक समस्याओं से समाज आक्रान्त था।

समाज में साम्प्रदायिक वैमनस्यता थी। आये दिन साम्प्रदायिक दंगेंमें जीवन अस्तव्यस्त था। अस्पृश्यता, जाति प्रथा पर घोर कलंक के रूप में विद्यमान था। पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए अस्पृश्य बाध्य थे। घोर विषमता और जीने के सामान्य अधिकारों से भी समाज वंचित था। मध्यम वर्ग की अपनी कुंठाएँ थीं। प्रेमचंद जी ने इन प्रकार की अनेक स्थितियों का चित्रण किया।

दहेज प्रथा जैसी घोर अभिशप्त समस्या से वर्तमान युग भी अभी तक ग्रस्त था। सामाजिक स्तरों पर जातिवाद का विभेदपूर्ण व्यवहार, एक ही जाति में आर्थिक हैसियत के आधार पर ऊँच-नीच का भाव, कुलीनता, विषमता, विवाहित होकर और मर्यादाओं की अंलघ्य सीमाओं के भीतर जीकर भी पुरुष का नारी के प्रति असम्मानजनक व्यवहार प्रेमचंद की अनेक सामाजिक स्थितियों में रहने वाले समाज की घोर पीड़ादायक अवस्थाओं के प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में साकार किया है।

किसान सदा से ही अन्नदाता होते हुए भी वह अभावग्रस्त है। दुहेरी शासन व्यवस्था के कारण अंग्रेजों के कार्यकाल में जमींदारों ने किसानों का भयानक शोषण किया। हजारों भूमिधारी भूमिहीन होकर दर-दर भटकते रहे। कई किसानों ने आत्महत्याओं का मार्ग चुना।

प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं का चित्रण किया है। उस समय तत्कालीन रूप से जमींदारी प्रथा के कारण पीड़ित किसान वर्ग की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण से किया गया है। सबसे बड़ा पीड़ित समाज कृषक समाज हजारों लोगों को अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अनेक लोगों को अपनी जमीन से उखड़कर शहरों की ओर पलायन करना पड़ा।

प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार बेचन शर्मा 'उग्र' की कृतियाँ 'चन्द हसीनों के खुतूत' (1927), 'दिल्ली का दलाल' (1927), 'बुधवा की बेटी' (1928), 'शराबी' (1930) आदि उपन्यासों में समाज की बुराइयों को, उसकी नंगी सच्चाई को, बिना किसी लाग-लपेट के बड़े साहस के साथ प्रस्तुत किया है। उस समय के उपन्यासों में दलित या पतित वर्ग का गहराई से चित्रण किया गया है।

समकालीन सामाजिक उपन्यासों की परम्परा में व्यक्ति की मानसिक स्थितियों और उलझनों के चित्रण के रूप में 'परख' (1929), 'सुनीता' (1935) और 'त्यागपत्र' (1937) के उपन्यासों में परिवार की पृष्ठभूमि और शहरी सभ्यता के परिवेश को अधिक महत्व दिया है।

प्रेमचंद की पारम्परिक पृष्ठभूमि में सियारामशरण गुप्त का 'गोद' (1932), 'अंतिम आकांक्षा' (1934), 'नारी' (1937) आदि में गाँधी दर्शन प्रभावी रहा, जिनमें लांछनाग्रस्त निरपराध व्यक्तियों की मनोव्यथा, घरेलू नौकरों की अनुकरणीय मर्यादा और नारी समस्याओं का निराकरण आदि पर जोर दिया गया है।

भगवती प्रसाद वाजपेयी ने 'प्रेमपथ', 'मीठी चुटकी', 'अनाथ पत्नी', 'त्यागमयी', 'लालिमा' आदि में मध्यमवर्गीय पारिवारिक जीवन के चित्रण के साथ मनोविश्लेषणात्मक चित्रण भी किया है।

इसी कालखण्ड में वृन्दावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकान्त त्रिपाठी तथा जयशंकर प्रसाद आदि ने सामाजिक पृष्ठभूमि में उपन्यास लिखे है।

अज्ञेय की उपन्यास कृतियों में एक नया मोड़ आया। व्यक्ति की स्वतंत्रता की खोज, आन्तरिक संघर्ष से जूझता तथा तनावों से गुजरता, किन्तु विद्रोही व्यक्तित्व के रूप में अतिशय आत्मकेन्द्रित व्यक्तित्व से उक्त कथानक को प्रधानता मिली। वस्तुत: उपन्यास को नये सामाजिक संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया है। अज्ञेय के अन्य दो उपन्यास 'नदी के द्वीपय और 'अपने-अपने अजनबी' में समस्या स्वतंत्रता के वरण की है, जो संत्रास, अकेलेपन, बेगानगी, मृत्युबोध, अजनबीपन आदि से सहज ही संयुक्त हो गई है।

इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में आत्मीयता की ग्रंथि, मानसिक कुंठाओं से ग्रस्त तथा काम-भावना में कैद चरित्रों का चित्रण अधिक मिलता है। कुछ उपन्यासों में सामाजिक दृष्टिकोण जरूर दिखाई देता है। व्यक्ति की निजी भावनाओं को दबाकर सार्वजनिक कार्यों में उपन्यास के पात्र पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। कहीं-कहीं समाज को बदबूदार गलियों में चक्कर लगाता है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रतिबद्ध यशपाल के कुछ मौलिक कृतियों में विशाल

*शोधार्थी (हिन्दी) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

फलक पर जीवन के विविध रूपों, आयामों, समस्याओं और जटिलताओं को अपने ढंग से प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते है। देश-विभाजन की पृष्ठभूमि में यशपाल में व्यापक फलक पर अपना विश्लेषण किया है। यशपाल के पास यथार्थ दृष्टि है, जिसमें विभाजन की त्रासदी के उन्होंने यथार्थ दृष्टि से ही इसका विश्लेषण किया था।

उपेन्द्रनाथ अश्क, प्रेमचंद परम्परावादी उपन्यासकार है। उपेन्द्रनाथ अश्क ने व्यक्तियों की परिस्थितियों, समस्याओं और परिवेश प्रेमचंद की परम्परा का ही निर्वाह करते हैं।

अमृतलाल नागर का उपन्यासकारों में विशेष स्थान है। हमारा समाज अनेक प्रकार के स्वार्थों और पाखंडों में लिप्त होकर मूल्यहीन हो गया है। यही कारण है कि अपने आदर्श खोखले प्रतीत होने लगते है।

मन्मथनाथ गुप्त, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतराय, लक्ष्मीनारायणलाल, राजेन्द्र यादव जैसे उपन्यास सामाजिक चेतना के उपन्यासकार है, जिसमें मन्मय गुप्त ने मार्क्सवाद की पृष्ठभूमि के अन्तर्गत रचित उपन्यास में पर्याप्त सामाजिक चेतना अधिक उभरती है।

मोहन राकेश के उपन्यास 'अंधेरे बंद कमरे' (1961) में आस्थाविहीन समाज, अनिश्चय की स्थिति में लटके हुए इंसान और आत्मनिर्वासन की पीड़ा भोगते हुए लोग राजकमल चौधरी का उपन्यास 'मछली मरी हुई' समलैंगिक यौनाचार में लिप्त स्त्रियों की कहानी है।

निर्मल वर्मा की 'लाल टीन की छत' और मन्नु भण्डारी की 'आपका बंटी' आधुनिकता बोध की रचनाएँ है, जिनमें वैधानिक के साथ पारिवारिक विषमताओं का मुखर विरोध भी मिलता है। इनके अतिरिक्त भीष्म साहनी का 'तमस' उल्लेखनीय कृति है, जिसमें साम्प्रदायिक घटना चक्र के साथ जातिगत वैषम्य भी दिखाई देता है। रामकुमार भ्रमर, कृष्ण बलदेव, जुगुन किशोर, शिवानी, कृष्णा सोबरी (डार से बिछुरी हुई, मित्रों मरजानी), उषा प्रियंवदा पचपन खंभे लाल दीवार, रमेश बक्षी, अठारह सूरज के पौधे आदि की रचनाओं में वर्तमान समाज की विषमताओं के चित्रण मिलते है।

सन् 60 के दशक में उपन्यास क्षेत्र में कहानी के साथ समकालीन भावबोध की रचनाएँ प्रकाशित होने लगी थी। सातवें दशक के हिन्दी उपन्यासों मेंसमग्र परिवेश में फैलकर देश और काल की प्रामाणिक चेतना से पाठकीय संवेदनाओं को झकझोर ने लगा था।

समस्याएँ इस काल मेंअधिक बढ़ती गई। चुनौतियाँ और अन्तर्विरोधों, विसंगतियों, विद्रूपताओं से आधुनिक समाज और जटिलताओं की ओर बढ़ने लगा था। वर्तमान समय कथा साहित्य के केन्द्र में आने लगा। जीवन की जटिलताओं को व्यापक सन्दर्भों में प्रतिबिंबित किया जाने लगा। वर्तमान समाज का उपन्यास गाँव और शहर की मानव-चेतना को प्रामाणिकता से व्यक्त करने वाला सशक्त माध्यम बन गया था।

हिन्दी उपन्यासों ने निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के नर-नारी संबंधों को भलीभाँति विश्लेषित और परिभाषित किया है। इस कालखण्ड में मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा शहरी जिंदगी के काफी घनिष्ट चित्रण किये है। इसी के साथ सन् 50 से 70 तक बीच आंचलिक उपन्यासों का भी अच्छा खासा दौर चला है, जिसमें ग्रामीण जिंदगी के साथ विशृंखल मध्यम वर्गीय चित्रण को भी महत्व दिया गया है।

अस्सी के दशक के बाद भीष्म साहनी के तीन उपन्यास 'मय्यादास की माड़ी' (1988), 'कुंतो' (1993), 'नीलू नीलिमा और निलोफर' (2000) प्रकाशित हुए। पुरुष-वर्चस्व वाले समाज में अपनी अशिक्षा, नारी आचरण के परम्परागत मूल्यों, आर्थिक पराधीनता, अज्ञान आदि के कारणों से स्त्री को स्त्री की तरह-तरह की यातनाएँ झेलनी पड़ी है। उसे चुपचाप परस्त्री गमन स्वीकार करना पड़ता है।

अस्सी के दशक के पश्चात् अनेक महिला लेखिकाओं ने उपन्यास क्षेत्र उल्लेखनीय कृतियाँ दी है। उदाहरण के लिए मेहरुन्निसा परवेज और नासिरा शर्मा जिन्होंने मुसलमान और ईसाई दोनों समाजों का चित्रण किया है।

स्त्री मात्र हिन्दू या मुस्लिम नहीं है। दोनों ही नारियों का जीवन यातनाग्रस्त है। नासिरा शर्मा ही नहीं नई पीढ़ी की तमाम लेखिकाओं ने बदलती हुई समाज व्यवस्था में स्त्री की में कोई विशेष परिवर्तिन नहीं हुआ। विवाह, प्रेम, यौन शुचिता, परिवार, बच्चे, आर्थिक आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की स्वाधीनता आदि में प्राय: एक समान स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सुनीत जैन ने प्राय: सभी उपन्यासों में असफल और विषम दाम्पत्य, वे रूढ़िया और परम्पराएँ है, जो समाज आधुनिकता के बावजूद हमारे समाज में विद्यमान है।

पुरुष के लिए शरीर भोग्या है उसे उसके मन को कुछ भी लेना देना नहीं। 'तापसी' उपन्यास में वृन्दावन की विधवाओं के शोषण और उनकी पीड़ा का प्रामाणिक चित्रण करती है।

कहानी - सन् 1947 के भारत विभाजन के फलस्वरूप देश के विभाजन की परिणति के स्वरूप व्यापक रक्तपात, साम्प्रदायिक विद्वेष, दुराव, सन्देह, त्रास, डर, घृणा जैसी मानसिकता की तनावपूर्ण स्थिति में गुजरी। विभाजन से संबंधित कहानियों में भीष्म साहनी बहुचर्चित कथाकार है। नारी लेखिकाओं में पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखी अनेक कहानियाँ हैं, जहाँ नारी की दयनीय स्थितियों का चित्रण किया गया है।

इस काल में कहानियों में नौकरीपेशा नारी के भावनात्मक संघर्ष को झेलने वाली कहानियाँ उजागर हुई। घर की चार दीवारी छोड़कर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की प्रवृत्ति से नारी की मानसिक स्थिति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम आदि के संबंध में दृष्टि में आमूलचूल परिवर्तन तो हुआ है और साथ ही भीतर और बाहर बहुत कुछ टूटा भी है। विवाह के बाद अपने पति के परिवार के लिए मानों तिलमिलकर गल मर सबको सन्तुष्ट करना ही उसकी नियति है। घर और दफ्तर अन्य जगहों में उसे विभिन्न प्रकार के जो मानसिक तनाव सहने पड़ते है, भावात्मक और संवेदनात्मक स्तर पर जो मानसिक संघर्ष झेलना पड़ता है, समकालीन कहानी में उसे बड़ी ईमानदारी के जिया गया है।

उषा प्रियंवदा की कहानी, 'सम्बन्ध' में लड़की बहुत टूट जाती है चूक जाती है। राजी सेठ की कहानी 'योग दीक्षा' में उस नौकरीपेशा लड़की का दर्द व्यंजित हुआ है, जो परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्वयं को यंत्रणा की चक्की में पीस रही है।

निरूपमा सेवती की इन सभी कहानियों की नारी कामकाजी जीवन के प्रति विद्रोह का भाव लिये हुए है।

मालती जोशी की कहानियों में भी कामकाजी महिला का घर और बाहर के जीवन का यह तनाव विभिन्न कोणों और बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित हुआ है। वर्तमान जीवन की यह बहुत बड़ी विसंगति हमारे सामाजिक ढाँचे में प्रविष्ट हो गई है कि उच्च शिक्षा के कारण भी कभी-कभी लड़की के विवाह की समस्या विकराल रूप धारण कर जाती है। कृष्णा अग्निहोत्री की 'विडम्बना' कहानी इसी स्थिति को अभिव्यक्त करती है।

महीपसिंह के सचेतन कहानी आंदोलन की उपलब्धि भी यही है कि सचेतन कहानी, अकहानी, सहजकहानी आदि आंदोलनधर्मी स्वरों को नि:सन्देह यह श्रेय है कि उन्होंने कहानी को जीवन की प्रकृत भूमि प्रदान कर

यथार्थ को लेखकीय सोच के साथ व्यक्त करने की दृष्टि प्रदान की।

दीप्ति खंडेलवाल की कहानियों की लगभग सभी कहानियों का कथ्य यही है- दाम्पत्य का बिखराव। 'विघटन' कहानी में पति-पत्नी से अभिव्यंजित किया है। इन कहानियों में दाम्पत्य के बीच फैली अनाम दूरियाँ बड़े सहज और सीधे ढंग से रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी-छोटी बातों से रूपायित की गई है।

चित्रा मुद्गल की कहानी में स्लम्स पर लिखी कहानियों में उनकी कथ्य पर बड़ी जबरदस्त पकड़ है।

'अक्सा झोपड़ पट्टी ऐसन हाल बा। जोरू चार घरि चौका-बरतन करते है, ओय साले दारू-पी-पीके मेहरारू के हाड़-गोड़ तूरति है।'

मृदुला गर्ग की 'कितनी कब्देय (1975) में लेखिका कहती है कि- 'आज संपूर्ण समाज मूल्य स्तर पर अधिक दुविधाग्रस्त जिंदगी जी रहा है। एक पग हम अत्याधुनिक प्रवृत्तियों की ओर उठाते है,तो दूसरी रूढ़ परम्परावादी ओर।' मृदुला गर्ग की प्रस्तुत कहानी में'नारी से अपने कैंद से मुक्त होने के प्रयास में पुरुष की अत्याचारी प्रवृत्ति से मुक्ति के सवाल पर विचार किया गया है।'

प्रोमिला कपूर का कथन है कि 'विभिन्न अनुशीलनों से ज्ञात होता है कि शिक्षित महिलाओं के दृष्टिकोणों में भारी परिवर्तन आये है। विशेष रूप से अपने दर्जे और विवाह के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में काफी अन्तर आया है।'

मेहरुन्निसा परवेज की कहानी 'सिर्फ एक आदमी' में सनकी, लालची पिता पुत्रियों की शादी इसलिए नहीं करता, क्योंकि उसे पैसा चाहिए। उसने पुत्रियों को पढ़ाया है, खर्च किया है तो उसे वसूल भी करेगा।'

इस प्रकार कामकाजी नारी को सभी स्तरों पर कठिन संक्रान्त वस्तुस्थिति का सामना करना पड़ता है। परिवेश की भारी चुनौतियों के बीच उसकी सचेतना उसका मार्गदर्शन कर रही है। भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान के तमाम प्रतिरोधों के बावजूद वह निरन्तर गतिशील है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उषा प्रियंवदा- कितना बड़ा झूठ, संबंध ।
2. कृष्णा अग्निहोत्री- विडम्बना साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 25.9.1977
3. चित्रा मुद्गल- त्रिशंकु, पृ.39
4. मृदुला गर्ग- कितनी कैंदे.
5. चित्रा मुद्गल- त्रिशंकु, पृ.39
6. मृदुला गर्ग- कितनी कैंदे
7. प्रोमिला कपूर- कामकाजी भारतीय नारी, पृ.16.
8. मेहरुन्निसा परवेज-सिर्फ एक आदमी ।

****

समकालीनता का बोध और कहानी

डॉ. विमला मिंज *

प्रस्तावना – हिन्दी कहानी की विकास यात्रा में अनेक बदलाव समय के साथ, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल साहित्य समाज में देखे जा सकते है। कथा को यदि आन्दोलन माना जाये तो कहानी की विकास यात्रा में अनेक छोटे–छोटे आन्दोलन 1950 के बाद हुए। 'नई कहानी', 'अकहानी', 'सचेतन', 'समान्तर, 'सहज' अनेक कहानी आन्दोलनों में कहानियों को कहानीकारों ने समसामायिक वातावरण में ढालकर अपनी रचनाधर्मिता को आगे बढ़ाया। महीप सिंह लिखते है। 'साहित्यिक आन्दोलन कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं होता जिसे रजत जयंती या स्वर्ण जयंती मनानी चाहिए। इन आन्दोलनों के कुछ मूल्य होते है कि वे अपने समय में चली आ रही साहित्यिक प्रवृत्तियों को गति दे सकें और उस गति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें। साहित्य की जड़ता को तोड़ना इन आन्दोलनों का काम है।'

किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति या विधा के विकास के चरण को पिछले चरण से सर्वथा विच्छिन करके नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक अगला चरण पिछले चरण के कारण ही सम्भव होता है। विकास की यही सहज प्रक्रिया है। इसलिें यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार 'नयी कहानी' की स्वाभाविक परिणति 'समकालीन कहानी' के रूप में हुई। साठोत्तरी कहानी, सातवें दशक की कहानी, आठवें दशक की कहानी के नामकरण के मिथक को तोडते हुये कहानी युग निर्माण की दृष्टि से 1965 को विभाजन रेखा मानते हुये इसके बाद के कहानी संसार को समकालीन कहानी कहा गया है।

समकालीन शब्द हिन्दी भाषा का एक प्रचलित शब्द है जिसका अर्थ है – 'समसामयिक' अर्थात एक ही समय में रहने या होने वाले। इस प्रकार 'समकालीन कहानी' का अर्थ हुआ – हमारे समय की कहानी, अर्थात वर्तमान काल की कहानी। डॉ. लालचंद गुप्त सन् 60 के बाद की कहानी को समकालीन कहानी मानते है। साठोत्तर कालीन हिन्दी कहानी शिल्प, भाषा, संवेदना एवं दृष्टि सभी तत्वों में पर्याप्त परिवर्तित हो चुकी है। डॉ0 नामवर सिंह, इन्द्रनाथ मदान तथा श्रीपतराय जैसे सुप्रतिष्ठित आलोचकों ने भी सन् 1960 के बाद की कहानियों में कई नई शुरूआत की ओर संकेत किया है। दूसरी ओर देवीशंकर अवस्थी, बच्चन सिंह और गंगाप्रसाद विमल तो स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर चुके है। कि सातवें दशक की कहानी अपनी संवेदना ओर अभिव्यक्ति में पहले से पूरी तरह भिन्न है।

डॉ0 गंगाप्रसाद विमल लिखते है – 'समकालीन का अर्थ यह नहीं है कि दो व्यक्ति एक विशेष काल खण्ड में जी रहे हों और संयोग से वे रचनाशील भी हों। ...जिस समकालीन या समकालीनता की चर्चा सन् 60 के बाद की कहानी के संबंध में की जा रही है, उसका शब्दार्थ की धारणा' से संबंध नहीं है, अपितु वह जीवन बोध के आधार पर समान धर्मा रचनाकारों के बीच की समान धर्मिता है। राजेन्द्र यादव भी मानते है कि साठोत्तरी कहानीकारों ने सचमुच कहानी को नया अर्थ दिया है।' कमलेश्वर ने नई कहानी' और समकालीन कहानी में कोई विशेष अंतर नहीं माना। उन्होनें लिखा है – 'यह आन्दोलन अपनी मूल प्रकृति में 'नई कहानी' से सम्पृक्त आन्दोलन ही है। जो कहानी में अतीव संयम, संक्षिप्तता और समकालीनता की मांग करता है। घटनात्मकता या नाटकीयता से इसका सख्त विरोध हैं इसमें एक अजीब तरह की खामोशी, ठंडापन और सहजता है। वैचारिक धरातल पर इसका सीधा संबंध गहन मानवीयता और जीवन साक्षेप मूल्यों से है... पर व्यक्ति या 'मै' के माध्यम से, यानी एक तरह की संयत, सभ्य वैयक्तिक सामाजिकता से। नई कहानी के साथ ही कुछ अंतर से आने वाले लेखकों ने उसे एक नया नाम देना आवश्यक समझा था पर उन सभी लेखकों के परवर्ती वक्तव्यों या वैचारिक स्थापनाओं से यह स्पष्ट हुआ कि वे नई कहानी की विचारधार और उसके मूल्यों से पृथक नहीं है। वे उसी एक और नया आयाम खोजने की कोशिश में थे, जिसे उन्होंने उपलब्ध भी किया है। इससे नई कहानी की विविधता और ज्यादा बढ़ी है।

डॉ धनजय वर्मा ने अपनी पुस्तक 'समकालीन कहानी' दिशा अैर दृष्टि की भूमिका में 'समकालीन कहानी' संबंधी धारणा को और भी स्पष्ट कर दिया है। आपका मत हैं कि 'समकालीन कहानी के विवेचन के लिये जीविका स्वरूप नई कहानी को रखा जा सकता है। समकालीनता को परिभाषित करना उतना ही मुश्किल है जितना आधुनिकता को। आज से तीस साल पहले (1980–82 के पूर्व) लिखी गई कहानियॉ की समकालीन हो सकती है...। मोटै तौर पर समकालीन का अर्थ साठ के बाद की कहानियों से है।'डॉ0 पुष्पलाल सिंह लिखते है – ' नई कहानी और साठोत्तरी कहानियों के विभिन्न आन्दोलनों के उपरान्त नवें दशक के आस–पास हिन्दी कहानी एक नई राह पर चल निकलती है और यही कहानी समकालीन कहानी कहलाती है। रामदरश मिश्र भी लिखते है – 'समकालीन कहानी से तात्पर्य मोटे तौर पर नवें दशक की कहानी से है। इस दौर में एक ओर पहले से लिखते चले आ रहे कहानीकार है तो दूसरी ओर इसी दौर में उपजे या कहानीकार है।'

अत: स्पष्ट है कि समकालीन कहानी का प्रारंभ साठोत्तर से माना जा सकता है। यदि 1965 को विभाजन रेखा स्वीकार की जाये तो 1965 के बाद से लेकर नब्बे के दशक तक यहां तक कि बीसवीं सदी की समाप्ति तक और इक्कीसवीं सदी में भी युग के कथाकारों को कहानी धर्म में लिप्त देखा जा सकता है। यह साहित्य का वह आन्दोलन है जो काफी लम्बे अंतराल तक चलता रहा ऐसा नहीं इसमें संक्रमण के दौर नहीं देखे गये, लेकिन वह अपनी अलग शाखा का निर्माण नही कर सके।

पुष्पलाल सिंह समकालीन कहानीकारों को चार वर्गो में श्रेणी बद्ध करते है –

1. नयी कहानी – आन्दोलन से पूर्व के कहानीकार,
2. नयी कहानी के हस्ताक्षर
3. आन्दोलन बद्ध दृष्टि से असंपृक्त लेखक तथा

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.) भारत

4. समकालीन कथाकारों की पीढ़ी।

नयी कहानी – आन्दोलन से पूर्व के कहानीकारों में समकालीन समय में भगवतीचरण वर्मा, यशपाल, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', शिवानी, द्विजेन्द्रनाथ मिश्र, 'निर्गुण' अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, आदि कथाकार विशेष सक्रिय रहे है। इनमें से कुछ कथाकारों की रचनाएँ हिन्दी की स्तरीय कहानी – पत्रिकाओं में आठवें दशक के अंत तक या फिर अब नवें दशक में भी (द्रष्टव्य 'सारिका' – कथा पीढ़ी विशेषांक एक, अक्टूबर द्वितीय पक्ष, 85) प्रकाशित हुयी हैं जो इस तथ्य को प्रमाणित करती है इन लोगों का कथा–लेखन समकालीन कहानी में भी संदर्भच्युत या बासी नहीं हुआ। अमृतलाल नागर की 'ओढरी सरकार' कहानी 1978 ('सारिका', अगस्त) में प्रकाशित होकर पर्याप्त चर्चित रही। भगवती चरण वर्मा की 'सारिका' के अप्रैल 1974 अंक से प्रकाशित बारह कहानियों की सीरीज भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि उनमे वर्तमान जीवन की विसंगतियॉ और विद्रूपताएँ पूरी तरह उजागर हुई। इनमे 'सौदा हाथ से निकल गया' (अप्रैल 1974), 'क्षमा–याचना' (मई 74), 'संकट' (जून 74), 'समझौता' (अक्टूबर 74), 'गनेसीलाल का रामराज' (नवम्बर 74), 'दिल का दौरा' (दिसम्बर 74), 'जबरा मारे रोने न देय (जनवरी 75), विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यशपाल ने इस दौरे में 'खच्चर और आदमी' (1965 ई.) तथा 'भूख के तीन दिन' (1969 ई.) संग्रह भी प्रकाशित कराये। उनकी 'कौन जानेय कहानी ('सारिका', जून 75) तथा विष्णु प्रभाकर की बस इतना भर ही' ('सारिका', मार्च 1971) कहानियॉ यह सूचित करती है कि हिन्दी की वरिष्ठ कथा –पीढ़ी समकालीन लेखन से कदम मिलाकर चली है। शिवानी ने तो इस बीच बहुत अधिक कहानियॉ लिखी। 'करिए छिमा' (1971) और 'रति विलापय (1974) जैसे चर्चित संग्रह और 'नथुनिया ने हाय राम' ('मनोरमा', महिला कथाकार विशेषांक, 1977) 'तिलपात्र' (1983), 'श्राद्ध' (साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 5 अगस्त 84) जैसी चर्चित कहानियॉ प्रमाणित करती हैं। कि शिवानी अभी पूरी रतह कहानी में सक्रिय है। शिवानी की कहानियॉ पहाड़ की नारी की व्यथा–कथा तो कहती ही है, अपने भाषागत रचाव के लिये उनका हिन्दी कहानी को अप्रतिम योगदान है। उनकी भाषा का फोटोजैनिक लावण्य पाठक को देर तक बॉधे रखता है।

समकालीन कथा लेखन में दूसरा वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्होंने कभी नयी कहानी–आन्दोलन के समय में हिन्दी कहानी की दिशा बोधक रचनाएँ दी थी और आज भी उनकी कहानियॉ उसी ताजगी से भरपूर रहती है। निर्मल वर्मा, भैरवप्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, मार्कण्डेय, अमरकान्त, शिवप्रसाद सिंह, कमलेश्वर, उषा प्रियवंदा, मन्नू भण्डारी, आदि नयी कहानी के ऐसे लेखक है जिन्होंने इस समय भी अपनी रचनात्मक उर्ज्जा का परिचय दिया है। निर्मल वर्मा की 'कब्बे और काला पानी' कहानी 'धर्मयुग' में सिंतम्बर अक्टूबर 1983 के पांच किश्तो में प्रकाशित हुई और इसी नाम से संग्रह भी आया। 27 नवम्बर 1983 के यसाप्ताहिक हिन्दुस्तान में उनकी 'एक दिन का मेहमान' कहानी प्रकाशित हुई।

भीष्म साहनी के 'भटकती राख' (1966), 'बाड़–चू' (1978), 'शोभा यात्रा' (1981), तथा 'निशाचर' (1983), संग्रह तो इस कहानी दौर में आये ही, विभिन्न पत्रिकाओं में उनकी कहानियॉ निरन्तर आती रही है। अमरकान्त ने इस समयावधि में यद्यपि कम लिखा है तो भी उनकी 'घर' ('सारिका', अगस्त–2, 1978) जैसी कहानियॉ चर्चित हुई। भैरवप्रसाद गुप्त की 'मंगली की टिकुली' ('सारिका', जुलाई 1972) तथा यही जिन्दगी है' ('सारिका', अप्रैल 1973) कहानियॉ विशेष महत्वपूर्ण है। भीमसेन त्यागी की 'सोफासेट' ('रविवार', 15 अक्टूबर 1978) तथा 'दीवारें ही दीवारें' (1970) और 'जवान' (1980), कहानी संग्रह तथा 'पद्मा जी' (जनसत्ता', रविवारी परिशिष्ट, 15 जनवरी 1984) कहानी उनके ताजापन की सूचनादेती है। मार्कण्डेय के 'सहज और शुभ', 'बीच के लोग' आदि संग्रह इसी दौर में आये और 'अक्षरा' 6–7 (मार्च84) में 'खूटी पर टँगी जिन्दगी' उनकी बिल्कुल ताजा रचना है। उषा प्रियंवदा की 'आधा शहर' कहानी ('सारिका', जुलाई–2 तथा अगस्त–1, 1984) में प्रकाशित हुई है। शिवप्रसाद सिंह की कहानी 'हत्या और आत्महत्या के बीच' ('सारिका', जुलाई 1972) तथा कहानी संग्रह 'भेड़िए' इसी समयावधि की रचनाएँ है। कमलेश्वर ने अद्यतन बहुत सुन्दर कहानियॉ हिन्दी कथा – जगत को दी है। 'लाश' (मंच' पैंसठोत्तरी युवा लेखन विशेषांक, 'मानसरोवर के हंस' ('सारिका', अप्रैल 1973), 'इतने अच्छे दिन' ('सारिका' मार्च 75), 'कितने पाकिस्तान' ('नया', मार्च 1971 तथा 72 अंक) और 'हम पेशा' (दैनिक ट्रिब्यून', 19 जनवरी 1984) जैसी अत्यंत चर्चित और सशक्त कथाएँ हिन्दी कहानी को प्रदान की है। 'जिन्दा मुर्दे' (1969) तथा बयान तथा अन्य कहानियॉ (1972) इस समयावधि में प्रकाशित उनके महत्वपूर्ण कथा – संग्रह है। कथ्य और शिल्प – दोनों स्तरों पर कमलेश्वर कहानी में अनेक प्रयोग करते रहे है। 'मानसरोवर के हम', 'इतने अच्छे दिन', 'रातें', 'कितने पाकिस्तान' जैसी कहानियॉ किसी भी भाषा के साहित्य के लिये अत्यन्त गौरवपूर्ण उपलब्धियॉ है। 'मानसरोवर के हंस' में प्रतीकात्मक रूप में आजादी के बाद के प्रदूषित राजनीतिक परिवेश का अत्यंत सशक्त आलेखन है। 'इतने अच्छे दिन' में अकाल और सूखें की विपन्नता तथा भूख में मानवीय मूल्यों की समाप्ति की अत्यन्त करूण–कथा है। 'कितने पाकिस्तान' भिवंडी आदि स्थानों पर आये दिन होने वाले साम्प्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर हिन्दू–मुस्लिम एकता पर लिखी गयी बेजोड़ कहानी है। राजेन्द्र यादव की 'ढोल और अन्य कहानियॉ' का प्रकाशन भी 1972 ई. में ही हुआ। राजेन्द्र यादव का कहानीकार इस दौर में मौन रहा है। मन्नू भण्डारी की 'रेत की दीवार' (विकल्पय, कथा– साहित्य विशेषांक, 1968), 'त्रिशंकु' (धर्मयुग', 26 दिसंबर 76) 'असामयिक मृत्यु' ('मनोरमा', अक्टूबर 1977) आदि अत्यन्त प्रसिद्ध कहानियॉ है। 'एक प्लेट सैलाव' (1968) तथा 'त्रिशंकु' (1978) संग्रह उन्होंने इसी दौर में दिये। इस प्रकार नयी कहानी–दौर के ये सभी चर्चित हस्ताक्षर समकालीन कथा–दौर में बहुत अच्छी कहानियॉ रचते रहे हैं, इस लिये आज की कहानी में इनके योगदान को नकारा या कम करके नहीं देखा जा सकता।

समकालीन कथा–दौर में तीसरा वर्ग उन कथा–लेखकों का है जो आन्दोलनबद्ध दृष्टि से पूर्णत: असम्बद्ध रहकर अपने रचनाकर्म में प्रवृत्त रहे। किसी भी आन्दोलन के खेमे से न जुड़ने के कारण ऐसे लेखकों को समकालीन कहानी–चर्चा में समुचित महत्व नहीं मिल सका, किन्तु इन्होंने भी अपनी कलम से हिन्दी को अत्यन्त सशक्त और अविस्मरणीय कहानियॉ प्रदान की। चन्द्रकिरण सौनरेक्सा, शशिप्रभा शास्त्री , ब्रह्मदत्त, राधाकृष्ण आदि इन लेखकों में प्रमुख है। चन्द्रकिरण सौनरेक्सा की 'ईर्श्या' ('सारिका', जून–1, 1978), 'खिचाव' ('सारिका', अप्रैल 1972), 'लकीरे' ('सारिका', जुलाई 74), 'स्टाफ आर्टिस्ट', ('सारिका', जनवरी 1976), शशिप्रभा शास्त्री 'गंध' ('कहानी8, अप्रैल 1974), 'तूफान' ('कहानीकार' मार्च–अप्रैल 71), 'रीढ़' ('मनोरमा', अक्टूबर–1 77), 'साईनबोर्ड बदलकर' ('भाषा' जून 79), 'अवकाश प्राप्त' (साप्ताहिक हिन्दुस्तान' अगस्त 80), आदि कहानियॉ तथा 'दो कहानियों के बीच' (1978) तथा 'जोड़ बाकी' (1982)

आदि कथा संग्रह कहानी है। राधाकृष्ण की यएक गांधीवादी बैल की आत्मकथा' ('सारिका', अप्रैल 1973) इस समयावधि की एक स्मरणीय रचना है। उपर्युक्त तीनों वर्गो के कथाकारों के कृतित्व के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का प्रयोजन यह है कि समकालीन कहानी में हम केवल सातवें-आठवें दशक में उभरे कहानीकारों को ही परिगणित न करें। समकालीन कहानी में पूर्ववर्ती पीढ़ी के कथाकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

समकालीन कथाकारों की पीढ़ी के उन महत्वपूर्ण और चर्चित कहानीकारों के कृतित्व की चर्चा जिनको लेकर मुख्यत: समकालीन कहानी पर बातचीत की जाती है, जो मुख्यत: सातवें और आठवें या फिर नौवें दशक में अपना लेखन प्रारंभ करते है। इस कथा-पीढ़ी की चर्चा ज्ञानरंजन से प्रारंभ की जा सकती है। ज्ञानरंजन ने कहानी के कथ्य एवं शिल्प को नूतन आयाम दियें। व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति, बदलते मानवीय रिश्तों की पुर्नपड़ताल और मूल्यों की संक्रमणशील स्थितियों को ज्ञानरंजन की कहानियॉ बड़ी कुशलता से अंकित करती है। 'पिता', 'घंटा', 'शेष होते हुये', 'फेन्स के इधर-उधर', 'यात्रा', 'सपना नहीं', बहिर्गमन' आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियॉ है। 'फेन्स के इधर-उधर' (1968) 'यात्रा' (1971), 'सपना नही' (1977) आदि उनके ख्यातिलब्ध कथा संकलन हैं। ज्ञानरंजन विशेषत: अपनी कहानियों की धारदार भाषा के रचाव के लिये प्रसिद्ध रहे हैं। काशीनाथ सिंह ने भी 'लोग बिस्तरों पर' (1968) तथा 'सुबह का डर' (1975) कहानी-संग्रहों के द्वारा इस दोर के कहानी-लेखन में अपना स्थान बनाया। 'आदमी नामा' (1978) इनका तेज-तर्रार संग्रह है, जिसमें आपातकालीन स्थितियों को लक्षित कर लिखी गयी 'मीमाजातकम्' और 'जंगल जातकम्' विशेष सशक्त बन पड़ी है। इधर देश के स्वातंत्र्योत्तर परिवेश को लेकर लिखी गयी 'सारिका' में उनकी कई कहानियों की श्रंखला (1984) प्रकाशित हुई हैं जिनमें 'अपना रास्ता लो बाबा' (अगस्त-2), बहुत देर तक याद रखी जाने वाली कहानी है। यह कहानी ग्रामीण एवं शहरी जीवन-मूल्यों को समानान्तर रखकर देखती हुई शहर की चकाचौंध में जिन्दगी जीते इंसान की निरंतर कुछ होती उन संवेदनाओं को चित्रित करती है जो उसे अपनी जमीन, वहां के 'अपनों से' अलग करने वाली मनोवृत्ति देती है। सम्बन्धों के चुक जाने और निरन्तर रीतने की प्रक्रिया को गॉव से लाया रस-कलश, जो संबंधों का मधु-कलश है, नाली में बहा दिये जाने पर प्रतीकात्मक रूप में अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्ति देता है। वस्तुत: यह काशीनाथ सिंह की ही श्रेष्ठ उपलब्धि नहीं, अपितु इस दोर की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समकालीन कहानी, रचना मुद्रा - पुष्पलता सिंह - राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली।
2. समकालीन कहानी दिशा और दृष्टि, समकालीन कहानी जीवन दृष्टि परिप्रेक्ष्य - गंगा प्रसाद।
3. कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति - राजेन्द्र यादव - वाणी प्रकाशन नई दिल्ली।
4. समकालीन कहानी, दिशा और दृष्टि - धनंजय वर्मा।
5. हिन्दी कहानी अंतरंग पहचान, रामदरश मिश्र - वाणी प्रकाशन नई दिल्ली।
6. नई कहानी की भूमिका - कमलेश्वर - अक्षर प्रकाशन नई दिल्ली।
7. नई सदी की पहचान श्रेष्ठ दलित कहानियॉ - मुद्राराक्षस - लोक भारती प्रकाशन नयी दिल्ली।

****

नागार्जुन का प्रकृति चित्रण

डॉ. रश्मि जैन *

प्रस्तावना – मानव और प्रकृति का चिर साहचर्य है। प्रकृति से ही प्रेरणा लेकर मानव ने सर्वांगीण विकास किया है। सभ्यता और संस्कृति के भव्यभवन की नींव डाली है। मानव को विविध भावों से विभूषित करने वाली यह प्रकृति सुंदरी ही है। मानव मस्तिष्क अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों और हृदयोदगारों को प्रकृति के माध्यम से सतत प्रकट करता चला आ रहा है। यह प्रकृति का विलक्षण आकर्षण ही है कि हिन्दी काव्यों में कभी वह उन्मुक्त रूप में, कभी उद्दीपन रूप में, कभी गहन संवेदनात्मक रूप में, कभी रहस्यात्मक, कभी प्रतीकात्मक, कभी मानवीकरण रूप में, कभी लोक शिक्षक तो कभी दूत रूप में कार्य संचालन का भार उठाती हुई आदि विविध रूपों में अंकित हुई है। इन वर्णनों के अतिरिक्त स्थानीय विशेषताओं, भौगोलिक परिवर्तनों, परिवेषगत नैसर्गिक शोभा से परिपूर्ण दृश्यों को बहुत सतर्कता और यथार्थता के आधार पर चित्रित किया है। कभी वसंत का अद्भुत विलास, कभी ग्रीष्म का भयंकर ताप, कभी वर्षाकाल की भीषण प्रलयंकर स्थिति, कभी शीत की क्रूरदृष्टि, कभी पतझड़ की अकिंचन स्थिति के वास्तविक दर्शन हिन्दी काव्यों में दृष्टिगोचर होते हैं। ' नागार्जुन युग के उदारचेता, समर्थ और जागरूक कवि हैं। बीसवीं सदी का हिन्दी कविता में नागार्जुन अब एक युग का नाम है। नागार्जुन की कविताएँ सागर की मछलियाँ हैं, जो प्रत्येक दिशा में अपने फनों से धार को चीरती हुई जा रही हैं। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई अनायास किधर ही रूख बदल लें। उनकी काव्य भूमि का क्षेत्र विशाल है।'[1]

हिन्दी कविता में बहुत से ऐसे कवि हैं, जिनके यहाँ प्रकृति का ठहरा हुआ, डूबा हुआ, समाज निरपेक्ष वर्णन मिलता है। लेकिन नागार्जुन की कविता में प्रकृति मानव की सहचरी, मनुष्य की प्रत्येक क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। नागार्जुन के यहाँ मनुष्य प्रकृति का अभिनंदन करने के लिए आतुर है और प्रकृति अपने संपूर्ण वैभव के साथ उसके प्रति उन्मुख और उत्कंठित नजर आती है।

' चौकस खेतिहरों ने पाए, सिद्ध के आकुल चुंबन।
शरद पूर्णिमा धन्य हुई, जनलक्ष्मी का करके अभिनंदन ।।
वसुधा की फैली बाँहों को, सुलभ हुआ सागर आलिंगन।
आज रात है बेलगाम लहरों का मछुओं से गठबंधन ।।

'कवि नागार्जुन को प्रकृति आकर्षित करती रही है और उनका यात्री मन उसमें रमता रहा है। प्रकृति से इस गहरे जुड़ाव के कारण नागार्जुन ने उससे एक नया रचनात्मक रिश्ता बनाया है। वे प्रकृति का महज दृश्य वर्णन नहीं करते बल्कि उसे मानवीय संवेदना से सीधे जोड़कर देखते हैं। यह संवेदनात्मक जुड़ाव इस हद तक है कि प्रकृति नागार्जुन के जीने में शामिल है। यही वजह है कि प्रकृति के परिवर्तित होते संस्पर्श उनकी मन:स्थितियों के बदलाव के भी कारण बनते हैं।'[2] नागार्जुन के हृदय में प्रकृति के प्रति आकर्षण विद्यमान है। '**बादल को घिरते देखा है**' कविता में शुद्ध प्रकृति वर्णन का स्वरूप झलकता है। उदा0 द्रष्टव्य है –

'अमल धवल गिरि के शिखरों पर
बादल को घिरते देखा है
छोटे–छोटे मोती जैसे
उसके शीतल तुहिन कणों को
मन सरोवर के उन स्वर्णिम
कमलों पर घिरते देखा है।'

नागार्जुन पर्वत शिखरों पर बादलों को देखकर उस सौंदर्य से तादात्म्य होते हुए भी समाजवादी चिंतन से विच्छिन्न नहीं हुए।

'बरफ पड़ी है/ सर्व श्वेतपार्वती प्रकृति निस्तब्ध खड़ी है। सजे सजाये बंगले होंगे/ सौ–दो–सौ चाहे दो–एक हजार/ बस मुट्ठी भर लोगों द्वारा यह नगण्य श्रृंगार/ XX बरस रहे हैं आसमान से धुनी हुई रूई के फाहे/ XX गरम–गरम ऊनी लिवास से लैस/ देव–देवियाँ देख रहीं होगी अवश्य हिमपात/ XX सिमटे सिकुडे नौकर–चाकर, चाय बनाते होंगे/ ब्रेकफास्ट करते होंगे तैयार।'[3] यहाँ पर 'मुट्ठी भर लोग, ऊनी लिवास से लैस, सिमटे–सिकुड़े नौकर सामाजिक, आर्थिक विषमता का चित्र उपस्थित कर रहे हैं। 'यह रागधर्मी कवि यथार्थ का शिल्पी है और जीवन की विषमताओं को कविता के चौखटे में बिठाने में सिद्धहस्त है।'[4] **रजनीगंधा** 'सन् 1939 की रचना है। जो प्रकृति में रमे कवि हृदय को यथार्थवाद की ओर अग्रसर करती है। सुरभि से मदमस्त कवि 'रजनीगंधा' से कहता है – 'जय हो जय कल्याणी/ यह जेल और यह सेल नियंत्रित प्राणी/ इस आँगन में उस ओर तुम्हारा खिलना।' यह रचना स्वच्छंदतावाद और ुथार्थवाद का समुचित समन्वित रूप है। नागार्जुन की प्रकृति चित्रण संबंधी कविताएँ उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा व्यक्त करती हैं। 'अबके इस मौसम में कोयल आज बोली है' ग्रामीण प्रकृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। 'नागार्जुन की रचनाओं में देहाती मिट्टी की सौधी गंध है। ग्रामीण जीवन का सहज भोलापन उपलब्ध है। जीवन के दु:ख–दर्द को कवि ने सफलतापूर्वक व्यक्त किया है।'[5] कवि नागार्जुन के हृदय में भारतीय जन–जीवन के लिए अटूट स्नेह भरा हुआ है। भारतवर्ष की प्रकृति के लिए असीम प्रेम भरा हुआ है। और भारतभूमि के अणु–अणु एवं कण–कण के प्रति अगाध श्रद्धा–भक्ति भरी हुई है। नागार्जुन कवि ने अपने ग्राम, जनपद, हिमालय की तराई में भ्रमण करते हुए प्रकृति की अनिंद्य शोभा को खुली आँखों से देखा है। इस कारण उनकी कविताओं में अंकित प्रकृति की सुरम्य झाँकियाँ, उनके प्रकृति प्रेम की द्योतक है। '**वसंत की अगवानी**' कविता में –'वृद्ध वनस्पतियों, टूटी शाखाओं में/ पोर–पोर, टहनी–टहनी का/लगा दहकने/ टूसे निकले, मुकुलों के गुच्छे गदराये/ अलसी के नीले फूलों पर नभ मुसकाया।

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना (म.प्र.) भारत

'प्रकृति की छटा के सचेतन रूप के चित्र भी अत्यंत कलात्मक एवं सजीवता के साथ कवि ने '**काली सप्तमी का चाँद' झुक आये कजरारे मेघ, नीम की दो टहनियाँ, खुरदरे पैर, कुहरा क्या छाया, वर्षा मंगल, शरद पूर्णिमा** आदि कविताओं में अंकित किए हैं। इन सभी प्राकृतिक चित्रणों में कवि का प्रेम प्रकृति प्रेम बादलों की तरह घुमड़ रहा है।

प्राकृतिक रचनाओं में नागार्जुन पावस ऋतु के उपासक माने जाएँगे, क्योंकि वे कह उठे हैं – 'पावस तुम्हें प्रणाम।' पावस उनके लिए दु:खभंजक, मानव रंजक और ऋतुवर है। इसमें कवि फूले कदंब/शिशु घन कुरंग/चौकड़ी भर उठे/मेघ बजे/वर्षा के आगमन में। पावस उन्हें बेहद प्रिय हैं। उसके फलस्वरूप आने वाली बाढ़ तथा महामारियों का चित्रण भी वे करते हैं। जनता के कष्ट से व्यथित भी होते हैं परन्तु पावस के प्रति उनकी ममता कम नहीं होती। कदाचित् ही आधुनिक युग के किसी कवि ने पावस के कीचड़ का अभिनंदन किया हो। नागार्जुन 'जय हे कीचड़' नाम से कविता ही नहीं लिखते, पावस पंक की हरिचंदन से उपमा देते हैं। वर्षा की फुहियों के परस से रोम–रोम पुलकित हो उठा। मीठी सिहरन दौड़ गई और कवि–'जादुई परस ! जादुई परस कह उठा। 'बादलों ने डाल दिया है डेरा' मूसलधार और रिमझिम वर्षा का आनंद लेते हुए कवि के प्राण गुदगुदा उठे हैं। इन प्राकृतिक रचनाओं में कवि का मन मयूर नाच उठा है। वर्षा पर जितनी कविताएँ नागार्जुन ने उसमें भीगकर लिखी हैं, कम कवियों ने ही लिखी होंगी। शीतकालीन ठिठुरन को कवि '**हजार बाहों वाली शिशिर विषकन्या'** कहता है क्योंकि वह जानता है कि गरीब गरमी की मार तो सह सकता है पर शिशिर का प्रकोप उसकी शिराओं में सौ–सौ सुइयों की चुभन देने वाला होगा जो उसकी साँसों में प्रलय बनकर उतर सकता है। 'दरक गये केलों के पात/लेते ही करवट/तेजाब की फुहारें/छिड़कने लगा सूरज/ हजार बाहों वाली/शिशिर विष कन्या/उतरी लेकर साँसों में प्रलय की वन्या/हिमदग्ध होठों के प्राणशोधी चुम्बन/ तन–मन पर लेप गये ज्वालामय चंदन।'

कवि नागार्जुन की प्राकृतिक कविताएँ आमतौर पर उनके देश प्रेम और मार्क्सवाद की जरूरी समझदारी रखने वाले सर्वहारा संस्कृति के पक्षधर मानस का सम्यक् संतुलन प्रस्तुत करती हैं। **सिंदूर तिलकित भाल**' कविता में – 'याद आते स्वजन/ जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख/ स्मृति विहंगम की कभी थकने न देती पाँख/ याद आता मुझे यतरउनी' ग्राम/ याद आती लीचियाँ, वे आम/याद आते मिथिला के रूचिर भू–भाग/ याद आते धान। यकाली घटाओं को देखकर कवि एकाएक देश की राजनीति और सामाजिक स्थितियों के बहाव में बह गया। उसे काली करतूतें, काली मँहगाई, काले अध्यादेश दिखाई देने लगे।'काले–काले ऋतुरंग/काली–काली घनघटा/काले–काले गिरिश्रृंग/काली–काली छवि छटा/काले–काले परिवेष/ काली–काली करतूत।' पर्वतीय शिखर के दृश्य देखते समय कवि की दूरदर्शिता सब कुछ देख रही है। '**मैंने देखा**' कविता में कवि सामाजिक यथार्थ की परतें खोलकर तह तक पहुँच रहा है। 'मैंने देखा/दो शिखरों के अंतराल वाले जंगल में/आग लगी है/ दस झोपड़ियाँ दो मकान हैं/ इनकी आभा दमक रही है/ इनका चूना चमक रहा है/ इनके मालिक वे किसान हैं/ जिनके लड़के मैदानों में/युग की डॉट–डपट सहते हैं। दफ्तर में चुप रहते हैं।'

प्राकृतिक छवि को निहारते हुए कवि नागार्जुन वैयक्तिक धारा में नहीं बह जाते । वे दृष्टि संपन्न जनकवि के समान अपने मानस से जुड़ जाते हैं। 'नीम की दो टहनियाँ/झाँकती हैं सीखचों के पार/रातभर जगती रही/ खटती रही/ अब कर रही आराम/ बेखबर सोई हुई है छापने की यह विराट मशीन/ पर इधर तो झाँकती हैं/ दो सलोनी टहनियाँ। सीखचों के पार।'[6] यहाँ छापने की मशीन ने कवि हृदय को अधिक बाँध दिया है। कवि श्रम के प्रति सहृदय हो उठा है। 'धूप में खिले पात,' निहारकर' 'तना वितान' में कृषकों को आह्वान करता है कि श्रम में लीन हो जाओ। गेहूँ की पकी फसलें 'सोनिया समंदर' है, जो अपने कृषकों को बुला रहा है। '**सोनिया समंदर**' कविता में – 'सोनिया समंदर/सामने/लहराता है/ जहाँ तक नजर जाती है/ सोनिया समंदर/ बिछा है मैदान में/ सोना ही सोना/ बुला रही है/ गेहूँ की तैयार फसलें/ अपने–अपने कृषकों को। 'कवि जानता है कि 'फसल'/ एक के नहीं/ दो के नहीं/ लाख–लाख, कोटि–कोटि/ हाथों के स्पर्श की गरिमा।' लहलहाते खेतों को देखकर कृषक और खेतिहर श्रमिक उसके सम्मुख आ जाते हैं। '**फसल**' में कवि ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया है– ;रूपांतर है सूरज की किरणों का/ सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का।'[7]

कवि नागार्जुन ने प्रकृति के माध्यम से सर्वहारा की पक्षधरता की है/ यह भाव **'नंगे तरू हैं' नंगी डालेंय** कविता में दृष्टव्य है– यअब भी तो पतझर थक जाए/ उनका नंगापन ढँक जाए/ हरियाली इन पर झुक जाए/ नग्न नृत्य अब भी रूक जाए/ नंगे तरू हैं नंगी डालें/ इन्हें कौन से हाथ सँभाले।' 'कवि नागार्जुन की रचनाओं में प्रकृति की सप्राण उपस्थिति स्वाभाविक और स्फूर्तिदायक है। उनकी रचनाएँ मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था के अनुसार उनके प्रकृति क्षितिज का हर संभव विस्तार करती हैं। कवि को इस पूँजीवादी युग में लक्ष्मी का भी ध्यान आता है। वह सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के सामंजस्य की बात उठाते हुए कहता है कि केवल बुद्धि से उन्नति नहीं हो सकती है, पूँजी की भी आवश्यकता होती है। 'शीत समीर, गुलाबी जाड़ा, धूप सुनहली। जग वसंत की अगवानी के बाहर निकाला/ माँ सरस्वती ठौर–ठौर पर पड़ी दिखाई/ प्रज्ञा की उस देवी का अभिवादन करने/आस्तिक–नास्तिक, सभी झुक गये/ माँ मुस्काई/ बोली–बेटे लक्ष्मी का अपमान न करना/ बुद्धि–वैभव दोनों साथ रहेंगे/ जनजीवन का यान तभी निकलेगा। 'प्रकृति नागार्जुन की रचनाओं में अपने सारे रंग रूपों में, सारी मुद्राओं में, सारे संभार के साथ आई है। प्रकृति के प्रति इतना उन्मुक्त और खुला हुआ अनुराग, उसके प्रति ललक भरी आत्मीयता, उसके आकाशीय और धरती से जुड़े वैभव की इतनी सूक्ष्म और गहरी पकड़, उसका इतना बारीक और संवेदनामय पर्यवेक्षण आधुनिक हिन्दी कविता में कम ही मिलेगा।[9]

नागार्जुन को प्रकृति में आशा की किरणें भी दिखाई देती हैं। सदा अँधेरे और कोहरे के बादल ही नहीं रहेंगे, कभी सूरज भी चमकेगा। **करवटें लेंगे बूँदों के सपने**'[10] कविता में व्यक्त भाव देखिए– अभी–अभी कोहरा चीरकर चमकेगा सूरज/चमक उठेगी ठूँठ की नंगी भूरी डालें। करवटें लेंगे बूँदों के सपने।' **आज में बीज हूँ**[11] कविता में उमस, धूप, हवा, पानी, मिट्टी से अंकुरित बीज कवि की आशावादी दृष्टि की झलक है। 'बस, थोड़ी और उमस/बस, थोड़ी और धूप/ बस, थोड़ा और पानी/ बस, थोडी और हवा/ बस, थोड़ा भुरभुरापन/ क्या देर है भला बाहर आने में/ आज मैं बीज हूँ। कल रहूँगा अंकुर।'

निष्कर्षत: कहा जा सकता है, कवि नागार्जुन ने प्रकृति को अपनी भावनाओं का आवरण पहनाकर उसके विविध रूपों का चित्रण अत्यंत विविधता, सरसता एवं व्यापकता के साथ किया है। उनके काव्य में रागात्मक संवेदना को प्रमुखत: प्रकृति सौंदर्य के अंकन में देखा जा सकता है। नागार्जुन की प्रकृति संबंधी कविताएँ मात्र काव्य न होकर पारिवारिक रिश्ते की सहज अभिव्यक्ति हैं। मनुष्य की जिंदगी के संघर्ष, हर्ष, विषाद का बयान करती हैं।' नागार्जुन के यहाँ प्रकृति रोमानी नहीं, काल्पनिक नहीं, अलंकारों से सजी–

सजाई नहीं, वायवी नहीं, एक सजीव वास्तविकता है, अपने समूचेपन में, अपनी सारी मुद्राओं में। दद प्रकृति के साधारण- असाधारण सारे रूप उनके यहाँ हैं, उनका सौंदर्य, उसकी कुरूपता दोनों ही उन्हें प्रिय हैं। उसके मनोहारी रूपों के प्रति भी अनुरक्ति है और उसके रौद्र रूपों के प्रति भी उनमें दुराव नहीं है।'[12] प्रकृति को बहुत ही मोहक और वास्तविक रूपरंगों में नागार्जुन ने अपनी तमाम कविताओं में चित्रित किया है। बहुत समृद्ध दुनिया है नागार्जुन की प्रकृति कविताओं की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमलता दुआ : समाजवादी यथार्थवाद और नागार्जुन का काव्य, पृ0 36
2. नागार्जुन : आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आवरण पृष्ठ
3. नागार्जुन : युगधारा, पृ0 62-63
4. प्रेमलता दुआ : समाजवादी यथार्थवाद और नागार्जुन का काव्य, पृ0 112
5. डॉ0 सुरेन्द्रप्रसाद : हिन्दी की प्रगतिवादी कविता, पृ0 115
6. नागार्जुन : सतरंगे पंखों वाली, पृ0 35
7. नागार्जुन : पुरानी जूतियों का कोरस, पृ0 158
8. नागार्जुन : सतरंगे पंखों वाली, पृ0 34-35
9. नागार्जुन : चुनी हुई रचनाएँ, पृ0 9
10. वही, पृ0 160
11. वही, पृ0 195
12. वही, पृ0 9

सहायक ग्रंथ सूची -

1. डॉ0 द्वारिकाप्रसाद सक्सेना : हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि, विनोद पुस्तक मंदिर, हॉस्पिटल रोड, आगरा, सप्तम संस्करण 1986-87, मू.30/-
2. डॉ0 भगीरथ मिश्र, डॉ0 बलभद्र तिवारी : आधुनिक हिन्दी काव्य, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, प्रथम सं0 1973, मू. 22/-
3. डॉ0 गणपतिचंद्र गुप्त : साहित्यिक निबंध, लोक भारती प्रकाशन, 15-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, आठवॉ सं0 - 1984, मू. 40/-
4. श्यामचंद कपूर : साहित्यिक निबंध, प्रतिभा प्रतिष्ठान, 1685, दखनीराय स्ट्रीट, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-2, 1990, मू. 50-
5. जगदीश्वर चतुर्वेदी : मार्क्सवाद और आधुनिक हिन्दी कविता, राधा पब्लिकेशन्स 4378/4बी, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 110002, प्रथम सं0 1994, मू0 200/-
6. संपादक- शोभाकांत मिश्र : नागार्जुन चुनी हुई रचनाएँ, वाणी प्रकाशन, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002, द्वितीय सं0 1998, मू0 300/-
7. प्रेमलता दुआ : समाजवादी, यथार्थवाद और नागार्जुन का काव्य, वाणी प्रकाशन बी-131 सादतपुरा, दिल्ली प्रथम सं0 1997 मू0 150-
8. नागार्जुन- इस गुब्बारे की छाया में, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली सं0 1998 मू0 95/-
9. नागार्जुन- पुरानी जूतियों का कोरस, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली सि.सं. 1995 मू. 125/-
10. नागार्जुन- आखिर ऐसा कह दिया मैंने वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वि.सं. 1999 मू. 75/-
11. नागार्जुन- सतरंगे पंखों वाली, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम सं. 1984, मू. 25/-
12. डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद : हिन्दी की प्रगतिवादी कविता, चित्रलेखा प्रकाशन इलाहाबाद, 1985

****

प्रेमचन्द के साहित्य में नारियों की प्रमुख समस्यायें

डॉ. मधु मसानी *

प्रस्तावना – प्रेमचन्द ने अपने जीवन काल में लगभग तीन सौ कहानियों की रचना की है। उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा में कहानी, उपन्यास, निबन्ध, नाटक, समीक्षा, टिप्पणी आदि से हिन्दी जगत् को समृद्ध किया है। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में उनके नारी जागरण सम्बन्धी विचार स्पष्ट रुप से परिलक्षित किये जा सकते हैं। प्रेमचन्द एक युग–चेता साहित्यकार थे। उनके समय में नारी की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। उनके पूर्व अनेक समाज सुधारक इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे। अनेक संस्थाऐं भी इन दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही थी। परन्तु इस सुधारवादी आन्दोलनों का कार्य–क्षेत्र भिन्न था और उनका संबंध धर्म, समाज, परिवार, संस्कृति, राजनीति तथा आर्थिक पक्षों से था।[1]

भारतीय संस्कृति की पराकाष्ठा की साकार अभिव्यक्ति 'मनुस्मृति' में हुई हैं। प्रथम पुरुष मनु द्वारा रचित ग्रंथ में मनु ने नारी को समाज की पूज्य देवी के रुप में उपस्थित किया है। नारी की सर्वश्रेष्ठता वैदिक युग में सर्वोपरि थी– यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवत:'।[2] पुरातन काल से ही भारतीय नारी को सरस्वती, लक्ष्मी तथा काली के विभिन्न रुपों में पूजा गया है लेकिन दूसरी ओर वह वास्तविक धरातल पर विरह की वेदी पर बैठी महसूस करती है। किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास मापकों को नारी और बच्चों की स्थिति ही स्पष्ट करती है। क्योंकि बच्चा जहां देश का भविष्य है वहीं नारी उसकी पहली शिक्षिका, पोशिका और दिग्दर्शिका है। लेकिन तत्कालीन समय में कई विद्धानों के प्रयासों के बावजूद नारी स्थिति भयावह थी।[3]

प्रेमचन्द ने जिन मुद्दों को अपने कथा–साहित्य में उठाया है, वे आज भी संगत है। उनकी संतुलित वस्तुनिष्ठ दृष्टि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, चाहे वह सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, सामाजिक–आर्थिक न्याय की बात हो, दलित जीवन, जात–पांत अथवा नारी की समस्या हो, प्रेमचन्द की दृष्टि से, उनकी ईमानदारी, उनकी प्रतिबद्धता और मानवीय संवेदना की झलक उनकी रचनाओं में स्पष्ट रुप से दिखाई पड़ती हैं। प्रेमचन्द की प्रथम कहानी संग्रह 'सोजे वतन' के नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसमें उनकी देशभक्ति–प्रधान कहानियां संकलित है। इस संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कहानी 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' संकलित है, जिसमें प्रेमचन्द ने लिखा है कि मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो जाने वाले देशभक्त के शरीर से बहने वाले रक्त की बूंदें ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन हो सकती हैं। देश के प्रति यह अगाध प्रेम उनका अपना जीवन मूल्य ही था।[4]

प्रेमचन्द ने नारी के विविध पक्षों को उजाकर कर उनकी समस्याओं को उकेरा है जिसमें नारियों की प्रमुख समस्यायें इस प्रकार है–

नारी की सामाजिक समस्याएं – प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में नारी जीवन की उन समस्याओं को उजागर किया है, जिन्होंने हिन्दू समाज को विकृत और फलत: दुर्बल कर रखा था। प्रेमचन्द के सामने नारी के सामाजिक जीवन की समस्याएँ मुँह बांये खड़ी थी, उनमें दहेज समस्या, विधवा–समस्या, वेश्या समस्या, जात–प्रथा, बाल–विवाह, सती प्रथा, नारी शिक्षा की समस्या आदि प्रमुख है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में तो इनका एकांतिक वर्णन हुआ है पर उनकी कहानियों में भी अनेक कहानियों की मूल समस्या यही है। प्रेमचन्द के साहित्य में 'सेवासदन', 'निर्मला' और 'प्रतिज्ञा' उपन्यासों के पात्र शुद्ध रुप में मध्यमवर्गीय हैं, जिनका कथानक एकांतिक रुप से नगर है, इनकी सामाजिक समस्याएँ एकोन्मुख और केन्द्रित हैं। इन उपन्यासों में प्रेमचन्द एक–एक करके उन दुखती रगों को टटोलते नजर आते हैं, जिनका अनुगमन कर वे मर्म के उस शीर्ष तक पहुँच जाऐ, जिसके चलते यह सारा समाज और जीवन ऐंठ–ऐंठकर, सिकुड़–सिकुड़ कर छटपटा रहा है।

'गबन', 'प्रेमाश्रम', 'कर्मभूमि', और रंगभूमि में नारी समस्यायें वृहत फलक पर उपस्थित की गयी हैं, जिनमें पारिवारिक विसंगतियों के साथ व्यवस्था की विसंगतियाँ अधिक स्पष्ट होकर उमड़ने लगती हैं।

हिन्दू समाज की अशिक्षा का सबसे भयंकर परिणाम नारियों को भुगतना पड़ रहा था। हमारे देश में नारियों के साथ अत्याचार की परम्परा चलाई गयी थी। उन्हें शस्त्र के अभ्यास से वंचित रखा गया। स्थिति कुछ ऐसी विषम हो गयी कि नारी को किसी प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा देना पुरुष–समाज को भारी पड़ता था।

दहेज समस्या – प्रेमचन्द पारम्परिक सामन्ती शोषण के विरोध में थे। उनके साहित्य में सामन्ती सोच से जुड़ी अनेक स्थितियाँ चित्रित हैं। सामन्ती व्यवस्था के भीतर नारी को पुरुष भोग्या का ही स्थान प्राप्त है। प्रेमचन्द समाज के चित्रकार थे। स्वाधीनता पूर्व काल की सामाजिक दशा ने उन्हें चिन्तनषील बनाया था। प्रेमचन्द ने जिन बुरे रिवाजों पर आघात किया था, उनमें से दहेज–प्रथा प्रमुख थी। यह प्रथा एक अन्याय कारक सामाजिक रिवाज है, जिसके पालन में लड़कियों के माँ–बाप की कमर टूट जाती हैं। लड़कियों के विवाह की चिन्ता से उनका तन–मन सूखता है और इस फिक्र में लड़कियों की उम्र बढ़ती है। बिना दहेज उनका विवाह नहीं होता है। 'सेवासदन' के दरोगा कृष्णचंद्र महीनों से सुमन के विवाह की चिन्ता में हैं। दहेज के लिए तीन हजार रुपये की रिश्वत लेने से जेल जाने की नौबत उन पर आती हैं। इस तरह 'निर्मला' उपन्यास में दहेज की कुरीति का भण्डाफोड़ हुआ है। यह रीति अनमेल विवाह और उसके घातक परिणामों का मरते वक्त निर्मला कहती है कि मेरी लड़की की शादी किसी योग्य व्यक्ति से की जानी चाहिए–'अगर जीती–जागती रहे, तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा।' 'कुपात्र के गले न मढ़िएगा।'

प्रेमचन्द ने 'निर्मला' उपन्यास में एक ऐसे व्यक्ति की पोल खोली है, जो अपने पुत्र का विवाह, उदयभानुलाल वकील की लड़की से बिना किसी ठहराव के ही करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि बिना ठहराव के और

* अध्यापक (हिन्दी साहित्य) शासकीय हाई स्कूल, पिपल्या ताहार, जिला–खण्ड़वा (म.प्र.) भारत

अधिक मिलने की आशा रहती है। यह व्यक्ति वकील साहब के आकस्मिक निधन पर विवाह नहीं करने के लिये 'तरह-तरह के हीले-हवाले करता है, क्योंकि अब आशातीत धन मिलने की संभावना नहीं रहती। इन महाशय की वास्तविक प्रवृत्ति का उद्घाटन प्रेमचन्द ने इन्हीं की पत्नी रंगीलीबाई द्वारा कराया है, जो पहले तो पति की बातों से सहमत होती हैं, किन्तु विधवा कल्याणी का पत्र पढ़कर, करुणा से विव्हल होकर, निर्मला से अपने पुत्र का विवाह करने को तैयार हो जाती हैं। पति की हीला-हवाला करने पर वह उसे फटकारती है, 'क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो? मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ, तो तुम समझते हो, इसे चकमा दे दिया। मगर, मैं तुम्हारी एक-एक नस पहचानती हूँ।' जब वकील साहब जीते थे, तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरुरत ही क्या है, वह खुद ही जितना उचित समझेंगे, देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहान्त हो गया, तो तरह-तरह के हीले-हवाले करने लगे। यह भलमंसी नहीं, छोटापन है। परिणाम यह होता है कि युवमोहन के साथ निर्मला का विवाह सम्बन्ध टूट जाता है और दहेज के अभाव में उसका विवाह बूढ़े तोताराम से होता है।

प्रेमचन्द की दृष्टि से यह कठिनाई केवल व्यक्तिगत नहीं है। इस प्रथा की सामाजिक बीमारी पर इलाज होना चाहिए।

पर्दा-प्रथा – भारतीय समाज में कई वर्षों से पर्दा-प्रथा चली आ रही है। जो कि नारी के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। मुसलमानी अत्याचारों के जमाने में इस प्रथा में जटिलता आई थी। परन्तु विकास के पथ पर बढ़ने वाली भारतीय नारियों ने इस प्रथा को अनुचित माना एवं पर्दे के बाहर आने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। प्रेमचन्द पर्दा-प्रथा के विरुद्ध थे, इसमें संदेह नहीं किन्तु इसके सम्बन्ध में उन्होंने केवल संकेत भर कर दिया है, उसके दुष्परिणामों का भयावह चित्रण नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने देखा था, शिक्षा के साथ यह अपने आप समाप्त होती जा रही थी। फिर भी अपनी 'दुराशा' नामक कहानी में उन्होंने यह दिखाया है कि पर्दा-प्रथा के फलस्वरुप ही एक घर में दियासलाई नहीं रहने के कारण, ठीक होली के दिन सबसे भूखे रह जाना पड़ता है।

विधवा-समस्या – प्रेमचन्द युग में नारी केवल पुरुष के अत्याचारों से पीड़ित नहीं थी, वरन् वैधव्य तो उसके जीवन के लिए वह अभिशाप था, जिसके चलते वह सामाजिक मान्यताओं की दृष्टि में भी पतित हो जाती थी। उपन्यासों की भांति प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में भी वैधव्य के दु:खों का चित्रण करते हुए नारी-समाज में जागरण लाने का प्रयास किया है। 'धिक्कार' कहानी की 'मानी' तीन आदमियों का काम अकेले करती है, फिर भी विपत्ति में आश्रय देने वाले चाचा-चाची उससे प्रसन्न नहीं होते। उसकी इस स्थिति का वर्णन करते हुए इस रचना में प्रेमचन्द ने लिखा है कि- 'वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबकों खुश रखने की कोशिश करती, पर न जाने क्यों चाचा और चाची दोनों उससे जलते रहते थे। उसके आते ही महरी अलग कर दी गयी। नहलाने-धुलाने के लिए एक लौंडा था, उसे भी जवाब दे दिया गया। पर मानी से इतना उबार होने पर भी चाचा और चाची ने जाने क्यों उससे मुँह फुलाये रहते। चाचा घुड़कियाँ जमाते, कभी चाची कोसतीं, यहां तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात-बात पर उसे गालियां देती।

प्रेमचन्द के काल में विधवा-विवाह भी वैदिक रीति से होने लगे थे। 'नाग-पूजा' कहानी में तिलोत्तमा का विवाह इसका उदाहरण है। 'यह केवल तिलोत्तमा का पुनर्संस्कार न था, बल्कि समाज सुधार का एक क्रियात्मक उदाहरण था। समाज-सुधारकों के दल दूर से विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे, विवाह वैदिक रीति से हुआ। मेहमानों ने खूब व्याख्यान दिये। पत्रों ने खूब आलोचना की। बाबू जगदीशचन्द्र के नैतिक साहस की सराहना होने लगी।'

इस प्रकार प्रेमचन्द ने वैधव्य की समस्या के मूल तक पहुँचने का प्रयास किया। उनकी धारणा थी कि जब तक नारी और पुरुष के सामाजिक अधिकारों में असमानता रहेगी, समाज की यह समस्या तब तक सुलझ नहीं सकती हैं।

नारी शिक्षा की समस्या – प्रेमचन्द के अनुसार नारी को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये, जिससे वह पत्नी, माता और गृहणी के अपने दायित्वों को समझे और पति की सहधर्मिणी बने। किन्तु वे अधिकार शून्य पत्नीत्व और आदर शून्य मातृत्व के, जो उस समय की भारतीय नारी के भाग्य में बंद थे, प्रबल विरोधी है, वे नारी को गृह क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, उतना ही स्वतंत्र बनाने चाहते हैं, जितना स्वतंत्र पुरुष अपने क्षेत्र में है। नारी का कार्य पुरुष के कार्य से किसी प्रकार हीन नहीं है, फिर पुरुष उस पर रोब क्यों जमाएं? अपने कर्त्तव्यों का पालन और अपने अधिकारों की रक्षा, संक्षेप में नारी को इसी की शिक्षा मिलनी चाहिये।

प्रेमचन्द के समय में कानूनी दृष्टि से नारियाँ पुरुष से अत्यन्त हीन थी। उनमें यह शिक्षा भी न थी कि वे अपनी स्थिति पर विचार कर सकती। प्रेमचन्द नारियों के उद्धार का एकमात्र उपाय उनमें शिक्षा प्रचार और उनकी पुरुष के मुकाबले में कानूनी समानता को मानते हैं। 'गोदान' उपन्यास की मालती इंग्लैण्ड से डाक्टरी पढ़कर लौटती है और डाक्टरी का पेशा करती है, किन्तु उसके जीवन में भी स्वार्थ, भौतिक सुख और विलासिता की प्रधानता है। मालती पर आधुनिक शिक्षा और सभ्यता का कैसा प्रभाव पड़ा है, प्रेमचन्द ने इसका वर्णन बहुत ही व्यंग्यपूर्ण किया है।

गोदान में 'मालती' मेहता के विवाह के प्रस्ताव का इसलिये विरोध करती है कि वह अविवाहित रहकर निज के परिवार की जिम्मेवारियों से बच कर, अपने दुखी देशवासियों की सेवा करना चाहती हैं। वह स्वयं माता बनने के बदले देश के गरीब बच्चों की माता बनना चाहती हैं। वह शिक्षा का उच्चतम आदर्श है। वस्तुत: मालती आज भी भारत की उच्च शिक्षित महिलाओं का नेतृत्व करती प्रतीत होती हैं।

वैवाहिक कुरीतियाँ – प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में बड़े ही यथार्थ ढंग से वैवाहिक कुरीतियों पर विचार किया है। प्रेमचन्द विवाह को एक पवित्र धर्म मानते हैं, और उसमें प्रेम को महत्व देते हुए बाहरी रीति-रिवाज का 'सांसारिक ढकोसले से अधिक मूल्य नहीं समझते। समाज के सुसंगठन के लिये वैवाहिक समस्याओं का समाधान आवश्यक है। प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में अनमेल विवाह, तलाक, विपरित वैवाहिक परिस्थितियां, विवाह की समस्या, वैवाहिक सामन्जस्य का अभाव, बाल-विवाह, बहुपत्नी प्रथा आदि वैवाहिक कुप्रथाओं का चित्रण अपने विभिन्न नारी पात्रों की जिन्दगी के भिन्न-भिन्न पहलुओं के माध्यम से किया है। 'बेटो वाली विधवा' कहानी में मध्यमवर्गीय समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेमचन्द ने समाज चित्रण की अपेक्षा कहानी पर विशेष ध्यान दिया है। इसी के अन्तर्गत 'प्रेम' और 'अनमेल-विवाह' की समस्या पर दृष्टिपात किया गया है।

वेश्या समस्या – किसी भी सभ्य समाज के लिए यह लज्जा की बात है कि उसका एक महत्वपूर्ण अंग-नारी, जो सम्मान की पात्र है, वेश्या-वृत्ति के लिए विवश हो। प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन कारणों पर भी प्रकाश डाला है, जो इसे पतित मार्ग पर ले जाते हैं। 'नरक का मार्ग' कहानी में अनमेल विवाह को इस समस्या का कारण बताते हुए कहा है कि वृद्ध अपनी युवा-पत्नी को सदैव सन्देह की दृष्टि से देखता है। असम्मान और पति का तिरस्कार पत्नी को आहत कर देता है। इस कहानी की नायिका का विवाह

एक धनी वृद्ध से होता है, जो उसके सौन्दर्य, यौवन और श्रृंगार को सन्देह की दृष्टि से देखता है। उसका सम्मान भी नहीं करता। नायिका अपनी इस उपेक्षा पर विचार करती हुई सोचती है 'मालूम नहीं, इन्हें मुझ पर इतना सन्देह क्यों होता है? जबसे नसीब इस घर में लाया है, इन्हें बराबर सन्देहमूलक कटाक्ष करते देखती हूँ। क्या कारण है?

'दो कब्रे कहानी में आर्थिक कारणों को वेश्यावृत्ति के मूल कारणों में एक बताया गया है। इस कहानी में कुँवर रनवीर सिंह वेश्या से घृणा करने वाले प्रो. रामेन्द्र से कहते है–आप लोग यह क्यों भूल जाते है कि हर एक बुराई मजबूरी से होती हैं। चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी में उसे विशेष आनन्द आता है, बल्कि केवल इसलिए कि जरुरत उसे मजबूर करती है। 'लाँछन' कहानी में प्रेम का अभाव, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, घर से नारी का बहिष्कार तथा कुटनी, दलालों और शोहदों का माया–जाल आदि कारणों को इस वृत्ति के लिए उत्तरदायी बताया गया है।

प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में इस समस्या का हल भी चित्रित किया है। उनका विचार था कि यदि वेश्याओं के लिए रोजी–रोटी का कोई अन्य प्रबन्ध हो जाय तथा उनके कन्याओं के विवाह की व्यवस्था सामाजिक स्तर पर हो जाए तो इस समस्या का समाधान बहुत हद तक अपने आप हो जाएगा।[5]

वास्तव में प्रेमचन्द मानवतावादी रचनाकार थे। उन्होंने अपने कथा साहित्य में नारी जीवन की विविध समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनका सम्पूर्ण साहित्य मानवीय संवेदना एवं सरोकार से जुड़ा हुआ है। एक जागरुक कलाकार होने के कारण वे अपनी रचनाओं में कल्पना की अपेक्षा सत्य, निराशा की अपेक्षा आशा, मृत्यु की अपेक्षा जीवन, अंतर्दृष्टि, कुरुपता के स्थान पर सौंदर्य तथा यथार्थ के स्थान पर आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के पक्षधर थे। उन्होंने अपने कथा–संसार में नये समाज और नैतिकता की रचना की थी। प्रेमचन्द के पात्र उनके विचारों की कठपुतली नहीं होते, बल्कि समाज की सच्चाई होते हैं। उनके नारी–पात्र भी इसके अपवाद नहीं है। उन्हें यहाँ भारतीय समाज के विविध स्तरों, चेतना के नाना धरातलों पर अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष की दिशा तलाशती नारी के विविध रुप दिखायी पड़ते हैं। इन क्रांतिकारी रुपों की चमक से आज के नारी उत्थान में गति तथा नवीन दिशा मिली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पाथरीकर, डॉ. सौ. मेहर दत्ता : प्रेमचन्द के कथा साहित्य में नारी समस्यायें, शैलजा प्रकाशन, कानपुर, प्रथम 2007, पृष्ठ संख्या 9
2. मुंदडा, शाकिर : 21वीं सदी की स्त्री अस्तित्व से अस्मिता तक, इण्टरनेशनल पब्लिकेशन, कानपुर, 2014, पृष्ठ संख्या 32
3. कुरुक्षेत्र, अंक मार्च, 2007, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 17
4. आजकल, साहित्य और संस्कृति का मासिक, माह जुलाई 2015, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 23
5. पाथरीकर, डॉ. सौ. मेहर दत्ता : प्रेमचन्द के कथा साहित्य में नारी समस्यायें, शैलजा प्रकाशन, कानपुर, प्रथम 2007, पृष्ठ संख्या 127

****

बौद्ध धर्म का विवेचनात्मक अध्ययन

सुशीला देवी परमार *

प्रस्तावना – धर्म (पालि:धम्म)–भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। 'धर्म' शब्द का पश्चिमी भाषाओं में कोई तुल्य शब्द पाना बहुत कठिन है। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ है। जिनमें से कुछ ये है– कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि।

अहिंसा परमो धर्मा – आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार – 'किसी वस्तु या व्यक्ति में सदा रहने वाली उसकी मूल प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वभाव, मूलगुण, स्वर्ग आदि शुभ फल देने वाले कार्य ही धर्म है।'[1]

डॉ. हरदेव बाहरी के अनुसार – 'ईश्वरीय श्रद्धा व पूजा–पाठ, ईश्वरीय उपासना, आराधना, लौकिक एवं सामाजिक कर्त्तव्य, पदार्थ का मूलभूत गुण, नैतिक एवं व्यावहारिक नियम, सदाचार, पुण्य, सत्कर्म, न्यायशीलता और विवक से किया गया कार्य ही धर्म है।'[2]

भारतीय विचार परम्परा के विकास में गौतम बुद्ध का अविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। बौद्ध धर्म का उदय विचार व विश्वास के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ है। बौद्ध सम्प्रदाय का आविर्भाव ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड–मय धर्म के विरूद्ध उपनिषदों की प्रतिक्रिया से प्रशस्त आध्यात्मिक क्रान्ति के रूप में हुआ था। बौद्ध मत का प्रवर्तन गौतम बुद्ध ने किया बुद्ध का पूर्व का नाम गौतम था तथा बचपन में इन्हें सिद्धार्थ भी कहते थे। बोधि प्राप्ति के बाद वे 'बुद्ध' कहलाए। इनका जन्म 563 ईसा के पूर्व वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को हिमालय तराई के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था।[3] युवावस्था में ही इन्होंने घर–परिवार को छोड़कर सन्यास धारण किया। जरा–मरण के दृश्यों को देखकर इनके मन में यह विश्वास हो गया कि संसार में केवल दु:ख ही दु:ख है। अत: दु:ख से मुक्ति पाने के लिये इन्होंने सन्यास ग्रहण किया। सन्यासी बनकर इन्होंने दु:खों के मूल कारणों को तथा उनसे मुक्त होने के उपायों को जानने का अथक प्रयत्न किया। धर्मोपदेशकों तथा प्रगाढ़ पंडितों से शिक्षा ली। तपस्याएँ भी की लेकिन सफलता न मिलने पर ये बिल्कुल आत्म निर्भर हो गये। दृढ़ संकल्प के साथ शुद्ध मन से ये घोर साधना में लग गए और इस तरह दु:ख के रहस्य को समझने की चेष्टा की। अन्त में इनको सिद्धि मिली, ये बोधि प्राप्त कर बुद्ध कहलाये। इसी बोधि के आधार पर बौद्ध धर्म तथा बौध दर्शन कायम हुआ। आगे चलकर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ। यहाँ तक कि दक्षिण में लंका और उत्तर में तिब्बत, चीन, जापान तथा कोरिया तक इनका संदेश पहुँच गया। प्राचीन काल के अन्य धर्मोपदेशकों की तरह महात्मा बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप में किया। बुद्ध के निजी उपदेशों का जो कुछ भी ज्ञान हमें आजकल प्राप्त है वह त्रिपिटकों से ही हुआ है। त्रिपिटकों के अंतर्गत विनय–पिटक, सुप्त–पिटक तथा अभिधम्म पिटक है। प्रत्येक पिटक में अन्य ग्रंथ है, इसलिये 'पिटक' (पेटी) नाम पड़ा। विनय पिटक में संघ के नियमों का, सुप्त–पिटक में बुद्ध के वार्तालाप और उपदेशों का तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संग्रह हुआ है। इनकी भाषा पालि है। **एंगेल्स ने कहा है–'महान ऐतिहासिक मोड़ो के साथ–साथ धार्मिक परिवर्तनों का आना, केवल तीन विश्व धर्मो के साथ ही, जो अब तक जारी रहें है, सत्य सिद्ध हुआ है–बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, और इस्लाम धर्म।'**[4] उपनिषदों का मूल सिद्धांत आत्मा का अस्तित्व है। यह आत्मा मनुष्य और जगत् का अन्तर्तम सत्य तथा सार है। जगत् के परिवर्तनशील क्रम का आत्मा नित्य और अपरिणत आधार है, बौद्ध धर्म का सत्य विषयक सिद्धान्त इसके विपरीत है। बौद्धमत के अनुसार उपनिषदों की आत्मा की कल्पना निराधार है। वेदान्त से बौद्ध धर्म के तीव्र संघर्ष का मुख्य कारण भी बौद्धमत का अनात्मवाद ही है। अनात्मवाद के सिद्धान्त का मूलाधार प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धान्त है। बौद्ध धर्म का उदय एक नैतिक सामाजिक आन्दोलन के रूप में हुआ था। नैतिकचर्या बौद्ध धर्म का प्राण है।

बौद्ध धर्म के चार–आर्य सत्य – महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सारांश उनके चार आर्य सत्यों में निहित है। इन्हीं आर्य–सत्यों का उपदेश बुद्ध ने जनसाधारण को दिया है। इनके चार आर्य सत्य निम्नानुसार है– **1) सासांरिक जीवन दु:खों से परिपूर्ण है, 2) दु:खों का कारण है, 3) दु:खों का अन्त संभव है, 4) दु:खों के अन्त का उपाय है**[5] चार्वाक दर्शन के अलावा सभी भारतीय दर्शन के इन चार आर्य–सत्यों को किसी न किसी रूप में मानते आये हैं।

1. प्रथम आर्य सत्य–संसार दु:खमय है (सर्वदु:खम्) – रोग, जरा तथा मरण के दु:खमय दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का मन व्याकुल हो गया था। किन्तु जब सिद्धार्थ बुद्ध हुए तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानव तथा मानवेत्तर जीवन सभी दु:खों से परिपूर्ण है। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्लेश, आकांक्षा, वैराग्य सभी आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। अत: ये सभी दु:ख है। क्षणिक विषयों के लिये आसक्ति ही पुनर्जन्म तथा बंधन का कारण होती है। लेकिन चार्वाक दर्शन इन दु:खों को नहीं मानता उसका कहना है कि दु:ख के साथ–साथ जीवन में सुख प्राप्ति के भी अनेक साधन है लेकिन बुद्ध का कहना है कि सांसारिक सुखों को यथार्थ सुख समझना केवल अदूरदर्शिता है। सांसारिक सुख वास्तविक नहीं है वे तो क्षणिक मात्र होते हैं।

2. द्वितीय आर्य सत्य–दु:खों का कारण (दु:ख समुदय:) – दु:ख के अस्तित्व को सभी भारतीय दार्शनिक मानते हैं किन्तु दु:ख के कारण के सम्बन्ध में एकमत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुदय: के अनुसार दु:ख के कारण को जानने का प्रयत्न किया है। प्रतीत्य समुत्पाद के कारण संसार का कोई भी विषय बिना कारण नहीं है। अत: जब तक कुछ कारण नहीं रहे तब तक दु:ख की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जीवन के दु:खों का सांकेतिक नाम जरा–मरण है। इस प्रकार बुद्ध ने बताया कि अभिलाषा ही तमाम दु:खों का मूल कारण है। बुद्ध के अनुसार इस जगत् में कारण के बिना किसी वस्तु का

* शोधार्थी (हिन्दी) हिन्दी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

अस्तित्व नहीं होता। बुद्ध का कहना है कि पुरानी वस्तु के विनाश से नयी वस्तु की उत्पत्ति होती है। आज की घटनाएँ अतीत की घटनाओं का ही परिणाम है। एक वस्तु के विनाश से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति ही प्रतीत्य समुत्पाद है। इस प्रकार एक बात का जिक्र करना अप्रासंगिक न होगा तो भारतीय दर्शन की विशेषत: महात्मा बुद्ध की अपूर्व देन है। वह यह कि शरीर की उत्पत्ति तथा वृद्धि एक अन्तर्निहित वासना के कारण होती है। इस तरह महात्मा बुद्ध तथा हेनरी वर्ग सॉ दोनों ही संसार को परिवर्तनशील मानते हैं।

3. तृतीय आर्य सत्य-दु:खों का अन्त संभव है (दु:ख निरोध:) – यदि दु:ख के कारण का अन्त हो जाए तो दु:ख का अन्त भी अवश्यम्भावी है। दु:ख नाश या दु:ख निरोध की अवस्था का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। दु:ख निरोध को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में भी हो सकती है। राग-द्वेषों पर विजय पाकर तथा शुद्ध आचरण या शील के साथ आर्य-सत्यों का निरन्तर ध्यान करते हुए। निर्वाण निष्क्रिय अवस्था नहीं है, जैसे कि प्राय: लोग समझते हैं। यह सही है कि आर्य-सत्यों के सम्यक ज्ञान के लिये मन को बाह्य वस्तुओं से तथा आन्तरिक भावों से हटना पड़ता है तथा आर्य सत्यों पर केन्द्रीभूत कर उनका निरन्तर विचार एवं मंत्र करना पड़ता है। निर्वाण के दो तरह के लाभ हैं। एक तो यह कि निर्वाण प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म और तज्जनित दु:ख संभव नहीं है। क्योंकि जन्म ग्रहण के लिये जो आवश्यक कारण है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा लाभ यह है कि जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उसका जीवन मृत्युपर्यन्त पूर्ण ज्ञान और शान्ति के साथ बीतता है।

4. चतुर्थ आर्य सत्य-दु:खों के अन्त का उपाय (दु:ख निरोध गामिनी प्रतिपद) – चतुर्थ आर्य सत्य यह है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए एक मार्ग है। इसका अनुसरण करके बुद्ध ने निर्वाण या दु:खातीत अवस्था को प्राप्त किया था और जिसका अनुसरण और लोग भी कर सकते हैं। **बुद्ध कहते हैं कि-दु:खों से मोक्ष प्राप्त करने का सबको अधिकार है।**[6]

बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग – बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए जिस मार्ग को लोगों के सामने रखा है उसके आठ अंग है जिन्हें अष्टांगिक मार्ग भी कहते है।यही बौद्ध धर्म का सार है तथा यह गृहस्थ व सन्यासी दोनों के लिए है।ये आठ अंग इस प्रकार है[7]-

1. सम्यक्-दृष्टि (पालि भाषा में सम्मा दिट्ठि) – अविद्या से ही मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है तथा उसी से हमें दु:ख होता है। इस दृष्टि को छोड़कर वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप पर सतत् ध्यान रखना चाहिये इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं।

2. सम्यक् संकल्प (सम्मा संकप्प) – आर्य-सत्यों के ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उनके अनुसार जीवन बिताने का संकल्प न लिया जाए। निर्वाण प्राप्ति के लिये 3 चीजों के परित्याग का दृढ़ संकल्प लेना चाहिये। संसारी विषयों का परित्याग, विद्वेषभावना, तथा हिंसा।

3. सम्यक्-वाक् (सम्मा-वाचा) – सम्यक् संकल्प केवल मानसिक नहीं होना चाहिये बल्कि उसे कार्यरूप में भी परिवर्तित होना चाहिये। सम्यक् वाक् के अन्तर्गत हमें हमारे वाक् निर्माण पर नियंत्रण होना आवश्यक है अर्थात् दूसरे शब्दों से कहें तो हमें मिथ्यावादी निंदा प्रिय, अप्रिय वचन तथा वाचालता से बचना चाहिये।

4. सम्यक् कर्म (सम्मा-कम्मन्त) – सम्यक् कर्म को केवल वचन में ही नहीं बल्कि कार्य रूप में भी निरूपित होना आवश्यक है। अहिंसा, अस्तेम अर्थात ब्रह्मचर्य तथा इन्द्रिय संयम ही सही कर्म है।

5. सम्यक्-जीवन (सम्मा-आजीव) – बुरे वचन तथा बुरे कर्म के परित्याग के साथ-साथ बुद्ध मनुष्य को शुद्ध उपाय से न्याय पूर्व जीविकोपार्जन की भी शिक्षा देते हैं। सही, जीवन यापन के लिए उचित मार्ग का ही अनुसरण करना पर्याप्त रहता है।

6. सम्यक्-व्यायाम (सम्मा-वायाम) – उपर्युक्त नियमों के चलते हुए भी संभव है कि हम अपने मार्ग से विचलित हो जाएँ। अत: इस बात का निरन्तर प्रयत्न करना भी आवश्यक है कि पुराने कुसंस्कारों का पूरी तरह नाश हो जाये, नये बुरे भाव भी मन में न आएँ, मन को बराबर अच्छे-अच्छे विचारों से पूर्ण रखना आवश्यक है और इन शुभ विचारों को सतत् धारण करने के लिये चेष्टा भी अत्यावश्यक है। इन्हें ही सम्यक् व्यायाम कहते हैं।

7. सम्यक्-स्मृति (सम्मा-सति) – इस मार्ग पर चलने के लिये बराबर सतर्क रहने की आवश्यक है। जिन विषयों का ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका है, उन्हें बराबर स्मरण करते रहना चाहिये। सम्यक्-स्मृति के कारण मनुष्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है और सांसारिक बन्धनों में नहीं पड़ पाता है।

8. सम्यक्-समाधि (सम्मा-समाधि) – उपर्युक्त 7 नियमों के अनुसार चलकर जो मनुष्य अपनी बुरी चित्तवृत्तियों को दूर कर लेता है। वह सम्यक्-समाधि से प्रविष्ट होने के योग्य हो जाता है और क्रमश: चार अवस्थाओं को प्राप्त कर निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। यह अवस्था प्राप्त हो जाने पर सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाते है तथा आर्य-सत्यों के प्रति श्रृद्धा बढ़ती है और तब वितर्क तथा विचार अनावश्यक हो जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग अर्थात बुद्ध के धर्मोपदेशों का यही सार है- **शील, समाधि, प्रज्ञा।**

1. सम्यक् दृष्टि, 2. सम्यक् संकल्प, 3. सम्यक् वाक् = **प्रज्ञा**
4. सम्यक् कम्मन्त, 5. सम्यक् जीवन, 6. सम्यक् व्यायाम = **शील**
7. सम्यक् स्मृति, 8. सम्यक् समाधि = **समाधि** [8]

बौद्ध-दर्शन का विवेचन – बुद्ध के कुछ दार्शनिक विचार हैं जिन पर उनके धर्मोपदेश अवलम्बित हैं-

(क) प्रतीत्य-समुत्पाद – इसमें ऐसा बताया कि बाह्य तथा मानस जितनी भी अवस्थाएँ या घटनाएँ होती हैं सभी के लिये कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता है। कारण के बिना किसी भी घटना का अविर्भाव नहीं होता। यह नियम किसी चेतना शक्ति के द्वारा परिचालित नहीं होता वरन् यह स्वयं परिचालित होता है। बुद्ध का कहना है कि यही प्रतित्य समुत्पाद को नहीं समझा तो दु:ख की उत्पत्ति होती है।

(ख) कर्मवाद – प्रतीत्य-समुत्पाद से ही कर्मवाद की स्थापना होती है। क्योंकि इसके अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसकी एक पूर्ववर्ती अवस्था का परिणाम समझा जाता है और कर्मवाद के अनुसार वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भविष्य में मिलता है।

(ग) क्षणिकवाद – बुद्ध बराबर कहा करते थे कि सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील तथा नाशवान है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कारण विशेष से होती है तथा कारण के समाप्त हो जाने पर वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जिसका आदि है उसका अन्त भी है।

(घ) अनात्मवाद – संसार परिवर्तन शील है। लोगों में धारणा है कि मनुष्य में आत्मा नाम की चिर स्थायी वस्तु है। शरीर परिवर्तन पर भी आत्मा हमेशा कायम रहती है ,किन्तु बुद्ध आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते है। यह अनात्मवाद का सिद्धान्त ही बौद्ध दर्शन तथा वैदिक दर्शन के बीच में विभाजक रेखा है। इनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु वह चाहे जड़ हो या चेतन आत्मरहित है। इसी का नाम अनात्मवाद है।

उपसंहार – यह कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन भी भारतीय दर्शन है और बौद्ध की संस्कृति भी भारतीय संस्कृति ही है। बौद्ध दर्शन मुख्य रूप से

दु:खवादी दर्शन है। गौतम बुद्ध ने मुख्यत: दु:खों की चर्चा करते हुए उसे दूर करने के उपाय भी सुझाए है। चार आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्गों के कारण बौद्ध दर्शन को आज तक महत्व मिलता आ रहा है। अपने उपदेशों का सार बताते हुए स्वयं **गौतम बुद्ध ने कहा है –'मैं बराबर दो ही मुख्य उपदेश देता आया हूँ–'दु:ख और दु:ख निरोध।'**

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बौद्ध धर्म उत्पत्ति और विकास, के.एन.उपाध्याय।
2. लुडविग फायर बाख, एंगेल्स।
3. प्राचीन भारत, एस.के.पाण्डे।
4. उज्जयिनी में बौद्ध धर्म (संक्षिप्त इतिहास), डॉ. रामकुमार अहिरवार।
5. भगवान बुद्ध और उनके धम्म का परिचय, प्रमोद मेश्राम।
6. भारतीय दर्शन, डॉ. उमेश मिश्र।
7. भारतीय दर्शन की भूमिका, डॉ. रामानन्द तिवारी।
8. समकालीन दर्शन, डॉ. सतीशचन्द्र एवं धीरेन्द्र मोहन दत्त।
9. भारतीय चिन्तन परम्परा, के. दमोदरन।
10. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि, डॉ. विश्वम्भर नाथ उपाध्याय।
11. भारतीय दर्शन शास्त्र अध्यापक, धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री।
12. समकालीन भारतीय दर्शन, बसन्त कुमार लाल।
13. Wikipedia.org

****

निमाड़ की मध्ययुगीन सन्त परम्परा में प्रतिबिम्बित दार्शनिक चिन्तन

चन्द्रकान्ता बड़ोले *

प्रस्तावना – वस्तुत: नदियाँ भी हमारी संस्कृति की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन नदियों ने हमारी सभ्यता का नित्यनूतन परिष्कार किया है। निमाड़ का एक हिस्सा युगों से अपनी अलग संस्कृति की पहचान बनाये हुए है। नर्मदा आदि गंगा है।

पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय ने लिखा है– नर्मदा का अर्थ यानी आनंद देने वाली पावन नदी है। नर्मदा निमाड़ की पवित्रतम नदी है। इस दृष्टि से निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अति समृद्ध और गौरवशाली है। इस नर्मदा नदी मेंअनेक संस्कृतियों का उत्थान और पतन देखा है। नर्मदा के नाभिकेन्द्र नेमावर से लगाकर हरसूद होशंगाबाद तक निमाड़ी संस्कृति का व्यापक विस्तार किया गया है। नर्मदा का प्रसिद्ध पाषाण खण्ड शंकर की तरह पावन और पवित्र है।

संवत् 1455 कबीर पंथियों के मतानुसार कबीर का जन्म माना जाता है। संत ब्रह्मगिरि की रचनाएँ प्राप्त हुई, जिसमें कबीर की विचारधारा का पूर्ण समर्थन उपलब्ध है। कबीर का मृत्युकाल संवत् 1575 माना जाता है। अत: संत ब्रह्मगिरि का काल भी इसी के आसपास होना चाहिए।

संत सिंगाजी मृत्यु के समय 90 वर्ष के थे। इस प्रकार संवत् 1574 में कबीर की मृत्यु के एक वर्ष पूर्व होना चाहिए। इनके गुरु का नाम मनरंगीर था। आयु में वे संत सिंगाजी से कुछ बड़े होंगे। ब्रह्मगिरि मनरंगीर के गुरु थे। इस प्रकार संत सिंगाजी ब्रह्मगिरि की द्वितीय शिष्य परम्परा मेंआते है। निर्गुण ब्रह्म विषयक एक गीत इस प्रकार है–

निरगुण ब्रह्म का चीना जद भुल गया सब कीना।
सोहं सबद है सार, सब घटमू सन्चराचार।।
जहाँ लाग रहा एक तार, सब घटमू श्री ऊँकार।
कोई नीन मारग ढूंढ लीना।। निरगुण ।।

मनरंगीर – सिंगाजी के शिष्य खेमराज लिखित सिंगाजी की परचुरी के अनुसार मनरंगीर नाम नगर गाँव के रहने वाले थे, शेष इनके जन्म के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। मनरंगीर ने संत सिंगाजी से दीक्षा ली थी तथा उनके उपदेशानुसार घर बार त्याग कर एक मात्र ईश्वर का ही चिंतन किया था। इस परचुरी में 'नामदेव कबीर गुरु के सरता' इस पंक्ति के अनुसार कबीर और नामदेव समकालीन प्रतीत होते है। यह भी संभव है कि कबीर के जीवनकाल में ही मनरंगीर भी विद्यमान थे। मनरंगीर ने भी कबीर की तरह ही निरगुण पद लिखे है।

संत सिंगाजी – इनका जन्म संवत् 1574 में खजूरी नामक ग्राम में हुआ जो पश्चिम निमाड़ के जिले राजपुर तहसील में है।

निरगुण ब्रह्म के संबंध में संत सिंगाजी का यह पद उल्लेखनीय है–

निरगुण ब्रह्म है न्यारा, कोई समझो समझन हारा।
खोजत ब्रह्म जलम सिरानो, मुनिजन पार न पावे।।
खोजत खोजत शिवजी थाके ऐसा अपरम पारा ।।
वेद कहे एक अगम बानी, सुरता करो विचारा।
काम क्रोध मद मत्सर व्यापे, झूठा कलप पसारा।।
त्रिकुट महल म अनहद बाजे, होत सबत झनकारा।
सुकमन सेज सुन्न म झूले, सोहम पुरुष हमारा।।

संत भावसिंह – संत भावसिंह का जन्म विक्रम संवत् 1563 वीं में सन् 1532 मेंश्रावण मास की नागपंचमी को बुधवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र में दवाना के निकट रणगांव में हुआ था। उनके पिता कल्याणसिंह क्षत्रिय राजपूत थे और उनकी माता सुन्दरबाई थी। उनके पिता सम्पन्न कृषक और पशुपालक थे। उनके माता–पिता के विवाह के अनेक वर्ष बाद भावसिंह का जन्म हुआ था। भावसिंह बाबा ने संत सिंगाजी को अपना गुरु स्वीकार किया था। वे हमेशा भक्ति गीत गाते थे। उनका एक पद प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है–

मन तेरा तू मेरा रे भाई।
सब चिड़ियां रैन बसेरा रे भाई।।
एक ब्रह्म का सकल पसारा।
जीव बड़ा बहु तेरा रे ।।
पांच तत्व का बना यह पिंजरा।
वहाँ लगाया डेरा रे भाई।।
एक ही सूरज करे प्रकाशा।
एक चन्द्र उजियारा रे।।
एक ही बादल एक ही पानी।
बीज चमके रे चौकेरा रे भाई।।

संत भावसिंह जी ने अत्यंत सरल भाषा में आत्मा–परमात्मा की घनिष्ठा और जन्म–मरण के चक्र से मुक्ति का सुन्दर वर्णन किया है। एकेश्वरवाद का समर्थन किया है और कहा है कि समस्त सृष्टि का पालक एक ब्रह्म ही है। गुरु की महिमा से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर भावसिंह जी ने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है।

कालूजी – कालूजी संत सिंगाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म कार्तिक सुदी पंचमी, विक्रम संवत् 1599 तद्धुसार ई.सं. 1542 में सोमवार के दिन हरसूद में हुआ था। उनकी माता का नाम जसोदाबाई था। कालूजी भी अपने पितामह की तरह सम्पन्न गवली समाज में पैदा हुए थे। बचपन से ही कालूजी ने अपने पारिवारिक पशु चराने का कार्य किया था। बचपन से ही नर्मदा माता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। वे हमेशा पशु चराई के साथ–साथ नर्मदा के ध्यान में भी मग्न रहते थे।

कालूजी कर्मवादी थे। अपने अनुयायियों को कर्म का उपदेश दिया था। उनकी मान्यता थी कि देवताओं की आराधना में किसी प्रकार का दिखावा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार दिखावा पाखण्ड की श्रेणी मेंआता है।

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

कालूजी ने विनम्रता, मा, दीनता, धैर्य आदि के प्रति अत्यधिक आदर था।

दलूदास – ये संत सिंगाजी के पौत्र कहे जाते है। इनके जन्म–मृत्यु के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। करीब 15 सौ पद दलूदास के माने जाते है, जिसमें से 100 पद प्राप्त हुए है। भाषा की दृष्टि से दलूदास के पदों में निमाड़ी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। संत दलूदास ने कुछ पद सिंगाजी की प्रशंसा में लिखे है। विनय, विरक्ति, संसार की नश्वरता, माया, ब्रह्म आदि से संबंधित दलूदास ने कुछ पद लिखे है। दलूदास ने संत सिंगाजी की शिष्य परम्परा को आगे बढ़ाया है।

खेमदास – खेमदास भी संत सिंगाजी के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। यद्यपि इनकी जन्म–मृत्यु के संबंध में कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा संत सिंगाजी की परचुरी के अलावा अन्य कोई रचना इनकी उपलब्ध नहीं होती है।

धनजीदास – इसकी जन्म–मृत्यु के संबंध मेंकोई विवरण प्रस्तुत नहीं है। धनजीदास ने मोतीलीला नामक सुन्दर पद्यबद्ध निमाड़ी आख्यान भी लिखा है। इन्होंने अभिमन्यु विवाह, सुभद्रा विवाह, रुक्मिणी करण, बाललीला, गोवरधन लीली, राधा मंगल, पूतना वध, कंस वध, लीलावती तथा मोतीलीला जैसी प्रसिद्ध रचनाएँ की है।

लालदास – संत लालदास का जन्म खरगोन जिले के सूरपाला नामक गाँव में संवत् 1802 में अर्थात् ई.सं. 1735 में हुआ था। संत लालदास हरिजन परिवार के सदस्य थे, जिस कारण उन्हें जातिप्रथा और अस्पृश्यता की भावना का सामना करना पड़ा। वे आजीवन सफाई कार्य में लगे रहते थे। वे हमेशा भगवान् का स्मरण करते रहते थे, उनका कोई गुरु नहीं था और नहीं उन्होंने किसी की दीक्षा ग्रहण की थे। वे सगुण भक्ति के आराधक थे। वे हमेशा कृष्ण की आराधना में तल्लीन रहते थे। संत लालदास ने अनेक पदों की रचनाएँ की है, जिन्होंने भक्ति और नैतिक आचरण को महत्व दिया है। उन्होंने सांसारिक वासनाओं को छोड़कर माता–पिता और गुरु की सेवा पर अधिक बल दिया। संत लालदासजी ने अपनी इच्छानुसार सुरपाला गाँव में जीवित समाधि ली थी।

संत बोदरुबाबा – संत बोदरुबाबा का जन्म होशंगाबाद जिले के हरदा में भादो माह की नवमीं को विक्रम संवत् 1765 तद्नुसार ई.सं.1708 में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल तथा माता का नाम राधाबाई था। ये भिलाला जनजाति के थे। कृषि, कृषि मजदूरी, पशुपाल आदि बोदरुबाबा के बचपन के जीवनयापन के साधन थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। सन् 1719 में पिता का देहावसान हुआ, जब वे मात्र 11 वर्ष के थे। इसके कारण उन्हेंअपनी माता के साथ खरगोन जिले के नागझिरी मेंरहना पड़ा। ग्राम नागझिरी में एक महन्तजी ने उन्हें भक्ति मार्ग की और दीक्षित किया। वे निमाड़ी भाषा में लिखे भक्तिपूर्ण पद गाते थे। वे प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते थे। गो सेवा उनका प्रिय व्रत था।

अफजल – अफजलजी का जन्म विक्रम संवत् 1810 अर्थात् ई.सं. 1753 के आसपास बड़वानी में हुआ था। वे अनामी सम्प्रदाय के थे, जब उन्होंने इस सम्प्रदाय में शिक्षा ग्रहण की तब वे 20–22 वर्ष के युवा रहे होंगे, उन्होंने अमर सागर नामक ग्रंथ की रचना की है। 1725 व पद में ग्रंथ के पूर्ण होने की तिथि दी गई है, जो मिति चैत्र सुदी द्वितीया, गुरुवार विक्रम संवत् 1848 शके, तद्नुसार ई.सं. 1791 मेंउनकी तिथि पड़ती है।

संत अफजल जाति पाति को नहीं मानते थे। वे कहते है–

अफजल ना हम हिन्दू, ना हम तुरक, हम हय अनाम की जोत।
अफजल की जोत म जो मिलेगा, उनकू पाप पुण्य नहीं छोत।।

उनकी साखियों में तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें सामाजिक विसंगतियाँ, हिंसा, जात–पाँत, सम्प्रदायवाद, धार्मिक आडम्बर आदि का विरोध प्रकट किया है, उन्होंने गुरु महिमा पर अनेक साखियां लिखी है। वे निरगुण निराकार के उपासक थे। अफजल ने संकीर्ण जातीय मानसिकता वाले हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य जाति के लोगों को बुरी तरह से फटकारा लगाई है–

अफजल एक मारग से दोउ आये, बीच में काटी बांट।
आग दोउ घर लागी, ओघड़ पड़े घाट।।

जगन्नाथ गिर – ये संत सिंगाजी के समकालीन कवि थे। यद्यपि इनके भी जन्म–मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। जगन्नाथ गिर ने संत सिंगाजी की तरह मनरंगीर के एक पद का भी उल्लेख किया है।

धनजीदासजी के बाद निमाड़ी साहित्य में श्री कृष्णानंद अथवा रंकदास और दीनदास नामक संत हुए है। इन दोनों ने भी निमाड़ी लोकसाहित्य में निरगुण धारा की अपेक्षा सगुण धारा का सूत्रपात किया।

कृष्णानंद अथवा रंकनाथ – इनका जन्म संवत् 1848 मेंविक्रमी में हरदा तहसील के नजरपुरा गाँव मेंहुआ था। इनके पिता का नाम काशीराम था। कृष्णानंद से रंकनाथ होकर भगवान् कृष्ण की आराधना में लीन हो गये। वे संवत् 1932 में भाद्रपक्ष एकादशी को 84 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मलीन हुए, इन्होंने निमाड़ी, गुजराती, मराठी और राजस्थानी मेंअनेक भावपूर्ण पद लिखे।

दीनदास –निमाड़ी लोक साहित्य में रंकनाथ के सगुण भक्ति की कृष्ण काव्यधारा का और श्री दीनदास को रामकाव्य की धारा का प्रर्वतक माना जाता है। इनका जन्म संवत् 1892 विक्रम में मगदायी राज्य के सिराली ग्राम में हुआ था। प्रारंभिक काल में वे अपने पिता की तरह पुरोहित का कार्य करते थे, किन्तु बाद मेंभगवद भक्ति की ओर आकर्षित हुए। कुछ समय बाद उन्होंने रंकनाथजी से दीक्षा ग्रहण की और वे पूर्णतया विरक्त हो गए। रंकनाथ की तरह ही दीनदास भी कृष्णोपासक थे, परंतु राम की उपासना पर लुब्ध होकर वे कृष्ण की उपासना में लग गये।

मन रघुवर क्यों नहि गावे।
हरि छांड अवर कस भावरे।।
भयो कुपथ कारी दुर्जन संगत।
लघु लालचऽ चाहे।
कल्पवृक्ष सम संत समागम।।
अवध राम रस भावे।

साधु फकीरनाथ – निमाड़ी लोक साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ साधु फकीरनाथ से प्रारंभ होता है।

जाति सुधारक मासिक पत्र मेंआपकी अनेक भक्तिपूर्ण रचनाएँ प्रकाशित हुई है। वर्तमान में उनके पुत्र गोपालनाथ जीवित है, जिनके पास उनकी कुछ रचनाएँ संग्रहीत है।

अनामी सम्प्रदाय के गायक – अनामी सम्प्रदाय के भक्त कवि दशरथ साहब, खुशाल भावदास, रामदास, अफजल साहब आदि की रचनाएँ बड़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी अनामी सम्प्रदाय के संत साधक निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे।

अध्यात्म वाग्ड्मय का स्वर्णयुग की चर्चा करते हुए वसन्त निरगुणे इस सम्बन्ध में कहते है कि– भक्तिकाल भारतीय आध्यात्मवामय का स्वर्णयुग कहा जाता है।

संत ब्रह्मगीर कहते है– मनुष्य को इस दुविधा में दो दिन का परदेशी बताया है, जिसे अंत में निर्गुणधाम जाना है। अन्यथा एक दिन आश्चर्यचकित

रह जायेगा, जब अपनी यात्रा अपनी राह में लग जाएगा। मन रंगीर संत ने भी इन्हीं निर्गुणियों की वाणी मेंअपने पद रचे है और जो उन्होंने उपदेश दिया है, वह उपदेश संत साहित्य मेंअत्यधिक उल्लेखनीय है। 'निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोई समझो समझणा हारा।'

सन्तों ने ब्रह्म के रूप में ब्रह्म की विराट कल्पना की है। खेमादास, दलूदास, रंकदास, मनरंगीर और सन्त सिंगाजी ने जो अध्यात्मपरक पद रचे है, उनमें सन्तों ने शाश्वत सत्य का ही गान किया है। संतों ने अपनी वाणी से जनमत की धारा को चिरन्तन रखा है।

प्राचीनकाल से ही लोकमत ने अध्यात्म की धारा प्रवाहित की है। ब्रह्म के स्वरूप को कोई भी सत्यरूप मेंजानने वाला नहीं है। ब्रह्म रूप को किसी भी रूप में उसे नहीं बांधा जा सकता है। ब्रह्म रूप की कल्पना मेंसन्त सिंगाजी कहते है कि–

'रूप नाही रेखा नहीं नाही है कुल गीत रे!।
बिनु देह को साहब मेरो, झिलमिले देखो ज्योत रे।।'

संतों की प्रेरणा के कारण ही हिन्दुओं मेंआत्म गौरव की अनुभूति हुई है। जीवन के सर्वोच्चधेय मोक्ष की प्राप्ति हेतु भक्ति मार्ग पर संत दृढ़ता से चलते गये। हिन्दू समाज में जाति प्रथा एक अभिशाप बनकर विद्यमान रहा है, किन्तु निमाड़ के संतों ने जाति–पाँति की ऊँच–नीच को त्यागकर सबके प्रति समभाव का दृष्टिकोण रखा। जातिवाद की संकीर्ण धारणाओं के विरुद्ध कई संतों ने फटकारा भी है। कुछ संतों ने छुआछूत जैसी थोथी धारणाओं को निरस्त किया है। संतों ने समाज के निर्माण के लिए काफी योगदान किया है।

निमाड़ के संतों ने उच्च कोटि के दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन से युक्त साहित्य का सर्जन किया है। अधिकांश संतों ने भक्तिभाव पूर्ण भजन रहे हैं, जिससे निमाड़ी साहित्य को समृद्ध करने में अत्यधिक योगदान दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रामनारायण उपाध्याय– संकलन मोतीलीला, निमाड़ी गाथा।
2. वसन्त निरगुणे– अनुवादक भिलणाबाल काठी गाथा।
3. रमेशचन्द्र तोमर– काजलमाता, मूलागोन्डेन, ग्यारसमाता, तलकपुरा का तालाब, संकलन।
4. अमर सागर, खण्ड 2, रचयिता संत अफजल, संकलन–अनुवाद बाबूलाल सेन, म.प्र. आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, संस्करण 1999, पृ. 161
5. अमर सागर, खण्ड 1, रचयिता संत अफजल, संकलन–अनुवाद बाबूलाल सेन, म.प्र. आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, संस्करण 1999, पृ. 190

****

ललित निबंधकार-कुबेरनाथ राय के निबंध साहित्य में प्रतीक विधान

डॉ. अर्चना देवी अहलावत *

शोध सारांश – 'प्रियानीलकण्ठी' और 'गंधमादन' का नाम सुनते ही हिन्दी निबंध सहित्य जगत का एक चेहरा उभरता है-यशस्वी ललित निबंधकार कुबरेनाथ राय का। वह यशस्वी है कि अपने पहले ही निबंध संग्रह प्रियानीलकण्ठी के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समकक्ष आ खड़े हुए। इस निबंध संग्रह से उन्हें इतना यश और प्रसिद्धि मिली कि हिन्दी समिति (उ0प्र0) द्वारा सन् 1971 में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित हुए। कुबरेनाथ राय को भारतीय संस्कृति से विशेष लगाव था, उनके निबंधों की भाषा शैली, शब्दों का आर्कषण, अर्थ की गूढ़ता और सहज व्यंग्य का पुट लिये प्रतीकात्मक भाषा जादुई थी। भोजपुरी और असमिया अंचल के शब्दों में नवीनता एवं माधुर्य था। प्रतीक शब्द प्रसंगानुकूल थे, वाक्यों में कसावट थी। अर्थ में बौद्धिक कुशलता , भावगूढ़ता थी। यही कारण है कि आज भी कुबेरनाथ राय के निबंध मानस मन पर माधुर्य की छाप छोड़ते हैं, आज भी प्रसिद्ध हैं, प्रासंगिक है।

प्रस्तावना – व्यक्तित्व ललित निबंधकार कुबरेनाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को जनपद गाजीपुर के मतसा गॉव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। पिता पं0 बैकुण्ठनाथ राय तथा माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की प्रथम संतान थे। बी0ए0 की शिक्षा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से तथा एम0ए0 अंग्रेजी सहित्य में कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता से किया। एम0ए0 के पश्चात विक्रम विद्यालय हावड़ा में कुछ दिन अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए, उसके बाद सन् 1951 में नलबारी कालेज नलबारी (असम) में अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर नियुक्ति प्राप्त की, वहीं रहकर कुबरेनाथ राय ने 29 वर्ष अंग्रेजी के व्याख्याता और विभागाध्यक्ष के रूप में व्यतीत किये। ये 29 वर्ष ही उनके स्वर्णिम लेखन के साक्षी बने नलबारी के राजनीतिक माहौल के कारण असम छोड़कर गाजीपुर आ गये। यहॉ 9 वर्ष तक स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करते हुए 30 जून 1995 में सेवानिवृत हुए और 5 जून सन् 1996 को नश्वर संसार से विदा ली।

कृतित्व प्रकाशित निबंध संग्रह-प्रियानीलकण्ठी (1969) रस आखेटक (1971), गंधमादन (1972), निषाद बांसुरी (1973) विषाद योग (1974), पर्णमुकुट (1978), महाकवि की तर्जनी (1979), किरात नदी में चन्द्रमधु (1979), पत्रमणि पुतुल के नाम(1980), मन पवन की नौका (1982), दृष्टि अभिसार (1995), त्रेता का वृहत्साम (1986), कामधेनु (1990), मराल (1993), उत्तर कुरू (1993), चिन्मय भारत (1996), वाणी का क्षीरसागर (1998), रामायण महातीर्थम (2002), अंधकार में अग्निशिखा।

सम्मान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार (हिन्दी समिति उ0प्र0) 19971, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार (1987), मूर्ति देवी पुरस्कार, भोजपुरी रत्न, राही मासूम रजा तथा साहित्य भूषण आदि अनेक अलंकारों से विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित रहे।

निबंध साहित्य में प्रतीक विधान- साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेकिन साहित्य में साहित्यकार विशेष (कवि-लेखक) की अनुभूतियॉ प्रतिबिम्ब होती हैं। लेखक का व्यक्तित्व उसके कृतित्व में समाहित होता है, इसलिये किसी भी रचना का मूल्यांकन करते समय हम लेखक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन करते हैं। ललित शब्द सम्पदा के धनी कुबेरनाथ राय की बौद्धिक दृष्टि पैनी थी। अपनी भावाव्यक्ति का माध्यम ऐसे शब्दों को बनाया जो पाठकों के मन की तह में बैठ गये। इन प्रतीक शब्दों ने अभिधा-लक्षणा-व्यंजना शब्द शक्तियों में समाहित होकर तीखे प्रहार तो किये लेकिन अपने लालित्य को नहीं खोया, यही लेखक का बौद्धिक कौशल था।

'प्रतीक शैली' का एक विशिष्ट भाषेतर आयाम है। 'प्रतीक' शब्द की व्युत्पत्ति 'तिन' धातु में प्रति उपसर्ग 'ईकन' प्रत्यय लगने से हुई है। इस व्युत्पत्ति मूलक अर्थ के अनुसार जिस वस्तु अथवा साधन के द्वारा बोध या ज्ञान की प्रतीति या विश्वास होता है उसे प्रतीक कहते हैं। डॉ. सरोजिनी पाण्डेय कहती हैं-'प्रतीयते अनेन इति प्रतिकम्' अर्थात जिसमें प्रतीत हो या किसी वस्तु की अभिव्यक्ति हो, प्रतीक है। सामान्यत: प्रतीक शब्द का प्रयोग, अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में चिन्ह, प्रतिनिधि, प्रतिरूप, प्रतिमा आदि अर्थों में उपलब्ध होता है।1

'प्रतीक' शब्द अंग्रेजी के सिम्बल शब्द का रूपान्तरण है। प्रतीक और बिम्ब शब्द पाश्चात्य साहित्य से हिन्दी समीक्षा जगत में आये। प्रतीक भावाभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इस संदर्भ में श्री नारायण कुट्टी का मत है। 'प्रतीक वह अप्रस्तुत है जो प्रस्तुत को एकदम नष्ट करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है और अपनी चतुर्मुखी समान धर्मिता द्वारा प्रस्तुत की सशक्त और सुस्पष्ट अनुभूति जगाने में समर्थ होता है।'[2] प्रतीक के प्रयोग से कृति की भाषा में अलौकिक अर्थवत्ता एवं शक्ति का संचार होता है। आकर्षण एवं रोचकता का अजस्र प्रवाह प्रतीकों द्वारा ही बहता है। प्रतीक साहित्यकार की भावनाओं, सामाजिक जीवन की स्थिति-परिस्थिति और प्रेमिल मनोभावों को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

निबंधकार कुबेरनाथ राय ने धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्राकृतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग अपनी साहित्य भाषा में किया है। उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से देश की वर्तमान स्थिति, सम-सामायिक समस्याओं, नेताओं, शोषकों आदि पर करारे व्यंग्य किये हैं। इन प्रतीकों में कुबेरनाथ राय की प्रतिभा, कौशल, शब्द-अर्थ को साधने की कला का ज्ञान मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है-'आज तो

* प्रवक्ता (हिन्दी) दयानंद आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाबाद(उ. प्र.) भारत

'पुलिस' का अर्थ भी हमारे गॉव में बदल गया है। गतवर्ष एक लंगोटिया यार ने सुझाव दिया–बड़ी सर्दी पड़ रही है। 'पुलिस' खाया जाय। पहले तो समझ नहीं आया । कि पुलिस मजिस्ट्रेट वकील को कैसा खाया जा सकता है। पर बाद में चित्र ने मेरी मोटी बुद्धि की थोड़ी प्रशंसा करके अर्थ उद्घाटन किया, 'पुलिस' माने अरूण शिखा' मुर्गी। मैनें कहा धन्य हो सरस्वती।'[3]

यहॉ 'पुलिस के द्वारा लाल कलगी वाले मुर्गे का प्रतीक प्रस्तुत किया गया है। पुलिस के सिपाही की पगड़ी या टोपी लाल कलगी लगी होती थी। उसी प्रकार मुर्गे के सिर पर भी लाल कलगी लगी होती थी। मुर्गा खाने की बात गुप्त रखने के लिए 'पुलिस' शब्द का प्रयोग निबंधकार की प्रतिभा का परिचय देता है।

' .....त्रेता हमारे अन्दर मरा नहीं है। यह कम संतोष की बात नहीं। हमारे अन्दर का 'त्रेता भाव' शक्ति का अतुल भण्डार है। योग्य नायक मिलन पर अंधकार की शक्तियों का गर्दन मुख असुर का, दसों दिशाओं में व्यापक दशमुख रावण का संहार कर सकने में हम समर्थ है।'[4]

प्रस्तुत उदाहरण में निबंधकार ने 'त्रेता' शब्द को शक्ति के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है जो भ्रष्टाचार आदि आसुरी शक्तियों के विरूद्ध जन–मन में जीवित रहती है। रावणी शक्तियों का विनाश करने को हमारे मन में राम जीवित है।

'विधाता की सृष्टि में रंग–रूप के धोखे का जाल तो सर्वत्र ही तना है, पर कुछ जगहों पर तो यहा बड़ा स्पष्ट है। हमारे यहॉ किसी गोरे खूबसूरत पर तिक्त स्वभाव वाले 'लड़के को नारून का फल' कहते हैं नारून एक जंगली फल होता है जिसके फल एक नींम्बू आकार के खूबसूरत और आकर्षक और पीत रंग के होते हैं। इसके दिव्य रूप को देखकर मुँह लगाइये तो तीन दिन तक मिचली आती रहेगी। इसकी कटुता की तुलना में नीम को भी मीठी ही कहा जायेगा।[5]

'नारून का फल' बहुत कड़वा होता है। वह देखने में बहुत सुन्दर होता है। इसी कारण लेखक ने 'नारून' के फल को ऐसे सुन्दर किन्तु तीखे स्वभाव वाले लड़के का प्रतीक बनाया है।

'हवाओं के इन सारे कुतूहलो, सारे उल्लासो का कुरूक्षेत्र है यह नीम का पेड़ और माध्यम है मेरा दर्पण सा स्वच्छ हृदय। मैं दर्पण को रंगता रहता हूँ, नीम की डाल रंगों के मेल को देखकर हामी भरती है और दर्पण उन हवाओं को अपने अन्तर में उतार कर पढ़ता रहता है।[6]

नीम का पेड़, हलकी हवाओं या तीव्र ऑधियों–सभी को झेलता रहता है। अत: कुतूहलों एवं उल्लासों का कुरूक्षेत्र बताया है। इसी प्रकार स्वच्छ दर्पण दोनों की समान स्वच्छता के कारण यहॉ 'दर्पण' को प्रतीक बनाकर निबंधकार कुबेरनाथ राय अपनी अभिव्यक्ति में सफल हुए हैं।

'अंधकार भीग गया है पर गुंजलक बद्ध मैं फन फाड़े बैठा हूँ। स्वंय केन्द्रित। नया मसीहा बोलता है–इस अकेलेपन पर इस अजनबीपन पर। हम अपने ही अजनबी हैं। मनुष्य को अकेली सत्ता का अभिशाप मिला है।'[7]

यहॉ निबंधकार कुबेरनाथ राय ने कुण्डली मारे और फन फैलाये नाग के प्रतीक के माध्यम से स्वकेन्द्रित व्यक्ति का चित्र उपस्थित किया है। यह प्रतीक भाषा को सजीवता प्रदान कर आर्कषण और प्रभावान्विति भी प्रदान करता है। अकेलापन, अजनबीपन, अपने आप में एकाकी जीते हुए व्यक्ति का मनोहर एवं उसकी विकट स्थिति को भी उभारा गया है।

'पर पैगम्बर या साहित्यकार ऐसे सम्पाती हैं जो पंखों के जल जाने पर भी हार नहीं मानते, पछताते नहीं। चारों ओर पराजय है, निराशा है, रिक्तता है, दुर्गन्ध है। फिर भी कोई पश्चताप नहीं।

'.....दूसरे वे हैं जो जटायु की तरह निरावरण सत्य की खोज में चलते तो हैं, तेज के स्पर्श की इच्छा तो है पर वे चुनौती स्वीकार करके सूर्य तक जाने का साहस नहीं कर पाते।.....पर जब इतिहास की गति रूकने–रूकने को हो जाती है, जीवन कोई बड़ी चुनौती, फेंकता है और आदर्श जब उनके सामने शिक्षा का पात्र लेकर खड़ा हो जाता है, तो अचानक उनमें हिमालय जैसा पौरूष आ जाता है और उस हालत में वे किसी भी रावण से टक्कर ले बैठते हैं। उस समय उनका मामूलीपन हवा हो जाता है।'[8]

प्रस्तुत उदाहरण में जटायु की कथा प्रतीक के रूप में लेकर साहित्यकारों और पैगम्बरों के जीवन के ध्येय को दर्शाया है। जटायु और सम्पाती दोनों सूर्य की ओर उड़ते हैं। जटायु तीव्र ताप न सहन कर सका और धरती पर वापस लौट आया, पर सम्पाती ने साहस नहीं छोड़ा वह उड़ता गया। सम्पाती के इसी साहसी व्यक्तित्व को निबंधकार ने साहित्यकारों और पैगम्बरों के व्यक्तित्व से जोड़ा है जो साहसपूर्वक अपना कार्य किये जाते हैं और विषम परिस्थितियों में भी निराश नहीं होते। जटायु और सम्पाती पौराणिक प्रतीक निबंधकार के ज्ञान, संस्कृति और प्रतिभा कौशल का परिचय देते हैं।

प्रस्तुत उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय ने सरल और सहज–स्वाभाविक भाषा शैली को अपनाया है। अनेक स्थलों पर प्रतीकों के माध्यम से अपने मनोभावों को प्रभावशाली, भावोपम एवं अर्थगर्भित बनाया है। इन प्रतीकों में आंचलिक शब्द हैं और सामान्य जन–जीवन के सरल शब्द भी हैं। जो पाठकों पर अपनी आकर्षक दमक और सौन्दर्य के साथ छाये रहते हैं। निबंधकार के नित नव–नव अभिनव एवं ताजगी भरे प्रतीकों के कारण निबंधों में ललिता आयी है भाषा सम्प्रेषण बढ़ा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ0 सरोजिनी पाण्डेय–हिन्दी सूफी काव्य में प्रतीक योजना, पृ0–19
2. श्री नारायण कुट्टी–हिन्दी की नयी कविता, पृ0 135
3. प्रिया नीलकण्ठी–मधु–माधव, पृ0 19, कुबेरनाथ राय ।
4. प्रिया नीलकण्ठी–अवरूद्ध त्रेता: प्रतीक्षारत धनुष, पृ0 52 कुबेरनाथ राय ।
5. रस आखेटक–तृषा, तृषा: अमृत–तृषा, पृ0 39 कुबेरनाथ राय ।
6. प्रिया नीलकण्ठी–सनातन नीम पृ0 27 कुबेरनाथ राय ।
7. प्रिया नीलकण्ठी–हेमन्त की संध्या पृ0 11 कुबेरनाथ राय ।
8. प्रिया नीलकण्ठी–सम्पाति के बेटे, पृ0 59–60 कुबेरनाथ राय ।

****

मधुर पदों की गायिका- मीराबाई

डॉ. संध्या टिकेकर *

प्रस्तावना – हिन्दी की भक्तिकालीन संत परंपरा की भक्त –कवयित्रियों में मीरा बाई का नाम शीर्ष पर है। मीरा को अपने राजसी परिवार और समकालीन समाज से उपेक्षा और कलंक के आरोप सहने पड़े थे। राजस्थान के दो शक्तिशाली राज परिवारों (जन्म से मेड़ता और विवाह से मेवाड़ की)ने तो उसे इतिहास की दृष्टि से विस्मृति के गर्भ में डाल दिया था परंतु मीरा की भक्ति, निष्ठा , दृढ़ता , और प्रभु–प्रेम को समर्पित जीवन ने समय के पथ पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आज लगभग 465 वर्षों के बाद भी वह भारतीय संस्कृति के साहित्याकाश में उज्ज्वल नक्षत्र की भांति जगमगा रही है। मीरा बाई ने राजमहलों की संकीर्ण वृत्ति और झूठी आन–बान को ठुकरा कर, शूद्रजातीय संतो के साथ भक्तिभाव में डूब कर, मध्यकालीन परिवेश में एक नए सांस्कृतिक उत्थान का प्रारंभ किया था। युगबोध की दृष्टि से ' मीरा की पदावली हिन्दी साहित्य की उस संक्रांति रेखा में खड़ी दिखाई देती है जहां पूर्ववर्ती संतों के बाह्यचारीं के बहिष्कार और वर्ण, जाति, संप्रदाय स्तर के भेदभाव का विरोध सुनाई देता है और परवर्तियों के लिए सगुण लीलाओं के गुणगान को माधुर्य का नव स्पंदित –प्रवाह मिलता है।

मीरा – बाल्यावस्था से अध्यात्मिक मार्ग तक – मीरा बाई मूलत: संत प्रकृति की थी और बचपन से कृष्ण की आराधक थी।किसी साधु महात्मा ने उन्हें बचपन में कृष्ण की मूर्ति दी थी जो सदा मीरा के साथ रही। सन् 1498 में राजस्थान के कुड़की ग्राम में जन्मीं मीरा की मां का निधन, मीरा की बाल्यावस्था (दो वर्ष)में ही हो गया था। पिता रत्नसिंह युद्धों में व्यस्त रहते थे फलत: मीरा ने अपने माता– पिता के प्रेम के अभाव की पूर्ति कृष्ण से प्रेम और भक्ति कर की थी। बाल्यावस्था से ही मीरा का पालन– पोषण पितामह राव दूदाजी ने किया था, जो स्वयं वैष्णव भक्त थे । अनेक साधु संत इनके महल में आते जाते रहते थे, मीरा भी इन संतो के संपर्क में आती रहती थी जिसका संस्कार मीरा पर गहरे तक पड़ा था।'राव दूदाजी की आज्ञा से गुर्जर गौड़ पंडित गजाधर तिवारी को राजकुमारी मीरा को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। यह विद्वान पाठ पूजन भी करता और देवी मीरा को कथा पुराण स्मृतियां आदि भी सुनाया करता था, जिससे प्रबल बुद्धिमति मीरा थोडे ही वर्षों में विदूषी और पंडिता हो गईं।'–

मीरा की कृष्ण भक्ति का मार्ग कांटों से भरा हुआ था। उन्होंने चमार जाति के रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। राजमहल में इसका घोर विरोध हुआ पर मीरा अडिग रहीं। मीरा ने राजमहल छोड़ दिया पर गुरु रैदास के प्रति अपनी भक्ति – प्रीति को बनाए रखा। मीरा का विश्वास था कि रैदास के कारण ही उन्हें अपने अध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति हो सकी। – खोजत फिरूं भेद वा घर को, कोई न करत बखानी ।

रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीन्हीं सुरत सहदानी।
मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी।

इसी प्रकार – गुरु रैदास मिले मोहिं पूरे, घुर से कलम भिड़ी ।

सतगुरु सैन दई जब आके , जोत से जोत रली। मीरा बाई ने गुरु रैदास के प्रति अपनी प्रीति और भक्ति को समाज से छिपाया नहीं था। जिस कृष्ण के प्रति उनके मन में बचपन से प्रीति थी, रैदास ने उन तक मीरा को पहुंचाने का मार्ग दिखाया था। ऐसे में मीरा के मन में रैदास के प्रति सात्विक प्रीति उपजना स्वाभाविक था, किन्तु संकीर्ण मानसिकता के राज परिवार और समाज ने मीरा पर अनुमान से लौकिक वासना का लांछन लगाकर उसे सताया। कालांतर में मीरा की साधु वृत्ति का ज्ञान होने पर देवर उदयसिंह ने भाभी मीरा को पुन: चित्तौड़ लौटने के लिए निवेदन किया था किन्तु मीरा फिर कभी नहीं लौटीं। गुरु रैदास के मार्गदर्शन से मीरा के अन्तर्ज्ञान का मार्ग खुला और वह कृष्ण प्रेम में इस प्रकार तल्लीन हो गई कि और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहा। 'भौतिक सुख सपनों के टूटने पर मीरा की भावनाएं अध्यात्मोन्मुख हो गईं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठीं। तन्मयता के चरम क्षणों में उन्होंने निर्गुण निराकार के रहस्यमय सौंदर्य का साक्षात किया और अन्तत: संसार की असारता का संकेत करते हुए परम शांति का आलिंगन कर सकीं।'[3]

मीरा–साहित्य के स्त्रोत – माधुर्य की गायिका मीरा बाई की महत्वपूर्ण रचना 'मीरा की पदावली है। चूंकि इन पदों का संग्रहण अनेक संकलनकर्ताओ द्वारा किया गया है अत: पदावली के अनेक संग्रह अलग अलग नामों से प्रचलित हैं जैसे – मीरा बाई के भजन – पं ईश्वरीप्रसाद , मीरा बाई की शब्दावली– वेल वेडियर प्रेस इलाहाबाद , मीरा की पदावली – परशुराम चतुर्वेदी , मीरा की पदावली –विष्णुकुमारी मंजु , मीरा सुधर सिंधु– स्वामी आनंद स्वरूप आदि। [4]

जीवन और रचनाकाल की दृष्टि से मीरा संत कबीर और रैदास की परवर्ती तथा महाकवि सूर और तुलसी की पूर्ववर्ती ठहरती हैं। ' मीरा के पदों में बौद्ध सिद्धों, नाथपंथियों , योगियों की चर्यागीति परंपरा से विकसित निर्गुण संतों की पद रचना पद्धति, वैष्णव भक्तों की टेकयुक्त और रागव्यवस्थित सगुण लीला पदगान परंपरा और लोकगीत परंपरा , तीनों का सम्मिलित प्रभाव मिलता है।'[5] मीरा पदावली में विविध प्रभावों के बाद भी मीरा की मौलिकता अनेक विशिष्टताओं के कारण अक्षुण्ण है। मीरा पदावली का केन्द्रीय विषय प्रेम है। अपने आराध्य कृष्ण की स्तुति , विनय, प्रणयानुभूति, विरहोद्गार, लीलागान, आत्मसमर्पण, रागात्मकता आदि से यह प्रेम अभिव्यक्त हुआ हैं। प्रेम में प्रिय से मिलने का भाव उत्कट होता है। मीरा बाई की व्याकुलता भी कृष्ण दर्शन और मिलन की है।–

गली तो चारों बंद हुई मैं हरि से मिलूं कैसे जाय

ऊंची नीची राह रपटीली , पांव नहीं ठहराय। प्रिय तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। मार्ग में स्थान स्थान पर कामना– तृष्णा के सिपाही बैठे हैं।

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना (म.प्र.) भारत

कदम– कदम पर काम , क्रोध , लोभ , मोह अहंकार के लुटेरे ताक लगाए बैठे हैं जो परमार्थ और भक्ति धन का हरण करना चाहते हैं। [6]

मीरा की कृष्ण भक्ति में पूर्ण समर्पण है। मीरा का सच्चा प्रेम अपने प्रियतम पर सबकुछ न्यौछावर कर देना चाहता है। प्रभु जिस हालत में रखेंगे, वह रहने को तैयार है।निरंतर प्रभु भक्ति में डूबे रहने के बाद भी जब प्रिय के दर्शन नहीं होते तो विरहिणी का मन आशंकित हो उठता है कि कहीं प्रभु रुष्ट तो नहीं? मीरा की इस सहज चिंता का कारण भी उतना ही मनोवैज्ञानिक है कि प्रभु मुझसे रुष्ट होंगे तो उन्हें भी दु:ख अवश्य होगा । भक्त मीरा प्रभु को किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होने देना चाहती। – गिरधर रूसणों जी कोंण गुन्हां कछु इक ओगुण काढ़ो म्हामै , म्हे भी कानां सुना/ मैं तो दासी थांरी जनम जनम की , थे साहिब सगुणां।

मीरा पदावली , आनंद रस की खान है। विरह व्यथित मीरा का अपने प्रियतम से साक्षात्कार और उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति वस्तुत: पदावली का चरम सौंदर्य है। प्रभु के साक्षात्कार से अंत:प्रकाशित , मिलन के इन पदों में जितनी भावों की गहराई है , उतना ही माधुर्य है– म्हारा ओलगिया घर आया जी ।

तन की ताप मिटी सुख पाया , हिल मिल मंगल गाया जी।
घन की धुनि सुनि मोर मगन भया , यूं मेरे आणंद छाया जी।

श्रीकृष्ण से मीरा का संबंध प्रिय प्रियतमा का था, पति पत्नी का था। इन दोनों ही प्रकार के संबंधों में रुष्ट होने – मनाने की स्थितियों का आना स्वाभाविक है। अनुराग जनित इस भाव में विरहिणी मीरा अपने प्रियतम को उलाहना देने से नहीं चूकती । इस उलाहने का माधुर्य अभिनव सौंदर्य को बिखेरता है – जओ हरि निरमोहिआ , जाणी थांरी प्रीत।।लगन लगी जद प्रीत ही ,अब कुछ अवली रीत।/ इमरत पाइ के विष क्यूं दीजे , कूंण गांव की रीत ।। मीरा के प्रभु हरि अविनासी ,अपणी गरज के मीत। मीरा के अनुराग में अखंड आनंद की अनुभूति है। मीरा ने इस प्रेम को सिर दे कर पाया है। अहम् अभिमान की दीवारें टूटने पर ही यह संभव हो सका है। मीरा का अपने प्रियतम से मिलना किसी उत्सव से कम नहीं है। अध्यात्मिक धरातल का यह उत्सव आत्मा–परमात्मा की मिलन ज्योति से निपजा प्रकाश का पर्व है। मीरा कहती हैं–' मैं अपने प्रिय प्रभु में समाकर उसी का रूप हो गई हूं, मेरी ज्योति उस महान प्रकाश में समाकर प्रकाश का ही रूप हो गई है, मेरी आत्मा रूपी बूंद परमात्मा के समुद्र में समाकर समुद्र हो गई है तथा प्रियतम में लीन हो कर मेरी अनादि आकांक्षा पूर्ण हो गई है।'[7]

1. राणांजी ने जहर दियो मैं जाणी।। जैसे कंचन दहत अगिन में , निकसन बाराबांणी।।
2. सांप पिटारो मोकल्यो , दो मीरा के हाथ।। खोल पिटारो देखियो, नोसरहार।।

मीरा की ननद ऊदाबाई , भाई राणा के कहने पर मीरा को समझाती है कि वह संतों की संगति छोड़ दे पर मीरा इसे साफ नकार देती है और कहती है कि संत ही उसके माता पिता , सज्जन और सनेही हैं। उसने संतो की शरण ले ली है और अपना तन मन धन उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। मीरा राणा द्वारा डाली गई बाधाओं की परवाह न कर भक्ति मार्ग पर दृढ़ रहती है– राणा जी अब न रहूंगी तोरी हटकी।। साध संग मोहे प्यारा लगै , लाज गई घूंघट की।। महल किला राणा मोहिं न चाये,सारी रेसम पटकी।। हुई दिवानी मीरा डोलै , केस लटा सब छिटकी।।

मीरा पदावली की भाषा राजस्थानी और गुजराती है। इसमें नाथ पंथियों, योगियों की साधना पद्धति और उनसे जुडे प्रतीकात्मक शब्दों का बाहुल्य है। माधुर्य भाव के पदों में भक्ति साधना के ऐसे रूपकों की लड़ियां सजी हुईं हैं जैसे –

1. राम नाम धन खेती मेरी सुरतां प्रभु में रेती ।
2. भृकुटि मंडल में हंस बिराजे, वहां दरसे एक जोती।

वस्तुत: मीरा बाई का काव्य कोमल पदों और माधुर्य भाव की ऐसी सरिता है जिसमें प्रभु गिरधर नागर से विरह और मिलन की लहरें प्रवाहमान हैं।भक्ति के इस सरित जल में अथाह शीतलता और अध्यात्म की चमक है। 'अपने निश्छल , सहज भावावेग ,स्वत:स्फूर्त अनायास अभिव्यंजना , भव्य रचना की सरल – ललित शब्दों में अभिव्यक्त पदों की अकृत्रिम सरसता, गीतात्मकता , उपमाओं के प्रांजल लावण्यमय प्रयोग , गीतों की भावप्रवणता, प्रेम की मधुर ओजस्वी व्यंजना और इन सबसे बढ़कर अपने प्रियतम से वियोग की दारुण व्यथा को मृदु करुणा के साथ मर्मभेदी प्रखरता सहित अपने पदों में साकार करने के लिए मीरा के समकक्ष शायद ही कोई भक्त कवि आता है।' [7]

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रो0 कल्याणसिंह शेखावत, मीरा की प्रामाणिक जीवनी ,पृष्ठ 23 नवभारत प्रकाशन जोधपुर सं– 2009।
2. वीरेन्द्र सेठी , मीरा प्रेम दिवानी , पृ0 16 राधास्वामी सत्संग ब्यास जालंधर , 1980
3. संपा0 धीरेन्द्र वर्मा , हिन्दी साहित्य कोष भाग –2 ,पृ0 449, ज्ञानमंडल लिमिटेड वाराणसी, सं0 1986 ।
4. डॉ0 गणपति चंद्र गुप्त , साहित्यिक निबंध , पृ0 680 , लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद ,सं0 1987।
5. वही पृ0 681 ।
6. वीरेन्द्र सेठी , मीरा पगेम दिवानी , पृ0 69।
7. वही पृ0 138। 8– वही पृ0 52 । 9– वही पृ063।

सहायक संदर्भ ग्रंथ–

1. सं0 बलदेव वंशी ,संत मीरा बाई और उनकी पदावली ।
2. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ,मीराबाई की पदावली ।
3. सं0 सुदर्शन चोपड़ा मीरा परिचय तथा रचनाएं।

****

रेलों के प्रति लोक अभिव्यक्ति

सुनील कुमार निमेष *

प्रस्तावना – भारतीय रेल देश के सामाजिक, आर्थिक, जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। इसका प्रभाव न केवल देश की सामाजिक गतिविधियों पर पड़ा बल्कि इससे हमारी कला,इतिहास और हमारा साहित्य भी काफी प्रभावित हुआ है। राजस्थान में रेल परिवहन के विकास के साथ ही रेलों के प्रति जन मानस की अभिव्यक्ति आना प्रारम्भ हो गई। कई स्थानों पर इसे सकारात्मक और कई स्थानों पर नकारात्मक रूप में देखा गया। बूंदी, करौली आदि रियासतों ने जहाँ रेलवे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया, वहीं दूसरी तरफ अन्य रियासतों नें सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। समयानुसार रेलवे के प्रति जनसामान्य के विचारों में परिवर्तन हुआ और रेलवे मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। यहाँ तक की इसकी सकारात्मकता लोकगीतों में मुखरित होने लगी। लोक गीतों का प्रादुर्भाव मानव, मानस और वाणी से है। इनमें मानव समाज की विशुद्ध मनोवृर्तियाँ और भावनाऐं समयोचित प्रसंगों पर हर्ष–विषाद, प्रेम–ईर्ष्या, उल्लास–भक्ति आदि भाव प्रकट होते हैं। लोकगीत मानव मन का दर्पण है। यह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित होते हैं। रेल परिवहन विकास का प्रभाव राजस्थान के सामाजिक जन–जीवन पर भी पड़ा है। तत्कालीन समय में परिवहन का तीव्र साधन होने के कारण रेल मानव जीवन का प्रमुख अंग बन गई, इसलिए राजस्थानी लोकगीतों में रेल को महत्वपूर्ण स्थान देते हुऐ कई लोकगीतों की रचना की गई है। एक लोकगीत में नायिका, नायक को सम्बोधित करते हुए कहती है:

बिणजारा रे लोभी! धुऔं री ल्याई पोट, पाणी रो ल्याई बुलबुलो।
बिणजारा रे लोभी! ल्याई कँवरी रो दूध, पूत जे ल्याई बांझ रो ।
बिणजारा रे लोभी! धरती ल्याई घाघरो, मगजी लगवागें रेल री।

इन पंक्तियों में नायिका–नायक से असम्भव वस्तुएं यथा धुऐं की गठरी, पानी का बुलबुला, कुँवारी कन्या का दूध, बांध्या का पुत्र आदि की मांग करती है, साथ ही ऐसा लहगाँ लाने को कहती है, जिसमें रेलगाड़ी की मगजी हो। मगजी के रूप में रेलगाड़ी लगवाना इस बात का सूचक है कि देश में रेल परिवहन प्रारम्भ हो गया है। एक अन्य राजस्थानी लोकगीत में इंजन की सीटी की कर्कश ध्वनि भी नायिका का मन मोह लेती है। साथ ही रेलवे की सुख सुविधाऐं जैसे रलों में चलने वाले बिजली के पंखे इत्यादि का वर्णन भी किया है। नायिका द्धारा रेलगाड़ी में होने वाले क्रिया– कलापों का वर्णन इस प्रकार है–

अंजन की सीटी में म्हारो मन डोले
चला चला रे डिलैवर गाड़ी हौले हौले ।।
चला चला रे।।
बीजळी को पंखो चाले,गूंज रयो जण भोरो
बैठी रेल में गाबा लाग्यो वो जाटां को छोरो।।
चला चला रे।।.....

अन्य क्षेत्रीय गीतों में भी रेलगाड़ी का चित्रण सहज भाव से किया गया है–

आँ तो धुआँ रा धमरोल, करती आयी रे।
खो नी बन्सा, रेल गाड़ी आयी रे।
आँ तो जोधाणां सूँ..... आयी रे।

एक अन्य लोकगीत में नायिका, नायक से रेलगाड़ी में बैठने से मना करती हुई कहती है, कि रेल की तेज गति और भीड़ भाड़ से उसे डर लगता है।

रेल में ना बैठूं भंवर जी.....

सवाई–माधोपुर, बूंदी क्षेत्र में चौथ माता मेले में जाने वाले श्रदालूओं के बीच रेलगाड़ी को लेकर विभिन्न लोकगीत प्रचलित हैं–

रेलगाड़ी चाली ऐ पटेलन,
इन्द्रगढ़ चालें, माता जी रे चालें ,
ऐ मा म्हारी गोरी टिकट कटा ले।.....

शेखावाटी क्षेत्र के लोकगीतों में रेलों के प्रति सामान्य जन की भावनाऐं कुछ इस प्रकार मुखरित हुई हैं–

मेरी रेल में तेल नहीं, रेल मेरी चाल पड़ी।
पहले स्टेशन बेटा मिलगा, उससे बतलाई मेरा राम.....।

एक अन्य शेखावाटी गीत में रेलगाड़ी की तेज सीटी के बारे में बताया गया है–

रेल बोली रेल की भम्भौरी बोली रे।
किसी ने मेरे हाथ में जंजीर ड़ाली रे।.....

राजस्थान के साथ–साथ भारत के अन्य क्षेत्रों के लोक गीतों में भी रेलवे को स्थान दिया गया है। अवध क्षेत्र में प्रचिलित रहे एक 'कहरवा' गीत में मानवीय अभिव्यक्ति करते हुऐ एक स्त्री रेल को सौत बताते हुए कहती है–

रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी उहैं पइसवई बैरी हो।
देसवा भरमावइ उहैं पइसवई बैरी हो।।
सेर भर गोहूवां बारिस दिन खइवैं पिय के जाई न देवै।
रखवे अँखिया हजुरवाँ पिय के जाइ न देवै हो।।

अवध क्षेत्र के 'विरह गीत की इन पंक्तियों में रेल की मार्मिक आलोचना इस प्रकार की गई है–

जब से छुटि रेल कै गाड़ी कटिगा जंगल पहाड़।
पैसा रहा सो गोड़के सौंपऊँ पेटवा पीठि कै हाड़।।

150 वर्षों से भी अधिक समय से रेल परिवहन प्रणाली भारतीय सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो रेल्वे के प्रभाव से अछूता रहा हो। भारतीय फिल्म उद्योग पर भी रेल विकास का आपेक्षित प्रभाव पड़ा। फिल्में मानव जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर बनाई जाती हैं। रेले लम्बे समय से

* शोधार्थी , कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

मानव जीवन का अंग रही हैं, इसलिए उन्हें बड़ी ही रचनात्मकता से फिल्मों में दिखाया गया है। फिल्मों में रेल में बैठकर रेल के आस-पास के क्षेत्र को पीछे भागते हुऐ देखना, रेलों का आना-जाना, सीटी बजाना, परिजनों का घण्टों इंतजार करना,भीड़-भाड़ से घिरे प्लेटफार्म, रेलों के साथ दौड़ते घुड़सवार रेलवे से सम्बन्धित प्रमुख दृश्य हैं, जो हमें अधिकांश फिल्मों में देखने को मिलते है। उसकी छुक-छुक करती आवाज तथा उसकी चिमनी से निकलता धुआँ हमारी चेतना में बसा है। रेलवे से सम्बन्धित विभिन्न गीत लिखे गये हैं। जिन्हें बड़ी सहजता एंव सुन्दरता से फिल्मांया गया है। दुलाल गुहा द्वारा तीन दशक पहले निर्देशित फिल्म 'दोस्त' में किशोर कुमार द्वारा गाया गया गीत-

'गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है,
चलना ही जिन्दगी है, चलती ही जा रही है.....

यह गीत मानव जीवन दर्शन को सहजता से प्रदर्शित करता है। ऋशिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म 'आशीर्वाद' में दादा मुनि अशोक कुमार की आवाज में गाया और बच्चों के साथ फिल्माया गया गीत-

'रेलगाड़ी-रेलगाड़ी-रेलगाड़ी,
छुक-छुक-छुक-छुक,
बीच वाले स्टेशन बोले
रूक-रूक-रूक.....

आज भी कर्णप्रिय ध्वनि के साथ गाया जाता है। 1980 में, निर्देशक रवि चौपड़ा की 'द बर्निंग ट्रेन' नाम से बनी फिल्म तीव्र गति रेल्वे तकनीक पर आधारित है। जिसमें मशीनरी के अनियंत्रित होने पर होने वाले दुष्प्रभावों को दिखाया गया है तथा अंत में मानव ज्ञान की जीत प्रदर्शित कि है। फिल्मों में रेलों को प्राकृतिक सुन्दरता के साथ दिखाया गया है, अराधाना फिल्म का गीत-

'मेरे सपनों की रानी कब आऐगी तु.....

दार्जिलिंग और सिलिगुड़ी के बीच कार्सियांग नाम के रेलवे स्टेशन पर टॉय ट्रेन में फिल्माया गया हैं। 1970 में राजकुमार की फिल्म 'मेरा नाम जोकर' 1961 में किशोर कुमार की 'झुमर' आदि फिल्मों में रेलों का फिल्माकंन किया गया है। सुप्रसिद्ध गजलकार दुष्यन्त कुमार ने अपने शायरी में रेलों का जिक्र करते हुऐ लिखा है

'तु किसी रेल सी गुजरती है....,में किसी पुल सा थर थराता हूँ,

में रेल का मानवीयकरण कर नारी की उपमा दी गई है। 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल के आह्वान करते हुऐ भी कुछ रेल गीत लिखे गये। जिस में रेल कर्मचारियों को एकजुट हो कर रेल का चक्का, जाम करने को कहा गया है। इस गीत में साम्यवाद की झलक दिखाई देती है। गीतकार कांतिमोहन सोज द्वारा लिखित हड़ताल से सम्बन्धित गीत -

रेल का चक्का, जाम करो।
जाम करो भई, जाम करो ।।
ऊँचा झंड़ा लाल तुम्हारा, ऊँचा अपना नाम करो।
रेल का चक्का, जाम करो।.....

आकाशवाणी के लिऐ कांतिमोहन सोज द्वारा 1667 में लिखी गयी कविता...

छुक छुक छुक छुक रेल चली,
हूं हूं करती रेल चली,.....
चलो रेल के संग चली
करती ठेलम ठेल चली।

हिन्दी भाषा के साहित्यकारों ने अपनी कविताओं, गीतों ,मुकरीयों में रेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हिन्दी भाषा के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिशचन्द ने भारत में रेलों का विकास करने लिये के तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को धन्यवाद देते हुऐ प्रशंसा करते हैं। रेलों के प्रति उनकी अभिव्यक्ति प्रतापनगर, गुजरात स्थित रेल संग्राहलय के बाहर लिखी हुई है।

धन्य किहिन विकटोरिया जिन्ह चलाईस रेल।
मानो जादू किहिस दिखाईस खेल।।

भारतेंदु हरिशचन्द द्वारा लिखित मुकरी भी यहाँ लिखी नजर आती है।
पैसे लेके पास भगावे, ले भागे मोहि खेल खेल, का सखी साजन ? ना सखी रेल।

रेलों को लेकर छोटी छोटी बाल कविताओं की भी रचना कि गयी। जिसमें बच्चों को खेल खेल में रेल परिवहन कि जानकारी दी गई है।

1 रिंकू आओ पिंटू आओ, खेलें प्यारा खेल,
कोइ इंजन कोइ डिब्बा बन जाऐं हम रेल
2 छुक छुक करती आई रेल,
शोर मचाती आई रेल।

रेलवे के परिचलन को ले कर प्रारम्भ से ही मानव मन में कौतूहल रहा है। तेज गति, तेज आवाज के साथ आकाश में बनते धुंऐ के सफेद बादलों ने साहित्य में स्थान बनाया। जो कवियों, गीतकारों के माध्यम से समय-समय पर हमें प्राप्त होता रहा।

सदंर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोपीनाथ, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास ।
2. बादल,मंगत, राजस्थानी लोकगीतों में समकालीन जीवन ।
3. सिंह कमला, अवधी लोकरंग संस्करण 2000
4. कौशिक, जयनारायण, लोक संस्कृति और लोक साहित्य ।
5. जैन एंव माली, राजस्थान का इतिहास एंव संस्कृति एन्साइक्लोपीडीया।

****

प्रेमचंद की कथा भाषा में विन्यस्त सूक्तियों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. गणेश लाल जैन * सुरेन्द्र बिसेन **

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य जगत में प्रेमचंद जी का स्थान सर्वोपरि है । उनका साहित्य रचना काल 1900 ई. के बाद का है और उनकी कथा भाषा विभिन्न भाषागत विशिष्टताओं से युक्त है।हिन्दी साहित्य जगत में प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के रूप जाने जाते है।उनके समग्र उपन्यास एवं कहानियों में सामान्य जीवन शैली व सामाजिक रीति–रिवाज के साथ–साथ महिला उत्थान,राष्ट्रीयता,गॉधीवाद, दलित चेतना व कृषक आदि बिन्दुओं पर अपनी लेखनी का जादू बिखेरा है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जो भारतीय कृषक की संघर्ष गाथा को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है और प्रेमचंद ग्रामीण परिवेष एवं सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनीतिक राष्ट्रीय एवं जन आन्दोलन से ओत–प्रोत उनकी काव्य शैली सौष्ठव सारगर्भित एवं सरल सहज तथा उपन्यास में शिल्प भी बेजोड़ है।

हिन्दी साहित्य जगत में प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट माने जाते है । उनके समग्र उपन्यास एंव कहानियों में सामान्य जीवन शैली व सामाजिक रीति– रिवाज तथा बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अन्दर समेटा हुआ है। प्रेमचंद का काल 1916 से 1936 तक के युग में अपने काव्य रचना का स्वर्णकाल रहा है। प्रेमचंद हिन्दी के युगप्रवर्तक कहानीकार माने जाते है। वे पहले नवाबराय के नाम से उर्दू में लिखते थे।

प्रमुख उपन्यास –	(1) सेवासदन	1918
	(2) प्रेमाश्रम	1922
	(3) रंगभूमि	1925
	(4) कायाकल्प	1926
	(5) निर्मला	1927
	(6) गबन	1931
	(7) कर्मभूमि	1933
	(8) गोदान	1935

प्रमुख कहानी संग्रह में 'मानसरोवर' को आठ भागों में विभक्त किया गया है। इन सम्पूर्ण कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है।

पंचपरमेश्वर, बूढ़ी काकी, परीक्षा, आपबीती, सवा सेर गेहूँ, आत्माराम, सुजान भगत, माता का हृदय, शतरंज का खिलाड़ी, ईदगाह, पूस की रात, कफन इत्यादि।

प्रेमचंद की भाषा, सरल, सजीव एवं भावपूर्ण है, शैली भी स्पष्ट और सरल है उनकी इस सरलता का आधार है– उर्दू शब्दों का यथोचित समावेश है, उसकी प्रभावोत्पादकता और रोचकता बढ़ गई है। मुहावरों एवं लोकोक्ति का भी प्रयोग किया गया है। इनके काव्य सौष्ठव में संवाद का भी सजीव चित्रण देखने को मिलता है। पात्र चरित्र चित्रण का भी प्रयोग किया गया है।

इनका सम्पूर्ण साहित्य जगत विस्तृत है, जो समस्त जन कल्याण और यथार्थवादी एवं आदर्शोन्मूख है, तथा जीवन का विश्लेषण करता है। प्रेमचंद जी के साहित्य में अनेक सूक्तियों लोकोक्ति तथा मुहावरों का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जो प्राचीनकाल के साहित्यकार व लेखकों के नीति परक दोहे, सुभाषित श्लोक, सूक्ति, मुहावरों आदि काव्य रचना के साथ–साथ आधुनिककाल के साहित्य को भी जानने का भी अवसर प्रदान करता है।

प्रमुख सूक्ति –

1. कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता।
2. रोटिया ढाल बनकर हमारी रक्षा करती है।
3. जो कुछ अपने नहीं बन पडा उसी के दु:ख का नाम तो मोह है।
4. रणक्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल नहीं चल सकता।
5. 'सम्पत्ति और सहृदयता में बैर है'।
6. 'अन्धे सूक्ष्मदर्शी होते है'।
7. 'ईर्ष्या में गुणग्राहकता नहीं होती'।
8. 'निराशा निर्बलता से उत्पन्न होती है'।–प्रेमचंद(रंगभूमि)
9. आलस्य वह रोग हैं, जिसका रोगी कभी नहीं संभलता– प्रेमचंद
10. घर में न गाय है, न बछिया न पैसा। यही पैसा यही –प्रेमचंद

इस प्रस्तुत सूक्तियों में यदि देखा जाए तो प्रेमचंद जी ने समाज के प्रेरणा स्रोत व आदर्श प्रस्तुत किया है जो उनके सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिकाल तक सम्पूर्ण साहित्य ने सूक्तियों एवं लोकोक्तियों,मुहावरों का हिन्दी व्याकरण के लिए प्रयोग किया गया है।

गोदान में प्रयुक्त कुछ मुहावरें द्रष्टव्य है –

1. मुंह में ताला पड़ा होना।
2. साठे पर पाठे होना।
3. पावं तले गर्दन दबी होना।
4. मुंह में कालिख लगना।
5. नाक पर मक्खी न बैठने देना।
6. बिन घरनी घर भूत का डेरा।
7. मन भाय मुड़ी हिलाए।

प्रमुख लोकोक्ति –

1 काजी के घर चूहे भी सयाने 2 नाटन खेती बहुरियन खेत

* शोध निर्देशक व विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

3 बालू से तेल निकालना

4 बगुला भगत होना

सू + क्ति = सूक्ति शब्द से तात्पर्य यह है, कि सुविचार, सारगर्भित व सार्थक शब्दों के प्रयोग वाले वाक्यों या कथ्य को सूक्ति कहते है।

'सूक्ति से शब्द से तात्पर्य अच्छे विचार छोटे दोहे, सूत्रवाले शब्द तथा प्रासंगिकता युक्त वाले शब्दों का प्रयोग कर काव्य रचना को चमत्कृत करना है।'

'जन–सामान्य जीवन शैली में प्रचलित उक्ति या सूक्ति जो वाक्य के अंग नहीं होते परन्तु वाक्य को स्वतंत्र सत्ता होती है। सूक्तियां कहलाती है,जो शब्द या वाक्य का प्रयोग कर साहित्य में चमत्कृत करना या स्पष्ट रूप से सटीक व सार्थक शब्दों का प्रयोग करना जो शब्द की वृत्तिया छन्द, अलंकार और प्रवृत्ति प्रमुख है।'लोकोक्ति:– कहावत –मुहावरे–सूक्ति–यद्यपि ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते, किन्तु साहित्य या अन्य स्थानों पर चमत्कृत या चमत्कार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

'किसी सुसंगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव को सूक्ति कहते है।'

–आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना–डॉ. वासुदेव नन्दन प्रसाद

सूक्तियों को प्रयोग हम प्राचीनकाल से लेकर आज वर्तमानकाल तक के साहित्य में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। सूक्ति व मुहावरों का प्रयोग कर काव्यकला को चमत्कृत करना साहित्यकार की कला है। हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद की काव्य भाषा एवं व्याकरण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तो नहीं बहुत क्षेत्रों में अनेक शोध देखने को मिलते है। उन सब में प्रत्यय उपसर्ग, संधि, समाज, लोकोक्ति, मुहावरे, सुक्तियॉ आदि विषयों पर कुछ शोध कार्य किया गया है। लेकिन सूक्तियों लोकोक्तियों एवं मुहावरों पर स्वतंत्र कार्य प्रकाश में नहीं आया है।

सूक्तियों का शोध हमें ज्यादा संस्कृत साहित्य में मिलता ही जो 'भारवी अर्थ गौरव 'के नाम से प्रसिद्ध है हिन्दी साहित्य में सूक्तियों की विवेचना अभी तक उपेक्षित है।

प्रेमचंद जी ने अपनी कथा भाषा में विन्यस्त सूक्तियों लोकोक्तियों एवं मुहावरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से समाज को नवीन दिशा देने का कार्य किया है। प्रेमचन्द जी ने गोदान में सूक्तियों लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग स्थान–स्थान पर प्रयोग किया गया है। उनके साहित्य में विस्तृत लोकोक्ति, मुहावरों का भण्डार है। प्रेमचन्द के साहित्य में बिखरे पडे सूक्तियों लोकोक्ति एवं मुहावरों के भण्डार को एकत्रित कर विषवार वर्गीकृत करके समग्र रूप में उन्हें एक साथ प्रस्तुत करना है जिससे समाज एवं जनता लाभान्वित हो सकेगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रेमचंद के साहित्य का संकलन व प्रमुख उपन्यास।
2. प्रेमचंद के साहित्य में सूक्तियों लोकोक्तियों एवं मुहावरों का संकलन।
3. मानसरोवर भाग 7 सुमित्र प्रकाशन इलाहबाद।
4. कहानी संकलन म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2003
5. www.hindinest.com
6. www.sodhaganga.com

****

नायिका प्रधान महाकाव्य यशोधरा

डॉ. जयश्री भटनागर *

प्रस्तावना – यशोधरा का प्रकाशन गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य 'साकेत' के उत्तरोत्तर एक वर्ष पश्चात् संवत 1989 में हुआ। इस काव्य की रचना के सन्दर्भ में संबंध में कवि स्वयं लिखते है –

'भाई श्री सियारामशरण गुप्त मुझसे गध, नाटक, उपन्यास, कविता, गीत, आदि लिखने का अनुरोध करते थे। यशोधरा की रचना के पश्चात् गुप्त जी ने कहा – लो कविता, लो गीत, लो नाटक और लो गद्य–पद्य, तुकान्त, अनष्कान्त सभी कुछ परन्तु वास्तव में कुछ नहीं।'

इस रचना में भगवान बुद्ध के चरित्र तथा अनेक महान सन्देश के वाणी देना तथा नारी गौरव की महत्ता का वर्णन करना ही कवि का मुख्य उद्देश्य रहा। यशोधरा के सम्बन्ध में गुप्त जी लिखते है –

'भगवान बुद्ध और उनके अमृत तत्व की चर्चा तो दूर की बात है राहुल जननी के दो चार ऑसू ही तुम्हें इसमें मिल जाए तो बहुत समझना और उनका श्रेय भी साकेत की उर्मिला देवी को ही है, जिन्होंने कृपापूर्वक कपिलवस्तु के राजोपवन की ओर मुझे संकेत किया है।'

जैसा कि ऊपर देख चुके है कि इस काव्य की प्रेरणा कवि को साकेत की उर्मिला से प्राप्त हुई। वस्तुत: यशोधरा कवि की प्रौढ़ कृति है। अत: जिस नारी विषयक पर वह उर्मिला के द्वारा प्रकाश न डाल सके उन्हें यशोधरा द्वारा सुलझाने का प्रयास किया। इसीलिये उर्मिला की अपेक्षा यशोधरा के व्यक्तित्व कंही अधिक प्रभावपूर्ण बन गया है। यशोधरा नायिका प्रधान चरित्र काव्य है। इसमें कवि ने बौद्ध सिद्धान्तों का खण्डन करके वैष्णव सिद्धान्तों को महत्व देकर प्रवृत्ति मार्ग को महत्व दिया। यशोधरा स्वकीयार नायिका है जो कुलवधु, प्रेमिका, मानवीया, रूपवती तथा त्यागमयी रमणी है। उर्मिला की भॉति यशोधरा के पति भी किसी बड़ी सिद्धी हेतु गये, किन्तु उसको तो चौदह वर्ष पश्चात् पुनर्मिलन की आशा है, किन्तु यशोधरा का विरह तो निरवधि है क्योंकि यदि पति सिद्धी प्राप्त कर लौटे भी तो उसका वैवाहिक जीवन प्राय: समाप्त ही हो जाएगा। उसे इस बात का दुख नहीं की पति सिद्धी प्राप्त करने गये। उसे तो इस बात का दुख है कि उन्होंने उसे एक अयोग्य स्त्री मानकर चोरी चोरी चले गये।

सिद्धी हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात
पर चोरी–चोरी गये, यही बड़ा व्याघात।
सखि, वे मुझसे कहकर जाते।

यशोधरा इतनी स्वार्थिनी या काम्या न थी कि स्वामी के पथ में बाधक बने वह तो सहर्ष ही उन्हें विदा कर गौरव की अनुमति करनी।

'देती विदा में जाकर, भार झेलती मै गौरव पाक
यशोधरा–34

किन्तु उनके स्वामी उससे कहे बिना ही चले गये। आजीवन विरहणी यशोधरा पति वियोग का दुख झेलती हुए एक मात्र पुत्र राहुल का लालन पालन करती रही उर्मिला तो अकेली थी। उसे रोने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, किन्तु यशोधरा पुत्र के सुख के खातिर न ही खुलकर रो सकती है और न ही भाववेश में आकर मूर्छित हो सकती। विरह के चवरम नैराश्य भावना में वह अपने सिर के केश भी उतार फेंकती किन्तु वात्सल्य उसे जीने का प्रेरित करता है –

'मेरी मलिन गूदड़ी में भी है राहुल सा लाल।
क्या है अंजन–अंगराग जब मिली विभूति–विशाल ?

निसंदेह उसका अस्तित्व साकेत की उर्मिला से अधिक विराट, प्रभावपूर्ण, व्यापकता तथा पूर्णता को लिए हुए है। यद्यपि दोनों ही करूणा की मूर्ति है किन्तु उर्मिला में यह करूणा आद्यात मूक ही बनी रही, जबकि यशोधरा में वह मुखर हो उठा है। यशोधरा वियोगिनी पत्नी होने के साथ ही जाया भी है और जननी भी, जो अपने पुत्र के पालन पोषण शिक्षण तथा सुख की आकांक्षा भी करती है। भारतीय नारी को जिस गौरवपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व यशोधरा करती है। वैसा कंही नहीं दिखाई देता है। उसमें सामान्य नारी जीवनादर्श के प्रति श्रद्धा है। सहानुभूति है। उसके संपूर्ण जीवन का आदर्श रूप कवि की इन दो पंक्तियों द्वारा मुखरित हो उठता है–

'अबला जीवन, हाय। तुम्हारी यही कहानी
आंचल में है दूध और ऑखों में पानी।
यशोधरा पृ. 47)

वह अपने कर्तव्य पालन के प्रति सदैव जागरूक रहती है, यशोधरा एक स्वाभिमानी नारी है, जो सुख दुख हर्ष विषाद से युक्त जीरवन व्यतीत करती है। उसका पुत्र ही उसका सर्वस्व है। राहुल के कारण ही उसका व्यक्तित्व उर्मिला तथा विष्णुप्रिया से अलग है। यशोधरा यदि पति वियोग में रोती है जो अपने पुत्र के सुख हेतु हँसती भी है। साधारणत: पुत्र का अवलम्ब माता होती है, किन्तु यहां स्थिति उल्टी है। यशोधरा अपना अवलम्ब पुत्र राहुल को मानती है। पुत्र सम्बल पाकर ही वह बड़े से बड़ा दुख तथा कष्ट हॅसते–हँसते व्यतीत करना चाहती है। वह पुत्र से कहती है –

'तुम सा सुधॉशु मेरी गोद में।
लाल निज काल काट लूंगी मै विनोद में'
(यशोधरा पृ. 133)

यशोधरा में यदि गांधीवादी पहलुओं पर विचार करें तो उसमें कंही भी पलायनवादी प्रवृत्ति, एकान्त साधना या नारी के प्रति पुरूष के अधिकार का हनन नहीं दिखाई देता। वह एक मानवीय नारी है उसके महान नारीत्व के सम्मुख गौतम को भी झुकना पड़ता है–

दीनन हो गोपे, सुनो हीन नहीं नारी कभी,
भूत–दया–मूर्ति वह मन से, शरीर से।
(यशोधरा पृ. 145)

यशोधरा उन वीर क्षत्राणियों में से है जो हँसते हँसते अपने पति को युद्ध स्थल में भेजकर आनन्दित होती है तभी तो वह कहती है –

* प्राध्यापक (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

'स्वयं सुसज्जित करके क्षण में
प्रीतम को प्राणों के पण में
हमीं भेज देती है रण में
क्षात्र धर्म के नाते

(यशोधरा पृ. 24)

नारी परित्यक्ता होने पर भी सदैव पुरूष कल्याण की कामना करती है। चाहे वह कितना ही निष्ठुर निर्मोही क्यों न हो।

'कवि के लिये यशोधरा का चरित्र' एक प्रेरणा रूपी रहा है। उर्मिला की भाँति यशोधरा का व्यक्तित्व भी विश्वप्रेम के साथ समझौता करता है। यद्यपि उर्मिला की वियोग अवधि निश्चित् थी किन्तु यशोधरा का वियोग तो निखधि है। पर यशोधरा का आदर्श उर्मिला से कंही अधिक उच्च दिखाई देता है। उसमें केवल स्वाभिमान के ही दर्शन नहीं अपितु वह अद्भूत त्याग का भी परिचय देती है।

यशोधरा का यह कहना

'आओ प्रिय ! भाव में भाव-विभाव भरे हम,
डूबेगें नहीं कदापि, तरे न तरे हम'

(यशोधरा पृ. 109)

इस प्रकार गुप्त जी ने धीर गम्भीरता से परिपूर्ण इस सहिष्णुता की पावन प्रतिमा का वर्णन बड़े हृदय विदारक तथा मानवी शब्दों में किया। वह एक विरहिणी नायिका है, किन्तु आशा की सुनहरी चादर में लिपटा उसका जीवन एक अबला नारी के समान नहीं अपितु उसमें उच्चादर्श एवं त्याग की विशिष्टता उसके गौरव तथा शक्ति का मणिकांचन करता है।

निष्कर्षत: हम कह सकते है कि यशोधरा के आदर्श स्वाभिमान गर्व, साहस, शोर्य एवं वीर व्यक्तित्व को देखकर यदि हम उसके नारी रूप को पुरूष के समक्ष रखे तो हमें पुरूष का रूप सर्वथा नगण्य ही दिखाई देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मैथिलीशरण गुप्त का साहित्य - डॉ. द्वारकाप्रसाद मीतल पृ. 252
2. यशोधरा - मैथिलीशरण गुप्त।
3. मैथिलीशरण गुप्त की काव्य धारा - गिरिजादत्त शुक्ल।
4. मैथिलीश्रण गुप्त का काव्य - सांस्कृतिक अध्ययन - डॉ. आशा गुप्ता।
5. साकेत - मैथिलीशरण गुप्त।

****

भारविकृत 'किरातार्जुनीयम्' में प्रकृति चित्रण

उर्मिला मण्डलोई * डॉ. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी **

प्रस्तावना – भारवि ने 'किरातार्जुनीयम्' में हिमालय का वर्णन, शरद वर्णन और सन्ध्या वर्णन क्रमश चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग और नवम सर्ग में किया है।

चतुर्थ सर्ग में शिवाराधना हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान करते है। यहाँ वे इन्द्रकील पर्वत पर पहुँचते हैं। वहाँ झुकी हुई धान की सुशोभित बालियाँ, कमलों युक्त जलवाली मनोहर ग्राम–सीमा को देखकर अर्जुन आनंदित हुए। मार्ग में स्वच्छ जल वाले सरोवरों को मछलियों की उछल–कूद की चेष्टाओं से अर्जुन का मन आकर्षित होता है। तब आश्चर्य से भरी हुई, रमणियों के दृष्टि विलास की चंचलता को हरण करने वाली, कमल रूपी नेत्रों से सरोवर की चंचल लहरियों को देखती हुई चमकदार मछलियाँ अर्जुन को नेत्राकर्षक प्रतीत हुई।

'निरीक्ष्यमाणा इव विस्मयाकुलै: पयोभिरुन्मीलितपद्मलोचनै:।
हृतप्रियादृष्टिविलास विभ्रमा मनोऽस्या जहु: शफरी विवृत्तय:।।'[1]

इस सुंदर श्लोक में रूपक ओर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुन्दर समन्वय किया है।

मार्ग में हरे भरे धान के खेतों में रखवाली करती हुई ग्रामीण स्त्रियों का चित्रण किया है, जो महीन परागकणों से अलंकृत है, बंधूक पुष्पों के लाल रंग से जिनके अधर पल्लव सुशोभित हो रहे है, जिनके ललाट पर परिश्रम के कारण पसीने की बूंद झलक रही है, जिनके गालों पर झूलते हुए कर्णाभूषणों की कांति झलक रही है, ऐसी खेतों पर काम करती हुई स्त्रियों को देखा।

अर्जुन ने पुष्ट स्तनवाली भरपूर दूध देने वाली गायों का और उनके साथ विचरण करने वाले बछड़ों का स्वभावोक्ति अलंकार में वर्णन सहज और स्वाभाविक प्रतीत हुआ। इसमें परिपुष्ट सांडों का वर्णन भी सम्मिलित किया गया है। गोवत्सों के साथ वनों में चरने वाले गोप बालों का भी वर्णन कवि ने किया है। गोष्ठों में दहि मन्थन कर रही थी, उनकी मंथन क्रिया नर्तकी वेश्या के समान चंचल भावयुक्त गोपियों की अंगों का संचालन अर्जुन को मनोहारी प्रतीत हुआ।

इस वर्णन में कवि ने सुन्दर स्वभावोक्ति और भ्रांतिमान अलंकारों की झलक प्रस्तुत की है। कवि कहता है कि गोपस्त्रियाँ चंचल भवरों के समान घुंघराले बालों से सुशोभित है, मुस्कराती हुई स्त्रियों की सुन्दर दंत पंक्तियाँ केशर के समान सुशोभित लगती है। उनके कानों में चंचल कुण्डल कांतियाँ सूर्य की किरणों में चमक उठती है, परिश्रम के कारण कंपित श्वासों, अधरों के कारण लताओं के समान मथनी के हिलने डुलने से, उनके कलशों से गंभीर ध्वनि गोपियों में नृत्य के समान प्रतीत हो रही थी। कवि ने इन पंक्तियों से उपमा, स्वभावोक्ति और भ्रांतिमान अलंकारों से सम्पूर्ण दृश्य को मनोरम बना दिया है।

गाँवों में किसानों के घरो के सामने लता गुल्मों की छाया में बैठकर आनंदपूर्वक गोष्ठी सुख का अनुभव करते है। इस समय मुनियों के समान कृषक समुदाय भी आश्रमों के समान सीधे सादे आचार–विचार वाले लगते है। इन पंक्तियों में भी कवि ने कृषकों और मुनियों के सादगीपूर्ण जीवनचर्या का चित्रण किया है।

वर्षा ऋतु में लगातार बारिश होती रहती थी। फिर शरद् ऋतु का आगमन होता है। वर्षाकाल समाप्त हो जाता है। नदियाँ स्वच्छ जल से भर जाती है। सड़कों का पानी सूखने लगता है, जिससे पगडंडियाँ खुलने लगती है। नदियों की धाराएँ स्थिर हो जाती है। पृथ्वी कीचड़ रहित हो जाती है। श्वेत बगुले पंक्तिबद्ध आकाश में उड़ते रहते है। कभी–कभी इन्द्रधनुष की छटा दिखाई देने लगती है।

कवि ने शरद् ऋतु के वर्णन में एक सुन्दर रूपक अलंकार की रचना की है। यथा– पति के वियोग में पत्नी का मलिन, कृश तथा साज शृंगार सहित रूप शोभा नहीं देता। वर्षा ऋतु रूपी पति की वियोग व्यथा में दिव्यांगनाओं की यह दशा प्रोषितपति की भाँति कवि ने चित्रित किया है। वर्षा ऋतु पति है, दिशाएँ स्त्रियाँ है, मेघ स्तन मण्डल है, बिजली सुवर्णाहार है। इस प्रकार कवि ने पूर्ण रूप से सांगरूपक का चित्रण किया है। प्रस्तुत श्लोक द्रष्टव्य है–

'विपाण्डुभिर्म्लानतनया पयोधरैच्युताचिराभागुणहेमदामभि:।
इयं कदम्बानिलभभर्तृरत्यये न दिग्वधूनां कृशता न राजते।।'[2]

वर्षा रूपी पति के विरह में विद्युतरूपी सुवर्णहार से रहित तथा मलिनता (निर्जलता अथवा दुर्बलता) के कारण पाण्डु वर्ण (पीले रंग) को धारण करने वाले पयोधरों (मेघों तथा स्तन मण्डलों) से युक्त इन दिशा रूपी सुन्दरियों की यह दुर्बलता शोभा न दे रही है ऐसा नहीं है अपितु ये अत्यंत शोभा दे रही है।

शरद ऋतु जब कमजोर पड़ने लगता है और वर्षाकाल के रीत जाने पर अब मतवाले हंसों की कल–कूजन प्रारंभ होने लगी। कमल परागों से भरे हुए शीतल सुगंध वायु द्धारा आकृष्ट भ्रमर समूह अपने गंतव्य प्रदेश का निश्चय नहीं कर पा रहे है। इस घटना के लिए कवि ने एक सुन्दर उपमा का प्रयोग किया है। जैसे इस प्रकार के भौर, राजा के अनुपस्थित होने पर जैसे चोर और लम्पट अपने गंतव्य का निश्चय न होने से भौरों की तरह इधर–उधर भटक रहे है।

हिमालय वर्णन – हिमालय इतना ऊँचा है कि इसके एक ओर प्रकाश और दूसरी ओर अंधकार रहता है। जैसे शिवजी जब अट्टहास करते है, तो उनका आगे का भाग प्रकाशमान रहता है, लेकिन पृष्ठभाग गजचर्म से युक्त होने पर पृष्ठ भाग अधंकार की तरह प्रतीत होता है। यहाँ कवि ने हिमालय की तुलना शिवजी के रूप से की है, जहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यथा–

'तपनमण्डलदीपितमेकत: सततनैशतमावृतमन्यत:।
हसितभिन्नतमिह्राचयं पुर: शिवमिवानुगतं गजचर्मणा।।'[3]

गगनचुम्बी श्वेतवर्ण की सुर्वण रेखाओं से सुशोभित चट्टाने विद्युत रेखाओं से युक्त शरद के शुभ्रवर्णी बादलों की पंक्तियों को भी तिरस्कृत करने वाले शिखरों से भी हिमालय अत्यंत ऊँचा दिखाई देता है। यहाँ कवि ने विद्युत रेखाओं से युक्त बादलों की रजत पंक्तियाँ हिमालय मेंअधिक ऊँची दिखाई देने का भाव व्यक्त किया गया है।

हिमालय में अधिकांश नदियाँ अति वेगवती है। हिमालय की पद्मपराग मणियों से खचित भित्तियाँ, जो जपाकुसुम की तरह लाल सुर्ख दिखाई देती है, ऐसे हिमालय की रक्तवर्णी भित्तियाँ सायंकाल की सूर्य रश्मि के कारण वे अधिक रक्तिम वर्ण वाली दिखाई देती है।

हिमालय पर अनेक दिव्य औषधियाँ प्रकाशमान होती है, जिनके कारण

* शोधार्थी (संस्कृत) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** निर्देशक एवं पूर्व कुलपति, पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

रात्रियों में ये दिव्य औषधियाँ त्रिपुरदाह का दृश्य मानों उपस्थित होती है। एतदर्थ श्लोक दृष्टव्य है–

'ग्रहविमानगणानभितो दिवं ज्वलयतोषधिजेन कुशानुना।
महुरनुस्मरयन्तमनुक्षपं त्रिपुरदाहमुपातिसेविन:।।' 4

यह हिमालय आकाशस्थित चंद्र, सूर्यादि ग्रहों एवं देवयानों को सुप्रकाशित करते हुए अपनी औषधियों से उत्पन्न अग्नि द्धारा प्रत्येक रात्रि में भगवान् शंकर के गणों को त्रिपुरदाह का बार–बार स्मरण दिलाता है।

गंगा नदी के वेगवान धाराओं के उन्नत शिखरों पर टकराने के कारण जलकणों के फौवार की तरह छूटने से मानो ऐसा लगता है कि हिमालय श्वेत चामर धारण किये हुए है। इस प्रकार की सुन्दर उत्प्रेक्षा इन पंक्तियों में की गई है।

और भी हिमालय में स्थित किन्नरादि की रमणियाँ भी हिमालय के सौन्दर्य को देखने के लिए सदा उत्सुक रहती है। यथा–

'रुचिरपल्लवपुष्पलतागृहैरुपलसज्जलजैर्जलराशिभि:।
नयति सन्ततमुत्सुकतामयं धृतिमती रूपकान्तमति श्रिय:।।'[5]

अर्थात्– यह हिमालय अपने मनोहर पल्लवों एवं पुष्पों से सुशोभित लतामण्डलों तथा विकसित कमलों से सुन्दर सरोवरों से अपने प्रियतम के समीप में स्थित धैर्य शालिनी मानिनी रमणियों को भी निरन्तर उत्सकुल बना देता है।

हिमालय की सुन्दरता और भव्यता पर कवि भी अत्यंत मुग्ध है, इसलिए कवि कहता है कि यह सम्पूर्ण त्रैलोक्य भी इस पर्वत राज हिमालय की तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि जिनकी महिमा लोग नहीं जान पाते, ऐसे भवानीपति भगवान् शंकर सर्वदा पर्वत पर निवास करते है। इस हिमालय पर कुररी पक्षी बोल रहे है। वृक्ष पुष्पभार से झुके हुए है, जलाशय कमलों से भरे सुशोभित हो रहे है।नदियां के जल में हाथी आनंद बढ़ाने वाले है। बौरे हुए आम की मंजरियाँ सुगन्ध से भरी है। भ्रमर और कोकिल उन्मत्त हो रहे है।

'दधत इव विलासशालिनृत्यं मृदु पतता पवनेन कम्पितानि।
इह ललितविलासिनीजनभ्रूगतिकुटिलेषु पय:सु पङ्कजानि।।'[6]

इस हिमालय पर्वत पर मन्द–मन्द बहने वाली वायु द्धारा कमलवृन्द विलासिनी रमणियों की कुटिल भौहों के समान तरंगयुक्त जलराशि में मानो मनोहर नृत्य–सा करते हुए दिखाई पड़ते है। इस कब्लास पर्वत के इर्द–गिर्द के प्रदेशों में हरिणियों द्धारा नीले तृणों के अंकुर की आशंका से पहले चाट कर पीछे छोड़ दी गई। नूतन शुक के पंखों के समान हरे रंग की मपकत मणियों की कांतियाँ सूर्य किरणों से मिश्रित होकर अधिकाधिक प्रकाश युक्त हो जाती है।

छोटे–छोटे श्वेत बादलों में मणियों की प्रभाएँ चमक कर इन्द्र धनुष की पूरी कर देती है। इस पर्वत पर हरिचंदनों के वे वृक्ष है, जिन पर बड़े–बड़े सर्प लिपटे रहते है, जिन के बीच देवराज इन्द्र का वाहन क्रीड़ा करता है।

संध्या और चन्द्रोदय का चित्रण – संध्या समय सूर्यास्त के समय किरणें लाल जैसी हो जाती है। सूर्य क्षितिज पर लाल होकर लौटने लगता है। सहह्रों किरणों वाला सूर्य लोहित वर्ण हो जाता है। इसी समय चक्रवाक दम्पत्ति भावी विरह के कारण सन्तप्त हो जाता है।

'युक्तमूललघु रुज्जितपूर्व: पश्चिमे नभसि संभृत सान्द्र:।
सामि मज्जति रवौ न बिरेजे खिन्न जिह्म इव रश्मिसमूह:।।'[7]

अर्थात् सूर्य के आधे बिम्ब के डूब जाने पर सूर्य की किरणों का समूह सूर्य के आश्रय छोड़ने के कारण मानों तुच्छ होकर एवं पूर्व दिशा का परित्याग कर पश्चिम दिशा में एकत्र होकर इस प्रकार निष्प्रभ अथवा तेजोविहीन हो रहा है, जिस प्रकार अपने पूर्व स्वामी को छोड़कर की नीच व्यक्ति का आश्रय लेने वाला कोई व्यक्ति निस्तेज अथवा श्रीहीन हो जाता है।

सूर्य अस्ताचल के लिए शिखरों पर स्थित वृक्षों की चोटियों पर अत्यंत अरुण वर्ण की किरणों अस्ताचल के घने जंगलों में अथवा समुद्र में अथवा पृथ्वी में जाने कहाँ डूब गई।

'अग्रसानुषुनितान्तपिशङ्गैर्भूरुहान्मृदुकरैरवलम्ब्य।
अस्तशैलगहनं नु विवस्वाना विवेशजलधिं नु महीं नु।।'[8]

सूर्य अचानक जल्दी–जल्दी कहीं डूब गया। इसका कुछ पता नहीं चला है। सूर्य डूब जाने पर चारों ओर अंधकार घना होने लगता है।

रात हो गई। चक्रवाक पक्षी विछोह के भय से ही अपनी प्रियतमा के सम्मुख रहने पर भी उनके सम्मुख केवल वार्तालाप ही कर सकता है।

'यच्छति प्रतिमुखं दयितायै वाचमन्तिके गतेऽपि शकुन्तौ।'[9]

लेकिन चक्रवाक पक्षियों की इस दयनीय स्थिति को देखकर सरोजिनी (रक्त कमल) अपने अविकसित, मुरझाये हुए मुख की भाँति नीचे की ओर झुका लिये थे।

'नीयते स्म नतिमुज्झितहर्षपङ्कजं मुखमिवाम्बुरुहिण्या।।'[10]

अंधकार ने सभी वृक्षों और पर्वतों को काले रंग में रंग लिये है, सब दिशाएँ कहीं लुप्त हो चुकी है।

चन्द्रोदय वर्णन – कुछ देर पश्चात् आकाश में चन्द्रोदय हुआ, जिससे सर्वत्र श्वेत रंग से चन्द्र दिखाई दिया। ऐसे लगा कि मानो चन्द्रमा रूपी नायक ने प्राची रूपी नायिका के मुख पर कपूर का श्वेत चूर्ण (पावडर) पोत दिया हो।

चन्द्रमा के प्रकट होने पर मानो प्राची रूपी नायिका अत्यंत प्रसन्न हो रही है। इस प्रकार चन्द्रमा रूपी नायक और प्राची रूपी नायिका का सुन्दर रूपक कवि भारवि ने व्यक्त किया है।

उदयाचल की आड़ से चन्द्रमा शुभ्र किरण फैला रहा है। चारों ओर सुशोभित नीले गगन में चन्द्र की श्वेत किरणमानों समुद्र में गिरती श्वेत गंगा की जलधारा प्रतीत हो रही हो। ऐसी सुन्दर उपमा की कल्पना की गई है।

चन्द्रमा के शुभ्र किरणों के कारण भगवान् शंकरजी भी ऐसे प्रतीत हो रहे है, मानों उन्होंने काले गजचर्म को उतारकर दूर फेंक दिया हो। चन्द्रोदय के कारण सम्पूर्ण अन्धकार नष्ट हो गया है।

'श्लिष्यत: प्रियवधूरुपकण्ठं तारकास्तरणकरस्य हिमांशो:।
उद्धमन्नभिरराज समन्तादङ्गराग इव लोहितराग:।।' [11]

अपने किरणरूपी हाथों को फैलाकर तारा रूपी प्रियतमा का आलिंगन करते हुए चन्द्रमा के चारों ओर फैलती हुई उसकी लालिमा अंगराग के समान सुशोभित होने लगी। तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा की किरण तारों पर फैल गयीं। आलिंगन से अंगराज फैल जाता है। इस प्रकार कवि ने रूपक और उपमा का अंगांगी भाव प्रकट किया है।

इस प्रकार भारवि ने शरद् वर्णन, हिमालय वर्णन और संध्या तथा चन्द्रोदय का वर्णन तत्कालीन परिपाटी के अनुसार किया है और इसके विभिन्न अलंकारों का भी सुन्दर प्रयोग किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. किरातार्जुनीयम्/4–31
2. किरातार्जुनीयम्/ 4–24
3. किरातार्जुनीयम्/ 5–2
4. किरातार्जुनीयम् /5–14
5. किरातार्जुनीयम्/5–19
6. किरातार्जुनीयम् 5–32
7. किरातार्जुनीयम् 9–5
8. किरातार्जुनीयम् 9–7
9. किराजार्जुनीयम् 9–14
10. किरातार्जुनीयम् 9–14
11. किरातार्जुनीयम् 9–27

चतुर्दण्डिप्रकाशिका सार (वीणा प्रकरण, श्रुति प्रकरण के संदर्भ में)

डॉ. स्नेहा पंडित *

प्रस्तावना – चतुर्दण्डिप्रकाशिका, प्रचलित कर्नाटकी संगीत पद्धति के आधार ग्रंथों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के लेखक पं. व्यंकट मखी, शास्त्रज्ञ, साहित्यकार, विद्वान तथा वीणावादक रहे। इनका पूरा नाम व्यंकटेश्वर दीक्षित था। संगीत विषय पर यह ग्रंथ तंजावर में राजा अच्युत विजय राघव के समय में उनकी प्रेरणा से लिखा गया। चतुर्दण्डिप्रकाशिका के लेखनकाल के सम्बन्ध में पंडितों के भिन्न-भिन्न मत देखे गए हैं। मंद्रपुरी संगीत विद्वत्सभा द्वारा 1934 में प्रकाशित इस ग्रंथ के संस्करण में, इस ग्रंथ को 1620 में लिखा गया है, का उल्लेख है। पं. भातखण्डे के मतानुसार इसका लेखन 1660 में हुआ।

पं. व्यंकट मखी द्वारा रचित ग्रंथों में तीन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है – (1) चतुर्दण्डिप्रकाशिका (2) राग लक्षण (3) साहित्य साम्रज्ञ। इनमें से चतुर्दण्डिप्रकाशिका ग्रंथ, महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ दक्षिण भारतीय संगीत में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कुछ कारण हैं। पं. व्यंकट मखी के परवर्ती संगीत साहित्यकारों तथा वाग्गेयकारों ने चतुर्दण्डिप्रकाशिका का बड़े विश्वास तथा श्रद्धा से अनुसरण किया है। पं. व्यंकट मखी आधुनिक काल कर्नाटकी संगीत के पाणिनी हैं। इनके बाद के सभी शास्त्रकारों ने अपनी-अपनी पुस्तकों के लिए इस पुस्तक को आधार माना है। कर्नाटकी पद्धति के साथ-साथ हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रकारों ने भी इस ग्रंथ को आधार माना है। पं. भातखण्डे जी ने मेलों को विभाजित करने के लिए भी इसी ग्रंथ का आधार लिया।

सर्वप्रथम इस ग्रंथ के शीर्षक 'चतुर्दण्डिप्रकाशिका' का अर्थ क्या है, यह जानना जरूरी है। श्री के. वासुदेव ने अपने ग्रंथ 'संगीतशास्त्र' में बताया कि चतुर्दण्डी का अर्थ है – संगीतकला को वश में करने के चार उपाय। राग का स्वरूप व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से गायन-वादन करने की प्रथा बहुत प्राचीन है। संगीत रत्नाकर के काल (13वीं शताब्दी) में जो गेय साहित्य प्रचार में था, उसको प्रकृति भिन्नता के अनुसार सर्वप्रथम नायक गोपाल ने चार भागों में विभक्त किया – (1) आलाप (2) ठाय (3) गीत (4) प्रबंध। इन्हीं को चतुर्दण्डी नाम से ज्ञापित किया जाता है। चतुर्दण्डिप्रकाशिका ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही है, परन्तु यह सब राग गायन से सम्बन्ध होने के कारण राग की, राग मेल से संपर्कित होने के कारण मेलों की, मेल स्वरों से संपर्कित है, इसलिए स्वर की तथा स्वर श्रुति से जड़ित होने के कारण श्रुति की चर्चा करना ग्रंथकार ने अनिवार्य समझा। उस काल में श्रुति स्वरों की सिद्धि वीणा वाद्य की सहायता से की जाती थी। इस कारण पं. व्यंकट मखी ने सर्वप्रथम वीणा के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की। चतुर्दण्डिप्रकाशिका ग्रंथ दस प्रकरणों में विभाजित हुआ है – (1) वीणा प्रकरण (2) श्रुति प्रकरण (3) स्वर प्रकरण (4) मेल प्रकरण (5) राग प्रकरण (6) आलाप प्रकरण (7) ठाय प्रकरण (8) गीत प्रकरण (9) प्रबंध प्रकरण (10) ताल प्रकरण।

वीणा प्रकरण – पं. व्यंकट मखी ने वीणा के मुख्यत: तीन प्रकार माने हैं –

1. शुद्ध मेल वीणा
2. मध्यमेल वीणा
3. रघुनाथेन्द्र मेल वीणा

वीणा के इस प्रत्येक प्रकार के दो भेद होते हैं –

1. एक राग मेल वीणा
2. सर्वराग मेल वीणा

मध्यमेल वीणा का और भी एक तीसरा भेद है – एक तंत्रिका वीणा।

एक राग शुद्ध मेल वीणा – इस प्रकरण में वीणा के अवयवों की संज्ञाओं को बताया गया है। वीणा के जिस भाग पर मुख्य तार फैलाये जाते हैं तथा तार बांधने की खूंटियां होती है, उस तरफ के मेरू से लेकर दाई तरफ के क्षेत्र के कुछ अंश को प्रवाल कहा जाता है और तबली का (तुंबे का आवरण) वह अंश जो सँकरा होकर प्रवाल से मिलता है, पीठ कहलाता है। आड़ को मेरू कहा गया है। तार को तंत्री तथा स्वर-स्थान दर्शक धातु के टुकड़ों को पर्व कहा गया है। वीणा के ऊपरी भाग पर अर्थात् प्रवाल, पीठ, तबली इत्यादि भागों पर से गुजरती हुई चार तंत्रियां फैलाई जाती है। दाहिनी तरफ से बायीं तरफ की तंत्रियों को देखें तो पहली तथा दूसरी तंत्रिका पीतल की होती है, तीसरी तथ चौथी लोहे (फौलाद) की होती है। इन चार मुख्य तंत्रियों की बायीं तरफ लोहे की तंत्रियां फैलाई जाती है, इनको पार्श्वतंत्री अथवा श्रुति तंत्री कहा गया है। इनको बैठाने के लिए पीतल का बना हुआ एक स्वतंत्र मेरू (ब्रिज) होता है। इनमें पहली तंत्री को टिपी तथा तीसरी को झल्लिका कहा जाता है। इस वीणा के कुल 14 पर्व (परदे) होते हैं। आड़ से नौवें पर्व के अंतराल को दीर्घ पर्व, नौवें के बाद पांच व नौवें से दसवें पर्व का अंतर कम होने से इसे हस्वपर्व कहा जाता है।

सर्वराग शुद्ध मेल वीणा – शुद्ध मेल वीणा के इस दूसरे प्रकार में तीनों स्थान की पर्व रचना अचल ठाठ को ही रखा जाता है। अतएव पर्वों की संख्या तथा रचना पूर्वोक्त वीणा से भिन्न होती है।

एक राग मध्यमेल वीणा – इस वीणा प्रकार में मुख्य तथा पार्श्वतंत्रियों की संख्या पूर्वोक्त वीणा की तरह ही होती है, परन्तु मुख्य चार तंत्रियां जिन स्वरों में मिलाई जाती है वे स्वर पूर्वोक्त पद्धति से भिन्न होते हैं। मुख्य चार तंत्रियों के नीचे मेरू की दायीं तरफ प्रथम छ: पर्व बैठाए जाते हैं।

सर्वराग मध्यमेल वीणा – यदि एकराग मध्यमेल वीणा की पर्व संख्या में परिवर्तन करके प्रवाल पर बारह दीर्घ पर्व तथा पीठ पर ग्यारह हस्व-पर्व स्थापित किये जाए ताकि बिना कोई पर्व स्थानांतरित किये ही सब राग बजाये जा सकें तो वह सर्वराग मध्यमेल वीणा कहलाती है। इसके पीठस्थ पर्वों में कैशिकी निषाद का पर्व नहीं होता। अतएव वीणावादक काकली

* सहायक प्राध्यापक (संगीत) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

निषाद के पर्व पर ही कैशिकी निषाद बजाया करते हैं। कोई-कोई वादक कैशिकी निषाद के लिये एक स्वतंत्र पर्व की स्थापना करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार हस्व पर्वों की संख्या ग्यारह से बारह हो जाते हैं। अतएव सर्वराग मध्यमेल वीणा के दो प्रकार पाये जाते हैं।

मध्यमेल एकतंत्री वीणा – यह मध्यमेल वीणा का तीसरा प्रकार है। एक तंत्री वीणा नाम से समझ में आता है कि इस वीणा में केवल एक ही तंत्री से काम लिया जाता है। यह वीणा की चतुर्थ तंत्री होती है अर्थात् प्रथम तीन तंत्रियां रागों की सुरावट बजाने के कार्य में नहीं लाई जाती। ग्रंथकार के अनुसार चतुर्थ तंत्री पर, जो षडज स्वर में बांधी जाती है, मंद्र मध्य तथा तार, इन तीनों स्थानों के स्वर बजाये जा सके इस तरह से पर्व योजनी करनी चाहिए।

रघुनाथेन्द्र मेल वीणा – इस पं. व्यंकट मखी ने अपने पिता श्री गोविंद दीक्षित द्वारा लिखित 'संगीत सुधानिधि' ग्रंथ से ही लिया है। उस वर्णन के अनुसार सर्वराग मध्य मेल वीणा की चतुर्थ तंत्री को जो मध्य षडज में बांधी जाती है, पंचम में बांधने से रघुनाथेन्द्र मेल वीणा प्रस्तुत होती है, यह पंचम मध्यस्थान का स्पष्ट है।

द्वितंत्रिका वीणा – यह वीणा प्रकार पं. व्यंकट मखी का स्वयं का आविष्कार है। वे कहते हैं, दूसरी तंत्री की स्वर योजना में परिवर्तन करके इसके भी दो प्रकार बनाये गए हैं।द्वितंत्रिका वीणा में अन्य वीणाओं की भाँति मुख्य तंत्रिका चार न होकर दो ही होती है। पहली मंद्र षडज में और दूसरी मंद्र मध्यम में मिलाई जाती है। प्रवाल का माप एक तंत्री वीणा की तरह होता है। इस वीणा की दूसरी तंत्री मंद्र पंचम में मिलाने से दूसरा प्रकार तैयार होता है।

देखा जाए तो इस प्रकार वीणा के मुख्य छः प्रकार होते हैं –

1. एक तंत्री वीणा
2. द्वितंत्री वीणा नं.1
3. द्वितंत्री वीणा नं.2
4. शुद्धमेल वीणा
5. मध्यमेल वीणा
6. रघुनाथेन्द्र वीणा

इनमें से प्रत्येक वीणा प्रकार के दो प्रभेद हैं – (1) एक राग मेल वीणा (2) सर्वराग मेल वीणा। इस प्रकार वीणा के विभिन्न बारह रूप दिखाई देते हैं।

श्रुति प्रकरण – प्राचीनकाल में श्रुति स्वरों की निष्पत्ति के लिए वीणा वाद्य का उपयोग किया जाता था। यह भरत, शारंगदेव, मध्ययुग के महोबल तथा श्रीनिवास आदि पंडितों के गंथों से स्पष्ट होता है। दक्षिण भारतीय संगीत में भी यही प्रथा प्रचलित थी, यह इस ग्रंथ से स्पष्ट होता है।

इसके श्रुति प्रकरण के पहले ही श्लोक में वे कहते हैं कि वीणा का सप्रपंच निरूपण किया गया है। श्रुति की व्याख्या करते समय वे कहते है कि स्वर उत्पन्न करने में समर्थ हो ऐसा नाद, विशेष श्रुति नाम से परिचित है, परन्तु वे यह भी कहते हैं कि वास्तव में श्रुति एवं स्वर में प्रभेद नहीं, इस कारण दोनों ही एक ही नाद के रूप हैं। श्रुति कहलाने वाले नाद स्निग्धत्व और अनुरणन इन दो गुणों से युक्त होकर स्वयं ही रंजन करने में शक्तिमान हो, ऐसी व्यवस्था करने से श्रुति जो रूप धारण करती है, वही स्वर है।

पं. व्यंकट मखी, श्रुति विभाजन विधि को समझाते हैं – शुद्ध ऋषभ तीन श्रुतियां हैं। तद्वत् शुद्ध गंधार की दो श्रुतियां हैं। शुद्ध मध्यम की श्रुतियां चार हैं। इन चार में से प्रथम श्रुति पर साधारण गंधार का तीसरी पर अंतर गंधार, चौथी पर शुद्ध मध्यम का स्थान है। संगीत विद्वानों द्वारा पंचम यह चार श्रुतियुक्त कहा जाता है, परन्तु उसकी पहली, दूसरी और तीसरी ऐसी तीन श्रुतियां लेते हुए वराली मध्यम (तीव्र मध्यम) तीसरी श्रुति पर स्थानापन्न होता है। धैवत को तीन श्रुतियों का स्वर कहा गया है। तद्वत निषाद को दो श्रुतियों का और षडज को चार श्रुतियों का कहा गया है, पहली श्रुति कैशिकी निषाद को दूसरी और तीसरी काकली निषाद को दान करके षडज केवल एक श्रुति युक्त स्वर होता है। इस प्रकार पं. व्यंकट मखी ने जो दक्षिणात्य संगीत के सप्तकांतर्गत बारह स्वरों का स्थान बताया है।

1	कैशिकी निषाद	12	अंतर ग, शुद्ध म
2		13	
3	काकली निषाद	14	
4	षडज	15	
5		16	वराली म
6		17	पंचम
7	शुद्ध रे	18	
8		19	
9	शुद्ध ग	20	शुद्ध धैवत
10	साधारण ग	21	
11		22	शुद्ध निषाद

इसके पश्चात् बाइस श्रुतियां वीणा पर किस-किस स्थान में बजेगी, यह बताया गया है। इस कार्य को सम्पन्न करने वाली वीणा को 'श्रुति वीणा' कहा गया है। श्रुति वीणा तैयार करने के लिए पं. व्यंकट मखी ने मध्यमेल वीणा को पसंद किया है। इस वीणा को चुनने के बाद इस पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे। यही वीणा क्यों ? षडज स्वर सप्तक का आरंभिक स्वर होने के नाते श्रुति प्रदर्शन विधि का आरंभ षडज न होकर ऋषभ स्वर क्यों ? इत्यादि इन सभी प्रश्नों का समाधान इस अध्याय में लेखक द्वारा किया गया है। इस अध्याय में लेखक ने बाईस श्रुतियों के पर्व स्थापन करके प्रत्येक श्रुति का ध्वनिरूप कानों से सुनना संभव हुआ। इसी के साथ प्रत्येक श्रुति का वीणा पर मेरू से अन्तर तथा उसकी प्रति सेकंड कंपन्न संख्या कितनी होती है, इसे स्पष्ट किया गया है। हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत की सर्वमान्य बातें जानने वाले प्रायः सभी यह जानते हैं कि दोनों पद्धतियों में बारह स्वरों के मान एक ही हैं। पं. व्यंकट मखी के अनुसार शुद्ध गंधार से साधारण गंधार, अन्तर गंधार से शुद्ध मध्यम, वराली मध्यम से पंचम, शुद्ध निषाद से कैशिक निषाद, और काकली निषाद से षडज केवल एक-एक श्रुति ऊँचे हैं। अतएव इन स्वर युगलों के बीच में कोई मध्यवर्ती श्रुति के अस्तित्व का सवाल नहीं है। इसके अलावा –

शुद्ध ऋषभ, षडज से	तीन श्रुति ऊँचा
शुद्ध गंधार, शुद्ध ऋषभ से	दो श्रुति ऊँचा
अंतर गंधार, साधारण गंधार से	दो श्रुति ऊँचा
वराली मध्यम, शुद्ध मध्यम से	तीन श्रुति ऊँचा
शुद्ध धैवत, पंचम से	तीन श्रुति ऊँचा
शुद्ध निषाद, धैवत से	दो श्रुति ऊँचा
काकली निषाद, कैशिक निषाद से	दो श्रुति ऊँचा

इन स्वर युगलों के बीच वाला अंतर उनके बीच में होने वाली श्रुति संख्या के अनुसार समान भागों में बांटने से मध्यवर्ती श्रुतियों के स्थान पाए जाते हैं। इस तरह पं. व्यंकट मखी की प्रत्येक श्रुति का ध्वनिरूप कानों से अनुभव करना संभव होता है। इसी आधार पर प्रत्येक श्रुति की ब्रिज से दूरी भी जानी जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

चतुर्दण्डिप्रकाशिका सार
(स्वर प्रकरण, मेल प्रकरण, राग प्रकरण के संदर्भ में)

डॉ. स्नेहा पंडित *

प्रस्तावना – 16वीं शताब्दी में पं. व्यंकटमखी द्वारा चतुर्दण्डिप्रकाशिका को लिखा गया, ऐसा माना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने स्वर प्रकरण, मेल प्रकरण एवं राग प्रकरण पर प्रकाश डाला। दक्षिणात्य पद्धति के स्वरों की जानकारी उनके द्वारा इस ग्रंथ में दी गई। उनके द्वारा गणितीय पद्धति से बारह स्वरों द्वारा मेलों को कैसे बनाया जाए, यह मेल प्रकरण में बताया गया है। इस मेल प्रकरण को आधार मानकर पं. भातखण्डेजी ने उत्तर हिन्दुस्तानी पद्धति में थाटों का निर्माण किया। थाटों से ही रागों की उत्पत्ति होती है, ऐसा पं. व्यंकटमखी ने राग प्रकरण में बताकर विभिन्न रागों का वर्णन किया है।

स्वर प्रकरण – इस ग्रंथ में श्रुति प्रकरण के बाद स्वर प्रकरण का क्रम है। इस अध्याय में स्वर के साथ–साथ ग्राम, मूर्च्छना, तान, अलंकार, गमक और स्वर के भेद–वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी इन विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है।

स्वर की उत्पत्ति श्रुति से मानी गई है। भरतमुनि के अनुसार ही इन्होंने भी षडज, मध्यम, पंचम की चार–चार, ऋषभ व धैवत की तीन–तीन तथा गंधार तथा निषाद की दो–दो श्रुतियों का विभाजन माना है। विकृत स्वर में विद्वानों के मतभेद हैं, कोई पांच, कोई सात, कोई बारह स्वर बताते हैं। लेखकानुसार विकृत स्वर पांच ही है – (1) साधारण गंधार (2) अंतर गंधार (3) वराली मध्यम (4) कैशिकी निषाद (5) काकली निषाद। इनमें से पहले दो स्वर, मध्यम के क्षेत्र में, तीसरा स्वर पंचम के क्षेत्र में तथा अंत वाले दो स्वर षडज के क्षेत्र में स्थित हैं। अतएव सात शुद्ध तथा पांच विकृत स्वर मिलाकर सप्तक में कुल बारह स्वर होते हैं।

सप्तक के अंतर्गत स्वरों का यह रूप प्रपंच रचकर उसका विवेचन करने का क्या उद्देश्य और इससे किस लाभ की निष्पत्ति हुई, इसका स्पष्टीकरण करते हुए पं. व्यंकट मखी कहते हैं कि बहत्तर मेल श्रृंखला के प्रत्येक मेल में आने वाले स्वरों के श्रुत्यंतर स्पष्टता से समझने के लिए इसका प्रयोजन है।

इसके पश्चात ग्राम के बारे में विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा कि 'मोटे तोर पर स्वर समूह ही ग्राम है।' लोकसमूह में जैसे गांव (ग्राम) की सृष्टि होती है, वैसे ही स्वरसमूह से सांगीतिक ग्राम की उत्पत्ति है। ग्राम तीन बताए गए हैं – षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम।

मूर्च्छना ग्रामाश्रिता या ग्रामवयवभूता होती है सप्तस्वरों को बिना क्रमभंग किये आरोही तथा अवरोही रूप में गाने से मूर्च्छना सिद्ध होती है। प्रत्येक स्वर से एक मूर्च्छना इस हिसाब से हर मेल में सप्त मूर्च्छनाएँ होती हैं। इस प्रकार 72 मेलों की 72 x 7 = 504 मूर्च्छनाओं की कल्पना पं. व्यंकट मखी ने की है। तान को स्वरविस्तार लक्षण कहा गया है। तान की उपयुक्तता स्वरविस्तार या राग विस्तार में है।

अलंकार – संगीत रत्नाकर अनुसार 63 अलंकार हैं, परंतु इस समय यह 63 अलंकारों का स्थान सिर्फ प्रसिद्ध 8 अलंकार ने ली है। उनके नाम –

1. झोपट – यह झोपट ताल में निबद्ध अलंकार है। इस ताल की संख्या दो तथा अक्षरकाल संख्या 8 होती है।
2. ध्रुव – ध्रुव ताल में निबद्ध होती है। ध्रुव ताल के दो प्रकार हैं – नाट्यदण्डी ध्रुव एवं वीणा वाद्य ध्रुव, इन दोनों में अक्षरकाल अर्थात् मात्राओं की संख्या 14 होती है। नाट्य ध्रुव में एक चन्द्रमात्रिक लघु तथा एक दशमात्रिक गुरू होता है परन्तु वीणा वादक इसको त्रिधातुक बताते हैं।
3. मठ्य – यह मठ्य ताल में निबद्ध होता है। मठ्यताल में दस मात्राऐं होती है।
4. रूपक – यह रूपक ताल में होता है। यह ताल छः मात्राओं का होता है।
5. झम्पा – यह अलंकार झम्प ताल में होता है। इस ताल के दो रूप होते हैं – नाट्य झम्पा और वीणा झम्पा, इन दोनों की मात्रा संख्या 10 होती है।
6. त्रिपुट – यह त्रिपुट ताल में निबद्ध होता है। इसकी मात्राऐं सात होती है।
7. अठ – यह अठ ताल में निबद्ध होता है, इसमें आठ मात्राऐं होती है।
8. एकताल – एकताल में निबद्ध होता है, इसमें केवल एक द्रुत अर्थात् दो मात्राऐं होती है।

वास्तव में ये नाम तालों के हैं, परंतु अलंकारों की रचना तालों के छंदों में की जाने की वजह से उनको उन तालों के ही नामों से पहचाना जाता है। इसी पर आधारित तालों का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। तालों के चिह्न भी हैं। व्यंकट मखी के समय यदि ताल 4 मात्राओं का था अब वह 8 मात्रा का ताल है ।

ताल	जाति	छंद + मात्रा
ध्रुव ताल	चतुरस्त्र जाति	4+2+4+4 = 14
मध्य ताल	चतुरस्त्र जाति	4+2+4 = 10
रूपक ताल	चतुरस्त्र जाति	2+4 = 6
झम्प ताल	मिश्र जाति	7+1+2 = 10
त्रिपुट ताल	तिस्त्र जाति	3+2+2 = 7
अठ ताल	खंड जाति	5+5+2+2 = 14
एक ताल	चतुरस्त्र जाति	4 = 4

इसके पश्चात गमक पर प्रकाश डाला है। संगीत के शास्त्र ग्रंथों ने स्वर के कम्प को गमक कहा है। गमक के 15 प्रकार बताये हैं।

1. तिरिप	2. स्फुरित	3. कम्पित
4. लीन	5. आंदोलित	6. बलि
7. त्रिभिन्त	8. कुरूल	9. आहत
10. उल्लासित	11. प्लावित	12. हुम्फित
13. मुद्रित	14. नामित	15. मिश्रित

इनमें से कुछ गमकों का संक्षिप्त वर्णन इसमें दिया गया है। इसके पश्चात उन्होंने वादी, संवादी, अनुवादी तथा विवादी, चतुर्विध स्वरों का वर्णन दिया है। बार–बार प्रयोग में आने वाला स्वर वादी स्वर कहलाता है। जिन दो

* सहायक प्राध्यापक (संगीत) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

स्वरों में आठ अथवा तेरह श्रुतियों का फासला होता है, उसे संवादी स्वर कहते हैं। जिन दो स्वरों में एक श्रुति का फासला होता है, उसे विवादी स्वर कहते हैं। इस तथ्य के अनुसार रे-ग और ध-नि तथा विकृतों में साधारण गंधार-अंतर गंधार और कैशिकी निषाद-काकली निषाद परस्पर के विवादी हैं। वादी, संवादी, विवादी के अतिरिक्त बाकी सभी स्वर अनुवादी कहलाते हैं।

मेल प्रकरण – चतुर्दण्डिप्रकाशिका के चतुर्थ प्रकरण में लेखक ने मेल की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने मेल गठन विधि, मेल संख्या, प्रत्यक्ष, व्यवहुत मेल, उनमें आने वाले स्वर, प्रत्येक स्वर की श्रुतियां, बहत्तर मेल प्रस्तार में वर्णित उन्नीस मेलों के क्रमांक और आखिर में उनके पूर्ववर्ती संगीत ग्रंथकार पं. रामामात्य के विंशति मेल निरूपण की योग्यायोग्यता का विचार का उल्लेख है। लेखक द्वारा सर्वप्रथम बारह स्वरों (कर्नाटक संगीत) के नाम तथा स्थान बताये गए हैं। सभी शुद्ध स्वर का स्थान उनके क्षेत्र की उच्चतम श्रुति पर होता है। इसके पश्चात इन्होंने मेल कैसे बनते हैं, यह बताया है। मेल के पूर्वार्द्ध में षडज, उसके पश्चात स्थित चारों में से क्रमानुसार दो स्वर और आखिर में शुद्ध मध्यम अथवा वराली मध्यम ऐसे स्वर होते हैं। बीच में आने वाले दो स्वरों में से प्रथम का नाम ऋषभ और द्वितीय गंधार होना जरूरी है। इसी प्रकार मेल के उत्तरार्द्ध में पहले पंचम, फिर पंचम से उच्च चार स्वरों में से क्रमानुसार दो स्वर जिनमें पहला धैवत नामांकित तथा दूसरा निषाद नामांकित होगा, इस रीति से स्वर लिये जाते हैं। इस प्रकार मेल के दो अंग पूर्व मेलार्द्ध तथा उत्तर मेलार्द्ध तैयार होते हैं। अब पूर्व मेलार्द्ध के साथ उत्तर मेलार्द्ध जोड़ देने से पूर्ण मेल बनता है। इस पद्धति से अधिकतम 72 मेल की उत्पत्ति संभव है। ऐसा लेखक द्वारा बताया गया है

क्र.	पूर्व मेलार्द्ध	उत्तर मेलार्द्ध
1.	स र ग म	प ध न सां
2	स र गि म	प ध नि सां
3	स र गु म	प ध नु सां
4	स रि गि म	प धि नि सां
5	स रि गु म	प धि नु सां
6	स रू गु म	प धु नु सां

इसके पूर्व मेलार्द्ध को उत्तर मेलार्द्ध के छ: प्रकार जोड़ने से 36 प्रकार बनेंगे। शुद्ध मध्यम की जगह वराली मध्यम लेने से 36 प्रकार और बनेंगे। दोनों मिलाकर 72 मेल बनेंगे।

पं. व्यंकट मखी ने मानचित्र खींचकर भी मेल विस्तार बताया है। स्वरों की ररिगगिगु इत्यादि संज्ञाऐं केवल प्रस्तार समझाने तक ही उपयोग में लाने की है। लेखक अनुसार गाते समय सारिगमपधनि इन नामों को ही उच्चारना है। इन्होंने बताया कि मैंने 72 मेल बनाये, परन्तु उनमें से 19 मेल ही प्रचलन व व्यवहार में है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य मेल व्यर्थ है। यह गणित से निकाले हुए मेल है, इसलिए लेखक ने कहा कि इसमें मेल की संख्या न तो बढ़ा सकता है, न ही घटा सकता है। इसके पश्चात उन्होंने 19 मेलों के नाम देकर उनमें लगने वाले स्वरों की जानकारी दी।

1. मुखारी	2. सामवराली	3. भूपाल	4. हेज्जुजी
5. बसंत भैरवी	6. गौल	7. भैरवी	8. आसरी
9. श्री	10. काम्भोजी	11. शंकराभरण	12. सामस्त
13. देशाक्षी	14. टाट	15. शुद्ध वराली	16.पन्तु वराली
17. शुद्ध रामक्रिया	18. सिंहरव	19. कल्याणी	

पं. व्यंकट मखी ने स्वयं रचना किये हुए सिंहरव मेल का नाम राग पर ही दिया गया है। इसके पश्चात उन्होंने सभी मेलों में स्वरों का वर्णन किया है। इन प्रकरणों में पं. व्यंकट मखी ने सर्वप्रथम वीणा प्रकरण बताया है, क्योंकि संगीत में स्वरों का ही महत्व अधिक है। श्रुतियों से स्वरों की सिद्धि वीणा के तारों पर ही बताई गई है। अत: इसी प्रकार सर्वप्रथम वीणा प्रकरण बताया है। स्वर प्रकरण में स्वरों की स्थापना के साथ-साथ स्वरों का विभाजन बताते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक श्रुति की प्रति सेकण्ड कम्पन संख्या भी गणित करके जानी जा सकती है। स्वर प्रकरण में पं. व्यंकट मखी ने स्वरों के माध्यम से अलग-अलग तालों के उनकी संख्यानुसार अलंकार बताए हैं, इसके अतिरिक्त गमक के प्रकारों का वर्णन भी किया है। मेल प्रकरण में गणित की सहायता से 12 स्वरों को लेकर जो थाट बनाए हैं, इसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि संगीत की उत्पत्ति करने वाले स्वयं भगवान शिव भी इस संख्या को घटा-बढ़ा नहीं सकते। इन चारों प्रकरणों से संगीत के विद्यार्थियों को संगीत की लाभकारी जानकारी प्राप्त होगी।

राग प्रकरण – पं. व्यंकट मखी ने मेलों से उत्पन्न होने वाले रागों की चर्चा की है। उन्होंने राग की व्याख्या इस प्रकार की है – 'जो (स्वर प्रबंधक) मन का रंजन करते हैं, वे राग कहलाते हैं।' राग के दस लक्षण हैं अर्थात् किसी स्वर रचना में राग कहलाने की योग्यता होने के लिए उसमें जो दस लक्षण आवश्यक होते हैं, वे हैं – ग्रह, अंश, मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, बहुत्व, अल्पत्व। जिस स्वर से गीत का आरंभ होता है वह ग्रह स्वर, जिसका उपयोग अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है उस स्वर को अंश स्वर, जिस स्वर पर गीत समाप्त होता है उसे न्यास स्वर, गाने के बीच में जिस स्वर पर ठहरा जाता है उसे अपन्यास स्वर, गीत के प्रथम खंड की समाप्ति जिस स्वर पर होती है वह संन्यास स्वर, गीत खंड के प्रथम अवयव के समाप्ति जिस स्वर पर होती है उसे विन्यास स्वर कहते हैं। किसी स्वर के बहुल प्रयोग द्वारा उसको अन्य स्वरों की तुलना में अधिक प्रकाशमान करके दिखाने से स्वर को बहुत्व प्राप्त होता है, ये दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा किया जाता है – अलंघन और अभ्यास। अल्पत्व दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा साधा जाता है – अनभ्यास से और लंघन से।

पं. व्यंकट मखी द्वारा वर्णित राग ग्रहस्वर के आधार पर षडज, ऋषभादि क्रम से सजाये गए हैं। 72 मेल के उद्भावक होते हुए भी तद्धत उनके पूर्ववर्ती ग्रंथकारों में मेल की भित्ति पर राग वर्गीकरण किया होने पर भी स्वयं पं. व्यंकट मखी ने राग वर्गीकरण की दूसरी ही व्यवस्था अपनाई। यह विशेष विलक्षणीय कार्य है। इन्होंने प्रत्येक स्वर को ग्रह बताकर राग बताये हैं।

षडज ग्रह स्वर से	31
ऋषभ ग्रह स्वर से	03
गंधार ग्रह स्वर से	04
मध्यम ग्रह स्वर से	03
पंचम ग्रह स्वर से	02
धैवत ग्रह स्वर से	04
निषाद ग्रह स्वर से	07

इसके पश्चात सभी रागों का वर्णन देते हुए ग्रह स्वर, न्यास स्वर, अंश स्वर, मेल, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी स्वर, गायन समय तथा उनमें लगने वाले स्वरों का वर्णन दिया है। साथ ही उनके आरोह-अवरोह भी दिये गए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Image Of Woman In The Art Of Amrita Sher-Gill: An Analytical Study Of Her Approach And Representation Of The Woman In Her Paintings

Amandeep Kaur *

Introduction - In the context of the Indian art the image of woman has been given prime importance with the physicality objectified to make it more desirable. This image repeated over centuries has been primarily shaped by the male artists and sculptors. With a history of more then four thousand years, to understand the image of woman represented in Indian art in the present contemporary context we need to look back retrospectively.

Ahistorical overview of the representation of woman from in Indian art - The 'natyashatra' a classic written by bharatmuni around 200 B.C - 200 A.D classifies woman as a 'devi', as a 'naiyka', and as a ganika, meaning a goddess, a goddess, a heroine and a courtesan. The Indian literature and the Indian art have innumerable references of woman fulfilling these categories. With the flourishing of the tantra philosophy around the 7th, the woman images become more sensuous, sexual and erotic. This imagery is rampantly seen in the sculptural images of khajuraho and the Orissa temples. Around the 11th century inspired from the Sanskrit literary texts, paintings were being done in the series of 'chaurpanchasika' and the 'laurchanda'. Projecting woman as passionate lovers is seen in the pahari miniatures as the 'sohni mahiwal' love story and the romance of 'radha krishan' are so frequently seen in Indian art. The type casting of these images was so deep rooted in the psychological and sociological settings that it continued for centuries to be type casted and represented in these popular imageries.

By the beginning of the 20th the political, social and artistic spheres of the nation seemed to be poised on the brink and changes began to happen with the change in attitudes by the 20th century. With the changing socio – political scenario during the pre – independence era, we see a surging change in the status of the Indian woman in context to their socio – economic status as well. This subtle change started to surface in the art many woman artists come in the professional art scene. This brought new perspective towards the image of woman in Indian art.

It was in the 1930's that a woman artist, highly talented, professionally acclaimed with charismatic personality, rocked the artistic scenario in india with her bold projection of woman themes never painted earlier by a woman artist in india. The first serious investigation into 'being' a woman was intitialed only by amrita sher-gill and no other artist singularly had the impact which her paintings created. Her thematic depiction emphatically changed the perception of the image and the role of woman in Indian art, both as an artist and as the subject of art.

About amrita sher gil's life - Amrita was born in Budapest in 1913, and spent the formative years of her life in Europe. She dabbled in paint from her early childhood. She had a Hungarian mother and a sikh father. Her intelligent mother detected the talent ialent in her, and encouraged her to paint. She took her early training in Italy and paris. Her earlier works are influenced by the post – impressionists. Yet by the 1930s, sher – gill was convinced of the need to come back india to her roots and she returned home in 1934. Settling down in shimla in 1935, she was passionate to depict the Indian themes in her paintings and she wanted to achieve this with her own technique.

Projection of woman in her paintings - Amrita primarily depicted woman form in her paintings, decause she could relate most easily to their condition. Woman in her paintings were not objects of desire but assertive subjects depicting the very essence of womanhood. She understood the predicament of Indian woman and her woman were a lot more than just pleasing patterns of body contours.

Her paintings can be formulated into three categories, ieading an insight into her progression, her evolution as an artist and more so her journey of self discovery. Her paintings like 'hill woman', 'child bribe', 'banana sellers' are formal, create atmosphere and appear to treat woman as an abstract progenitive symbol. These paintings of her have an echo of the colours of the European palette. The second category is the self portraits painted during her paris years. Though they were much a part of her academic training yet they stand distinctly apart and in a way defined amrita as a person, becoming in every sene her exploration of her complex self – image. She painted more than twelve 'self portraits' while she was a student in paris painted mostly over a period of four years (1930 – 34). The third category had her depictind her woman as the essence of womanhood by trying to emphasize on the subjective depiction more than on the body or the female form. The paintings like 'woman at both', 'woman resting on the charpoy' are her path breaking

*Artist, Work Palace - 3 D 2, Sukhadia Nagar, Shri Ganganager (Raj.) INDIA

depiction of woman at that paint of representing the image in contemporary Indian art by a woman artist.

By emphasizing on the essence of womanhood rather than objectifying the body, she gave an interesting and path breaking shift in projecting the image of woman reflecting the feminine sensibility from a female perspective.

Conclusion - Amrita sher – gill was an academically accomplished painter, a keen observer and her quality to emulate her thoughts, feelings and emotions in her paintings made her one of the most important woman artist of india to be recognized internationally then and till now. Her study and execution of Indian themes, especially the projection of woman form in her works has left innumerable impressions on the Indian art. She explored the rural sensibilities of the Indian woman by projecting her doing ordinary mundane tasks, household chores, so much a part of a woman's lite. These narratives were painted for first time in Indian art, projecting the true rural Indian, and especially the image of the rural woman. Amrita sher – gill was not only an icon but the single biggest role model for the post – independence woman artist, in search for their roots and indentity. She was a source of inspiration to many woman artists of india who ventured out of their secure homes to be professional artist just like her. In amrita sher – gill's works, her woman form represented a persona, a complete will of their own. She morphed her own life and experiences in her woman forms, as if she could feel the enclosed and circumscribed lives of her woman subjects in her paintings. Thus we can say that amrita sher – gill's contribution to Indian art is far more than we realize. She liberated the Indian woman painter in more ways than one way. Not only did she set the precedent of woman painter, painting the woman as a subject, but she forced the art loving public, limited as it was, to look at the paintings by woman not only in a playful and indulgent way but serious works of art.

References :-

1. Personal Survey.

****

Professional Ethics And Duties Of Lawyer

Poorva Jadhav *

Introduction - The Legal Profession plays an important role in the administration of Justice. The Lawyers are considered to be the center of the administration of justice. Lawyers are the one who are related to the parties, they listen to the party and collect all the relevant legal materials relating to the case and argue the case in court, thus helping the Judge to arrive at the correct and fair judgment. Without the assistance of the lawyers it would be a superhuman task for the Judge to come at the satisfactory judgment. Justice P.N. Sapru has stated that, 'justification for the existence to the counsel is that each side to the controversy should be in a position to present its case before an impartial tribunal in the best and most effective manner possible.'The Bar is a public institution and is under legal obligation to impart wholehearted cooperation for the development of law. History has said with grace and appreciation that how the eminent lawyers after independence started making law a legal science.

Ethics Of Legal Professional - A legal practitioner is under triple obligation-: An obligation to his clients to be faithful to them till the last, an obligation to the profession not to besmirch its name by anything done by him, and an obligation to the court to be and to remain a dependable part of the machinery through which justice is administered. The scope of legal ethics is beyond the treatise of evidence or witnesses to be presented before the court. In examining these witnesses the advocate should not forget that he is not mere the counsel of the client but also the officer of the court. In this way there are some of the duties thereinafter which the advocate should follow, like, professional courtesy, co-operation, equal consideration to all members of the profession, encourage junior brethren, should stand up for its dignity and privileges whenever there is occasion for it, he should expose corrupt or dishonest conduct in the profession.

Duty to the Court :

1. An Advocate shall, during the presentation of his case and while otherwise acting before a Court, conduct himself with dignity and self- respect. He shall not be servile and whenever there is proper ground for serious complaint against a judicial officer, it shall be his rights and duties to submit his grievance to proper authorities.
2. An Advocate shall maintain towards the Courts a respectful attitude, bearing in mind that the dignity of the judicial office is essential for the survival of free community.
3. An Advocate shall not influence the decision of a Court by any illegal or improper means. Private communic-a tions with a Judge relating to a pending case are forbidden.
4. An Advocate shall use his best efforts to restrain and prevent his client from resorting to sharp or unfair practices or from doing anything in relation to the Court, opposing counsel or parties which the Advocates himself ought not to do. An Advocate shall refuse to represent the client who persists in such improper conduct.
5. An Advocate shall appear in Court at all times only in the prescribed dates, and his appearance shall always be presentable.
6. An Advocate shall not enter appearance, act, plead or practice in any way before a Court, Tribunal or Authority mentioned in Section 30 of the Act, if the sole or any member thereof is related to the Advocate as father, grandfather, son , grandson, uncle, brother, nephew, first cousin, uncle, aunt, husband, wife, mother, daughter, sister, niece, father-in-law, mother-in law, son-in law, sister-in-law or daughter in-law.
7. An Advocate shall not wear band or gown in public places other than in Courts except on such ceremonial occasions and at such places as the Bar Council of India or the Court may prescribe.
8. An Advocate shall not appear in or before any Court or Tribunal or any other authority for or against an organization or an institution, society or corporation, if he is a member of the Executive Committee of such organization or institution or society or corporation.
9. Provided that this rule shall not supply to such a member appearing as "amicus curiae" or without a fee on behalf of a Bar Council, Incorporated Law Society or a Bar Association
10. An Advocate should not act or plead in the any matter in which he himself is peculiarly interested.[1]
11. An Advocate shall not stand as a surety, or certify the soundness of the surety for his client required for the

* Batch 11, Hidayatullah National Law University, Raipur (Chhattisgarh) INDIA

purpose of any legal proceedings.

Section II- Duty to the Client :

12. An Advocate is bound to accept any brief in the Courts or Tribunals or before any other authority in or before which he proposes to practice at a fee consistent with his standing at the Bar and the nature of the case. Special circumstances may justify his refusal to accept a particular brief.
13. An Advocate shall not ordinarily withdraw from engagements, once accepted, without sufficient cause and unless reasonable and sufficient notice is given to the client. Upon his withdrawal from a case, he shall refund such part of the fee as has not been earned.
14. An Advocate should not accept a brief or appear in a case in which he has reason to believe that he will be a witness, and if being engaged in a case, it becomes apparent that he is a witness on a material question of fact, he should not continue to appear as an Advocate if he can retire without jeopardizing his client's interests.
15. An Advocate shall, at the commencement of his engagement and during the continuance thereof, make all such full and frank disclosures to his client relating to his connection with the parties and any interest in or about the controversy as are likely to affect his client's judgment in either engaging him or continuing the engagement.
16. It shall be the duty of an Advocate, fearlessly to uphold the interests of his client by all fair and honourable means without regard to any unpleasant consequences to himself or any other. He shall defend a person accused of a crime regardless of his personal opinion as to the guilt of the accused, bearing in mind that his loyalty is to the law which requires that no man should be convicted without adequate evidence.
17. . An Advocate appearing for the prosecution of a criminal trial shall so conduct the prosecution that it does not lead to conviction of the innocent. The suppression of material capable of establishing the innocence of the accused shall be scrupulously avoided.
18. An Advocate shall not, directly or indirectly, commit a breach of the obligations imposed by Section 126 of Indian Evidence Act.
19. An Advocate shall not at any time, be a party to fomenting of litigation.
20. An Advocate shall not stipulate for a fee contingent on the results of litigation or agree to share the proceeds thereof.
21. An Advocate shall not buy or traffic in or stipulate for or agree to receive any share or interest in any actionable claim. Nothing in this rule shall apply to stock, shares and debentures or governmental securities, or to any instruments which are, for the time being, by law or custom, negotiable or to any mercantile document of title to goods.
22. An Advocate shall not, directly or indirectly, bid for or purchase, either in his own name or in any name, for his own benefit or for the benefit of any other person, any property sold in the execution of a decree or order in any suit, appeal or other proceeding in which he has I any way professionally engaged.
23. An Advocate shall not adjust fee payable to him by his clients against his own personal liability to the client, which liability does not arise in the course of his employment as an Advocate.
24. An Advocate shall not do anything whereby he abuses or takes advantages of the confidence reposed in him by his client.
25. An Advocate should keep account of his clients money entrusted to him, and the accounts should show the amounts received from the client or on his behalf, the expenses incurred for him and the debits made on account of fees with respective dates and all other necessary particulars
26. Where moneys are received from or on account of a client, the entries in the accounts should contain a reference as to whether the amounts have been received for fees or expenses, and during the course of the proceedings, no Advocate shall, except with the consent in writing of the client concerned, be at liberty to divert any portion of expenses toward fees.[2]
27. Where any amount is received or given to him on behalf of his client, the fact of such receipt must be intimated to the client as early as possible.
28. . After the termination of the proceeding, the Advocate shall be at liberty to appropriate toward the settled fee due to him any sum remaining unexpended out of the normal paid or sent to him for expenses, or any amount that has come into his hands in that proceedings.
29. Where the fees has been left unsettled, the Advocate shall be entitled to deduct, out of any moneys of the client remaining in his hands, at the termination of the proceedings for which he has been engaged, the fee payable under the rules of the Court, in force for the time being, or by then settled and the balance, if any, shall be refunded to the client.
30. A copy of the client's account shall be furnished to him on demand provided the necessary copying charge is paid.
31. An Advocate shall not enter into arrangements whereby funds in his hands are converted into loans.
32. An Advocate shall not lend money to his client for the purpose of any action or legal proceedings in which he is engaged by such clients.Explanations-: An Advocate shall not be held guilty for the breach of this rule, if in the course a pending suit or proceeding, and without any arrangement with the client in respect for the same, the Advocate feels compelled by reason of the rule of the court to make the payment to the Court on account of the client for the progress of the suit or proceeding.
33. An Advocate who has, at any time, advised in connection with the institution of the suit, appeal or other matter or

has drawn pleadings or acted for a party, shall not act, appear or plead for the opposite party.

Section III- Duty to Opponent

34. An Advocate shall not in any way communicate or negotiate upon the subject matter of controversy with any party represented by an Advocate except through that Advocate.
35. An Advocate shall do his best to carry out all legitimate promises made to the opposite party even though not reduced to writing or enforceable under the rules of the Court.

Section IV- Duty of Colleagues

36. An Advocate shall not solicit work or advertise, either directly or indirectly, whether by circulars, advertisements, touts, personal communications, interviews not warranted by personal relations, furnishing or inspiring newspaper comments or producing his photograph to be published in connection with cases in which he has been engaged or concerned.
37. An Advocate shall not permit his professional services or his name to be used in aid of, or to make possible, the unauthorized practice of law by any agency.
38. An Advocate shall not accept a fee less than the fee taxable under the rules when the client is able to pay the same.
39. An Advocate shall not enter appearance in any case in which there is already a vakalat or memo of appearance filed by an Advocate engaged for a party except with his consent; in case such consent is not produced, he shall apply to Court stating reasons why the said consent should not be produced and he shall appear only after obtaining the permission of the Court.

Conclusion - To conclude the above, the professional ethics are also termed as the duties to be followed by the Advocate, these are the morals and the basic courtesy which every person in this profession should know. These are not only the duties to be performed because the Bar Council has made the rule, but these are the basic manners which one should incorporate within them. These are the duties towards the Court, Client, Colleague or Opponent. The performance of the duty by the Advocate defines the determination, dedication and loyalty towards the profession. The profession of law is honourable and it is expected from every person who are in this profession to be honest and work in upright manner. And any deviation in their performance of duty should be taken seriously. An Advocate in this profession has many obligations towards court, client, judge, opponent, colleagues, etc. The Advocate who does not work with sincerity, who does not follow the rules of conduct is said to have misconduct in his profession.

References :-

1. Aiyer P. Ramanatha and Aiyer N. S. Rangnath Legal & Professional Ethics Vol. III (3rd Ed., 2003)Wadhawa Nagpur.
2. Gupta S.P., Professional Ethics, Accountability for Lawyer and Bench Relations (4th Ed.,2010) Central Law Agency.
3. K.Gururaj Chari, Advocacy and Professional Ethics (2000)Wadhwa& Co.
4. Rai Kailash, Legal Ethics Accountability for Lawyer and Bench Bar Relations (11th Ed. 2013)Central Law Publication.
5. Sanjiva Row, The Advocates Act 1961 (6th Ed., 1997)Allahabad: The Law Book Company (P.) Ltd.

****

Understanding Broadcast Sector With Reference To Legislative Efforts In India Context

Poorva Jadhav *

Introduction - The statutory basis of government monopoly of the broadcast sector, which was widespread until the emergence of satellite television in the 1990s, can be traced to the 123 year-old **Indian Telegraph Act of 1885**. The Act states that the Central Government has the exclusive privilege of establishing, maintaining, and working telegraphs within India[1] The Act and its subsequent amendments define telegraph broadly to include most modern communication devices irrespective of their underlying technology.[2] Judicial decisions have also held that the term 'telegraph' includes the term telephone, television, radio, wireless, mobile and video equipment[3]

The Act authorizes the Central Government to take temporary possession of a telegraph in cases involving public emergencies or public safety[4]. Section 5(2) enables the government to lawfully intercept telegraph messages on certain grounds. These include India's sovereignty and integrity, state security, friendly relations with foreign states, public order, and preventing the commission of an offence[5]. The Act empowers the government to revoke a telegraph license for breach of any terms and conditions or for a default in making license-fee payments.[6]

History Of Broadcasting - The history of broadcasting is inextricably interwoven with the history of a momentous era, an era which saw the climax of India's struggle for independence, the attainment of freedom and the first steps of a young nation on the road to fulfillment and stirrings of economic reconstruction.

Broadcasting in India started on 31st July, 1924, when the Madras Presidency Radio Club went on the air for the first time. However, their pioneering, effort came to an end in 1927 owing to financial crisis. The move towards a regular broadcasting service was made in the same year by the Indian Broadcasting Company, a commercial undertaking, which chose for its operations the two premier cities of Bombay and Calcutta. In March, l930 the Indian Broadcasting Company had to go into liquidation. A month later, the then Government of India took over the control of the Company's affairs and the Indian State Broadcasting Service was born; but the worst was not over. After operating the service for about 18 months, the Government decided to close it down having concluded that the service was hardly a viable proposition. At this juncture, public opinion began to assert itself and the Government gave up the contemplated closure. And thus, in May, 1932, Indian Broadcasting received its permanent lease of life. The next four years were marked by some significant developments and, in June, 1936, Indian State Broadcasting was given its present name, All India Radio.

First phase of AIR's development was barely complete when the Second World War broke out. AIR had to gear itself to the demands of an entirely new situation. As soon as the war ended, AIR's planners turned their attention to future development. But like everything else, it had to wait till India's own future was settled. During the partition of the country and the exodus of vast masses of people, AIR did yeoman service to thousands of uprooted innocents, carrying to the people the comforting voice of the Father of the Nation. Most memorable among the many broadcasts was the coverage of the Mid-night Ceremony marking the transfer of power. Shri Jawaharial Nebru, the first Prime Minister said:

"Long years ago we made tryst with destiny and now time comes when we shall redeem our pledge not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the mid-night hour, when the world sleeps, India will awake to Life and Freedom..."

In 1947, when India attained independence, AIR's network consisted of only 6 Stations, i.e., Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Lucknow and Tiruchi. With integration of princely States, AIR took over 5 stations of Aurangabad, Baroda, Hyderabad, Mysore and Trivandrum. The Five Year Plans gave a new impetus to the growth of broadcasting resulting in a phenomenal expansion. Today, the magnitude of AIR's network is mind- boggling. It comprises 105 Regional Stations, 72 Local Radio Stations and 31 Vividh Bharati Centres besides External Services (In 16 foreign and 8 Indian languages), the National Channel, the North Eastern Service and the FM Stereo Service at the four metros and Panaji.

Doordarshan - Television in India took faltering steps in 1959. This delayed entry was due to the misconception prevalent in the fifties that television is a luxury which only the more advanced and affluent countries in the world can afford. But there was also realisation of the immense potential of television as an instrument of rapid socioeconomic transformation.

* Batch 11, Hidayatullah National Law University, Raipur (Chhattisgarh) INDIA

Television made a small beginning as a result of three developments. First, there was an offer form M/s Philips & Co. to sell a part of its equipment which they had exhibited at the Industrial Fair in New Delhi in 1995. Secondly, UNESCO, as part of its programme to assist member States, agreed to help in establishing a pilot television centre for carrying out studies in the use of this medium for social education. Thirdly, the United Sales' Government agreed to lend certain supplementary equipment. And so, in September 1959 India joined the small Asian community of TV nations. The year 1982 witnessed the introduction of a regular satellite link between Delhi and different transmitters, the introduction of Colour T.V. and the process of the National Programmes and Doordarshan switching to colour transmission.

Verghese Committee And After - The Working group on Autonomy for Akashvani and Doordarshan, popularly known as the Verghese Committee, was constituted in the wake of the stranglehold of the Government on the media during the Emergency. Public opinion asserted itself in favour of creation of an independent professional body, protected from the day-to-day incursions of politics and free from the rigid regimen of rules and regulations of the Government.**"An autonomous broadcasting organisation nationally owned and responsible to Parliament and yet under the Centre legislatively and for purposes of international relations through external broadcast and frequency allocations, and P & T and Space support, appears logical and desirable" "We are of the opinion that all the national broadcasting services should be vested exclusively in an independent, impartial and autonomous organisation established by Parliament to act as a trustee for the national interest".**

Radio Services - AM radio that uses medium or short wave frequency bands, and FM that uses VHF frequencies in the 88 MHz to 108 MHz band. AM radio is offered only by AIR while FM radio, which works.on line-of-sight principles and can be clearly received within a local area, is offered by both AIR and private channels.

Fm Radio - AIR began FM broadcasts in Madras on 23 July 1977. FM radio was opened to private players in 1999. The Ministry of Information and Broadcasting invited bids for licenses to operate 140 FM stations in 40 cities. In March 2000, the government short-listed 29 applicants for licenses to operate 101 FM radio stations. Upon further screening, the government issued letters of intent to 93 stations. Ultimately, FM licenses were granted to 16 companies to operate 37 channels. The initial FM radio licenses were valid for ten years and licensees were required to submit performance bank guarantees equivalent to a year's license fee to ensure that they carried out their license obligation.

Prasar Bharati (Broadcasting Corporation Of India) Act, 1990 - The introduction of the Prasar Bharati Bill in Parliament in May 1979 was the direct result of the recommendations of the B. G. Verghese Committee set up in 1977 after the Internal Emergency declared by the then Prime Minister Indira Gandhi (1975-77). The Bill was allowed to lapse after the Janata Party government elected to form the government after the Emergency collapsed and the Congress Party returned to power.The victory of the National Front government in 1989 saw the revival of the Prasar Bharati Bill in a somewhat modified form; the Bill was passed by Parliament and received presidential assent on September 12, 1990. The Prasar Bharati Act provided for the formation of an autonomous Broadcasting Corporation that would manage Doordarshan and AIR, discharging all powers previously held by the Information and Broadcasting Ministry. The Corporation would inherit the capital assets of Doordarshan and AIR and would be managed by a 15-member Prasar Bharati Board, including the Directors-General of the two organisations and two representatives from amongst the employees. The Chair and other members of the Board would be appointed on the recommendations of the selection committee headed by the Vice President. A fifteen-member Broadcasting Council would address public complaints.The primary duty of the Broadcasting Corporation was to 'organize and conduct public broadcasting services to inform, educate, and entertain the public'.

Regulation Of Cable Television - The sudden emergence of cable television and cable networks in the early 1990s caught the Indian government unprepared. The DoT initially responded with new regulations targeting the fledgling networks, requiring all users and dealers of satellite equipment to obtain special operating licenses for their equipment. Users and dealers were specifically prohibited from engaging in commercial distribution of programmes downloaded from satellites. To obtain these licenses, users had to undertake that they would not use their equipment to establish unauthorized networks.[7]

The government's action against cable television networks was unsuccessfully challenged by cable operators before various high courts. Despite this, the growth of these networks continued, especially in urban areas. The Government appointed a committee which recommended that the censors should clear all programmes transmitted through cable networks. It also suggested that cable networks should be prohibited from directly relaying programmes received from satellites. The government, however, did not accept these recommendations.[8]

Statutory Violations And Offences - The Cable Networks Act empowers and authorizes a government officer to seize a cable operator's equipment if the officer has reason to believe that the cable operator is functioning without proper registration. The seized equipment cannot be retained for a period exceeding ten days from the date of seizure, unless a local District Judge, within whose jurisdiction the seizure has been made, approves continued retention of the seized equipment[9]

A first time violation under the statute can result in an imprisonment term that extends up to two years or a fine up to Rs. 1000 or both. Every subsequent offence is punishable with imprisonment for a term up to five years and a fine that may extend to Rs. 5000. The Act says that if a company

commits an offence under the statute, the company and any person in charge, or responsible for its business, shall be deemed guilty, proceeded against and punished accordingly. If a company commits an offence with the consent, connivance, or attributable negligence of a director, manager, secretary, or other officer, these officers are deemed guilty, along with the company, and they can be prosecuted, and punished accordingly.[10]

Restrictions On Advertisements - The Advertising Code in the Cable Network Rules says that all advertising carried in the cable service have to conform to the laws of the country and should not offend morality, decency and religious susceptibilities of the subscribers. The code says that no advertisement shall be permitted which:

1. Derides any race, caste, colour, creed and nationality
2. Is against any provision of the Constitution of India
3. Tends to incite people to crime, cause disorder or violence, or breach of law or glorifies violence or obscenity in any way Presents criminality as desirable
4. Exploits the national emblem, or any part of the Constitution, or the person or personality of a national leader or a State dignitary
5. In its depiction of women violates constitutional guarantees to all citizens
6. Projects a derogatory image of women. The Rules say that women should not be portrayed in a manner that emphasises passive, submissive qualities and encourages them to play a subordinate, secondary role in the family and society. The cable operator is supposed to ensure that, in the programmes carried in his cable service, the portrayal of the female form is "tasteful and aesthetic, and is within the well-established norms of good taste and decency"
7. Exploits social evils like dowry, child marriage
8. Promotes directly or indirectly the production, sale or consumption of cigarettes, tobacco products, wine, alcohol, liquor or other intoxicants, infant milk substitutes, feeding bottle or infant food.

Conclusion - The Court said that the degree to which this right is available depends on the underlying character of activity. Thus, if the activity is such which restricts the access to information and goes against the well cherished principle of freedom of information given by the Constitution, the activity must be tested only on the grounds of reasonable restrictions under Art. 19(2) of the Constitution. The scope of the rights of broadcasting information affects the freedom of speech and expression to a large extent. Therefore, it is imperative that the scope of broadcasting rights must be determined by assessing its impact on freedom of expression. Although, it is argued that the balance between freedom of expression and exclusive intellectual property rights is maintained by inbuilt exceptions like compulsory licensing and fair use doctrine, basic human rights like freedom of expression ought to be invoked to determine the scope of intellectual property rights and its exceptions and pave way for constitutionalization of intellectual property law.

References :-

1. Eric Barendt, **Freedom Of Speech,** Oxford University Press, (2006)
2. M.P.Jain, **Indian Constitutional Law**, 6th Ed., Lexis Nexis Butterworths Wadhawa Nagpur, (2010) .
3. Richard Clayton, **Hugh Tomlison, Privacy And Freedom Of Expression,** Oxford University Press (2010).
4. V.N. Shukla, **Constitution Of India**, 11th Ed., Eastern Book Company, (2008).
5. Vakul Sharma, **Information Technology-Law & Practice. Delhi,** Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, 2004.

(Footnotes)

1. Section 4(1)
2. "any appliance, instrument, material, or apparatus used or capable of use for transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature by wire, visual, or other electro-magnetic e missions, radio waves or Hertzian waves, galvanic, or magnetic waves"
3. Section 3(1AA). However the physical possession of radio and wireless equipment is regulated by the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933.
4. Section 5(1)
5. Section 5(2)
6. Section 8
7. *Supra* note 2, pp 533-553
8. ibid
9. Section 11
10. Section 17 (1) Cable Networks Act

****

Achievement Motivation Among Distance Learners In Relation To Gender And Residential Background

Dr. Arimardan Singh * Dr. Manisha Singh **

Abstract - Achievement motivation is essentially a type of motivation that is personal in nature. The present study is an attempt to a study on achievement motivation among distance learners in relation to gender and residential background. Descriptive Survey method, was used for the present study.A sample consisted of 100 B.Com. students of distance learners of rural and urban areas. Students from each college were selected randomly from distance education centers of Lucknow .it revealed that there are no significant difference between in achievement motivation among male and female learners and rural and urban area's distance learners. Present study is an attempt to probe that how the level of achievement motivation in rural children differ from urban children.
Key Words - Achievement motivation, distance learners, gender, residential background.

Introduction - Education is able to instill in a child a sense of maturity and responsibility by bringing in the desired change according to his/her needs and demands for ever changing society of which he/she is an integral part. Learning is signified by a change in behavior or a movement from one state of behaviour to another through the acquisition of new knowledge or skills for personal use. Achievement motivation is essentially a type of motivation that is personal in nature. A simple but accurate definition is not easy. It must be able to include terms that refer to such diverse states as desires, wishes, plans, goals, intents, impulses and purposes. Some of these states imply a deliberate and calculated process involving reason whenever others convey a flavour of spontaneity Motivation is thought of as some kind of internal force which processes, regulated and sustains all our important actions. It is an internal action which cannot be studied directly.

Achievement Motivation - Ambition and the drive to achieve excellence are widely recognized as crucial ingredients in successful attainment. Education, ability, social background and opportunity being at the right place at right time make important contribution to success but even among the individuals who are similar in all these respects, wide differences in accomplishment may still be observed. Achievement motivation is relatively a new concept the psychology of human behavior. It has been referred as need for achievement and abbreviated as an achievement (N-Ach). It refers to the behavior of an individual who strives to accomplish something and to do his best to excel over others in performance.

Distance Education - Distance education or distance learning, is a field of education that focuses on teaching methods and technology with the aim of delivering teaching, often on an individual basis, to students who are not physically present in a traditional educational setting such as a classroom. It has been described as "a process to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance, or both" Distance education courses that require a physical on-site presence for any reason (including taking examinations) have been referred to as hybrid or blended course of study. Distance education is often associated with Public, educational, and government access television, such as with the term PEG channel and carried by cable television in the United States, generally within the limits of a city. Today, there are many private and public, non-profit and for-profit institutions worldwide offering distance education courses from the most basic instruction through to the highest levels of degree and doctoral programs.

Objectives -

- To study the achievement motivation of male & female of urban and rural distance learners.

Hypotheses -

- There is no significant difference in achievement motivation among male and female of urban and rural distance learners.

Method - The descriptive survey method was used.

Sample - A sample of total 100(50male and 50 female) rural and urban distance learners studying in B.Com were taken for the investigation of the study.

Variables:

In the present study gender and residential background have been taken as independent variable and achievement motivation has been considered as dependent variable.

Tool -

Achievement Motivation Test (ACMT) -

(Based on sentence completion method: By Dr. V.P. Bhargava was used for collecting scores in achievement motivation).

TABLE - 1 (See in next page)

Table 1.1 indicates the mean score of male distance learners is 21.9 score of male distance learners is higher

*H.O.D., Rajat Women's College of Education and Management, Lucknow (U.P.) INDIA
**Asst. Professor, Rajat Women's College of Education and Management, Lucknow (U.P.) INDIA

than female distance learners and shows higher achievement motivation is male distance learners than female distance learners.

The calculated 't' value is 3.11 which is higher than the table value .01 and .05 level represent significant difference between male distance learners & Female distance learners therefore the hypotheses 1 is rejected.

TABLE -2 (See below) Table 2 indicates the mean score of urban distance learners is 22.7 and rural distance learners 16.9 respectively. The mean score of urban distance learners is higher than rural distance learners & shows higher achievement motivation in urban distance learners than the rural distance learners.

The calculated 't' value is 2.65 which is higher than table value.01 and .05 represents significant difference between urban distance learners and rural distance learners therefore the hypothesis 2 is rejected.

TABLE - 3 (See below) Table 3 indicates the mean score of urban male distance learners is 16.7 and female distance learners 16.8 respectively. The mean score of urban female distance learners is higher than urban distance learners & shows higher achievement motivation in urban Female distance learners than the urban male distance learners.

The calculated 't' value is .51 which is higher than table value.01 and .05 represents significant difference between urban male distance learners and urban female distance learners therefore the hypothesis 3 is rejected.

TABLE - 4 (See below) Table 4 indicates the mean score of Rural male distance learners is 14.5 and female distance learners 14.8 respectively. The mean score of rural female distance learners is higher than rural distance learners & shows higher achievement motivation in rural Female distance learners than the rural male l distance learners.

The calculated' value is .29 which is higher than table value.01 and .05 represents significant difference between rural male distance learners and rural female distance learners therefore the hypothesis 4.is rejected.

Findings - These conclusions may summarize here in accordance with the objectives.

1. There is a significant difference in the achievement motivation of male and female distance learners.
2. There is significant difference in the achievement motivation of rural and urban distance learners and the urban distance learners have higher achievement motivation score as compared to the rural distance learners.
3. There is significant difference between urban male distance learners and urban female distance learners
4. There significant difference between rural male distance learners and rural female distance learners.

Implications of the study - The results of the present study can be usefully employed in the practice and following are the importance implication:

1. The study can help the teachers to know the achievement motivation level of distance learners.
2. It also helps the parents to know the achievement motivation of their children so that they can also inculcate the achievement motivation in relation to their gender and residential background.

References :-

1. **Aggarwal, A. (1983)**Achievement Motivation and Time Perspective",Bhargava Book House; Agra.
2. **Atkinson, J.W. (1967)**Motives in Phmitasy, Action and Society.Princeton, D. Van Nastrand' Company, INC., New York.
3. **McClelland, D.C. et. al.(1958)**.The Achievement Motivation.New York Appleton . Century Crafts.
4. **Mehta, M&Kaur, I(1996)**The effect of achievement motivation, self-confidence and asse11iveness upon adjustment of adolescent girls.
5. **Atkinson, J.W. Feather. (1996)**A Theory of Achievement Motivation.John Wiley and Sons, Inc., New York.

TABLE - 1

To compare the achievement motivation of male and female Distance Learners

S.N.	Sample	N	Mean	SD	T	Significance
1.	Male DistanceLearners	50	21.9	4.57	3.11	Significant difference
2.	Female Distance Learners	50	17.1	6.12		

TABLE - 2

To compare the achievement motivation of urban and rural distance learners

S.N.	Sample	N	Mean	SD	T	Significance
1.	Urban DistanceLearners	50	22.7	4.9	2.65	Significant difference
2.	Rural DistanceLearners	50	16.1	4.41		

TABLE - 3

To Compare the Achievement Motivation of Urban male and Female distance learners

S.N.	Sample	N	Mean	SD	T	Significance
1.	Urban male DistanceLearners	25	16.7	5.16	.51	No significant difference
2.	Urban female DistanceLearners	25	16.8	3.21		

TABLE - 4

To Compare the Achievement Motivation of Rural Male and Female distance learners

S.N.	Sample	N	Mean	SD	t	Significance
1.	Rural male DistanceLearners	25	14.5	2.88	.29	Not significant difference
2.	Rural female DistanceLearners	25	14.8	2.93		

****

म.प्र. के शासकीय प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा में सशक्त बनाने हेतु ब्रिटिश कांउसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से एक अभिनव पहल (एक पायलट प्रोजेक्ट)

डॉ. दिलीप सिंह राठौर *

प्रस्तावना – म.प्र. के प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भाषायी विकास का श्रेष्ठ समय 05 से 11 वर्ष आयु होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी यह प्रमाणित हुआ है कि 5–11 आयु समूह में विद्यार्थी के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। इस आयु में विद्यार्थी को कोई भी भाषा सिखाना आसान होता है।

वर्तमान वैश्विक संदर्भो में अंग्रेजी भाषा का अपना महत्व स्वत:सिद्ध है। अंग्रेजी भाषा के इसी महत्व की वजह से म.प्र. शासन ने स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है।

पूर्व वर्षो में प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को कक्षा छठवीं से पढ़ाना शुरू किया जाता था, जिसका परिणाम प्रदेश के छात्रों के इस भाषा में पिछड़ जाने के रूप में सामने आया।

अंततोगत्वा म.प्र. शासन ने वर्ष 1999 से अंग्रेजी भाषा को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने की शुरूआत की।

जब इस भाषा को प्राथमिक कक्षाओं में शुरू किया गया तो शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती योग्य, प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने की थी। क्योंकि उस समय प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक शालाओं के कार्यरत शिक्षकों का अंग्रेजी भाषा का शिक्षण आधार इतना ठोस नही था। म.प्र. शासन ने इस चुनौती से निपटने हेतु बहुदिशा रणनीति अपनायी। इसी रणनीति के एक हिस्से के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण पर सर्वाधिक बल दिया गया।

प्रदेश में वर्ष 1994–95 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (D.P.E.P.) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में छात्रो तक पहुॅच, नामांकन, ठहराव, उपलब्धि पर तो जोर दिया ही गया, साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया।

D.P.E.P.योजना के साथ ही प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा का सारा दायित्व राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पास आ गया। कालांतर में उक्त मिशन ही राज्य शिक्षा केन्द्र के रूप में परिवर्तित हुआ।

म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण दायित्वों यथा पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण/योजना/बजट इत्यादि का निर्वहन किया जाता रहा है।

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण के दायित्व के अंतर्गत ही प्राथमिक शाला के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय में 'सशक्त' करने के उद्देश्य से वर्ष 2014–15 से ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया तथा 'यूनिसेफ' के सहयोग से एक नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम 'EMPower' प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग के तौर पर उज्जैन संभाग के 07 जिलों तथा भोपाल संभाग के सिहोर जिले में इस प्रकार प्रदेश के कुल 08 जिलों में यह कार्यक्रम पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य – इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के प्रा.वि. के शिक्षको को अंग्रेजी भाषा शिक्षण में 'सशक्त' (EMPower) करना है। इसीलिये इस प्रोजेक्ट का नाम भी 'EMPower' रखागया है।

इस शब्द में ए से तात्पर्य English तथा MP से तात्पर्य म.प्र. के प्राथमिक शाला के शिक्षकों समग्र में इस शब्द का अर्थ म.प्र. के प्रा.वि. के शिक्षकों को अंग्रेजी शिक्षण में सशक्त बनाना'।

इस कार्यक्रम की रचना ब्रिटीश काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिसेफ तथा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व प्रदेश में प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी की वास्तविक स्थिति का पता ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शालाओं के क्षेत्र भ्रमण तथा शिक्षकों से चर्चा तथा छात्रों के स्तर मापन से की गई। तत्पश्चात राज्य शिक्षा केन्द्र के साथ मिलकर पूरी प्रशिक्षण योजना बनाई गई।

कार्यक्रम क्रियान्वयन की रणनिति – ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के साथ मिलकर चयनित आठ जिलो (नीमच, मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, देवास तथा सिहोर) की रेंडमली चयनित प्राथमिक शालाओं के भ्रमण तथा शिक्षकों से चर्चा तथा छात्रों के परीक्षणोपरांत प्रशिक्षण के बिन्दू चिंहीत किये गये।

उपरोक्त चरण के पश्चात जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु योग्य मास्टर ट्रेनर्स के चयन हेतु ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा चयनित जिला मुख्यालयों तथा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल पर माह नवम्बर 2014 से फरवरी 2015 तथा पुन: माह जुलाई 2015 में चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार आयोजित कर प्रदेश से योग्य अंग्रेजी के मास्टर ट्रेनर्स चयनित किये गये। ये मास्टर ट्रेनर्स प्रदेश के ही प्रा.वि./मा.वि./उ.मा.वि./डायट/शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक/अध्यापक/व्याख्याता/शिक्षक प्रशिक्षक आदि थे।

तत्पश्चात इन चयनित मास्टर ट्रेनर्स को ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के योग्य तथा अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा भोपाल में कुल 03 चरणों में 20 दिवस का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत इन मास्टर ट्रेनर्स के कक्षागत शिक्षण का अवलोकन भी किया गया तथा इन्हें हर तरह से शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु तैयार किया गया।

प्रशिक्षण सामग्री का विकास भी ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा

* व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) मन्दसौर तथा जिला नोडल अधिकारी EMPower प्रोजेक्ट, जिला – मन्दसौर (म.प्र.) भारत

किया गया। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तथा Work Books तैयार की गई।

इन माड्यूल्स पर मास्टर ट्रेनर्स को गहन प्रशिक्षण दिया गया तथा Work Books पर संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में Work Shop Mode में कार्य कराये गये तथा विभिन्न तरह की गतिविधियॉ कराई गई।

इस लेख के लेखक ने स्वंय उक्त संपूर्ण योजना में एक मास्टर ट्रेनर तथा जिला समन्वयक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।

उक्त राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण में ब्रिटिश काउंसिल के योग्य, अनुभवी तथा मेहनती तथा समर्पित प्रशिक्षको ने प्रशिक्षण के दौरान हर पहलु से मास्टर ट्रेनर्स को बारीकी से अवगत कराया तथा उनसे सारी गतिविधियाँ कराई। गतिविधियों के अंतर्गत समूह कार्य, समूह प्रस्तुतीकरण, साक्षात्कार, एकल प्रस्तुती, कक्षा शिक्षण, अधिगम सामग्री का निर्माण तथा उपयोग, पाठ्यपुस्तकों पर कार्य, सूक्ष्म शिक्षण, अनुवीक्षण, अनुदेशन, कविता प्रस्तुतीकरण, समूह गायन इत्यादि कराये गये। साथ ही खेल-खेल में अंग्रेजी भाषा सिखाने की रोचक गतिविधियाँ भी करवाई गई । कहने का तात्पर्य है कि उक्त पूरे प्रशिक्षण को इस प्रकार से विकासशील किया गया कि संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में मास्टर ट्रेनर्स ने इसे कभी उबाऊ नहीं समझा। प्रत्येक दिवस, प्रति कालखंड इतनी विविध गतिविधियाँ कराई गई की मास्टर ट्रेनर्स को समय का भी ध्यान नहीं रहता था। पूरे प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स की सक्रिय सहभागिता रखी गई। इस सब का परिणाम यह हुआ कि जो मास्टर ट्रेनर्स चयनित होकर प्रशिक्षण मैं गये थे, वे अपनी सारी झिझक छोड़कर एक योग्य प्रशिक्षक के तौर पर तैयार हुए जो कि आगे जिला स्तर पर प्रा.वि. के शिक्षको को अंग्रेजी विषय मे प्रशिक्षण देने की चुनौती के लिये पूर्णत: तैयार हुए।

माह फरवरी 2016 में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशन में आठो जिलों में एक साथ प्रशिक्षण प्रांरभ हुआ। उक्त प्रशिक्षण में जिले के प्रत्येक प्रा.वि. से एक शिक्षक को अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों पर 5-5 दिन के चरणों में आमंत्रित किया गया।

जिले के प्रशिक्षण केन्द्रों पर ब्रिटिश कांउसिल द्वारा चयनित तथा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में Teacher Work Book तथा प्रा.वि. की अंग्रेजी विषय की पाठ्यपुस्तकों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षकों से निरंतर गतिविधियॉ कराई गई। Work Shop Mode [a Work Book पर कार्य कराये गये।

प्रयास यह रहा कि शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा के प्रति झिझक खत्म हो तथा वे अपनी शालाओं में रोचक तरीके से अंग्रेजी का शिक्षण करा सके।

प्रशिक्षण के दौरान ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनीसेफ तथा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के प्रतिनिधियों द्वारा सतत् निरीक्षण तथा अनुसमर्थन प्रदान किया गया। साथ ही ब्रिटिश काउंसिल के नामित व्यक्तियों द्वारा उक्त प्रशिक्षण लेकर पुन: अपनी-अपनी शालाओं में लौटकर गये शिक्षकों की अंग्रेजी शिक्षण की कक्षागत प्रक्रियाओं का अवलोकन किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि शिक्षकों ने अंग्रेजी विषय का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे उसका शिक्षण में कितना उपयोग कर रहे है।

शिक्षकों द्वारा उक्त प्रशिक्षण का बहुत ही सकारात्मक पृष्ठपोषण प्राप्त हुआ है। सभी शिक्षकों ने इस प्रकार के नवाचारी शिक्षण को बहुत ही उपयोगी बताया। शिक्षक इस प्रशिक्षण को आगे भी लेना चाहते है। यद्यपि ब्रिटिश काउंसिल का यह प्रशिक्षण तीन वर्षो के लिये design किया गया है, जो कि 2017-18 तक चलेगा।

नि: संदेह राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के अंग्रेजी विषय के सुदृढ़ीकरण हेतु ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया तथा यूनिसेफ के सहयोग से जो `EMPower' प्रोजेक्ट प्रदेश में Pilot Project के रूप में शुरू किया गया है, यह आगे चलकर संपूर्ण प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के लिये अंग्रेजी भाषा शिक्षण अंतर्गत उनको EMPower करेगा। तथा प्रदेश के छात्रों को प्रारंभ से ही अंग्रेजी विषय में सशक्त (EMPower) करेगा, ताकि वे भी आगामी वर्षो में आपनी पहचान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकेंगे। तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सफलता का परचम फहरा सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध/सर्वे के आधार पर।

****

मूल्यों की शिक्षा और विद्यार्थी का संज्ञानात्मक व सांवेगिक विकास

डॉ. रश्मि पण्ड्या *

प्रस्तावना – हमारी सम्पूर्ण शिक्षा वास्तव में मूल्य निर्धारण की ही प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन पर्यन्त सीखता रहता है तथा सीखने से उसे अनुभव प्राप्त होते हैं और ये अनुभव सीखने की निरंतरता से संबंधित होते हैं। जैसे –जैसे विद्यार्थी सीखता जाता है, वैसे–वैसे वह ऐसे अनुभव प्राप्त करता है, जो उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये निर्देशक जीवन को दिशा प्रदान करते हैं तथा इन्हें ही मूल्य कहा जाता है।

ये मूल्य व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरुप सभी विद्यार्थियों में भिन्न–भिन्न रुपों में विद्यमान होते हैं। अपने व्यक्तित्व के अनुरुप कोई मूल्य किसी व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और वही मूल्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए अर्थहीन व महत्वहीन या कम महत्व का हो सकता है।

इस सन्दर्भ में व्यक्ति का संज्ञान व उसके संवेगों की पराकाष्ठा अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ रॉकी (1973) द्वारा व्यक्त विचार अधिक प्रभावी लगते हैं –

'सभी विश्वासों की भांति मूल्यों के भी संज्ञानात्मक, अनुभावात्मक तथा व्यावहारिक अवयव होते हैं।'

यहाँ हम संज्ञानात्मक पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि मूल्य वांछनीय के बारे में एक संज्ञान है जो वांछनीय की संकल्पना के समान है।

द्वितीय पक्ष है अनुभावात्मक, जो भावात्मक रुप से पक्ष या विरोध में पक्षधर या विपक्षी होता है तथा इसका सकारात्मक प्रदर्शन करने वालों का अनुमोदन और इसके निषेधात्मक स्वरुप का प्रदर्शन करने वालों को अस्वीकृत कर सकता है।

अन्त में अपने भावों के अनुरुप व्यक्ति सक्रिय होने पर क्रिया करता है अर्थात् अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है।

वास्तव में संज्ञानात्मक क्षमता बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है और इसी के परिणामस्वरुप व्यक्ति व्यवहार भी करता है। अपने –अपने संज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति मूल्यों को महत्व देता है या नहीं देता है। व्यक्ति की चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण एवं समस्या–समाधान जैसी संज्ञान प्रक्रियाएँ व्यक्ति के मूल्यों से प्रभावित होती हैं। इस संदर्भ में पियाजे व ब्रूनर जैसे मनोविज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है जो बालक के विकास स्तर को स्पष्ट करते हुए उसमें मूल्यों के अनुरुप व्यवहार करने की ओर इंगित करता है।

इसी प्रकार मानव जीवन का संवेगात्मक पक्ष बड़ा बलवान और महत्वपूर्ण होता है। प्रसन्नता , हर्ष, आनन्द , दया, सहानुभूति और प्रेम आदि संवेग बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं , परंतु क्रोध , घृणा, ईर्ष्या व चिंता बालक के व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति या बालक के अन्दर ये संवेग मूल्यों के प्रतिष्ठापन्न में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। संवेगात्मक व्यवहार के संदर्भ में न तो उद्दीपकों की उपेक्षा की जा सकती है और न ही संज्ञानात्मक पक्ष की।

मूल्य सशक्त सांवेगिक वचनबद्धता है। व्यक्ति जिस वस्तु को मूल्यवान मानता है उसे अत्यधिक पसन्द करता है व उसकी चिन्ता रखता है। यद्धपि मूल्य भावनाएँ व संवेग नहीं हैं तथापि उनमें इच्छाएँ व भाव निहित हैं। वे अपने आप में विश्वास या निर्णय नहीं हैं परंतु वे चितंन में तथा उसके रुप में प्रकट होते हैं।

यह बात वर्तमान में मानने योग्य है कि वर्तमान समाज की आवश्यकता 'मूल्य' हैं। मूल्य के महत्व के बारे में विचार तथा संवेगात्मक प्रतिबद्धता दोनों ही अनिवार्य है। अत: मूल्यों की शिक्षा प्रदान करते समय अध्यापकों को विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यताओं के विकास तथा संवेगात्मक विकास के लिए भी योजना बनाकर अध्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम बच्चों में नीतिपरक सिंद्धातों को स्थापित करने में सहायता करते हैं। कई बार गैर संज्ञानात्मक विकास के कमतर स्तर के कारण व्यक्ति या तो मूल्य द्धन्द्धों के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाता या उन्हें सुलझाने में अपनी संज्ञानात्मक सूझ का प्रयोग नहीं कर पाता है।

निष्कर्ष – स्पष्ट है कि मूल्यों की शिक्षा द्धारा संज्ञानात्मक व संवेगात्मक विकास संभव है तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं व संवेगों की स्थिरता के सुविकसित न होने पर मूल्य आधारित आचरण करना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

* सहायक प्राध्यापक, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय , उज्जैन (म.प्र.) भारत

A Study of Agility among Under 17 School Going Boys & Girls

Sheikh Sharik Ahmed *

Abstract - Agility is very essential component for attaining physical fitness. The person who is agile can do the tasks more quickly & briskly. Agile person's movements are quick & sharp. Reflexes are also very quick. Considering the importance of agility it was decided to study it in detail among under 17 school going boys and girls. In this two comparative studies were made first between under 17 school going sportsmen and non-sportsmen was done. Second between under 17 school going sportswomen and non-sportswomen was done. The study was conducted at Udaipur, Chittorgarh and Dungerpur.

Key words - Agility, sportsmen, non-sportsmen, sportswomen, non-sportsmen.

Introduction - Physical fitness is required to perform all the day to day activities. Life has become very fast and hectic so the importance of physical fitness has increased considerably. Is this fitness have any relationship with sports or not at school level this study was made. One very important factor of physical fitness i.e. agility was studied. The impact of sports on sportsmen & sportswomen in terms of agility was evaluated.

Objective :

1. To ascertain the effect of sports on school going boys especially on agility.
2. To ascertain the effect of sports on school going girls boys especially on agility.

Hypothesis :

1. There is no significant difference between the agility of school going sportsmen and school going non-sportsmen.
2. There is no significant difference between the agility of school going sportswomen and school going non-sportswomen.

Sample : (in next page)

Research Tool:

4x10 shuttle run was used to measure the agility of the selected 120 school children. On the basis of time taken in 4x10 shuttle run school children were categorized in five grades as below-

Category	Male	Female
Very Good	9.2 sec. or less	10.7 sec. or less
Good	9.3 – 9.8 sec.	10.8 - 11.3 sec.
Average	9.9 – 10.5 sec.	11.4 - 12.0 sec.
Poor	10.51 – 12.1 sec.	12.1 – 13.4 sec.
Very Poor	12.2 sec. or more	13.5 sec. or more

Sec. = Seconds

Data Analysis & Interpretation:

Table -1 : Level of Agility among under 17 age group of sportsmen (on the basis of 4x10 shuttle run)

Category	School going Sportsmen	School going non Sportsmen
Very Good	26.67%	3.33%
Good	20.00%	16.67%
Average	33.33%	43.33%
Poor	13.33%	16.67%
Very Poor	6.67%	20.00%

Chart – 1 : Level of Agility among under 17 age group of sportsmen (on the basis of 4x10 shuttle run)

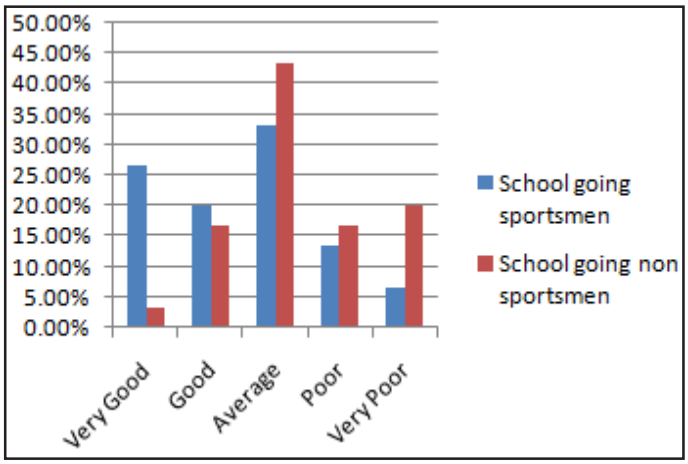

From the table 1 & chart 1 it is quite clear that school going sportsmen have more agility than school going non-sportsmen. Agility level of 80% school going sportsmen was average or above whereas agility level of 63.33% school going non-sportsmen was average or above. It indicates that sport is good for improving agility among school going boys of

* Research Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

under 17 age group.

Table - 2 : Level of Agility among under 17 age group of sportswomen (on the basis of 4x10 shuttle run)

Category	School going Sportsmen	School going non Sportsmen
Very Good	26.67%	13.33%
Good	33.33%	20.00%
Average	30.00%	46.67%
Poor	3.33%	10.00%
Very Poor	6.67%	10.00%

Chart – 2 : Level of Agility among under 17 age group of sportswomen (on the basis of 4x10 shuttle run)

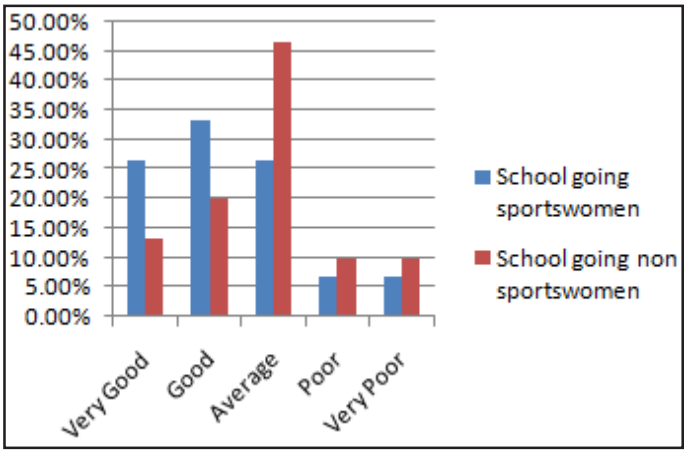

From the table 2 & chart 2 it is quite clear that school going sportswomen have more agility than school going non-sportswomen. Agility level of 90% school going sportswomen was average or above whereas agility level of 80% school going non-sportswomen was average or above. It indicates that sport is good for improving agility among school going girls of under 17 age group.

Testing of hypothesis :

1. The computed value of Z = 2.57 is higher than critical value of Z= 1.96. Hence first hypothesis that there is no significant difference between the agility of school going sportsmen and school going non-sportsmen is rejected at 5% level of significance.
2. The computed value of Z = 2.28 is higher than critical value of Z= 1.96. Hence first hypothesis that there is no significant difference between the agility of school going sportswomen and school going non-sportswomen is rejected at 5% level of significance.

Conclusion & Suggestion :

1. Agility among under 17 sportsmen is higher than non-sportsmen so it can be concluded that sport is helpful & beneficial in increasing the level of agility so the sports activities should be promoted at school level for boys.
2. Agility among under 17 sportswomen is higher than non-sportswomen so it can be concluded that sport is helpful & beneficial in increasing the level of agility so the sports activities should be promoted at school level for girls.

References :-

1. Houley E.T. and Franks B.D Health Fitness Instructor's Handbook. Third Edition. Human Kinetics, Champaign Illinois, 1997
2. Sanders C, Field T, Diego M, Kaplan M: Moderate involvement in sports is related to lower depression levels among adolescents. Adoelscence 2000, 35(140):793–798.
3. Pyle R, McQuivey R, Brassington G, Steiner H: High school student athletes: Associations between intensity of participation and health factors. Clin Pediatr 2003, 42:697–701.
4. Mangal, S. K. Essentials of Educational Psychology. Prentice, Hall of India, Pvt. Ltd., New Delhi ,2007, 542-545

Sample :

City	School going sportsmen	School going non-sportsmen	School going sportswomen	School going non-sportswomen	Total
Udaipur	10	10	10	10	40
Chittorgarh	10	10	10	10	40
Dungerpur	10	10	10	10	40
Total	30	30	30	30	**120**

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

The Danger For The Environment - Global Warming

Dr. Deepika Bhatnagar *

Abstract - Global Warming is the biggest problem existing in the world. This effects not only the Environment but also the Human Life. There are many causes behind the problem and these factors can be controlled easily if we think for our safe future generations.
Key Words - Emission, Deforestation, Fossil Fuels, Greenhouse gases, Atmosphere.

Introduction - When there is an increase in the average surface temperature of the Earth due to the effect of greenhouse gases the Global Warming starts. It means carbon dioxide emissions from burning fossil fuels or from deforestation, this result in consequences called as Global Warming. Warming means the earth atmosphere traps heat radiation from Earth towards space.

In the Global Warming Green House effect works due to thickening of earth's atmosphere and this thickening increases because of presence of increased carbon dioxide and other greenhouse gases. Human expansion is also a major cause for Global warming, like waste management, agricultural practices etc. Water vapour is also another factor of increasing Global Warming in the environment.

There are many causes behind this worldwide problem. Primarily in the atmosphere there is too much carbon dioxide (CO_2) .This CO_2 acts like the warming of the earth surface. As we burn fossil fuels like coal, oil and natural gas for energy or cut down and burn forests to create pastures and plantations, carbon accumulates and overloads our atmosphere. In comparison other gases are not putting effects more than the CO_2 because it continues to accumulate in the atmosphere. If in the atmosphere global average temperature increases more than 3.6 degrees Fahrenheit (°F) (or 2 degrees Celsius (°C) then the risk increases in the overall natural system.

The causes of Global Warming can be divided into two categories -

1. Natural Causes
2. Man-Made Causes

Natural Causes are the causes which are based on natural calamity. Forest fires, Permafrost, Sunspots, Water Vapour and many others while manmade causes are Induced Deforestation, Fossil Fuels, Landfills, Use of Fertilizer, Meat consumption and Overpopulation

In the Forest Fires Devastation of mountain homes and communities by nature is a leading cause of global warming. This problem will become a tragic problem of the earth. The result is that the new forest will grow very slow and emission of carbon smoke increases tremendously. The permafrost is actually leaking carbon into the earth's atmosphere. While scientists cannot stop permafrost from emitting these gases, the earth's melting icecaps at incredibly fast rates, are cause for concern. According to the Environment Protection Agency (EPA), sunspots are increasing the global temperature and restrict the passing of solar plasma, which in affect gives off radiation According to (National Aeronautical Space Centre) NASA, two-thirds of the gases are stuck in the thick blanket in the form of water vapour. The water vapour is unable to escape and thus results in hot climate changes. NASA continues to work on water vapour solutions to reduce their effect on global warming while animals also breathe out carbon dioxide and methane.

Induced Deforestation: Any type of development activity in the society or out of the society which causes deforestation is Induced Deforestation. It is the cutting down of trees and plants to make way for any development activity. Mother Nature routing out an entire forest is one thing, but man doing it for the use of crop cultivation, fuel, and other consumption, farms and factories, Fuel used for wood and charcoal, paper and timber is another. The loss of our forests results in a chain reaction where too much carbon is released into the air, with not enough oxygen to combat it .We should immediately stop cutting trees so that it will reduce Greenhouse effect.

Fossil Fuels: Pollution is the major cause of global warming which releases from various vehicles and other sources and then the temperature of the earth increases. Fossil fuel like coal is burnt to produce electricity. Coal is the producer of electricity; industries on the other hand release various gases into the water and air. Carbon dioxide, methane and nitrous oxide are the major Greenhouse gases. . In the landfills Garbage's are thrown by the Human being and the garbage are used by the many companies to reproduce the different products. Burning garbage releases the toxic gases and affect the Greenhouse. The cause of the overpopulation is

* Reader, Shri Vaishnav Institute of Law, Indore (M.P.) INDIA

one of the main cause of many other problems. When population increases they breathe more and release carbon dioxide. More demand for food and other for surviving the dignified life .The another reason for Global Warming is Mining In this sector the Methane gas produced is more because of the maximum use of oil and coal. In cultivation the Nitrous Oxide is produced and this gas is three hundred times more dangerous than other gases. Meat consumption increases the Global Warming. How? Because as per the research, 51% of the greenhouse gases: methane, carbon dioxide, and nitrous oxide are caused by animal agriculture. For cooking Non vegetarian food the time of cooking is 80% more than vegetarian food.

Impact of Global Warmings - If the problem of Global warming continues moving in the world then the entire planet would be in the danger zone. The major effects and impacts of Global Warming are: Changes in Climate: The frequent changes in the Climate are because of Global Warming in the Air the dangerous gases moving so the environment becoming warmer and warmer. Changes in the rainfall and snow patterns, increase droughts and severe storms, reduce lake ice cover; melt glaciers, increase sea levels, and change plant and animal behaviour. Sea Level Change, Thermal expansion, mountain glacier melting, Greenland ice sheet melting and Polar (Arctic and Antarctic) ice sheet melting are the four major changes in sea water because of Global Warming. The numbers of islands are vanishing from the earth. In future, warmer world will face water crisis also .Global Warming not only effects the Ecosystem & Agriculture but also the human being as it is a reason for various tropical diseases in the human body.

Prevention of Global Warming - The Intergovernmental Panel on climate change (IPCC) was established in the year 1998 by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP), in recognition to the threat that exists in front of the world regarding global warming. The minimizing of the emission of greenhouse gases can easily control the Global Warming problem. The laws related to the Environment protection should be followed by every citizen. Increasing the use of nonconventional energy sources, minimizing the use of paper, control over deforestation and planting of more trees etc. are some of the measures to reduce the harmful threat of Global warming. All these measures, if adopted, will definitely control the global Warming and save our Environment.

References :-

1. www.iea.org
2. http://www.environment.gov.au/soe/2006/publications/drs/indicator/145/index.html
3. jica-ri.jica.go.jp/IFIC_and_JBICI-Studies/.../pdf/health_08.pdf

****

Relevance Of Religion In Modern World

Dr. Manisha Sharma *

Introduction - Religion is acknowledged as the thread that binds a culture - or series of smaller cultures-together it's the theological port in the storm, a place to remain grounded during times of crises and strife. Its absence in thought to leave a nation a drift like a rudderless sailboat, like a backpacker who misplaced his compass and now aimlessly wanders.

Senseless, seemingly random acts of violence and horror are too often a divisive by product of those seeking to punish enemies whose spiritual beliefs differ from their own-such as suicide bombers who hide beneath the veil of pious virtue . This religious dogma at its very worst : To validate the most zeolous demonstration of man's inhumanity to man. I refer to this as "My god is better than your god" thinking .

"There is only one caste,
The caste of Humanity.
There is only one religion,
Religion of love.
There is only one language,
Language of the Heart .
There is only one God.
He is omnipresent".
- Shri Satya Sai Baba

Today religion is often pushed to the wayside because ridiculous though it may seem, it's being forced to content with too many distractions in our attention-scattered culture . It gets lumped in with web surfing, television, watching, video games, movies, cell phones, Facebook, Twitter and an ever expanding array of things competing for eyes, ears and thoughts.

The good moral values or sacraments starts from home itself that every child gets from his parents to lead his future life successfully. It teaches spirituality, truth, morality and righteousness.

Between religion and science, there has been a prolonged conflict in which science has invariably proved victorious.The change in outlook was marked very distinctly after the coming of the industrial revolution and the publication of the Darwin's " Theory of evolution".

It is true that religious men and women have now come to feel that most of the religions creeds with no faith are unnecessary and a mere hindrance to the religious life. Inspite of the fact that science has assailed the authority of the religious creeds and holy scriptures, it has failed to touch the domain of personal religion. The scientist may never experience the charm and beauty of nature and the essential goodness of heart. Bector and Russell write, "There is, however, one aspect of religious life, perhaps the most desirable, which independent of discoveries of science and may survive whatever we may come the believe as to the nature of the universe. Religion has been associated, not only with the creed and churches, but with the personal life of those who felt its importance".

Religion is needed in the formation of character. The enemies of good character are avarice, lust and anger. Modern life has not simplified but multiplied desires and with that multiplication, the greed and anger that are associated with those desires have assumed varied and intensified shapes. As desires are multiplied with out corrective of a sense of spiritual values, knowledge of science or technology does not reduce either greed or lust. The only thing that can prevent these evils is the religious sense.

Morals like empty bags cannot stand on their own feet unless they are based are religion . We require truly religious men in the administrative services, on the bench, at the bar, in the medical profession and in other areas. There will be no reverence and awe for the Divine power that rules the Universe. Men and women will not be good without religion. They are not capable of maintaining character without the sanctions and discipline of one religion or another India remained united despite its diversity of culture and language because people practised the same religion all over India.

There can be no peace in the world without religion . Without the advancement of science and technology we need wisdom distilled from religion in the same proportion . In the face of horrors posed by modern war technology we need religion more than we ever needed . The choice before humanity is either co-operation in a spirit of freedom and understanding or conflict in an atmosphere of fear, jealousy and suspicion. The future of religion and mankind will depend on the choice we make.

Radhakrishan writes, "The threat to our civilization can be met only on the deeper levels of consciousness . If we fail to overcome the discord between power and spirit, we will be destroyed by the forces which we had the knowledge

* Lecturer (Communication Skills) Government Polytechnic College, Ashok Nagar (M.P.) INDIA

to create but not the wisdom to control. For the new effort we need the sense of religious purpose."

In whatever form religion is bound to exist, despite all material progress of the world. Science without religion will lead us to destruction. Therefore we have to hold fast to the well tried lamp of faith. Science will help only if we keep God in our hearts which is the most pleasant abode of our Lord. "The heart with compassion is the Temple of God".

And at the last I would like to end in the beautiful words of Shri Satya Sai Baba.

"When there is righteousness in the heart.
There is beauty in the character.
When there is beauty in the character.
There is harmony in the Home.
When there is harmony in the home.
There is order in the Nation.
When there is order in the Nation.
There is peace in the world."

References :-

1. E.A. Burtt: Meataphysical Foundations of Modern Physical Science
2. Emile Dur Kheim: Elementary Forms of The Religious Life
3. Divine Memories of Satya Sai Baba by Daina Baskin

****

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

डॉ. एस. एम. पचौरी *

प्रस्तावना – 'अधिकार सामजिक जीवन की वे शर्ते है, जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता।'

अधिकार व्यक्ति को जन्म से स्वयं प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। समाज ने अपने विकास के दौर में व्यक्ति को समय–समय पर अधिकारों से अलंकृत किया है। बात साफ है कि अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति पर की गई कोई मेहरबानी नहीं है। राज्य का काम तो उन पर अपनी मोहर लगाना है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। अधिकार वे परिस्थितयाँ हैं जो व्यक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

भारत के उच्चतम न्यायालय में इस बात पर जोर दिया है कि मतदाता को (प्रत्येक नागरिक) जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा गारंटी प्रदत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अंग है। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पास किये गये है। गॉव में लोक पंचायत के काम काज जैसे भू–अभिलेख, शिक्षा, कृषि, वन विभाग आदि के कार्यो से सीधे जुडे हुये है। अब उन्हें सही समय पर सूचनाएँ मिल सकेंगी। इससे गॉव का विकास करने में मदद मिलेगी। अब लोगों को राज्य सरकार लोक निकाय के कार्य कलापों व्यक्ति के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा निर्धारित शुल्क अदा करने पर उसे निश्चित समय अवधि के अन्दर सूचना की नकल या फोटो स्टेट प्रति उपलब्ध कराई जा सकेगी। सरकार ने व्यापक जन सम्पर्क वाले मंत्रालयों एवं विभागों से कहा है कि वे नागरिक/प्रयोक्ता चार्टर तैयार करें और उन्हें परिचालन में लाये जिनमें सेवा सुपुर्दगी के अपेक्षित मानको शिकायत निवारण प्रणाली और इसके निष्पादन की सार्वजनिक समीक्षा के साथ–साथ संबंधित संगठनों की वचनबद्धता स्पष्ट की जाये। इस संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही का समन्वय उपभोक्ता समूहों की मद से किया जा रहा है। जनता को सूचना और सहायता पहुंचाने की दृष्टि से स्थापित किये गये सूचना और सुविधा काउण्टर चार्टर के अग्रिम छोर के रूप में देखे गये है। सूचना और सुविधा काउण्टर प्रत्येक कार्यालय से सुरक्षा क्षेत्र से बाहर स्थापित किये गये है ताकि सूचना का प्रसार नागरिक/प्रयोक्ता तक किया जा सके। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा मंत्री मंण्डल सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के माध्यम से लोक शिकायत निवारण से संबंधित मौजूदा तंत्र को काफी मजबूत कर दिया गया है। अधिकांश विभागों ने संसद् सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के समय सीमायें निर्धारित कर ली है और शिकायतों पर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के नाम प्रकाशित किये गये है सभी विभागों में शिकायतों को श्रेणी वद्ध करने और उनकी कम्प्यूटरीकृत मोनिटरिंग के लिये एक प्रणाली स्थापित की गई है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मुख्य टर्मिनल से जोड़ दिया गया है 'लोकतंत्र में शासन जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित किया जाता हैं।' इसमें सरकारें किसी व्यक्ति विशेष या समूह के लिए लाभ की बजाय लोकहित के लिए कार्य करती हैं। इसलिए सरकार तथा इससे सरोकार रखने वाले को जनता के प्रति जबावदेह होना चाहिए। अगर एक समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरे मनोयोग के साथ स्वीकारता है तो वहां के नागरिकों को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उनकी सरकार तथा इसके अधीन कार्यरत संस्थाएँ क्या कर रही है? सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया क्या है? उनमें कैसे भागीदारी की जा सकती है। सूचना या जानकारी के अभाव में किसी भी व्यक्ति के लिए सुव्यवस्थित तरीके से अपनी राय बनाना या व्यक्त करना संभव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों द्वारा अधिकांश काम जनता के लिए और जनता के सहयोग से किया जाना चाहिए। योजना बनाने की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। योजना निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी के साथ ही उन्हें यह जानने का अधिकार मिलना चाहिए कि योजना उनके हित में है या नहीं? ताकि समय रहते योजनाओं में वांछित परिवर्तनों और संशोधनों के बारे में अपना परामर्श दे सकें। सूचना का अधिकार प्राप्त होने से व्यक्ति सुशासन की परिकल्पना को भी साकार करने में सहयोगी हो सकते हैं। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक कारगर अस्त्र साबित हो सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। परन्तु पिछले काफी समय से नागरिकों की सहभागिता केवल मताधिकार का प्रयोग तक ही सीमित होकर रह गई है। इसके पीछे आवश्यक सूचनाओं का अभाव नागरिकों की निष्क्रियता एक प्रमुख कारण रहा है। सूचना के अभाव में लोग यह नहीं जान पाते है कि सरकार क्या कर रही है? सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया क्या है? उनमें कैसे भागीदारी की जा सकती है?वर्तमान समय में सार्वजनिक धन दुरूपयोग गबन और लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक मामलों में सम्पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। सूचना का अधिकार लागू होने से सरकार के कामकाज में पारदर्शिता होने से नागरिक सार्वजनिक समय और धन के दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह भी ठहरा सकेंगे। पारदर्शिता से भ्रष्ठ लोगों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और ईमानदार लोग निर्भय और निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकेंगे। यही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की सार्थकता है।

अंग्रेजी भाषा का शब्द 'Information' लैटिन भाषा के 'Inform'से बना है जिसका अर्थ किसी वस्तु को स्वरूप तथा आकार प्रदान करना एवं

* प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गढ़ाकोटा (म.प्र.) भारत

विचारों में अस्पष्टता दूर कर हमारी जागरूकता बढ़ाने से है वर्ष 2005 में पारित सूचना का अधिकार (RTI) कानून का इतिहास काफी उतार-चढ़ाव से भरपूर रहा है। इसका प्रारंभ 1975 में राजनारायण विरूद्ध उत्तरप्रदेश सरकार मुकदमें से हुआ। जब उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि देश की जनता को लोक प्राधिकारियों द्धारा सार्वजनिक रूप से किए गए कृत्यों के बारे में जानने का अधिकार है। समाज सेवी अण्णा हजारे के नेतृत्व में 20वर्षो तक जनमत बनाने का सफल प्रयास किया गया एवं सन् 2000 में सूचना के अधिकार अधिनियम को लोकसभा में पुन: स्थापित कर दिया गया परंतु सत्ता परिवर्तन के कारण यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो पाया संविधान में सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया है, किन्तु ऐसे प्रश्नों के उत्तर आम जनता को उपलब्ध नहीं थे। लोगों को सरकार के कामकाज करने की प्रक्रिया की बहुत कम जानकारी है। सूचना का उपलब्ध न होना एवं सरकारी कामकाज की प्रक्रिया की कम जानकारी से निर्णय प्रक्रिया में अपारदर्शिता बढ़ती है और बढ़ता है भ्रष्टाचार। अत: सभी प्रगतिशील जनतंत्रों में सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, जिससे लोग सरकारी रिकॉर्ड एवं सूचना प्राप्त कर सरकार से प्रश्न पूछ सकें। सूचना की उपलब्धता से लोगों में सरकार द्धारा लिये गये फैसले की जानकारी बढ़ती है, और जानकारी से होती है विवेचना, जो एक आधुनिक एवं प्रगतिशील समाज के लिए बहुत जरूरी है। सही समय पर प्राप्त सूचना से भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन एवं सरकारी तंत्र के दुरूपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।अक्टूबर 2005 तक हमारे पास सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने की कोई क्रिया-विधि नहीं थी। 12 अक्टूबर, 2005 को हमारी सरकार ने हमें यह अधिकार दिया, जो अधिकांश सरकारी रिकॉर्ड्स और जानकारियों तक बिना रोकटोक हमारी पहुँच को संभव बनाता है यह अधिकार हमें सरकारी निर्माण कार्यों और दफ्तरों की जांच करने की अनुमति भी देता है। इसके द्धारा नागरिकों को रिकॉर्ड्स की जांच करने, कागजातों की प्रमाणित नकल और सामग्रियों के नमूने हासिल करने का अधिकार भी दिया गया है। आम नागरिक आवेदन-पत्र के साथ केवल दस रूपए की फीस देकर ढेर सारी जानकारियाँ ले सकता है, सरकारी संगठनों के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकता है और खुद ही जमीनी सच्चाइयों का पता लगा सकता है।'कानून को पारित करने का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक प्राधिकरण लोगों के लिए खुले और जबाबदेह हों। सूचना के अधिकार अधिनियम में नियंत्रण में रखे रिकॉर्ड तक लोगों को पहुँचा दिया है। एक आधुनिक सरकार, विशेष रूप से एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए सरकारी रिकॉर्ड और सूचनाओं तक लोगों की पहुँच बनाने का प्रावधान करना नितांत आवश्यक है। यह शक्ति के दुरूपयोग, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रभावी कवच का काम करता है। यह खुद सरकारों के लिए भी लाभप्रद है क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुलेपन एवं पारदर्शिता से सरकारी कार्यवाहियों पर लोगों का विश्वास बढ़ता है और समाज को सभ्य व प्रजातांत्रिक बनाए रखने में इससे मदद मिलती है। **सूचनाएँ 'प्रजातंत्र की ऑक्सीजन' हैं,** क्योंकि बिना सूचना के नागरिक एक सजग चुनाव नहीं कर सकते और न ही सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकते हैं। सूचना का अधिकार जवाबदारी और सुशासन लाता है क्योंकि यह गोपनीयता, भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरूपयोग और कुप्रबंधन पर अंकुश लगाता है।'[2] सारी दुनिया में सरकारें अपने नागरिकों को अपने कार्य-कलापों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध करा रही है। दुनिया के पचास से ज्यादा देशों ने सरकारी संस्थाओं द्धारा रखे गए रिकॉर्ड तक लोगों की पहुंच सुगम बनाने के लिए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियमों या सूचना के अधिकार अधिनियमों को व्यापक रूप से अपना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आधुनिकीकरण, भ्रष्टाचार और लोकनिंदा, सूचना के अधिकार की एक मानवाधिकार के रूप में पहचान आदि कई कारण इस बदलाव के लिए जिम्मेदार है। हमारा देश भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है। पिछले पाँच वर्षो में आठ राज्य सरकारें ऐसा कानून पास कर चुकी हैं और अब भारत सरकार ने भी ऐसा कानून अधिनियमित कर दिया है, जो पूरे देश में लागू है।

हमारे देश के अधिनियमित होने वाले कानूनों में सूचना के अधिकार का कानून सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। यह लोगों के सूचना के अधिकार को मान्यता देता है, जो बहुत से अदालती फैसलों में हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से एक के रूप में घोषित किया जा चुका है। इस अधिनियम की परिधि में केन्द्र और राज्य सरकारों के अलावा ग्रासरूट प्रजातांत्रिक संस्थानों और ऐसी संस्थाओं, जिन्हें सरकारी अनुदान मिलता हो, को शामिल किए जाने से यह एक व्यापक पहुँचवाला कानून बन गया है जो प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। इससे प्रजातंत्र और मजबूत बनेगा तथा हमारे जीवन के लिए अधिक प्रासंगिक बनेगा।'सूचना के अधिकार संबंधी सभी कानूनों का मूल लक्षण है कि ये लोगों को सार्वजनिक प्राधिकरणों और अन्य सरकारी संस्थाओं से सूचना लेने के लिए सशक्त करते हैं। **सूचना का अर्थ है रिकॉर्ड्स, कागजात या जानकारी/सूचना की माँग का अधिकार देश के सभी नागरिकों के लिए खुला है और किसी महत्वपूर्ण मामले में सूचना लेने के लिए अपनी कानूनी दिलचस्पी दिखाने की जरूरत भी नहीं है।** अंतर्राष्ट्रीय चलन की तर्ज पर सूचना के अधिकार संबंधी कानूनों के दायरे में उन गैर-सरकारी संस्थाओं को भी लाया गया है, जो सरकार से धन प्राप्त करते हैं। इस अधिनियम में कुछ अपवाद भी हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यावसायिक गोपनीयता, कानून का प्रवर्तन और सार्वजनिक व्यवस्था, विश्वस्त रूप से मिली जानकारी आदि। दूसरे कानूनों की तरह इस कानून में भी अपील की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यह सरकारी संस्थाओं के लिए कुछ निश्चित् सूचनाओं का नियमित प्रकाशन अनिवार्य बनाता है।सूचना का अधिकार अधिनियम **खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही** का एक नया युग लानेवाला एक शक्तिशाली यंत्र है। यह लोगों को सरकारी संगठनों से जानकारी प्राप्त करने और उनसे प्रश्न पूछने में हमें सक्षम बनाता है- जैसा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधानमंडल एवं संसद् सत्र के दौरान करते हैं। नागरिक सरकार की नीतियों और क्रिया-विधियों, विभिन्न कार्यों पर किए गए खर्च, उनसे मिलनेवाले लाभ, सुविधाओं, सेवाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर (संरचना) की कमी या अनुपलब्धता आदि पर सवाल उठा सकते है। **'ऐसी कोई भी सूचना जो संसद्/राज्य विधानमंडलों को नहीं नकारी जा सकती, वह इस कानून के तहत आवदेनकर्ता को भी नहीं नकारी जा सकती। यही है एक पंक्ति में इस कानून का सार ।'**

इस कानून के अधीन हासिल की गई सूचनाओं को कई उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें से एक जमीनी सच्चाइयों का सत्यापन करना है। इस तरह से प्राप्त की गई सूचनाएँ मुद्दों के विवेचनात्मक विश्लेषण और दबाई हुई सूचनाओं व सच्चाइयों को निकलवाने में भी हमारी सहायता करती हैं। कहाँ क्या हो रहा है, यह जानने में भी ये मददगार होती हैं। इस तरह यह हमें मिलनेवाली सेवाओं और विभिन्न संगठनों के काम-काज की कमियों

को जानने और कमी के लिए जिम्मेदार लोगों को पहचानने में भी सहायक सिद्ध होती है। 'अधिनियमानुसार किसी नागरिक को यदि कोई लोकसेवक सूचना देने में आनाकानी करता है तो संबंधित अधिकारी पर 25 हजार रूपये अर्थदंड तथा चरित्र पंजी पर प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।'[5] शासन में भागीदारी किसी भी लोकतंत्र का मूलमंत्र है। नागरिकों के रूप में हमें केवल चुनावों के वक्त ही नहीं, बल्कि नीतिगण निर्णयों, कानूनों और योजनाएं बनाए जाने के वक्त और परियोजनाओं तथा गतिविधियों का कार्यान्वयन करते समय भी दैनिक आधार पर भागीदारी करने की जरूरत होती है। भागीदारी करने का एक तरीका यह है कि नागरिक उन संस्थाओं से सूचनाएं मांगने के लिए अपने सूचना के अधिकार का उपयोग करें जो सार्वजनिक धन से चल रही हैं या जो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू हो जाने के बाद भी भारत के सभी नागरिकों को सूचनाएं मांगने/पाने का अधिकार है। यह अधिनियम इस बात को मान्यता देता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में सरकार के पास मौजूद सभी सूचनाएं अंतत: जनता के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं है। नागरिकों को सूचनाएं उपलब्ध कराना सरकार के कामकाज का एक सामान्य अंग भर है कयोंकि जनता को जानने का अधिकार है कि सार्वजनिक अधिकारी उनके पैसे से और उनके नाम पर क्या करते हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम इस बात को स्वीकार करता है कि सरकार द्वारा नागरिकों के साथ सूचनाएँ बांटना लोकतंत्र के संचालन के लिए स्वास्थ्यकर और लाभदायक है, गोपनीयता को अब बीते जमाने की बात हो जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अब किसी भी नागरिक को उन सूचनाओं को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिन्हें विधायकों और सांसदों जैसे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार से सदन में हासिल किया जा सकता है। नए कानून के दायरे में न केवल केन्द्र, बल्कि राज्यों के भी सभी सार्वजनिक संस्थान और पंचायत तथा नगरपालिका जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भी आती है। इसका अर्थ है कि अब आप समूचे भारत में हर गांव, जिले, कस्बे और शहर में नागरिक सार्वजनिक संस्थाओं के पास मौजूद सूचनाओं की मांग कर सकते है।'[6] 'वास्तव में यह एक ऐसा अधिकार है जो समाज के हर वर्ग, सरकार की हर इकाई और मानवाधिकारों से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।'[7] 'ऐसी सूचना जो इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य है। जो किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के आधीन है जिसमें किसी कार्य के दस्तावेजों का निरीक्षण, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना, सामग्री की प्रमाणित नमूने या किसी विद्युत तरीके से सूचना प्राप्त करना सम्मिलित है। 'वास्तव में सूचना का अधिकार समाज के शोषित, उपेक्षित तथा जिनके पास कोई उपाय नहीं है, ऐसे लोगों हेतु एक सशक्त हथियार है, जिसके द्वारा इन लोगों की पीड़ा को कम किया जा सकेगा, जो कि वर्षो से समाज एवं शासन दोनों द्वारा झेलते आ रहे है। सूचना के अधिकार के अनुसार लोग प्राधिकरण उन निकायों को माना जाएगा जो ऐसे कानून के तहत स्थापित हुए है, जिन्हें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर स्थापित किया गया है। इसमें वे गैर-सरकारी संस्थायें भी शामिल है जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो या ऐसे निकाय जिनका स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 'सूचना का अधिकार उन परिस्थितियों को वास्तविक रूप में जानने की माँग करता है। जो दिखाई नहीं देती या दिखाई नहीं जाती है, यह अधिकार नैतिकता से जुड़ा है। सूचना के अधिकार की विस्तृत परिभाषा दी गई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें राय एवं सलाह भी प्रकट किये जाने वाले विषयों में शामिल किये गये है। इसमें निर्माण दस्तावेज और सरकारी रिकार्ड का निरीक्षण भी शामिल किया गया है और उनके प्रमाणित उद्धरण भी सत्यापन के लिए प्राप्त किये जा सकते है। इस प्रकार यह अधिकार केवल फाइलों और दस्तावेजों तक ही सीमित नहीं है बल्कि जनता को जमीनी हकीकत की जाँच की क्षमता भी प्रदान करता है। सारांशत: कहा जा सकता है कि वास्तव में नागरिकों को दिया गया जानने का अधिकार (सूचना का अधिकार) एक अहिंसात्मक शस्त्र है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार प्रकाश, राय के.बी., सूचना का अधिकार, प्रभात पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010, पृष्ठ 8
2. वर्मा अनिल कुमार, शोधार्थी, सी.एस.डी.एस., नई दिल्ली, 2008 पृष्ठ 63
3. दुबे माधुरी, सूचना का अधिकार, मध्य भारती, सागर, 2012, पृष्ठ 23-24
4. वही, पृष्ठ 20
5. अग्रवाल डॉ. लोकेश, राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2010 पृ. 21
6. गौतम एवं भदौरिया, म0प्र0 एक परिचय, टाटा मेक्ग्रा हिल्स, नई दिल्ली, पृ. 4.68
7. कोठारी रजनी, भारत में राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा पृ. 84
8. पाईली, भारत का संविधान पृ. 366

****

दलित आत्मकथाओं की शाश्वत पीड़ा

आशा भालसे *

प्रस्तावना – पिछले दशकों में दलितों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी भोगी हुई पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। मराठी से दलित आत्मकथाओं की शुरूआत हुई, जिसके प्रभाव से हिन्दी में भी विपुल दलित आत्मकथाएँ लिखी गईं। मराठी की दलित आत्मकथाओं में डॉ. बाबा साहेब अम्बेड़कर की आत्मकथा 'मी कसा झालोय (मैं कैसा बना), दयाराम पवार कृत 'अछूत', शंकरराव खरात कृत 'तराल–अन्तराल' प्रा.ई. सोनकांबले कृत 'यादों के पछी', लक्ष्मण माने कृत 'पराया', लक्ष्मण गायकवाड़ कृत 'उठाईगिरी', शरण कुमार लिम्बाले कृत 'अक्सरमासी' मराठी की उल्लेखनीय आत्मकथाएँ है। इन रचनाओं में पूरे राष्ट्र के दलित साहित्य को एक नई दिशा दी है। किशोर शांताबाई कांबले की 'छोरा कोल्हाटी का' दलित साहित्य में मील का पत्थर है। ऐसे ही एक कोल्हाटी ही स्त्री से उत्पन्न किशोर इस जीवन से जुड़ी आत्मकथा में अपनी उपेक्षित जाति और नामालूम पिता की संतान ने अपने आत्मकथा में अपनी सामाजिक उपेक्षा और हेय भावों के दंशों का मार्मिक चित्रण अपनी आत्मकथा में किया हैं।

कौशल्या वैसंत्री कृत 'दोहरा अभिशापय जैसी पीड़ा और करूणा से ओतप्रोत आत्मकथाएँ अपना विशेष महत्व रखती हैं।

इन आत्मकथाओं में दलित स्त्रियों ने जो तिहरी त्रासदी भोगी है, उसका चित्रण किया है। प्रथम त्रासदी जाति व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक उपेक्षा, दूसरी त्रासदी 'पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था' जिसमेंपुरुषों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न और उनकी स्वाधीन सत्ता को कुचलने के पुरुष अहंवादी आचरण का चित्रण किया हैं और तीसरी त्रासदी के रूप में 'गरीबी' का चित्रण किया गया है।

हिन्दी साहित्य की प्रारंभिक दलित आत्मकथाओं में मोहनदास नैमिशराय की 'अपने अपने पिंजरेय (1995) और ओमप्रकाश वाल्मीकि की जूठन (1996) महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसमें डॉ. डी.आर. जाटव की 'मेरा संघर्ष मेरी मंजिल', सूरज चौहान की 'तिरस्कृत', माता प्रसाद की 'झोपड़ी से राजभवन', श्यामलाल की एक भंगी कुलपति की अनकही कहानी', श्यौराज बेचैन की 'मेरा बचपन मेरे कंधों पर', प्रो. तुलसीराम की 'मुर्दहिया' प्रसिद्ध आत्मकथाएँ है। 'अपने अपने पिंजरेय में लेखक ने व्यक्तिगत पीड़ा के साथ चमार मोहल्ले की समस्याओं का जिक्र किया है। दलित स्त्रियों को उचित मजदूरी नहीं देना और उनका देह शोषण और ऐसी पीड़ित स्त्रियों के प्रति दलित पुरुषों की नपुंसक सोच को नैमिशराय से बड़ी यथार्थ से चित्रण किया है।

'मजबूरी वश या कब्र से भी जिसने एक बार अपना शरीर उन गिद्धों (सवर्ण पुरुषों) को दे दिया लंबे समय तक उन्हीं महिलाओं को अपना शरीर नुचवाना खिंचवाना पड़ता था या बस्ती में ऐसी महिलाओं की खूब चर्चा होती थीं। कभी–कभी पंचायत भी बैठ जाती थी। अकेली महिला की ही नहीं उसके घरवालों की भी थू–थू होती थी, उनके मुँह में दिया जाता था।'

ओमप्रकाश वाल्मीकि स्वयं भंगी जाति से है। 'जूठन' इस जाति की पीड़ा को बड़ी शिद्दत से उभारा है। दलितों के बच्चों के साथ बचपन में ही विद्यालय के शिक्षक तक 'अछूत' जैसा व्यवहार करते हैं, उन से झाड़ू लगवाई जाती है। डॉ. अम्बेड़कर ने स्वयं इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को अपने जीवन में सहा है।

अवसर सवर्णों के सामूहिक भोज की जूठी पत्तलों से उनकी जूठन इकट्ठा करने जैसे घिनोनें कृत्यों का चित्रण 'जूठन' में बड़ी बेबाकी से किया है। ऐसे ही अवसर पर लेखक की माँ का अपमान किया जाता है, जब वह जूठन का टोकरा फेंक कर भविष्य में कभी 'जूठन' न लेने की माँ प्रतिज्ञा का विश्लेषण करते हुए रजतरानी मीनू लिखती है कि, 'जूठन' नामकरण की सार्थकता वाल्मीकि की माँ से सम्बद्ध है जो दलित समाज से प्रेरणादायक है।'

दलित आत्मकथाओं में सूरजपाल चौहान की 'तिरस्कृत' एक चर्चित आत्मकथा रही। दलितों में भी परस्पर ऊँच–नीच का भेदभाव हैं। चमार, भंगी, बलाई आदि दलित जातियाँ अपने को एक दूसरे से ऊँचा मानती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ 'अछूतों' जैसा व्यवहार करती हैं। आत्मकथा लेखक स्वयं भंगी जाति से है। लेखक के पिता जिस ऑफिस में चपरासी थे, उसी ऑफिस में लेखक अपने परिश्रम और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पहुँचता है। जहाँ सवर्णों द्वारा ही नहीं बल्कि दलितों के वर्ग द्वारा 'तिरस्कार' झेलना पड़ता है। दलितों में भी पनपती इस सवर्णवादी प्रवृत्ति दलितों में बढ़ते अन्तर्विरोध को रेखांकित करती है।

'संतप्त' आत्मकथा में भी सवर्ण पुरुषों द्वारा दलितों की स्त्रियों के देह शोषण की घटना का यथा तथ्य वर्णन किया है। ऐसे प्रसंग जाहिर होने पर दोष दलित स्त्री पर ही मढ़ा गया है।

प्रो. श्यामलाल ने अंग्रेजी में 'एन आटोबायोग्राफी ऑफ ए भंगी वाइस चांसलर' नामक आत्मकथा अंग्रेंजी मेंलिखी, जिसका सन् 2004 मेंहिन्दी में अनुवाद प्रकाशित हुआ। सवर्णों का दलितों के साथ व्यवहार यहाँ तक अध्यापक वर्ग भी दलितों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं।

प्रो. तुलसीराम की आत्मकथा 'मुर्दहिया' एक चर्चित आत्मकथा है। दलितों की गरीबी, अशिक्षा, संस्कार और दलितों मेंव्याप्त अंधविश्वासों का विवरण है। इस कथा में समाज व्यवस्था विशेषरूप से दलितों की सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। जाति पंचायत द्वारा किये जा रहे अमानवीय फैसले भी उनकी समस्याओं का निदान ढूंढने के बजाय दलितों को ही अमानवीय दण्ड देकर प्रताड़ित कर रही है। यदि कोई युवती अवैध संबंधों के मामले में पंचायत निर्णय के लाई जाती है, तो उसे 'कुजाति' घोषित कर जाति बहिष्कृत किया जाता है। यदि अवैध संबंधों के कारण युवती गर्भवती हुई, तो स्वयं गाँव की महिलाएँ क्रूर तरीके से उसका गर्भपात करवा देती हैं।

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

'प्रो. तुलसी की आत्मकथा' मुर्दहिया'पर टिप्पणी करते हुए हंस के संपादक राजेन्द्र यादव लिखते है–'दलितों के ढेर सारे लेखन के बीच 'मुर्दहिया' इसलिए भी विशिष्ट है कि इसमें न कहीं बड़बोलापन है न आक्रोश। सवर्णों को मुँह भर–भर कर गालियाँ और रातों रात दुनिया को बदल डालने का उतावलापन भी नहीं है। न कहीं उत्तेजना है, न गुस्सा। बेहद धीरज और लगभग निर्विरोध भाव से उभरता हुआ, तुलसी का असंतोष और संकल्प है।'

भागेरथी, कौशल्या बैसंत्री की माँ। पिता का नाम रामा। अल्पायु में विवाह हुआ। माता–पिता दोनों कड़े परिश्रमी। इसाई क्लबों में पिता साफ सफाई का काम करते। माँ सूत मिल में काम करती थीं। हरिजन जाति में जन्म लेने के बावजूद कौशल्या बैसंत्री ने अपनी जाति को कभी हीन नहीं माना। वह लिखती है–'मैं अपनी जाति को हीन नहीं समझती। न ही उनकों अपने से ऊँचा। वैसे मैं जाति–पाँति नहीं मानती। मेरे एक लड़के की पत्नी आयंगार ब्राह्मण है, मद्रास की, दूसरे की बंगाली कायस्थ और तीसरे की मध्यप्रदेश की। मेरी लड़की का विवाह सिक्ख धर्म के लड़के से हुआ। हमारे सगे रिश्तेदारों की शादियाँ राजस्थानी, नेपाली, गोवानीज, उ.प्र. आदि में हुई। मेरा अपना विवाह भी बिहार में हुआ है। जाति तो हमने कब की झटक दी है।' कई बार सवर्णों के अछूत मानकर किये जा रहे व्यवहार से कौशल्या को मानसिक आघात भी लगा। लेखिका ने पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि– 'सभ्य आदमी जाति–पाँति का विचार अपने मन मेंनहीं रखते और जाति–पाँति मानने वाले लोगों से मैं अपना सम्पर्क नहीं रखती। मुझे पता होता कि आप जाति–पाँति मानती है, तो मैं स्वयं आपके चिटफण्ड मेंनहीं आती। आपकी जाति के लोगों ने हमारे बाप–दादा और हमारे जाति के लोगों को सदियों से सताया, पीने को पानी नहीं, पढ़ाई नहीं, सम्पत्ति नहीं, काम करने की मनाही। गाँव के बाहर चीथड़ों में रहने को मजबूर किया और भी अमानुष अत्याचार किये। फिर भी हमने यह सब सहकर अपने पाँव पर खड़े रहकर उन्नति की ओर आपसे आगे बढ़कर दिखाया। अब आप से दबकर नहीं रहेंगे। फिर मैं आपसे क्यों डरूँ।'

आये दिन दलितों पर आज भी सवर्ण दबंग जुल्म करते है। दलित महिलाओं पर विशेष अत्याचार करते हैं। मण्डल रिपोर्ट पर आरक्षण विरोधी तूफान उठा। इससे सवर्ण मानसिकता का पता चलता है। ऐसे समय अपनी प्रतिक्रिया में लेखिका लिखती है– 'लगा कि हिन्दू समाज फिर उस आदिम व्यवस्था को लौट गया है, जिसमें दलितों को जीने के अधिकार से भी वंचित किया गया था।'

24 जून को कौशल्या बैसंत्री चिर निद्रा मेंसो गई, वे नागपुर के दलित परिवार मेंजन्मी थीं। मैट्रिक तक पढ़ी थी और बिहार के अति पिछड़े वर्ग के और उन दिनों वामपंथी विचार रखने वाले युवा डॉ. देवेन्द्र कुमार बैसंत्री से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। दो बेटों और एक बेटी की माँ कौशल्या का पैतृक नाम कौशल्या नंदेश्वर था, उनके तीनों बच्चों ने अंतर्जातीय विवाह किए और उच्च मध्यमवर्गीय जीवन जिए। बेटी सुजाता ने जरूर दलित नाटक और दलित विमर्श मेंअपनी माँ से प्रभाव लिया। कौशल्या बैसंत्री उन दिनों अपने पति से भरण–पोषण का कंस लड़ रही थीं। कौशल्या बैसंत्री, जिनकी अभी 24 जून 2010 को मृत्यु हुई, की आत्मकथा 'दोहरा अभिशापय प्रसिद्ध है। कौशल्या जाति की महार थी, जो महाराष्ट्र की अछूत जाति है। कौशल्या की नानी ने पति की मारपीट और शराब से परेशान होकर बच्चों सहित नागपुर जाकर मजदूरी कर बच्चों का पालन–पोषण किया। कौशल्या के माता–पिता ने बहुत गरीबी भोगी, किन्तु माँ ने अपनी छः पुत्रियों और एकमात्र पुत्र को कठिन परिस्थितियों मेंभी पढ़ा कर योग्य बनाया। कौशल्या ने देवेन्द्र बैसन्त्री निवासी बिहार से विवाह किया। पति के साथ आर्थिक कष्ट सहे, किन्तु पति के अमानवीय व्यवहार और स्वार्थपरक खुद्दारी से परेशान होकर पति से नाता तोड़ा। बरसों पति के विरुद्ध न्यायालय भरण–पोषण के लिए लड़ती रहीं। न्यायालयीन आदेश से उनका पति निर्धारित राशि भेजने में विलम्ब करता था। अंतिम समय वह अपने पुत्र के साथ रही। अछूत होने के अभिशाप के साथ–साथ उन्होंने स्त्री होने का भी अभिशाप जिंदगी भर झेला। सवर्णों ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किये, उन्हें कदम कदम पर प्रताड़ित करते रहे, उनका चित्रण और विवाहोपरान्त पति का उपेक्षापूर्ण व्यवहार से उन्होंने जो पीड़ा और कष्ट भोगे उन सब स्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. चंद्रभान सिंह यादव–हंस, अप्रैल 2011, पृ. 38.पृ. 37–38
2. चंद्रभान सिंह यादव–हंस, अप्रैल 2011, पृ. 38.
3. राजेन्द्र यादव, हंस फरवरी 2011, सम्पादकीय.
4. दोहरा अभिशाप–कौशल्या बैसंत्री/पृ. 116
5. दोहरा अभिशाप–कौशल्या बैसंत्री/पृ. 116
6. दोहरा अभिशाप–कौशल्या बैसंत्री/पृ. 123
7. श्योराज सिंह– हंस, अगस्त 2011, पृ.11.
8. चंद्रभान सिंह यादव–हंस, अप्रैल 2011, पृ. 38.पृ. 37–38

****

निमाड़ की लोक – संस्कृति एक संक्षिप्त अध्ययन

डॉ. मंगलेश्वरी जोशी *

प्रस्तावना – निमाड़ की समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा रही है प्रारंभिक वर्षो में रचित हिन्दू तथा जैन साहित्य से यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में महर्षियों के आश्रम थे। सुविख्यात संतो एवं चितंको ने इस क्षेत्र में आकर यहां के लोगो को प्रभुद्ध किया। युगों से निमाड़ मालवा राज्य का एक अंग रहा है तथा दो बड़े व्यापारिक मार्गो के संगम पर स्थित होने के कारण दक्षिण तथा उत्तर को जोडने वाला अत्यंत प्राचीन स्थान रहा है मध्य काल में इस क्षेत्र पर मुगलों का शासन था। बुरहानपुर साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराओं रानियों की चित्रित स्नानागारों , मंदिरो के भग्नावेशों , बड़ी–बड़ी मस्जिदों तथा औद्योगिक व वाणिज्यक महत्व के कारण प्रसिद्ध रहा है। 19 वें शताब्दि के कारण यह क्षेत्र शासक सरदारो की सेनाओं द्वारा बार –बार रोंदा गया तथा अनेक बार एक क्षोर से दुसरे क्षोर तक पिडारियों की गोलियों और लुट खसोट का शिकार हुआ, जिसके कारण निमाड़ के सामाजिक व सांस्कृतिक जन जीवन पर आघात पहुंचा।

निमाड़ में राम कृष्ण और शिव की उपासना समान रूप से की जाती रही है, यहां के जन जीवन पर संतो के प्रभाव को भी नहीं भुलाया जा सकता। लोक जीवन पर आध्यात्म का स्पष्ट दर्शन किया जा सकता है बुरहानपुर के सामाजिक व सासंस्कृतिक जीवन पर सुफी संतो के साहित्यकारों व विद्धवानो का प्रभाव दृष्टि गोचर होता है इनमें हजरत भिखारी , हमिउद्धिन फजलउल्ला, वाजन शेख के नाम उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य निमाड़ की संस्कृति में छिपे भावों को उद्धाटित करना है, ताकि वहां की लोक संस्कृति में प्रस्फुटित वृत पर्व एवं त्यौहारों को जाना जा सके। जिसके द्वारा जन जीवन में सांस्कृतिक जागरूकता एवं प्रकृति व संस्कृति के मध्य समन्वय उजागर हो सके। वर्तमान में युवा पीढ़ी शिक्षा प्राप्ति के कारण अपने स्थान को छोड़कर दुसरे स्थान पर जा रही है अर्थात अपने क्षेत्र से दूर होने के कारण अपनी संस्कृति रिति रिवाज को छोड़ तो नहीं रही है लेकिन फिर भी इनसे काफी दूर होती जा रही है। समयाभाव भी एक समस्या है जिसके कारण दिन प्रतिदिन इन त्योहारों में पारंपरिक रीति रिवाजों का अभाव देखा जा रहा है। व्रत पर्व त्योहारों का प्रकृति के मध्य अंतर्संबंध है जो पारिवारिक सामाजिक से लेकर राष्ट्रीय भक्ति को स्थापित करता है।

चैत्र माह से फागुन मास तक निमाड़ में कई व्रत व त्यौहार मनाये जाते है जिनमें प्रमुख है – हाटकेश्वर जयंति, रंगपंचमी , गणगौर, रामनवमी, हनुमान जयंति, बड़ सावित्रि पुण्यव , गंगा दसेरो, देव सोवणइ ग्यारस, जिरोति अमोस, आखा तीज, डोडबोलइ अमोस, इरपस दितवार, राखी पोलो, हरतालिका तिज, गणपती चौथ, ऋषि पांचौ, हलछट, सेलई सातव, उंकार आठव, सांजा पुलइ, नरवत, नौ दुर्गा , दसेरो, सरद पुण्यव, करवा चौथ, चौला बारस, धन तेरस, नरका चौदस, दिवालई, गोवर्धन, भाई बीज, देव उठणई ग्यारस, वैकुठ चौदस, संकरात, बसंत पांचौ , धन की पुण्यव , सिवरात, होलई इत्यादि।

निमाड़ में विभिन्न जाति धर्म परंपराओं के व्यक्ति निवास करते है अधिकतर हिन्दू मुस्लिम और आदिवासी बड़ी संख्या में है सभी के रीति रिवाज भिन्न भिन्न तरीके के है लेकिन मेले व त्योहारों को सभी एक साथ भाग लेकर मनाते है। यहां पर किसी भी प्रकार का भेद भाव नजर नहीं आता। निमाड़ की लोक संस्कृति की अक्षिुण्य परंपरा अन्यतं समृद्ध है यहां का सामाजिक जीवन रीति रिवाज मेले त्योहार हमेशा प्रेरणा के स्त्रोत रहे है।

निमाड़ की लोक संस्कृति व्रत पर्व में आत्मिक उत्साह भावुकता आदर सम्मान श्रृद्धा का भाव देखने को मिलता है। मुख्य व्रत पर्वो को दिग् दर्शन करते है।

डोडबोलई अमोस – ज्येष्ठ अमावस के दिन यह पर्व मनाते है। क्षेत्र के सारे बालकों में से एक को पलाश के पत्तों से ढंककर मेढ़क का स्वरूप देते है। उसकी कमर से रस्सी बांधकर उसे अन्य बालक आगे–पीछे धक्का दते है और टोली बना कूदते–कूदते प्रत्येक घर गीत गाते जाते है –

दत्तेद , कोठी फोड़ी द।
कोठी मनी होय तो, कनगो कोड़ी द।
दमाय दाण, एतराज धणा ।।

वे जिस घर जाते , उस घर के लोग पत्तों से ढके डेडरे को जल से नहलाते , उन्हें यथा शक्ति अनाज भेंट करते। वे एकत्रित अनाज को नदी तट की अमराइयों में जा , भोजन बनाते व पलाश के पत्तलों में रख सानंद खाते। इस तरह वर्षा का आव्हान करते यह पर्व समाप्त होता है।

पोलो। बोने बखरने के कार्य समाप्ति के बाद फसल जब बढ़ने लगती है तब पोला भाद्र पद कृष्ण चौदस के दिन मनाया जाता है। पशुओं व बैलों को पूरी छुट्टी देकर उनका श्रृंगार किया जाता है , पकवान बनाए जाते है। सांझ को उन्हें हनुमान मंदिर के पास चौराहे पर एक रस्सी बांधी जाती है और उनकी दौड़ होती है। बड़े उल्लास से यह त्यौहार मनाया जाता है।

सांजा पुलई– कुवार माह में कुँवारी कन्याओं द्वारा पूर्णिमा से अमावस तक यह त्यौहार न केवल निमाड़ वरन् मालवा मे भी मनाया जाता रहा है कुमारीकाएँ अपने घर के बाहर दीवार पर गोबर से संजा मांडती है। जिनमें चाँद, सूरज, साथिया, फूल – पत्ति, पान, केल, जलेबी की जोड, गाडी, पतली पेमा, जाड़ी जसोदा इत्यादि गोबर से बनाकर उनकी फूल पत्ती व पन्नी से सजावट की जाति है आरती पुजा शाम के समय सभी कुमारिकाएँ एकत्र हो घर – घर जाकर करती है एवं गीत गाती है एवं सर्वपित्रमोक्ष अमावस्या को विसर्जन करती है। गीतों मे अपने भाइयों का भी का बखान किया जाता है –

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

गीत की झलक

म्हारा कुआँ पर चार कबूतर बैठया रे कागला
संजा तो मांगे , हरो–हरो गोबर

बड़े उत्साह से घर में परिवार सहित इस वृत को मनाया जाता है।

नरवत– अश्विन सुदी एकम से नवमी तक चलने वाला नरवत वृत आता है। भविष्य में अच्छा पति मिलने व सौभाग्यशाली होने की कामना से ओत प्रोत कुवांरी कन्याओं का यह व्रत है जिसमें शिव पार्वती की पुजा के रूप में मान्यता दी है। हाथ से सनी मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती है मिट्टी के गोले को मानव स्वरूप दिया जाता है। दो कोडियां रखकर आंखे बनाई जाती है। नाक कान मुहँ की आकृति उंगलियों से दी जाती है गीत की इन पंक्तियों के साथ नरवत की पुजा की जाती है

नरवत गीत की झलक

नकल्या ओ कुई , नकल्या ओ कुई
नकल्या खेलि–खेलि आई छे
बाई छै , बाई फूल को हार छे
द ओ जोगेण नकल्या द नकल्या द।
हाट गई , हठेली गई , बालपणा को सिंगार लाई
द ओ जोगेण नकलया द नकल्या द।

इन्ही नौ दिनों में नव रात्रियों में भी सभी मिलकर व्रत रखते हुए गरबा गीत गाकर नृत्योत्सव मनाते है –

निमाड़ी गरबा गीत की एक झलक

पावा जे गढ़ सी , नीसर्या भवानीओं
देवि आया आया खण्डवामाय पावा वाली ओं
खण्डवा का मधुभाई आड़ा फिर्या भवानीओं
देवि रव्हो रव्हो दिन दुई चार पावा वाली ओं

इस तरह हर्षोल्लास से यह पर्व सानंद सम्पन्न करते है।

गोवर्धन – कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को यह मांगलिक पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक घरों के द्वार पर गोबर से मुनष्याकार में तीन बड़ी आकृतियां बनाई जाती है इनमें रोटी बनाने वाली , घट्टी पीसने वाली , दही बिलोने वाली , धान कूटने वाली महिलाएं बनाई जाती है। इस प्रकार यह आकृतियां इस बात का संदेश देती है कि खेती की समृद्धि में ही उद्योग की समृद्धि निहित है।

गणगौर – चैत्रवदी दशमी से चैत्रसुदी तीज तक गणगौर पर्व मनाया जाता है। बांस की छोटी – छोटी टोकनियों में मिट्टी भरकर उसमें गेहूँ बोकर उसे प्रतिदिन सींचते हुए गीत व आरती से धणियेर माता रूप में उनकी पूजा की जाती है। बाद में स्त्री – पुरूष आकृति के धणियेर व रणुबाई के रथ सिंगार कर उन जवारों को उनमें रखकर आनन्दोल्लास से नृत्यों गीतों का कार्यक्रम चलता है।

अना बना म चम्पो मवरयो , मवरयो रे फुलवारी
धणियेर राजा डायण वल राणी रणुबाई फुलड़ा , टोच
टोचत – टोचत पाटो मुडयो , लापसी सी सेक्यो
पान पटोलई , पांटो बाध्यो, नैना रो रस लीनो

इस प्रकार से व्रतोत्सव गीतें में तैरते व गीतों में ही लय होते हुए गतिमान रखते है यही है निमाड़ की संस्कृति। भारत के प्रत्येक कोने कोन में संयुक्त परिवारों के माध्यम से हमारी संस्कृति पल्लवित – पुष्पित हुई है पुर्व निमाड़ में मनाए जाने वाले व्रत त्योहारों ने हमारी संस्कृति को गतिमान रखा है , निमाड़ की संस्कृति को झकझोर दिया है। जनजीवन में उल्हासित वातावरण , व्रत त्यौहारों की गरिमा की सार्थकता निसंदेह निमाड़ मे ही देखी जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीवास्तव पी. एन. पूर्व निमाड़ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1971 पृ. 535
2. रिपोर्ट ऑन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ निमाड़ 1984
3. उपाध्याय रामनारायण – निमाड़ का लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति पृ. 257
4. बुरहानपुर परिचय 1975 दी बुरहानपुर।
5. हिस्टोरिकल एण्ड आर्कलाइजिकल सोसायटी।
6. मास्टर पंडित लक्ष्मीदास बुरहानपुर दर्शन पृ. 12

साक्षात्कार –

1. श्रीमती सरजू मण्डलोई।
2. श्रीमती गीता देवी शर्मा।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी।
4. श्रीमती गजरा व्यास।
5. श्रीमती शारदा व्यास।

****

स्मृतियों में न्याय दर्शन एवम् विचार

डॉ. विम्मी बहल *

शोध सारांश – मनु के मतानुसार इस संसार में पूर्णतया शुचि मनुष्य दुर्लभ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये सब मानव के प्रबलतम शत्रु है जिससे मानव का जीवन विपत्तियुक्त हो जाता है और वह अपने को असुरक्षित अनुभव करने लगता है। इस संकट का सिर्फ एक ही निदान है कि मानव बैर के मूल कारण का उन्मूलन कर दे। याज्ञवल्क्य के अनुसार धर्मशास्त्र तथा लोकाचार के विरूद्ध मार्ग से दूसरो द्वारा सताया गया व्यक्ति जहाँ न्याय के लिए राजा के पास आवेदन करता है वही 'व्यवहार' का विषय है। मैंने अपने इस शोध पत्र में न्यायपालिका के स्वरूप, उसके विविध प्रकारो और विभिन्न अधिकारियों का ज्ञान, न्यायाधीश में, अनेक गुणो की अनिवार्यता को प्रतिपादित करा है।

कुंजी शब्द – न्याय–व्यवस्था, न्यायपालिका, न्यायालय अधिकार, कर्त्तव्य, गुण आदि।

प्रस्तावना – न्याय व्यवस्था – जब मानव ने दूसरे मानव के अधिकारों का हरण करने का प्रयास किया और प्रथम मानव को उसके अनाधिकार प्रयास के लिए दण्ड मिलना चाहिए तथा दूसरे मानव को अपने अधिकार के उपभोग के लिए सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए न्याय – व्यवस्था की स्थापना की जाती है।

स्मृतियों ने विवादो को 'व्यवहार' नाम से संबोधित किया है[1] व्यवहार शब्द का विश्लेषण इस प्रकार है – वि+अव+हार तीन खंड है। वि का अर्थ है 'विविध', अव का अर्थ है संदेह तथा हार का अर्थ है 'हरण'। पूरा अर्थ हुआ कि जिस कार्य में अनेक संदेहों को हरण किया जाए या दूर किया जाये वह व्यवहार है मनु ने ऐसे राजा को मृतक–तुल्य माना है। अत: मनुष्यो के मध्य पारस्परिक अधिकार–हरण संबंधी प्रवृति को रोकने के लिए न्याय–व्यवस्था की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

निष्पक्ष न्याय करण एवं अपराधी को दण्ड देना राजा का प्रधान कार्य है। नारद स्मृति, मनु तथा याज्ञवल्क्य मे राजा जिस प्रकार प्रशासनिक कार्य स्वयं न करके मंत्रिगण की सहायता से करता है, उसी प्रकार न्याय–कार्य के लिए सभा और सभ्यों की व्यवस्था थी। स्मृतियों में आधुनिक युग की तरह व्यवस्था नहीं प्राप्त होती परन्तु उसमें प्राप्त होने वाली व्यवस्था अपना विशिष्ट महत्व रखती है।[2]

न्यायपालिका का स्वरूप –

माल्य धूपासनोपेतां बीजानलसमन्विताम्।
प्रतिमालेरण्यदेर्वेश्रव युक्तां चैवाम्बुना तथा।। बृहस्पति[3]

बृहस्पति स्मृति में न्यायपालिका के स्वरूप के विषय में कहा है कि पूर्व में न्यायपालिका होनी चाहिए एवम् इसका मुख पूर्व की और होना चाहिए। न्यायभवन विभिन्न प्रकार के फूलों, मूर्तियों, देवमूर्तियों, चित्रों आदि से सुसज्जित होना चाहिए। उसमे धूप, बीज, अग्नि, जल आदि रखे होने चाहिए। न्याय करना बहुत कठिन कार्य है। राजा स्वयं कोई कानून का निर्माण नहीं करता वह धर्मशास्त्रानुसार नियमों का ही पालन करता था।

न्यायपालिका के प्रकार – न्यायालय को स्मृतिकाल में सभा भी कहा जाता था। नारद स्मृति तथा याज्ञवल्क्य का कथन है कि विवादो का फैसला चार प्रकार के न्यायालयों द्वारा होता था –

1. राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी 'सभा'।
2. पूग।
3. श्रेणी।
4. कुल।

नृपेणाधिकृता: पूत्रा श्रेणयोऽथ कुलानि च।
पूर्व पूर्व गुरू ज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम्।। याज्ञ0 2.30।

मनु ने 'कुलानि' का अर्थ 'सगे संबंधियों का समूह', 'पूत्र' का अर्थ विभिन्न जाति का समूह तथा गण का अर्थ घर बनाने वाले या मठो में रहने वाले ब्राह्मण से किया है। इस प्रकार न्यायपालिका के कई विभाग थे। 1. राजा 2. न्यायाधीश 3. गण 4. पूग 5. श्रेणी 6. कुल। राजा मुख्य न्याय करने वाला था। बृहस्पति स्मृति के अनुसार साहस नामक मुकदमो के अतिरिक्त सभी प्रकार के मामलो का फैसला कुल, श्रेणी एवं गण करते थे एवम् अन्तिम निर्णय राजा का मान्य होता था।

मनु ने शासन व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य को ग्राम आदि छोटी इकाइयों में विभक्त किया है। एक ग्राम का अधिकारी ग्रामिक, दश का दशी तथा बीस गाँव का विशी कहलाता था। इनके अधिकार में न्याय–कार्य भी था। यदि छोटा अधिकारी निर्णय लेने में असमर्थ होता है। तो अपने उच्च–अधिकारी को, और उच्च–अधिकारी अपने से उच्च–पदाधिकारी को कार्य सौप देता था। मनु ने ग्रामिक, दशी, विश्ती, रावी सहस्त्राधिपति आदि अधिकारियों का वर्णन किया है। इनके निर्णय को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। इन न्याय के विभागो की तुलना आधुनिक पंचायतों से की जाती है।[5]

न्यायपालिका के अधिकारी – स्मृतियो के अनुसार कुछ जाति तथा विशिष्ट व्यक्तियो द्वारा ही न्याय–कार्य किया जाता या अधिकारियो में सद्गुणों का समावेश होना चाहिए।

जातिमात्रापजीवी वा कामं स्याद् ब्राह्मणबुव:।
धर्मप्रवक्ता नृपतेनं तु शूद्र: कथवचन ।। मनु. 8.20।[6]

शूद्र को मनु ने न्याय–कार्य के लिए बिल्कुल अयोग्य माना है। जाति से ब्राह्मण व्यक्ति के कर्म भले ही उचित न हो, फिर भी वह न्याय करने का अधिकारी है। शूद्र चाहे योग्य हो, फिर भी वह न्याय करने का अधिकारी नहीं है। न्याय कार्य का मुख्य अधिकारी राजा होता है। राजा के पश्चात् प्राड्विवाक

* सहायक प्राध्यापक, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

नामक अधिकारी का क्रम आता है। राजा की अनुपस्थिति में विद्धान ब्राह्मण न्याय का कार्य करता है। मनु के अनुसार राजा की अनुपस्थिति में वेदज्ञ ब्राह्मण तथा सभा के तीनों विद्धान सदस्य साथ है विवादो को समझे एवम् निर्णय करे।

न्यायपालिका के गुण –मनु ने न्यायाधीश के लिए धर्म प्रवक्ता शब्द का उपयोग किया है[7] याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा को विवादों को निपटाने के लिए सभी धर्मो को जानने वाला ब्राह्मण नियुक्त कर जो सभासदो के साथ रहे। मिताक्षरा का कथन है कि जो नृप, न्यायाधीश, मंत्रियें, विद्धानो, ब्राह्मणो, पुरोहित एवं सभ्यों की उपस्थिति में विवाद का निर्णय करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है।[8]

न्यायाधीश के अधिकार और कर्तव्य – न्याय करने वालो में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजा का है। अन्तिम निर्णय राजा का ही मान्य होता था। मनु के अनुसार राजा शरीर को वस्त्रो से आवृत करके, ध्यान मग्न होकर, लोकपालो को प्रजान करे। धर्म के आसन पर बैठकर सभा के कार्य और विवादो का निर्णय करे।[9] मनु के अनुसार जो राजा धर्मासन पर बैठकर ठीक से न्याय–कार्य नहीं करता है, वह पाप के चतुर्थाश का भागी होता है।

पाद: सभासद: सर्वान्पादो राजानमृच्छति ।। मनु0 8.18।[10]

झूठ बोलने के कारण और अधर्म–युक्त न्याय करने के कारण न्यायकर्ता के पुण्य समाप्त हो जाते है और वह पाप का भागी होता है। जो राजा निरपराधी को दण्ड देता है और अपराधी को छोड़ देता है, उसका संसार में अपयश होता है और वह नरकगामी होता है।[11]

बृहस्पति तथा विष्णुधर्मसूत्र के मत से राजा को अधिकार है कि कोई सभासद उचित न्याय नहीं करता है तथा घूस लेता है तो उसे राज्य से निष्कासित कर दे। राजा का कर्तव्य है कि सभा के जो सदस्य प्रेम के कारण, धन के लोभ के कारण या किसी भय के कारण धर्म के विरूद्ध अपना निर्णय देता है तो पराजित व्यक्ति पर जितना दण्ड लगा हो उसका दुगुना उस पर लगा कर वसूल करना चाहिए। प्राड्विवाक या धर्म प्रवक्ता न्यायाधीश का कार्य करता था। प्राड्विवाक का अर्थ 'विवाद में यह प्रश्न पूछता है तथा पुन: प्रश्न करके शांत तथा प्रेमपूर्वक बोलता है। इस कारण इसे 'प्राड्विवाक' नाम दिया गया है। वैदिक काल में इसे 'प्रश्न–विवाक' के नाम से जाना जाता था। प्राड्विवाक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता था। इसका मुख्य कार्य था कि विवादो में जो उलझन हो उसको हटा दे और समस्या का उचित हल प्रस्तुत करे।'

जिस प्रकार चिकित्सक शरीर से चेष्टापूर्वक कांटा आदि खराब वस्तु जो धंसी हुई होती है उनका उन्मूलन कर देता है। विवादों में सत्यासत्य का विवेक करके न्याय देना प्राड्विवाक का ही कर्तव्य था।[12]

न्याय व्यवस्था की समीक्षा या निष्कर्ष – न्याय व्यवस्था की यह पद्धति स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित थी। यह पद्धति अत्यन्त उत्कृष्ट पद्धति मानी जाती है क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य सत्य को अन्वेषण करना तथा सत्य द्वारा असत्य को अधोमुख कर देना था। स्मृतियों से न्यायपालिका के स्वरूप, उसके विविध प्रकारो और विभिन्न अधिकारों का ज्ञान होता है। न्यायाधीश में अनेक गुण की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। उसे वेद पारंगत, सत्यवादी, निर्भीक और राग–द्वेष रहित होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मनु0 8.43
2. मनु0 8.1–3
3. बृहस्पति
4. याज्ञ0 2.30
5. "Hindu Judicial System" by vardachariar page - 100
6. मनु0 8.20
7. धर्मप्रवक्ता नृपते नं. । मनु0 8.20
8. मिताक्षरा0 याज्ञ0 2.21
9. मनु0 8.23।
10. मनु0 8.18।
11. मनु0 8.128।
12. नारद स्मृति 1.36।

****

मध्यप्रदेश में सूचना के अधिकार की पृष्ठभूमि

डॉ. नितीश ओबराइन *

प्रस्तावना – वर्ष 1993 में मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह पदासीन हुए। मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम, पंचायतों में आरक्षण इसी वर्ष लागू कर दिया गया प्रदेश में नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव से विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। जिनकी रोकथाम हेतु तत्कालीन सरकार ने सूचना प्रदाय कानून जनता को दिया। जब यह कानून विधानसभा से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया तो महामहिम ने इसे यह कहकर वापस लौटा दिया की यह केन्द्र का विषय है। इस तरह मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार देने वाला प्रथम प्रदेश नहीं बन पाया। सरकार ने इसी समय सिटीजन्स् चार्टर प्रदेश में लागू किया जिसके अनुसार सभी शासकीय विभागों की सेवाएं लोकसेवा के दायरे में कर दी गईं। इसी समय तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने यहां सूचना का अधिकार कानून पारित कर लागू कर दिया। वर्ष 2002 में मध्यप्रदेश सरकार ने शीतकालीन सत्र में पुन: इस विधेयक को विधानसभा से पारित करा लिया जिसकी इस बार राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हो गई।

सूचना के अधिकार की प्रस्तावना – 'भारतीय संविधान के भाग–3 में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उल्लिखित ये अधिकार न सिर्फ महत्वपूर्ण है। बल्कि प्रजातंत्र के लिये प्राणवायु का काम करते है। भारतीय संविधान 19 (1) (ए) के अंतर्गत घोषित रूप से 'बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार' की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है कि जानने का अधिकार, बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल है। सूचना या जानकारी के अभाव में किसी भी व्यक्ति के लिए सार्थक ढंग़ से अपनी राय बनाना या अभिव्यक्त करना संभव नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जानने के अधिकार को संविधान के ए 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार से भी जोड़ा है। जानने के अधिकार के बिना जीवन का अधिकार स्वयं में अधूरा रह जाता है।'

'पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने एक वक्तव्य में यह स्वीकार किया था कि केन्द्र से चलने वाला एक रूपया हितग्राही तक पहुंचते–पहुंचते सिर्फ पन्द्रह पैसे रहा जाता है। बाकि पच्चासी पैसा भ्रष्टचार की भेंट चढ़ जाता है। सन् 1990 के दशक में एक नारा दिया गया था– **'भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में साझेदारी'** इसी दौरान सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने पर जोर दिया गया। 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर (अहमदाबाद) ने सूचना के अधिकार पर एक विस्तृत बिल तैयार किया। 1996 में प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया के सभापति जस्टिस वी.पी. सावंत के निर्देशन में सूचना का अधिकार विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जनवरी 1997 में एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में एक सरकारी वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिसका काम था शासन में खुलेपन और पारदर्शिता का अध्ययन करना और सूचना के अधिकार पर कानून की आवश्यकता पर सुझाव देना। इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जून 1997 में दी, रिपोर्ट का मुख्य भाग था– सूचना के अधिकार पर एक प्रस्तावित कानून। सूचना के अधिकार का संपूर्ण भारत वर्ष में एक अनूठा प्रयोग है– इलेक्शन वॉच। अगस्त 2002 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय (ए.डी. आर. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) देते हुए कहा कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को आय, संपत्ति, शिक्षा तथा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सारी जानकारी प्रस्तुत करना होगी। दिसम्बर 2002 में केन्द्र सरकार ने 'सूचना स्वातंत्रय अधिनियम 2002' संसद में प्रस्तुत किया। संसद के दोनों सदनों की सहमति मिलने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद भी नियम नहीं बन पाने के कारण यह कानून लागू नहीं हो पाया।

वर्ष 2004 में सूचना के अधिकार पर प्रभावी कानून शीघ्र अतिशीघ्र लागू करने की बात की गई। मई 2005 में सूचना के अधिकार के संबंध में कानून निर्माण के लिये एक विधेयक सदन में रखा गया। 11 मई 2005 को लोक सभा और 13 मई 2005 को राज्यसभा में पारित होने के बाद 12 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ ही इस विधेयक को केन्द्रीय कानून का दर्जा प्राप्त हो गया तथा भारत के राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया। भारत के सभी राज्यों को इस अधिनियम को अपने राजपत्र में प्रकाशित करने और अधिनियम बनाने के लिये कहा गया।

सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र राजसमंद जिले के छोटे से ग्राम देवडुगरी के आदिवासी किसानों ने अदभुत पहल की। उन्होंने 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' की स्थापना की। 6 अप्रैल 1996 के दिन तात्कालीन प्रेस आयोग के अध्यक्ष श्री वी.पी. सावंत के साथ मिलकर इस संगठन ने व्यावर (राजस्थान) में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को **'सूचना का अधिकार'** दिलवाना था। इस धरना प्रदर्शन ने न केवल सरकार परंतु सारे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जून 1997 में जयपुर सचिवालय के समीप कई और संगठनों के साथ 54 दिवस तक 'सूचना के अधिकार' की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस जन आंदोलन का बहुत व्यापक प्रभाव हुआ जो सन् 1996 के आम चुनावों में देखने मिला। इन चुनावों में लगभग सभी राजनैतिक दलों ने सूचना के अधिकार केा अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्थान दिया और जनता से स्वच्छ और पारदर्शी शासन, प्रशासन देने का वायदा किया।

इसी बीच तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री श्री एम. करूणानिधि ने तमिलनाडु विधानसभा में सूचना का अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया। 17 अप्रैल 1996 को तमिलनाडु विधानसभा में पारित होने के बाद तमिलनाडु सूचना का अधिकार पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया। इसी

* शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गढ़ाकोटा (म.प्र.) भारत

वर्ष संपूर्ण देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभिन्न कार्यकर्त्ताओं ने मिलकर सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया।

वर्ष 1997 के प्रारंभ में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सूचना का अधिकार कानून यथा शीघ्र पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने अपना वादा पूर्ण करते हुए जुलाई 1997 में गोवा राज्य विधानसभा में इसे पारित करा लिया। इसी प्रकार 1 मई सन् 2000 में राजस्थान, वर्ष 2001 में नई दिल्ली तथा देश के कई राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम में भी सूचना के अधिकार संबंधित कानून स्थापित हो गये।

इसी समय केन्द्र में सत्तारूढ़ तत्कालीन (एन.डी.ए.) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने राष्ट्रीय सूचना अधिकार का एक ड्राफ्ट (प्रारूप) तैयार कर सदन पटल पर प्रस्तुत किया। काफी दबावों के मध्य वर्ष 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का यह कानून पारित हो गया परंतु पारदर्शी प्रशासन के नाम पर यह कानून उतना प्रभावी नहीं बनाया गया था। मई 2004 के आम चुनावों के पश्चात् कांग्रेस तथा वामपंथी दलों के सहयोग का यू.पी.ए. (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संप्रग) दल सत्ता में आया। संप्रग सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपने इस उद्देश्य के साथ कि वे स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध हैं, सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय सलाहकार समिति और देश के कई सामाजिक संगठनों की सहायता से सूचना के अधिकार का ड्राफ्ट (प्रारूप) तैयार किया गया।

'इसे 23 दिसम्बर 2004 को सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया। लोकसभा में अर्थपूर्ण बहस के उपरांत 11मई 2005 को 146 संशोधनों के साथ सूचना के अधिकार का यह कानून ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में भी यह कानून अगले ही दिन पारित हो गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत 12 जून 2005 से यह कानून संपूर्ण देश में (जम्मू कश्मीर) को छोड़कर लागू हो गया। इसके साथ ही भारत 1923 के शासकीय भेद गुप्त रखने के अधिनियम से मुक्त हो गया।'

इस अधिनियम का मूल मंतव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जवाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता हो। अधिनियम के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में जो कोई भी सूचनाएं उनके कार्य-कलापों के संबंध में उपलब्ध होती हैं, उन्हें देने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य लोक प्राधिकारियों के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाना है और जवाबदेह बनाना है। प्रत्येक कार्यालय को सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी का नामांकन किया जाना आवश्यक है। उनका दायित्व है कि वह सभी विषयों में किसी भी नागरिक के द्वारा आवेदन पर मांगी गई सूचना प्रदान करें, यदि सूचना अधिनियम की धारा 8 (1) के अंतर्गत नहीं आती है तो अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि सूचना चाहे जाने पर यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर संबंधित को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो ऐसे अधिकारियों को केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग द्वारा दंडित किया जा सकता है। उम्मीद यह है कि इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को जो जानकारी कार्यालयों से प्राप्त नहीं होती थी, उन्हें प्राप्त करने में उनको सुलभता होगी। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में दिनाँक 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हो चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन उपरांत केन्द्रीय शासन द्वारा राज्य सरकारों को अधिनियम लागू करने के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को जारी किये निर्देश परिशिष्ट- '1', 'n', 'd', 'k', 'x' पर है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गयी थी कि अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व आयोग के गठन एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त कार्यवाही राज्य सरकारें करना सुनिश्चित करें, ताकि अधिनियम के प्रभावशील होने के उपरान्त अधिनियम के क्रियान्वयन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर न पड़े।

मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार वर्ष 1996 में बिलासपुर संभाग के तत्कालीन आयुक्त श्री हर्ष मंदर ने बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा (वर्तमान छत्तीसगढ प्रांत के जिले) के नागरिकों को सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकॉर्डस देखने तथा मांगे जाने पर छायाप्रति लोगों को देने संबंधी आदेश जारी किया था। संभवत: यह पहला कदम था, जब सरकार के कार्यो की जानकारी आम नागरिक तक पहुँचाने का मार्ग सुनिश्चित किया गया।

अगले वर्ष सन् 1997 में मध्यप्रदेश सरकार ने सूचना के अधिकार कानून का ड्राफ्ट (प्रारूप) तैयार कर लिया। यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के उपरांत राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया जिसे राज्यपाल ने महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु उन्हें प्रेषित किया। राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी करते हुए कि यह केंद्र का विषय है, विधेयक बिना स्वीकृति के वापस प्रेषित कर दिया। इस प्रकार मध्यप्रदेश देश में सूचना का अधिकार देने वाला प्रथम राज्य नहीं बन सका। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने एक शासकीय आदेश के द्वारा अपने नागरिकों को 38 शासकीय विभागों में सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। यह आदेश बहुत स्पष्ट नहीं था तथा इसमें बहुत त्रुटियां थी। वर्ष 1998 में मध्यप्रदेश सरकार ने अपने 47 विभागों में एक अन्य आदेश द्वारा 'सिटीजन्स चार्टर' लागू किया। जिसके अंतर्गत उपरोक्त विभाग अपने क्रिया कलापों की जानकारी एवं नागरिकों को सूचना देने की सारी आवश्यक जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे।

वर्ष 2002 में मध्यप्रदेश सरकार ने पुन: शीतकालीन सत्र में सूचना के अधिकार संबंधी एक अधिनियम विधानसभा में प्रस्तुत किया। विधानसभा में पारित होने तथा राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत यह अधिनियम कानून बन गया। इस समय तक तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और असम में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रदेश स्तर पर लागू किया जा चुका था।'

'वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम को यदि कारगर ढंग से लागू किया जाए तो भारत में शासन की प्रकृति बदल सकते है तथा शासन में पारदर्शिता प्रक्रिया की शुरूआत हो सकती है। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र का क्रान्तिकारी महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से जनमानस को वास्तविक आजादी के दर्शन सम्भव हो सकते है।'

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1 खेत्रपाल बी.एस., सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पूजा लॉ हाउस इन्दौर म.प्र. 2012 पृष्ठ 3
2 सिंह डॉ. अरूण कुमार, पारदर्शिता का आधार-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, प्रशासन अकादमी, भोपाल म.प्र., पृष्ठ 2-3
3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हिन्द पब्लिकेशन, इलाहाबाद,
4 www.rti.com